DSPR-02

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

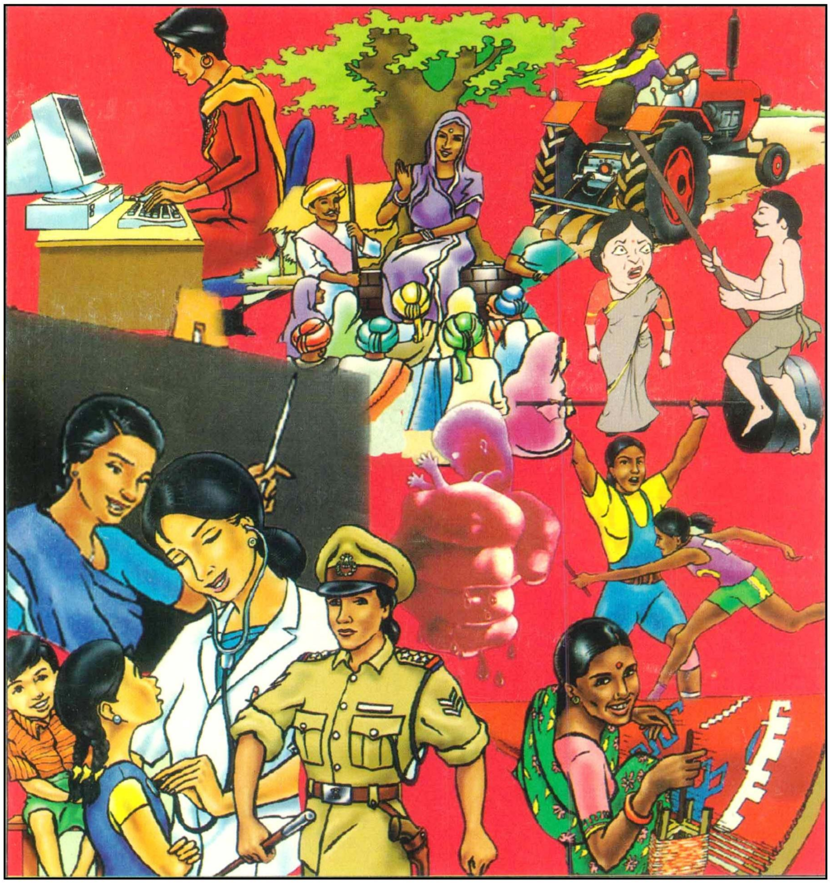

सामाजिक समस्याएँ एवं व्यसन : नवीन प्रवृतियाँ एवं विकृतियाँ

DSPR -02

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

खण्ड I

व्यसन

	पृष्ठ संख्या
इकाई -1 विचलन व्यवहार	7–20
इकाई -2 नशा क्या है : पहचान व प्रकार	21–34
इकाई -3 राजस्थान में व्यसन उपलब्धता	35–53
इकाई -4 राजस्थान में नशा प्रकोप	54–68
इकाई -5 व्यसनाधीनता के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणाम	69–80
इकाई -6 व्यसन उन्मूलन के प्रयास	81–89
इकाई -7 व्यसन उन्मूलन के मनोवैज्ञानिक साधन	90–103
इकाई -8 नशा मुक्ति का माणकलाव I : विचार	104–113
इकाई -9 नशा मुक्ति का माणकलाव II : कार्य पद्धति	114–127
इकाई -10 नशा मुक्ति के प्रयास में एस.एम.एस. चिकित्सालय के स्पेशल वार्ड का अध्ययन	128–142
इकाई -11 नशा मुक्ति के प्रयास में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाएँ I	143–152
इकाई -12 नशा मुक्ति के प्रयास में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाएँ II	153–172

इकाई -13
नशा मुक्ति पर महात्मा गाँधी, विभिन्न विद्वानों एवं संतों के विचार 173–193

खण्ड II सामाजिक समस्याएँ

इकाई -14
सामाजिक संरचना एवं समस्याएँ I : अवधारणा एवं सम्बन्ध 194–213

इकाई -15
सामाजिक संरचना एवं समस्याएँ II : राजस्थान के सम्बन्ध में जाति, विवाह, परिवार, स्तरीकरण आदि 214–231

इकाई -16
सामाजिक समस्याओं का वर्गीय आधार 232–237

इकाई -17
परम्परामूलक समस्याएँ 238–245

इकाई -18
परिवर्तन जनित समस्याएँ : दहेज, दहेज हत्या, तलाक आदि 246–259

इकाई -19
आर्थिक अपव्यय 260–281

पाठ्यक्रम निर्माण समिति (Course Development Committee)

अध्यक्ष

प्रो.(डॉ.) नरेश दाधीच

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक

डॉ. जे.के. शर्मा

सहायक-आचार्य, अर्थशास्त्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

1. **प्रो.(डॉ.) अनाम जेटली**
   निदेशक, संकाय
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
2. **श्री पी.सी. माथुर**
   सेवानिवृत्त सह-आचार्य
   राजनीति विज्ञान विभाग
   राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
3. **प्रो.(डॉ.) बी.एम. शर्मा**
   राजनीति विज्ञान विभाग
   राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
4. **डॉ. मधु नागला**
   समाजशास्त्र विभाग
   एम.डी. यूनिवर्सिटी,, रोहतक
5. **डॉ. एल. आर. गुर्जर**
   सह-आचार्य राजनीति विज्ञान
   वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सम्पादक

डॉ. आई.पी. मोदी

सेवानिवृत्त, सह आचार्य

समाजशास्त्र विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

लेखक

डॉ. प्रभा गुप्ता (1,18)
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
खण्डेलवाल वैश्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

प्रो. (डॉ.) एम.एस. त्रिवेदी (4,6)
सेवानिवृत्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर

डॉ. एस.एल. शर्मा (7,19)
सह-आचार्य, समाजशास्त्र विभाग
माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर

डॉ. रूपा मगलानी (13)
सहायक-आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोटपूतली

श्री संयोग यादव (2,3)
समाजशास्त्र विभाग
एम.डी. यूनिवर्सिटी,, रोहतक

डॉ. आर.सी. साहनी (5,11)
सेवानिवृत्त चिकित्सक एवं समाजसेवी, कोटा

डॉ.(श्रीमती) अल्का शर्मा (8,9,10,12)
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, दौसा

डॉ. मनीष कुमार वर्मा (14)
सहायक-आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोटा

श्री आलोक कुमार मीणा (16)
सहायक-आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, राजसमंद

डॉ. मिथिलेश गुप्ता (15)
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र
राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर

पाठ्यक्रम पर्यवेक्षण एवं उत्पादन

निदेशक,(अकादमिक)
प्रो.(डॉ.) अनाम जेटली
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

निदेशक पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण
प्रो.(डॉ.) पी.के. शर्मा
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

उत्पादन: जुलाई, 2007

© सर्वाधिकार सुरक्षित : इस पुस्तक का कोई भी अंश की वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति के बिना मिमियाग्राफी अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

निदेशक, अकादमिक द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित।

इकाई-1

विचलन व्यवहार

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य
1.1 प्रस्तावना
1.2 विचलन का अर्थ एवं परिभाषा
1.3 विचलन की विशेषताएं
1.4 विचलन के कारण
1.5 विचलन के स्वरूप
1.6 व्यसन
1.7 मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एवं व्यसन का अर्थ
1.8 मादक द्रव्य के दुरूपयोग के कारण
1.9 मादक द्रव्य के दुष्प्रयोग के कुप्रभाव
1.10 मादक द्रव्य दुष्प्रयोग नियंत्रण
1.11 सारांश
112 बोध प्रश्न
1.13 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- विचलन का अर्थ, परिभाषा, एवं इसकी विशेषताएं जान सकेंगे ।
- विचलन के कारण एवं स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे ।
- व्यसन के बारे में जान सकेंगे ।
- मादक द्रव्य दुरूपयोग के कारण एवं कुप्रभाव बता सकेंगे ।
- मादक द्रव्य दुरूपयोग पर नियंत्रण करना जान जायेंगे ।

1.1 प्रस्तावना

समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं । नियमों का पालन करना अनुरूपता और नियमों का पालन नहीं करना विचलन कहलाता है । समाजीकरण का अभाव, कमजोर अनुशास्तियां कानून के प्रवर्तन में कमी इत्यादि कारणों से विचलन पैदा होता है । व्यक्ति समस्याओं, तनाओं विवादों, चिन्ताओं और कुण्ठाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यसन का सहारा लेता है । मादक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं जैसे-उत्तेजक, निश्चेतक, अवसादक और मायिक । मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं-मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक आदि । मादक पदार्थो से कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं जैसे-शारीरिक, मानसिक, कार्यक्षमता में कमी, दुर्घटना

होना, दुर्व्यवहार करना, इससे गरीबी आना, बेरोजगार हो जाना आदि । नियंत्रण करके व्यक्ति अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह आराम से गुजार सकता है ।

विचलन (Deviance)

प्रत्येक समाज को सुचारू रूप से विकास की तरफ अग्रसर करने के लिये विभिन्न संस्थाएं व्यक्तियों के लिए नियम बनाती हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि बह इन नियमों का पालन करें । जब व्यक्ति इन नियमों के अनुरूप आचरण करते हैं तो उस प्रक्रिया को अनुरूपता कहते है । श्चिलन अनुरूपता की विरोधी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के हितों की अनदेखी करके स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिये संस्थागत अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करते हैं जिससे समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जैसे वेश्यावृति, नशावृति, व्यसन, अपराध, बाल-अपराध आदि ।

यही यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रत्येक समाज की अपनी संस्थागत अपेक्षाएं होती हैं । अत: सामाजिक विज्ञान की अवधारणा समाज से सापेक्ष है, अर्थात् एक समाज का जो कार्य अनुरूपता की श्रेणी में आता है तो हो सकता है कि वही व्यवहार दूसरे समाज में विचलन की श्रेणी में आता है जैसे अमरीकी समाज में विवाह की संस्था में भाग लेने वाले स्त्री-पुरूष से जो आशाएं की जाती हैं वे भारतीय विवाह की संस्था में भाग लेने वाले स्त्री-पुरूष पर लागू होने बाली अपेक्षाओं से सर्वथा भिन्न है ।

1.2 विचलन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Deviance)

समाजशास्त्र के कोष के अनुसार ऐसी संस्थागत अपेक्षाओं का उल्लंघन किये जाने वाले व्यवहार को विचलन या विपथगमन कहते हैं, जिन्हें किसी समाज विशेष में अपना या वैद्य समझा जाता है । दूसरे शब्दों में विपथगमन एक ऐसा व्यवहार है जिसे किसी समाज के लिये गलत, अशान्त, अनुचित, अनैतिक मानते हैं तथा जिसके लिये समाज में कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय मौजूद होते हैं ।

एच.एम. जॉनसन ने अपनी पुस्तक "Sociology A Systematic Introduction" में लिखा है "विपथगामी व्यवहार केवल ऐसा व्यवहार नहीं है जिसमें किसी मानदण्ड का उल्लंघन होता है । यह ऐसा व्यवहार है जो उस मानदण्ड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख हो,या जानबूझकर किया गया उल्लंघन है ।"

जॉनसन की इस परिभाषा में विचलन में तीन तत्वों पर जोर दिया गया है-

1. सामाजिक मानदण्ड
2. मानदण्डों की व्यक्ति को जानकारी
3. जानबूझकर मानदण्डों का उल्लंघन करना

अत: विचलन उसी व्यवहार को कहेंगे जब एक व्यक्ति सामाजिक मानदण्डों जिनकी उसे जानकारी है-का जानबूझकर उल्लंघन करता है ।

एलेक्स इंकेल्स ने अपनी पुस्तक "What is Sociology" में लिखा है कि "विचलन का तात्पर्य न तो सामान्य से स्वीकृत मानक से हट जाने और न अल्पसंख्यक विचार रखने से है । सामाजिक

विचलन तब पैदा होता है जब स्वीकृत मानदण्डों से दूर हट जाते हैं, जिसे समाज गम्भीर समझता है, और इतना गम्भीर कि, उसे रोकने या नियन्त्रित करने के लिये कुछ उपाय अपनाने पड़ते हैं ।

थियोडोरसन एवं थियोडोरसन ने अपनी पुस्तक "A Modern Dictionary" में लिखा है "विचलन सामाजिक मानदण्डों के प्रति विसंगति है"

सिमन्स ने अपनी पुस्तक "Deviants" में लिखा है "अगर आप औसत के लगभग निकट हैं तो आप ठीक हैं पर यदि आप औसत से बहुत दूर हैं तो आप निश्चय ही ठीक नहीं हैं ।" यही विचलन की स्थिति है ।

उपर्युक्त परिभाषाओं को अवलोकित करके हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि विचलन की परिभाषा सदैव ही विशिष्ट मानदण्डों के संदर्भ में की जाती है । एक समूह या समाज में जिसे विचलन माना जाता है वह दूसरे में अनुरूपता है । विचलित व्यवहार तब ही मानना चाहिये जब बह जानबूझकर किया जाये । अर्थात् जब कर्ता को सामाजिक मानदण्डों की जानकारी हो और बह जानबूझकर उनका उल्लंघन करता है । किन्तु जब कर्ता को मानदण्डों की जानकारी नहीं होती और वह विपरीत व्यवहार करता है तो वह विचलन नहीं कहलायेगा। छोटे-छोटे सामाजिक आदर्श से लेकर बडे से बड़े कानून को तोड़ना विचलन कहलाता है । जब विचलन वैयक्तिक है तो वह कर्ता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है किन्तु जब वह सामाजिक होता है तो इससे समाज की एकता को खतरा उत्पन्न होता है ।

1.3 विचलन की विशेषताएं (Characteristics of Deviance)

निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर हम विचलन की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं-

(i) सामाजिक मानदण्डों की अवहेलना (Negligence of Social Norms)

विचलन एक ऐसा व्यवहार है जिसमें सामाजिक मानदण्डों की अवहेलना की जाती है । थोड़ी अवहेलना अनदेखी कर दी जाती है किन्तु जब यह अवहेलना समाज व्यवस्था में विघटन पैदा करने या समाज में खतरा उत्पन्न करने लग जाये तो उसे विचलन कहते हैं।

नैतिक नियमों का आचरण न करना, सत्य से हटना, लैंगिक व्यवहार के मानकों से दूर हटना, पथ से भटकना व मान्यता प्राप्त नियमों से हटना आदि सामाजिक मानदण्डों के उल्लंघन में आते हैं जो सामाजिक व्यवहार को असंतुलित करते हैं। अत: विचलन में सामाजिक मानदण्डों की अवहेलना की जाती है ।

(ii) विचलन का सम्बन्ध एक विशिष्ट समाज एवं संस्कृति से (Deviance is related to Distitinctive Society & Culture)

प्रत्येक समाज एवं संस्कृति में भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक मानदण्ड पाये जाते हैं अत: एक संस्कृति में जिसे विचलन माना जाता है यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे समाज और संस्कृति में भी उसे विचलन माना जाये । जैसे अन्तर्जातीय विवाह या प्रेम विवाह भारत में विचलन है किन्तु अमेरीका में नहीं ।

(iii) जानबूझकर मानदण्डों का उल्लंघन (Intentional Violation of Social Norms)

समाज को सुव्यवस्थित रूप से विकास की और अग्रसर करने के लिये मानदण्डों की व्यवस्था की गई है। जब व्यक्ति इन मानदण्डों की जानकारी रखते हुए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जानबूझकर

इनके विपरीत व्यवहार करते हैं तो वह विचलन है । जैसे नशावृति करना, क्योंकि अपनी इच्छा पूर्ति के लिये बह समाज के मानदण्डों की जानबूझकर अनदेखी करता है ।

(iv) विचलन वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हो सकता है (Deviance can be Individual and Social)

विचलन ऐसा व्यवहार है जो मानदण्डों से अलग करते है । जब एक व्यक्ति के द्वारा सामाजिक मानदण्डों के विपरीत व्यवहार किया जाता है तो यह वैयक्तिक विचलन है किन्तु जब ऐसा व्यवहार सम्पूर्ण समूह या समाज द्वारा किया जाता है तो बह सामाजिक विचलन है ।

(v) विचलन सामाजिक नियंत्रण का जनक है (Deviance is Father of Social Control)

जब व्यक्ति सामाजिक मानदण्डों का जानबूझकर उल्लंघन करता है तब समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है । समाज में नैतिकता को खतरा उत्पन्न होता है । इस स्थिति को रोकने के लिए प्रत्येक समाज नियंत्रण की व्यवस्था करता है जैसे पुलिस, जेल, न्यायालय आदि ।

1.4 विचलन के कारण (Causes of Deviance)

व्यक्ति सदैव ही सामाजिक मानदण्डों का उल्लंघन नहीं करता । कोई न कोई कारण विचलन को प्रोत्साहित करता है। जॉनसन ने उन कारणों का उल्लेख किया है जिनकी वजह से व्यक्ति विचलित व्यवहार करता है:-

(i) दोषपूर्ण समाजीकरण या समाजीकरण का अभाव (Faulty Socialisation or lack of Socialisation)

जब व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों की दोषपूर्ण शिक्षा दी जाती है या उस व्यक्ति का समुचित समाजीकरण नहीं किया जाता है तब वह विपथगामी या विचलित व्यवहार करता है ।

(ii) दुर्बल अनुशास्तियाँ (Weak Sanctiona)

अनुशास्तियों से अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा समाज स्वीकृत व्यवहार करने पर पुरस्कार एवं विचलित व्यवहार करने पर उसे दण्ड दिया जाता है । जब व्यक्ति को उचित व्यवहार करने पर पुरस्कार तथा गलत व्यवहार करने पर दण्ड नहीं मिलता तो व्यक्ति विचलित व्यवहार करना प्रारम्भ करता है । उसके अन्दर यह धारणा उत्पन्न हो जाती है कि सब ऐसे ही चलता है ।

(iii) कानून के प्रवर्तन में कमीं (Poor enforcement of law)

यदि अनुचित व्यवहार करने पर समाज में दण्ड का प्रावधान तो किया गया है किन्तु जब यह व्यवस्था निष्क्रिय या उदासीन हो अथवा उसे लागू करने बालो की संख्या कम हो या कहीं त्रुटि हो तो समाज में विचलित व्यवहार बढ़ता है । यदि अपराधियों को अपराध करने पर पकड़ा तो जाता है किन्तु सजा न देकर उनसे रिश्वत लेकर छोड दिया जाता हो तो इससे समाज में विचलन को बढ़ावा मिलता है ।

(iv) तार्किकरण की सरलता (Easiness of Rationalization)

व्यक्ति विचलित व्यवहार करने के बाद उस गलत व्यवहार को सरल एवं गलत तर्को के द्वारा सही घोषित करने का प्रयास करता है । उदाहरण के लिए डाकू डकैती करने के पश्चात् पकड़ा जाता है तो वह यह तर्क देता है कि डकैती के धन को वह गरीबों में बाँट देता है ।

(v) सामाजिक मानदण्डों की अनिश्चित सीमा होना (Infinit range of social norms)

पारसन्स का मत है कि क्रान्तिकारी राजनीतिक कोटि का विचलन समाज में वैद्य मूल्यों और अपने बीच की खाई को सामान्य रूप से पाट देता है जैसे देश भक्ति या स्वतंत्रता का क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है किन्तु युद्ध के दौरान शत्रु पक्ष के सैनिकों की हत्या करना विचलन नहीं माना जाता ।

(vi) उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता (Secrecy of violative behaviour)

जो भी उल्लंघन व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है वह समाज में सभी के सामने लाना चाहिए अन्यथा वह अन्दर ही अन्दर बढ़ता चला जाएगा । जैसे भारत में दहेज प्रथा, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा. व्यसन, मद्यपान आदि इसके उदाहरण है । यदि विचलित व्यवहार गोपनीय रखा जाता है तो कसूरवार व्यक्ति को दण्ड भी नहीं दिया जा सकता ।

(vii) अनुचित या भ्रष्ट तरीके से कानून का प्रवर्तन (Unjust or corrupt enforcement of low)

कानून जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया है किन्तु जब इसको गलत एवं भ्रष्ट तरीके से लाग किया जाता है तब लोगों का उससे विश्वास उठ जाता है । जब पुलिस की अपराधियों के साथ सात-गांठ होती है तो वह उन अपराधों के लिये भी अपराधी को छोड़ देते हैं जिससे समाज को विशेष हानि पहुँची हो । वह भ्रष्टाचार और अबैध हिंसा का प्रयोग करते हैं जिससे विचलन को बढ़ावा मिलता है । लोगों को जब काननू का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है तो वे विचलित व्यवहार अपनाने लगते हैं।

(viii) अपराध के शिकार व्यक्ति का असहयोग (Non-Co-operation of the Victim)

जिस व्यक्ति के विरूद्ध अपराध हुआ है बह कोई प्रतिक्रिया या कार्यवाही नहीं करता तो इससे अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है और लगातार उसका उपराध की तरफ रूझान बना रहता है ।

(ix) सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ताओं का उभय भाव (Ambivalance of the agents of Social control)

जिन लोगों पर सामाजिक नियन्त्रण बनाये रखने का दायित्व होता है दही लोग यदि अपराधी की तरफ उदासीन हो जायें या उनके विरूद्ध कोई कदम नहीं उठायेंगे तो समाज में विचलन को प्रोत्साहन मिलेगा । उदाहरण के लिए यदि पिता पुत्र को, अध्यापक विद्यार्थी को तथा पुलिस अपराधी को गलत व्यवहार करते हुए देखती रहे तो इससे विचलन में बढ़ोतरी होगी।

(x) उपसंस्कृति द्वारा विचलन को वैधकरण (Sub-cultural Legitimation of deviation)

विचलित व्यवहार की बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो समूह विचलित व्यवहार में लिप्त है वह अपने सदस्यों को वफादार रहने के लिए प्रेरित करते हैं तथा यदि कोई व्यक्ति सही रास्ता अपनाना भी चाहेगा तो विचलित समूह उस व्यक्ति के विरूद्ध कठोर व्यवहार करते हैं अर्थात् वह उसे समूह से अलग नहीं होने देते तथा साथ ही अपराधी को अपने अपराध के साझेदारों के प्रति बेवफाई की भावना कचोटने लगती है । समूह त्याग विचलित समूह की दृढ़ता को ही नष्ट कर सकता है ।

(xi) इड़, अहम् और पराअहम् में संधर्ष (Conflict between Id, Ego & Super-ego)

मनोविश्लेषकों का मत हैं कि विचलन इड और अहम् तथ इड़ और पराअहम् के बीच द्वन्द के कारण उत्पन्न होता है। अपराध तभी होता है जब व्यक्ति की इड़ प्रवृतियों पर पराअहम् का नियन्त्रण शिथिल हो जाता है ।

विचलित व्यवहार के लिये समाज में कोई भी कारण हों परन्तु यह समाज के स्थायित्व के लिये खतरनाक है । कोई भी समाज या समूह तभी अवस्थित रह सकता है जब कि उसके सदस्य समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करें, अन्यथा समाज अस्त-व्यस्त हो जायेगा ।

बाल-अपराध, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, व्यसन आदि ध्वंसात्मक विचलित व्यवहार हैं जबकि दहेज प्रथा, बाल-विवाह, विधदा पुनर्विवाह निषेद्य आदि को समाप्त करने के लिए किया जाने बाला आन्दोलन सकारात्मक विचलन है ।

1.5 विचलन के स्वरूप (Forms of Deviation)

प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिये कुछ लक्ष्य निश्चित करता है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साधन निर्धारित करता है । अत: जब समाज के द्वारा निर्धारित साधनों द्वारा व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करता है तो हम उसे अनुरूपता कहते हैं, किन्तु जब इनमें भिन्नता, असन्तुलन या तालमेल का अभाव होता है तो विचलन उत्पन्न होता है ।

इस आधार पर मर्टन, ब्रेडमियस एवं स्टीफेनसन आदि ने चार प्रकार के विचलन का उल्लेख किया है-

(i) समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग न करना (Not using the means accepted by the Society)

प्रथम प्रकार का विचलन बह है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग नहीं करके नये साधनों को काम में लेता है जिन्हें समाज अस्वीकृत करता है । उदाहरण के लिये परीक्षा में सफल होने के लिये विद्यार्थी नकल करता है । इस प्रकार के विचलन को मर्टन नवाचार (Innovation) कहते है ।

(ii) समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों मे सफल न हो पाना (Not getting success to attain the goals accepted by Society)

दूसरे प्रकार के विचलन में व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग तो करता है किन्तु वह समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है । वह यह सोचकर सन्तोष कर लेता है कि कम से कम अपने समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग तो किया । वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिक चिन्तित नहीं रहता । यह स्थिति भी विचलन की है जिसे मार्टन संस्कारवाद (Ritualism) कहते हैं । जैसे नौकरशाही व्यवस्था में उद्देश्यों के स्थान पर साधनों (नियमो) पर अधिक बल दिया जाता है ।

(iii) समाज द्वारा स्वीकृत उद्एश्यों तथा साधनों के प्रति उदासीन होना (Not interested towards goal and e.c. Means accepted by Society)

तीसरे प्रकार के विचलन में लोग समाज द्वारा स्वीकृत उद्एश्यों व साधनों दोनों के प्रति उदासीन होते हैं । वे किसी व्यवस्था के अंग होकर भी उसके मूल्यों और सामाजिक अनुकूलन के प्रति कोई रूचि नहीं दर्शाते । बे व्यवस्था में होते हैं किन्तु व्यवस्था के लिये नहीं होते । मर्टन ने इसे प्रत्यावर्तनता (retreatis) कहा है । जैसे शराबी, व्यसनी, भिखारी आदि इसी प्रकार के विचलित व्यक्ति हैं ।

(iv) समाज द्वारा स्वीकृत उद्एश्यो तथा साधनों पर अपेक्षा से अधिक जोर देना (Giving over emphasis to the goals and e.c. Means accepted by Society)

चौथे प्रकार के विचलन में व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित उद्एश्यों एवं साधनों पर आवश्यकता या अपेक्षा से अधिक जोर देते हैं । ऐसे व्यक्ति स्वयं से और दूसरों से भी अधिक अपेक्षायें रखते हैं तथा साधन एवं साध्य पर विशेष नजर रखते हैं । यह स्थिति अति-अनुकूलन (over-confirmity) की है ।

अत: यह स्पष्ट हो जाता है कि विचलन या विचलित व्यवहार अनेक सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करने का उत्तरदायी है ।

1.6 व्यसन (Addiction)

मादक पदार्थो के दुरूपयोग को न केवल विचलन के रूप में बल्कि एक सामाजिक समस्या की तरह भी देखा जा सकता है । मानव एक सामाजिक प्राणी है जो अनेक समस्याओं, तनावों विषादों, चिन्ताओं और कुण्ठाओं से जूझता रहता है । इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कई बार व्यक्ति असामाजिक मार्ग अपना लेता है जिसमें वह मादक द्रव्यों का सेवन प्रारम्भ कर देता है । यह पदार्थ कुछ समय के लिए तनाव को कम कर देते हैं ।

मादक द्रव्यों का सेवन प्राचीन काल से विश्व के अनेक देशों में होता रहा है । गांजा, बरस, अफीम, कोकीन और मांग आदि अनेक प्रकार के मादक पौधों पत्ते औषधि के रूप में काम में लेते हैं । ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है । मुस्लिम शासनकाल से पूर्व भी भांग का वर्णन मिलता है । पुराणों में भांग के लिए "विजया'' शब्द का प्रयोग हुआ है । अफीम, गांजा, बरस आदि का सेवन आनन्द, उन्माद, उल्लास, मानसिक ब शारीरिक सुख के लिये किया जाता रहा है । बौद्धकाल के जातक ग्रन्थों में भी इनका जिक्र मिलता है किन्तु यह सर्वथा सत्य है कि सभी युगों में मादक पदार्थो के प्रचलित होने के उपरान्त भी भारतीय संस्कृति में कभी इन्हें स्वीकार नहीं किया गया । आज शराब एवं नशीली दवाओं का प्रयोग सामाजिक एवं धार्मिक, क्रीड़ात्मक, उत्सव, त्यौहारों, अतिथि सत्कार, विवाह आदि अवसरों पर खूब किया जाता है । डाक्टर भी दबा के रूप में नशीले पदार्थो का उपयोग करते हैं । किन्तु इनके दुष्प्रभावों के कारण सदा ही इनकी अवहेलना की गई है, क्योंकि ये व्यक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं ।

1.7 मादक द्रव्यों का दुरूपयोग एवं कसन का अर्थ (Meaning of Drug Abuse and Addiction)

मादक द्रव्य रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्यो और प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं । अंग्रेजी के ड्रग्स शब्द का अर्थ औषधि है जो चिकित्सक द्वारा रोगी को रोग निवारण के लिये दिया जाता है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ड्रग्स या औषधि एक ऐसा रसायन है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायुमण्डल को प्रभावित करता है ।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण पदार्थ के लिये "ड्रग्स" या "द्रव्य" शब्द का प्रयोग किया जाता है । अत: मादक पदार्थ वे रसायन हैं जो व्यक्ति की मनःस्थिति, स्नायुमण्डल, शरीर के कार्य व चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं । जो व्यक्ति व समाज के लिये हानिकारक हो सकते हैं और जिसमें दुरूपयोग की क्षमता होती है । अत: अवैद्य मादक पदार्थो का उपयोग व वैद्य मादक पदार्थो का दुरुपयोग मादक पदार्थो का दुष्प्रयोग (Drug Abuse) कहलाता है, जिससे शारीरिक व

मानसिक हानि होती है । इसमें चरस, गांजा, कोकीन, हशीश, हेरोइन, मार्फिन स्मैक, एल.एस.डी., शराब आदि सम्मिलित हैं ।

मादक द्रव्य व्यसन शब्द का अर्थ मादक पदार्थो पर शारीरिक निर्भरता से है । शारीरिक निर्भरता का अर्थ है मादक पदार्थो के निरन्तर प्रयोग करने से शरीर उन पदार्थो की उपस्थिति में अपना सामंजस्य कर लेता है और यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर में दर्द, बैचेनी और रूग्णता का अहसास होता है । अर्थात् मादक द्रव्य व्यसन वह स्थिति है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिये मादक पदार्थो की आवश्यकता होती है और यदि इन पदार्थो का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है तो शरीर संचालन में बाधा उत्पन्न होती है । व्यसन को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदी होना भी कहा जा सकता है।

इस प्रकार मादक द्रव्य व्यसन की मुख्य चार विशेषताएं है:

1. इसमें मादक पदार्थ ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की
2. जाती है जिसे वह हर संमब तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है ।
3. इसमें खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृति होती है ।
4. मादक पदार्थो के प्रभावों पर मानसिक ब शारोरक निर्भरता पैदा होती है ।
5. इसका व्यक्ति और समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

मादक पदार्थो के प्रकार व प्रभाव (Types and Effects of Drugs)

मादक पदार्थों के प्रकार

उत्तेजक (Stimulants)	**निश्चेतक (Narcotics)**	**अवसादक (Depressants)**	**मायिक (Hallocinogens)**
प्रभाव	**प्रभाव**	**प्रभाव**	**प्रभाव**
निद्रा दूर भगाना उदासी दूर करना शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि स्नायुमण्डल क्रियाशील होता है ।	उनींदा बनाना चिंता समाप्त करना उदासी दूर करना भूख नहीं लगना प्रसन्नचित दिखाना	सोने की इच्छा होना अशक्त अनुभव करना केन्द्रीय स्नायुमण्डल प्रभावित, शान्तिदायक पीड़ा शामक	वास्तविकता से दूर जाना दिन में स्वप्न देखना
मादक पदार्थ	**मादक पदार्थ**	**मादक पदार्थ**	**मादक पदार्थ**
कोकीन एम्फीटामाइन मैयेड्रीन डेक्सीड्रिन कैफीन	मार्फिन से निर्मित हेरोइन	बारबिच्युरेट्स नेम्बुटाल सिकोनाल सेनारिल	एल.एस.डी.

इस चार्ट को देखते हुए सारांश में क्हा जा सकता है कि यह सभी पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं । यह व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं जैसे भूख नही लगना, अपने तक सीमित रहना, अनैतिक व असामाजिक कार्यो में मन लगना । यदि इन सब को व्यसनी व्यक्ति छोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसे अनेक परेशानियों का अनुभव होता है जैसे बैचेनी

का अनुभव होना, पसीना आना, पेट में दर्द होना, कमजोरी का अहसास होना, सिर दर्द, रक्तचाप कम होना, उल्टी आना आदि ।

1.8 मादक द्रव्य के दुरूपयोग के कारण (Causes of Drug Abuse)

मादक द्रव्य के दुरूपयोग के कारणों को हम चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं ।

1. मनोवैज्ञानिक कारण (Phychological Causes)

तनाव कम करना, अवसाद को शान्त करना, अन्तर्बाधाओं को हटाना, कौतूहल को पूरा करना, खिन्नता और ऊब को दूर करना तथा अनुभूति को तीव्र करना ।

2. सामाजिक कारण (Social Causes)

सामाजिक अनुभवों को सुसाध्य बनाने, मित्रों द्वारा स्वीकार किया जाना, सामाजिक उत्सव मनाने, सामाजिक मूल्यों को चुनौती देना और परिवार के सदस्यों का अनुकरण करने आदि ।

3. शारीरिक कारण (Physical Causes)

जागते रहना, कामुक अनुभवों को उभारना, पीड़ा निवारण, नींद लाना, निराशा को समाप्त कर अवर्णनीय आनन्द की सृष्टि करना ।

4. विविध कारण (Miscellaneous Causes)

अध्ययन को उत्कृष्ट बनाना, धार्मिक अन्तर्दृष्टि तेज करना, आत्म समझदारी बढ़ाना, व्यक्तिगत समस्याएं हल करना आदि।

इनके अतिरिक्त वांछित सफलता न मिलने, परीक्षा में असफल होने, असफल प्रेम सम्बन्ध, हीन भावना आदि भी मादक पदार्थो के सेवन के लिये प्रेरित करती हैं ।

पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, एक बार चखने की चाह, पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, नशा करने वालों से सम्पर्क, साथियों द्वारा नशे के आनन्द को अलौकिक आनन्द के रूप में निरूपित करना, बेरोजगारी, व्यक्तिगत निराशाएं, सम्बन्धों का बिखराव पारिवारिक स्नेह का अभाव, बोरियत, थकान या मायूसी से मुक्ति पाने व महज मौज-मस्ती के लिये मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है ।

1.9 मादक द्रव्य के दुष्प्रयोग के कुप्रभाव (Evil Effects of Drug Abuse)

मादक द्रव्यों के प्रयोग से शारीरिक क्षमता में कमी आती है तथा दुर्बलता उत्पन्न होती है । यौन स्वच्छन्दता उत्पन्न होती है, अपराधों में वृद्धि होती है । मादक द्रव्य नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर तनावों से क्षणिक मुक्ति तो दिलाते हैं किन्तु आगे चलकर नशे के आदी होने पर व्यसनी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है । उसका शरीर निष्क्रिय ब कमजोर हो जाता है । यहाँ बिन्दुओं के आधार पर मादक द्रव्यों के दुष्प्रभावों का उल्लेख किया जा सकता है ।

1. शारीरिक प्रभाव (Physical Effects) अधिक समय तक नशीली दवाओं के सेवन से गैस बनने,जिगर सम्बंधी बीमारी, नाड़ीयों से संबंधित खराबी, गठिया, बेहोशी, कैंसर, चर्मरोग, हृदय रोग, अपच, आंखो के रोग, अपस्मार, श्वांस कष्ट, क्षय रोग, डेप्पीरिया आदि रोग पनपते

हैं । व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण हो जाती है । उसकी जीवन आशा कम हो जाती है ।

2. मानसिक बीमारी (Mental Disease) इन दवाओं के सेवन से व्यक्ति कमजोर हो जाता है तथा स्नायु तन्तु नष्ट हो जाते हैं । इससे मनुष्य की भावात्मक और बौधिक शक्ति क्षीण हो जाती है वह गन्दी और उत्तेजक भाषा का प्रयोग करता है । इनके विष से तीव्र सनकीपन, मूर्छा, पागलपन, मिरगी, नाड़ी की सूजन, पक्षाघात आदि रोग पैदा होते हैं । मानसिक दुर्बलता, चित्त विभ्रम, संदेह, उत्तेजना, स्मृति नाश, मैनिया एवं मनोविकृति आदि रोग इसके सेवन से पनपते हैं ।
3. कार्य क्षमता (Efficiency) नशीले पदार्थ औद्योगिक क्षमता, उत्पादन, अनुपस्थिति, दुर्घटना आदि को प्रभावित करते हैं ।
4. दुर्घटना (Accident) कई लोगों का मत है कि नशीली दवाइयां दुर्घटना के लिए उत्तरदायी है । इन दवाओं के सेवन से नींद और बेहोशी आती है । व्यक्ति लापरवाह हो जाता है जिससे दुर्घटना घटित होती है ।
5. दुर्व्यवहार (Misconduct) नशीली दवाओं का संबंध अपराध, वेश्यावृति, जुआखोरी, चोरी आदि गैर कानूनी व्यवहारों से जोड़ा जाता है । यह बाल अपराध, यौन अपराध, हत्या, वेश्यावृति आदि के लिए उत्तरदायी हैं । इस प्रकार नशीले पदार्थ सामाजिक संगठन के लिये तथा व्यवहार प्रतिमानों के लागू करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं।
6. गरीबी (Poverty) नशीली दवाओं के सेवन से गरीबी उत्पन्न होती है क्योंकि नशेबाज व्यक्ति अधिकांश आय नशे में फूंक देता है ।
7. बेरोजगारी (Unemployment) नशे के कारण कार्य क्षमता घट जाती है तथा व्यक्ति कार्य से अनुपस्थित रहने लगता है । ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसे किसी जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं सौंपा जाता । कार्याभाव में उसे बेकारी के दिन व्यतीत करने पड़ते हैं ।

इसी प्रकार अध्ययन तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् भी जब व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो निराशा के कारण नशीले पदार्थो का सेवन करना प्रारम्भ कर देता है ।

8. वैयक्तिक विघटन (Personal Disorganisation) नशीले पदार्थ वैयक्तिक विघटन का संकेत और कारण दोनों हैं । यह संकेत इस रूप में हैं कि अधिकांश नशेबाज बीमार और मानसिक रूप से पीडित व्यक्ति हैं । जब उन्होंने पहली बार इसका सेवन प्रारम्भ किया उसी समय उनकी समस्या आरम्भ हो जाती है । यह इसलिए कि यदि व्यक्ति ने इनका सेवन न किया होता तो वह नशेबाज नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति अपनी सम्पति शराब और मादक द्रव्यों में समाप्त कर देते है । मित्रों व परिचितों से झगड़ा कर बैठते हैं । उनका व्यवसाय खतरे में पड़ जाता हें, वह पत्नी को पीटते हैं एवं परस्त्री गमन करते हैं । वह सामाजिक प्रतिमानों की अवहेलना करते हैं । वह सामाजिक अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाते ।

9. पारिवारिक विघटन (Family Disorganisation) मादक पदार्थ पारिवारिक विघटन का एक महत्वपूर्ण कारक है। एक नशेबाज व्यक्ति का पत्नी व बच्चों से कोई स्नेह नहीं होता। व्यक्ति नशे के लिए अपना धन, समय, शक्ति इतनी खर्च कर देता है कि परिवार के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। कई बार व्यक्ति शादी ही नहीं करता या कभी-कभी वह विवाह के अयोग्य हो जाता है।

   अधिक नशेबाज व्यक्ति पति या पत्नी के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। वह गृहस्थी की जिम्मेदारी को नहीं सम्भाल पाता। नशा परिवार में झगड़ा और तनाव उत्पन्न करता है। नशेबाज व्यक्ति के बच्चे भगोड़े व आवारा हो जाते हैं। यह पति-पत्नी में तलाक एवं झगड़े का मूल व मुख्य कारण हैं।

10. सामाजिक समस्या (Social Problem) आदिम व छोटे समाजों में नशीले पदार्थो का प्रयोग सामूहिक उत्सवों तथा त्यौहारों आदि के समय किया जाता है। फसल काटने, बसन्त के आगमन, विशिष्ट अवसरों आदि पर इनका प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से जब व्यक्ति अपने आप को मित्रों, परिवार के सदस्यों एवं समाज से पृथक पाता है, असुरक्षित महसूस करता है तो वह सामाजिक विघटन का सूचक है |

    नशे के कारण चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, बलात्कार, मारपीट आदि उपराधों में वृद्धि होती है। सामाजिक व नैतिक मूल कमजोर पड़ते हैं। सामाजिक परम्पराएं व मर्यादाएं टूटने लगती है, सामाजिक-आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

    सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे-होटलों, रेस्तरां में नशे के साथ नृत्य, जूआ तथा वैश्यावृति भी चलती है जो समाज को विघटन की तरफ अग्रसर करते हैं।

1.10 मादक द्रव्य दुष्प्रयोग नियंत्रण (Control of Drug Abuse)

मादक द्रव्यों से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। इनके दुरूपयोग को रोकने के लिए अनेक उपाय बताये गये हैं जिनमें मुख्य है: कानूनी उपाय, चिकित्सकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, लोगों को इसकी हानियों से परिचित करवाना आदि। इन्हें हम विस्तारपूर्वक विवेचित कर सकते हैं:

कानूनी उपाय (Legal Measures) 1893 में मादक द्रव्यों के प्रयोग को रोकने के लिए 'रॉयल कमीशन" की नियुक्ति की गई जिसने अफीम की रोकथाम एवं दुष्प्रभावों का अध्ययन किया। 1895 में एक आयोग की नियुक्ति की गई जिसने सरकार को मादक वस्तुओं के प्रयोग, प्रभाव एवं रोकथाम से संबंधित जानकारी दी। 1936 में भारत सरकार ने मंत्रियों के एक सम्मेलन में 1959 तक देश भर में अफीम के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया। मादक पदार्थो के दुरूपयोग को रोकने के लिए 'नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोनिक सबस्टेंसेज एक्ट' 1985 बनाया गया जिसमें 1989 में कुछ और संशोधन किये गए। इसमें कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने का प्रावधान है। जैसे कम से कम दस वर्ष का कारावास सम्पति जल करने, एक लाख रूपये तक जुर्माना एवं मुत्यु दण्ड तक की सजा है।

कानून के अतिरिक्त मादक द्रव्यों के नियंत्रण हेतु अन्य उपाय भी किये जाने चाहिए। इनमें प्रमुख हैं:

1. मादक वस्तुओं का सेवन रोकने के लिए जन शिक्षण की आवश्यकता है तथा सभी लोगों को इसके कुप्रभावों से अवगत कराया जाये । चलचित्र, पोस्टर, दूरदर्शन, पुस्तकों, अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं आदि से इसके विरूद्ध जनमत तैयार करना होगा।
2. जो लोग व्यसनी हैं उनका रासायनिक एवं अन्य विधियों से उपचार कर उनकी आदत धीरे-धीरे कम कर छुड़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए ।
3. इसके अतिरिक्त स्वयं को भी कृतसंकल्प लेना होगा जिससे वह इन व्यसनों को त्याग सके ।
4. अध्यापक भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं जैसेः-
    - वह छात्रों से अनौपचारिक रूप से बातचीत कर नशीले पदार्थो की बुराई और दुष्परिणामों से अवगत करा सकते हैं ।
    - छात्रों की रूचि और गतिविधियों पर ध्यान दें ।
    - स्वयं नशीले पदार्थो का उपयोग न करें ।
    - छात्रों को व्यवसाय चुनने व लक्ष निर्धारित करने में मदद करें ।
    - रोगियों के उपचार के लिए कई बार दवा के रूप में मादक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है किन्तु इससे रोगी की उन पर निर्भरता बढ़ जाती है । एक बार औषधी-पत्र मिल जाने के बाद रोगी को जब भी पीड़ा होती है तो बह मादक पदार्थो से बनी उसी औषधी का असीमित मात्रा में प्रयोग शुरू कर देता है जो आगे चलकर व्यसनी बन जाता है । इस विषय में चिकित्सकों को विशेष साबधानी बरतनी होगी ।
    - माता-पिता भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं । वे बच्चे के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार न करें । माता-पिता का आपसी झगड़ा, विवाह-विच्छेद, आपसी मनमुटाव, चिड़चिड़ापन, तनावपूर्ण वातावरण, डॉट फटकार आदि के वातावरण बच्चों को मादक द्रव्यों के प्रति सरलता से अग्रसर करते हैं । अत: माता-पिता स्नेहपूर्ण वातावरण रखें तथा बच्चे की असामान्य गतिविधियों पर विशेष निगाह रखें तथा उसके कारणों को जानकर उसका मार्गदर्शन करें ।
    - जो लोग मादक द्रव्य सेवन तथा तस्करी में सम्मिलित हों उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये ।
    - व्यसनियों को पहचान कर उनका उपचार करना, उत्तर-रक्षा करना, परिवार और समाज में पुन: स्थापित करना, समस्याओं का समाधान किया जाना जरूरी है । जिनका उपचार किया गया हो उनकी समय-समय पर जांच की जाये कि कहीं दोबारा बह नशा तो नही कर रहे । यदि कर रहे हों तो उन्हें रोका जाए ।
    - धार्मिक तथा सामुदायिक नेताओं सहित समाज के सभी क्षेत्रों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए ।
    - उपचार हेतु सरकार एवं स्वयं सेवी-संगठनों द्वारा उपचार एवं परामर्श केन्द्रों की स्थापना अधिकाधिक की जानी चाहिये ।

अत: संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि मादक पदार्थो के दुरूपयोग की रोकथाम के लिये हालांकि अनेक प्रयास सरकारी और गैरसरकारी तौर पर किये जा रहे हैं किन्तु इनके प्रचार तथा विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता है ।

1.11 सारांश

समाज के बनाये गये नियमों का पालन नहीं करने को विचलन कहा जाता है । व्यक्ति समाज के हितों की अनदेखी करके स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए संस्थागत अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करता है जिससे समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, इसे विचलन कहते हैं । इसके लिए समाजीकरण का अभाव, दुर्बल अनुशास्तियां, कानून के प्रवर्तन में कमी, तार्किकरण की सरलता आदि कारण जिम्मेदार है । विचलन के कई स्वरूप हैं जैसे समाज द्वारा स्वीकृत साधनों का प्रयोग न करना, समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों में सफल न हो पाना आदि ।

व्यक्ति अनेक समस्याओं, तनावों, विषादों, चिन्ताओं और कुण्ठाओं से छुटकारा पाने के लिए कई बार मादक द्रव्यों का सहारा लेना प्रारम्भ कर देता है, यह व्यसन कहलाता है । मादक द्रव्य वे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्यो और प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं । मादक पदार्थो के सेवन से व्यक्ति पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं जैसे शारीरिक, मानसिक,कार्यक्षमता पर, बेरोजगार हो जाता है, गरीबी बढ़ जाती है, इनसे दुर्घटनाएं भी होती हैं, पारिवारिक विघटन होते हैं आदि ।

मादक द्रव्यों को निम्न उपायों से रोका जा सकता है-कानूनी उपाय, चिकित्सकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, लोगों को इनकी हानियों से परिचित करवाकर आदि ।

1.12 बोध प्रश्न

1. विचलन की अवधारणा का उल्लेख कीजिए ।
2. विचलन को परिभाषित कीजिए ।
3. विचलन की विशेषताएँ बताइये ।
4. विचलन के कारणों का उल्लेख कीजिए ।
5. विचलन के स्वरूपों का वर्णन कीजिए ।
6. मादक पदार्थो का अर्थ बताइये ।
7. मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ समझाये ।
8. मादक द्रव्यों की प्रकृति का वर्णन कीजिए ।
9. मादक द्रव्यों के दुष्प्रयोग के कुप्रभावों का उल्लेख कीजिए ।
10. मादक पदार्थो के प्रकार व प्रभाव को बताइये ।
11. मादक पदार्थो के दुरुपयोग के कारणों की विवेचना कीजिए ।
12. मादक द्रव्य दुष्प्रयोग नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए ।

1.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Alex Inkels, What is Sociology?, Prentice Hall, New Delhi, 1965

2. Blachly Paul H., Drug Abuse, Charles C. Thomas, Illinois, 1970
3. Elliot & Merill, Social Disorganisation, Harper & Brothers, New York, 1950.
4. Johnson, Sociology: Systematic Introduction, Routledge&Kegan Paul, Landon, 196.
5. Paul H. Landis, Social Problems. J.B Lippincott Co. New York, 1950.
6. Richard Waskin, Social Problems, Mcgraw hill Co. New York, 1964.
7. Rodney Stark, Alcohalism & Drug Addiction in Social Problems, Random House, Toronto, 1975.
8. Ram Ahuja, Social Problems, Rawat Publications, Jaipur, 1994.
9. Ram Anuja, Sociology of Youth Subculture, Rawat Publications, Jaipur, 1984.
10. Merton & Nisbett, Contemporary Social Problems. Harcourt Brace, New York, 1977.
11. 11. Simmons, Deviants.
12. Theodorsan & Theodorsan, ''A Modern Dictionary of Sociology''.

इकाई-2

नशा क्या है : पहचान व प्रकार

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 नशे की सामान्य जानकारी व पहचान

2.3 नशे के प्रकार

- 2.3.1 शराब
- 2.3.2 अवसादक / शामक पदार्थ
- 2.3.3 उत्तेजक पदार्थ
- 2.3.4 नारकोटिक्स
- 2.3.5 विभ्रमात्मक पदार्थ
- 2.3.6 निकोटिन

2.4 सारांश

2.5 बोध प्रश्न

2.6 शब्दावली

2.7 संदर्भ ग्रन्थ

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- नशा क्या है, यह स्पष्ट रुप से समझ सकेंगे ।
- नशा किस प्रकार परम्परा और सामाजिक प्रधटना के निकट है, यह जान सकेंगे ।
- नशे की वैज्ञानिक कार्य विधि स्पष्ट करना समझ जायेंगे ।
- नशे के प्रकारों की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
- नशे के हानिकारक प्रभावों को समझ सकेंगे ।

2.1 प्रस्तावना

यह बात हम सभी जानते हैं कि हम आज उन्नत अवस्था में हैं । इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने विकास के कई सौपान पार किये हैं जैसे - जैसे हम विकसित हु ए हैं वैसे-वैसे हमारे समाज में जटिलताएँ और समस्याएँ बढी है।

आज नशा, अपराध, अपचार, बेरोजगारी, भिक्षावृति, मानसिक रूग्णता, आत्महत्या, साम्प्रदायिकता और घरेलू हिंसा आदि सामाजिक समस्याएँ समाज को दूषित कर रही हैं । और इनके अलावा संभावित सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र अनन्त हैं । आज नशा न केवल समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है ।

2.2 नशे की सामान्य जानकारी व पहचान

हिन्दी भाषा में नशा शब्द के पर्यायवाची शब्द मादक, खुमार, सरूर, कैफ इत्यादि है । वैसे नशा मूलत: अरबी का शब्द है जिसका उद्भव नश: शब्द से हुआ है । इसका अर्थ वह मानसिक अवस्था है जो किन्हीं विशेष द्रव्यों के सेवन से होती है । इस अर्थ को ध्यान देकर समझें तो नशा स्वयं कोई द्रव्य या पदार्थ नहीं है । नशा एक मानसिक अवस्था है । विभिन्न प्रकार के द्रव्य जिनके सेवन से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता हो, मादक द्रव्य कहलाते हैं । और मानसिक दशा की परवर्तित स्थिति नशा कहलाती है ।

भारत एक विशाल देश है । विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाऐं प्रचलित हैं । राष्ट्रीय भाषा हिन्दी भी हर जगह पर बदल जाती है । यह बदलाव आंचलिक विविधताओं की वजह से होता है । और यह बात देश के सबसे बडे राज्य राजस्थान पर भी लागू होती है । यही नशे को साधारणत: आम-बोलचाल की भाषा में 'नसो' बोलते हैं और नशा करने बाते को नसाखोर या नसेवबाज कहते हैं ।

नशे के अर्थ पर ध्यान दें तो नशे की मूल अवधारणा 'द्रव्य' शब्द से काफी हद तक संबंधित है । द्रव्य एक रासायनिक पदार्थ है, जिसके कुछ विशिष्ट शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं । यह व्यक्ति की साधारण शारीरिक प्रक्रियाओं और प्रकार्यो को बदलता है । परन्तु द्रव्य की यह परिभाषा बहुत व्यापक है । चिकित्सकीय संदर्भ से द्रव्य की परिभाषा देखें तो "द्रव्य वह पदार्थ है जो चिकित्सक द्वारा नुस्खे के रूप में नियत किया जाता है, जिसमें वह अपने रासायनिक प्रकृति द्वारा जीवित प्राणी की सरंचना व प्रकार्यो पर आवश्यक प्रभाव डाल सके ।

(i) यह चिकित्सक द्वारा नुस्खे के रूप में प्रयोग होता है ।

(ii) इसकी एक विशिष्ट रासायनिक प्रकृति होती है ।

(iii) अपनी रासायनिक प्रकृति से यह जीवित प्राणी की संरचना एवं प्रकार्य को प्रभावित करता है । मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय संदर्भो मे 'द्रव्य' वह शब्द है जो उस आदत निर्माण पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है जो मस्तिष्क व नाड़ी मण्डल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है । मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय संदर्भ से भी इस की दो विशेषताओं का प्रज्ञा चलता है:-

(i) यह एक आदत निर्माणक पदार्थ है ।

(ii) यह मस्तिष्क और नाड़ी मण्डल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है ।

इस प्रकार इन आदत निर्माणके द्रव्यों या पदार्थो पर नजर डालें तो इनकी सूची काफी बड़ी है । जिसमें शराब (मदिरा), अफीम, मांग, गांजा, चरस, कोकीन, स्मैक, धतूरा, हेरोइन, एल.एस.डी, मेमोट मार्फीन और ब्राउन शुगर प्रमुख है ।

समाज में नशा इतने रूपों में प्रचलित है कि इसका असली रंग रूप कौनसा है? क्या है? संदेहास्पद हो गया है । सामाजिक दृष्टि से न तो यह संस्था है न समिति, क्योंकि नशा इन दोनों की ही प्रकृति पर खरा नहीं उतरता । राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह प्रथा और परम्पराओं के अधिक निकट पाया जाता है । प्रथाओं, परम्पराओं के बावजूद नशा एक विचलन व्यवहार और एक सामाजिक प्रघटना भी है ।

प्रथा (Custom)

पीढी दर पीढी चले आ रहे सामाजिक मान्यता प्राप्त सोचने - विचारने और व्यवहार करने के ढंग को प्रथा कहते हैं। यह व्यवहार पारम्परिक होता है। सामाजिक अस्वीकृति के कारण इस प्रकार के व्यवहार का उल्लंघन करना प्राय: अनुचित माना जाता है। मेवाड और मारवाड़ में घर आये मेहमान को अफीम की पेशकश करना उनके शिष्टाचार का अंग है। सम्भवत: कई घर ऐसे भी हैं जो स्वयं तो अफीम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते अपितु इसे बुराई मानते हैं परन्तु वे भी अपने रिश्तेदारों और मेहमानों के लिए अफीम रखते हैं क्योंकि ऐसा करना उनकी प्रथा बन गई है। इस प्रथा का पालन न करने पर उन्हें सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ता है। निंदा और असम्मान के भय के कारण व्यक्ति को इन प्रथाओं की निरन्तरता बनाये रखता है। प्रथा के पीछे राज्य की भयात्मक शक्ति कार्य नही करती। यह जन रीतियों की अपेक्षा अधिक स्थाई और कठोर होती है।

परम्परा :-

राजस्थान में नशा परम्परा के भी निकट पाया जाता है। व्यवहार संबंधी मूल्यों एवं मानदण्डों पर आधारित परिपाटियों के एक ऐसे पुंज को परम्परा कहते हैं जिनका वास्तविक अथवा काल्पनिक विगत के साथ संबंध होने के कारण उन्हें अपनाने और सम्पन्न किये जाने पर बल दिया जाता है।न केवल राजस्थान में बल्कि सम्पूर्ण भारत में नशा करने वाला हर दूसरा व्यक्ति परम्पराओं की दुहाई देता नजर आता है। वह परम्पराओं पर आधारित तर्क देता है कि उसके पूर्वज, श्रेष्ठ ऋषि मुनि, राजा-महाराजा और तो और देवगण भी सोमरस पीते थे जो एक मदिरा बताई जाती है। अत: वह आज यदि नशा कर रहा है तो यह गलत नहीं है, वह तो मात्र अपनो परम्पराओं को निभा रहा है।

राजस्थान में कुछ जाति विशेष के सदस्य विशिष्ट अवसरों पर साथ बैठकर नशा करते थे। परम्पराओं के बारे में यह तथ्य हमेशा ध्यान रखने लायक है कि परम्परायें पूर्णत: स्थिर नहीं होती, स्थान और सदस्य के साथ इनमें भी बदलाव आता रहता है। परन्तु राजस्थान में नशे की परम्पराओं में इतना ही बदलाव आया है कि नशे के साधन और लेने के तौर तरीके बदल गये हैं, नशा बदला।

नशा एक सामाजिक प्रघटना (Social Phenomenon) है। कोई भी घटना जिसकी उत्पत्ति एक या अधिक व्यक्तियों के प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप होती है सामाजिक प्रघटना कहलाती है। सामाजिक प्रघटनाओं की श्रेणी में उन्ही घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो सम्पूर्ण समाज या उसके किसी वृहत भाग को प्रेक्षनीय एवं अनुभवाश्रित होती है। समाज के व्यक्तियों पर नशे का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (टेलीविजन पर नशा करते देखना और उसे अनुसरण करने की प्रवृति) दोनों हो सकते हैं। समाज में नशे की इस घटना का प्रभाव सम्पूर्ण समाज या उसका बडा भाग महसूस करता है। इस लिहाज से नशा काफी हद तक सामाजिक प्रघटना है।

अपराधशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों नशे को अपचारी व्यवहार (Deviant Behaviour) मानते है। पारम्परिक अपराधशास्त्र शुरू से ऐसे व्यवहार को अपचारी व्यवहार मानता रहा है, जिसमें किन्हीं कानूनी मानदण्डों का उल्लंघन या हनन किया गया हो। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अपराध शास्त्र की नजर में कानून का उल्लंघन अपचारी व्यवहार है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण अपराधशास्त्र के दृष्टिकोण से काफी व्यापक है। समाजशास्त्र उन सब व्यवहारों को अपचारी मानता है जिनमें किन्हीं सामाजिक मानदण्डों का उल्लंघन होता है, चाहे ऐसे व्यवहार कानून की परिधि में आते हों अथवा नहीं।

अपचार के समाजशास्त्र के अनुसार कोई भी सामाजिक रूप में निषेधित व्यवहार जिसमें सामान्यता से डिगा जाता है, अपचारी व्यवहार हैं। अत: ऐसे भी कई व्यवहार हैं जो कानून द्वारा

अपराध नहीं हैं, किन्तु सामाजिक रूप से जिन्हें हेय माना जाता है, निन्दनीय कहा जाता है या जिसे समाज द्वारा चुनौती दी जाती है । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ऐसे व्यवहारों को अपचारी माना जाता है । और नशा करने जैसे व्यवहार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपचारी व्यवहार में आते हैं, चाहे वे सुस्पष्ट रूप में गैरकानूनी नही हैं ।

अत: नशा करना अपने आप में काई अपराध नहीं है, न ही कोई सामाजिक समस्या । परन्तु जब नशा करने वाले व्यक्ति इसके आदतन होकर जब अपना नियंत्रण खो देते है तब वे सामाजिक व्यवस्थाओं और मानदण्डों का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकते । नशे के कारण उनकी मानसिक स्थिति इतनी परिवर्तित हो चुकी होती है कि उन्हें सही या गलत का सही-सही अंदाजा नही होता । अत: व्यवस्था का उल्लंघन करना या नशे का आदतन व्यसनी हो जाना क्रमश: अपराध और सामाजिक समस्या है।

नशे की पहचान जानने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि यह काम कैसे करता है । नशे के अर्थ में हमने यह देखा कि नशे में व्यक्ति की मानसिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है । नशीले पदार्थ या द्रव्य मस्तिष्क कोशिकाओं में पहुँचकर वहाँ रासायनिक प्रतिक्रियाओं को परिवर्तित कर देते हैं । इस प्रकार नशीले पदार्थ या द्रव्य लोगों के सोचने विचारने, महसूस करने, बोलने और चलने के ढंग तक को प्रभावित करते हैं ।

मस्तिष्क में यह बदलाव निम्न तरीकों से होता है, ये पदार्थ या तो :-

(i) मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ा देते हैं ।

(ii) या मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटा देते हैं ।

(iii) या मस्तिष्क की कार्य क्षमता गडबड़ा देते है ।

कार्यक्षमता गड़बड़ा देने से ये पदार्थ अपने रासायनिक पदार्थो से व्यक्ति में भ्रम उत्पन्न कर देते हैं । व्यक्ति अलौकिक और अस्तित्वहीन वस्तुओं को देखता है, महसूस करता है और सुनता है । ये पदार्थ पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर देते है । उदाहरण के लिए एल.एस.डी लेने पर व्यक्ति को हाथी के आकार के तिलचट्टे (कॉकरोच) अपनी ओर आते दिखाई देते हैं । जबकि हकीकत से आप भी परिचित हैं कि हाथी के आकार के तिलचट्टे पूरे विश्व में कहीं पर भी अस्तित्व में नही हैं ।

ऐसा नहीं है कि ये नशीले पदार्थ एकदम से व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेते हैं । ये पदार्थ / द्रव्य शरीर की क्रियाओं में ऐसा बदलाव लाते हैं कि कुछ समय बाद शरीर पुन: इनकी मांग करने लगता है । ये नशीले पदार्थ न मिलने पर व्यक्ति बैचेनी और उदासी महसूस करता है । नशीले पदार्थ लेते ही जैसे शरीर में पुन: जान आ जाती है । नशा हल्का होते- होते वह पुन: उदासीन होने लगता है । यह स्थिति आने पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति नशेड़ी हो गया । इस तरह से नशे के आदी होने पर व्यक्ति का शरीर धीरे-धीरे उसकी मात्रा बढाने लगता है । मात्रा बढने से नशे का खर्चा भी बढ जाता है और अब व्यक्ति रोजाना नशे को प्राप्त करने के लिए बैचेन रहता है । नशे की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है यही तक कि छोटी मोटी चोरियाँ और हत्या जैसे जघन्य अपराध भी ।

अत: नशे के चंगुल में फंसा व्यक्ति न केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी अभिशाप बन जाता है । उदाहरण के लिए सवाई माधोपुर जिले में नशे के आदी 15-20 साल के कुछ लड़के पुरानी हवेलियों की खिडकियों पर से चूना हटाकर उनमें लगी लौह छड़ों को निकाल लेते थे और उसे चोरी से बेच देते थे । बिकने वाली चीज की कीमत 100 रूपये है

या उससे ज्यादा, इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता था । उन्हें बिकने बाली चीज से बस 20 रूपये चाहिए होते थे । जिससे वे शाम को नशे की पुडिया खरीद सकें । इन लडकों से मिलने का मेरा स्वयं का अनुभव रहा है ।

आदी या व्यसनी बनाने वाले पदार्थो 7 द्रव्यों की खास बात यह होती है कि उसका सेवन करने वाले व्यक्ति को हर बार पहले से अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसे पहले जैसा आनन्द प्राप्त हो सकें । इसे हम नशे के प्रति सहनशीलता भी कहते हैं । धीरे-धीरे नशे के आदी व्यक्ति की जरूरतें उसके साधनों से अधिक हो जाती हैं । जरूरतों का साधनों से अधिक हो जाने पर व्यक्ति उसे पूरा करने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं । कभी-कभी एक द्रव्य के प्रति सहनशीलता से उस जैसे दूसरे द्रव्य, जिसे व्यक्ति ने कभी नहीं लिया है, के प्रति भी सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है । जैस मॉर्फीन का आदी व्यक्ति मॉर्फीन जैसी औषधि पेथिडीन के प्रति भी सहनशील हो जाता है ।

हम जानते हैं कि आदी होने के लिए कोई भी नशा नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग इसके आदी हो जाते है । नशा करने वाले यह तर्क देते हैं कि उनमें यह औषधि क्षमता है कि वे जब चाहें उसे छोड़ देंगे, नशा लेना उनके लिए अनिवार्यता नहीं है परन्तु ऐसा हो नहीं पाता । तब तक ये द्रव्य व्यक्ति को अपने जाल में फंसा चुके होते हैं । नशे के प्रति उनका यह अति आत्मविश्वास ही उन्हें ले डूबता है । मस्तिष्क को बदलने वाले ये द्रव्य मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि इन्हें लेने वाले व्यक्ति को मनचाही अनुभूति होती है लेकिन यह असर खत्म होते ही प्रतिक्रिया प्रभाव (Rebound effect) भी पड़ता है । यह प्रभाव द्रव्य के शुरुआती आनंददायी असर के विपरीत दुखदायी होता है । असर होने पर जहां व्यक्ति अपने आप को उर्जावान समझता है वहीं असर घटने के बाद वह थकान महसूस करता है । इसके बाद चिड़चिड़ापन और उदासी के लक्षण उभरते हैं । यही प्रतिक्रिया प्रभाव है । और इस प्रकार प्रतिक्रिया प्रभाव को अपने से दूर करने के लिए वह पुन: द्रव्य का सेवन करता है और इस प्रकार एक सिलसिला या क्रम बन जाता है-द्रव्य सेवन - आनंद की अनुभूति-प्रतिक्रिया प्रभाव-द्रव्य सेवन

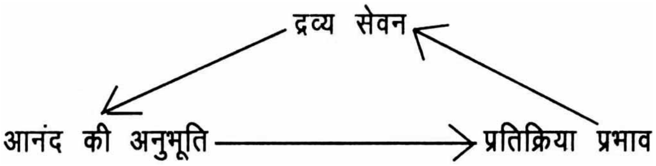

और व्यक्ति इस नशे के दुश्चक्र से आसानी से बाहर नही निकल पाता । ये द्रव्य मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं फलस्वरूप आदी व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा ही नशे की मांग करने लगता है ।

नशे के प्रति ऐसी ही अनुरूपता जीवाणुओं (बैक्टीरिया) में भी देखने को मिलती है । कुछ जीवाणु एक प्रतिजैवी (Antibiotic) स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि उनके मध्य इसकी एक बूंद डालते ही वे मर जाते हैं । पर यदि इन जीवाणुओं की स्ट्रेप्टोमाइसिन की बहुत कम मात्रा के साथ वृद्धि कराई जाये तो ये जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति सहनशील हो जाते हैं । जल्दी ही जीवाणुओं के बढने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की जरूरत पड़ने लग जाती है । बात यह है कि ये जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन पर निर्भर हो जाते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन उन्हें खत करने के लिए बनी है और स्ट्रेप्टोमाइसिन की मात्रा न देने पर उसके अभाव में ये जीवाणु मर जाते हैं ।

इसी तरह नशे का आदी व्यक्ति नशा न मिलने पर मरता तो नहीं है परन्तु उसका जीना जरूर दूभर हो जाता है । उसमें कुछ असाधारण लक्षण उभरने लगते हैं, जिन्हें अपनयन लक्षण (विदड्रावल सिम्पटम्स) कहते है । अवसाद (डिप्रेशन), उल्टी, बुखार, कंपकपी और शरीर की अनियन्त्रित ऐंठन अपनयन लक्षणों के ही रूप हैं । सामाजिक रूप से स्वीकृत एक क्षीण प्रकार की पदार्थ / द्रव्य निर्भरता शायद हम सभी में पाई जाती है । थकान होने पर एक कप चाय का प्याला हमें तरोताजा कर देता है । तो क्या हम कैफीन (चाय,कॉफी में मौजूद एक उत्तेजक पदार्थ) के लती हो गये हैं ? आदी होना और अभ्यस्त होने में काफी सुस्पष्ट अंतर है । लत लगने पर या आदी होने पर मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाएँ सम्बन्धित द्रव्य पर निर्भर हो जाती हैं अत: शरीर सम्बन्धित द्रव्य के प्रति निर्भरता दर्शाने लगता है जबकि अभ्यस्तता में ऐसा कुछ नहीं होता । यदि हम द्रव्य लेना चाहते हैं तो ठीक है अन्यथा यह हमारी कोई मजबूरी नहीं होती ।

दूसरे शब्दों में निर्भरता सिर्फ मनोवैज्ञानिक होती है । इन दोनों के बीच एक अन्य अतिमहत्वपूर्ण अंतर यह है कि लत लगने पर हमेशा पहले से अधिक खुराक की आवश्यकता पड़ती है जबकि अभ्यस्तता में ऐसी प्रवृति देखने को नहीं मिलती। यदि आप 5 साल पहले सिर्फ एक पाला चाय पीते थे तो आज भी आपका एक कप चाय पीने से काम चल जायेगा । और यदि आप इसे बीच में छोड़ भी दे तो आपको अवसाद, उल्टी, बुखार, कंपकपी और शरीर में ऐंठन जैसे अपनयन लक्षण भी उत्पन्न नहीं होंगे । और इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि एक कप चाय न मिलने पर कोई चोरी या हत्या तो नही करता ।

उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति एक साल पहले गांजे का नशा करता था तो उसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ चुकी होगीB। गांजा उपलब्ध न होने की स्थिति में उसे प्रतिक्रिया प्रभाव होंगे । अगर वह गांजा छोड़ता है तो उसे अपनयन लक्षणों का सामना करना पड़ेगा । और अपनयन लक्षण न सह पाने के कारण व्यक्ति अपराध भी कर सकता है । इस प्रकार नशा अपराध और सामाजिक समस्या भी बन जाता है ।

2.3 नशे के प्रकार

नशे की विस्तृत पहचान जानने के लिए नशे के प्रकार भी जानना जरूरी है ।

नशे के मुख्यत: 6 प्रकार है ।

2.3.1. शराब (Alcohal)

2.3.2. अवसादक / शामक पदार्थ (Sedatives Depresant)

2.3.3. उत्तेजक पदार्थ (Stimulant)

2.3.4. नारकोटिक्स (Narcotics)

2.3.5. भ्रान्तिजनक पदार्थ (Hallucinogen)

2.3.6. निकोटिन (Nicotic)

2.3.1. शराब (Alcohal)

न केवल राजस्थान में बल्कि विभिन्न संस्कृतियों में अवकाश के क्षणों में शराब का सेवन या मदिरापान करना एक लोकप्रिय रिवाज या शगल रहा है । प्राचीन भारत में सोमरस के सेवन का

उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद में इसका महिमागान किया गया है । सोमरस को अनेक स्थानों पर कई धार्मिक तथा लौकिक संस्कारों और कर्मकाण्डों में उच्च स्थान दिया गया है । किन्तु कई संस्कृतियों में (उदाहरण के लिए मुसलमानों में) शराब पीने को वर्जित किया गया है । कुछ देशों जैसे फिनलैण्ड में सामाजिक कारणों से इसकी उपलब्धता पर कठोर नियम भी बनाये गये हैं ।

मदिरा या शराब एक अवसादक और वर्जनाहीन बनाने वाला द्रव्य है । यह हमारे निर्णय को गलत बना सकता है । यदि इसे कम (सीमित) मात्रा में लिया जाता है, तब इसे कई समाजों में सामाजिक रूप से ठीक माना जाता है । परन्तु जब इसे अधिक मात्रा में लिया जाता है तब यह स्वास्थ्य और समाज दोनों की दृष्टि से हानिकारक होती है । इसके सेवन करने से व्यक्ति कुछ समय बाद आदी हो जाता है । इसके सेवन के पश्चात हिंसा, दुर्घटनाएँ, असुरक्षित मैथून और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं और संभावनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है ।

आज जिस तरह बाजार में बीयर, एल, पार्लर, हार्ड सैड, कूट वाईन कैरेट, मस्केरल, शैंपेन, सैनटर्न, शैरी पोर्ट, बरमथ, काकटेल्स रम, बरांडी, जिन, व्हिस्की, वोडका, एब्सिंथ जैसे ब्राण्ड उपलब्ध है । उसी तरह से प्राचीन काल में कई तरह की शराबों का चलन था । प्राचीन काल में दस प्रकार की शराबों का वर्णन है जो निम्न पदार्थो से बनाई जाती थी :-

(i) खांड (ii) महूआ के खिले हुए फूल (iii) आटा (iv) राव, शीरा (व) टंका वृक्ष के फल (vi) जुजुबे वृक्ष के फल (vii) कारागुरा वृक्ष के फल (viii) रोटफल वृक्ष के फल (x) अंगूर (x) नारियल वृक्ष पुलत्स्य ऋषि इन नामों से 9 नाम पृथक और गिनाते हैं -

(ii) पनस मघ : इसके बनाने की विधी मत्स्यसुक तंत्र में लिखी है । कच्चे पनासा को एक पात्र में रखकर नित्य कच्चे दूध की धार उस पर डालो, उसमें थोड़ा कच्चा मांस बारीक करके प्रति तीसरे दिन मिलाते जाओ । इसमें मांग की हरी पत्तियाँ भी डालो । खाने का चूना भी बुरको। और जब यह भली-भाँति सड़ जाये तब इसे छानकर सुराहियों में भरकर रखो । (ii) मधुका- शहद से बनती थी । (iii) ताला- ताड़ से बनती थी । (iv) सैरा- कालीमिर्च से बनती थी । (v) ऐक्षवा (vi) आरिष्ठ (vii) सुरा (viii) वारूणी (ix) पैष्टी

आज चिकित्साशास्त्र ने औषधि के रूप में बहुप्रचारित व्हिस्की और ब्रांडी को औषधि की श्रेणी से हटा दिया है । शराब के दुष्प्रभावों को देखते हुए ब्रिटेन और भारत के चिकित्सकों ने मिलकर एक सामूहिक विज्ञप्ति में घोषित किया है कि :-

(i) वैज्ञानिक रीति से निश्चित है कि शराब औषधि नहीं जहर (विष) है ।

(ii) भारत जैसे गर्म देश में इसका थोड भी व्यवहार स्थायीरूप से हानिकारक है ।

(iii) बहुत सी दशाओं में शराब संतान के लिए हानिकारक है ।

(iv) प्लेग, मलेरिया और क्षय को रोकने में शराब बेकार चीज है ।

शराब विभिन्न दुष्प्रभावों के चलते अपराध व बहुत सी सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देने में सहायक रही है ।

2.3.2 शामक या अवसादक पदार्थ (Sedatives or Depressant)

ये पदार्थ केन्द्रीय नाडी तन्त्र (Central Nurvous System) को क्षीण और अशक्त करते है, नींद उत्पन्न करते हैं तथा शान्तिपरक प्रभाव पैदा करते है । ट्रेक्विलाइजर (शान्ति प्रदान करने वाले द्रव्य) और बार्बिट्यूरेट इस श्रेणी में आते हैं। चिकित्सकीय दृष्टि से ये उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मिर्गी के लिए तथा शल्य-चिकित्सा से पूर्व अथवा बाद में रोगियों के आराम और शिथिलीकरण के लिए काम में लाये जाते है ।

ये पदार्थ नसों और मांसपेशियों की क्रियाओं की गीत कम करते हैं । थोड़ी मात्रा से ये सांस लेने व दिल की धड़कन को धीमा करते हैं तथा लेने बालों को शिथिलता का अनुभव कराते हैं । लेकिन बड़ी मात्रा में इसके प्रभाव शराब की मादकता से मिलते जुलते है ।

जिनके कारण इन्हें इस्तेमाल करने वाला आलसी, निष्क्रिय, उदासीन व कभी कभी चिड़चिड़ा व झगड़ालू बन जाता है । इससे सोचने, काम करने व ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति कम हो जाती है तथा उसका भावात्मक नियन्त्रण कमजोर पड़ जाता है ।

2.3.3. उत्तेजक पदार्थ (Stimulant)

उत्तेजक पदार्थ केन्द्रीय नाड़ी तन्त्र (Central Nurvous System) को क्रियाशील बनाते है, तनावों को कम करते हैं, हल्के अवसाद का उपचार करते हैं, अनिद्रा पैदा करते हैं, सतर्कता बढाते हैं, थकान, आलस्य ब निष्क्रियता का निवारण करते हैं तथा आक्रमणकारी अवरोध को कम करते हैं । व्यापक रूप से उपयोग में लिये जाने वाले उत्तेजक पदार्थ एम्फेटामाइन, कैफीन और कोकीन आदि हैं ।

एम्फीटामीन का रासायनिक नाम एल्फा-मिथाइल फेनीथाइलामीन है । इसका सेवन व्यक्ति को सक्रिय बना देता है । ये उत्तेजक पदार्थ केन्द्रीय नाड़ी तन्त्र पर प्रभाव डालकर व्यक्ति के शरीर की क्रियाओं की गीत बढ़ा देते हैं जिससे वह असीमित उर्जा महसूस करता है । कुछ लोग उत्तेजक पदार्थ लेने पर अशान्त व बातूनी बन जाते हैं या सोने में कठिनाई महसूस करते हैं । वे अस्थाई रूप से स्वस्थ, आत्मविश्वासी और चुस्त महसूस करते है । ऐसे लोग लम्बे सस्वय तक जगे रहकर दूसरों की अपेक्षा अधिक कार्य कर सकते हैं, पर असल में उत्तेजक पदार्थ शरीर को अतिरिक्त उर्जा नहीं देते बल्कि शरीर की ही उर्जा को तेजी से खर्च करते हैं । एम्फीटामीन अपराध जगत में 'अपर्स' या 'पेप' पिल्स ड्रग्स के नाम से मशहूर है । इसका अत्यधिक सेवन रक्तस्राव के जरिये मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुँचा सकता है ।

अधिकांशत: उत्तेजक पदार्थ मुँह से लिये जाते है । ये शारीरिक निर्भरता की बजाय मानसिक निर्भरता पैदा करते हैं । इन्हें अचानक बन्द कर देने पर मानसिक बीमारी तथा आत्महत्या जन्म अवसाद पैदा होते हैं ।

उत्तेजक पदार्थो में दूसरा नामी नाम कोकीन का है । यह दक्षिणी अमेरिकी मूल के सदाबहार झाड़ी एरिशो-जाइलोन कोका की पत्तियों में पाया जाता है । इसके गुलामों में सिग्मंड फ्रायड, अन्सर्ट, वान फलीश्चल और जासूसी कहानियों के लोकप्रिय लेखक सर आर्थर कानन डायल शामिल थे । कोकीन एक उत्तेजक नशा है । वैज्ञानिक अनुभवों के अनुसार हमारे स्नायु मण्डल (Nervous system) मे

डोपामीन नामका रसायन पाया जाता है । यह डोपामीन रसायनों के स्नायु संचारी वर्ग से सम्बन्धित है । ये रसायन स्नायु कोशिका के आर-पार संदेश लाते ले जाते हैं । अगर हमारे स्नायुयंत्र में ये रसायन न हो तो ये संदेश पहली स्नायु कोशिका पर ही नष्ट हो जायेगा और आगे नहीं बढेगा फलस्वरूप शरीर प्रतिक्रिया नहीं करेगा ।

शरीर में डोपामीन को नियंत्रित करने के लिए एक आंतरिक प्रणाली होती है जो इसकी मात्रा पर नियंत्रण रखती है । नियन्त्रण के फलस्वरूप न तो इसकी मात्रा बढ़ सकती है न घट सकती है बल्कि एक उचित स्तर पर स्थिर रहती है । कोकीन इस प्रणाली को इस प्रकार भंग कर देती है कि स्नायुतंत्र में डोपामीन की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति को अत्यधिक नशे के अनुभव होते हैं ।

2.3.4. नारकोटिक पदार्थ (Narcotic)

नशे के इस प्रकार के अन्तर्गत अफीम और इसके सभी उत्पादों के अलावा चरस, गांजा और भांग भी शामिल किये जाते हैं । शायद ही कोई नशा इतना विख्यात हो, जितना कि अफीम । अफीम के अलावा इससे प्राप्त तीन मुख्य एल्केलाइड मार्फीन, नारकोड़ीन और कोड़ीन है । बेहद प्राचीन इस नशे का विवरण 5000 ई.पू. सुमेरियन सभ्यता की पट्टिकाओं पर मिलता है । राजस्थान में अफीम का नशा बहु त प्रचलित है । कुरान द्वारा शराब पर पाबंदी होने की वजह से मुसलमान बडी संख्या में इसके शिकार है । अफीम भी सी.एन.एस. पर शामक प्रभाव डालती है । अफीम लेने पर जो नशा होता है उसमें व्यक्ति को भावात्मक सुख-शान्ति या सन्तुष्टि का एहसास उत्पन्न होता है जिसे सुख की भ्रम (यूफोरिया) कहा जाता है । यह सुख का भ्रम उत्पन्न करने की क्षमता ही अफीम का आदी बना देती है ।

मार्फीन से चिन्ता या भय का एहसास उत्पन्न होता है जिसे 'डाईफोरिया' कहते हैं । परन्तु यह लक्षण किसी विरले में ही उत्पन्न होता है । अफीम की अधिक मात्रा लती व्यक्ति की श्वसन दर कम कर देती है, लगभग 2 या 3 स्पंदन/मि. जबकि साधारण श्वास दर 18 स्पंदन / मि. है । यह मनुष्य में चेतना का ह्रास करती है ।

अफीम या उसके अन्य उत्पाद जैसे मार्फीन, हेरोइन आदि न मिलने पर लती व्यक्ति अपनयन लक्षणों का अनुभव करता है । ये लक्षण बेहद निराशाजनक होते है । ये लक्षण आमतौर पर तीन अलग-अलग अवस्थाओं में होते हैं ।

अवस्था - 1 :

यह अवस्था 4 - 6 घण्टे के भीतर शुरू होती है । शुरू में तकलीफ शारीरिक की बजाय मानसिक या मनोवैज्ञानिक होती है । 8-14 घण्टे के भीतर बैचेनी, पसीना आना, ऑख व नाक बहना, जम्हाई व छिंके आने का अनुभव होता है । ये सभी लक्षण सर्दी-जुकाम के लक्षणों से मिलते जुलते है । 14-24 घण्टों के अन्दर लक्षण तीव्र होते चले जाते हैं । लती व्यक्ति की भूख मर जाती है । शरीर में हल्का कम्पन्न होने लगता है और त्वचा में सिकुड़न पड़ने लगती है । जिसे चर्माकुरण (गज फ्लेश) कहा जाता है । त्वचा नुची हुई जलमुर्गी की तरह हो जाती है जिससे यह मुहावरा निकला है गोइंग कोल्ड टर्की । यह मुहावरा उन लती व्यक्तियों की हालत बताता है जो अपनयन लक्षणों की पहली अवस्था से पीडित हैं ।

अवस्था - 2 :

यह अवस्था 24 - 36 घण्टे वाद शुरू होती है । लती व्यक्ति अनिद्रा, उल्टी, दस्त, कमजोरी और निराशा से पीड़ित होता है । पहले से उपस्थित लक्षण और तीव्र हो जाते है ।

अवस्था - 3 :

यह अवस्था 48 - 78 घण्टे बाद शुरू होती है । सारे लक्षण मिलकर मांसपेशियों और पेट की तीव्र ऐंठन और शरीर की कंपकपी और झटकों में बदल जाते हैं । शरीर के तापमान और श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है तथा उल्टी दस्त की स्थिति और खराब हो जाती है । इससे शब्द निकला है 'किकिंग द हेबिट'।

इन सब अवस्थाओं से गुजरकर लती व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे वह जीते जी नरक यातना भोगकर आया है और इस हालत से बचने के लिए व्यक्ति लगातार नशा लेता रहता है ।

नारकोटिक में अफीम के अलावा दूसरे प्रमुख उत्पाद जैसे भांग, गांजा चरस आदि सम्मिलित हैं जो पौधों के कैनाबिनेसी परिवार के सदस्य हैं । ये नशे सस्ते होने के कारण गरीबों का स्वर्ग कहलाते हैं । कैनाबिस सटाईवा के पौधे से ही तीनों प्राप्त होते हैं । इसकी पत्तियों से भांग प्राप्त होती है । दूसरा गांजा, इसका रंग मुरचहा हरा और गंध विशेष तीखी होती है । यह मादा पौधे के शीर्ष पर लगे फूलों से निकलता है । भांग जहां खाई जाती है वहीं गांजे का धूम्रपान किया जाता है । गांजा को पश्चिमी देशों में मैरिजुआना और मेरीहु आना नामों से जाना जाता है । इसका तीसरा उत्पाद चरस है जिसे पश्चिमी देश हशिश के नाम से जानते हैं । चरस गाढे हरे या भूरे रंग की होती है । यह इस पौधे की पत्तियों और शाखाओं से रिसने वाली गाढ़ी राल है । चरस का भी धूम्रपान किया जाता है ।

भांग, गांजा, और चरस तीनों एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं फिर भी इन तीनों में नशे की तीव्रता अलग-अलग पाई जाती है । इन तीनों में नशे के लिए उत्तरदायी टी.एच.सी. (टेट्रा-हाइड्रो केनाबिनाल) रसायन होता है जो भांग में 1-2 प्रतिशत, गांजे में 5-8 प्रतिशत और चरस में 10-15 प्रतिशत होता है ।

कैनाबिस से प्राप्त नशे का सबसे स्पष्ट प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है । लती व्यक्ति पहले आनन्द अनुभव करता है । वह आत्मविश्वासी, बातूनी और बात-बात पर अड़ने वाला बन जाता है । शायद इसी वजह से यह नशा लोग सामूहिक रूप से करते हैं । इस नशे से समय काफी विस्तृत महसूस होता है, नशेड़ी को 30 मिनिट, 1 घण्टे या उससे भी अधिक महसूस होते हैं । फलस्वरूप उसे ये महसूस होता है कि गांजे के नशे के बाद उसने तेजी से काम किया है, जो कि गलत हैं । इस प्रभाव को 'काल-विस्तारण' या 'काल प्रसार' (टाईम एक्सपैशन या टाईम डिलेशन) कहा जाता है ।

गांजे के नशेड़ियों का यह भी मानना है कि इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता निखर जाती है, जिसे प्रयोग्रों ने झूठा सिद्ध कर दिया है । गांजे की अत्यधिक मात्रा लेने पर लती आनन्द की बजाय आतंक (डिस्कोरिया) महसूस करने लगता है, पर यह कहना मुश्किल है कि कौनसा नशेड़ी आनन्द अनुभव करेगा और कौनसा आतंक ।

गांजा पीने वालों में एक दुर्लभ घटना 'फ्लेश बैक' का भी जिक्र किया गया है । यह एक आश्चर्यजनक घटना है जिसमें महीनों तक गांजा छोड़ देने के बाबजूद व्यक्ति अचानक हिंसक हो उठता है और पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगता है जैसे कि उसने गांजे की बहु त सारी मात्रा पीली हो । यह व्यवहार गांजे के आदी लोगों में आम है जो 'रनिंग अमाक यानि 'पागलपन की दौड़ नाम से जाना जाता है । कमी-कभी ऐसा व्यक्ति कोई खतरनाक हथियार आदि लेकर भी बवाल कर सकता है । परन्तु

फ्लैश बेक खत्म होने पर पछताता भी है । इस घटना को ' जेकिल एण्ड हाईड ' प्रभाव भी कहा जाता है ।

गांजे के लती व्यक्ति यह दावा करते हैं कि इससे कामेच्छा बढ़ती है । परन्तु सच्चाई यह है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति की उर्वरा शक्ति घट जाती है । वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है और रक्त में पुरूष यौन हार्मोन 'टेस्टोस्टेरॉन' की मात्रा घट जाती है । और कुछ पुरूषों में स्तन औरतों की तरह हो जाते है, जिसे चिकित्साशास्त्र गायनीकोमेस्टिया के नाम से जानता है । शरीर में ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति को इस प्रकार का नशा और असर होता है । इसकी क्रियाविधी इस प्रकार सुझायी गई है - हमारे शरीर में सभी कोशिकाऐं एक महीन कोशिका झिल्ली से ढकी हुई हैं । इस कोशिका झिल्ली में तेल जैसे रसायन - वसा (लिपिड़) पाये जाते हैं । कोशिका के अंदर का वातावरण बहुत नाजुक होता है । कोशिका अपने आप यह निर्धारित करती है कि कौन कौन से पदार्थ कोशिका के अन्दर आयेंगे और कौनसे शहर जायेंगे । कैनाबिस के सभी उत्पाद कोशिका की सारी कार्यवाही को अस्त व्यस्त कर देते है । इससे कई अनुपयोगी पदार्थ कोशिका के अन्दर घुस आते हैं । अब यदि यही प्रक्रिया मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथ हो तो असाधारण संवेदनाऐं निश्चित तौर से उभरेंगी और यही भांग, गांजा, चरस लेने पर होता है ।

2.3.5. विभ्रमात्मक पदार्थ (Haliucinogens)

भ्रान्तिकारक पदार्थ या विभ्रमात्मक पदार्थ लोगों में भ्रान्ति उत्पन्न करते है । इस समूह का सबसे मुख्य पदार्थ एल.एस.डी. (लाइसर्जिक एसिड डिथाइलेमाइड) है जो मानव निर्मित पदार्थ है । इसके सेवन के पश्चात दुनिया को देखने और महसूस करने का ढंग ही बदल जाता है । रंगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है, विकृत हो जाती है, या अति यथार्थवादी हो जाती है । यह पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर देते है ।

इन पदार्थो का एक विशेष लक्षण मस्तिष्क में तरह-तरह के चित्रों का बनना है । एल.एस.डी. लेने के 8-10 घण्टे बाद तक नींद आना लगभग असम्भव है । आतंक का एहसास होना साधारण सी बात है । इस नशे के प्रयोग के पीछे नशेड़ियों का तर्क यह भी होता है कि इसके सेवन के बाद ईश्वर से सम्पर्क करने के प्रयास में मदद मिलती है । एल.एस.डी बहुत सस्ता होता है । बाजार में इसकी खुराक जो 100 रूपये की मिलती है उसे प्रयोगशाला में बनाने में मात्र एक रूपये का खर्चा आता है । इसकी व्यापकता के पीछे अत्यधिक उच्च प्रभावकारिता, रंग गंध और स्वादहीनता और जल में विलेयता है ।

एस.एस.डी से रंग विविधता पूर्ण लगते हैं, चीजों की रूपरेखा स्पष्ट और वस्तुऐं सामान्य से छोटी या बड़ी लगने लगती हैं । इसे 'गुलिबर प्रमाद' भी कहते हैं । (आपको याद होगा कि गुलिवर बौनों के देश लिलिपुट और दैत्यों के देश ब्राब्डिंगनैग गया था) आंखे बंद करने पर चटक रंगों बाली आकृतियाँ दिखाई देती हैं । इसका एक और अनूठा लक्षण है सिनैस्थीसिया यानि संवेदनाओं का जुड़ना । इसमें एक उद्धीपन से बिल्कुल भिन्न संवेदना उत्पन्न हो सकती है । उदाहरण के लिए संगीत बजने से आँखों के आगे किस्म - किस्म के रंग दिखायी हैं, तस्वीर घुमाने पर संगीत सुनाई देता है, वस्तुऐं और लोग टेडे-मेडे दिखते हैं । सारा शरीर या कोई एक अंग बहुत बडा या बहुत छोटा दिखाई देता है । इस प्रभाव को 'एलिस इन बंडरलैण्ड' भी कहा जाता है ।

एल.एस.डी लेने के पश्चात गांजे की तरह फ्लैश बैक की घटना हो सकती है और व्यक्ति हिंसक होकर अपराध भी कर सकता है । एल.एस.डी के नशे के बाद व्यक्ति कमी-कभी चलती ट्रेन के आगे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं । आग या पानी पर चलने की कोशिश करते हैं । इससे व्यक्ति में अत्याचार की भावना भी पैदा हो सकती है जिससे लोग हिंसक या आक्रामक भी हो उठते हैं ।

2.3.6. निकोटिन (Nicotin)

इस श्रेणी के अन्तर्गत बीड़ी, सिगरेट,, तम्बाकू सिगार और नसवार आदि आते हैं । तम्बाकू की खेती की जाती है । इसके पत्ते चौड़े और कड़वे होते हैं । इसका कोई चिकित्सकीय उपयोग नही है । परन्तु यह सेवन करने पर शारीरिक निर्भरता जरूर पैदा कर सकता है । निकोटिन सी.एन.एस को उत्तेजित करता है, जगाता है, और ऊबाउपन को दूर करता है । इसका अत्यधिक सेवन दिल की बीमारी, फेफडे का कैंसर व श्वासनली में रोग पैदा कर सकता है । परन्तु लोग इसे न तो नशा समझते हैं और न ही विष । यह लोगों द्वारा नित्य इस्तेमाल की निर्दोष वस्तु समझी जाती है ।

तम्बाकू तीन प्रकार से व्यवहार में लाया जात है ।

(i) धूम्रपान करके (बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हु क्का, सु लफा और सिगार)

(ii) नस्य या सूंघनी बनाकर सूंघने से

(iii) पान में रखकर सुरती के रूप में या चूने के साथ मलकर ।

तम्बाकू के सेवन करने वाले अधिकतर यह कहते हैं कि इसके सेवन से तबियत प्रसन्न होती है । सुस्ती दूर हो जाती है, थकान नहीं रहती, और भूख बढ़ती है । लेकिन ये सभी बातें भ्रांत और कल्पित हैं । इसका असर मस्तिष्क को शून्य कर देता है । थका हु आ व्यक्ति जब अपने को तम्बाकू पीने से शून्य अवस्था में पाता है तो उसे अच्छा लगता है । परन्तु तम्बाकू केवल शारीरिक निर्भरता बनाता है । इसे छोड़ने पर कोई अपनयन लक्षण नही होते । और सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी अपराध का कारण भी नहीं बनता । अत: कानून भी निकोटिन को नशे की श्रेणी में नहीं रखता ।

2.4 सारांश

सम्पूर्ण इकाई में हमने जाना कि नशा किस प्रकार व्यक्ति को अपना गुलाम बनाता है । पूरा विश्व इस नशे की समस्या से ग्रसित है । भारत की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है । नशे के प्रकारों से उत्पन्न परिदृश्य ऐसा नहीं है कि जिस पर हम गर्व करें । नशे का गुलाम व्यक्ति अपने नशे की निरन्तरता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है । सामान्य व्यक्ति जब इसका शिकार होता है तो इससे परिवार समाज और राष्ट्र के विकास में अप्रत्यक्ष बाधा होती है और समाज में अनेक कुसमायोजन सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं । नशे से बचने के लिए सबसे पहले हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और नशे के लिए आग्रह करने वालों को दृढ़ता से नहीं कहना चाहिए चाहे वे दोस्त हों या रिश्तेदार । तभी जाकर इस समस्या से बचा जा सकता है और समाज को स्वस्थ बनाया जा सकता है ।

2.5 बोध प्रश्न

1. नशा किस प्रकार एक सामाजिक प्रधटना है ?
2. नशा किस प्रकार परम्परा के अधिक निकट है ?

3. नशीले पदार्थ किस तरह से व्यक्ति को अपना गुलाम बनाते है ?
4. नशे के मुख्य प्रकार कौन-कौन से है ?
5. उत्तेजक पदार्थ किस प्रकार नशा करते है ?
6. गांजे के नशे का व्यक्ति पर प्रभाव बताइये ?
7. विभम्रात्मक पदार्थ किस प्रकार नशा उत्पन्न करते है ?

2.6 शब्दावली

विचलन व्यवहार	-	Deviant behaviour
सामाजिक प्रघटना	-	Social Phenomenon
प्रतिक्रिया प्रभाव	-	Rebound effect
जीवाणु	-	Bacteria
प्रतिजैवी	-	Antobiotic
अपनयन लक्षण	-	Withdrawal Symptoms
अवसाद	-	Depression
भ्रान्तिजनक पदार्थ	-	Hallucinogens
शराब	-	Alcohol
शामक पदार्थ	-	Sedatives
उत्तेजक पदार्थ	-	Stimulants
केन्द्रीय नाड़ी तंत्र	-	Central Nervous System
स्नायु मण्डल	-	Nervous System
काल विस्तारण	-	Time Expansion
काल प्रसार	-	Time Dilation
पागलों की तरह दौड़ते फिरना	-	Running Amok
स्ट्रेप्टोमाइसिन	-	एक विशिष्ट प्रतिजैवी का नाम

2.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अर्नेस्ट एल. ऐबल (1980) : मैरिजुआना -द फर्स्ट ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स, प्लेनम प्रेस,न्यूयार्क मैरिजुआना (गांजे) के इतिहास पर अति मनोरंजक पुस्तक । गांजे के बारे में गहराई से खोजबीन करना चाहने बालों के लिए पढ़ने लायक । पुस्तक के अंत में 500 पुस्तकों की संदर्भ ग्रन्थ सूची है, ताकि पाठक और जानकारी प्राप्त कर सके।
2. एस. फिशर, ए. रस्किन, ई.एच. उहलेनहथ (1987) : कोकीन - क्लीनिकल एंड बायोबिहेवियरल आस्पेक्ट्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, यू.के. ।
3. जान सी क्रेट्ज, (1974) : हिस्टोरिकल मेडिकल क्लासिक्स इनवाल्विंग न्यू ड्रग्स, विलियंस एं. विल्किन कं., बाल्टीमोर :

   एल.एस.डी. और मार्फीन का रोचक इतिहास इस पुस्तक में है ।

4. डी वैलेचिंस्की, आई. वैलेस, ए. वैलेस (1980): द बुक ऑफ लिस्ट्स, बैंटम ब बुक्स, यू.एस.ए.। इस पुस्तक में उन प्रसिद्ध लोगों के नाम दिये गये है जो विभिन्न मादक पदार्थो का सेवन करते हैं ।
5. लै.टीटी. ब्राउन (1961) : द एनिग्मा ऑफ एडिक्शन, थामस चार्ल्स सी., यू.एस. ए. ।
अपेक्षाकृत पुरानी पुस्तकें। अफीम, खास तौर से अफीम के धूम्रपान पर अध्याय के लिए मूल्यवान।

इकाई 3

राजस्थान में व्यसन उपलब्धता

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य
3.1 प्रस्तावना
3.2 सामाजिक समस्या
3.3 व्यसन के प्रति सामान्य जानकारी
3.4 राजस्थान में व्यसन उपलब्धता
  3.4.1 शराब
  3.4.2 अफीम
  3.4.3 हेरोइन / ब्राउन शुगर
  3.4.4 भांग - गांजा
  3.4.5 एलौपैथिक दवाईयाँ
3.5 राजस्थान में व्यसन उपलब्धता के कारण
  3.5.1 धार्मिक कारण
  3.5.2 भौगोलिक कारण
  3.5.3 सामाजिक सांस्कृतिक कारण
  3.5.4 राज्य द्वारा उपलब्धता
  3.5.5 मनोविकारिय कारण
  3.5.6 सहज उपलब्धता के कारण
  3.5.7 उपलब्धता के अन्य कारण
3.6 राजस्थान में व्यसन के प्रति धारणाएँ
  3.6.1 व्यक्तिगत धारणा
  3.6.2 सामाजिक धारणा
  3.6.3 राज्य की धारणा
3.7 समस्या के निवारण हेतु सुझाव
3.8 सारांश
3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
3.10. शब्दावली
3.11 संदर्भ ग्रन्थ

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- व्यसन क्या होते हैं और इनका समाज पर क्या प्रभाव है यह समझ सकेंगे
- राजस्थान में कौन कौन से व्यसन बहुप्रचलन में हैं इनकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे
- राजस्थान में बहुप्रचलित व्यसनों की उपलब्धता के पीछे कौन कौन से कारक हैं, यह जान सकेंगे
- राजस्थान में व्यसन के प्रति प्रचलित धारणाओं का ज्ञान प्राप्त करके आप उनकी रोकथाम में सहायक होंगे ।
- आप व्यसन जैसी सामाजिक समस्या के उन्मूलन के तरीकों से भी परिचित होंगे और एक स्वस्थ समाज को बनाने में अपना योगदान दे पायेंगे ।

3.1 प्रस्तावना

आप जानते है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज की उपस्थिती ने जहाँ मनुष्य को सम्बल प्रदान किया है तो दूसरी तरफ समाज में उत्पन्न समस्याओं ने उसे बेहद परेशान भी किया है । सदियों पहले और आज भी मनुष्य जब से समाज में रह रहा है, सामाजिक समस्याओं से कभी भी पूर्णत: मुक्त नहीं हुआ ।

राजस्थान का समाज भी कुछ व्यसनों से इस कदर ग्रस्त है कि आज वे व्यसन राजस्थान के लिए सामाजिक समस्या बन गये हैं । समाज में आजकल जागरूकता के कारण इतना बदलाव जरूर आया है कि वह सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है । आज लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का इन समस्याओं के निवारण में उपयोग करना चाहिए ।

3.2 सामाजिक समस्या

आप सभी बचपन से पढ़ते और सुनते आये हैं कि समाज में बाल-विवाह जातिवाद वेश्यावृति अपराध, नशा आदि सामाजिक समस्याएँ हैं । इसे पढ़कर पहला ही प्रश्न मन में यह उठता है कि सामाजिक समस्या क्या है? समाज किसे सामाजिक समस्या कहता है तो आईये निम्न प्रसिद्ध परिभाषाओं के आधार पर हम यह समझने का प्रयास करते है कि विभिन्न विद्वान सामाजिक समस्या को किस नजरिये से देखते हैं । डब्ल्यू. वेलेस वीवर के अनुसार -''सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिन्ता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है ।

राव एवं सेल्जनिक ने सामाजिक समस्या को ''मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है ।

क्लेरेन्स मार्शकेस के मतानुसार - ''सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो एक समाज में काफी संख्या में योग्य अवलोकन कर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती है और सामाजिक, सामूहिक, किसी एक अथवा दूसरे किस्म की क्रिया पुन: सामंजस्य या हल के लिए उन्हें आग्रह करती हैं''

रिचार्ड सी. फुल्लर तथा रिचर्ड मायर्स के अनुसार - ''व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हैं, वे ही सामाजिक

समस्याएँ हैं । इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने और उनके कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए सुधार-नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की आवश्यकता होती हैं ।

वाल्स एवं फर्फे की मान्यता है कि - ''सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव है'' ।

अत: हम समझ सकते हैं कि सामाजिक समस्याएँ वे सामाजिक दशाएं या परिस्थितियाँ हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढता एवं सामाजिक मूल्य-व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है । जो कि दूरगामी अर्थों में राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक होती हैं ।

3.3 व्यसन के प्रति सामान्य जानकारी

पिछली इकाई में हमनें विस्तृत रूप से समझा है कि नशा क्या है । यहाँ पर हम नशा और व्यसन पर सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे ।

जैसा कि हमने नशे के अर्थ में देखा कि नशा वह मानसिक अवस्था है जो किन्ही विशेष द्रव्यों के सेवन से होती है अर्थात विशेष द्रव्यों के सेवन से परिवर्तित 'मानसिक दशा नशा कहलाती है ।

व्यसन' शब्द अधिकांशतया शारीरिक स्थिति दर्शाता है अत: व्यसन व शारीरिक निर्भरता वह स्थिति है जिससे शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरन्तर सेवन चाहिए अर्थात व्यसन वह शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर के सुचारू रूप मे काम करते रहने के लिए संबंधित द्रव्य का निरन्तर सेवन चाहिए । यानि व्यक्ति का शरीर उस दब के नशीले प्रभावों पर इतना निर्भर हो गया है कि, उसके बिना वह रह नहीं सकता । व्यसन में ''द्रव्य' शब्द आया है । समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक संदर्भो में 'द्रव्य' वह शब्द है जो उस आदत निर्माण पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है जो मस्तिष्क व नाड़ी मंडल (Nervous System) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है ।

व्यसन की स्थिति में द्रव्य के बंद कर देने पर शरीर के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप होता है तथा द्रव्य में पाये जाने वाले विशिष्ट प्रतिस्प के अनुसार बंद होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं । वंचना के प्रति पूर्ण प्रतिक्रिया को 'उपभोग स्थगन संलक्षण' कहते है ।

किसी भी द्रव्य का आदी होना और व्यसनी होने में अंतर है । 'आदी होना' शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक निर्भरता के लिए किया जाता है जबकि व्यसन शारीरिक निर्भरता के लिए । व्यसनी होना जितना विनाशकारी है, उतना आदी होना नहीं । किसी द्रव्य के लिए व्यसनी होने का अर्थ यह हुआ कि शरीर उस द्रव्य के विषैले और नशीले प्रभावों पर इतना निर्भर हो जाता है कि वह उसके बिना रहा ही नही सकता ।

द्रव्य व्यसन के मुख्य लक्षण-

(i) द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना।

(ii) मात्रा बढाने की प्रवृति ।

(iii) द्रव्य के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता ।

(iv) व्यक्ति व समाज पर हानिकारक प्रभाव ।

3.4 राजस्थान में व्यसन उपलब्धता

राजस्थान में भी कुछ व्यसन पाये जाते है जो मुख्य अर्थो में राज्य के व्यक्ति व समाज को हानिप्रद प्रभाव दे रहे हैं। इनमें से मुख्य शराब, अफीम, हेरोईन, मांग-गांजा, और द्रव्य दुरूपयोग के तहत एलौपैथिक दवाईयाँ आदि । राजस्थान में इनकी उपलब्धता पर प्रकाश डालेंगे ।

3.4.1 शराब

शराब, इसका सेवन मद्यपान या सुरापान के नाम से भी जाना जाता है । थोड़ी बहुत मात्रा मे और उत्सवों पर इसका सेवन काफी हद तक सामाजिक मान्यता प्राप्त है । पश्चिमी देशों में शराब पीना भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार एक आवश्यकता और शिष्टाचार है । यह शिष्टाचार ठीक उसी तरह है, जिस तरह हमारे गाँवों में आये मेहमान को राबड़ी और शहरों में चाय पिलाना, शिष्टाचार है । राजस्थान की गर्म जलवायु देखते हुए यहाँ शराब की बढ़ती खपत चिन्ताजनक पहलू है । शराब का सामान्य तौर पर सेवन न तो कोई व्यसन है और न ही कोई समस्या । असल में समस्या तब पैदा होती है जब शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति आदतन होकर अपने आप पर से नियंत्रण खो देते हैं । व्यसन उपलब्धता की दृष्टि से शराब राजस्थान की पुरानी परम्परा रही है । राजपूत शराब के शौकीन थे । राजस्थान के इतिहास पर नजर डालें तो स्वतन्त्रता से 20 रियासतें, 2 ठिकाने और 2 अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर व मारवाड़ थे ।

राजस्थान के वयोवोद्ध इस बात से सहमति जताते हैं कि राजपूत शराब उपयोग में लेते थे। लगभग-लगभग हर रियासत/ घराना अंग्रेजी शराब के अलावा विभिन्न जड़ी बूटियों और मसालों से स्वयं के लिए विशेष शराब तैयार कराते थे । जिसका विधि विधान गुप्त रखा जाता था और मात्रा सीमित। आम आदमी की पहुँच से यह बाहर होती थी ।

जी.एस.एम यानि गंगानगर शुगर मील द्वारा प्रस्तुत 76 मसालों व जड़ीबूटियों से तैयार कानोता घराने की रजवाड़ी शराब 'रायल चन्द्रहास' राजस्थान में शराब उपलब्धता की पुष्टि करती है ।

राजस्थान के निचले तबको में भी मद्यपान प्रचलित था परन्तु यह आदिवासियों द्वारा ईजाद महुए के फूल से तैयार शराब थी । जो जंगल से एकत्र महुए के ताजा खिले फूलों से बनती थी और बेहद सस्ती होती थी । लोग इसे पीकर मस्त हो जाते थे । उस वक्त मौजूदा प्रशासन ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, परन्तु यह प्रयास सफल नहीं हुआ ।

इस हिसाब से व्यसन उपलब्धता की दृष्टि से शराब राजस्थान में काफी पहले से प्रचलन में है ।

वर्तमान में राजस्थान में अंग्रेजी शराब के अलावा जगह - जगह कच्ची शराब अवैध तरीकों से बनाई जाती है । जिसमें कीकर की छाल, गन्ना और सड़े गुड से बनी कच्ची शराब मुख्य है । निम्न वर्ग देशी मदिरा, जो 26 रूपये में मिलती है, के अलावा इस कच्ची शराब का प्रमुखता से सेवन करता है । कच्ची शराब पीने से कई बार विषाक्तता से मौतों की खबर अखबारों में भी आती रहती है ।

व्यसन की दृष्टि से यह बह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति शराब पीने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है । एक बार पीना शुरू करने के बाद उसे बंद करने में असमर्थ रहता है । केलर और एक्रोन के अनुसार मद्यपान का लक्षण मदिरा का इस सीमा तक बार-बार पीना है जो कि उसके प्रथागत उपयोग या समाज के सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुपालन से अधिक कार्य करने को प्रभावित करता है ।

मद्यपान एक व्यसन और सामाजिक समस्या है इसकी पुष्टि इसके दुष्परिणाम भी करते है । इससे होने वाली शारीरिक बीमारियाँ तो दुष्प्रभाव हैं ही परन्तु यह निम्न मुख्य दुष्परिणाम सामने लाती है:-

1. वैयक्तिक विघटन - शराब पीने वाला व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को चुनौती देना चाहता है । उसकी प्रवृत्तियाँ व्यक्तिवादी अधिक हो जाती हैं । शराब का व्यसनी अपना धन्धा, परिवार और घर भी छड़ सकता है । शराब के नशे में बह गुण्डागर्दी, बदमाशी, हत्या तथा चोरी जैसा कोई भी अपराध कर सकता है । फलस्वरूप व्यक्ति का जीवन पूर्णत: विघटित हो जाता है ।
2. पारिवारिक विघटन - शराब परिवार में तनाव और संघर्ष को बढाती है । इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव महिलाओं को भुगतना पड़ता है । शराब के नशे में व्यक्ति अनैतिक कार्य भी कर लेता है जिससे परिवार के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो जाती है । फलत: पारिवारिक विघटन होता है ।
3. सामुदायिक विघटन - शराब के नशे में व्यक्ति अनैतिक कार्य कर सकता है । वह जुआ और वेश्या वृति की तरफ अग्रसर होता है । इससे सामाजिक मूल्य नष्ट होते हैं, नैतिक पतन होता है, समुदाय का वातावरण बिगड़ता है और सामुदायिक विघटन की स्थिती आ जाती है ।
4. सामाजिक विचलन और अपराध - शराब का व्यसनी सामाजिक मानदण्डों को मूल जाता है । वह ऐसे कार्य करने लगता है जो प्रतिबन्धित होते हैं । बलात्कार, साधारण चोरी और सेंधमारी करके चोरी करने वाले अधिकतर अपराध शराब के नशे में ही होते है ।

   राजस्थान में शराब का प्रचलन दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है । अत: कहा जा सकता है कि शराब राजस्थान के समाज में एक सामाजिक समस्या है ।

3.4.2 अफीम

यूं तो सभी ट्रक जो व्यसनकारी हैं, खतरनाक होते हैं परन्तु राजस्थान में व्यसन की दृष्टि से अफीम बड़ा योगदान रखती है । राजस्थान में इसका इतना गुणगान किया गया है कि शायद ही लोगों ने अमृत का भी इतना गुणगान नहीं किया होगा । यह 'अमरता का नगीना' भावना की औषधि, बलवर्द्धक दवा, स्वर्ग के द्वार की चाबी, जैसे उपनामों से जानी जाती है । साधारणत: अफीम खाई जाती है परन्तु राजस्थान में इसके सेवन के अन्य रूप भी प्रचलित हैं । यही अफीम के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह सहवास की अवधि को बढ़ा देती है । इसलिए पुरूष इसे बडी मात्रा में लेते हैं । राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ इलाकों में अफीम का सेवन प्रथाओं और परम्पराओं के नाम पर किया जाता है।

अफीम का सेवन व्यक्ति को व्यसनी बना देता है । एक तरफ जहां व्यक्ति को व्यसनी बनाकर अपराध की ओर प्रवृत करती है वही दूसरी तरफ यह अपराध में भागीदार भी बनती है । राजस्थान में लड़की के पैदा होने पर अफीम की ज्यादा मात्रा देकर उस नवजात को मौत की नींद में सुला दिया जाता है । यह भी माना या कहा जाता है कि राजस्थान में सती प्रथा जैसी समस्या में अफीम का योगदान था । सती होने वाली औरतों को चिता में बैठने से पूर्व अफीम की भारी मात्रा सेवन कराई जाती थी । अदम्य साहस और दुस्साहसिक कार्यो में इसके सेवन को अनिवार्य माना जाता था । शायद इसी वजह से राजपूत युद्ध में जाने से पूर्व इसका सेवन करते थे । इसे छोड़ने पर व्यक्ति अपनयन लक्षणों से इतना परेशान होता है कि इसे पाने के लिए वह कोई भी अपराध कर सकता है । अफीम व्यसन के रूप में वैयक्तिक विघटन, सामाजिक विचलन और अपराध का कारण भी बनती है

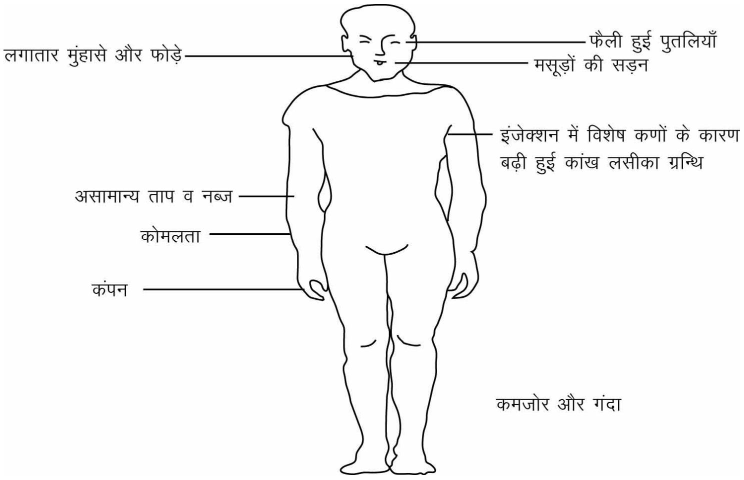

चित्र संख्या 3.1

अफीम मार्कीन : चिन्ह व लक्षण

मुसलमानों में इसका प्रचलन अधिक पाया जाता है क्योंकि पवित्र ग्रन्थ 'कुरान' में सुरा सेवन पर पाबंदी है ।

अत: राजस्थान में व्यसन उपलब्धता की दृष्टि से अफीम एक सामाजिक समस्या भी है ।

3.4.3 हेरोइन / ब्राउन शुगर

हेरोइन अफीम का एक उप-उत्पाद है । यह राजस्थान में अवैध रूप से मिलती है । अफीम के मुख्य रसायन मार्कीन का जब सिरका (जलविहीन एसिटिक एसिड) से मेल कराते हैं तो हेरोइन बनती है । इसका नशा करने पर व्यक्ति अपने आप को बहुत बहादुर समझता है, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह । इसी कारण इसके खोजकर्ता हेनरिक ड्रेसर ने इसे हेरोइन का नाम दिया । इसकी व्यापकता के पीछे कारण कच्ची अफीम का आसानी से उपलब्ध न होना है क्योंकि अफीम उत्पादन पर कानूनी नियंत्रण रखा जाता है । राजस्थान में इसे लेने का सबसे प्रसिद्ध तरीका इंजेक्शन द्वारा नसों में प्रवेश कराना है । राजस्थान में विशेषकर निम्नवर्ग हेरोइन का लती है । वह सिगरेट की डिब्बी में निकलने वाली चमकीली पन्नी पर हेरोइन फैलाकर उसे माचिस या मोमबत्ती द्वारा नीचे से ली दिखाता है । लौ से हेरोइन धुआँ बनकर उड़ने लगती है और व्यसनी उस धुएँ को कागज की एक नली द्वारा पीने की कोशिश करता है ।

हेरोईन निचले तबके तक पहुँचते-पहुँचते ग्लूकोज और कुनैन की मिलावट द्वारा बहुत अशुद्ध हो जाती है । हर दलाल मिलावट कर के अपना मुनाफा बढ़ाता है । कुछ दलाल हेरोइन में शुद्ध गुड़ मिला देते हैं जिससे वह सफेद से भूरी हो जाती है । यह भूरी हेरोइन अवैध व्यापार की भाषा में ब्राउन शुगर कहलाती है ।

इसके व्यसन का कुप्रभाव आप इस बात से लगा सकते है कि जब व्यक्ति हेरोइन का इंजेक्शन लेना शुरू करता है तो शुरुआत कोहनी की नसों से करता है । लेकिन बार-बार गोदने से नसें दुर्बल और विकृत हो जाती हैं । धीरे-धीरे व्यसनी सभी नसों को विकृत कर चुका होता है । अंत में कहीं भी जगह (नस) न बचने पर वह जीभ के नीचे और शिश्न के पार्श्व भाग की नस में भी इंजेक्शन लगा लेता है ।

हेरोइन इतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है कि इतनी मिलावट के बावजूद इसका नशा सिर चढ़कर बोलता है । नशे के दलाल सर्वप्रथम इसकी पुड़िया मुफ्त में देते हैं । लगभग एक महीने तक यह नाम-मात्र के रूपयों में बॉटी जाती है । जब धीरे-धीरे व्यक्ति इसका लती बन जाता है तब रूपयों की मात्रा धीरे-धीरे अनुपलब्धता की बात कह कर बढ़ा दी जाती है । हालात वयैक्तिक विघटन के साथ-साथ पारिवारिक विघटन पर आ जाते हैं । व्यक्ति इंजेक्शन को पाने के लिए सबसे पहले अपने ही घर की चीजों, बर्तन, पत्नी के जेवरों को बेचने लगता है । जिससे शनै-शनै पूरा परिवार बिखर जाता है । परिवार के बिखरने के बावजूद नशे की मात्रा शनै-शैने बढती रहती है और रुपयों के इंतजाम के लिए हेरोइन का नशेड़ी अपराध के दलदल में भी उतर जाता है । नशे की इस दलदल से स्त्रियों, बच्चों और आश्रित वृद्धों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है । अन्य कोई आश्रय न होने पर पूरे परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाता है । इस प्रकार यह नशा भी सामाजिक समस्या को इंगित करता है । इस सामाजिक समस्या की विकरालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हेरोइन को 2000वीं सदी का अभिशाप घोषित किया गया है ।

हेरोइन के इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति का गुदा शरीर :
समय के साथ साथ पूरा शरीर निशानों से भर जाता है

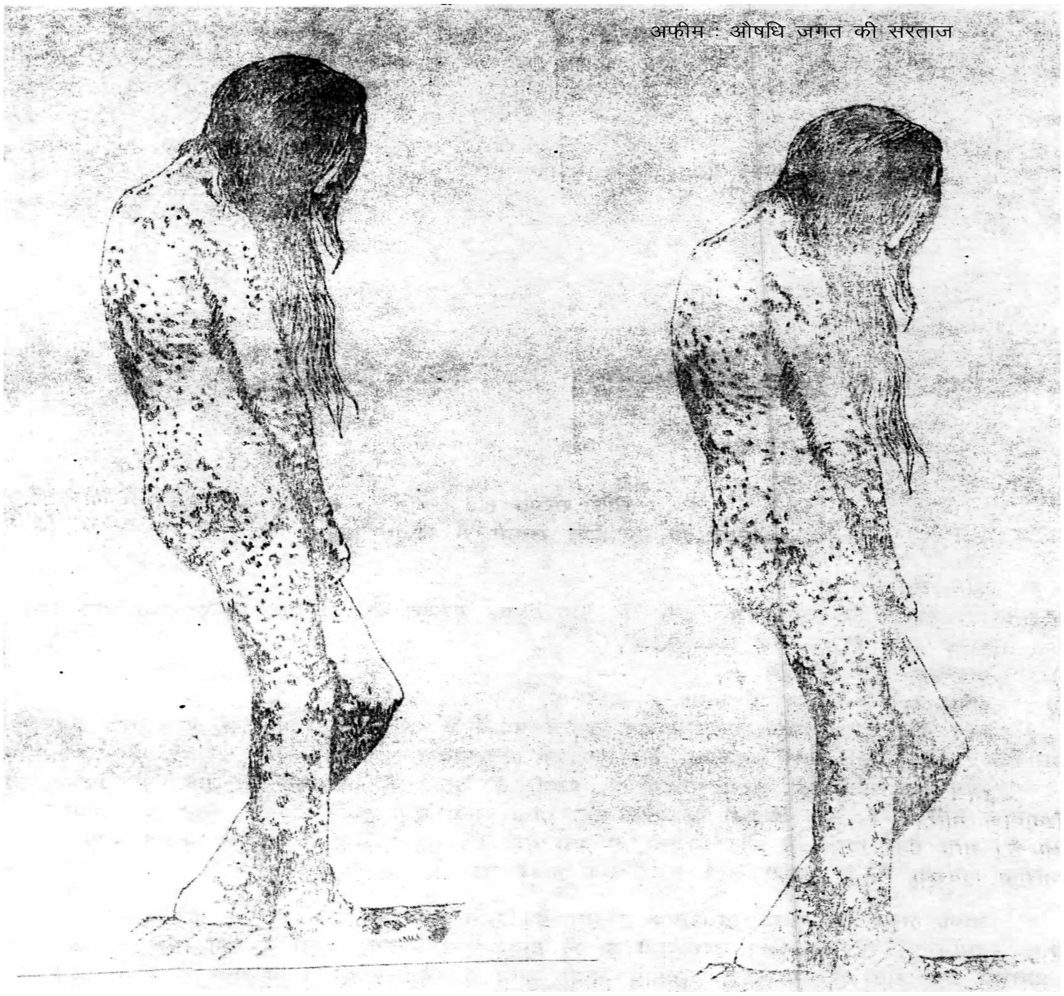

चित्र संख्या 3.2

चित्र संख्या 3.3

हेरोइन के इंजेक्शन लगाने से विकृत नसें

3.4.4 भांग-गांजा

राजस्थान में व्यसन उपलब्धता की दृष्टि से भांग-गांजा मुख्यत: तीन तरीके से उपलब्ध होता है ।

(i) राज्य द्वारा नियत ठेके प्रणाली से ।

(ii) प्राकृतिक रूप से पौधे से ।

(iii) अवैध रूप से (राज्य से बाहर से आता है)

भांग और गांजा दोनों अलग-अलग नशीले पदार्थ हैं जो एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं । यह पौधा सन / पटसन का पौधा कहलाता है । जिसका वानस्पतिक नाम कैनाबिस सटाईवा है ।

भांग इस पौधे की सूखी पत्तियों से बनती है । भांग के नशे की राजस्थान में कई जगह सांस्कृतिक मान्यता है । यह शिवजी का प्रिय भोग माना जाता है । इसका उपयोग बहु त से तरीकों द्वारा होता है । भांग नशा करती है और व्यसनी भी बना देती है । यह एक ऐसा नशा है जिसमें व्यक्ति जिस मानसिक अवस्था में है, उससे लम्बे समय तक बाहर नहीं आ पाता ।

गांजा भांग से ज्यादा खतरनाक व्यसन है । भांग में जहाँ ट्रेडा हाइड्रो केनाबिनाल (T.H.C) नामक रसायन जो नशे के लिए उत्तरदायी है की मात्रा 1-2 प्रतिशत होती है वहीं गांजे में यह मात्रा 5 प्रतिशत तक होती है । गांजे का धूम्रपान किया जाता है । यह सस्ता वी आसानी से मिल जाता है । यह एक बड़े वर्ग में प्रचलित नशा है । जिसमें मुख्यत: साधु फकीर, मजदूर और युवा वर्ग भी शामिल है।

सिगरेट, चिलम और हुक्कें में पिया जाने बाला गांजा चार-पाँच कशों में अपना प्रभाव पूर्ण करता है । यह सीधा मस्तिष्क पर असर करता है । गांजा पीते ही मस्तिष्क का सन्तुलन बिगड़ जाता है । गांजे की अत्यधिक मात्रा व्यक्ति को नकारात्मक भी बना सकती है । अर्थात वह व्यक्ति हर दिखने वाली बीज के नकारात्मक पहलू और मृत्यु को सोचता है । वह अत्यधिक रक्षात्मक हो जाता है फलत: वह किसी पर हमला भी कर सकता है ।

गांजा छोड़ने पर व्यसनी में अचानक पागलपन के लक्षण पैदा हो सकते हैं । लम्बे समय गांजा पीने के बाद भी व्यक्ति अचानक हिंसक हो उठता है जैसे कि उसने गांजे की ढेर सारी मात्रा पी ली हो । वह पागलों की तरह सड़क पर भी दौड़ सकता है । यह व्यवहार गांजे के आदी लोगों में आम है । इस पागलपन में वह हाथ में चाकू छुरी या अन्य हथियार आने पर घायल भी कर सकता है । इसके सेवन के पीछे कामेच्छा बढाने की बात की जाती है परन्तु इसका सेवन व्यक्ति को नपुंसकता की ओर ले जाता है । यह एक व्यसन है जो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है ।

राजस्थान के लोगों में यह व्यसन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । बढ़ती व्यसनियों की संख्या और इसके सामान्य कुप्रभाव देखकर हम इसे सामान्य समस्या कह सकते हैं ।

चित्र संख्या- 3.4
कैनाबिस सटाईवा (भांग का पौधा)

3.4.5 ऐलोपैथिक दवाईयाँ

इन दवाईयों में मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम संश्लेषित पदार्थो और प्रकृतिजन्य मादक पदार्थो का उपयोग किया जाता है । यह नशा द्रव्य-दुरूपयोग की श्रेणी में आता है ।

द्रव्य दुरुपयोग का अर्थ है कि अवैध द्रव्य का सेवन तथा वैध द्रव्य का अनुचित प्रयोग, जिससे शारीरिक व मानसिक हानि होती है । यह व्यसन भी सस्ता होने की वजह से निम्न और युवा वर्ग में लोकप्रिय है । चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाईयाँ व्यक्ति की उम्र, उसके शरीर और रोग की तीव्रता को देखकर लिखी जाती है । परन्तु दवा का असर जानकर बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के उसका सेवन नशे के सागर में गोते लगवा देता है ।

बाजार में मिलने बाली नींद की दवाईयों में, अवसाद विरोधी दवाईयों में, दर्दनाशक दवाईयों और खाँसी की (कफ सीरप) दवाईयों में पाये जाने वाले पदार्थ कुछ समय तक नियमित इस्तेमाल के बाद व्यक्ति को इसका लती बना देते है ।

यह नशा व्यैक्तिक विघटन करता है और व्यैक्तिक विधान से धीरे-धीरे व्यक्ति अपराध बोध से परिवार से विमुखता शुरू कर देता है । स्थिति कई बार इतनी गंभीर हो जाती है कि परिवार के लिए भरण पोषण ढंग से न कर पाने के कारण तलाक तक की नौबत आ जाती है और तलाक जैसी घटना कई सामुदायिक समस्याओं को भी जन्म देती है । देश के विकास का माही स्तम्भ 'युवा' जिसमें अगर नशे की दीमक लग गयी हो तो वह राष्ट्र विकास का भार अपने कंधो पर कितनी कुशलता से ढो सकता है, कल्पना की जा सकती है ।

इस प्रकार ऐलोपौथिक दवाईयाँ का दुरूपयोग भी एक व्यसन बन चुका है । और सामाजिक समस्या भी है ।

बोध प्रश्न-1

1. एक व्यसन ने रूप में शराब किस तरह नुकसान दायक है ?
2. क्या अफीम का व्यसन समाज के लिए नुकसान दायक है? अगर हाँ तो कैसे ?
3. होरोइन और ब्राउनशुगर किस तरह से बनती है ?
4. एक व्यक्ति जो गांजे का व्यसनी है उसे किन-किन समस्याओं का सामना करना पाड़ सकता है ?
5. ऐलोपैथिक दवाईयाँ किस तरह से द्रव्य दुरुपयोग के अन्तर्गत आती है ?

3.5 राजस्थान में व्यसन उपलब्धता के कारण

अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है - Phoenix अर्थात । Legendary Bird यानि एक ऐसा कल्पित पक्षी जो स्वयं जलकर मर जाता है और उसी राज से पुन: पैदा हो जाता है । हिन्दी में हम इसे 'अमर पक्षी' भी कह सकते है ।

अस्तित्व की दृष्टि से देखे तों नशा भी इसी अमरपक्षी की तरह नजर आता है जो वक्त के कड़े विरोध के समय तो मर जाता है परन्तु वक्त बदलते ही स्वयं पैदा हो जाता है । हमारे समाज में बहुत से कारक ऐसे हैं जो इसकी उपलब्धता को बनाये रखने में सहायक होते हैं । इन्ही की वजह से नशे का यह व्यसन अपनी उपलब्धता बनाये रखने में कामयाब हुआ है । ये निम्न हैं:-

3.5.1 धार्मिक कारण

इसके अन्तर्गत हम पौराणिक कथाओं और ग्रन्थों का हवाला रखते हैं, जिनका कि राजस्थानी समाज आज भी व्याख्यान करता है और नशे के व्यसन में धर्म का सहारा लेता है । मद्यपान के व्यसनी सबसे पहले ऋग्वेद में महिमा-मंडित ऐतिहासिक पेय 'सोमरस' का सहारा लेते हैं । यह भांग की तरह शक्तिशाली पेय था । मद्यपान करने वाला यह कुतर्क देता है कि देवतागण जिनकी हम पूजा करते हैं वे भी सोमरस का सेवन करते थे । जब वो पीत थे, तो मेरे पीने में क्या बुराई है । जब भगवान, श्रेष्ठ ऋषि मुनि, राजा-महाराजा और हमारे पूर्वज इसका सेवन करते थे, तो मेरे सेवन करने में क्या समस्या है । राजस्थान के कई मंदिरों में शराब प्रसाद रूप में चढ़ाई जाती है । और उस प्रसाद को इंकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

भांग के नशेड़ी मांग को शिबजी का प्रसाद बताते हैं । एक पौराणिक आख्यान के अनुसार पारिवारिक झगड़ों से क्रुद्ध भगवान शिव वनों में गए । वहां ऊंचे-ऊंचे सन् के पौधों की छाया में उन्हे धूप के ताप से शान्ति व ठंडक मिली । जिज्ञासावश उन्होंने इसकी कुछ पत्तियां खाई और तरोजाता महसूस किया । इसके बाद भांग उनका प्रिय भोग हो गई और उन्हें 'भांग का देवता' कहा जाने लगा।

'अथर्ववेद' में भी मांग का जिक्र 5 पादप साम्राज्यों में से एक के रूप में किया गया है जो हमें चिंताओं से मुक्त करते है ।

'अलिफ-लैला' जैसे ग्रन्थों में भी भांग को काफी महिमामंडित किया गया ।

मुस्लिम धर्मग्रन्थ 'कुरान' में सुरा पीने पर पाबंदी है । अत: मुसलमानों ने धर्मग्रन्थ में लिखी बात का फायदा उठाया और शराब के अलावा को अफीम, भांग-गांजा इत्यादि को खूब अपनाया । इस प्रकार व्यसनियों ने धर्म का सहारा लेकर नशे की उपलब्धता बनाएं रखी ।

3.5.2 भौगोलिक कारण

भारत संसार के सबसे बडे अवैध व्यापार क्षेत्रों के बीच स्थित है । ये क्षैत्र ''सुनहरा चाँद'' और ''सुनहरा त्रिकोण'' कहलाते हैं सुनहरा चाँद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आता है । और सुनहरा त्रिकोण के अन्तर्गत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बर्मा, थाईलैण्ड और लाओस आते हैं । इन दोनों के अलावा उत्तर में नेपाल देश है जो विश्व बाजार में गांजा और चरस की आपूर्ति का सबसे बडा स्रोत है ।

भारत में राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है । अत: सीमा पार तस्करी से नशा आता जाता है । पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिकता नशे की तस्करी के लिए उपयुक्त साबित हुई है ।

इसके अलावा झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड और कोटा इत्यादि जिलों में अनुकूल मिट्टी व जलवायु की वजह से अफीम की खेती की जाती है । इसमें कानूनी नियंत्रण के बावजूद तस्कर मुँहमांगी कीमत देकर अफीम प्राप्त करने में सफल भी हो जाते हैं । यहाँ से प्राप्त अफीम और तस्करी से प्राप्त नशा दलालों के माध्यम से जगज-जगह भेज दिया जाता है और व्यसनियों को आसानी से नशा उपलब्ध हो जाता है ।

3.5.3 सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

राजस्थान में नशे के व्यसन की उपलब्धता के लिए प्रथाओं और परम्पराओं का सहारा लिया गया । मेवाड़ और मारवाड़ में अफीम बच्चों को दादी माँ के नुस्खे के रूप में दी जाती है । बचपन से युवा होते-होते वह अफीम से इतना परिचित हो चुका होता है कि अफीम का सेवन उसके लिए सामान्य होता है । विशेषकर राजपूतों में अफीम के सेवन को 'पौरूष' से जोड कर देखा जाता है । चूंकि उनके पूर्वज अफीम सेवन करते थे । अत: वे भी इसे सम्मानपूर्वक लिये जा रहे है । यहाँ तक कि यह उनकी शिष्टाचार प्रणाली में शामिल हो गया है । चाहे उत्सव हो या गमीं अफीम सेवन जरूरी है । यह इस कदर हावी है कि कई घर जो स्वयं अफीम के दुर्गुणों से परिचित होकर इसका सेवन नहीं करते, उन्हें भी घर में मेहमानों के लिए अफीम रखनी पड़ती है और शिष्टाचार पूरा करना पड़ता है ।

मेहमान को इसकी पेशकश ना करने पर सामाजिक निंदा ब सामाजिक बहिष्कार तक का भय है । राजस्थान के कुछ इलाकों में अफीम की पेशकश चाय व शर्बत की तरह की जाती है । अफीम को भी दवाई का नाम देकर समाज इस पर रोक नहीं लगाता । थोड़ी बहुत मात्रा में भांग और शराब का सेवन सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है । गॉवों में विशेशकर साधु और फकीर, मवेशी चराने वाले खुले आम गांजे का सेवन करते हैं, समाज कोई आपत्ति नहीं करता ।

इस प्रकार हम पाते है कि व्यसन की प्रथम अवस्था पर, जिस पर व्यक्ति नशे से परिचित होता है, समाज कोई आपत्ति नहीं करता । अत: समाज की मौन स्वीकृति ही इसकी उपलब्धता का कारण बनती है ।

3.5.4 राज्य द्वारा उपलब्धता

राज्य को अपनी जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता होती है । यह धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीकों द्वारा एकत्रित किया जाता है । धन का एक बहुत बड़ा भाग राज्य इन मादक पदार्थो की उपलब्धता से प्राप्त करता है ।

यह आय राज्य को ठेका प्रणाली से प्राप्त होती है । राजस्थान में शराब, मांग, गांजा, आदि के ठेके प्रचुरता से उपलब्ध हैं । ठेके की उपलब्धता के पीछे राज्य इन नशीले पदार्थो की सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति पर जोर देता है और इनकी उपलब्धता बनाएं आय राज्य का एकमात्र लक्ष्य राजस प्राप्ति होता है और कुछ नहीं । राज्य के कारण भी समाज में व्यसनों की निरन्तरता पाई जाती है । उदाहरण : राजस्थान में नई आबकारी नीति से शराब के कारोबार में 200 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । राज्यों के लिए यह बिक्री कर के बाद आमदनी का दूसरा सबसे बडा जरिया है । राज्य की राजस्व आमदनी में इसका हिस्सा 15-20 प्रतिशत होता है । इसी के चलते राज्य व्यसन उपलब्धता में सहायक होता है ।

3.5.5 मनोविकारिय कारण

नशे की उपलब्धता बनाऐं रखने में मनोविकारिय कारण अहम है । मनोचिकित्सकीय अध्ययनों से पता चलता है कि मादक पदार्थो का सेवन अधिकतर दे लोग करते है जो मनोरोगी समझे जाते है । ऐसे व्यक्ति वे होते है जो स्वयं को अयोग्य, अकुशल और कमजोर समझते हैं । इनका संवेगात्मक विकास अधूरा होता है । इसके अलावा ये अति-संवेदनशील होते हैं । मादक पदार्थो का सेवन करने के बाद उन्हें लगता है कि वे निराशा को जीत सकते हैं तथा वे बलवान और आत्मनिर्भर बन रहे हैं । मूड परिवर्तन तथा सुखानुभूति की कामना भी इन मादक पदार्थो के सेवन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है । ऐसे व्यक्ति नशे के कारण हुई विस्मश्ति को ही सुख समझते है और इसका निरन्तर सेवन करते रहते है ।
सेवन के साथ ही साथ ये दूसरों को भी इसके सेवन के लिए प्रेरित करते है ।
अत: इस प्रकार मनोविकारिय कारण भी व्यसन उपलब्धता का एक मुख्य कारण हैं ।

3.5.6 सहज उपलब्धता के कारण

मादक पदार्थ चोरी-छिपे अवैध तरीको से हर जगह उपलब्ध है । इन पदार्थो को चिकित्सकीय द्दष्टि से ही लाया जा सकता है । परन्तु इसकी उपलब्धता अधिक मुनाफे के कारण अवैध तरीके से उपलब्ध कहा दी जाती है । न केवल राजस्थान बल्कि विश्व के अनेक देशों में कानूनन अपराध के बावजूद इनकी आपूर्ति या व्यवसाय अवैध रूप से जारी है ।

हमारे यहाँ साधु महात्माओं और फकीरों के पास नशीले पदार्थ मिलना आम बात है । आवागमन के तीव्र साधनों विशेषकर रेलों से ये पदार्थ आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपलब्ध करा दिये जाते है । विशेषकर ग्रामीण अंचलों में 70 प्रतिशत धर्मस्थलों के आस पास भांग का पौधा आसानी से लगा हुआ दिखाई दे जायेगा ।

इस तरह इन पदार्थो की निरन्तरता व उपलब्धता बनी रहती है । एक दिलचस्प तथ्य के अनुसार मात्र कफ सिरप जैसे फेसींडिल, कोरेक्स आदि की तस्करी से प्राप्त 200 करोड़ रूपये वार्षिक का मुनाफा तस्करों, विद्रोहियों और असामाजिक तत्वों के हाथों में जाता है । जो इसके लोकप्रिय व्यवसाय होने की पुष्टि करता है ।

3.5.7 उपलब्धता के अन्य कारण

इस व्यसन की उपलब्धता के पीछे कई अन्य कारण भी हैं। राजस्थान अभी भी गॉवों में बसता है। शिक्षा का प्रसार अपेक्षाकृत कम है। अत: शिक्षा के अभाव में नशे के विरूद्ध जागरूकता का अभाव है। आधुनिकरण की दौड़ में नशा करना आजकल फैशन हो गया है। नशा न करने बाला आजकल पिछड़ा या गंवार माना जाता है। इसके अलावा टी.वी. कार्यक्रमों का प्रभाव, निर्धनता, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु पारिवारिक नियंत्रण की कमी, बुरी संगत, शिक्षा प्रणाली की निरसता और वर्तमान सामाजिक समस्याएं अन्य कारण हैं। इसके अलावा शिक्षित वर्ग इसे बौद्धिक व्यक्तित्व में निखार, आंतरिक क्षमता के विकास, स्मरण शक्ति बढाने और अधिक परिश्रम के नाम पर अपना रहा है, जो कि चिन्ताजनक पहलू हैं।

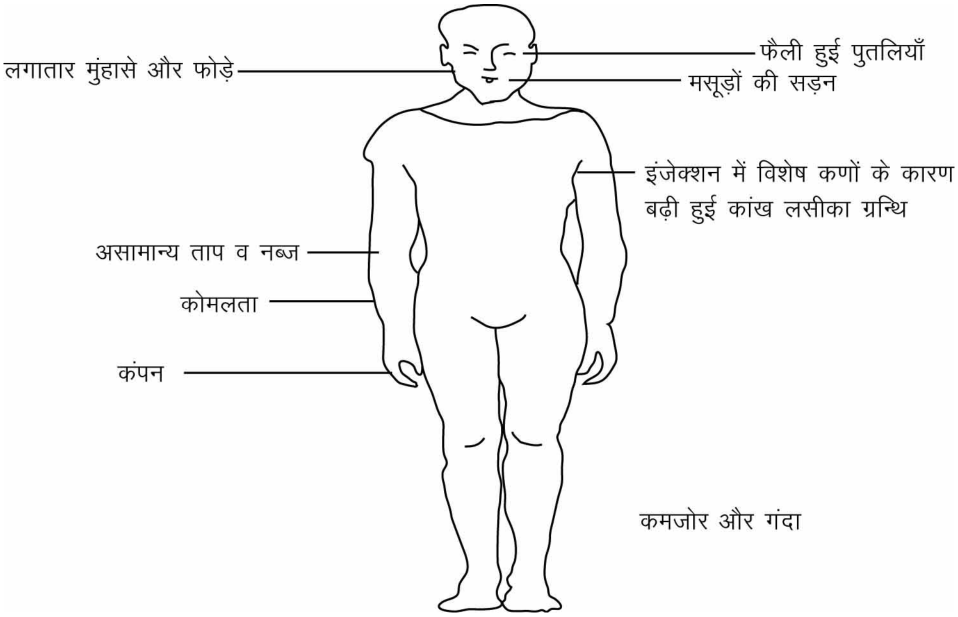

चित्र संख्या-3.5

बोध प्रश्न-2

1. राजस्थान में व्यसन उपलब्धता के धार्मिक कारणों को संक्षेप में समझाईये?
2. राजस्थान सीमावर्ती राज्य होने से व्यसनों से किस तरह प्रभवित है?
3. राज्य में व्यसन निरन्तरता के पीछे सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की भूमिका बताइये?
4. राजस्थान में सहज उपलब्धता के कारण व्यसन निरन्तरता समझाइये?

3.6 राजस्थान में व्यसन के प्रति धारणाएँ

धारणाएं उपलब्धता को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये व्यसन के प्रति संभावित बुराइयों को ध्यान में रखकर अपना कार्य (नियंत्रण) करती हैं। राजस्थान में व्यसन के प्रति निम्न धारणाएं प्रचलित हैं :-

3.6.1 व्यक्तिगत धारणा

कुछ विशेषज्ञ यह मानते है कि हर व्यक्ति नशे के कुप्रभावों से परिचित होता है । अत: वह कमी न कभी दृढ़ निश्चय या स्वविवेक से संबंधित नशे को छोड देता है या उस पर नियन्त्रण करता है ।

परन्तु व्यसनी होने के पश्चात व्यक्तिगत धारणा द्वारा व्यसन पर नियन्त्रण करने वालों का प्रतिशत 2.5 प्रतिशत ही होता है ।

3.6.2 सामाजिक धारणा

किसी भी व्यसनी के प्रति समाज अपना रवैया कठोर रखता है । समाज ऐसे व्यक्ति को सामाजिक दण्ड देता है । ये सामाजिक दण्ड उसकी सार्वजनिक खिल्ली उड़ाकर, उससे दूरी बनाकर, उसके परिवार से भी दूरी रखकर दिये जाते हैं ।

राजस्थान में अपमान स्वरूप भांग खाने वाले को भंगेड़ी, गांजा, सम्यक, चरस पीने वालों को प्रताड़ना स्वरूप क्रमश: गंजेड़ी, स्मैकची और चरसी कहा जाता है । राजस्थान में मद्यपान के व्यसनी को 'दारूढ़ा' कहकर अपमानित किया जाता है। इसके अलावा भी व्यसनियों की सार्वजीनक निंदा की जाती है ।

इन सब के बावजूद भी व्यसनी यदि अपने में सुधार नहीं लाता है तो उसे जाति या गॉव से बहिष्कृत कर दिया जाता है और उससे पूर्णत: संबंध तोड़ लिए जाते है । गॉव में या जाति में व्यसनी से संबंध पर अन्य व्यक्तियों या संबंधियों को भी दण्डित कर व्यसन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है ।

3.6.3 राज्य की धारणा

राज्य इन व्यसनों के प्रति आम नागरिक में जागृति पैदा करता है । यह जागृति व्यसन के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पक्ष की हानि को मद्देनजर रखकर पैदा की जाती है । राज्य किसी भी व्यसन के कुप्रभावों को जनता में प्रचारित करता है । यह नीति व्यसन से भय दिखलाने की होती है ताकि बसनी स्वयं या उसका परिवार इनके कुप्रभावों को जानने के बाद व्यसन छोड़ दे । राज्य विभिन्न तरीकों से व्यसन छोड़ने बालों को सहायता प्रदान करता है । राज्य व्यसन छोड़ने के लिए व्यसनी को चिकित्सकीय सहायता, मनोचिकित्सा, पर्यावरण चिकित्सा और विशेषज्ञ सलाह मुफ्त या बहु त कम दामों पर उपलब्ध कराता है ।

इन सब उपायों के अलावा राज्य समय-समय पर इस सामाजिक समस्या के प्रति विशेषज्ञ सलाह सेमीनार और कान्फ्रेन्सों के माध्यम से एकत्रित करता है । विशेषज्ञों की सलाह पर राज्य विभिन्न नियम पारित और संशोधित करता है ताकि व्यसन की रोकथाम की जा सके । इसके अलावा राज्य विभिन्न कानूनों को समय-समय पर पारित कर इस सामाजिक समस्या को नियन्त्रित करने का प्रयास करता है । संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों को राज्य की विशेशज्ञ ऐजेन्सियाँ दण्ड देती हैं। यह दण्ड अपराध की गंभीरता को देखते हु ए निर्धारित किया जाता है । इस प्रकार राज्य विभिन्न तरीके अपनाकर व्यसन उपलब्धता पर रोक लगाता है ।

इस प्रकार हम पाते हैं कि व्यसन की रोकथाम के प्रति व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य की धारणाएँ कार्य करती है । और इस सामाजिक समस्या की गंभीरता पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है ।

बोध प्रश्न-3

1. व्यसन के प्रति सामाजिक धारणा किस प्रकार व्यसनों पर नियंत्रण करती है ?
2. राज्य किस प्रकार व्यसन नियंत्रण में सहायक है ?
3. इस सामाजिक समस्या के निवारण हेतु आपके सुझाव बताइए ।

इन सब उपायों के बाद भी इस सामाजिक समस्या की रोकथाम के लिए हमें कुछ अन्य सुझावों पर गौर करना होगा जो निम्न हैं :-

1. इस सामाजिक बुराई के प्रति व्यसन चेतना अभियान छेड़ा जाए ।
2. इसके शैक्षणिक उपायों में कक्षा 8 से ही व्यसन के कुप्रभावों से अवगत कराया जाए ।
3. .इसे सामाजिक समस्या के साथ-साथ चिकित्सकीय समस्या भी घोषित किया जाए ।
4. परिवार की भागीदारी इस समस्या के उन्मूलन में प्रभावशाली है । अत: माता-पिता की बच्चों के व्यवहार व आदतों के प्रति सजगता उन्हें दलदल में फंसने से रोक सकती है ।
5. आर्थिक लाभ के चलते बिना चिकित्सकीय सलाह के विशिष्ट दवाईयाँ देने वाले दवा-विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ।
6. सरकार को व्यसनियों के उपचार के लिए परामर्श केन्द्र और विप्यसन केन्द्र की संख्याओं में इजाफा (बढोतरी) करनी चाहिए ।
7. बुरी संगत इसके प्रसार का सबसे बडा कारण है । अत: संगी-साथियों का चुनाव सोच समझ कर करें ।
8. स्वयं सेवी संस्थाओं को इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकार को अधिक योगदान देना चाहिए ।
9. इस मुहिम को प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक कार्यो में अग्रज व्यक्ति, फिल्मी हस्तियाँ, प्रतिस्थापित खिलाड़ी और औधोगिक घरानों को साथ लेना चाहिए ।
10. N.D.P.C Act 1985 मे दण्ड प्रावधान और कठोर करने चाहिऐ ।

3.8 सारांश

इस इकाई में आपने राजस्थान में व्यसन उपलब्धता और धारणा के बारे में पढा । राजस्थान के समाज में उपलब्ध बहु प्रचलित व्यसन शराब, अफीम, हेरोइन / ब्राउन शुगर, भांग, गांजा और ऐलोपौथिक दवाईयाँ हैं । जो वयक्तिक विघटन के साथ-साथ सामाजिक विघटन कर सामाजिक समस्या के रूप में खडे है ।

राज्य में इन व्यसनों की निरन्तरता के पीछे धार्मिक कारण, भौगोलिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, राज्य द्वारा उपलब्ध, मनोविकारिय कारण, सहज उपलब्धता के कारण और उपलब्धता के अन्य कारण मुख्य है ।

उपलब्धता को नियन्त्रित करने में धारणाएँ काम आती हैं । इन मुख्य धारणाओं में व्यक्तिगत धारणा, सामाजिक धारणा और राज्य की धारणाएँ व्यसन को अपने-अपने हिसाब से नियन्त्रित करती है ताकि समाज में यह समस्या विकराल रूप धारण न करें ।

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

प्र.1 सामाजिक समस्या से आप क्या समझते है?

उत्तर डब्लयू वेलेस बीयर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिन्ता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है । यह समाज में उपस्थित बडी संख्याँ में लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है और इसके समाधान के लिए समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है । ये समाज की संरचना के लिए हानिकारक होती है और दूरगामी अर्थो में राष्ट्र को भी प्रभावित करती है ।

प्र.2 व्यसन किसे कहते है? समझाईये ।

उत्तर व्यसन अधिकांशत: शारीरिक स्थिति दर्शाता है । यह वह स्थिति है जिसमें शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरन्तर सेवन चाहिए । यानि व्यक्ति का शरीर उस द्रव्य के प्रभावों पर इतना निर्भर हो गया है कि, उसके बिना वह रह नहीं सकता । वह उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है । यही व्यसन है ।

प्र.3 एक व्यसन के रूप में शराब किस तरह नुकसान दायक है ?

उत्तर एक व्यसन के रुप में शराब नुकसान दायक है जब व्यक्ति उसका आदतन होकर सामाजिक मान्यताओं और कानून को तोड़ता है और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकासानदायक कुप्रभाव पैदा करता है । साथ ही साथ जब इसके व्यसन से वयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामुदायिक विघटन और अपराध जैसे कारक पैदा होने लगते है, उस स्थिति में यह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के लिए नुकसानदायी है ।

प्र.4 क्या अफीम का व्यसन समाज के लिए नुकसान दायक है, अगर हां तो कैसे ?

उत्तर हाँ, अफीम का व्यसन समाज के लिए नुकसान दायक है । राजस्थान के समाज में लड़की पैदा होने पर अफीम देकर मारने की घटनाऐं होती हैं । इसके प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए ढेरों दुष्प्रचार प्रचलित है जैसे साहस बढाती है, सहवास की अवधि बढ़ाती है आदि-आदि । जिस तरह से शराब एक व्यसन के रूप में समाज व राष्ट्र को नुकसान पहुँचाती है उसी तरह अफीम भी समाज के लिए नुकसानदायक है ।

प्र.5 हेरोइन और ब्राउन शुगर कैसे बनती है?

उत्तर हेरोइन अफीम का एक उप-उत्पाद है । जब अफीम के मुख्य रसायन मार्फीन की सिरका यानि जल विहीन एसिटिक एसिड़ से क्रिया कराते हैं तो हेरोइन बनती है । और हेरोइन में शुद्व गुड़ मिला दिया जाता है तो उसका रंग सफेद से भूरा हो जाता है और यह भूरी हेरोइन अवैध व्यापार की भाषा में ब्राउनशुगर कहलाती है ।

प्र.6 एक व्यक्ति जो गांजे का व्यसनी है उसे किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

उत्तर गांजा पीते ही मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है । इसके सेवन से व्यक्ति को नकारात्मक विचार आ सकते है । फलत: बह अत्यधिक रक्षात्मक हो जाता है और वह किसी की भी हत्या

तक कर सकता है । इसका सेवन व्यक्ति को नपुंसकता की ओर ले जाता है । गांजा छोड़ने पर अचानक व्यसनी को पागलपन के लक्षण से पैदा हो सकते हैं । जिसके पीने से मानसिक संतुलन ही गड़बड़ा जाए, ऐसे व्यक्ति से उस दशा में कोई सकारात्मक उम्मीद ही नहीं की जा सकती है ।

प्र.7 ऐलोपैथिक दवाईयाँ किस तरह से द्रव्य दूरूपयोग के तहत आती है ?

उत्तर जिन दवाईयों के वैध सेवन से हम स्वास्थ्य लाम प्राप्त करते हैं । उन्हीं ऐलोपैथिक दवाइयों का अनुचित प्रयोग जिससे शारीरिक और मानसिक हानि हो, द्रव्य दुरूपयोग के तहत आता है । उदाहरण के लिए देखें तो चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाईयाँ आपकी उम्र शरीर और रोग की तीव्रता के आधार पर चयनित होती हैं । परन्तु मात्र उस दवा का असर जानकर बिना किसी चिकित्सकीय सलाह से उसका नियमित उपयोग आपको उस दवा का व्यसनी भी बना सकता है । अत: अवैध द्रव्य सेवन और वैध द्रव्य का अनुचित प्रयोग द्रव्य दुरूपयोग के अन्तर्गत आता है।

प्र.8 राजस्थान में व्यसन उपलब्धता के धार्मिक कारणों को संक्षेप में समझाईये ।

उत्तर राजस्थान में मद्यपान के व्यसनी मद्यपान को उचित ठहराने के लिए ऋग्वेद में महिमामंडित सोमरस का सहारा लेते हैं । यहाँ भैरव और कई देवियों के मंदिर में शराब का प्रसाद चढाया जाता है । भांग के नशेड़ी भांग को शिवजी का प्रसाद मानते हैं । मुसलमान कुरान में शराब के अलावा अन्य नशे की लिखित मनाही न होने के कारण धर्म का सहारा लेते हैं । इस तरह से राजस्थान में धार्मिक कारण व्यसन उपलब्धता बनाए हुए हैं ।

प्र.9 राजस्थान सीमावर्ती राज्य होने से व्यसनों से किस तरह प्रभावित है?

उत्तर राजस्थान में अफीम की खेती होती है । और इसकी सीमा पड़ौसी राष्ट्र पाकिस्तान से मिलती हैं जहाँ नशे का अवैध व्यापार बड़ी मात्रा में होता है । सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गम रेगिस्तान होने के कारण यहाँ से नशे की तस्करी भी होती है जो दलालों के माध्यम से पूरे राज्य और देश में भी भेज दिया जाता है । इस तरह से सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहाँ व्यसन उपलब्धता आसानी से हो रही है ।

प्र.10 राजस्थान में व्यसन निरन्तरता के पीछे सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की भूमिका बताईये ।

उत्तर राजस्थान के लोगों ने व्यसन उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रथाओं और परम्पराओं का सहारा लिया । यहाँ अफीम को खुशी हो या गमी सबमें शामिल किया जाता है । उसके बिना सहारा अधूरा है । यह शिष्टाचार का अंग बन गयी है । यहाँ साधु सन्तों और फकीरों को नशे का सेवन करते देखना आम बात है । यह सामाजिक सांस्कृतिक रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि खुलेआम उनके भांग, गांजा या चरस पीने पर कोई आपत्ति नहीं करता ।

प्र.11 राजस्थान में सहज उपलब्धता के कारण व्यसन निरन्तरता समझाईये ।

उत्तर संचार और आवागमन के तीव्र साधनों से आज मादक पदार्थ राज्य में अवैध रूप से हर जगह मौजूद है । इसके कारोबार में अत्यधिक मुनाफा होने के कारण अवैध रूप से चोरी छिपे उपलब्ध हो जाती है । अत: सहज उपलब्ध हो जाने के कारण भी राजस्थान में व्यसन निरन्तरता बनी हुई है ।

प्र.12 व्यसन के प्रति सामाजिक धारणा किस प्रकार व्यसनों पर नियंत्रण करती है?

उत्तर किसी भी व्यसनी पर नियन्त्रण करने के लिए समाज उसे कई तरह से प्रताड़ित करता है । उसे सामाजिक दण्ड के रूप में सार्वजनिक खिल्ली उड़ाई जाती है । उसके व्यसन के आधार पर नाम रख दिया जाता है जैसे ज्यादा शराब पीने वाले को 'दारुड़ा' कहा जाता है । व्यसनी अब भी अपने में सुधार नहीं करता है तो सामाजिक दण्ड के रूप में अन्य लोगों को उससे संबंध रखने के लिए कठोरता से मना कर दिया जाता है । कई बार व्यक्ति को जात-निकाला, गॉव-निकाला देकर भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है ।

प्र.13 राज्य किस प्रकार व्यसन नियन्त्रण में सहायक है ?

उत्तर राज्य जनता को व्यसनों के दुष्प्रभावों के बारे में बताता है । राज्य व्यसन के कुप्रभाव जनता में प्रचारित करता है । व्यसन छोड़ने वालों को राज्य चिकित्सकीय सहायता, मनोचिकित्सा, पर्यावरण चिकित्सा और विशेषज्ञ सलाह मुफ्त या बहुत कम दामों पर उपलब्ध कराता है । इन सब के अलावा राज्य व्यसनों से संबंधित विशेषज्ञों को समय - समय पर सलाह, सेमीनार और कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से एकत्रित करता है ताकि समस्या का निदान किया जा सके । इसके अलावा राज्य अपनी विशेषज्ञ ऐजेन्सियों और कानून के माध्यम से भी व्यसन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है।

3.10 शब्दावली

नैराश्य	-	Disappointment	विघटन	-	Disorganisation
आकांक्षा	-	Aspiration	सामाजिक मानदण्ड	-	Social Norms
अवलोकनकर्ता	-	Observer	शिश्न	-	Penis
सामंजस्य	-	Adjustment	नपुंसकता	-	Impotency
प्रतिमान	-	Pattern	संश्लेषित	-	Synthetic
विचलन	-	Deviance	संवेगात्मक विकास	-	Emotional Development
व्यसन	-	Addiction	मनोविकारिय	-	Psychological
द्रव्य	-	Drug	आध्यात्मिक	-	Spiritual
नाड़ी मण्डल	-	Nervous System			

राबड़ी : यह विशिष्ट अनाजों (गेहूँ/जौ/बाजरा/मक्का) और छाछ का मिश्रण है ।

महुआ : एक पेड़ का नाम जिसके फूलों से आदिवासी शराब बनाते हैं ।

कीकर : एक कांटेदार पेड़ जिसकी छाल का उपयोग कच्ची शराब बनाने में करते हैं ।

3.11 संदर्भ ग्रन्थ

1. अनिल कुमार : मादक औषधियाँ
2. ए.कुमार : सोशाईटल स्ट्रक्चर एण्ड सोशीयल प्राब्लम्स
3. अर्नेस्ट एल.एबेल 1980 : मैरिजुआना : द फर्स्ट ट्वेल्व थाइलैण्ड ईयर्स
4. डॉ. राम आहूजा : सोशल प्रोब्लम्स इन इण्डिया
5. डॉ. एस.सी. राजौरा : समकालीन भारत की समकालीन समस्याऐं ।

6. एच.के.रावत : उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश

इकाई-4

राजस्थान में नशा प्रकोप

इकाई की रुपरेखा

4.0 उद्देश्य
4.1 प्रस्तावना
4.2 विभिन्न देशों में मादक द्रव्य सेवन
4.2.1 मादक द्रव्यों की श्रेणियां
4.2.2 शौक अथवा फैशन से व्यसन की ओर
4.2.3 मूल अवधारणाएं
4.2.4 मादक द्रव्य और उनके प्रकार
4.3 भारत में मादक द्रव्य
4.4 राजस्थान में मादक द्रव्य व्यसन
4.5 कुछ महत्तवपूर्ण अनुसंधान
4.5.1 विधार्थियों पर किये गए अनुसंधान
4.5.2 औधोगिक श्रमिकों पर अनुसंधान
4.5.3 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान
4.6 नगरीय क्षेत्रों में मादक द्रव्य व्यसन
4.7 मादक द्रव्यों के सेवन के कारण
4.8 मादक द्रव्य छोड़ने के कारण
4.9 सारांश
4.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
4.11 शब्दावली
4.12 संदर्भ ग्रन्थ

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- नशा क्या होता है और यह कैसे होता है यह जान सकेंगे
- राजस्थान राज्य में द्रव्य सेवन की स्थिति समझ पायेंगे
- राजस्थान में द्रव्य व्यसन का क्या इतिहास रहा है और अब परिवर्तन का क्या स्वरुप है यह जान पायेंगे
- द्रव्य व्यसन के सांख्यिकीय विवरण जानने में सक्षम होंगे
- मादक द्रव्य व्यसन पर आधारित अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष समझ पायेंगे

4.1 प्रस्तावना

प्रागैतिहासिक काल से ही मानव मद्‌य एवं मादक पदार्थो का प्रयोग करता आया है । हमारे धार्मिक आध्यात्मिक, पौराणिक ग्रन्थों में इनके प्रयोग के प्रबल प्रमाण मिलते हैं । ऋग्वेद में 'सोमरस, अमृत ' तो कई जगह 'सुरा' कहा गया है । कई हिन्दू देवी-देवताओं को पूजा में शराब चढ़ाने की प्रथा बहु त पुरानी है । भांग, गांजा और धतुरा विशेष पूजा में शिव को आज भी कई जगह चढ़ाया जाता है । विश्व के सभी देशों और समाजों में किसी न किसी मादक पदार्थ या पदार्थो का सेवन किया जाता रहा है ।

भारत एवं यूरोपीय देशों में 4000 वर्षा से पूर्व भी पोस्त (अफीम) की खेती होती थी । उससे अफीम एवं अन्य नशीले पदार्थ निकाले जाते थे । ईजिप्ट, ग्रीक और रोम के पौराणिक ग्रन्थों में अफीम का पर्याप्त उल्लेख है । इसे 'शैतान के फूल' के नाम से जाना जाता रहा है । ईश्वर के प्रति निकटता की अनुभूति के लिए दक्षिण अमेरिका के ' इका ' कोका पौधे के पत्तों को चबाकर परमानन्द की प्राप्ति करते थे । कोका के पत्तों में उपलब्ध तल को वर्तमान में कोकीन के नाम से जाना जाता है ।

मादक पदार्थो का सेवन मानव शरीर के केन्द्रीय स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है । इसके प्रयोग से शरीरिक वेदना या कष्ट और मनोव्यथा से मुक्ति मिलती है । इसे परमानन्द की अनुभूति के लिए, तो कई लोग चिन्तन-मनन, प्रसन्नता अथवा मनोरंजन हेतु भी प्रयोग में लाते हैं । दवाई या इलाज के रुप में इसकी उपयोगिता निश्चित एवं सीमीत मात्रा में उसके प्रयोग पर निर्भर है । लेकिन मौज -मस्ती के लिए अथवा असीमीत एवं निरन्तर प्रयोग करने पर यह हानिकारक प्रभाव पैदा करने लगता है और व्यक्ति स्वयं में समस्या बन जाता है ।

मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों और समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मादक पदार्थो का निर्माण जिन पदार्थों और जिस पद्धति से होता है, वे मानव के शरीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं । यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्व के सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन के साथ-साथ इन द्रव्यों के उपभोग की विधियों में परिवर्तन आया है । इससे उनके हानिकारक प्रभावों में वृद्धि ही हुई है ।

4.2 विभिन्न देशों में मादक द्रव्य सेवन

अन्तर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स द्‌वारा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रीय सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1991 में मादक द्रव्यों का सेवन कुछ विकसित देशों में कम है तो कुछ विकासशील देशों में बढ़ा है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देशों में कम है तो कुछ विकासशील देशों में बढ़ा है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार

क्र.स.	देश	मादक पदार्थ
1.	रूस	गांजा व चरस का सेवन करने वालों की संख्या 1985-90 के बीच दुगुनी होकर 1 लाख 40 हजार हो गई ।
2.	युरोप	हेरोइन का उपयोग लगभग नगण्य रहा है । कोकीन का सेवन बढ़ गया है।
3.	उत्तरी अमेरीका	गांजा, चरस एवं कोकीन की मांग काफी बढ़ी है । 1990 में अमेरिका कनाडा में मादक द्रव्य दुरुपयोग का सामाजिक - आर्थिक व्यय प्रतिवर्ष 60 बिलियन डॉलर आंका गया है । लेकिन हेरोइन व कोकीन का उपयोग अब निरन्तर कम होता जा रहा है ।
4.	अफ्रीका	मादक द्रव्यों का सेवन पूरे महाद्वीप में फैल चुका है ।
5.	दक्षिण अफ्रीका	हेरोइन की आसान उपलब्धि के कारण इसका दुरुपयोग पर्याप्त है ।
6.	आस्ट्रेलिया	हेरोइन व्यसनियों की संख्या में तीव्र वृद्धि ।
7.	दक्षिण एशिया	बांग्लादेश में मादक द्रव्यों का सेवन अत्यधिक बढ़ रहा है ।
8.	भारत	प्रमुख शहरों में मादक पदार्थो के सेवन कर्ताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।
9.	चीन	दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रों में पाये जाने वाला हेरोइन का उपयोग अन्य भागों में भी फैल रहा है ।
10.	जापान	कोकीन का प्रयोग सर्वाधिक बढा है ।
11.	मलेशिया	हेरोइन का उपयोग सर्वाधिक हैं ।
12.	बैंकाक	हेरोइन के प्रयोग के साथ एड्स भी फैल रहा है । लेकिन नये, दुरुपयोगियों की संख्या में कमी आई है ।

मादक द्रव्यों एवं मद्य के दुरुपयोग की समस्या संपूर्ण विश्व में व्याप्त है । मादक द्रव्यों का अधिकांश व्यापार स्वर्णिम त्रिकोण (जहां म्यामार, लाहोस और थाइलैण्ड की सीमाएं मिलती हैं) और स्वर्णिम बिंदु (जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं) से भारत के रास्ते होता है । उल्लेखनीय है कि विश्व में सर्वाधिक अफीम उत्पादक देश भारत और टर्की हैं और अमेरिका अपनी कुल आवश्यकता का 80 प्रतिशत भारत से आयात करता है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान भारत के प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य है ।

20 वीं सदी में संश्लेषित मादक द्रव्यों का प्रारंभ चिकित्सकीय उपयोगों हेतु किया गया था, लेकिन आज विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इन मादक द्रव्यों के व्यसन की गिरफ्त में है । पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण, कुंठा और अनिश्चित भविष्य की चिंताओं ने भारतीय युवा पीढ़ी के कई सदस्यों को मादक द्रव्यों के सेवन हेतु प्रेरित किया है । इस हेतु सर्वाधिक विवादास्पद भूमिका चैनल मीडिया और आधुनिक फिल्मों की है ।

यधपि अन्य देशों की तुलना में भारत में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और व्यसन करने वालों का अनुपात अपेक्षाकृत बहुत कम है तथाति पश्चिमी देशों की जीवन शैली के अंधानुकरण से इसमें तीव्रोत्तर वृद्धि हो रही है । व्यसनियों की तीव्रवृद्धि का सीधा प्रभाव उत्पादकता शक्ति एवं उत्पादकता

में कमी में दिखाई देता है । मादक द्रव्यों और मद्यपान के सेवन से व्यक्तियों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य धीरे- धीरे क्षीण होता चला जाता है । इसका प्रभाव उनकी कार्यक्षमता में कमी के रुप में देखा जा सकता है । न सिर्फ दुर्घटनाएं बढ़ती हैं वरन् व्यसनियों के पुनर्वासन तथा उपचार हेतु राजस्व भार भी बढ़ता है । मानव और सम्पत्ति का नाश होता है । व्यक्तिगत ही नहीं पारिवरिक विघटन भी प्रारंभ होने लगता है । मादक द्रव्य सेवन धर, परिवार और सुखी विवाहित जीवन को भी नष्ट करता चला जाता है । लोगों में हिंसा, बच्चों के प्रति उदासीनता, निर्धनता एवं अपराधिक प्रवृति भी बढ़ती जाती है ।

4.2.1 मादक द्रव्यों की श्रेणियां

मादक द्रव्यों को मस्तिष्क परिवर्तन पदार्थ भी कहा जाता है । विश्वभर में सर्वाधिक प्रचलित शराब और तम्बाकू हैं । इनके अतिरिक्त और भी मस्तिष्क परिवर्तनीय पदार्थ हैं । इन पदार्थो को हम तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं ।

1. प्राकृतिक उत्पाद : इसमें अफीम, गांजा, चरस, भांग, कोका की पत्तियां और मशरुम की कुछ किस्में आदि आते हैं ।
2. व्युत्पन्न / अमौलिक उत्पाद : ये वे उत्पाद हैं जो प्राकृतिक उत्पाद से विकसित किए जाते हैं । जैसे :- अफीम से हेरोइन, कोका से क्रेक एवं कोकीन ।
3. 3. औषधीय दवाइयां - दर्द, डिप्रेशन आदि में दी जाती हैं । इनमें से कई उच्च स्तरीय हैं । इनकी आदत पड़ने पर छोड़ना अत्यधिक कष्टदायक होता है ।

मादक द्रव्य :-

विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषश समिति (1950) के अनुसार -

"मादक व्यसन नियतकालिक अथवा दीर्घ स्थायी नशे की वह दशा है जो किसी द्रव्य (प्राकृतिक या कृत्रिम) के बारम्बार सेवन से उत्पन्न होती है ।" इसके प्रकृति सूचक हैं: (i) द्रव्य का निरंतर सेवन तथा येन केन प्रकारेण प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अथवा आवश्यकता (विवशता) (ii) सहनशीलता उत्पन्न होने के कारण खुराक में वृद्धि की प्रवृति और (iii) द्रव्य के प्रभाव की मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक निर्भरता।

4.2.2 शौक अथवा फैशन से व्यसन की ओर

भारत मादक द्रव्यों के मुख्य पारगमन केंद्र के रुप में माना जाता रहा है जहां से मादक द्रव्यों की तस्करी कुछ देशों से अन्य देशों में की जाती है । भारत में इसका सबसे बड़ा केन्द्र मुम्बई है । लेकिन पिछले दो-तीन दशकों से भारत में द्रव्य सेवन को घातक और दु:साध्य सामाजिक समस्या माना जाने लगा है । यह समस्या पहले भी थी, लेकिन इसे व्यक्तिगत समस्या के रुप मे अधिक देखा जाता था । तम्बाकू का सर्वाधिक प्रयोग गांवों तक में होता है । पुरुषों के साथ स्त्रियां भी इसका पर्याप्त प्रयोग करती हैं । वर्तमान में तम्बाकू का प्रयोग युवाओं एवं धूम्रपान के रुप में बच्चों में बढ़ता जा रहा है । मुंह, जबड़े और गले का कैंसर तम्बाकू के खाने से और फेफड़ों का कैंसर बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार आदि पीने से सामान्यत: होता है । इसके अतिरिक्त सर्वाधिक द्रव्य व्यसनों के प्रयोग के रुप में अफीम एवं हेरोइन है। इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन युवाओं में बढ़ता ही जा रहा है । मेडिकल एवं इंजिनियरिंग

के छात्र- छात्राओं विशेषकर छात्रावासों में रहने वालों में यह अत्यधिक तेजी से बढ़ता देखा जा सकता है ।

द्रव्य व्यसनी तम्बाकू के बाद मद्यपान के और उसके बाद अफीम एवं हेरोइन के व्यसनी सर्वाधिक देखें जा सकते हैं। मद्यपान, तम्बाकू एवं भांग का सामाजिक सरोकार है । विभिन्न विशिष्ट आयोजनों में इनका प्रयोग सामान्यत: समाज द्वारा स्वीकृत है । लेकिन अगर इसका अत्यधिक प्रयोग आदत का हिस्सा हो जाता है तो पहले व्यक्तिगत और तत्पश्चात् यह सामाजिक समस्या का रुप ले लेती है । जहां व 1989 में हेरोइन का सेवन करने वाले पांच लाख के लगभग थे । 1990 व 1993 में बढ़कर क्रमश: 10 और 12 लाख हो गये और 2006 में बढकर 20 लाख से कहीं अधिक हो चुके हैं । अफीम का सेवन करने बालों की संख्या 60 लाख के लगभग पहुंच चुकी है । महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अफीम का सेवन करने वाले नगरों में बढे हैं । लेकिन तुलनात्मक रुप से उन द्रव्य सेवकों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो मेडिकल ड्रग्स लेते रहे हैं । यानि मनोरोगी एवं डिप्रेशन के रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है क्योंकि आज के तीव्र आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरुप व्यक्ति कार्यस्थल एवं धर में तनावों से ग्रस्त रहते हैं । इसमें स्त्रियों की संख्या और भी तेजी से बढ़ रही है । तेजी से बढ़ रहे मादक द्रव्यों का व्यापार एवं मादक द्रव्य सेवन का अनुमान नारकोटिक्स एवं पुलिस द्वारा पकड़े जाने वाले तस्करों की संख्या से आसानी से लगाया जा सकता है ।

इतना कुछ होते हुए भी, भारत में मादक पदार्थों का उपयोग अभी भी 'असामाजिक व्यवहार' न मानकर विपथगामी व्यवहार ही माना जा रहा है । व्यक्ति का विपथगामी व्यवहार वह है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों के उल्लंघनों को छुपाता है । वह प्रतिमानों से विचलन उसकी वैद्यता को चुनौती दिए बिना करता है और बिना प्रतिमानों में परिवर्तन के लिए सुझाव देकर उनकी अवज्ञा के कारण मिलने वाले दण्ड से बचने की निरंतर कौशिश करता है । उसका प्राथमिक उद्देश्य स्वयं की संतुष्टी होता है । उसके मस्तिष्क में शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी हानि के प्रति चिंता भी नहीं होती । मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित शब्दावली में पाई जाने वाली मूल अवधारणाओं को स्पष्ट करना इन्हें समझने के लिए आवश्यक होगा ।

4.2.3 मूल अवधारणाएं

द्रव्य :- सामान्यत: यह एक रासायनिक पदार्थ होता है । इसके सेवन से व्यक्ति पर कुछ विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव पड़ते हैं । यह व्यक्ति की सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं और प्रकार्यों को परिवर्तित करता है । चिकित्सकीय शब्दावली में यह वह पदार्थ होता है जिसे चिकित्सक द्वारा नुस्खे के रुप में बीमारी विशेष में दिया जाता है ताकि व्यक्ति की पीड़ा या बीमारी का उपचार हो सके । मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय अर्थो में यह ऐसी वस्तु है जिसके उपयोग से मस्तिष्क व स्नायुमण्डल को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित किया जाता है । अर्थात् यह एक ऐसा द्रव्य होता है जो शरीर के कार्य, मनःस्थिति,अनुभव व चेतना को प्रभावित करता है, जिसमें दुरुपयोग की क्षमता है और जो व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक हो सकता है । इसे लेने की आदत नहीं होनी चाहिए । ऐसे द्रव्यों का बारम्बार सेवन खतरनाक समझा जाता है ।

द्रव्य दुरुपयोग :- जब अवैद्य द्रव्य का सेवन और वैद्य द्रव्य का अनुचित प्रयोग किया जाता है और जिससे शारीरिक व मानसिक हानि होती है, द्रव्य दुरुपयोग कहा जाता है । इसमें हेरोइन, कोकीन, एल एस डी व अफीम का सेवन, गांजा व हशीश का धूम्रपान तथा मारफीन का इंजेक्शन लेना या

मधपान करना, आदि आते हैं । इसे कई नामों 'बुलन्द द्रुतगति पर होना' 'आमोद यात्रा' और 'आनन्दोत्कम्प' भी कहा जाता है ।

द्रव्य निर्भरता :- किसी भी नशा प्रदान करने वाले द्रव्य की आदत होना या नित्य सेवन करना द्रव्य निर्भरता की श्रेणी में आता है । यह निर्भरता शारीरिक या मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं । शारीरिक निर्भरता द्रव्य के बार-बार सेवन से पैदा होती है । द्रव्य बंद कर देने पर व्यक्ति में दर्द पीड़ा, उलझन, व्यथा और बीमारी की स्थिति पैदा होती है तथा द्रव्य लेने पर उसका शरीर सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने लगता है ।

व्यसन :- व्यसन मादक द्रव्यों पर शारीरिक ब मानसिक निर्भरता दर्शाता है । अत: व्यसन शारीरिक व मानसिक की निर्भरता की एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरंतर सेवन चाहिए होता है । द्रव्य को बंद कर देने से शरीर के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप होता है । द्रव्य व्यसन के मुख्य लक्षणों में (i) द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक आगयकता, (ii) किसी भी तरीके से द्रव्य प्राप्त करना, (iii) निरंतर मात्रा बढ़ाते जाना, (iv) द्रव्यों के प्रभावों पर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक निर्भरता और (v) व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव ।

4.2.4 मादक द्रव्य और उनके प्रकार

मादक द्रव्य मुख्यत: पांच प्रकार के होते हैं, नारकोटिक समूह, अवसादक, उद्दीपक, विभ्रम उत्पादक और कैन्नाबिस श्रेणी के द्रव्य ।

1. नारकोटिक समूह के द्रव्य,

   इस श्रेणी के द्रव्यों में अफीम और उससे बनी अन्य औषधियां प्रमुख हैं । इनका चिकित्सकीय उपभोग ऐनॉलजेसिक तथा डायरिया की रोकथाम के लिए होता है । इसमें मुख्य द्रव्य निम्न हैं-

   (i) अफीम (ii) मारफीन (iii) पीथिडाइन (iv) मेथाडोल (v) कोडेइन (vi) हेरोइन (vii) फोर्टविन (viii) डायजेपाम्स ।

2. अवसाद समूह के द्रव्य

   ये वे मादक द्रव्य हैं जिनके अवसादक प्रभाव के कारण व्यक्ति की क्रियाशीलता मंद पड़ जाती है । इन औषधियों का उपयोग तथा दुरुपयोग अत्यधिक होता है । इनमें निम्न मादक द्रव्य प्रमुख है:- (i) बारबिटचुरेट्स (ii) प्रशान्तक (iii) मैथाक्योलोन (iv) एल्कोहाल (v) क्लोरल हाइड्रेट

3. उद्दीपरक

   ये केंद्रीय स्नायुमण्डल को क्रियाशील बनाते हैं । इसके उपयोग से व्यक्ति उत्तेजना और उल्लास का अनुभव करता है। इनमें प्रमुख निम्न तीन उद्दीपक हैं:

   (i) कोकेन (ii) ऐफ़्मिटामाइन और (iii) निकोटिन ।

4. विभ्रम उत्पादक द्रव्य

   इन औषधियों में विभ्रम की स्थिति पैदा करने की शक्ति होती है । यह मस्तिष्क पर सीधे प्रभाव डालती हैं । इनमें एल एस डी सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है । विभिन्न औषधियां निम्न

हैं:- (i) एल. एस. डी.(लाइसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड) (ii) पी. सी. पी. (iii) मेस्कालिन (iv) वाष्पशील रासायनिक घोल (वालेटाइल गैसेज)

5. केन्नाबिस

इसका निमार्ण केन्नाबिस इण्डिका और केन्नाबिस सैटिका नामक पौधों के उपरी भाग की पत्तियों और फूलों से किया जाता है । भारत में यह चरस, गांजा, भांग आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनमें निम्न प्रमुख हैं:-

(i) मैंरीजुआना (गाँजा) (ii) हशीश (भांग एवं चरस) और (iii) तम्बाकू

इनका कोई चिकित्सकीय उपयोग नहीं होता । इसमें शारीरिक निर्भरता का जोखिम अवश्य होता है । निकोटिन शिथिलता प्रदान करती है ।

बोध प्रश्न 1

1. स्वर्णिम त्रिकोण क्या है ?
2. स्वर्णिम बिंदु में कौन - कौनसे देश सम्मिलित हैं ?
3. मादक द्रव्यों की तीन प्रमुख श्रेणियां बताइये ?
4. मादक द्रव्यों के प्रमुख पांच प्रकार बताइये ?

4.3 भारत में मादक द्रव्य

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार (1977-98) भारत में लगभग 30 लाख से अधिक व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं । इनमें से 5-6 लाख व्यक्ति पूर्णत: इन द्रव्यों पर निर्भर है ।

तालिका नं.4.1

स्त्रोत : भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली

वर्ष 1997-98 में देश में द्रव्य सेवन करने वालों का प्रतिशत

क्र.सं.	द्रव्य व्यसन/नशीली दवाएं	प्रतिशत
1.	एल्कोहल	42.32
2.	अफीम	23.13
3.	ब्राउन शुगर	8.00
4.	हेरोइन	4.74
5.	गांजा	3.46
6.	चरस	1.61
7.	मार्फीन	0.83
8.	भांग	0.60
9.	अन्य	15.31
	योग	100.00

भारत में मादक द्रव्यों का उपयोग करने बालों में लगभग 42 प्रतिशत एल्कोहल व्यसनी हैं और सबसे कम व्यसनी (0.6 प्रतिशत) ऐसे हैं जो भांग का प्रयोग करते हैं । कई व्यसनी दो या दो

से अधिक मादक द्रव्यों का प्रयोग भी करते हैं । हिन्दुस्तान टाइम्स के 26 जून 1998 के संस्करण में प्रकाशित किया गया था कि दिल्ली में कच्ची हेरोइन अथवा ब्राउन शुगर की संगत में कैन्नाबिस सिंथेटिक अफीमी उत्पादों (जैसे : टिडिजेस्टिक प्रॉक्सीवॉन, मार्फिन निक्ट्रावाइट, बैक्कु लाइजन जैसे कम्पोज, फेनार्गन, आदि) के साथ अन्य मादक द्रव्यों का भी सेवन किया जाता है । यह दर बम्बई और हैदराबाद में ओर भी अधिक है । अफीम का प्रयोग दिल्ली में सर्वाधिक पाया गया है ।

तम्बाकू सेवन से विश्व में लगभग पचास लाख लोगों की सालाना मृत्यु हो जाती है । सन् 2020 तक तम्बाकू से होने वाली ऐसी मौतों की संख्या बढ़कर एक करोड़ वार्षिक होने की संभावना है । अकेले भारत में धूम्रपान से 9 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष मरते हैं । इनमें से 90 प्रतिशत लोग कैंसर से मरते हैं । भारत में तम्बाकू का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या 24 करोड़ के लगभग है जो विकासशील देशों में तम्बाकू का प्रयोग करने वालों का एक तिहाई है और विश्व के कुल तम्बाक सेवन करने वालों का 20 प्रतिशत हैं ।

तालिका नं. 4.2

देश के प्रमुख नगरों में मादक द्रव्य व्यसन (प्रतिशत में)

मादक द्रव्य	**बम्बई**	**मद्रास**	**दिल्ली**	**जयपुर**	**हैदराबाद**	**सागर**
एल्कोहल	15.1	9.5	12.2	9.8	11.8	9.3
दर्द निवारक औषधियां	12.1	1.2	20.9	2.3	5.2	15.2
तम्बाकू	8.1	15.2	10.0	9.2	8.1	10.9
बारबी चुरेट्स	0.6	1.4	0.4	0.4	0.5	0.5
गांजा / भांग	0.4	1.03	1.5	1.9	1.0	0.4
अफीम	0.4	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3
एल.एस.डी.	0.07	0.04	0.2	0.2	0.1	0.2

स्त्रोत : मनोरमा: ईयर बुक,1992

4.4 राजस्थान में मादक द्रव्य व्यसन

जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी एवं वृहद नगर है । इसके तालिका -2 में प्रस्तुत आंकड़े 1992 के हैं और यहां पर एल्कोहल का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक (9.8 प्रतिशत) है । यह स्वभाविक भी है क्योंकि एक ओर इस राज्य में राजपूत प्रभुत्व संस्कृति है तो दूसरी ओर क्षेत्र का सर्वाधिक विकसित नगर । यहां होटलें, बाहर के लोगों और स्थानीय ग्रामीण संस्कृति में शराब का अपना स्थान महत्वपूर्ण है । यही स्थिति तम्बाकू को लेकर है जिसका खाने व पीने में बराबर का प्रयोग होता है । तम्बाकू के गुटके और मूल तम्बाकू चूने के साथ खाई जाती है । बही सिगरेट, बिडीचिलम और हुक्का का प्रयोग ग्रामीण अंचल का प्रमुख हिस्सा है । भरतपुर, धौलपुर एवं अन्य कृषि प्रधान ग्रामीण कसई एवं नगरीय क्षेत्रों में बिडी चिलम व हुक्के का प्रचलन घस्धर में है । जहां पुरुष ही नहीं महिलाएं भी और बड़े ही नहीं बच्चे भी साथ-साथ बीड़ी और परम्परागत चिलम व हुक्के का प्रयोग करते हैं । नगरों की तुलना में गांव की महिलाएं एवं बच्चे तम्बाकू का प्रयोग अधिक करते हैं ।

जनजातीय क्षेत्रों में एल्कोहल का प्रयोग सामान्य बात है । लेकिन यह संस्कृति विशेष में अधिक है । कई उच्च जाति समूहों ब्राहाण एवं जैनियों में शराब नही पी जाती । यह अलग बात है कि औधेगीकरण नगरीकरण एवं विकास की प्रक्रिया ने तम्बाकू एवं शराब के प्रचलन को पहले फैशन के रुप में और अब समस्या के रुप में अधिक फैलाया है । सामाजिक संदर्श में यह समस्या के रुप में बढ़ता जा रहा है । अन्य रासायनिक मादक द्रव्यों का प्रयोग औधौगीकरण व नगरीकरण और अब वैश्वीकरण व उत्तर आधुनिकीकरण ने इस समस्या को और अधिक बढ़ाया है । विकास की प्रक्रिया और भविष्य की चिंता एवं कई सामाजिक, आर्थिक तनावों व अवसादों के बढ़ते चक्र ने नए संश्लेषित पदार्थो के उपयोग में वृद्धि की है जो सामाजिक विघटन का कारण बन रहे हैं ।

इसी प्रकार दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में देशी शराब (एल्कोहल) और तम्बाकू आम प्रचलन में है । भगत भील एल्कोहल का सेवन नहीं करते । नवरात्रि में सामान्य भील भी इसका प्रयोग नहीं करते । जबकि विवाह एवं मृत्यु भोज में यह प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता का अंग है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र को छोड दें तो इन्हें संश्लेषित मादक द्रव्यों की जानकारी तक नहीं है । 1992 के बाद स्थिति और बिगड़ी है । अब उदयपुर जैसा नगर भी इसके प्रभाव क्षेत्र में है । विशेषकर छात्रावासों एवं अकेले रहने वाले छात्र-छात्राओं में व्यसन की संभावना अधिक होती है । साथ ही शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर और आजीविका के इंतजार के युवा इस व्यसन से जुड़ते ही नहीं वरन् व्यसनी भी बन जाते हैं । राष्ट्रीय राजमार्गो पर भी वाहनों के ड्राइवर एवं खलासी न सिर्फ स्वयं मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित होते हैं, वरन रास्ते में कई अन्य लोगों को भी व्यसनी बनने में मदद करते हैं ।

बोध प्रश्न 2

1. भारत में सर्वाधिक मादक द्रव्य सेवन किस द्रव्य का किया जाता है और कितने प्रतिशत लोग करते हैं?
2. मादक द्रव्य का नाम दें जिसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं?
3. राजस्थान की राजधानी जयपुर में सर्वाधिक प्रयोगकर्ता किन दो मादक द्रव्यों के हैं । उनका प्रतिशत बताइये?

4.5 कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन

पिछले 40 वर्षों में मादक द्रव्यों के सेवन पर भारत में अनेक अनुसंधान कार्य हुए हैं । अधिकांश अध्ययन डॉक्टरों, मनोरोग चिकित्सकों और समाज कार्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं । कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा किये गये हैं । इन अध्ययनों का तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं:-

(i) विश्वविधालय, महाविधालय एवं उच्च प्राथमिक विधालयों के विधार्थियों पर अनुसंधान

(ii) औधोगिक श्रमिकों पर अनुसंधान और

(iii) ग्रामवासियों पर अनुसंधान

4.5.1 विश्वविधालय, महाविधालय और विधालयों के विधार्थियों पर अनुसंधान

राम आहूजा ने 1976 से 1986 के बीच राजस्थान विश्वविधालय एवं महाविधालयों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर दो अध्ययन किए हैं । दोनों का उद्देश्य द्रव्य सेवन के विस्तार का विश्लेषण तथा उनके कारणों का अध्ययन करना था । साथ ही उन्मूलन व नियंत्रण हेतु सुझाव देना भी था । प्रोफेसर

आहूजा ने 1994 में राजस्थान विश्वविधालय द्वारा गठित समिति के सदस्य के रुप में मादक द्रव्यों के व्यसन के उपचार एवं निराकरण के लिए प्रभावी उपायों पर सुझाव देने के लिए भी अध्ययन किया था । इन अध्ययनों को आहूजा ने तीन श्रेणियों में विभाजित करके देखा है.

(i) एकल अध्ययन

(ii) संयुक्त अध्ययन और

(iii) बहु- केन्द्रीय अध्ययन

बनर्जी (1963), दयाल (1972), चिटनिस (1974) और वर्मा (1977) के अध्ययन क्रमश: कलकत्ता दिल्ली, बम्बई एवं पंजाब में आयोजित किये गये थे । दूसरी श्रेणी के संयुक्त अध्ययन सेठी और मनचन्दा (1978) दुबे, कुमार और गुप्ता (1969 व 1977 में) और मनोविज्ञान विभाग (कलकत्ता विश्वविधालय 1988) द्वारा आयोजित किए गए थे । तीसरी श्रेणी के बहुकेन्द्रीय अध्ययन (1976) एवं (1986) में क्रमश: सात और नौ शहरों में केन्द्रीय सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा डॉ. मोहन एवं अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के समन्यव से करवाये गए थे ।

उपरोक्त तीनों प्रकार की श्रेणियों में किए गए अध्ययनों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि निम्न आय वर्ग की तुलना में उच्च आय वर्ग के 16 से 21 वर्ष की आयु - समूह, तथा राजकीय विधालयों की तुलना में सार्वजनिक विधालयों और छात्रावासों में रहने वाले विधार्थी अधिक दत्त सेवन करते हैं । द्रव्य सेवन हेतु प्रेरणा या दबाव अधिकांश स्थितियों (60 प्रतिशत) में विधार्थी मित्रों का होता है । पांच प्रतिशत रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों द्वारा प्रेरित किये जाने पर, लेकिन 25 प्रतिशत स्वयं की ईच्छा या लोगों को द्रव्य व्यसन करते देख इस ओर अभिप्रेरित होते हैं । लगभग 10 प्रतिशत किसी न किसी बीमारी के कारण डॉक्टर के कहने पर प्रारम्भ करते हैं ।

4.5.2 औधोगिक श्रमिकों पर अनुसंधान

औधागिक श्रमिकों पर मादक द्रव्य सेवन को लेकर कोई विशेष अध्ययन तो नहीं हुए लेकिन एक अध्ययन का संदर्भ देना उचित होगा । यह अध्ययन गंग्राडे और गुप्ता (1970) ने दिल्ली में 4000 श्रमिकों को लेकर आयोजित किया था। उन्होनें अपने अध्ययन में पाया कि श्रमिकों में मादक द्रव्यों के सेवन की दर लगभग 10.4 प्रतिशत थी । यह दर विधार्थियों में मादक द्रव्य सेवन की दर से अपेक्षाकृत रुप से बहुत कम है ।

गंग्राडे एवं गुप्ता के अध्ययन से प्रमुख जानकारी यह प्राप्त हुई कि अध्ययन की गई कुल निर्देशित इकाइयों का 65 प्रतिशत शराब, 18 प्रतिशत चरस, 8 प्रतिशत भांग, 7 प्रतिशत गांजा और 2 प्रतिशत अफीम का प्रयोग मादक द्रव्य के रुप में करते हैं । कुछ श्रमिक ऐसे भी हैं जो प्रतिमाह निश्चित राशि से अधिक द्रव्य सेवन पर व्यय नहीं करते । तम्बाकू का प्रयोग सामान्यत: हर दूसरा श्रमिक खाने अथवा धूम्रपान के रुप में करता है । चयनित श्रमिकों में से तीन -चौथाई से अधिक ऐसे है जिन्होंने मादक द्रव्यों का प्रयोग श्रमिक बनने के बाद ही प्रारंभ किया था । ज्यादातर सेवन कर्ता 20-30 वर्ष आयु वर्ग के थे । दो-तिहाई ने मित्रों एवं सह - श्रमिकों के प्रेरित करने पर पहली बार सेवन प्रारंभ किया था कुछ के लिए उप-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निम्न शिक्षा स्तर और उच्च आय प्रेरक कारक रहे हैं ।

4.5.3 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान

ग्रामीण क्षेत्रों में मादक द्रव्य व्यसन में सर्वाधिक प्रचलित तम्बाकू एवं शराब है । इसके पश्चात् भांग, अफीम, चरस व गांजा का व्यसन देखा जा सकता है लेकिन इन्हें करने वालों की संख्या भी बहुत कम है । मादक द्रव्य व्यसन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक - सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है । मादक द्रव्य व्यसन में भौगोलिक आधार पर विभिन्नता स्पष्टत: देखने को मिलती है । कहीं शराब तो कहीं तम्बाकू का प्रचलन रीति-रिवाजों का हिस्सा है । ग्रामवासियों में मादक द्रव्य व्यसन सम्बंधी कई अध्ययन हुए हैं । अनुमानत: पहला अनुसंधान 1971 में एल नागर, मैत्रा और राव द्वारा पश्चिमी बंगाल के एक गांव में आयोजित किया गया । 1972 में दुबे तथा वर्गीस और बेग द्वारा किया गया । 1974 में देव व जिंदल ने, 1977 में पंजाब के तीन सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फिरोजपुर और गुरुदासपुर के 6 ब्लाको में मोहन, प्रभाकर व शर्मा ने, 1978 में गुरमीत सिंह ने पंजाब के गांवों में, 1979 में 2000 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले 8 गावों के सेठी व त्रिवेदी ने अध्ययन किए हैं । ये अध्ययन 10 वर्ष से 15 वर्ष से उपर की आयु के ग्रामीण युवकों पर किए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के सामान्य विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गांवों के 18 प्रतिशत घरों में मादक द्रव्यों का सेवन कोई भी सदस्य नहीं करता । 60 प्रतिशत धरों में कम से कम एक व्यक्ति, 16 प्रतिशत धरों में दो व्यक्ति और 6 प्रतिशत धरो तीन या अधिक व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं । मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों में 50 प्रतिशत शराब का, 19 प्रतिशत तम्बाकू का, 6 प्रतिशत अफीम और 1 प्रतिशत में गांजा, भांग व चरस का सेवन करने वाले हैं । महिलाएं भी मादक द्रव्यों का सेवन करती हैं लेकिन उनका प्रतिशत बहुत ही कम है ।

नगरीय क्षेत्रों में मादक द्रव्यों व्यसन

नगरीय क्षैत्र के संदर्भ में सर्वाधिक मादक द्रव्य सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कलकत्ता में देखी जा सकती है। 1981 में अनुमानत: यह संख्या लगभग 7 लाख थी । लेकिन अन्य नगरों में भी इनकी बढ़ती तीव्र दर को देखा जा सकता हैं । 1989 में केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय ने 33 नगरों और कस्बों में "मादक द्रव्य दुरुपयोग" सम्बन्धित अध्ययन करवाये थे । सभी वृहद् नगरों में मादक द्रव्य सेवन करने वाली जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि टीनेजर्स (किशोर) बालकों में अधिक है । विभिन्न नगरों में 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक मादक द्रव्य सेवन करने वाले देखे जा सकते हैं । मादक द्रव्यों का व्यसन धार्मिक स्थलों पर सर्वाधिक होता है । पुरी, बनारस,गया,मथुरा,अयोध्या, पुष्कर, नाथद्वारा आदि सभी स्थलों पर भांग के अतिरिक्त अफीम, चरस, गांजा का प्रयोग तुलनात्मक रुप से अधिक होता है और अब संश्लेषित मादक द्रव्यों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । पुरी (उड़ीसा) में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की संस्कृति आरम्भ से ही विधमान है क्योंकि यहां अफीम, गांजा, भांग, चरस आदि के उपयोग को परम्परागत महत्व मिला हुआ है । लेकिन हेरोइन और ब्राउन शुगर का सेवन 1970 के दशक से ही आरम्भ हुआ था । यह वह नगर है जहां विभिन्न मादक द्रव्यों के व्यसनियों की संख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत पायी गई । जब कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) में यह 20 प्रतिशत थी । बिहार राज्य के धनबाद नगर (कोयला उधोग) में अनुसंधान के अनुसार मांग, गांजा, देशी शराब, बार्बिटचुरेट और 1970 के बाद हेरोइन, चरस, मार्फीन आदि का सेवन काफी संख्या में बढ़ा है । दीमापुर (उत्तर पूर्वी सीमांत राज्य) में 10 प्रतिशत व्यक्ति

हेरोइन, चरस, गांजा व भांग आदि के व्यसनी और इम्फाल (मणीपुर) में 10 से 30 प्रतिशत के बीच व्यसनियों को देखा जा सकता हैं ।

सभी अनुसंधान अध्ययनों का संक्षेप में विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि 1980 तक मादक द्रव्यों का सेवन बहु त अधिक नहीं था, परन्तु उसके पश्चात् देश में हेरोइन की उपलब्धता इतनी बढ़ गई कि स्मैक और अन्य अवैध द्रव्यों का सेवन विधार्थियों, कच्ची बस्ती निवासियों, ट्रक -बालकों, रिक्शा चालकों और श्रमिकों आदि में बढ़ने लगा । विशेषकर विधालय एवं महाविधालय के विधार्थियों में एक अनुमान के अनुसार आज मुम्बई में मादक द्रव्यों के सेवन से प्रतिदिन औसतन पांच व्यक्तियों की मृत्यु होती है और हर दिन देश में अल्पायु (12 से 20 वर्ष तक) के 100 व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन आरम्भ करते हैं ।

4.7 मादक द्रव्यों के सेवन के कारण

मादक द्रव्यों के उपयोग की पूर्ववृति उन व्यक्तियों मे देखी जा सकती है जिनको मर्दानी भूमिका निभाने में कठिनाई आती है, जिनमें नैराश्य एवं चिन्ताएं व्याप्त रहती हैं, जिनमें कुण्ठित,हताश या व्याकुल रहने की प्रवृति होती है अथवा जिनमें यह भावना धर कर जाती है कि उनके जीवन में प्रभावशीलता, असफलता या अवसाद ग्रस्तता के अतिरिक्त कुछ नहीं है ।

मादक द्रव्यों के सेवन करने की प्रेरणा कई कारणों से मिलती है । इन सभी कारणों को चार श्रेणियों में बांट सकते हैं:

(1) शारीरिक कारण : उदाहरण के लिए नींद न आना, कामुक भावनाओं का उभारना, पीड़ा निवारण और नींद न लेना आदि।

(2) मनौवैज्ञानिक कारण : उदाहरणार्थ तनाव कम करना, अवसाद को शान्त करना, अंतर्बाधाओं को हटाना,कौतूहल पूरा करना, खिन्नता और उब को दूर करना तथा अनुभूति को तीव्र करना आदि।

(3) सामाजिक कारण : सामाजिक अनुभवों को सुसाध्य बनाना सामाजिक मूल्यो एवं मानदण्डों को चुनौती देना, मित्रों द्वारा स्वीकार किया जाना, आदि सामाजिक कारणों में आते है ।

(4) अन्य विविध कारण : इसमें अध्ययन को उत्कृष्ट बनाना, व्यक्तिगत समस्याएं हल करना, धार्मिक अंतर्दृष्टि तेज करना, आत्म समझदारी बढ़ाना आदि कारण आते हैं ।

आहू जा के 4081 विधार्थियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जो 1469 छात्र मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे, उनमें से 85.5 प्रतिशत मनोवैज्ञानिक कारणों, 15.2 प्रतिशत शारीरिक कारणों, 10.9 प्रतिशत सामाजिक कारणों तथा शेष 8.4 प्रतिशत अन्य विविध कारणों से मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे थे । द्रव्य सेवन करने वाले विधार्थियों में सर्वाधिक संख्या उनकी है जो आमोद-प्रमोद के प्रति समर्पित हैं तथा तीव्र गतिशील एवं सनसनी खेज अनुभवों को अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं । कुछ विधार्थी समस्याओं और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए और कुछ पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सकीय उपचार में जो द्रव्य लेते हैं, उनको बाद में भी निरंतर लेते रहते हैं ।

राम आहू जा कहते हैं कि " द्रव्य दुरुपयोग एक सीखा हु आ व्यवहार है जो व्यक्तियों द्वारा मित्रों,जान पहचान के लोगों, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से अतःक्रिया द्वारा तीन तरीकों से सीखा जाता है: समझाने -बुझाने, अचेतन अनुकरण और ध्यान प्रवण द्वारा ।'' मादक द्रव्य प्राप्त करने

का सर्वाधिक उल्लेखित स्त्रोत 'मित्र' हैं । इसके अतिरिक्त परिचित व्यक्ति, परिवार के सदस्य, घर की अलमारी, आदि भी मादक द्रव्य उपलब्ध करवाने में सफल होते हैं । मेडिकल साधनों से लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक मादक द्रव्य प्राप्त करती हैं ।

परिवार की परिस्थितियां एवं मित्र समूह मादक द्रव्य सेवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । आहूजा बताते है कि उनके अध्ययन में 81 प्रतिशत मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों के मित्र पूर्व में सेवन करते रहे थे, 44 प्रतिशत ऐसे सेवन कर्ता थे जो मित्रों द्वारा ही ड्रग्स सेवन में दीक्षित किए गए थे । लगभग 31 प्रतिशत मित्रों के साथ ही मादक द्रव्य सेवन करते थे । लगभग 63 प्रतिशत को मादक द्रव्य के बारे में पहला ज्ञान मित्रों से ही प्राप्त हुआ था और 17 प्रतिशत ने मादक द्रव्य का सेवन पहली बार मित्र के घर पर ही किया था ।

4.8 मादक द्रव्य छोड़ने के कारण

मादक द्रव्यों के मेडिसिनल उपयोग के अतिरिक्त उसके सेवन की आदत कालांतर में शारीरिक व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या बन जाती है । मादक द्रव्यों का अत्यधिक सेवन व्यक्ति को मृत्यु की ओर खींचता है । ऐसे समय में व्यक्ति एवं समाज 'द्रव्य -त्याग' की बात करते हैं । अत: व्यक्ति मादक द्रव्य क्यों छोड़ता है, इसके मूल में कई कारण हैं: शारीरिक से लेकर व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक । आहूजा ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यक्तिगत कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं । जिसने मादक द्रव्य त्याग किया है उनमें 49.3 प्रतिशत ने व्यक्तिगत कारणों से, 23.8 प्रतिशत ने शारीरिक, 22.4 प्रतिशत ने सामाजिक, 22.3 प्रतिशत ने धार्मिक और 4.1 प्रतिशत ने आर्थिक परिस्थिति के कारण मादक द्रव्य का सेवन छोड़ा है ।

राम आस्था द्वारा किए गए प्रमुख अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोष पूर्ण पारिवारिक पर्यावरण, हीन मानसिक भावना की अवस्था, रचनात्मक सामाजिक व्यवस्था, कठोर पारिवारिक अनुशासन व सत्ता संरचना जैसे सामाजिक कारण, विचलित उप संस्कृति (कच्ची बस्ती एवं छात्रावास), मित्र-समूह का दबाव, निर्भर व्यक्तित्व एवं परिहास का अनुसरण, आदि ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को मादक द्रव्य सेवन के लिए प्रेरित करते हैं ।

बोध प्रश्न 3

1. मादक द्रव्य पर किए गए अध्ययनों की तीन श्रेणियों के नाम दीजिए ?
2. मादक द्रव्य सेवन के प्रमुख कारण बताइये ?
3. मादक द्रव्य सेवन की प्रेरणा के चार कारण बताइये ?

4.9 सारांश

राजस्थान में मादक द्रव्य प्रकोप विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं का परिणाम है । मादक द्रव्य सेवन (एल्कोहल, तम्बाकू भांग, चरस, गांजा) सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं । अलग-अलग सांस्कृतिक समूहों में अलग-अलग मादक द्रव्य / द्रव्य का प्रचलन है । उसमें भी धार्मिक, सामाजिक, या आर्थिक गतिविधियां इसे प्रभावित करती हैं । भौगोलिक क्षेत्र एवं पर्यावरण का प्रभाव भी अधिक महत्वपूर्ण है। राजपूत एवं कुछ अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक समूहों द्वारा (इसमें जनजाति समूह भी सम्मिलित है) में एल्कोहल का प्रयोग रीति-रिवाजों का हिस्सा हैं ।

मादक पदार्थो के सेवन में वृद्धि का कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी है । भारत में इसका प्रचलन बढ़ने का कारण 'स्वर्णिम त्रिकोण एवं 'स्वर्णिम बिंदु' का विकसित होना है । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत से होकर सारा माल दूसरे देशों में जाता है । अत: भारत के बडे नगरों में इन द्रव्यों का उपयोग बढ़ना स्वाभाविक ही है । दूसरी और एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से भी लोगों में मादक ट्रकों का प्रयोग बढ़ने लगा है । विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप अलगाव व तनाव बढ़ती प्रतियोगिता का परिणाम है अलगाव व तनाव अवसाद की स्थिति भी प्रदान करते हैं और अवसाद को दूर करने में इनमें से कुछ मादक द्रव्य प्रयोग में आते हैं । उनको निरंतर लेने की प्रक्रिया द्रव्य पर निर्भरता बढ़ाती हैं और अन्तत: व्यक्ति व्यसनी बन जाता है, और इसका परिणाम व्यसनी के रुप में शारीरिक और मानसिक देखा जा सकता है । वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थियां ऐसा वातावरण पैदा कर चुकी है जिसमें मादक पदार्थो का उपयोग बढ़ना स्वाभाविक है । प्रकोप को कम करने के लिए उन कारणों को दूर करना होगा जो व्यक्ति में अकेलापन, अवसाद, नैराश्य भावना, हीन भावना आदि बढ़ाते हैं । व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विधटन को और सामाजिक विधटन राष्ट्र व मानवता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं ।

4.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1	1.	देखें	4.2
	2.	देखें	4.2
	3.	देखें	421
2			
	1.	देखें	4.3
	2.	देखें	4.3
	3.	देखें	4.4
3	1.	देखें	4.5
	2.	देखें	4.6.1
	3.	देखें	4.6.2

4.11 शब्दावली

द्रव्य : वह रासायनिक पदार्थ जिसके सेवन से व्यक्ति पर विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्ति का मस्तिष्क एवं स्नायुमण्डल तंत्र प्रभावित होता है ।

द्रव्य दुरुपयोग : जब अवैध द्रव्य का सेवन और वैध द्रव्य का अनुचित प्रयोग किया जाता है तथा जिसके परिणाम स्वरुप शारीरिक एवं मानसिक हानि होती है, द्रव्य दुरुपयोग कहा जाता है ।

द्रव्य निर्भरता : नशा प्रदान करने वाले किसी भी द्रव्य की आदत होना या मजबूर होकर नित्य सेवन करना द्रव्य निर्भरता है ।

व्यसन : व्यसन वह स्थिति है जिसमें शारीरिक एवं मानसिक संचालन के लिए द्रव्य का निरंतर सेवन चाहिए होता है। द्रव्य को बंद कर देने से शरीर व मस्तिष्क के कार्य निष्पादन में बाधा पहुंचती है ।

4.12 संदर्भ ग्रन्थ

1. आहूजा, राम, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2002 ।
2. 2.बघेल, जी. एस., अपराध शास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2005
3. 3.हिन्दुस्तान टाईम्स, 26 जून, 1998, दिल्ली संस्करण ।
4. 4.रावत, हरिकृष्ण, उच्चतर समाज शास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006
5. सिंह, अवधेश कुमार एवं चन्देल ओम प्रकाश, भारत में मादक द्रव्य : आयाम, प्रवृतियां और पुनर्वासन, न्यू रॉयल कंपनी, लखनऊ, 2000 ।

इकाई 5

व्यसनाधीनता के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणाम

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 व्यसनाधीन व्यक्ति की स्वयं की समस्याएं

5.2.1 शारीरिक विकार

5.2.2 मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकार

5.2.3 अपराध बोध एवं हीन भावना

5.2.4 रोग प्रतिरोधक क्षमता में ह्रास

5.3 अप्रत्यक्ष प्रभाव

5.4 कुदुम्ब की समस्याएं

5.4.1 पारिवारिक कलह

5.5 परिवार और कुदुम्ब पर प्रभाव

5.6 व्यसन का कार्यालयों, विद्यालयों, उद्योगों पर प्रभाव

5.7 अपराध और व्यसन का जुड़ाव

5.8 सारांश

5.9 बोध प्रश्न

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप -

व्यसनाधीन व्यक्ति की स्वयं की समस्याओं के बारे, में व्यसन के अप्रत्यक्ष प्रभावों के बारे में समझ पायेंगे ।

व्यसन करने से व्यक्ति के कुदुम्ब पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्ते कर पायेगें।

व्यसन का परिवार, कार्यालय, विद्यालय और उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझ पायेंगे ।

अपराध और व्यसन के आपसी संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।

5.1 प्रस्तावना

व्यसनाधीनता के कारण समाज को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है । नशा करने वाले व्यक्ति की कार्यदक्षता कम हो जाती है जो समाज तथा राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक है । नशे, के आदी व्यक्ति अपने साथियों के साथ घर के सामानों की चोरी करते हैं, पैसे कम रहने पर वे अपने पड़ोसियों की सम्पति तथा सरकारी सम्पतियों को चुराने लग जाते हैं । गिरते स्वास्थ्य के कारण वे

विभिन्न बिमारियों के शिकंजे में भी आ जाते हैं । नशीले पदार्थ के उत्पादन कर्त्ता इस काले धन को साजिश के तहत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचा देते हैं । बाद में इस धन का प्रयोग आतंकवाद को फैलाने, हथियारों को खरीदने, भोले - भाले नागरिकों को देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त करवाने आदि कार्यो में किया जाता हैं । नशेड़ी खुद तो समाज पर बोझ बन ही जाते हैं मगर क्षैत्र के निवासियों के लिए भी सामान्य जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करते हैं । 'जुआ, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद, चोरी, डकैती, मारपीट, बलात्कार, हत्या, दंगे, अनुशासनहीनता आदि ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो कहीं न कहीं व्यसनाधीनता से सीधे रूप से जुडी हुई हैं ।

5.2 व्यसनाधीन व्यक्ति की स्वयं की समस्याएं

5.2.1 शारीरिक विकार - नशा लेने वाले व्यक्ति पर जब नशे का असर समाप्त होता है तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है । क्योंकि नशा व्यक्ति के केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है । अत: नशे के असर के समय उसे होश नहीं रहता है । अत्यधिक शारीरिक कमजोरी के कारण बह सुस्त रहने लगता है । उसका कोई काम करने का मन नहीं करता, कार्यक्षमता में कमी आती है । शिथिलता-नशा लेने वाले व्यक्ति के अंग शीघ्र (उम्र से पहले) ही शिथिल होने लगते हैं बह बुझा-बुझा सा सुस्त सा रहने लगता है । उसके अंगों, हाथ, पैरों में ऐसा लगता है जैसे इनमें जान ही नहीं हो । निस्तेज - व्यक्ति का चेहरा निस्तेज, कांतिहीन हो जाता है । गाल पिचके हुए, आँखें अंदर धँसी हुई, दांत गंदे से, काले होठ। इस कारण से बहरे की रौनक बिल्कुल समाप्त हो जाती है । दर्द - व्यसनी व्यक्ति को जब नशा करने को नहीं मिलता है तो नशे के अभाव में उसके प्रत्येक अंग के एक-एक प्रकोष्ठ में दर्द एवं टूटन का अनुभव होता है, जो फिर से नशे की माँग करता है । बैचेनी, घबराहट रहती है व्यक्ति बेआरामी की अवस्था में रहता है ।

5.2.2 मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकार

1 मानसिक शक्ति - व्यसनी व्यक्ति की मानसिक शक्ति भी क्षीण होने लगती है । अच्छे से अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति धीरे-धीरे मंदबुद्धि होने लगता है । व्यक्ति की शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती है शीघ्र ही भ्रमित हो जाता है । मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान तथा समस्याओं से घिरा हुआ व्यसनी आत्महत्या के प्रयास भी कर लेते हैं । कुंठित व तनावग्रस्त रहने लगते हैं । अपने से संबंधित कार्य में मन नहीं लगता है । उदासी निरंतर छायी रहती है, मानसिक रूप से अशांत रहने लगता है ।

2 मनोवैज्ञानिक विकार - व्यसनी व्यक्ति कुण्ठित तथा तनावपूर्ण जीवन जीता है । उसमें लगातार अपने से तथा अपनी जिदंगी से असंतोष बना रहता है । बह अपने आपको उपेक्षित भी महसूस करता है क्योंकि परिहार के सदस्य व इष्ट-मित्र व्यसनी से दूर ही रहना चाहते है ।

व्यसनी व्यक्ति में आत्मविश्वास की नितान्त कमी होती है । दूसरे लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं अर्थात उसकी विश्वसनीयता एकदम समाप्त हो जाती है । चाहे व पहले सभी का बहुत विश्वसनीय रहा हो । एकाग्रता एकदम समाप्त हो जाती है । व्यक्ति अस्थिर व्यक्तित्व का बन जाता है, बल्कि उसका अस्तित्व ही गायब हो जाता है । वह सहमा-सहमा सा, डरा-डरा सा रहता है । अपने इस बुरे कृत्य के लिए उसे कई बार अपनों से, तो कमी परायों से भी अपमान सहना पड़ता है । व्यसनी

के व्यक्तिव में भीरूपन आ जाता है । व्यसनी की सोच भी नकारात्मक हो जाती है और जीवन में उपलब्धी के नाम पर नशे की अगली खुराक को येन-केन प्रकारेण प्राप्त करना ही उद्देश्य हो जाता है । व्यसनी व्यक्ति में शक की भावना भी अधिक हो जाती है । वह अनावश्यक ही अपने निकटमत संबंधियों ब मित्रों पर शक करने लगता है ।

(1) नशे के आदि व्यक्ति का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाता है । उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसकी वजह से उसे भूख कम लगती है । आमाशय, लीवर, फेफडे, हदय इत्यादि शरीर के अन्दर के समस्त तंत्र संक्रामक रोग के ग्रसित हो जाते हैं । ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता न्यून हो जाने से वह बीमारियों के जाल में फंस जाता है । उसके मुंह के अन्दर का हिस्सा भी संक्रमित हो जाता है । इससे उसके दांत, मसूड़े इत्यादि भी खराब हो जाते हैं । बह श्वास भी आराम से नहीं ले पाता है ।

5.2.3 अपराध बोध एवं हीन भावना

व्यसनी व्यक्ति हीन भावना से भी ग्रसित हो जाता है क्योंकि वह नशे की गिरफ्त में नहीं होता है तो यह सोचता है कि में किस बुरे चक्रव्यूह में फँस गया हूँ । अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा वह नजरें झुकाव, नजरे छुपाए रहता है । और यह भी सोचने लगता है कि मेरे बूढ़े माँ-बाप, पत्नी व बच्चों की दुर्दशा तथा बदतर जिदंगी के लिए मै ही दोषी हूँ ।व्यसनी व्यक्ति गहरे अवसाद की अवस्था में आ जाता है ।

एकाकीपन

व्यक्ति जब कोई व्यसन प्रारम्भ करता है तो वह अकेले में एक दो दुश्मनरूपी मित्रों के साथ करता है । उसे व्यसन के लिए एकाकीपन की आवश्यकता महसूस होने लगती है, वह अकेले रहने के बहाने ढूंढने लगता है जैसे परिवार के सभी सदस्यों को किसी पार्टी, विवाह समारोह आदि में शामिल होना है तो वह वही जाना पसंद नहीं करता है ताकि वह आसानी से, चैन से नशा कर सके तथा लोगों से मिलने, बात करने को भी टाल सके ।

व्यसनी के सगे संबंधियों और अच्छे मित्रों को पता लगता है कि व्यक्ति व्यसन करता है तो वे उससे मिलना पसंद नहीं करते हैं और परिवार, मित्र व समाज के लोग अकेले उसे ही रहने देते हैं।

मित्रों का नितान्त अभाव -

अच्छे मित्रों को खो देता है, जो कुछ मित्र होते हैं उन्हें भी नशे की गिरफ्त में लेने की कोशिश करता है और उन्हें पथभ्रमित करने में सफल हो जाता है ।

सहानुभूति -

जब व्यसनी व्यक्ति बहु त अधिक व्यसन में डूब जाता है तो परिवार के सदस्यों यहाँ तक कि उसकी पत्नी तथा बच्चे भी उससे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं रखते हैं । वे उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं । वह यदि बीमार भी हो जाए तो कोई डाक्टर के पास भी नहीं ले जाता है । उसके मरने की दुआएँ माँगने लगते हैं । उसकी अपनी माँ पुलिस से यह तक भी कह देती है कि इसे घर से ले जाकर जेल में डाल दो । घर और बाहर दोनों जगह से सहानुभूति के स्थान पर उसे नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है ।

उद्देश्यविहीन -

आधुनिक मादक द्रव्यों के प्रभाव के कारण व्यसनी के जीवन में न कोई मंजिल होती है न ही कोई मार्ग । भटकाव के अलावा जीवन का कुछ ध्येय नहीं दिखता । उसे केवल नशा ही नशा दिखता है । उसकी सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है । उसका अपने माँ-बाप, पत्नी, बच्चों, सगे-संबंधियों, मित्रों से कोई मतलब नहीं रहता है । वह केवल उन्हीं मित्रों से मिलने की सोचता है जो उसके साथ नशा करते हों । वह अधिकतम समय सोते हुए, सुस्ताते हुए बिताता है । यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नशे में डूबा व्यक्ति अपने कंधों पर अपनी लाश ढोता है । उसे कुछ इंतजार होता है तो केवल इसका कि नशे की अगली खुराक जैसे - तैसे मिल जाए ।

आत्मिकदासता -

यह कटु सत्य है कि व्यसनी व्यक्ति आत्मिक रूप से नशे का गुलाम हो जाता है । उसकी प्रथम प्राथमिकता नशा ही होती है । वह रोटी और नशे में से नशे को चुनता है चाहे नशा बीड़ी, सिगरेट का हो या शराब, स्मैक का । नशा न मिलने की स्थिति में बह तड़प उठता है, दीवारों पर सिर मारता है, चीखता - चिल्लाता है । तोडफोड़ करते हुए विध्वंसात्मक गीतविधियाँ प्रारम्म कर देता है । पीरवारजनों से लड़ना, उन्हें मारना, उधम मचाना, तनाव पैदा करना आदि हरकतें बहुत बढ़ जाती हैं ।

5.2.4 रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास

व्यसनी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबरदस्त गिरावट आ जाती है । उसे कोई भी बीमारी शीघ्र ही जकड़ लेती है ।

श्वास की बीमारियाँ - ब्रोंकाइटिस अस्थमा, टीवी., फेफडों का केन्सर आदि ।

हृदय व धमनियों की बीमारियाँ - रक्तचाप का बढ़ना, दिल का दौरा पड़ना, नाड़ियों का सिकुड़ना, वसा व कोलेस्ट्रोल का जमना, गेंगरीन हो जाना ।

तंत्रिका तंत्र की बीमारियाँ - मस्तिष्क कोषों का नष्ट होना, स्मृति में कभी आना, मस्तिष्क की नसों का फटना ।

पाचन तंत्र संबंधी - मुहँ में छाले व जख्म का होना, जो बाद में कैंसर में बदल जाता है, भोजन नली की बीमारियाँ, पेट में अल्सर, आंतों व गुदा का कैंसर हो जाना, गुर्दे. लीवर व अग्न्याश्य का कैंसर हो जाना ।

पुरूषों में नपुंसकता व महिलाओं में बांझपन होना - गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के समस्त अंगों पर कुप्रभाव पडता है जिससे विकलांग, कमजोर, मंद बुद्धि शिशु पैदा होते हैं । व्यसन का प्रभाव वंशानुगत भी होता है । क्योंकि व्यसन जीन्स पर भी प्रभाव डालता है ।

अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि जो व्यसनी हेरोईन को नाडी के रास्ते लेते हैं तो एक दूसरे को संक्रमित कर एच. आई. बी., एड्स के शिकार होते हैं । मणिपुर में इस प्रकार के नशे के ही काफी व्यक्ति है।

5.3 अप्रत्यक्ष प्रभाव

तंबाकू का धुआ यानी बीडी, सिगरेट तथा स्मैक, हेरोईन के धुएँ, से शिशुओं, बालकों बालिकाओं के साथ प्रत्येक उस व्यक्ति को जबरन ही उगले हुए धुएँ को निगलना पडता है जो नशा करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, बैठे होते हैं, यात्रा करते हैं, और उसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं, जितने

कि स्वयं पीने वाले को । धूम्रपान करने वाला व्यक्ति मात्र 15 प्रतिशत ही जहरीला धुआँ अन्दर लेता है शेष 65 प्रतिशत तो परिवार-जनों एवं पास बैठे लोगों को पीने के लिए विवश होना. पडता है ।

कुपोषण-

व्यसनी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाते हैं । उन्हें भूख कम लगने लगती है तो दे खाना कम खाते हैं । आवश्यक तत्वों, खनिजों, विटामिन्स और प्रोटीन्स अर्थात संतुलित आहार की कमी से होने वाले रोग भी उनमें परिलक्षित होने लगते हैं । इनका वजन भी काफी कम हो जाता है ।

नींद कम आना -

व्यसनी व्यक्ति नशा करके सो जाता है । नशा न मिलने की सूरत में उसे नींद नहीं आती है या बहुत कम आती है इसलिए नींद न आने के कारण वह परेशान हो उठता है ।

गुमराह -

व्यसनी व्यक्ति अपने जीवन में गुमराह हो जाता है । उसको कुछ पता नहीं रहता है कि वह जीवन में क्या करेगा । कब वह कोई गैर कानूनी काम कर बैठे, पता नहीं चलता है । व्यक्ति सोचता है कि व्यसन से उसे आनन्द मिलेगा लेकिन उसे तकलीफ अधिक मिलती हैं । वह मित्रों के साथ पीता है, मित्रता बढ़ती है लेकिन धीरे-धीरे मित्र भी छोड देते हैं । व्यक्ति सोचता है कि व्यसन से उसे ताकत, जोश आदि आयेंगे, जबकि वास्तव में उसे कमजोरी आती है ।

दुर्घटनाएँ -

व्यसनी व्यक्ति से दुर्घटना होने की आशंका भी बहुत अधिक होती है । कई बार बडे हादसे हो जाते हैं और परिवार को मानसिक परेशानी के साथ-साथ आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजरना पड़ता है ।

हजारों व्यक्ति सड़कों पर ही मर जाते हैं या हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं । अध्ययन के अनुसार अधिकतर दुर्घटनाएँ इसलिए होती हैं कि चालक ने शराब पी रखी थी या अन्य कोई ड्रग्स ले रखी थी । इससे समय, वस्तु व जीवन सभी का नाश होता है । नशे में गाड़ी चलाने से व्यक्ति पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं -

निर्णय गलत लेना, नजर कम होना, दूरी का अंदाज नहीं लगता

निर्णय देर से लेना, ध्यान, एकाग्रता में कमी होना

आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं जैसे शराबी ने मालगाड़ी का इंजन चला दिया, तथा यह इंजन 150 किलोमीटर तक चला । शराब पीकर ट्रक चलाना तो आम बात है ।

बुद्धिमान व व्यक्ति भी नशे की हालत में स्वयं की तथा दूसरों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और रात में फुटपाथ पर सोये हुए गरीब व्यक्तियों को मौत की नींद सुला देते हैं ।

नैतिक पतन -

व्यसनी व्यक्ति का नैतिक रूप से पतन हो जाता है । नशे की अवस्था में रिश्तों व आयु का ध्यान न रखते हुए वह घिनौना कृत्य कर बैठता है । 4 वर्ष, 7 वर्ष की अबोध बालिका के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या कर डालने की घटनाएँ भी समाज में हुई हैं । अच्छाई- बुराई में कोई फर्क नहीं मानते हैं ये लोग ।

अपराध

व्यसनी व्यक्ति अपने व्यसनी साथियों के साथ मिलकर अपराध करने की योजना बनाते हैं और उसे कार्यरूप में परिणित करते हैं । अपराध और व्यसन का बोली-दामन का साथ है । स्मैक को

खरीदना. बेचना तथा उपयोग करना अपराध है। स्मैक पाने के लिए व्यक्ति छोटी-छोटी चोरी से लेकर बंद रुपयों के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं ।

शराब और ड्रग्स सेवन से व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण जो बैठता है । निर्णय लेने की क्षमता तथा काम करने की प्रक्रिया में भी कमी आती है । उसे बहुत जल्दी ही, छोटी सी बात पर ही गुस्सा आ जाता है । सहज ही हमला करने वाला तथा लडाकू प्रवृत्ति का बन जाता है और यह भी भान नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है या अभी उसने क्या काम करने का विचार किया था ।

व्यक्ति आवश्यकता पर आधारित अपराध करते हैं । व्यसनी व्यक्ति नशे की व्यवस्था हेतु छोटी-छोटी चोरी करना प्रारंभ करते हैं और धीरे-धीरे उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है तो बह बड़ी चौरियां करने की योजना बनाते हैं और उसे अंजाम भी देते हैं । व्यापार में किसी को धोखा देते हैं शीघ्र ही हिंसा पर उतारू होकर अन्य व्यक्तियों, साथियों, घरवाली, पड़ौसियों आदि से झगड़ पड़ते हैं और कई बार इसका अंत अपराधिक मारपीट, और हत्या पर होता है।

ड्रग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के गैस्कानूनी कार्य में अपना हाथ बंटाते हैं । इससे उनको आमदनी भी अच्छी होती है और स्वयं को भी ड्रग्स आसानी से मिल जाती है ।

यह भी देखने में आया है कि जिस क्षेत्र में ड्रग्स की खपत अधिक है वहीं आतंकवादी गतिविधियाँ भी अधिक होती हैं। आतंकवादी संगठन युवाओं में व्यसन की आदत डालते हैं । उन्हें आतंकवादी गिरोह में शामिल कर लेते हैं । लगभग 90 प्रतिशत व्यसनी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधिक प्रवृति से जुड़ पाये जाते हैं ।

आतंकवाद के लिए काफी अधिक धन की आवश्यकता होती है । स्मैक को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर आधुनिक हथियार, गोला, बारूद आदि खरीदे जाते है ।

अपमान - व्यसनी व्यक्ति को परिवार व समाज में अपमान भी झेलना पडता है । लोग उस पर अंगुली उठाते हैं । कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता । उसे एक चोर, झूठा और अपराधी समझते है और व्यवहार भी उसी के अनुरूप करते हैं ।

गरीबी - गरीब, पिछड़े तबके के मामूली पढ़े-लिखे या अनपढ़ लोग ही व्यसन के अधिक शिकार होते हैं । अशिक्षा के कारण व व्यसन का भला-बुरा नहीं समझते हैं । एक बार व्यसन में घिर जाने के बाद उनका व्यापार. व नौकरी भी प्रभावित होने लगती है । व्यसन के कारण उनकी आय कम होने लगती है । इस प्रकार आमदनी कम और खर्च अधिक होने के कारण गरीबी की समस्या और बढ़ जाती है। व्यसनी व्यक्ति बीमार भी अधिक रहने लगता है । अत: बीमारी पर भी अधिक पैसा खर्च होता है । गरीबी के कारण एवं व्यसन को पूरा करने के लिए चोरी करनी पड़ती है, और इस प्रकार से बह इस जाल में फँस जाता है ।

सृजनात्मकता - उत्पादकता -

व्यसनी व्यक्ति की सृजनात्मकता में कमी आती है क्योंकि व्यसन का सर्वाधिक प्रभाव दिमाग पर पडता है जो उसकी सृजनशीलता को समाप्त कर देता है । वह कल्पना जगत में ही विचरण करता रहता है ।

देश के करोड़ों मानव दिवसों का नुकसान व्यसन की वजह से होता है । व्यसनी व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने लगता है और यदि किसी तरह कार्यस्थल पर पहुँचता भी है तो वही काम करने में उसका मन नहीं लगता है । इससे उत्पादकता में गिरावट आती है ।

5.4 कुटुम्ब की समस्याएं

जो व्यक्ति नशा करता है उसके परिवार के सदस्य उसकी उम्र को ध्यान में रखते हए यह सोचते हैं कि इसकी शादी कर दें तो इस नशे की लत से छुटकारा मिल जायेगा । यहीं पर परिवार-जन गलती कर बैठते हैं । पहले उन्हें व्यक्ति को नशा मुक्त करने की सोच रखते हुए पूर्ण विश्वास के साथ नशा मुक्ति हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए और चिकित्सक के बताए निर्देशों का अक्षरश: पालन करते हुए नशा ग्रस्त व्यक्ति की सहायता करते हुए उसका पूर्ण इलाज कराना चाहिये। नशे से पीड़ित व्यक्ति के प्रति पूर्ण संवेदना रखनी चाहिये ।

यदि किसी विवाहित पुरूष के नशे से आदी होने की बात है तो पत्नी को चाहिए कि बह उसका पूर्ण समर्पण भाव से ध्यान रखते हुए चिकित्सक से परामर्श करके उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज करवाए । नशे के आदी व्यक्ति की संतान मे मी नशे की प्रवृत्ति आने की संभावना होती है। अत: संतान तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि व्यक्ति पूर्णत: नशा-मुक्त न हो जाए ।

विवाहित पुरूष के नशे का आदी होने पर वह अक्सर पत्नी से झगड़ता रहता है और उससे अकारण मारपीट करता है। पारिवारिक कलह के कारण कुदटुम्ब की सामाजिक प्रतिष्ठा का स्तर गिरता है तथा परिवार के सदस्यों की शादियाँ नहीं होती ।

5 .4.1 पारिवारिक कलह

नशे के आदी व्यक्ति के घर पर छोटे बच्चे हों तो वे उससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं । बच्चे उपेक्षित, अपमानित, सहमे से रहते हैं उन्हें डर बना रहता है कि उनके पिता नशा करके आएँगे और घर में कलह मचाएँगे । बच्चे संवेदना शून्य भी हो जाते हैं । वे आधे अधूरे व्यक्तित्व का निमार्ण करते हुए एक सुसभ्य नागरिक नहीं बन पाते और इस प्रकार से परिवार, समाज, राज्य व देश का भविष्य भी अंधकारमय बनाते हैं । बच्चों के मानस पटल पर गहरा दुष्प्रभाव पडता है जब वे अपने पिता को, माता से झगड़ते हुए देखते हैं । वे शिक्षा में तथा प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ते जाते हैं क्योंकि ऐसे परिवारों को आर्थिक तंगी के दौर से भी गुजरना पडता है । अत: वे अशिक्षित रह जाते हें । बडे होकर वे भी नशे की और प्रवृत हो, अपराधी भी बनते हैं । जिससे समाज में भयंकर विकृति आ जाती है । नशे की लत आनुवंशिकता से भी आती है क्योंकि तंबाकू स्मैक आदि से जीन्स प्रभावित होते हैं ।

धुम्रपान करने वालों के बच्चे अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान के भी शिकार हो जाते हैं । अकारण ही जहरीला धुँआ श्वास के साथ अंदर जाता है जो कई प्रकार के श्वास की बीमारियाँ अस्थमा आदि का कारण बनता है । कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे में चले जाने के कारण अर्थाभाव हो जाता है । अत: बच्चे ब परिवार के अन्य आश्रित सदस्य कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं और असमय ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं । कोई अन्य बीमारी हो तो केवल एक व्यक्ति ही प्रभावित होता है परन्तु नशे से पूरा परिवार तनाव और कुण्ठाग्रस्त हो जाता है ।

5.5 परिवार और कुटुम्ब पर प्रभाव

हम यह जानते हैं कि व्यसन एक बीमारी है, और यह एक ऐसी बीमारी है जिससे स्वयं बीमार व्यक्ति ही नहीं पूर्ण परिवार उससे प्रभावित होता है और इस बीमारी की तीव्रता स्वयं व्यक्ति एवं परिवार दोनों के लिए बराबर ही होती है ।

आज व्यसन लेने के तरीके बढ़ते जा रहे हैं व्यसन पूर्व में तंबाकू बीड़ी, हुक्का, चिलम आदि तक ही सीमित था। परन्तु अब गुटखा, सिगरेट, अफीम, स्मैक, गाजा, शराब, एल. एस. डी., कोकीन आदि का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अत: परिवारों में भी ऐसी कई समस्याएँ उठ रही हैं जिन्हें संभालना बडा मुश्किल हो गया है और धीरे-धीरे परिवार के सदस्य लगातार अत्यधिक तनाव एवं दबाव की स्थिति में रहते हैं। दे अत्यधिक निराशा के कारण प्रबल, उदंड और न्याय व्यवस्था की उपेक्षा करने वाले, जल्दी ही उग्र रूप लेने वाले, कुण्ठित, निरूत्साहित, उत्तेजित व आशंकित रहने लगते हैं। वे डरे हुए भयभीत से अपने आपको अपराधी, दोषी मानकर अपराध भाव से ग्रसित हो जाते हैं।

प्रारम्भिक अवस्था -

प्रारम्भिक अवस्था में परिवार के सदस्य इस बात को नकारते हैं कि उनके परिवार का सदस्य नशा करता है। या तो वे समस्या मानते ही नहीं हैं या उसके नशा लेने को किसी कारण से जोड़ते हैं। जैसे मेरे पति बहुत अधिक पीते हैं परन्तु वे मुझे मारते नहीं हैं वे मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। अत: मुझे उनके शराब पीने से कोई परेशानी नहीं है। पिता कहते है मेरा बेटा स्मैक उसके दोस्तों की वजह से लेता है मैं उसकी नौकरी लगवा दूँगा। व्यवसाय करवा दूँगा तो स्मैक लेना छोड़ देगा।

बचाव -

व्यसनी व्यक्ति के परिवार के सदस्य व्यसनी का बचाव भी करते हैं ताकि परिवार ब समाज में यह बात नहीं खुले कि उनके परिवार में कोई व्यसनी है।

नियन्त्रण

व्यसनी व्यक्ति के परिवार के सदस्य शराब की बोतल छुपा देते हैं, तोड़ देते हैं, स्मैक की पुड़िया, गुटखा आदि फेंक देते हैं या कहते हैं। कि दिन में मत लो, या घर पर ही लो, अपने मित्रों के साथ मत लो, परंतु ये कोई भी बात व्यसनी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती हैं।

दोष मढ़ना -

धीरे - धीरे परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से निरूत्साहित और असहाय से हो जाते हैं और इससे व्यसनी के प्रति क्रोध एवं कड़वाहट की भावना आने लगती है। वे परिवार की प्रत्येक समस्या के लिए व्यसनी को ही दोषी मानते हैं। वे कहते है। कि यदि तुम आदमी हो तो जरूर छोड दोगे। तुममें इतनी इच्छा शक्ति नहीं है क्या? तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा और अब भी तुम नशा करना नहीं छोड़ोगे तो वे जल्दी ही मर जाऐंगे। परिवार के सदस्य स्वयं की जिम्मेदारियाँ भूल जाते हैं और प्रत्येक समस्या के लिए व्यसनी को ही दोषी मानते हैं। व्यसनी के परिवार के सदस्यों में तनाव ओर गुस्सा बढ़ता है। वे भी अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे किसी भी व्यवहार से व्यसनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस स्थिति में व्यसनी और साथ ही परिवार के सदस्य बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से धीरे-धीरे परिवार के सदस्य अत्यधिक निराश हो जाते हैं और उन्हें कहीं से भी इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आता है। वे आशंकित हो जाते हैं कि पता नहीं व्यसनी अगले ही क्षण क्या कर लेगा।

व्यसनी व्यक्ति के परिवार को अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें कुछ प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं -

1 आर्थिक - व्यसनी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पडता है । एक तो व्यक्ति जो पहले किसी नौकरी या व्यापार में लगा हुआ था वह टूट जाता है और उसकी आमदनी कम हो जाती है । वह व्यक्ति अधिकतर पैसा अपने पर ही खर्च करने लगता है । परिवार के भरण पोषण के लिए कम पैसा देता है । व्यसनी व्यक्ति बीमार भी अधिक रहता है तो उसकी दवाईयों आदि का खर्च भी बढ़ जाता है । इस तरह से परिवार पर सभी तरफ से आर्थिक तंगी का दौर आ जाता है । ऐसा परिवार अभावपूर्ण जीवन जीने को बाध्य हो जाता है ।

व्यसनी व्यक्ति के कारण, परिवार द्वारा किये जा रहे कार्यो पर भी असर पडता है । व्यसनी स्वयं तो काम कम करता ही है उसके परिहार के सदस्य भी काम कम कर पाते हैं । कभी उसकी देखभाल करनी होती है तो कभी उसे अस्पताल ले जाना आदि कामों में अस्त हो जाते हैं । इस प्रकार उत्पादकता कम होने की वजह से आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ती है ।

2 नैतिक - व्यसनी व्यक्ति का स्वयं का तो नैतिक पतन होता ही है परन्तु उसके साथ-साथ उसके परिवार की नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ता है ।

3 परिवार के सदस्यों का कुपोषण - व्यसनी का परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजरता है तो उसके परिवार के सदस्यों को संतुलित आहार मिलना मुश्किल हो जाता है । वे लोग जैसे-तैसे करके पेट भरने लायक भोजन ही कर पाते हैं । कुपोषण का शिकार हो कर असमय ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

व्यसनी व्यक्ति के परिवार के सदस्य भी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं । उन्हें भी समाज में उठने-बैठने में शर्म महसूस होने लगती है ।यह डर लगा रहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यसनी के बारे में पूछताछ करेगा तो क्या जवाब देंगे।

4 परिवार का टूटना - व्यसनी व्यक्ति यदि संयुक्त परिवार में रह रहा है तो धीरे-धीरे उसके भाई-बहन, माँ, पिता सभी से झगड़े होते रहते है । धीरे-धीरे परिवार के सदस्य उसे अलग करने की सोचने लगते हैं और एक समय ऐसा आ ही जाता है कि उसे अलग कर देते हैं । इस तरह से संयुक्त परिवार टूट जाता है । विवाहित व्यसनी व्यक्ति के पत्नी के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार से तथा लगातार परेशानियों से तंग आकर तलाक हो जाता है । ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

5 विवाह में बाधा - व्यसनी व्यक्ति के भाई, बहिन, बच्चों की शादियाँ होने में दिक्कतें आती हैं । कोई भी व्यक्ति ऐसे परिवार में रिश्ता करना पसंद नहीं करता है ।

6 आज तरूणों व युवाओं में नशे का प्रचलन बढ़ रहा है । सामान्यत: नशा तंबाकू गुटखा, जर्दा, शराब, स्मैक आदि का किया जाता है । गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, श्रमिक हो या प्रबंधक सभी बगों में नशे से समाज में कई प्रकार की परेशानियाँ आने लगी हैं । इससे घर, परिवार, दुकान, उद्योग-धन्धे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं । दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, आत्महत्या, बलात्कार विशेष रूप से अबोध बालिकाओं के साथ कुकर्म जैसे घिनोने व अक्षम्य अपराध, हत्या आदि सामान्य बात हो गयी है । आज सूरज ढलने के बाद महिलाओं को घर से निकलने में डर लगा रहता है । यहाँ तक कि दिन दहाडे महिलाओं के गले से चैन, पर्स तथा पुरूषों के नोटों से भरे बैग आदि उड़ा लिये जाते हैं । नशे को सामाजिक मान्यता मिलना भी समाज के लिए घातक है । व्यवसायी व्यक्ति पार्टियों में

शराब पिलाकर मनचाहा काम निकालने की जुगाड़ में रहते हैं तथा इसे व्यापार बढ़ाने का एक अच्छा तरीका मानते हैं । शादियों में भी शराब परोसी जाती हैं।

गुटखा / तंबाखु बीड़ी, सिगरेट, एल्कोहल एवं अन्य नशीले पदार्थ समाज में बहुत ही भयानक स्थितियाँ पैदा कर रहे है। लेकिन फिर भी इनके उत्पादन एवं चलन के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं -

1 इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है ।

2 व्यक्ति मायावी विज्ञापनों से यह समझते हैं कि नशा करने से स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति बढ़ेगी। इन उत्पादनों के नाम भी इन उत्पादों को लेने के लिए प्रेरित करते है ।

3 इन वस्तुओं के विक्रय से सरकार को काफी कर प्राप्ति होती है ।

4 जो समाज में अच्छी हैसियत व शक्ति रखते हैं । वे एल्कोहल उत्पादन या विक्रय से संबंध रखते हैं ।

5 पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से होटलों में बार हैं जो सभी प्रकार के एल्कोहल पेश करते

6 ट्रक मालिक अपने ड्राईवर व खल्लासी को शराब मुफ्त में देते हैं वे सोचते है कि इससे वे अधिक देर तक ट्रक चलाकर जल्दी काम करेंगे ।

7 खान तथा अन्य उद्योगों के मालिक अपने मजदूरों को मजदूरी के लिए रुपयों के स्थान पर शराब देते हैं ।

8 ड्रग्स एवं एल्कोहल के विक्रय से प्राप्त धन आतंककारी गतिविधियों हेतु काम आता है । यह देखने में आया है कि जहां आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं उसके आस-पास के इलाकों में ड्रग्स अधिक बिकती है ।

9 बडी-बड़ी अच्छी एवं इज्जतदार कम्पनियाँ अपने अफसरों व अन्य काम के अफसरों के मनोरंजन हेतु शराब पार्टी का आयोजन करती हैं ।

5.6 व्यसन का कार्यालयों, विद्यालयों, उद्योगों पर प्रभाव

व्यसन की समस्या से किसी भी व्यक्ति का सामना हो सकता है । चाहे बह श्रमिक हो सुपरवाइजर हो या प्रबंधक हो। जब व्यक्ति सीमा से अधिक व्यसन कर लेता है तो वह अपने कार्य स्थल पर कई समस्याएँ खड़ी कर देता है-

यदि श्रमिक या छोटे कर्मचारी व्यसनी है -

वे कार्यस्थल पर कभी भी बिना सूचना के अनुपस्थित रह जाते हैं । कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने की आंशका अधिक रहती है । अत: कम्पनी को आर्थिक मुआवजा देना पड़ता है।कार्य की दक्षता में कमी आती है तथा मन से काम नहीं कर पाते । अत: परिणाम देर से आते हैं या काम बिल्कुल ही व्यर्थ चला जाता है ।

यदि सुपरवाईजर या प्रबन्धक व्यसनी है-

वे अपने मातहतों को सही, अर्थपूर्ण निर्देश नहीं दे पाते हैं ।

बजट का दुष्प्रबंधन

वे अपने मातहतों को आनुशासित नहीं रख पाते हैं ।

आपस में समन्वय की कमी से काम सही नहीं हो पाता और अंततः कंपनी को नुकसान पहुँचाता

शराब पी कर या अन्य व्यसन लेकर गाड़ी चलाना -

हजारों व्यक्ति सड़क पर मर जाते हैं या हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं । अधिकतर दुर्घटनाऐं इसलिए होती हैं कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी या अन्य कोई ड्रग्स ले रखी थी । नशे में गाड़ी चलाने से निम्न प्रभाव होते हैं

इससे समय, वस्तु व जीवन सभी का नाश होता है ।

निर्णय गलत ले लेना कि सामने आने वाली गाड़ी कितनी दूर है या पास ।

निर्णय देर से लेना -एकाएक गाड़ी रोकनी पड़े तो ब्रेक नहीं दबते हैं ।

नजर कम होना - अस्पष्ट दिखना, कम दिखाई देना, दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाना । ध्यान में कमी होना ।

5.7 अपराध और व्यसन का जुड़ाव -

शराब और ड्रग्स के सेवन से व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण जो बैठता है । निर्णय लेने की क्षमता तथा काम करने की प्रक्रिया में भी कमी आती है । वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है । सहज ही छोटी सी बात पर हमला करने वाला, लड़ाकू प्रवृति का बन जाता है । उसे यह भी मान नहीं रहता है कि वह क्या काम कर रहा है या अभी उसने क्या काम करने की सोची है ।

ऐसे व्यक्ति नशे की बच्चों की व्यवस्था करने के लिए चोरी, सेंधमारी करते हैं ।

व्यापार में किसी को धोखा देते हैं ।

शीघ्र हिंसा पर उतारू होकर अन्य व्यक्तियों, साथियों, घर वालों, पडौसियो से झगड़ पड़ते हैं और कई बार उसका अंत आपराधिक मारपीट और हत्या तक हो जाता है ।

इनमें से अधिकतर को हल्की सजा, जेल हो जाती है । बड़े अपराध करने पर उन्हें उम्र कैद या फाँसी हो जाती है । जब शराब या अन्य व्यसन व्यक्ति को पूरी तरह अपने आगोश में ले लेते हैं तो परिवार के सदस्य उसकी और से मुँह मोड़ लेते हैं । मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी यहां तक कि पत्नी ब बच्चे भी उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं । अब उन्हें अकेलापन लगने लगता है । उसे स्वयं का जीवन भी असंतोषप्रद लगने लगता है । ऐसे में वह आत्महत्या का प्रयास कर सकता है या दर्दनाक पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

जिस क्षेत्र में व्यसनी व्यक्ति अधिक होते हैं वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ ही रहता है ।व्यसनी व्यक्ति को कोई भी नौकरी आदि नहीं मिल पाती है और यदि नौकरी में है तो वह छूट जाती है । अत: विवश हो कर नशे की पूर्ति करने के लिए वह पहले घर की वस्तुएं बेचता है । फिर परिवार में और पड़ोस में छोटी-छोटी चोरियां करता है । धीरे-धीरे छोटी चोरी से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो बह बडी-बड़ी चोरियाँ करने लगता है । सार्वजनिक स्थलों से भी लोहे आदि के सामान चोरी होते हैं । जिससे राष्ट्रीय सम्पति को क्षति पहुंचती है ।

5.8 सारांश

व्यसनाधीन व्यक्ति को कई बीमारियाँ घेर लेती है । उसे मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकारों का सामना करना पडता है । वह अकेला जीवन जीने का आदी हो जाता है और उसमें हीनभवना पैदा हो जाती है । ऐसे व्यक्ति का जीवन उद्देश्य विहीन हो जाता है । और उसमें आत्मविश्वास की कमी पैदा हो जाती है । उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण पाचन तंत्र कमजोर हो

जाता है नपुंसकता और बांझपन की समस्या पैदा हो जाती है । नशे का आदी होने पर शारीरिक कमजोरी होने से अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता और क्रोधी स्वभाव का हो जाता है । इससे झगड़े फसाद करने लग जाता है । नशे की लत को पूरा करने के लिए वह चोरी करने लग जाता है । और अपराधों की तरफ अग्रसर हो जाता है ।

कुटुम्ब मे कलह पैदा करता है । समाज में परिहार की प्रतिष्ठा को गिराता है । गरीबी और गंदगी भरे माहौल में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो जाता है । इससे परिवार टूट जाता है । परिवार को समाज को और देश को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है ।

5.9 बोध प्रश्न

1. व्यसन करने से पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव बताइये।
2. व्यसन करने वाले व्यक्ति को किन-किन समस्याओं का सामना करना पडता है ?
3. व्यसनाधीन व्यक्ति के परिवार को किन समस्याओं का सामना करना पडता है?

इकाई-6

व्यसन उन्मूलन के प्रयास

इकाई कि रूपरेखा

6.1 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 मादक द्रव्य वसन : उन्मूलन के प्रयास

6.2.1 वैधानिक प्रयास

6.2.2 भारत सरकार के प्रयास

6.2.3 राजस्थान सरकार के प्रयास

6.2.4 स्वैच्छिक संगठनों की सहायता

6.2.5 तस्करी एवं दुरुपयोग की रोकथाम

6.3 मादक द्रव्यों पर नियन्त्रण के प्रयास

6.3.1 माता-पिता की भूमिका

6.3.2 मादक द्रव्यों के बारे में शिक्षा देना

6.3.3 चिकित्सकीय प्रयास

6.3.4 सामाजिक प्रयास

6.4 मादक द्रव्य व्यसनियों का उपचार

6.5 मादक द्रव्य व्यसनियों का पुनर्वासन

6.6 सारांश

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.8 संदर्भ ग्रन्थ

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद जान पाएंगे कि -

- मादक द्रव्य व्यसन की स्थिति क्यों पैदा होती है
- व्यसन उन्मूलन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं
- तस्करी एवं दुरुपयोग की रोकथाम हेतु क्या किया जा रहा है
- मादक द्रव्य व्यसनयों का उपचार एवं पुनर्वासन कैसे किया जाता है

6.1 प्रस्तावना

भारतीय इतिहास मादक द्रव्यों उपयोग एवं दुरुपयोग भरा पड़ा है। सामाजिक -सांस्कृतिक स्तर पर कोई वृहद दुष्परिणाम नहीं होने की वजह से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । भारत में हिप्पी संस्कृति के आगमन (1960 के दशक के पश्चात मादक द्रव्यों का सेवन प्रारम्भ में फैशन और बाद में सामाजिक समस्या के रुप में उमरने लगा । 1980 के दशक में) ब्राउन शुगर या स्मैक ने अपने क्षेत्र का विस्तार

किया । विशेषकर नगरों में व्यसनियों की संख्या कई गुना बढ़ती गई। इस समस्या पर सरकार एवं स्वैच्छिक संगठनों ने मादक द्रव्य सेवन की बढ़ती जनसंख्या की ओर 90 के दशक तक बहुत गंभीरता से नहीं सोचा । 1985 में सरकारी तंत्र में बैठे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन प्रारंभ हुआ और 1857,1878 ओर 1930 में पास हुए एक्ट्स जो प्रभावहीन हो गए थे, उनका स्थान 14 नवम्बर, 1985 का एक्ट कानून के रुप में उभर कर आया । इस एक्ट ने पूर्व के तीनों एक्ट्स को रद्द कर दिया ।

आधुनिक समाज में जनसंख्या संरचना में परिवर्तन के कारण परम्परागत व प्रचलनात्मक नियंत्रण तंत्र तथा सामाजिक व नीतिपरक मूल नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि के साथ निकट से जुडे हैं । औधोगीकरण की प्रक्रिया और परिणात्मक ग्रामीण -नगरीय निकटताआधुनिक जीवन में दवाब तथा तनाव ने मनुष्य को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए पहले से ही अधिक संवेदनशील बना दिया है । विभिन्न शहरों में द्रव्य व्यसन की सामान्य दर 17 से 25 प्रतिशत के बीच मिलती है ।इसमें शराब व तम्बाकू भी सम्मिलित है । परन्तु यदि शराब,बीडी-सिगरेट एवं पीड़ा नाशक द्रव्यों को निकाल दें तो अन्य मादक द्रव्य सेवन की मात्रा केवल 4 से 6 प्रतिशत के बीच मिलती है । ग्रामीण क्षेत्रों में तम्बाकू एवं शराब का प्रचलन अत्यधिक है । 65 प्रतिशत से अधिक मादक द्रव्य व्यसनी इन्हीं के मिल जाऐंगे । इसके बाद अफीम और गांजा का क्रमश: नाम आता है । नगरीय क्षैत्र में इनके साथ संश्लेषित द्रव्य व्यसनों का प्रयोग अत्यधिक होता है । अब तम्बाकू एवं शराब का व्यसन करने वालों की संख्या में युवक -युवितयों की निरन्तर वृद्धि देखी जा सकती है ।

इन सब का परिणाम शारिरिक (स्वास्थ्य संबंधी) व्यक्तिगत या मानसिक, पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक आदि कई संदभों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक अलगाव, तनाव एवं सघर्ष में देखा जा सकता है, जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक विधटन के लिए उत्तरदायी होता है । आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका योगदान संम्पूर्ण विश्‍व में देखा जा सकता है । इस प्रकार मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देखा जा सकता है । अत: महत्वपूर्ण है कि मादक द्रव्य व्यसनता से बचाव एवं उपचार पर विस्तृत विचार किया जाए ।

6.2 मादक द्रव्य व्यसन: उन्मूलन के प्रयास

आधुनिक समाज में हो रहे परिवर्तन एवं भौतिकी, आर्थिक, वैज्ञानिक व प्रोधौगिकी ने मानव जीवन की गतिविधियों में तीव्र वृद्धि ही नहीं की, समाज में प्रतियोगिता की प्रक्रिया को जीवन के हर क्षेत्र में तेज किया है । इसका प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर अनिवार्यत: देखा जा सकता है । तनाव मुक्ति की सभी संस्थाएं एवं उनका मैकेनिज्म प्रभावित हुआ है । अलगाव की भावना में तेजी से वृद्धि हुई है । यह अलगाव परिवार, नातेदारी व्यवस्था, विवाह, कार्यस्थल, मनोरंजन आदि सभी जगह देखा जा सकता है । अलगाव तनाव ही पैदा नहीं करता अवसाद भी पैदा करता है । तनाव और अवसाद मानसिक स्थिति के संतुलन को गड़बड़ा देते हैं । ऐसी स्थिति में व्यक्ति चिकित्सक के पास जाये अथवा न जाए दोनों ही स्थितियों में मादक द्रव्य को लेने को या तो वह प्रेरित होता है अथवा चिकित्सक के निर्णय के अनुसार वह बाध्य होता है । दवाईयों का निरन्तर सेवन उसकी बाध्यता हो जाती है, धीरे-धीरे उसकी आदत हो जाती है और अगर उसकी मात्रा में निरन्तर वृद्धि होने लगती है तो द्रव्य व्यसन के दुरुपयोग की स्थिति पैदा होती है । कई बार यह फैशन के रुप में भी प्रारंभ होती है । जब द्रव्य व्यसन की यह स्थिति अनियंत्रित हो जाती है तो इसके नियंत्रण की आवश्यकता सामाजिक विघटन को रोकने

के लिए अनिवार्य हो जाती है । तब मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव के लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार एवं वैधानिक माध्यमों का प्रयोग जरुरी हो जाता है ।

6.2.1 वैधानिक प्रयास

मादक द्रव्य सेवन निवारण हेतु कई स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं । सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक प्रयास है । मादक द्रव्य सेवन की समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश काल में सरकार ने सबसे पहले 1893 में रायल आयोग का गठन कर कदम उठाया था । 1959 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के आबकारी आयुक्त ने मादक' द्रव्यों के सेवन के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया । तत्पश्चात मादक द्रव्यों के उपयोग, तस्करी रोकने और व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक केन्द्रिय संस्था ' नारकोटिक्स इन्टेलिजेन्स ब्यूरो ' का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया । वास्तव में द्रव्य व्यसन एक व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या ही नहीं है वरन् यह आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक समस्या का स्वरुप भी लेती है । आज इस समस्या का प्रभाव अतंर्राष्ट्रीय आतंक के रुप में देखा जा सकता है । वैधानिक उपायों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक को मजबूत करना जरुरी हो चुका है ।

6.2.2 भारत सरकार के प्रयास

भारत सरकार ने मादक द्रव्य सेवन की समस्या के निवारण हेतु दो स्तरों पर प्रयास किये हैं: (अ) आपूर्ति नियंत्रण, (व) मांग में कमी ।

आपूर्ति नियंत्रण नारकोटिक्स नियंत्रण भरो तथा पुलिस का अधिकार क्षेत्र है । दूसरी और, नशीली दवाओं के व्यसनयो के शैक्षिक एवं समाज कल्याण पक्ष की ओर ध्यान रखने का दायित्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंपा गया है । इस मंत्रालय ने निम्न तीन बिन्दुओं के अनुरुप अपने प्रयास किये है:

1. लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करना और उनके कुप्रभावों के बारे में जागरुक करना।
2. नशीली दवाओं के व्यसन से मुक्त व्यक्तियों की अनुवर्ती देखभाल तथा सामाजिक पुन: एकीकरण संबंधी सुव्यवस्थित कार्यक्रम की सहायता से व्यसनयों को उक्त दवाओं से दूर रखना और
3. नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियत्रणकर्ताओं के एक शिक्षित वर्ग को तैयार करने के लिए स्वयं-सेवको को नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करना ।

6.2.3 राजस्थान सरकार के प्रयास

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य औषधीय उद्देश्यों के अलावा नशीले पेय एवं द्रव्य, जो स्वास्थय के लिए हानि कारक हैं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा । राज्य सरकार ने चरणबद्ध रुप में मद्य निषेद्य लागू करने का प्रयास तो किया लेकिन पूर्णत: सफल नहीं हो पायी अन्तत: 11 अगस्त, 1981 को मद्यनिषेध अधिनियम के स्थान पर मद्यसंयम कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया ।

इसका अभिप्राय ऐसी नीतियों के निर्धारण एवं उपायों के क्रियान्वयन से है जिसके परिणामस्वरुप मदिरा के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो तथा जन साधारण मदिरा का संयत एवं सीमित उपभोग करे ताकि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके ।

6.2.4 स्वैच्छिक संगठनों की सहायता

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निर्भरता पैदा करने वाली नशीली दवाओं की बढ़ती मांग से निपटने के लिए विस्तृत योजना का निर्धारण सातवीं पंचवर्षीय योजन में किया । अनुमोदित राशि के 90 प्रतिशत के आधार पर स्वयं सेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर कार्यान्वयन करने का प्रयास किया । इसके लिए निम्न कार्यक्रम विकसित किये गये

1. नशीली दवा जागरुकता, परामर्श तथा सहायता केन्द्र,
2. नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केन्द्र
3. नशा मुक्ति शिविर
4. जागरुकता सृजन कार्यक्रम
5. सामाजिक तथा आर्थिक रुप से संवेदनशील लक्ष्य समूह
6. पूर्वोत्तर क्षैत्र में विशेष पहल
7. कार्यस्थल निवारण कार्यक्रम और
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ।

6.2.5 तस्करी और दुरुपयोग की रोकथाम

सरकार ने मादक द्रव्य पदार्थो की तस्करी की रोकथाम के लिए कई उपाय अपनाये हैं । 'द नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिस एक्ट' 14 नवम्बर, 1985 में बनाया । इन कानून के उल्लघंन पर दण्ड स्वरुप 10 वर्ष के कठोर कारावास को 20 वर्ष तक भी बढाया जा सकता है ।

साथ ही एक लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है जिसे दो लाख तक बढ़ाया जा सकता है । अपराध दोहराने पर यह कानून 15 से 30 वर्ष तक का कठोर कारावास और साथ ही 15 लाख से 30 लाख रु. तक जुर्माना प्रस्तावित करता है । न्यायालयों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे यदि चाहें तो कारण स्पष्ट करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक जुर्माना भी लगा सकते हैं । वह व्यसनियों के लिए एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों भी संभव है । लेकिन कानून अदालत को व्यसनी को छोड़ने का अधिकार भी देता है जिससे वह अस्पताल या सरकार द्वारा निर्वर्षीकरण या व्यसन मुक्तता के लिए चिकित्सकीय उपचार ले सकें । कानून सरकार से यह आशा करता है कि व्यसीनयों की पहचान, उपचार, शिक्षा, उत्तर - रक्षा, पुनर्स्थापना और पुन: एकीकरण के लिए केन्द्रों की स्थापना करे ।

बोध प्रश्न-1

1. व्यसन उन्मुलन के भारत सरकार के प्रयासो को संक्षेप में लिखीए?
2. राजस्थान सरकार का 'महासंयम कार्यक्रम; क्या है?
3. स्वैच्छिक संगठन के लिये निर्मित कोई पाँच कार्यक्रम बताइये?

6.3 मादक द्रव्यों पर नियंत्रण के प्रयास

मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर कुछ उपाय कर के नियंत्रण किया जा सकता है । उनमें से कुछ निम्न है:

6.3.1 माता-पिता की भूमिका:

बच्चों के मादक द्रव्यों के उपयोग पर नियंत्रण के लिए माता-पिता की भूमिका निर्विवाद रुप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है । द्रव्य व्यसन के कारणों में माता-पिता द्वारा उपेक्षा, अधिक विरोध, वैवाहिक असामंजस्य, पारिवारिक कलह, आदि बच्चों को परिवार से अलगावित करते हैं । अत: अगर माता-पिता परिवार के पर्यावरण को सांमजस्य पूर्ण और अधिक प्रेरक बनाये रखते हैं तो बच्चे परिवार का अंग बने रहते हैं । ऐसे बच्चे घर से बाहर कम से कम रहकर मादक पदार्थो के सेवन के लिए प्रेरित नहीं होंगे । मादक पदार्थो के सेवन का प्रारंभ लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है जिसमें बच्चे घर एवं माता-पिता से या पर्यावरण के तनावपूर्ण एवं अशांत वातावरण के कारण विलग होते जाते हैं, और आगे चलकर वे मादक द्रव्यों का सेवन प्रारंभ कर देते हैं ।

6.3.2 मादक द्रव्यों के बारे में शिक्षा देना :

जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण अंग-कॉलेज / विश्वविधालय के युवा छात्र छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राएँ, माता-पिता के नियंत्रण से दूर रहने वाले छात्र, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग, औधोगिक श्रमिक, ट्रक एवं रिक्शा चालक (शारीरिक श्रम करने वाले) को मादक द्रव्यों के व्यसन से बचाने के लिए शैक्षणिक उपायों का उपयोग दुष्प्रभावों को बताते हु ए किया जाना चाहिये । शिक्षा देने की विधि ऐसी होनी चाहिये की लोग स्वयं सक्रिय रुप से माग लें और सूचना व विचारों का मुक्त आदान-प्रदान हो सकें ।

मादक द्रव्य दुरुपयोग की समस्या तीन पक्षों से संबंधित है- व्यसन कर्ता, मादक द्रव्य और समाज । अत: व्यसन दुरुपयोग के प्रभावशील समाधान के लिए तीनों पर समान रुप से कुठाराघात करना आवश्यक है । इसके लिए शिक्षा एक कारगर और प्रभावशाली अस्त्र है । मादक ट्रव्य दुरुपयोग निरोधक शिक्षा को तीन स्तरों पर अपनाया जाना चाहिए, स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ।

(अ) स्थानीय स्तर

स्कूलों पर आधारित निरोधक शिक्षा कार्यक्रम ' इसमें तीन प्रकार की सेवायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं: मादक द्रव्य दुरुपयोग विरोध हेतु सामुहिक सेवायें उपलब्ध कराना, सलाह सेवाएँ और विधालय आधारित शिक्षा के विकल्प ।

(ब) राष्ट्रीय स्तर पर निरोधात्मक कार्य :

इनका उद्देश्य ऐसी नीतियां और कार्यक्रमों का निमार्ण करना होता है जो मादक द्रव्यों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से संबंधित गतिबिधियों -पर अंकुश लगा सके । यह प्रक्रिया मादक द्रव्य सेवन के विज्ञापनों पर समूर्ण नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा पर भारी खर्च और न्यायिक प्रणाली में सुधार आदि द्वारा हो सकती है । इसमें सर्वाधिक उपयोगी जन - सूचना संचार माध्यमों का प्रयोग है । यह भी

आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक हो और जीवन मूल्यों को सुदढ़ बनाती हो ताकि युवा वर्ग मे चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जा सके ।

(स) अंतर्राष्ट्रीय स्तर

मादक द्रव्य उत्पादक एवं उपयोगी राष्ट्रों के बीच संबंधों को सुदृढ़ किया जाये और इस दिशा में समझदारी विकसित की जाये । तस्करी तंत्र का पता लगाकर इसे ध्वस्त किया जाए तथा मादक द्रव्यों के अतिरिक्त भंडार का पता लगाकर उसे नष्ट किया जाए ।

(द) षड्यंत्रियों को प्रतिरोधक दण्ड देना:

कानून का क्रियान्वयन करने वाले, जिनमें नारकोटिक्स विभाग के लोग, पुलिस कर्मी एवं मादक द्रव्य प्रसार को नियंत्रित करने वाले अन्य सभी संबंधित व्यक्ति सम्मिलित हैं, अगर मादक द्रव्य बेचने या स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी तरह का सहयोग करते पाये जाते हैं तो उन्हें प्रतिरोधक दण्ड दिया जाना चाहिए, उन्हें बचाया नहीं जाना चाहिए ।

6.3.3 चिकित्सकीय उपाय :

मादक द्रव्य व्यसन को रोकने में चिकित्सक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है । अत: द्रव्यो के औषध-निर्देश देने संबंधी अभिवृत्तियां इस संदर्भ में सकारात्मक होनी चाहिये । चिकित्सक को रोगी को बताना चाहिए कि द्रव्यों के अतिरिक्त प्रभावों की अवहेलना रोगी न करे एवं बिना चिकित्सक की अनुमति के दवा लेने में सतर्कता बरतें । चिकित्सक को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी की अधिक निर्भरता के खतरे रोगी को व्यसनी बना सकते हैं । रोगी को भी बिना चिकित्सक परामर्श के औषध - पत्र के आधार पर दवाईयां नहीं लेनी चाहिए ।

6.3.4 सामाजिक प्रयास:

मादक द्रव्य व्यसन से मुक्ति हेतु सामाजिक स्तर पर प्रयास उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि शिक्षा और चिकित्सा स्तर के प्रयास । सामाजिक उपायों में परिवार, नातेदार, मित्रों और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण हैं । परिवार और मित्र- समूह के सम्पर्क व्यक्ति की उस दिशा को प्रभावित करने वाले प्राथमिक तत्व हैं जो वह अपने जीवन में अपनाता है और बनाये रखता है । माता-पिता का बच्चों पर नियंत्रण न तो बहुत उग्र होना चाहिए और न ही इतना ढीला की बना सवच्छंद हो जाये । अगर माता-पिता सामाजिक और नैतिक प्रतिमानों की पालना करते हैं तो बच्चा भी अवश्य करता है । इसी प्रकार बच्चों को सामाजिक आस्था, सुरक्षा और परिवार के निर्णयों में शामिल करने की प्रक्रिया अगर कारगर है तो मादक द्रव्यों की ओर उनके बढ़ने की संभावना उतनी ही कम होती जायेगी।

बोध प्रश्न -2

1. मादक द्रव्यों पर नियंत्रण हेतु माता-पिता कि भूमिका बताइये?
2. शिक्षा से मादक द्रव्य नियंत्रण कैसे संभव है?
3. मादक द्रव्य व्यसन को रोकने में चिकित्सक कि भूमिका बताइये?
4. मादक द्रव्य व्यसन को रोकने के सामाजिक उपायों को बताइये?

6.4 उपचार

नारकोटिक्स मादक द्रव्य व्यसनी का पता लगाना जितना कठिन है, लगभग उतना ही कठिन उपचार करना है । व्यक्तिगत रुप से उनका उपचार अत्यधिक कठिन होता है । ऐसे लोगों का उपचार करने में मादक द्रव्यों के सेवन पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है लेकिन इस प्रकार का नियंत्रण घर पर संभव नहीं होता चिकित्सालयों में ही संभव है । पूर्व में ऐसे रोगियों की चिकित्सा केवल सरकारी सार्वजीनक चिकित्सालयों में ही उपलब्ध हु आ करती थी । धनाढय व्यक्ति निजी स्वास्थय केन्द्रों में उपचार हेतु जाते थे । लेकिन अब ऐसे अनेक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनकी स्थापना नगर पालिकाओं एवं राज्य सरकारों ने की है ।

नारकोटिक मादक द्रव्यों के व्यसीनयों की आश्रितता के उपचार की विभिन्न अवस्थाऐं है:

1. सर्वप्रथम व्यसीनयों को प्रीतगमनशील लक्षणों पर नियंत्रण प्राप्त करने की सलाह दी जाती है । इसके लिए उन्हें नारकोटिक द्रव्यों (प्रथम 8 धण्टे ही) की जगह हल्का मादक द्रव्य, अकसर मेथाडान दिया जाता है । इसका असर 24 से 36 घण्टे तक रहता है । इससे रोगी की मादक द्रव्य लेने की इच्छा और उसके अभाव में उत्पन्न बैचेनी नहीं होती है ।
2. उपचार की दूसरी अवस्था में रोगी प्रतिगमन से मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है । इस अवधि में रोगी के सुई लगने से हु ए घावो की चिकित्सा की जाती है ।
3. इसके उपरांत रोगी को दूसरे वार्ड में भेज दिया जाता है । वहां निरन्तर उपचार के कारण सामान्य भूख एवं खोई हु ई शक्ति को पुन: प्राप्त करते हैं ।
4. कुछ सप्ताह पश्चात् रोगी के स्वस्थ होने के साथ ही व्यवसायिक परामर्शदाता, समाज सुधारक, मनोचिकित्सक आदि उन्हें वास्तविक जीवन में प्रवेश हेतु साक्षात्कार कर तैयार करते हैं । इस दौरान रोगी से चिकित्सालयों में कुछ कार्यो में सहयोग लिया जाता है तथा कुछ विशिष्ट कायों का प्रशिक्षण दिया जाता है । इससे कार्य के प्रति रुचि और कार्य करने की आदत विकीसत होने लगती है और जीवन-शैली परिवर्तित होने लगती है ।
5. रोगी को चिकित्सालय से मुक्त करने के पश्चात् उसकी निगरानी और देखभाल अति आवश्यक होती है । इस दौरान उसके पुराने साथियों एवं मादक द्रव्यों का उपयोग करने वालों से दूर रहकर सामान्य जीवन एवं नए कार्यक्षेत्र में कार्य करने को प्रेरित किया जाता है ।

अनुपरीक्षण करना

निर्वीषीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार किए गए व्यसनियों को उपचार के बाद यूं ही नहीं छोड देना चाहिए । वरन् उनका अनुपरीक्षण एवं अनुपरीक्षण अध्ययन उस समय तक करते रहना होगा जब तक कि वह व्यसन से मुक्त नहीं हो जाता।

सामाजिक कार्यकर्ता यह मानता है कि विशिष्ट उपचार द्वारा समस्या का निदान संभव है। व्यसन न केवल व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ को नष्ट करता है वरन उसके पारिवारिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर परिजनों को पीड़ित करता है । व्यसनी बच्चों के माता-पिता असुरक्षा की भवना, सामाजिक प्रतिष्टा की हानि और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी चिन्ता से घुले रहते हैं । सामाजिक कार्यकर्ता इस समस्या के समाधान हेतु अपने प्रयास करता है जो मादक द्रव्यों के प्रभाव से लेकर सामाजिक एवं आवसायिक स्थिति तक के सभी स्तरों को सुधारने के प्रयास से होते हैं ।

6.5 मादक द्रव्य व्यसनियों का पुर्नवास

व्यसनीयों के पुनर्वास का तात्पर्य "व्यसनीयों की शारीरिक, मनौवैज्ञानिक, सामाजिक और आवसायिक स्थिति को फिर से उसी स्थिति में पुनस्थापित करना है जो व्यक्ति के व्यसनी होने से पूर्व थी । यह इसलिए ताकि वह जीवन के साथ सामंज्स्य रखते हुए एक नये प्रकार के सामान्य जीवन का निर्वाह कर सके ।" व्यसनी के लिए पुनर्वास कार्यक्रम बनाते समय उसके व्यक्तित्व की विशेषताओ उसकी सम्पति,उसके दायित्वो, कार्यकुशलता, योग्यता, विश्वास,पुर्नशिक्षा की संभावनाऐं शारीरिक व आर्थिक प्रतिबंध व सीमाओं सहित कई अन्य मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाता है । व्यसनी स्वयं को भी इस कार्यक्रम को स्वरुप देने में भागीदारी के लिए तैयार होना चाहिए । उसके परामर्श दाताओं, पारिवरिक सदस्यों, शिशको अथवा मानसिक स्वास्थयकर्ताओं को व्यसनी के मनोबल को उँचा बनाए रखने में मदद करनी होगी ।

बोध प्रश्न - 3

1. मादक द्रव्य व्यसनियों की उपचार की विभिन्न अवस्थाएँ बताइये?
2. व्यसनियों का पुनर्वासन क्यों आवश्यक है?
3. उपचार में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका बताइये?

6.6 सारांश

व्यसन उन्मूलन के प्रयासों के लिए वैधानिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय, समाज सेवा के माध्यम से सामाजिक प्रयासों का होना आवश्यक है । इसमें माता- पिता की भूमिका से लेकर केन्द्रीय और राज्य सरकारों की भूमिका महतत्वपूर्ण होती,है। वैधानिक स्तर पर मात्र कानून बनाकर इतिश्री नहीं कर ली जाती वरन् नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत कई योजनाऐं एवं व्यवस्थाऐं विकसित की जाती हैं और कई स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से जन-जन तक पहुँचा जाता है और समाज को विघटित करने वाली प्रत्येक गीतबिधि को नियंत्रित करने के प्रयास किये जाते हैं ।

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

I

1. देखें 6.2.2
2. देखें 6.2.3
3. देखें 6.2.4

II

1. देखें 6.3.1
2. देखें 6.3.2
3. देखें 6.3.3
4. देखें 6.3.4

III

1. देखें 6.4

2. देखें 6.5

3. देखें 6.5.4

6.8 संदर्भ ग्रन्थ

1. आहुजा, राम, सामाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2002
2. बघेल, डी. एस., अपराधशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2005
3. हिन्दुस्तान टाईम्स, 26 जून, 1998, दिल्ली संस्करण
4. सिंह, अवधेश कुमार एवं चदेंल ओम प्रकाश, भारत में मादक द्रव्य : आयाम, प्रवृतियां और पुनर्वासन, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2000

इकाई -7

व्यसन उन्मूलन के मनोवैज्ञानिक समाधान

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 व्यसन की परिभाषा एवं व्यसन के प्रकार

7.2.1 व्यसन की परिभाषा

7.2.2 मादक पदार्थो के प्रकार एवं प्रभाव

7.3 मादक पदार्थो के दुरुपयोग से सम्बन्धित सिद्धान्त

7.3.1 शारीरिक सिद्धान्त

7.3.2 मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त

7.3.3 सामाजिक एवं मनौवैज्ञानिक सिद्धान्त

7.3.4 समाजशास्त्रीय सिद्धान्त

7.4 मादक द्रव्य व्यसन प्रकार एवं समस्या

7.5 व्यसन उन्मूलन के मनोवैज्ञानिक समाधान

7.6 सारांश

7.7 बोध प्रश्न

7.8 बोध प्रश्न के उत्तर

7.9 शब्दाबली

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- मादक पदार्थो के प्रकार एवं प्रभाव जान सकेंगे
- मादक पदार्थो से संबंधित विभिन्न सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे
- व्यसन उन्मूलन के मनोवैज्ञानिक समाधान के बारे में जान सकेंगे

7.1 प्रस्तावना

व्यसन के अन्तर्गत मद्यपान एवं मादक द्रव्य ऐसी सामाजिक समस्याएँ हैं जो आज विश्व के सभी देशों में चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। क्योंकि इनसे तीनों ही प्रकार के विघटनों-वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि आने वाले कुछ वर्षा में भारत इन पदार्थो का सेवन करने वाला पहला व बड़ा देश बन जाएगा। मद्यपान का व्यसन कोई नई बात नहीं है, आदिकाल से ही दुनिया के प्रत्येक देश में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। मद्यपान एक सामाजिक समस्या तब समझी

जाती है, जबकि अत्यधिक मदिरा का उपयोग करके व्यक्ति व्यभीचारी या अपराधिक कार्य करने लग जाता है । आदतन मद्यपान का व्यक्ति के मूल्यों, मनोवृत्तियों, स्वास्थ्य तथा जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझा जा सकता है । इस इकाई में व्यसन से सम्बन्धित प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है । यहाँ पर व्यसन के अन्तर्गत मादक द्रव्य व मद्यपान दोनों पदार्थो को सम्मिलित करके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है ।

'व्यसन' अंग्रेजी के 'एडिक्ट शब्द का रूपान्तरण है जो शारीरिक निर्भरता की स्थिति को प्रकट करता है । व्यसन का तात्पर्य शरीर संचालन के लिए मादक पदार्थो का नियमित प्रयोग करना है, अन्यथा शरीर के सामान्य संचालन में बाधा उत्पन्न होती है । सामान्यत: लोग व्यसन को 'लत' व 'नसेड़ी' व 'दाकडे' व 'पियक्कड़' आदि शब्दों से भी सम्बोधित करते हैं । अत: 'व्यसन' शब्द मुख्यत: शारीरिक निर्भरता को दर्शाता है, जबकि 'दुरूपयोग' अनुचित पदार्थो के सेवन को इंगित करता है जिसका प्रयोग शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकारक होता है । मानव वर्षा से मादक पदार्थो का उपयोग कर रहा है । जैसे - शराब, भाँग, गाँजा, चरस, अफीम, कोकीन, हेरोईन आदि । मानव अनेक प्रकार के मादक पौधों के पत्ते औषधि के रूप में प्रयोग करता आ रहा है । ये मादक पदार्थ कुछ समय के लिए व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम कर देते हैं, चिन्ता, विषाद, कपट तथा यही तक कि व्यक्ति की मनोदशा को भी परिवर्तित कर देते हैं, जिससे अस्थाई मानसिक शान्ति, आनन्द, उल्लास व उन्माद मिलता है ।

सभी युगों में मादक पदार्थो के प्रचलित होने के पश्चात् भी भारतीय संस्कृति में इन्हें सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, सदैव इनकी अवहेलना ही की गई है । मादक द्रव्यों के अनेक दुष्प्रभाव है जो व्यक्ति को निष्क्रिय कर देते हैं । मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मादक पदार्थ या 'ड्रग्स एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मण्डल को प्रभावित करता है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से मनुष्य का वह व्यवहार जो समाज द्वारा स्वीकृत मानकों या नियमों का उल्लंघन करते हु ए किया जाता है, उसे सामाजिक विचलन कहते हैं । ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें नियमों की पूर्ण अनुरूपता पाई जाती हो । ऐसा भी कोई समाज नहीं जिसमें मानकों का पूर्ण उल्लंघन होता हो । मादक पदार्थ एक ऐसा रसायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के मनोमस्तिष्क और चेतना को प्रमावित करता है जिसका दुस्प्रभाव व्यक्ति समाज दोनों पर पड़ता है । मद्यपान और मादक पदार्थो के व्यसन की समस्या में काफी समानता है । दोनों में अल्पकालिक सुखद मनोदशा उत्पन्न करने के लिए मूलत: रासायनिक वस्तुओं का आदतन उपयोग किया जाता है । दोनों के परिणाम अत्यन्त गंभीर हो सकते हैं । दोनों के आदतन व्यक्तियों को दण्ड के बजाय चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता होती है । मद्यपान वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियन्त्रण खो बैठता है जिससे कि वह पीना आरम्म करने के पश्चात उसे बन्द करने में सदैव असमर्थ रहता है । मद्यपान का लक्षण मदिरा का इस सीमा तक बार-बार पीने से जो कि उसके प्रथागत उपयोग या समाज के सामाजिक रिवाजों के अनुपालन से अधिक है और जो पीने वाले के स्वास्थ्य या उसके सामाजिक अथवा आर्थिक कार्य करने को प्रभावित करता है ।

7.2 व्यसन की परिभाषा एवं व्यसन के प्रकार

7.2.1 व्यसन की परिभाषा:-

व्यसन - शरीर संचालन के लिए मादक पदार्थों का प्रयोग करना ।
मादक पदार्थ - एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायुमण्डल को प्रभावित करता है ।

7.2.2 मादक पदार्थो के प्रकार एवं प्रभाव

मादक पदार्थो को मुख्य रूप से चार प्रकारों के आधार पर निम्न चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है।

मादक पदार्थो के प्रकार एवं प्रभाव

प्रकार प्रभाव (लक्षण)	उत्तेजक	निश्चेतक	अवसाद	मायिक
	निंद्रा दूर भगना	उनींदा बनाना	सोने की इच्छा होना	वास्तविकता से दूर जाना
	उदासी दूर भगना	चिंता समाप्त करना	अशक्त सा अनुभव करना	दिन में स्वप्न देखना
	शारीरिक ऊर्जावृद्धि	उदासी दूर करना प्रसन्नचित दिखना	शान्तिदायक व पीड़ा शामक	
	स्नायुमण्डल किर्याशील	भूख नहीं लगना	केद्रीय स्नायुमंडल	
पदार्थ	कोकीन	मार्फीन से निर्मित हेरोइन	नेम्बूटाल	
	मैथेड्रीन	मार्फीन से निर्मित हेरोइन	सिकोनास	
	केफीन	मार्फीन से निर्मित हेरोइन	सेनोरिल	
	डेक्सीड्रीन			

1. उत्तेजक मादक पदार्थ **(Stimulant Drugs):-**

कोकीन, मैथेड्रीन, डेक्सीड्रीन एवं कैंफीन आदि को उत्तेजक पदार्थो की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये पदार्थ निद्रा को दूर भगाते है, उदासी को दूर करते हैं, शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि करते हैं एवं स्नायुमण्डल को क्रियाशील बनाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति सक्रिय, चुस्त व फुर्तीला हो गया है, चित प्रसन्न हो गया है । इस प्रकार ये मादक पदार्थ थकान को कम करके शरीर में स्फूर्ति लाते

हैं । लेकिन यदि इनके सेवन की मात्रा कम है तभी ये व्यक्ति को सक्रिय रखते हैं यदि इनके सेवन की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है । तो इनका प्रभाव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयावह हो जाता है ।

2. निश्चेतक मादक पदार्थ **(Narotic Drugs)**

इस श्रेणी में भाँग, चरस, हेरोइन, गाँजा आदि मादक पदार्थ निश्चेतक मादक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं । ये पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं तथा इनके सेवन से व्यक्ति स्वयं को चिन्ता से मुक्त मानता है, उदासी और विषाद दूर हो जाता है । व्यक्ति प्रसन्नचित दिखाई देता है । इन सभी पदार्थों के प्रभाव से व्यक्ति को भूख नहीं लगती है ।

3. अवसाद मादक पदार्थ **(Depressants Drugs)**

अवसादक मादक पदार्थ के अन्तर्गत नेम्बुटाल, सिकोनाल सेनोरिल आदि आते हैं । इनके सेवन से व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़ा तथा उदास हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ व्यक्ति की माँसपेशियों की क्रियागति को कम कर देते हैं । उच्च रक्तचाप और मिरगी जैसी बीमारी में ये रोगी को दवाई के रूप में दी जाती हैं किन्तु निर्धारित मात्रा से अधिक खुराक के रूप में इनका प्रयोग शरीर के लिए घातक होता है । इस स्थिति में व्यक्ति असहाय, निष्क्रिय और शिथिल हो जाता है ।

4. मायिक या भ्रान्तिजनक मादक पदार्थ **(Hallucinogens Drugs)**

इन मादक पदार्थो में एल.एस.डी. प्रमुख है । इसके प्रयोग से व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला 'जाता है । दिन में स्वपन देखने लगता है । एल.एस.डी. इतना शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है कि नमक के दाने के बराबर इसकी मात्रा भी व्यक्ति के स्नायुमण्डल में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है । व्यक्ति मानसिक रूप से प्रमावित हो जाता है । इस पदार्थ को लेने की लत पड़ जाने के बाद इसे न लेने से व्यक्ति मानसिक तौर पर असंयमित हो जाता है तथा गहरे अवसाद में डूब जाता है ।

5. निकोटीन व मदिरा

निकोटीन पदार्थो के अन्तर्गत बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू गुटखा, सिगार आदि को लिया जाता है । इन पदार्थो के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति के हृदय, फेफड़े व श्वासनली पर प्रभाव पड़ता है । ये पदार्थ केन्द्रीय स्नायुमण्डल में उत्तेजना पैदा करते हैं और व्यक्ति इन पर आश्रित हो जाता है । कुछ व्यक्तियों में इन पदार्थो के अत्यधिक सेवन से मानसिक विकृति भी आ जाती है । मदिरापान या शराब एक ऐसी आदत बन जाती है कि व्यक्ति उसे लेने के लिए विवश हो जाता है । कुछ लोग आरम्म में इसे थकान व मन की उदासी को दूर करने के लिए लेते है तथा कुछ लोग उत्तेजना अथवा उत्साह के रूप में इसे ग्रहण करते हैं । मदिरा के प्रभाव से तनाव शान्त होता है, निर्णय क्षमता मन्द हो जाती है । इसके अत्यधिक सेवन से हृदय रोग व फेफड़े में रोग की सम्भावनाएँ बढ जाती हैं ।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने व्यक्ति के मादक पदार्थो का दुरूपयोग करने के निम्न कारण बताये

1. मनोवैज्ञानिक कारण - जिन व्यक्तियों का सांवेगिक विकास अपूर्ण होता है, अतिसंवेदनशील होते हैं, स्वावलम्बी नहीं हैं, स्वयं को अयोग्य, अकुशल, कमजोर एवं सुप्त व्यक्तित्व वाले है, वे इन मादक पदार्थो का दुरूपयोग करते हैं क्योंकि ये पदार्थ उनके तनाव, आलस्य और संघर्ष को कम करते है । अवसाद को शान्त करते हैं, उनके कौतूहल और आनन्द को जागृत करते है।
2. सामाजिक कारण - जिन समाजों में मादक पदार्थो के सेवन की स्वीकृति प्राप्त है, उसे उच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है । इन्हें आध्यात्मिक चिंतन एवं मनन का उत्प्रेरक माना जाता है।

3. शारीरिक कारण - सुखानुभूति की आकांक्षा, मनोदशा परिवर्तन, उदासी व विषाद को कम करना और स्वयं में उत्तेजना पैदा करने के लिए इन मादक पदार्थो का दुरूपयोग किया जाता है । ये पदार्थ दुःख निवारक, निद्रा लाने वाले, काम-भावना को उत्तेजित करने वाले आदि माने जाते हैं।

4. सुगमता से उपलब्ध - इन मादक पदार्थो के दुरूपयोग का एक कारण यह भी है कि समाज में इनकी उपलब्धि सुगमता से हो जाती है । प्राचीन समय से ही अफीम, गाँजा, चरस, बीड़ी, शराब और मार्फीन जैसे पदार्थ सरलता से व्यक्तियों को उपलब्ध होते रहे है । व्यक्तिगत समस्याओं के हल एवं स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।

7.3 मादक पदार्थो के दुरूपयोग से सम्बन्धित सिद्धान्त

पदार्थो के दुरूपयोग-सिद्धान्त

शारीरिक सिद्धान्त	मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त	सामाजिक - मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त	समाजशास्त्रीय सिद्धांत
	1. प्रबलीकरण का सिद्धान्त 2. व्यक्तित्व का सिद्धान्त 3. शक्ति का सिद्धान्त		1. तनाव का सिद्धान्त 2. सामाजिक सीख का सिद्धान्त 3. विभिन्न संपर्क का सिद्धान्त 4. उप-संस्कृति का सिद्धान्त

1. शारीरिक सिद्धान्त - इस सिद्धान्त को मोरडोन्स रेन्डाल्फ और निमविच एवं स्किलवर्थ ने प्रतिपादित किया था । इसे 1910 और 1920 के दशकों में स्वीकार किया गया था । इस सिद्धान्त की मान्यता है कि शारीरिक रोगों और दोषों के कारण तथा मादक पदार्थो के रासायनिक गुणों का शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति इनका सेवन करते हैं । इस सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री स्वीकार नहीं करते है ।

2. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त - मादक पदार्थो के दुरूपयोग से सम्बन्धित तीन मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हैं जो निम्न प्रकार है

(अ) प्रबलीकरण का सिद्धान्त **(Theory of Reinforcement)**

इस सिद्धान्त को अब्राहम विलंकर ने प्रतिपादित किया । इस सिद्धान्त के आधार पर प्राणी आनन्द पैदा करने वाली तथा पीड़ा को दूर करने वाली क्रियाओं को दोहराते रहते है । अर्थात मादक पदार्थो की सुखद अनुभूतियाँ उनके उपयोग को बढ़ाती है इन्हें प्रबलीकरण की क्रियाएँ कहा जाता है ।

(ब) व्यक्तित्व का सिद्धान्त **(Theory of presonality)**

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक और समर्थक रॉबर्ट फीड बेल्स, चेन और नाइट हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार मादक पदार्थो के सेवन का कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशिष्ट लक्षण है । यह लक्षण मुख्य रूप से 'आश्रित व्यक्तित्व का होना है । इस प्रकार से व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्तित्व के होते हैं ।

(स) शक्ति का सिद्धान्त **(Theroy of Power)**

डेबिड मैक्थेलेण्ड ने शक्ति के सिद्धान्त का विकास किया । इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति उन संघर्षो को सुलझाने के लिए मादक पदार्थो का सेवन करता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत शक्ति प्राप्त न कर सकने के कारण उसमें उत्पन्न होते हैं । एक सामान्य रूप से मादक पदार्थो का सेवन करने वाला व्यक्ति इसके सेवन से सामाजिक शक्ति की सुखद अनुभूति प्राप्त करता है जबकि अत्यधिक मादक पदार्थो का सेवन करने वाला व्यक्ति शक्ति की आवश्यकता के कारण आदत से मजबूर होकर उनका सेवन करता हे ।

7.3.1 सामाजिक - मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Social Psychological Theroy)

हावर्ड ब्रेकर और एरिक्सन ने इस सिद्धान्त में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थो का सेवन करने वाले का लेबल लग जाने के दवाब के कारण ही दुरूपयोगी बन जाता है अर्थात सामाजिक नियमों से विचलन, उन व्यक्तियों की क्रियाओं में नहीं होता जिन्हें 'विचत व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, परन्तु यह विचलन देखने वालों की आँखों में होता है तथा उस विधि में होता है जिसके द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति की क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

4. समाजशास्त्रीय सिद्धान्त (Sociological Theory) : -

समाजशास्त्रीय सिद्धान्त मादक पदार्थो के दुरूपयोग को सामाजिक परिस्थितियों एवं सामाजिक व्यवस्था में खोजने का प्रयास करते हैं । सामाजिक कारक व्यक्ति को मादक पदार्थो का व्यसनी बनाते है ।

(i) विभिन्न सम्पर्क सिद्धान्त :- इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सदरलैण्ड ने किया है । सदरलैण्ड के अनुसार व्यक्ति जब मादक पदार्थ का सेवन करने वालों के सम्पर्क में आता है, उनके साथ रहता है, उठता-बैठता है तो धीरे धीरे वह भी मादक पदार्थो का सेवन करने लग जाता है । ऐसा छोटे एवं घनिष्ठ समूहों में विशेष रूप से होता है।

(ii) तनाव का सिद्धान्त:-. इस सिद्धान्त के समर्थक राबर्ट किंग मर्टन हैं । इनके अनुसार तनाव का कारण लक्ष्यों और साधनों के बीच विसंगीत है । जब व्यक्ति अपनी संस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों को समाज द्वारा मान्य साधनों से पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह हताश हो जाता है और परेशान हो कर मादक पदार्थो का सेवन करना आरम्भ कर देता है तथा आगे चलकर व्यसनी बन जाता है ।

(iii) सामाजिक सीख का सिद्धान्त: - सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्त कर्ता जोर देने वालों के सामाजिक स्रोतों की भी भूमिका मानता है, जो मादक पदार्थो के सेवन के पक्ष में होते हैं वे प्रबलीकरण करते हैं और नए व्यक्तित्व को सेवन करने के लिए जोर डालते है और धीरे-धीरे व्यसनी बन जाता है । इसी सिद्धान्त को सामाजिक सीख का सिद्धान्त कहते हैं ।

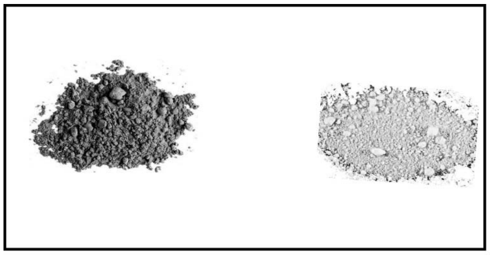

प्लेट–1 हेरोइन जो ब्राउन शूगर के नाम से विख्यात है।

प्लेट–2 बार्बिच्यूरेट्स

प्लेट–3 कोकीन

प्लेट–4 विभिन्न रूपों में कैनाबिरा

प्लेट–5 एम्फीटामीन

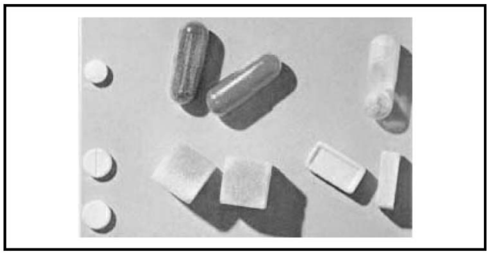

प्लेट–6 एल. एस. डी.

चित्र संख्या- 7.1

स्त्रोत: अनिल अग्रवाल की पुस्तक से लिया गया, मादक औषधियां, एन बी टी इण्डिया, 2005

प्लेट–16 हेरोइन धूम्रपान का ठेठ भारतीय तरीका

प्लेट–17 मेन लाइनिंग–हेरोइन सीधे नसों में इंजेक्ट की जाती है।

चित्र संख्या - 7.2

स्त्रोत अनिल अग्रवाल की पुस्तक से लिया गया,

प्लेट- 18 नशों के बढ़ते दुरुपयोग से लोगो को अवगत करने के लिए कई देंशो में डाक टिकट जारी किए गए । पोस्त का फल मादक औषधि के प्रतीक के रूप में कई टिकटों पा देखा जा सकता है।

चित्र संख्या - 7.3

स्त्रोत अनिल अग्रवाल की पुस्तक से लिया गया,

प्लेट-19 प्लेट 18 की तरह यहां भी कई टिकटों पर नशों के दुरुपयोग को खोपड़ी के निशान से दर्शाया है - मौत और विनाश का प्रतीक।

चित्र संख्या - 7.4

स्त्रोत अनिल अग्रवाल की पुस्तक से लिया गया,

(vi) उप-संस्कृति का सिद्धान्त :-व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है । इस व्यवहार का मूल्यांकन बाहरी समूह करता है कि व्यवहार समाज सम्मत है अथवा समाज विरोधी (विचलित) है । विचलन का निर्णय थोपा जाता है । दो उप-संस्कृतियों के मूल्यों में संघर्ष के परिणामस्वरूप लोग मादक पदार्थों के व्यसनी बन जाते है ।

7.4 मादक द्रव्य व्यसन प्रकार एवं समस्या :

अंग्रेजी में 'ड्रग' शब्द का प्रयोग दवाई के लिए भी किया जाता है और बहुत सी दवाओं में मादक द्रव्यों का प्रयोग भी होता है । इसलिए उन मादक द्रव्यों का परिचय दिया जाना आवश्यक है जो व्यसन की समस्या पैदा कर रहे हैं । मादक द्रव्यों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है । (1) मादक द्रव्य जो प्रतिबन्धित (गैर कानूनी) हैं । (2) दूसरे वे जो उपचार हेतु नुस्खे के रुप में जो विशेष फूलों, पौधों व पत्तियों के रसों से तैयार होते हैं । और अन्य वे मादक द्रव्य जिनका उत्पादन फैक्टरियों में किया जाता है जिन्हें कृत्रिम द्रव्य के रूप में समझा जाता है । प्रतिबन्धित मादक द्रव्य निम्न हैं:- अफीम, मार्फीन हेरोइन, या ब्राउन शुगर, गांजा, चरस व कोकीन आदि । मादक द्रव्यों को तीन श्रेणीयों में विभाजित किया जाता है । (1) उत्तेजक (कोकीन, डक्सीड्रीन, मेथेड्रीन आदि) (11) निश्चेतक (अफीम, गांजा, चरस आदि) और (।।l) मायिक या भ्रान्तिजनक (एल.एस.डी.) आदि । उत्तेजक द्रव्य खाने से नींद नहीं आती है और ऐसा लगता है कि शरीर की उर्जा शक्ति बढ़ गई है; निश्चेतक द्रव्य खाने से उनींदापन महसूस होता है, चित प्रसन्न रहता है तथा उदासी की भावनाएँ दूर हो जाती हैं । मायिक द्र्व्यों के प्रयोग से व्यक्ति दिन में सपने देखने लगता है तथा उसका सम्बन्ध वास्तविकता से टूट जाता है।

आज समाज में मद्यपान ही एक समस्या नहीं है बल्कि अन्य नशीले द्रव्यों (जैसे अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, भांग, एल.एस.डी) आदि नशा उत्पन्न करने वाले हैं । प्रत्येक समाज में मादक द्रव्य व्यसन एक चिन्ता का विषय बना हुआ है । प्राय ऐसा देखा गया है कि अगर एक बार इस प्रकार के मादक द्रव्य की व्यक्ति को लत पड़ जाती है तो इसे छोड़ना कठिन होता है ।

7.5 व्यसन उन्मूलन के मनोवैज्ञानिक समाधान

व्यसन उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर किये जा रहे हैं । इसके बावजूद भी व्यसनियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो समाज में चिन्ता का विषय है । व्यसन उन्मूलन में मनोवैज्ञानिक प्रयास के अन्तर्गत व्यक्ति की मानसिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाना होता है ताकि व्यसन से मुक्ति मिल सके । व्यसन उन्मूलन में प्राथमिक समूह की भूमिका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है । प्राथमिक समूह के अन्तर्गत परिवार, मित्र समूह व पड़ौस की भूमिका अहम मानी जाती है । व्यसन उन्मूल में निम्नलिखित कारकों को महत्वपूर्ण समझा जा सकता हैं.

(i) परिवार में माता-पिता का व्यसनी के प्रति सहयोग पूर्ण व्यवहार अपेक्षित होता है । जिसमें व्यसनी पुन: सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन यापन कर सके । माता-पिता का नियन्त्रण न बहुत उग्र हो और न बहुत ढीला जिससे बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर मिल सकें ।

(ii) परिवार में माता-पिता सामाजिक और नैतिक प्रतिमानों का इतना पालन करें कि बच्चों के लिए वे उदाहरण प्रस्तुत कर सकें ।

(iii) बच्चे माता-पिता में आस्था व सुरक्षा का विचार प्रदर्शित करें तथा अपनी समस्याओं के समाधान में उनकी सलाह व सहायता लें ।

(iv) माता-पिता अपने बच्चों के जीवन में रूचि ले तथा वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सजग रहें ।

(v) परिवार का आकार आय की दृष्टि से इतना प्रबन्धकीय हो कि परिवार में कोई भी बच्चा जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति से पीड़ित न हो । परिवार की तरह मित्र समूहों का दबाव भी मद्‌यपान व मादक द्रव्य के दुरूपयोग में प्रभावी है ।

(vi) मादक पदार्थो के दुरूपयोग पर नियन्त्रण करने की एक प्रमावशाली और व्यवहारिक विधि शिक्षा देना है । जो लोग इसके व्यसन में पड गए है उनको शिक्षा के माध्यम से इसके दुष्परिणाम बताने चाहिए । विभिन्न प्रकार के पोस्टरों, चित्रों व दूरदर्शन के कार्यक्रमों, पाठ्‌यक्रम में विषय के रूप में रखकर औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा द्‌वारा लोगों को मादक पदार्थो की हानियों से अवगत करवाना चाहिए ।

समाजीकरण की प्रक्रिया की प्रभावशाली एजेन्सियाँ जैसे - परिवार, पड़ौस, मित्र मण्डली, शिक्षक, पाठशाला, पुस्तकें आदि भी मादक पदार्थो के दुष्परिणाम से सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

(vii) मादक पदार्थो का प्रसार और प्रचार करने में चिकित्सकों की भी प्रमुख भूमिका रहती है । मादक पदार्थो का उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में औषधि के रूप में चिकित्सक करते हैं तथा सलाह देते हैं । चिकित्सक इन मादक पदार्थो से बनी औषधियों को सेवन करने का परामर्श जन साधारण को देते रहते हैं । मादक पदार्थो का दुरूपयोग होने पर व्यक्ति व्यसनी बन जाता है । अत: मादक पदार्थो के दुरूपयोग के नियन्त्रित करने के लिए चिकित्सकों को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा । तथा विशेष परिस्थितियों में ही मादक पदार्थो से बनी औषधियों को लेने की सलाह देनी चाहिए। इस सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित भी करनी होगी, जिससे औषधियों के रूप में मादक पदार्थो का दुरूपयोग नियन्त्रित किया जा सके ।

कानून में व्यसनियों से सम्बन्धित प्रावधान :

द नारकोटिस ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सबसटेंसेज एक्ट 1985 में बनाया गया । जिसमें 1989 में कुछ संशोधन किए गए । इसमें अवैध व्यापार की रोकथाम सम्बन्धी प्रावधान हैं । इस कानून के अन्तर्गत कम से कम दस वर्ष का कारावास, सम्पत्ति जब्त करने, आर्थिक जुर्माना एवं मृत्यु दण्ड तक की सजा का भी प्रावधान है । भारत सरकार ने मादक पदार्थो के आपार एवं प्रयोग पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से नारकोटिस इण्टेलिजेन्स ब्यूरो की स्थापना की है ।

आज समाज में मद्‌यपान ही एक समस्या नहीं है बल्कि अन्य नशीले द्रव्यों (जैसे अफीम, गांजा चरस, कोकीन, भांग, एल.एस.डी.) आदि नशा उत्पन्न करने वाले हैं । प्रत्येक समाज में मादक द्रव्य व्यसन एक चिन्ता का विषय बना हुआ है । प्राय: ऐसा देखा गया है कि अगर एक बार इस प्रकार के मादक द्रव्य की व्यक्ति को लत पड़ जाती है तो इसे छोड़ना कठिन होता है ।

7.6 सारांश

व्यसन उन्मूलन हेतु विभिन्न सिद्धान्तों व मनोवैज्ञानिक उपायों का विश्लेषण किया गया है । व्यसन उन्मूलन के लिए जन शिक्षण आवश्यक है तथा लोगों को इनसे होने वाली हानियों का ज्ञान कराया जाए । जो लोग इन पदार्थो के सेवन के आदी हो गए हैं, उनका रासायनिक एवं अन्य विधियों से उपचार कर उनकी आदत धीरे - धीरे कम कर छुड़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए । यदि परिवार का वातावरण शान्त, प्रेम पूर्ण, पारस्परिक स्नेह एवं आदर से परिपूर्ण होगा तो बच्चा परिवार के प्रति लगाव महसूस करेगा तथा नशीले पदार्थो का सेवन नहीं करेगा । मित्र समूह भी व्यसन उन्मूलन में महत्वपर्ण भूमिका निभाते है । समय-समय पर माता-पिता को मित्र समूह के क्रियाकलापों से भी अवगत होना चाहिए । व्यसनियों के उपचार के लिए कानून द्वारा प्रावधान करना, व्यसन रहितता योजना चलाना, परामर्श केन्द्रों द्वारा मादक पदार्थो के व्यसन के घातक प्रमाव बताकर समस्या को कम करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं । सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यसनियों के उपचार, शिक्षा, उत्तर शिक्षा, पुन: स्थापन आदि के लिए नीति निर्धारित करे । ऐसे संगठनों को सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करे जो व्यसन उन्मूलन हेतु वचनबद्ध है ।

7.7 बोध - प्रश्न:

1. व्यसन को परिभाषित कीजिये।
2. मादक द्रव्य व्यसन का अभिप्राय है?
3. एल.एस.डी. क्या है?
4. मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभाव बताइये।
5. मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिये कौन-कौन से कानून बनाये गये है?

7.8 बोध- प्रश्नों के उत्तर -

(i) व्यसन शब्द का तात्पर्य है शारीरिक निर्भरता की वह स्थिति जिसमें शरीर को अपने कार्य संचालन के लिए द्रव्य का निरन्तर सेवन चाहिए ।

(ii) मादक पदार्थो पर शारीरिक निर्भरता । यह वह दशा है जिसमें शरीर के कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ के प्रयोग की आवश्यकता होती है ।

(iii) एल.एस.डी - एक भ्रमोत्पादक पदार्थ है जो अफीम, गांजा, और चरस को सम्मिलत करके बनाया जाता है ।

(iv) इससे शारीरिक क्षमता घट जाती है, दुर्बलता पैदा होती है । शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

(v) सन् 1965 में नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सबस्टेंसेज़ एक्ट बनाया गया । भारत सरकार ने मादक द्रव्यों के व्यापार एवं प्रयोग पर नियन्त्रण रखने के लिए नारकोटिक्स इन्टेलिजेन्स ब्यूरों की स्थापना की ।

7.9 शब्दावली

ड्रग्स - मादक पदार्थ

व्यसन	-	लत पड़ना
निश्चेतक	-	बेहोशी
एल.एस.डी.	-	लाइसर्जिक एसिड डिथाइलेमाइड

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्रवाल, अनिल : मादक औषधियां, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, 2005
2. आहुजा, राम : सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर ।
3. गुप्ता, एम. एल., एवं शर्मा, डी. डी. : भारतीय सामाजिक समस्याऐं, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा ।
4. अग्रवाल, अनिल : 1000 कानून क्विज, रुपा एण्ड कम्पनी, 1992

इकाई-8

नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल I: विचार

इकाई की रूपरेखा:-

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल
8.3 माणकलाव का परिचय
8.3.1 अफीम का सेवन एक आस्था
8.3.2 अफीम के सेवन से संबंधित भ्रान्तियाँ
8.3.3 माणकलाव मॉडल का विचार
8.3.4 नशा मुक्ति के सरकारी / गैर सरकारी प्रयास एवं प्रमुख अधिनियम
8.4 सारांश
8.5 बोध प्रश्न
8.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य :

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल का परिचय प्राप्त कर सकेंगे
- अफीम का सेवन एक आस्था (स्वीकृत परम्परा) के रूप में है यह समझ सकेंगे स्पष्ट करना
- अफीम के सेवन से संबंधित भ्रान्तियों का निवारण कर सकेंगे
- नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल के विचार जान सकेंगे
- नशा मुक्ति के सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयास एवं प्रमुख अधिनियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे

8.1 प्रस्तावना :

पाठ्यक्रम की प्रारंभिक इकाइयों में अब तक, आपने विचलन व्यवहार, नशा, राजस्थान में नशे के प्रकोप एवं व्यसन उन्मूलन के बारे में विस्तार से पढ़ा । इस इकाई में आप मुख्य रूप से नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इस इकाई में माणकलाव का परिचय, विचार तथा अफीम के सेवन से संबंधित भ्रान्तियों के निवारण को समझाने का प्रयास किया गया है । पूर्व के अध्ययन में आपने यह जान लिया होगा कि मादक द्रव्य व्यसन की समस्या किसी एक देश या स्थान तक सीमित नहीं है अपितु विश्व के सभी मानव समुदायों में कमोबेश रूप में यह समस्या समाज के सम्मुख है । इस समानता के बावजूद एक अन्तर यह अवश्य है कि विश्व के विभिन्न समुदायों में जिन मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है वे सभी स्थानों पर एक समान नहीं हैं । भारतीय समाज भी इसका अपवाद नहीं है । जहॉ तक भारतीय समाज का प्रश्न है हमें दो भिन्न प्रकार की स्थितियाँ दृष्टिगत होती हैं । एक ओर परम्परागत नशीले पदार्थो का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, तो दूसरी ओर

ऐसे भक्ति भी हैं जो आधुनिक नशीले पदार्थो का सेवन करते हैं । इस अन्तर को मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में समझा जा सकता है । ग्रामीण समुदायों में आज भी परम्परागत नशीले पदार्थो का सेवन सर्वाधिक देखने को मिलता है जबकि नगरों और महानगरों में आधुनिक नशीले पदार्थो के सेवन की प्रवृति बढ़ी है ।

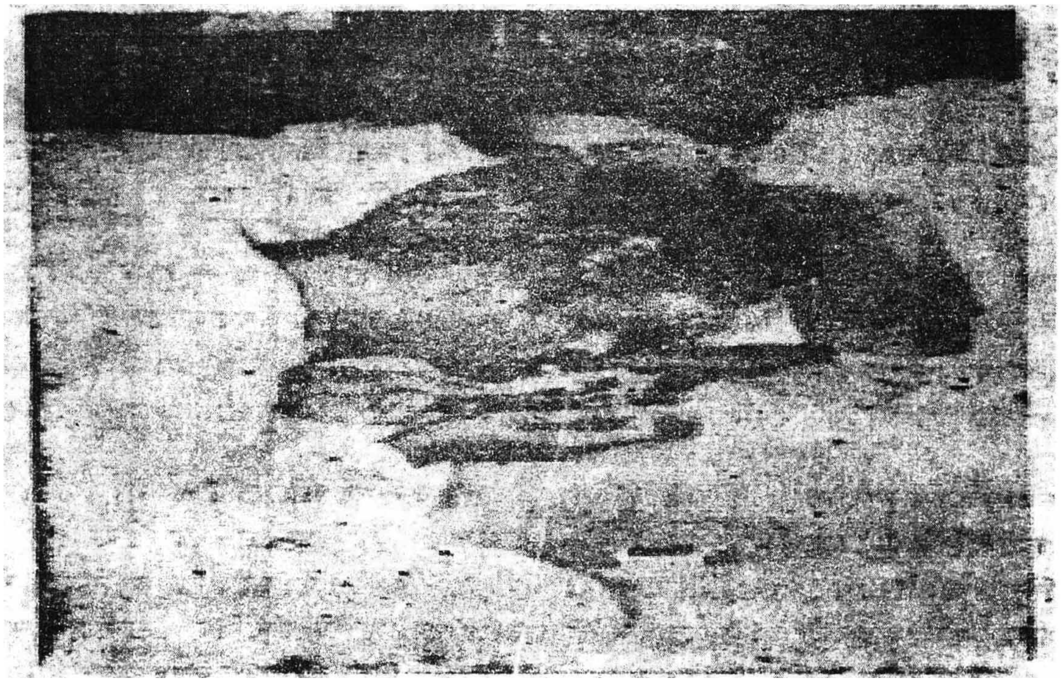

चित्र संख्या-8.1

राजस्थान की बात करें तो कहा जा सकता है कि यहाँ परम्परागत और आधुनिक दोनों ही प्रकार के नशीले पदार्थो के सेवन की परम्परा है । परम्परागत रूप से यही अफीम चरस, गांजा, मांग आदि का बहुतायत से उपभोग होता रहा है वहीं वर्तमान समय में ब्राउन-शुगर, एलएसडी., हेरोइन, कोकीन आदि आधुनिक द्रव्यों का उपभोग बहुतायत में बढ़ा है । ये नशीले पदार्थ तस्करी के कारण एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भेजे जाते हैं, इस कारण इनके मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होते हैं । इन नशीले पदार्था के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि इन पदार्थो में व्यसन की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना सर्वाधिक रहती है । व्यसनी बनाने के साथ-साथ ये पदार्थ व्यक्ति को शारीरिक रूप से खोखला करते हैं वहीं उसके वैयक्तिक, पारिवारिक विघटन और अन्तिम रूप से सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण समुदायों और कस्बों में नशे में परम्परागत पदार्था में अफीम का सेवन व्यापक रूप से प्रचलित है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे-जैसे हम महानगरों, नगरों से कस्बों और गाँवों की ओर बढ़ते हैं वही आधुनिक नशीले पदार्थो से परम्परागत नशीले पदार्थो की ओर उन्मुखता बढ़ती जाती है । इस मौलिक भेद को समझे बिना नशीले पदार्थो के सेवन के सन्दर्भ की स्थिति को सही रूप से नहीं समझा जा सकता ।

भारतीय समाज में एक ओर परम्परा से मादक पदार्थो के सेवन का प्रचलन रहा है वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में यह भी दिखाई देता है कि औद्योगीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सम्पर्क एवं

आधुनिकीकरण के प्रमाद के परिणामस्वरूप नवीन या आधुनिक नशीले पदार्थों जैसे कोकीन, हेरोइन, ब्राऊनशुगर आदि का उपयोग बढ़ा है ।

8.2 नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल

चित्र संख्या -8.2

मानव कल्याण हेतु राष्ट्रीय सेवा में संलग्न माणकलाव चिकित्सा पद्धति नशा मुक्ति का एक अद्वितीय प्रयास है । नशा मुक्ति हेतु माणकलाव में प्रतिमाह शिविर लगाये जाते हैं । इन शिविरों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें शिविरार्थी को न केवल चिकित्सा प्रदान की जाती है, अपितु समाज में उनके पुनर्वास एवं नशे के वसन के विरूद्ध चेतना और जागरूकता भी उत्पन्न की जाती है । नशा मुक्ति का यह मॉडल उपचार के लिए अपनी ही विशेष विधि को अपनाता है । नशा मुक्ति के माणकलाव के शिविरों के उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग स्वयं को नशा मुक्त कराने की बारी का इंतजार करते हैं ।

8.3 माणकलाब का परिचय

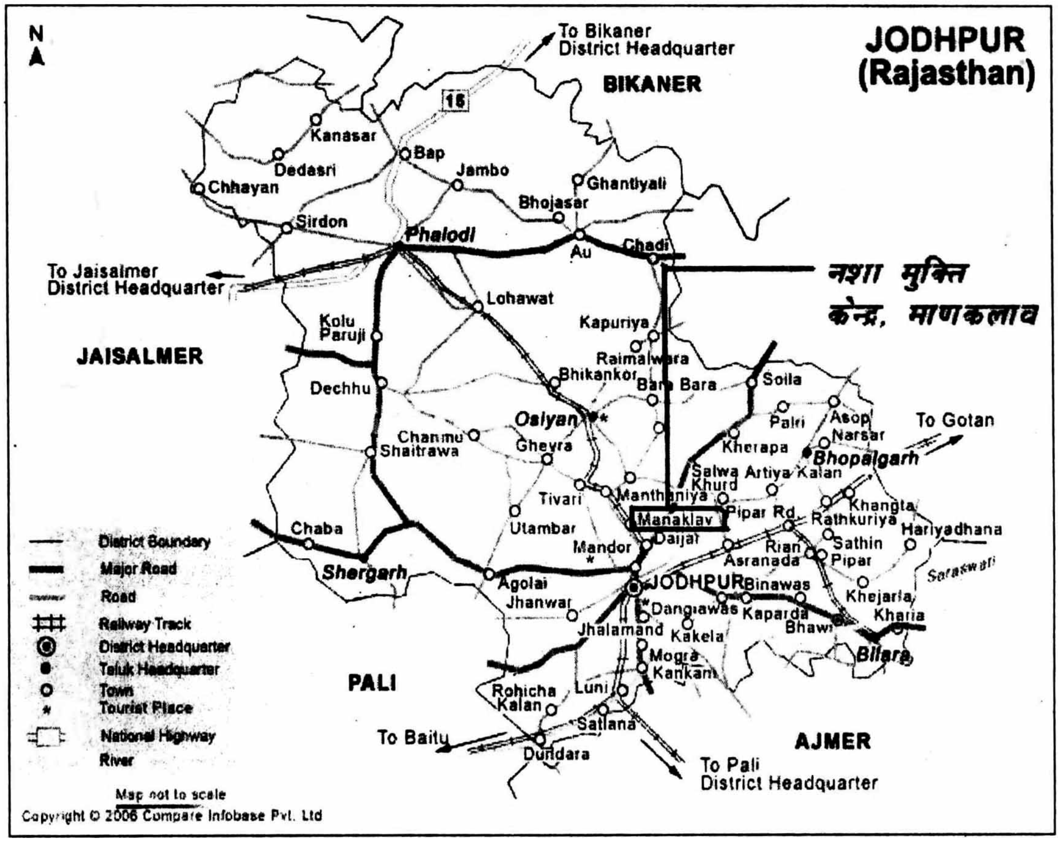

चित्र संख्या-8.8

नशा मुक्ति के क्षेत्र में अपनी अद्‌वितीय पहचान बनाने वाला क्षेत्र माणकलाव जोधपुर, जैसलमेर मार्ग पर जोधपुर से लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । संस्था तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग सर्वोत्तम है । सन् 1979 से लगातार यही नशा मुक्ति के शिविर लगाये जा रहे हैं । अब तक लगाये गये शिविरों में लगभग 28274 लोगों को नशामुक्त किया जा चुका है । माणकलाव में नशा मुक्ति हेतु 100 चारपाईयों की व्यवस्था है । जिनमें से 45 सरकारी एवं 55 स्वयं संस्था की हैं । सरकारी चारपाईयों पर नशा मुक्ति हेतु सरकारी अनुदान भी प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त 55 पर व्यसिनयों की आवास एवं भोजन की व्यवस्था स्वयं संस्था द्‌वारा की जाती है ।

एक क्षणिक मिथ्या शान्ति के लिए व्यक्ति अपनी सम्मूर्ण जिन्दगी को दाव पर लगा देता है । इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है "आदमी के नशे की तरफ बढ़ते कदम' । नशे की इस समस्या का सम्मूर्ण मानव जाति को खतरा है । आज उन्नत और विकासशील राष्ट्र युद्ध स्तर पर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं । जहाँ नगरों की समस्या को निपटाने के कई नये-नये तरीके विभिन्न राष्ट्रों के द्‌वारा अपनाए जा रहे हैं वही एक अनोखा एवं अपने-आप में अछूता तरीका, राजस्थान के माणकलाव ग्राम में पनपा, जिससे आज सम्मूर्ण विश्व आश्चर्यचकित है ।

यह पद्धति "माणकलाव शिविर पद्धति' ' के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ मानवता का सजीव उदाहरण देखने को मिलता है। नशा मुक्ति हेतु माणकलाव शिविर चिकित्सा पद्धति एक अद्वितीय प्रयास है। नशीले पदार्था के सेवन से मुक्त हुए एक व्यसनी के शब्दों में "माणकलाव मेरे लिए कोई संज्ञा नहीं अपितु एक विचार है।" माणकलाव में मूलत: अफीम नशा मुक्ति केन्द्र चलाया जाता है। नशा मुक्ति के इस अभियान में सभी जाति, वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से कार्य किया जाता है।

8.3.1 अफीम का सेवन एक आस्था

भारतीय समाज का अंग होने के कारण राजस्थान में भी जातीय विविधता दृष्टिगत होती है। वर्तमान सस्वय में आधुनिक समाजों में विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थो का सेवन और प्रचलन देखने को मिलता है लेकिन मांग, चरस, गांजा और महुआ के द्वारा तैयार किए गए पदार्थ और अफीम का उपयोग लगभग सभी समाजों में दिखाई देता है। प्राचीन समय में जब इन नशीले पदार्थो का सेवन किया जाता था, उसके पीछे सामाजिक अस्वीकृति या बुराई जैसी बात नहीं थी जैसी कि वर्तमान समय में नशीले पदाथों के सेवन के संबंध में है। इसी का एक उदाहरण अफीम के सेवन के पीछे सामुदायिक स्वीकृति का होना है।

अमल खाना मारवाड़ के निवासियों के लिए कोई नई बात नहीं है। मारवाड़ ही नहीं अपितु सम्मूर्ण राजस्थान की क्षत्रीय सामन्ती परम्परागत रूढ़ियों में अफीम का सेवन एक महत्वपूर्ण व्यवहार रहा है। इतिहास के प्रमाणों से तो इनकी प्राचीनता को आंकना कठिन है परन्तु यह सत्य है कि लोकाचार में अफीम का सेवन परम्परागत रहा है। चाहे त्यौंहारों, पर्व के दिन हों या पारस्परिक मनमुटाव को दूर कर पुन: मैत्री स्थापित करने का समय हो, अफीम सेवन से तो यहाँ का लोक जीवन प्रभावित रहा है। विभिन्न सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रान्तों में इसका प्रयोग प्रचुरता से होता रहा है।

विश्व समाज में होने वाले तीव्र परिवर्तन के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण समुदायों में नशीले पदार्थो के रूप में आज भी अफीम का प्रचलन है और आज भी इसे बुरा नहीं माना जाता।

पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर ग्रामीप समुदायों में अफीम के सेवन की एक स्वीकृत परम्परा रही है, इसके पीछे यह धारणा रही है कि अफीम के सेवन को चूंकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त थी इस कारण ही इसे रोकने का सबल प्रयास किया गया। पश्चिमी राजस्थान के इन ग्रामीण समुदायों में प्रभुता सम्पन्न जातियों में विभिन्न अवसरों पर जैसे बच्चे के जन्म, परिवार में विवाह, सामाजिक उत्सव और खुशी के अन्य मौकों पर अफीम का सेवन किया जाता रहा है और विडम्बना यह रही है कि ऐसी मनुहार को न मानना निरादर का सूचक माना जाता रहा है। लेकिन जहाँ राजस्थान में अफीम सेवन के पीछे समुदाय की स्वीकृति है वहीं अन्य भागों और विश्व के सभी समुदायों में नशीले पदार्थो के सेवन, के पक्ष में सकारात्मक स्थितियाँ दृष्टिगत नहीं होती।

अत: कहा जा सकता है कि राजस्थान में परम्परागत रूप से अफीम का सेवन होता रहा है तथा इसे लोकाचार के रूप में देखा जाता है। इस आधार पर अफीम के सेवन को एक आस्था के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि लोकाचारों के उल्लंघन पर समूह तीव्र प्रतिक्रिया करता है। अफीम के सेवन की मनुहार को न मानना निरादर का सूचक है। इसी प्रकार से परम्परागत रूप से ग्रामीण

अफीम का प्रचलन उसकी हताई / रेवाण करना
सामाजिक कोढ़ है
जिससे गरीबी, भुखमरी और बिमारी की मवाद निकलती है ।
नैतिकता का पतन व कानूनन अपराध है ।
आओ! आज इस राक्षस से
मानवता को बचाने में सहयोगी बनो
माणकलाव की आवाज में आवाज दो

अफीम की

मनुहार बन्द! हताई बन्द!! रेवाण बन्द! !!!

समाजों में यह विभिन्न अवसरों पर खुशी प्रकट करने एवं मनोरंजन का एक माध्यम था ।

8.3.2 अफीम के सेवन से संबंधित भ्रान्तियॉ

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है राजस्थान में भी ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है । ग्रामीण क्षेत्रों में यह आम धारणा प्रचलित है कि गरीब कृषक जो कि खेतों में कार्य करते हैं अफीम सेवन से अपनी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं तथा अफीम के सेवन से उन्हें थकान का एहसास भी नहीं होता ।

यहॉ स्पष्ट करना अनिवार्य है कि नशीले पदार्थो की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी से राज्य में अपराधिक प्रवृतियॉ एवं वैधानिक उलझनों में भी बढ़ोतरी हुई है, अर्थात् व्यक्ति अपनी आय का बडा हिस्सा नशीले पदार्थो के सेवन में उड़ाते हैं और खेती की ओर कम ध्यान देते हैं ।

राजस्थान के पश्चिमी भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम का उपयोग सर्बाधिक रूप से किया जाता है । वास्तव में नशीले पदार्थो के संबंध में जानकारी और इनका उपभोग कोई वर्तमान समय की बात नहीं है अपितु वास्तविकता यह है कि शताब्दियों पूर्व भी व्यक्ति नशीले पदार्थो के बारे में जानकारी रखता था और उसका उपभोग करता था । इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि आज से चार हजार वर्ष पूर्व भी भारत, यूरोप, चीन, मिश्र और रोम में अफीम की खेती की जाती थी, तथा बिमारियों के उपचार के रूप में इसका उपयोग किया जाता था ।

भारतीय संस्कृति में धार्मिक ग्रन्धों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि प्रमुख देवी देवता जैसे शिव भांग का उपभोग करते थे । मध्यकाल और मुगलकाल में भी अफीम और मांग के उपभोग के प्रमाण मिलते हैं । इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थो का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता था, लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे पदार्थो का उपयोग केवल दवाई के रूप में ही नहीं किया जाता था बल्कि किसी न किसी नशीले पदार्थो का सेवन बड़े लोगों (धनाढ्य वर्ग) के जीवन का सामान्य अंग था ।

विश्वभर के चिकित्सा शास्त्रियों की अब तक यही मान्यता रही है कि अफीम का नशा मरने के साथ ही छूटता है । साधारणतया यह माना जाता है कि अफीम छोड़ने वाला पागल हो जाता है अथवा किसी जान लेवा रोग से ग्रस्त होकर 6 माह की अवधि में मर जाता है । इस कारण अफीम का सेवन करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे छोड़ने का प्रयास ही नहीं कर पाता । अत: इस ओर नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है । माणकलाव में लगाये गये शिविरों में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है । इस प्रकार नशीले पदार्थो का सेवन व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक

और आर्थिक रूप से खोखला बना देता है लेकिन. इन पदार्थो से मुक्ति किसी प्रशिक्षित चिकित्सक या नशा मुक्ति संस्थान के माध्यम से ही संभव है । जिसमें माणकलाव मॉडल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल इस प्रकार की भ्रान्तियों का निवारण कर लोगों में चेतना और जागरूकता उत्पन्न करता है कि वास्तव में अफीम का सेवन न तो किसी बिमारी से मुक्ति दिलाता है और न ही व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है । अपितु इसके सेवन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक निर्भरता इन पदार्थो पर बढ़ती है । यह व्यक्ति के मस्तिष्क और नाड़ीमण्डल को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है । मादक द्रव्यों के बारम्बार सेवन से व्यक्ति व्यसनी बन जाता है और सेवन बन्द कर देने से शरीर के कार्य निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है । माणकलाव मॉडल ने अफीम मुक्ति के शिविर के द्वारा लोगों को नशा मुक्त कर इस बात को भी स्पष्ट किया कि अफीम को भी किसी प्रशिक्षक या नशा मुक्ति संस्थान अथवा चिकित्सक की देख रेख में छोड़ा जा सकता है ।

8.3.3 माणकलाव मॉडल का विचार

एक छोटी सी घटना महान परिवर्तन की जननी बन जाती है और वह परिवर्तन सामाजिक आन्दोलन का रूप ले लेता है ।

सन् 1979 में माणकलाव गांव के सरपंच बनते ही पद्मभूषण श्रीनारायणसिंह जी के परिजनों एवं ग्रामीण सम्भ्रान्त बन्धुओं ने अफीम पान के आयोजन द्वारा स्वागत करने की योजना बनाई लेकिन आपके द्वारा अफीम लेने से इनकार किया गया तभी से श्री नारायण सिंह जी ने अफीम मुक्ति शिविर लगा कर ग्राम्य परिवारों की रक्षा करना, ग्राम्य-कल्याण की योजना बनाकर इसको पूर्ण रूप देना अपना ध्येय बना लिया और यही आपका कार्य क्षेत्र भी बन गया और नारायणसिंह जी माणकलाव के मन में अफीम से मुक्ति दिलाने की योजना स्वत: ही जाग उठी । वास्तव में यह एक संघर्ष था, जिसमें एक रूढ़िगत परम्परा से विद्रोह का मुकाबला था तथा नवजीवन के संचार का प्रयास था, परन्तु यह सब एकाकी किया जाना सम्भव नहीं था ।

अफीम छुड़ाने के लिए विचार या कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है । अपितु अफीम सेवन करने वाले व्यक्तियों को व्यावहारिक रूप से इससे मुक्त कराना अत्यधिक कष्टप्रद था । अत्यधिक विचार मन्थन के पश्चात् चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के परामर्श के आधार पर प्रारम्भ में एक 10 दिवसीय शिविर परीक्षण के तौर पर लगाया गया। इस नशे का सेवन करने वाले लोगों को अफीम की बुराई से अवगत करवाने व इससे मुक्ति दिलाने से अफीम का व्यापार भी प्रभावित होना स्वाभाविक था अत: अफीम के व्यापारियों के द्वारा इसका खुला विरोध प्रारम्भ हुआ, क्योंकि अफीम का नशा सदियों से चला आ रहा है परन्तु इसको छुड़ाने का प्रयत्न इसी शताब्दी से प्रारम्भ हुआ । विश्व में नशामुक्ति का माणकलाव मॉडल एक अभिनव प्रयोग है । जिसमें नशा करने वाले व्यक्ति को एक अपराधी न मानकर एक मरीज के रूप में सुक्ष्म देखभाल और मनोवैज्ञानिक व्यवहार से नशाहीन औषधि देकर नई शक्ति का संचार करवाया जाता है।

माणकलाव के ट्रस्टी नारायणसिंह जी ने चिकित्सा के कार्य की पहल कर उसे चालू किया और अपने प्रेम व निस्वार्थ निरंतर सेवा से यह भावना भारतीय नवयुवक समुदाय में भरने में सफलता प्राप्त की कि नशे से मुक्त हुआ जा सकता है । ट्रस्ट की योजना का क्रियानयनका यह प्रथम चरण अफीम मुक्ति शिविरों के संचालन के बाद पूरा हुआ । इस दौरान मान्व समाज की निःशुल्क सेवा भावना के

कारण भारत सरकार के द्वारा सन् 1966 में नारायणसिंह जी को पद्मश्री एवं सन् 1991 में पद्मभूषण से विभूषित किया गया । अपने अथक प्रयासों वें समाज सेवा की भावना के कारण वर्ष 2003 से नारायणसिंह जी को राज्य सभा का सदस्य बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ ।

कुछेक शिविरों के लगते ही इसका राष्ट्रव्यापी प्रचार अखबारों, रेडियो और टी.बी. के माध्यम से हो गया । ट्रस्ट ने नशे से बिगड़ती हालत और छूते समाज की सुरक्षा के लिए विचारमंथन कर निर्णय लिया मूल रूप से नशे के व्यसनी लोगों में चेतना लाई जाये और उनकी। चिकित्सा कर उन्हें नशा मुक्त करवाया जाये ।

अफीम के समान ही नगरों में विद्यालयों और महाविद्यालयों में आधुनिक नशीले पदार्थो के सेवन का प्रचलन बढ़ने लगा है । आज का युग वर्ग स्मैक का सेवन करने लगा है । अतः शिविर में जिस प्रकार से अफीम छुडाते हैं स्मैक छुड़ाने का प्रयास भी किया गया और इसमें सफलता भी मिली । ट्रस्ट ने बिगड़ती हालत और छते समाज की सुरक्षा कं लिए नशे के व्यसनी लोगों में चेतना लाने और उनकी चिकित्सा कर नशा मुक्त करते हुए उन्हें पुन सामाजिक मान्यता दिलाने का प्रयास किया । माणकलाव केन्द्र की योजना में रोग का सर्वेक्षण, अफीम सेवनकर्ता के परिवारों का कल्याण व उनमें आर्थिक सुधार लाना भी सम्मिलित है ।

8.3.4 नशा मुक्ति के सरकारी / गैर सरकारी प्रयास एवं प्रमुख अधिनियम

नशीले पदार्थो का सेवन मात्र एक वैयक्तिक घटना या तथ्य नहीं है, इसका सीधा संबंध व्यक्ति के पर्यावरण एवं जिन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में वह रहता है से है । नशीले पदार्थो का सेवन आज सम्पूर्ण विश्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इसी कारण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य एक ओर जहाँ नशीले पदार्थों के सेवन की लत वाले व्यसनियों को नशा मुक्त करना है वही दूसरी ओर समाज में ऐसे नये लोगों की वृद्धि नहीं हो जो कि नशीले पदार्थो का सेवन आरम्भ करें।

नशा मुक्ति या इसकी रोकथाम के लिए किए गये प्रयासों को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । एक ओर सरकारी प्रयास हैं जहाँ अस्पतालों और सरकारी केन्द्रों के माध्यम से व्यसीनयों को नशा मुक्त होने की प्रेरणा या दवाऐं दी जा रही हैं, लेकिन चिकित्सा, सेवा-सुश्रुषा आदि के लिए इस विशाल देश में कोई ठोस और समुचित प्रबंध नहीं है, तथा पर्याप्त संख्या में अस्पताल भी नहीं है । इस अभाव को राज्य और केन्द्र सरकार के द्वारा अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए । वही दूसरी ओर गैर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे है । कई ऐसे स्वैच्छिक संगठन जैसे अफीम मुक्ति शिविर संस्थान, माणकलाव और टी.टी. के नशामुक्ति संस्थान, मद्रास इस दिशा में कार्यरत हैं । इन संगठनों को पर्याप्त रूप से सरकारी सहायता प्राप्त होती है ।

यद्यपि अफीम या अन्य नशीले पदार्थो की बिक्री और खरीद पर कानूनी रोक है किन्तु यह भी सही है कि वर्तमान समय में समाज की अवैध गतिविधियों में ऐसे पदार्थो की खरीद-बेचान या व्यापार स्मग्लरों का एक महत्वपूर्ण धंधा है । इसका उपयोग मुख्यत: लाभ कमाने के लिए किया जाता है और ऐसा करते समय इसके दुष्प्रभावों या दूसरों के शोषण की बात को नजरअंदाज किया जाता है ।

कानून एवं स्वयं सेवी संगठनों तथा प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से नशीले पदार्थो के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस संबंध में बनाये गए कानून अधिक कठोर नहीं

हैं । यद्यपि यह सही है कि इस संबंध में कई कानून बनाये गए हैं और स्वयंसेवी संगठन भी बहुत सक्रीय हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी राजस्थान के ग्रामीण समुदायों में नशीले पदार्थो के सेवन का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में है । अफीम-मुक्ति केन्द्रों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण और आंकडे इस बात की पुष्टि करते हैं कि नशीले पदार्थो का सेवन करने वाले और विशेष रूप से अफीम का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या राजस्थान में हजारों में है । एक अध्ययन के अनुसार अकेले जोधपुर जिले में अफीम का सेवन करने वाले करीबन 38000 व्यक्ति हैं जो व्यसन के आरम्भिक बिन्दु माने जा सकते हैं । यह स्थितियॉ तो तब है जब अफीम के उत्पादन, सेवन आदि पर नियंत्रण करने के लिए समय-समय पर कानून बनाये गए हैं । 1977 में अफीम के उत्पादन को राज्य के नियंत्रण में ले लिया गया और इसके पश्चात् कई अधिनियम जैसे दी ऑपियम एक्ट 1958, दी डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, दी ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 आदि लागू किये गए हैं । इसके साथ ही नशीले पदार्थो के सेवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक कठोर अधिनियम जिसे ' 'नारकोटिक्स ड्रग एण्ड साइकोट्रोपिक्ट सबस्टेंसेज एक्ट' ' कहा जाता है, जिसे 1965 में लागू किया गया वहीं दूसरी ओर स्वयं सेवी-संगठनों को पर्याप्त मात्रा में अनुदान दिए गए और सरकारी संगठनों तथा अस्पतालों के माध्यम से भी नशीले पदार्थो के सेवन को रोकने और व्यसनियों को नशा-मुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

वर्तमान में एक ओर जहाँ नशीले पदार्थो 'के क्रय-विक्रय और सेवन पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर संचार के माध्यमों से नशीले पदार्थो के सेवन के दुस्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है । इन कार्यक्रमों के द्वारा ऐसी स्थितियॉ प्रस्तुत की जा रही हैं कि जिनसे समाज में नशीले पदाथों के सेवन करने वाले नवीन व्यक्ति विकसित ही नहीं हों और दूसरी ओर जो व्यसनी बन चुके हैं उन्हें नशा मुक्त कैसे किया जा सकता है । संचार के माध्यम से भी इन कार्यक्रमों के द्वारा नशीले पदार्थो के सेवन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है । इन कार्यक्रमों के बावजूद स्थिति यह है कि नशीले पदार्थो का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है ।

8.4 सारांश :

किसी भी मादक द्रव्य के सेवन की प्रारम्भिक स्थिति में यदि व्यसनी को ना संभाला जाये तो उसका जीवन एक ऐसे अंधकार से घिर सकता है जिससे कालान्तर में कभी उजाले की अपेक्षा नहीं की जा सकती । नशे के इस हाल से लोगों को उजाले की ओर ले जाने में माणकलाव अफीम मुक्ति ट्रस्ट द्वारा संचालित नशामुक्ति शिविर सन् 1979 से मानव कल्याण हेतु राष्ट्रीय सेवा में संलग्न है और अब तक लगातार शिविरों का संचालन कर रहा है । माणकलाव शिविर चिकित्सा पद्धति में समाज सेवी, डॉक्टर, नर्स, मनोचिकित्सक आदि सामूहिक रूप से 10 दिन का कार्यक्रम बनाकर निःशुल्क सेवा करते हुए शिविरार्थी को नशामुक्त कराने का प्रयास करतें हैं ।

पद्मभूषण श्री नारायणसिंह जी के माणकलाव गांव का सरपंच बनते ही स्वागत के परम्परागत तरीके अफीमपान का आयोजन ग्रामवासियों के द्वारा किया गया । इस रूढ़ीगत परम्परा का विरोध कर, जीवन संचार का प्रयास आपके मन में उत्पन्न हुआ और नारायणसिंह जी माणकलाव ने अफीम से मुक्ति दिलाने की योजना बना डाली । विश्व में नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल एक अभिनव

प्रयोग है । इस संस्था के द्‌वारा अफीम सेवन को लेकर ग्रामवासियों के मन में पाई जाने वाली भ्रान्तियों का निवारण करते हुए व्यसनी को एक अपराधी न मानकर रोगी के रूप में उपचार दिया जाता है ।

8.5 बोध प्रश्न :-

1. संक्षेप में माणकलाव का परिचय दीजिए ।
2. राजस्थान में अफीम का सेवन प्रमुख किन अवसरों पर किया जाता हैं, क्या अफीम के नशे से मुक्ति प्राप्त की जा सकती हे?
3. नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल को कब, किसने और कैसे प्रारम्भ किया?

8.6 बोध प्रश्नों के उत्तर -

1. माणकलाव नशा मुक्ति के क्षैत्र में विश्व में अपनी अद्‌वितीय पहचान बनाए हुए हैं । यह राजस्थान के जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर जोधपुर से लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । सन् 1979 से यही लगातार अफीम एवं व्यसन मुक्ति के शिविर प्रत्येक माह में 10-10 दिन के लिए दो बार लगाए जाते हैं ।
2. अफीम के सेवन के पीछे प्राचीन काल से सामुदायिक स्वीकृति रही है । त्यौहार, पर्व, लोकाचार आदि में इसका सेवन परम्परागत रूप से होता रहा है । पारस्परिक मनमुटाव को दूर करने, मैत्री स्थापित करने, बच्चे के जन्म, परिवार में विवाह, सामाजिक उत्सव और खुशी के अन्य अवसरों पर अफीम के सेवन का प्रचलन रहा है और इस मनुहार को न मानना निरादर का सूचक माना जाता है । समुदाय की इसी स्वीकृति के कारण राजस्थान में इसका प्रचलन है । विश्वभर के चिकित्सा शास्त्रियों की मान्यता रही है कि अफीम का नशा मरने पर ही छूटता है लेकिन नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल 1979 से लगातार प्रतिमाह शिविर लगाकर अब तक 28274 लोगों को अफीम एवं नशे से मुक्त करवा चुका है, अत: अफीम के नशे से किसी योग्य प्रशिक्षक या नशा मुक्ति संस्थान की सहायता से मुक्ति पाई जा सकती है ।
3. नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल सन् 1979 में राजस्थान के माणकलाव गांव में पद्मभूषण श्री नारायणसिंह जी के द्‌वारा प्रारम्भ किया गया । नारायण सिंह जी के माणकलाव गॉव का सरपंच बनते ही ग्रामवासियों के द्‌वारा स्वागत हेतु अफीम पान का आयोजन किया गया । इस रूढ़िगत परम्परा ने आपको नशा मुक्ति हेतु प्रेरित किया, और नारायण सिंह के मन में अफीम से मुक्ति दिलाने की योजना स्वत: ही जाग उठी ।

इकाई-9

नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल II : कार्यपद्धति

इकाई की रूपरेखा:-

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 मादक द्रव्य उपचार की प्रमुख विधियां

9.2.1 विपत्ति में हस्तक्षेप

9.2.2 नशा विमुक्तिकरण

9.2.3 मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी एवं अन्य उपाय

9.2.4 औषधि निर्वाह

9.3 माणकलाव नशा मुक्ति शिविर की प्रमुख गतिविधियॉ

9.3.1 चेतना जागृत करना

9.3.2 परामर्श केन्द्रों की स्थापना

9.3.3 फॉलोअप एवं सर्वेक्षण

9.3.4 चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, परिचारकों एवं समाज सेवकों की नियुक्ति

9.4 माणकलाव नशा मुक्ति शिविर के प्रकार

9.5 माणकलाव शिविर की कार्य पद्धति

9.6 पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण

9.6.1 शैक्षणिक योग्यता और कुशलता बढ़ाने के उपाय

9.6.2 प्रोत्साहनकारी /सिमर्थनकारी सामाजिक उपाय

9.6.3 प्रोत्साहनकारी/समर्थनकारी जीविकोपार्जन उपाय

9.6.4 उपचारिक समुदाय

9.7 सारांश

9.8 बोध प्रश्न

9.9 शब्दावली

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

1. मादक द्रव्य उपचार की प्रमुख विधियों को स्पष्ट रुप से समझ सकेंगे ।
2. माणकलाव नशा मुक्ति शिविर की प्रमुख गतिविधियों को समझ सकेंगे ।
3. नशा मुक्ति शिविर के प्रमुख प्रकारों को जान सकेंगे ।
4. माणकलाव मॉडल की नशा मुक्ति की कार्य पद्धति के बारे में जान सकेंगे ।
5. नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल के पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण की पद्धतियों को जान सकेंगे

9.1 प्रस्तावना :

पिछली इकाई में आपने जोधपुर शहर के पास स्थित नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप यह जान चुके होंगे कि इस शिविर को पद्मभूषण श्री नारायणसिंह जी के द्वारा मुख्य रूप से अफीम छुड़ाने के लिए प्रारंभ किया गया । माणकलाव के परिचय एवं इस मॉडल के विचार की जानकारी के पश्चात् इस इकाई में आप नशा मुक्ति के इस मॉडल की कार्यपद्धति को समझ पायेंगे । इस ट्रस्ट का प्रमुख लक्ष्य विश्व में बढ़ते नशे के प्रकोप को रोकना है।

अखिल भारतीय अफीम नशा निवारण केन्द्र माणकलाव जोधपुर का यह अभिनव प्रयोग राष्ट्रीय महत्ता का कार्य है । सन् 1979 से प्रारम्भ इस शिविर के कार्यकाल में ही इस संस्था का निर्माण किया गया जिसे "अखिल भारतीय अफीम नशा निवारण केन्द्र" के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा । नशा मुक्ति का यह अपने आप में पहला मॉडल है।

समान्यतया नशे के लती / व्यसनी व्यक्ति जीवन से निराश, उदासीन और हताश व्यक्ति माणकलाव की ओर आते हैं। माणकलाव ऐसे लोगों में जीवन की एक किरण और आशा का संचार करता है । यह स्पष्ट तथ्य है कि इस संस्था का लक्ष्य विश्व में नशे के सेवन की बढ़ती इस आदत को रोकना है जिससे पूर्व की यह हमारे युवा वर्ग को पूरी तरह तबाह कर दें।

इस संस्था ने अपने अल्प समय में ही महत्वपूर्ण ऊँचाईयों को छू लिया । जिसमें विभिन्न प्रयासों से व्यक्ति को सामाजिक, मानसिक और आर्थिक आधार पर जानने के प्रयास करते हुए नशा उन्मूलन का कार्य समाज के सबसे निचले स्तर (Grass- rootes) से प्रारम्भ किया। लेकिन समाज से नशे को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रसार करते हुए लोगों में जागरूकता लाई जाए।

मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त व्यक्ति को अपराधी मानकर द्रव्यों के दुरूपयोग को मिटाने के प्रयास अनिवार्यत: असफल साबित हुए । तब एक वैकल्पिक तरीका अपनाया गया जो मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त व्यक्ति को उस बीमार के रूप में देखते थे जिसे उपचार की आवश्यकता है और जिसमें मादक द्रव्यों की मांग को घटाने तथा साथ ही साथ इसकी पूर्ति को समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस किया गया ।

मादक द्रव्यों में लिप्त व्यक्तियों का उपचार करने के लिए अपनाया गया चिकित्सकीय मॉडल दो धारणाओं पर आधारित है । पहला, नशे में लिप्त व्यक्ति वास्तव में एक रोग से ग्रस्त है जिसे उपचार की आवश्यकता है और दूसरा यह कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे उसे ठीक किया जा सकता है ।

इस इकाई का उद्देश्य किसी विशेष उपाय का आकलन करना नहीं है, वरन् केवल पूरी दुनिया में मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त व्यक्तियों के उपचार में अमल में लाए जा रहे कुछ उपचार पद्धतियों के दर्शन, उद्देश्य तथा प्रभाव का वर्णन करना है ।

9.2 मादक द्रव्य उपचार की प्रमुख विधियाँ

मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्तता के उपचार की चार विधियां हैं -

(अ) विपत्ति (संकट) में हस्तक्षेप

(ब) नशा - विमुक्तिकरण

(स) मनोवैज्ञानिक या व्यवहारवादी उपाय तथा

(द) औषधि निर्वहन ।

9.2.1 विपत्ति में हस्तक्षेप :- मादक द्रव्यों पर निर्भर व्यक्ति को असमर्थ (असक्षम) बनने या उसकी मृत्यु को रोकने के लिए, मानवीय आधार पर, हस्तक्षेप उचित (न्यायसंगत) है । इसका प्रथम उद्देश्य मादक द्रव्यों के दुरूपयोग से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का समाधान है न कि मादक द्रव्यों के दुरूपयोग का उपचार करना।

विपत्ति में हस्तक्षेप का दूसरा उद्देश्य कष्ट तथा अक्षमता को कम करना है जिससे जीवन रक्षा हो सके इसके पश्चात् पीडित व्यक्ति को मादक द्रव्यों पर निर्भरता का उपचार कराने के लिए सुझाव और प्रोत्साहित किया जाता है।

9.2.2 नशा - विमुक्तिकरण :- मादक द्रव्यों के सेवन में लिप्त व्यक्ति के शरीर (तंत्र) से मादक द्रव्य निकाल दिये जाते हैं तो वह नशे से विमुक्त हो जाता है । यह प्रक्रिया पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिए प्रोत्साहित करने में आधारभूत रूप से काम आ सकती है।

नशा विमुक्तिकरण निम्न तीन में से किसी भी एक तरीके से किया जाता है ।

1. व्यक्ति को जिस मादक द्रव्य की लत है उस मादक द्रव्य के प्रति सहनशीलता (विपरीत प्रभाव) वाली औषधि उत्तरोत्तर कम मात्रा में देने से उदाहरणार्थ मारफीन के लिए मेथाडॉन।
2. ऐसी औषधि देने से जिसकी लत न लगे ।
3. बिना कोई औषधि दिये ।

   लेकिन नशा विमुक्तिकरण इस तरीके से करना चाहिए कि एकाएक नशा छोड़ने से होने वाले खतरे व असुविधा को कम से कम किया जा सके।

नशा विमुक्तिकरण के प्रभाव :- नशा विमुक्तिकरण पुनर्वास में पहला आवश्यक कदम है । बहुत ज्यादा प्रेरित व्यक्तियों को उन्हें दुबारा नशे की लत में पड़ने से रोकने के लिए नशा-विमुक्तिकरण ही पर्याप्त है । नशा-विमुक्तिकरण के पश्चात् ऐसी आशा नहीं करनी चाहिऐ कि व्यक्ति मादक-द्रव्यों का प्रयोग बिल्कुल ही बन्द कर देगा । ऐसा सोचना यथार्थवादी नहीं होता । नशा विमुक्तिकरण बार-बार करने से बेहतर परिणाम होते हैं, विशेषतया जब पुनर्वास के अवसर उपलब्ध हो।

9.2.3 मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी और अन्य उपाय - ये उपाय व्यक्तिगत क्षमता का विकास करने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इस तरह दुबारा नशे की लत पड़ने से रोकथाम करते हैं । यह उपाय पीड़ित व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं । जिससे व्यक्ति इस समस्या के उत्पन्न होने के कारण को जान सकता है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं: -

1. व्यक्तिगत और सामूहिक उपचार :- व्यक्तिगत उपचार नशा मुक्ति के प्रति आन्तरिक भय और उन कारणों की पहचान कराता है जो पुनर्वास में बाधक होते हैं । व्यक्ति विशेष का प्रदर्शित बाह्य व्यवहार जो वह समूह के अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के दौरान प्रकट करता है तथा उस प्रतिक्रिया भय और उलझन को सामूहिक चर्चा में हल किया जाता है, उसे सामूहिक उपचार कहा जाता है । यदि इसे एक प्रशिक्षित उपचारक की देखरेख में किया जाये तो यह (सामूहिक उपचार) सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने का प्रभावकारी यंत्र (तरीका) हो सकता है।

2. पारिवारिक उपचार :- इस प्रकार के उपचार का लक्ष्य मादक द्रव्य सेवन करने वाले जवान लोग होते हैं । हस्तक्षेप इस मान्यता पर आधारित होता है कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई होने के कारण व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तथा शक्ति को नैतिक बल भी प्रदान करता है ।
3. व्यवहार परिवर्तन :- नशे में लत व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के लिए दो मुख्य तकनीक अपनाई जाती हैं।
   (1) मादक द्रव्यों के सेवन से प्राप्त होने वाले संतोष या तृप्ति को कम करना उदाहरणार्थ पीडित व्यक्ति को स्वापक प्रतिरोधी देने के बाद हेरोइन का इंजेक्शन लगाने की अनुमति देना।
   (2) व्यक्ति में मादक द्रव्यों के सेवन की आदत के विपरीत प्रभाव या व्यवहार उत्पन्न करने जैसे पीडित व्यक्ति को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना या अन्य कार्य में व्यस्त रखना।
4. ध्यान:- मादक द्रव्य सेवन करने वालों का प्रमुख ध्येय अपनी चिंताओं को मिटाना होता है, अत: चिंता कम करने की तकनीक जैसे ध्यान लगाना सिखाकर उन्हें दुबारा इस लत में पड़ने से रोकने में सहायक होता है ।
5. स्व-सम्मोहन :- कुछ व्यक्तियों को स्व-सम्मोहन से शांति तथा आराम मिल सकता है । विश्राम (आराम) पहुंचाने के लिए विद्युत-जनित नींद सौम्य तकनीक है जिसमें मस्तिष्क को सौम्य विद्युत उद्धीपन दिया जाता है जिससे शिविरार्थी को शांतिपूर्ण नींद आ जाती है।
6. जैविक प्रत्युत्तर प्रशिक्षण :- इस उपचार का आधार है कि व्यक्ति एक विशेष मनोवैज्ञानिक अवस्था के प्रति जागरूक रहे । यदि किसी व्यक्ति को विश्रान्ति अवस्था पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाये तो वह बाद में इस विश्रान्ति अवस्था को कुछ विशेष ध्वनि या दृश्य संकेतों से उत्पन्न कर सकता है । प्रशिक्षण के पश्चात् व्यक्ति बिना संकेतों के ही विश्रान्ति अवस्था को पहचान सकता है।

9.2.4 औषधि-निर्वाह :- कुछ व्यक्ति अन्डरवर्ल्ड के लोगों से सम्पर्क के कारण नशीले पदार्थो का सेवन प्रारम्भ करते हैं और नशे से परहेज करने में सफल नहीं हो पाते । अत: उन्हें एक वैधानिक रूप से स्वीकृत औषधि (ड्रग) देते हुए उनके अन्ड्रवर्ल्ड से सांठ-गांठ के मौकों को कम किया जाता है । नशे की लत व्यक्ति के ड्रग सेवन की मात्रा को स्थिर कर धीरे-धीरे इतना कम कर दिया जाता है जिससे वह नशे से मुक्त हो जाए। इस तरह उसके उपचार व पुनर्वास के अवसर बढ़ सकते हैं ।

9.3 माणकलाव शिविर की प्रमुख गीतविधियॉ

माणकलाव नशा मुक्ति शिविर के द्वारा विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को नशा मुक्त कराने का प्रयास किया जाता है उसमें एक उपागम 'डीटोक्सीफीकेशन, उपचार एवं व्यवहारात्मक उपागम" है नशा मुक्ति के इस उपागम्य के द्वारा 1988 तक तैतीस शिविर लगाए गए जिसमें से 9 चल शिविर थे । जिसमें 2346 व्यासनियों को नशा मुक्त किया गया । इस उपचार में नशा मुक्ति हेतु निम्न प्रकार से कार्य किया जाता है।

9.3.1 चेतना जागृत करना :-

विभिन्न अध्ययनों से इस बात की पुष्टी होती है कि नशे का चाहे कोई भी कारण रहा हो मूल रूपसे यह पाया गया कि व्यक्ति को नशे का आदि बनाने में लोगों द्वारा बहकाना, सहानुभूति, प्यार व स्नेह की कमी भावनात्मक रूप से इस ओर अग्रसर करने में सहायक होते हैं । अत: यह संस्था व्यक्ति में खोई हुई मान्वता को उत्पन्न करने हेतु रचनात्मक कार्यो की प्रेरणा प्रदान करती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति मानवीय समाज में अपना विश्वास खो चुके होते हैं । यह उपागम सामूहिक चर्चाओं एवं व्यक्तिगत बैठकों के आधार पर नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों के मन में स्पष्ट रूप से इस चेतना को उत्पन्न करता है कि इस समस्या के निवारण की कुंजी स्वयं उनके पास है । परिणामस्वरूप व्यक्ति स्वयं को दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण एवं स्नेहपूर्ण बन्धन में बंधा महसूस करते हैं।

इस उपागम में व्यसनी पर औषधि के प्रमाव को ही जानने का प्रयास नहीं किया जाता अपितु उसकी भावनाओं, अनुभवों और संवेदनाओं को भी महत्व दिया जाता है । क्योंकि सामान्यतया नशीले पदार्थो का सेवन मनुहार, मित्रों की संगत, पारिवारिक वातावरण, उत्सुकता, बीमारी, यौन संबंधों में शक्ति प्राप्त करने, तनाव और अकेलेपन आदि के कारण किया जाता है।

9.3.2 परामर्श केन्द्रों की स्थापना :-

नशा मुक्ति हेतु संस्थान द्वारा राजस्थान के चार जिलों में परामर्श केन्द्र स्थापित किए गए है। जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में जिन स्थानों पर बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग एकत्रित होते हैं इन केन्द्रों द्वारा स्थानीय मेलों, उत्सवों और त्यौहारों के दौरान नशे के विरूद्ध प्रदर्शनी एवं प्रचार का कार्य किया जाता है।

इन परामर्श केन्द्रों के लिए कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इन केन्द्रों का उद्देश्य नशा मुक्त व्यक्ति को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के अतिरिक्त व्यसनियों को परामर्श देना, रजिस्ट्रेशन करना, मार्ग दर्शन करना व उपचार के लिए प्रेरित करना होता है ।

कल्याण, मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भी समाचार पत्र- पत्रिकाओं, जरनल्स आदि में भी अफीम मुक्ति पर प्रचार सामाग्री प्रकाशित की जाती है । इसके अतिरिक्त संस्था के द्वारा पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गयी है।

चित्र संख्या-9.1

नशे के अवैध व्यापार को रोकने एवं अन्तर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में 26 जून, 1988 को प्रथम चेतना दिवस मानने का गर्व भी माणकलाव संस्थान को ही प्राप्त हुआ। इस दिन एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

व्यापक स्तर पर संचार एवं जानकारी हेतु कल्याण मंत्रालय एवं संस्थान में सेमीनार का आयोजन भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञाता और विशेषज्ञों से व्याख्यान एवं प्रशिक्षण दिया जाकर स्वयं सेवक तैयार किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य नशे की रोकथाम एवं उपचार है। जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है:-

1. नशा उन्मूलन हेतु सामाजिक वातावरण एवं चेतना उत्पन्न करना।
2. अफीम एवं व्यसन उपचार।
3. अवैध व्यापार की रोकथाम में कानून एवं पुलिस का योगदान।
4. प्रतिष्ठान की रीति एवं आवश्यकता।

नशे के विरूद्ध चेतना एवं जागरूकता उत्पन्न करना :-

माणकलाव नशा मुक्ति संस्थान का एक अन्य उपागम लोगों में नशे के विरूद्ध चेतना एवं जागरूकता उत्पन्न करना है। यह कार्य विभिन्न मेलों के दौरान विज्ञापन पत्र, प्रदर्शनी एवं प्रचार सामग्री के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण निवासियों के अशिक्षित होने के कारण उन पर पैम्पलेटों-पत्रिकाओं का प्रभाव कम पडता है। अत: मेलों, सामाजिक सभाओं के अवसर पर कार्यकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से नशे के बारे में प्रभावशाली बातचीत करते हैं। लेकिन यह कार्य अत्यन्त कठिन है क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर जिले में यातायात के साधनों की कमी एवं दूर बसी ढ़ाणियॉ सम्पर्क की एक समस्या है तथा अफीम का नाम लेने पर यही व्यक्ति पर संदेह किया जाता है, क्योंकि यह तस्करी का क्षेत्र है।

संस्था केवल नशामुक्ति तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखती अपितु जिन लोगों ने व्यसन छोड़ा है वे वापस नशीले पदार्थो का सेवन नहीं करें, उनको भी विभिन्न रोजगार और जीवन यापन की सुविधाऐं उपलब्ध हों इस संबंध में भी प्रयास करती है।

इस संस्थान का आदर्श वाक्य 'सुरक्षा इलाज से बेहतर' है। जिसके लिए इस गंभीर समस्या के विरूद्ध सामाजिक चेतना एवं जागरूकता उत्पन्न करना अनिवार्य है।

9.3.3 फॉलोअप एवं सर्वेक्षण :-

संस्था के द्वारा नशा उन्मूलन हेतु एक महत्वपूर्ण कदम नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों का फॉलोअप करवाना है ताकि नशा छोड़ने वाले पूर्व व्यक्तियों के परिणामों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। इस कार्यक्रम का लक्ष्य फॉलोअप में अनुपस्थित रहने वाले लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है ताकि पुन: नशा प्रारम्भ करने के कारणों का पता लगाकर उसका निवारण किया जा सके। यह कार्य समाज सेवकों मनोचिकित्सकों एवं स्वयं, समन्वयक के द्वारा घर-घर जाकर नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को एकत्रित कर किया जाता है। सर्वेक्षण हेतु एक विशेष प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रत्येक परामर्श केन्द्र इस प्रकार का फॉलोअप कार्यक्रम अपने-अपने क्षेत्र में करता है।

9.3.4 चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, परिचारकों एवं समाज सेवकों की नियुक्ति :-

वर्ष 1988 से संस्था के द्वारा मरीजों की देखभाल हेतु पूर्ण समय (चौबीसों घण्टों) के लिए चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों आदि की नियुक्ति की गई है। ताकि नशा मुक्ति के व्यवहारिक उपागम का संचालन सही रूप से किया जा सके।

लेकिन वर्ष 1979 में जब सर्वप्रथम माणकलाव में नारायण सिंह जी के द्वारा इन शिविरों को प्रारम्भ किया गया (प्रथम शिविर 17 फरवरी, 1979 से 27 फरवरी, 1979 तक)। तब मात्र दो चिकित्सक एवं दो नर्सिग कर्मी (सेवार्थी) साथ थे।

नारायण सिंह जी के अनुसार अफीमची को अफीम से मुक्ति दिलाने के लिए सर्वप्रथम धन की आवश्यकता होती है। ताकि शिविर में उनकी दवाई व सात्विक आहार की व्यवस्था की जा सके। धन की कमी होते हुए भी धनदान व्यक्तियों की सहायता के बिना इस प्रथम शिविर को समाज सेविका श्रीमती छगन बहिन के सहयोग से जिला नशा बंदी मण्डल की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर दो चिकित्सकों व दो नर्सिग कर्मियों के साथ शिविर को प्रारम्भ किया गया। शिविर के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दिमाग के स्थानीय अधिकारियों से औषधियां प्राप्त की गई। गांव के युवा सेवाभावी व्यक्तियों ने मथानियां ग्राम के मातृसेवा सदन' से खाट-बिछौने एवं ग्राम्य सेवक प्रशिक्षण केन्द्र से भोजन बनाने के बर्तन व ग्राम्य चिकित्सा इकाई से नर्स व कम्पाउण्डरों की सहायता लेकर प्रथम शिविर को प्रारम्भ किया।

आज माणकलाव नशा मुक्ति संस्थान के पास अपना स्वतन्त्र कोष, स्वतन्त्र भवन, विश्राम गृह अस्पताल, डॉक्टर एवं नर्स आदि हैं। यहाँ नशा मुक्ति शिविर में ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे मनुष्य यह सोचने लगे कि उसके विचार और निर्णय अधूरे हैं और ईश्वरीय परमशक्ति हर समय उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

9.4 माणकलाव नशामुक्ति शिविर के प्रकार

माणकलाव नशा मुक्ति संस्थान में नशा मुक्ति के लिए शिविर में पंजीकरण करने, उनके रहने, भोजन और चिकित्सा का पूरा भार ट्रस्ट का होता है। इस ट्रस्ट में एक मरीज के साथ एक परिचारक के रहने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। नशा मुक्ति हेतु दो प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं।

1. अचल
2. चल

1. अचल शिविर :- यह शिविर स्थायी है और माणकलाव में ही लगाया जाता है। जो कि जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर स्थित है। माणकलाव जोधपुर से लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शिविर माह में दो बार लगाए जाते हैं। प्रत्येक शिविर की अवधी 10 दिन की होती है। पहला शिविर माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक और दूसरा शिविर 15 से 25 तारीख तक लगाया जाता है। जिसके सम्पूर्ण कार्य व देखरेख की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होती है।

अफीम मुक्ति शिविर का एक नजारा

'जिन्दगी में नशा आदमी का दुश्मन है उसकी गुलामी से मृत्यु तक आ जाती है' माणकलाव अफीम मुक्ति शिविर के समापन समारोह का एक मार्मिक दृश्य

चित्र संख्या 9.2

2. चल शिविर:- चल शिविर किसी ग्राम के सरपंच अथवा ग्राम पंचायत के प्रार्थना पत्र के आधार पर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में भी शिविरार्थियों को 10 दिन तक शिविर में ही रखा जाता है । चल शिविर में रहने वाले लोगों के भी उपचार व भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट की होती है तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा टैंट और सामान आदि लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा प्रदान की जाती है।

शिविर के दौरान दो चिकित्सक मरीजों की देखभाल हेतु 10 दिन तक वही निवास करते हैं जिनकी देखरेख में उपचार किया जाता है । मा णकलाव ट्रस्ट के द्वारा 1979 से अब तक मार्च, 2006 तक कुल 207 चल शिविर नशा मुक्ति हेतु लगाए जा चुके हैं।

9.5 माणकलाव शिविर की कार्यपद्धति

माणकलाव शिविर चिकित्सा पद्धति एक अद्वितीय प्रयास है जिसके अन्तर्गत समाजसेवी, डाक्टर, नर्सेज, मनोचिकित्सक एवं मनोविज्ञानवेता का दल सामूहिक रूप से समुचित कार्यकम बनाकर 10 दिन तक लगातार शिविरार्थियों की सेवा करते हैं । शिविर की कार्य पद्धति में मुख्य रूप से निम्न कार्यों पर बल दिया जाता है ।

1. चेतना और जागरूकता :- इन शिविरों की यह विशेषता है कि इनमें मात्र चिकित्सा ही नहीं की जाती अपितु समाज से विस्थापित नशे के व्यसनी लोगों में चेतना और जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है कि नशे के कारण न केवल उनका शरीर ही खोखला होता है बल्कि पारिवारिक सुख-शान्ति भी समाप्त होती है और साथ ही आर्थिक संकट भी परिवार के सामने खड़ा होता है ।
2. आवासीय अवस्था :- माणकलाव नशा मुक्ति शिविर में प्रवेश लेने के पश्चात व्यसनी व्यक्ति की सर्वांगीण सेवा-चिकित्सा निःशुल्क की जाती है । जिसमें ट्रस्ट के कार्यो में व्यसनी व्यक्तियों की आवासीय व्यवस्था, भोजन, औषधि और चिकित्सा सेवा सम्मिलित है।

3. निःशुल्क सेवा का उद्देश्य :- इस शिविर के द्वारा परिवार के सदस्य की भांति शिविरार्थी की निःशुल्क सेवा की जाती है । इस सेवा के पीछे ट्रस्ट का उद्देश्य नशे के लती व्यक्ति व उसके परिवार का आर्थिक रूप से समाज से कटा हुआ होना है ताकि चिकित्सा को बोझसमझकर नशा छोड़ने की इच्छा का परित्याग कर वह पलायनवादी न बन जाए । निःशुल्क सेवा प्रदान करने की इसी भावना के कारण चाहे उत्तरी भारत हो या दक्षिणी, व्यसनी व्यक्ति नशे ,से मुक्ति प्राप्त करने हेतु माणकलाव शिविर में आने को लालायित रहते हैं । निःशुल्क सेवा के कारण गरीब से गरीब विभ्रान्त व्यक्ति ने भी इस शिविर का लाभ उठाया है।
4. व्यसन की आदत को प्रकट करवाना :- सामान्यतया नशा करने वाला व्यक्ति अपनी इस आदत को छुपाता है जिससे उसकी वर्तमान जीवन की स्थिति को नहीं जाना जा सकता । परन्तु इस शिविर में ऐसी परिपाटी प्रारम्भ की गई है कि व्यसनी व्यक्ति अपना आत्म विवेचन कर अपनी सच्चाई निःसंकोच प्रगट करें, अत: पंजीकरण के दौरान व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सूचनाओं के साथ-साथ नशीले पदार्थो के सेवन का कारण, नाम, मात्रा, नशा प्रारम्भ करने का समय आदि की सूचना भी मांगी जाती है ।
5. नशा छोड़ने की इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना :- नशा प्रारम्भ करने और उसे छोड़ने की इच्छा के सभी कारणों को संस्था द्वारा पंजीकरण के दौरान जान लिया जाता है, जिससे व्यक्ति का नशा छोड़ने का मानस एक प्रकार से शिविर में आने से पूर्व बन जाता है । इसी प्रकार से इस इच्छा शक्ति को दृढ़ता प्रदान करने हेतु शिविरकाल में प्रार्थना, यौगिक व्यायाम, सामूहिक विचार-विमर्श आदि के माध्यम से आत्मबल के संचरण का प्रयास किया जाता है ।
6. शिविर की अवस्थाओं का विभाजन:- माणकलाव शिविर में नशा मुक्त करने की 10 दिन के समय को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है । इन्हीं दिनों में शिविरार्थियों को चिकित्सा एवं स्वाभीमान की शिक्षा प्रदान की जाती है।
   (i) प्रथम अवस्था :- प्रथम तीन दिवस में शिविरार्थी के रोग की परीक्षा की जाती है जिसमें रक्तचाप व अन्य रोगों का विश्लेषण किया जाता है । चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ होते ही व्यक्ति को नशे के व्यसन से अलग कर दिया जाता है और साथ ही सेवादल उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है, क्योंकि नशीले पदार्थ के न मिलने से व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाऐं प्रारम्भ होने लगती हैं । इसका प्रमुख कारण नशा न मिलने पर व्यक्ति के स्नायु तंत्र का उससे प्रभावित होना है।
   (ii) द्वितीय अवस्था:- नशीले पदार्थ के सेवन को बन्द करने से तीसरे दिन से व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है यही से शिविर का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है जो कि चार से छः दिन तक चलता है । इसी दौरान दवाइयों व सेवा के द्वारा शिविरार्थी की पीड़ा को कम करने का प्रयास किया जाता है । शिविर की इस द्वितीय अवस्था में प्रार्थना एवं व्यायाम पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाता है क्योंकि सामूहिक प्रार्थना आदि मांसपेशियों के खिंचाव को कम करते है । समाज सेवियों व परिचारकों के व्यक्तिगत तौर पर तन-मन से सेवा के कारण शिविरार्थियों में आत्म विश्वास उत्पन्न होता है और पीड़ा कम होने लगती है । इस आत्मविश्वास के बल पर शिविरार्थी नई शक्ति को महसूस करने लगते है और उनमें नशामुक्त रहकर अच्छे स्वस्थ जीवन की इच्छा उत्पन्न होने लगती है ।

(iii) तृतीय अवस्था :- शिविर की अन्तिम अवस्था सात से दस दिन तक की होती है । इस चरण में व्यक्ति नशामुक्त होकर शिविर के लाभ का मूल्यांकन करने लगता है । इस अवस्था तक आते-आते व्यक्ति नशे के व्यसन से मुक्त हो जाता है अत: उसकी पीड़ाऐं कम हो जाती हैं और व्यक्ति को भूख का आभास होने लगता है । इसी दौरान नशे की पीड़ा को कम करने के लिए दी गई औषधि को धीरे- धीरे कम करते हुए बन्द कर दिया जाता है परन्तु सामूहिक प्रार्थना, विचार विमर्श की बैठकें आयोजित करते हुए उसे भावी जीवन के प्रति जागरूक किया जाता है । शिविर के अन्तिम चरण में व्यक्ति को रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक कार्यो में भी व्यस्त रखा जाता है । इस प्रकार शिविर के इन दस दिनों में व्यक्ति नशामुक्त होकर समाज का एक सम्मानजनक घटक बनकर पुन: समाज में प्रवेश करता है ।

7. अस्पताल सुविधा:- नशे के व्यसनी व्यक्ति की शिविर काल के दौरान नशे को अचानक बन्द करने के कारण कई बार हालत खतरे में पड़ जाती है तब उन्हें निकट के अस्पताल की सेवा प्रदान करवाई जाती है अथवा चिकित्सकगण उनका विशिष्ट उपचार करते हैं ।

इस प्रकार नशा मुक्ति का माणकलाव मॉडल व्यक्ति को जीवन की शिक्षा, प्रेरणा और आत्मबल की शिक्षा प्रदान करता है जो कि अस्पतालीय चिकित्सा से संभव नहीं है । अत: माणकलाव मॉडल नशा मुक्ति का अपने आप में अनूठा प्रयास है जिससे हजारों लोग नशा मुक्त होकर लाभान्वित भी हुए हैं और कार्यकर्त्ता बनकर अन्य लोगों को नशामुक्त करने में सहायता भी प्रदान करते हैं ।

9.6 पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण

उद्देश्य :- नशा मुक्ति के माणकलाव मॉडल की कार्यपद्धति में शिविरार्थी के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण का प्रयास भी किया जाता है क्योंकि जब नशे में लत व्यक्ति को नशे पर आश्रित रहने से मुक्ति मिल जाती है तब भी उसकी अवस्था दयनीय होती है । उसके दीर्घकालिक नशे की लत से पारिवारिक और सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं तथा साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति भी खोखली हो चुकी होती है । अत: इस अवस्था में उसकी इच्छा-शक्ति के बावजूद उसके पुरानी आदत में पड़ने का खतरा रहता है । नशे की आदत पुन: पड़ने से रोकने के लिए उसका आर्थिक और भावनात्मक पुनर्वास करना आवश्यक होता है । पुनर्वास से उसे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में पुन: एकीकृत करवाया जाता है । ताकि वह समाज में एक रचनात्मक तत्व के रूप में कार्य कर सके । नशे की लत से मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण के लिये तीन प्रमुख पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं ।

9.6.1 शैक्षणिक योग्यता और कुशलता बढ़ाने के कार्यक्रम

यह पद्धति दो प्रकार से कार्य करती है।

(i) शैक्षणिक उत्थान (बढ़ोतरी)

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण

(i) शैक्षणिक उत्थान: -

उद्देश्य :- बेहतर शिक्षा और कुशलता व्यक्ति को आत्मसम्मान, लाभदायक रोजगार तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाते हैं ।

अत: इस कार्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति को शैक्षिक धारा में वापस मोड़कर उसकी शैक्षिक योग्यता तथा कुशलता को कम से कम उस स्तर तक लाने का प्रयास किया जाता है, जहाँ से वह अपने समाज

में उपलब्ध रोजगारों या विशेष व्यवासायिक प्रशिक्षण को प्राप्त कर सके । लेकिन अधूरी शिक्षा और अकुशल कार्य निष्पादन के कारण नशे पर निर्भर-अधेड़ व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होने के अनिच्छुक होते हैं।

(ii) व्यवासायिक प्रशिक्षण :-

उद्देश्य :- यह प्रयास किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर व्यक्ति की कुशलता को बढ़ाता है जिससे श्रम-बाजार में उसके रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं ।

इस प्रकार के प्रशिक्षण में स्थानीय अर्थव्यवस्था के प्रासंगिक प्रशिक्षण देकर व्यक्ति को आत्म-निर्भर बनाया जाता है । जिससे व्यक्ति में भावनात्मक रूप से ऐसी आदतों तथा सामाजिक कार्य करने की क्षमता का विकास हो जिससे उसकी आत्म छवि में बदलाव हो ताकि वह अपने आप को नशे में लिप्त व्यक्ति के रूप में न देखे, बल्कि स्वयं को समाज के योगदानी तथा सहभागी सदस्यों के रूप में देखे । लेकिन इस प्रशिक्षण हेतु स्थानीय श्रम परिदृश्य तथा समाज का नशे से मुक्त लोगों को रोजगार देने के प्रति रवैये (दृष्टिकोण) की सूम निगरानी रखना आवश्यक है ।

9.6.2 प्रोत्साहनकारी (समर्थनकारी) सामाजिक उपाय:-

पुनर्वास की दूसरी पद्धति प्रोत्साहनकारी प्रयास के रूप में प्रयुक्त होती है जिसमें चार प्रकार के उपाय सम्मिलित हैं :-

(i) प्रोत्साहनकारी पारिवारिक कार्यक्रम: -

उद्देश्य:- व्यक्ति का नशे में लिप्त होने का एक बडा कारण अस्थिर सामाजिक पृष्ठभूमि का होना है। इससे आंशिक रूप से पूर्व नशे में लिप्त नौजवानों को पुर्नवास के दौरान अनुकूल (उपयुक्त) पारिवारिक माहौल में रखकर ठीक किया जा सकता है । सुधार का यह प्रयास उन्हें सामाजिक कड़ी के निर्माण में सहायता दे सकता है । इस उपाय का लक्ष्य युवा वर्ग में अपनत्व की भावना जगाना, उसे सुझाव देना, समझाना और सहायता (समर्थन) के लिये योग्य बनाना है । लेकिन कई बार व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में परिवार की सहायता न मिलने से व्यक्ति और परिवार में प्रतिकूलता उत्पन्न हो जाती है । अत: ऐसे परिवारों को नशा मुक्त व्यक्ति के संबंध में आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक होना आवश्यक है।

(ii) अर्द्ध-गृह: -

उद्देश्य (दर्शन): - पूर्ण कालिक रिहायशी कार्यक्रमों से निकलने की प्रक्रिया के पश्चात् मादक द्रव्यों पर निर्भर व्यक्तियों को रिहायशी संस्थाओं से एवं बाह्य दुनिया की आवश्यकता और चुनौतियों से धीरे-धीरे सामना करवाने का प्रयास किया जाता है । इस माध्यम से व्यक्ति को उस अवधि के दौरान रहने की सुविधा प्रदान की जाती है जब उसके पास आर्थिक स्रोतों की कमी होती है साथ ही उसे पुराने ड्रग का इस्तेमाल करने वाले वातावरण में जाने से रोकना है । व्यक्ति को रोजगार व शिक्षा पाने की अवधि के दौरान समय नियोजन में सहायता करने का प्रयास भी किया जाता है । इस कार्यक्रम में वे व्यक्ति लक्ष्य होते है जिन्हें सामाजिक एकीकरण के दौरान सांस्थानिक गृहों की आवश्यकता होती है । परन्तु अर्द्धगृह की सुविधा के परिणाम स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के ठहरने की अवधि एवं संक्रमणकालीन सुविधा की उपयोगिता बतलाती है कि यदि उसकी अर्द्ध-गृहों पर निर्भरता बनी रहती है तो उसका सामाजिक एकीकरण मुश्किल हो सकता है।

(iii) ड्राप-इन सेन्टर्स: -

उद्देश्य (दर्शन, सिद्धान्त) :- यह एक ऐसा स्थान है जहाँ अनौपचारिक सामाजिक वातावरण तथा विशेषज्ञ सुझाव की सेवायें उपलब्ध होती हैं यहीं की सलाह लेना उस व्यक्ति लिए उपयोगी हो सकता है, जिसके पास नशे से मुक्त वातावरण की बहुत कम जानकारी हो । इन सेन्टर्स का लक्ष्य व्यसनी व्यक्ति को पारंपरिक संस्थानों के बाहर नशे से मुक्त जीवन जीने में सहायता प्रदान करना तथा सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक होना है ।

(iv) रिहायशी कार्यक्रम: -

सिद्धान्त :- नशा विमुक्तिकरण के पश्चात् व्यक्ति को नशे से परहेज करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। यह परहेज रिहायशी वातावरण में प्रदान किया जा सकता है जहाँ व्यक्ति में सहयोग, जिम्मेदारी का अहसास एवं व्यवस्थित रहने आदि का वातावरण उत्पन्न किया जाता है । इन कार्यक्रमों का लक्ष्य आपसी संबंधों की गुणवत्ता को सुधारना एवं व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना होता है । यह व्यक्ति को नशे से मुक्त जीवन बनाये रखने में सहायता करते हैं । इन कार्यक्रमों के लक्ष्य समूह पूर्व में ड्रग पर निर्भर व्यक्ति दीर्घकाल से नशे में लिप्त व्यक्ति और विशेषकर वो व्यक्ति जिन्होंने हाल ही में नशे को छोड़ा हो, होते हैं।

9.6.3 समर्थनकारी / प्रोत्साहनकारी जीविकोपार्जन उपाय

नशा मुक्ति के पश्चात् पुनर्वास के इस प्रकार को दो भागों में बंटा गया है ।

(i) व्यावसायिक खोज प्लेसमेन्ट कार्यक्रम

(ii) सामुदायिक कार्य योजना

(i) व्यावसायिक खोज प्लेसमेन्ट कार्यक्रम :-

यह सिद्धान्त नशा मुक्त व्यक्ति के पुनर्वास में उपाय को प्रोत्साहन देता है । ड्रग्स पर निर्भर व्यक्तियों के सामाजिक संबंध सीमित होने के कारण उन्हें रोजगार के अवसर तथा रोजगार मिलने के लिए सहायता की जरूरत को इससे पूरा किया जाता है।

इन कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य समाज में रोजगार अवसरों को पहचानना, रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों की कुशलता और क्षमताओं का आकलन करना तथा व्यक्तियों और नियोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करना होता है । पुनर्वास संस्था में रोजगार खोजने वाले व्यक्ति एवं पूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को सहायता देना इनका प्रमुख कार्य है । लेकिन इसके लिए नियोक्ताओं का नशा मुक्त व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण इस कार्यक्रम के परिणाम के लिए निर्णायक कारक सिद्ध होता है ।

(ii) सामुदायिक कार्य परियोजना :-

यह सिद्धान्त लोक सेवा परियोजना में भागीदारी पर आधारित है जिससे व्यक्ति को सामाजिक पुर्नएकीकरण में सहायता प्राप्त होती है । समाज में व्यक्ति की भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे व्यक्ति को आय उत्पन्न करने के अवसर अधिक प्राप्त हों तथा समुदाय का पूर्व नशे में लिप्त व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को कम करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है । संतोषजनक परिणामों के लिए परियोजना का प्रकार व्यक्ति की रूचि के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें परियोजना की अवधि की गणना पहले से कर ली जाती है तथा इसके समाप्त होने के पश्चात नयी परियोजना में भाग लेने के अवसर तैयार किए जाते हैं।

9.6.4 उपचारिक समुदाय

नशा मुक्त व्यक्ति के पुनर्वास की चौथी पद्धति उपचारिक समुदाय के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें पूर्व में नशा मुक्त व्यक्तियों की सहायता ली जाती है।

इस सिद्धान्त की मान्यता है कि मादक-द्रव्यों पर निर्भर व्यक्ति प्राय: नासमझ होते हैं जिन्हें कार्य करने में परिपक्वता हासिल करने के लिए सहायता आवश्यकता होती है । इसमें कई महीने लग सकते हैं और इसे पाने के लिए उन व्यक्तियों को पेशेवर कर्मचारियों या परिपक्व व्यक्तियों के साथ रखना चाहिए जो पूर्व में नशे के आदी थे ऐसे लोग व्यसनी लोगों की समस्या के बारे में संवेदनशील होते हैं । पूर्व नशे में लिप्त व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा सकता है जिसका सब अनुसरण करें और यह प्रमाण दे सकता है कि ड्रग्स पर निर्भरता से विजय पाई जा सकती है । इस प्रयास का लक्ष्य आश्रित बनाने वाली ड्रग्स जैसे अल्कोहल से परहेज में सफलता प्राप्त करना, नई जीवन शैली की रचना करना, और सामाजिक विनाशकारी आचरण के प्रतिमान को मिटाना है । यह सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है तथा व्यक्ति में ईमानदारी और जिम्मेदारी और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर बल देता है।

नशा मुक्ति हेतु इस प्रयास में इच्छित श्रोतागण / दर्शक सभी नशे के आदी व्यक्ति जो नशा-मुक्त जीवन जीना सीखना चाहते हैं, सम्मिलित होते है । नशा मुक्ति के इस प्रयास का मूल्यांकन कठिन है, फिर भी उपचारिक समुदाय को एक उपयोगी उपचार का तरीका माना जा सकता है।

9.7 सारांश :

"अखिल भारतीय अफीम नशा निवारण केन्द्र, माणकलाव" नशे के लती / व्यसनी लोगों को नशामुक्त करवाकर जीवन में एक नई किरण और आशा का संचार करवाता है । नशामुक्ति के पंजीकरण के साथ-साथ संस्थान पहले व्यक्ति के नशा लेने के प्रमुख कारणों को जानने का प्रयास करता है और उसके आधार पर उपचार प्रारम्भ किया जाता है । जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के मन में नशे के विरूद्ध दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न की जाती है । 28 जून को अन्तर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हुए इस संस्थान के द्वारा विभिन्न मेलों के दौरान लोगों में चेतना और जागरूकता लाने का प्रयास भी किया जाता हैं । माणकलाव नशा मुक्ति केन्द्र में चल और अचल दोनों प्रकार के शिविरों में शिविरार्थी की आवासीय अवस्था निःशुल्क की जाती है । इस दौरान चार प्रकार से व्यसनी को नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाता है । जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक उपचार, पारिवारिक चिकित्सा. तथा ध्यान आदि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। योग एवं प्राणायाम व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करते हैं । माणकलाव में नशा मुक्ति के 10 दिवसीय शिविर को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है जहॉ शिविरार्थी की रोग परीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार चिकित्सा दी जाती है और उसे नशा मुक्त किया जाता है । नशा विमुक्तिकरण के पश्चात् संस्थान शिविरार्थी के पुनर्वास की व्यवस्था हेतु भी विभिन्न तरीके अपनाता है।

9.8 बोध प्रश्न

1. माणकलाव नशा मुक्ति केन्द्र लोगों में नशे के प्रति जागरूकता किस प्रकार लता है?
2. नशा मुक्ति के उपचार के प्रकारो के नाम लिखिए ।

3. माणकलाव नशा मुक्ति के शिविर कितने प्रकार के हैं, अचल शिविर को संक्षेप में समझाइए।
4. मानकलाव नशा मुक्ति शिविर की कार्यपद्धति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।

9.9 शब्दावली

1. **स्वापक** - Narcotics
2. **नशा विमुक्तिकरण** - Detoxification
3. **औषधि नर्वहन -** Drugs Maintenance
4. **स्वसम्मोहन** - Self Hypnosis
5. **विद्‌युत जनित निद्रा** - Electro Sleep
6. **सोम्य विद्‌युत उद्धिपन** - Mild Electric Stimulation
7. **शैक्षणिक उत्थान** - Educational Upgrading
8. **व्यावसायिक प्रशिक्षण** - Vocational Training

इकाई-10

नशा मुक्ति के प्रयास में एस. एम. एस. चिकित्सालय के स्पेशल वार्ड का अध्ययन

इकाई की रूपरेखा : -

10.1 उद्देश्य

10.2 प्रस्तावना

10.3 मादक पदार्थो के सेवन के प्रति भ्रान्तियाँ एवं तथ्य

10.4 नशा मुक्ति के प्रयास में एस.एम.एस. चिकित्सालय का परिचय

10.5 एस.एम.एस. नशा मुक्ति वार्ड की आंतरिक संरचना

10.6 एस.एम.एस. के नशा मुक्ति वार्ड में छुडाये जाने वाले प्रमुख नशीले पदार्थ

10.6.1 मदिरा के नशे का उपचार

10.6.2 अफीम एवं अफीम जनित नशे का उपचार

10.6.3 मारफीन और हेरोइन का उपचार

10.6.4 तम्बाकू का उपचार

10.7 सारांश

10.8 बोध प्रश्न

10.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप मादक पदार्थो के प्रति भ्रान्तियों की सत्यता जान पायेंगे

- नशा मुक्ति के प्रयास में एस.एम.एस. चिकित्सालय के नशा मुक्ति वार्ड का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- नशा मुक्ति वार्ड की आंतरिक संरचना की जानकारी हासिल कर सकेंगे ।
- एस.एम.एस. चिकित्सालय में नशा मुक्ति के तरीके को स्पष्ट रुप से समझा सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थो के उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाले लक्षणों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

10.2 प्रस्तावना

मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर, उत्तर भारत में मनोचिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ संस्था के रूप में कार्य कर रहा हैं । पिछले 50 वर्षो में यह संस्था प्रारम्भ से ही सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा दिमाग के रूप में कार्यरत है।

इस संस्था द्वारा मनोचिकित्सा केन्द्र एवं सवाई मानसिंह अस्पताल में नियमित बाहय रोगी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

व्यसन एक मानसिक रोग है जिसका उपचार मनोचिकित्सा एवं औषधियों के माध्यम से संभव है । यह सुविधा मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर तथा सभी मेडिकल कॉलेजों में निःशुल्क उपलब्ध है ।

यह उपचार शिविरों में भी हो सकते हैं । नशामुक्त होने वाले व्यक्ति को लम्बे समय तक परामर्श की आवश्यकता होती है।

मादक द्रव्यों का व्यसन वह स्थिति है जिसमें सामयिक अथवा दीर्घकालीन नशे की स्थिति में व्यक्ति उन्मत्त रहता है। इस स्थिति में मादक द्रव्य के सेवन की गहन इच्छा होती है यहॉ तक कि किसी भी तरीके से मिले मादक पदार्थ लेने के लिये बह बाध्य हो जाता है । इस स्थिति में धीरे-धीरे द्रव की मात्रा बढती जाती है । व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक तौर पर पूर्णतया इस पदार्थ पर आश्रित हो जाता है । व्यसन की इस स्थिति में मादक पदार्थ के दुष्प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर स्वयं पर होते हैं बल्कि उसके परिहार व समाज पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं । भारत में और राजस्थान में भी सामान्यतया शराब, अफीम व अफीमयुक्त पदार्थ (स्मेक, डोडा, नशीली गोलियॉ), मांग, गांजा, चरस आदि पदार्थो का व्यसन अधिक देखने को मिलता है ।

मादक पदार्थो के लम्बी अवधि तक नियमित सेवन से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव होते हैं ।

नशीले पदार्थो के सेवन के सामान्य लक्षण :-

शराब का सेवन करने से यकृत (लिवर) में सूजन आकर सिकुड जाता है जिसे "सिरोसिस' के नाम से जाना जाता है । हृदय एवं वृक्क (किडनी) की बीमारियॉ हो जाती हैं । हाथ, पैरों व मस्तिष्क की तालिकाओं में कमजोरी आ जाती है। सभी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्तियों में नरवस डिप्रेशन (अवसाद), अत्यधिक आक्रोश व उत्तेजना, मतिभ्रम की स्थिति जिसमें अकारण आवाजें सुनना, दृष्टिदोष हो जाना, कुछ नहीं होते हुए भी अजीब शकलें दिखना, स्वयं के शरीर अथवा बाहरी चीजों के आकार में परिवर्तन महसूस होना या बदलाव नजर आने लगता है । लम्बे व्यसन से गम्भीर मानसिक रोग वहम, शंकाओं व उन्माद से पीड़ित हो जाते हैं । मदिरा, भांग व अफीम के नशे में लिप्त बहुत से लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर मनोचिकित्सालय लाये जाते हैं।

मांग, गाँजा व चरस के व्यसन वाले व्यक्तियों में "अकर्मण्यता की स्थिति' हो जाती है मस्तिष्क पर होने वाले असर के कारण ये व्यक्ति अपनी निर्णय लेने की शक्ति और कार्यक्षमता खो बैठते है । इनमें निद्रा, स्मृति एवं व्यक्तित्व का असंतुलन हो जाता है इन व्यक्तियों के मस्तिष्क का आकार छोटा हो जाता है जिसे 'सैरिब्रल एट्रोफी' कहा जाता है।

व्यसन का पारिवारिक च समाजिक जीवन पर प्रभाव :-

व्यसन से व्याक्ति का पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन भी दुष्कर हो जाता है । व्यसन की आदत से जहां एक ओर उसकी कमाने की क्षमता कम हो जाती है वहीं दूसरी ओर मादक द्रव्यों पर होने वाला खर्च उसकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बना देता है । व्यसनी व्यक्ति किसी भी कीमत पर मादक द्रव्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्नरत रहता है चाहे उसके परिवार के लिये समुचित भोजन उपलब्ध नहीं हो।

व्यसन और अपराध की प्रवृति एक दूसरे से बढते हैं । व्यसनी व्यक्तियों का अपना एक समूह बन जाता है जिसमें कामुकता, अपराधवृत्ति (सामाजिक, यौन व आर्थिक अपराध) एवं चरित्रहीनता की संस्कृति बन जाती है इन लोगों में यौन रोग तथा एड्स जैसी भयंकर बीमारी की संभावनायें अधिक रहती हैं । सुई से मादक द्रव्य व्यसन करने वालों में एड्स बहुत अधिक पाया गया है । ऐसे लोग उस समूह से बाहर नहीं निकल पाते । किशोरावस्था में ये संस्कार मिलने की संभावना अधिक होती है ।

व्यसन तेजी से फैलता हु आ मनोसामाजिक रोग है जिसकी रोकथाम, व्यसनी व्यक्तियों का उपचार व पुनर्वास नितान्त आवश्यक है।

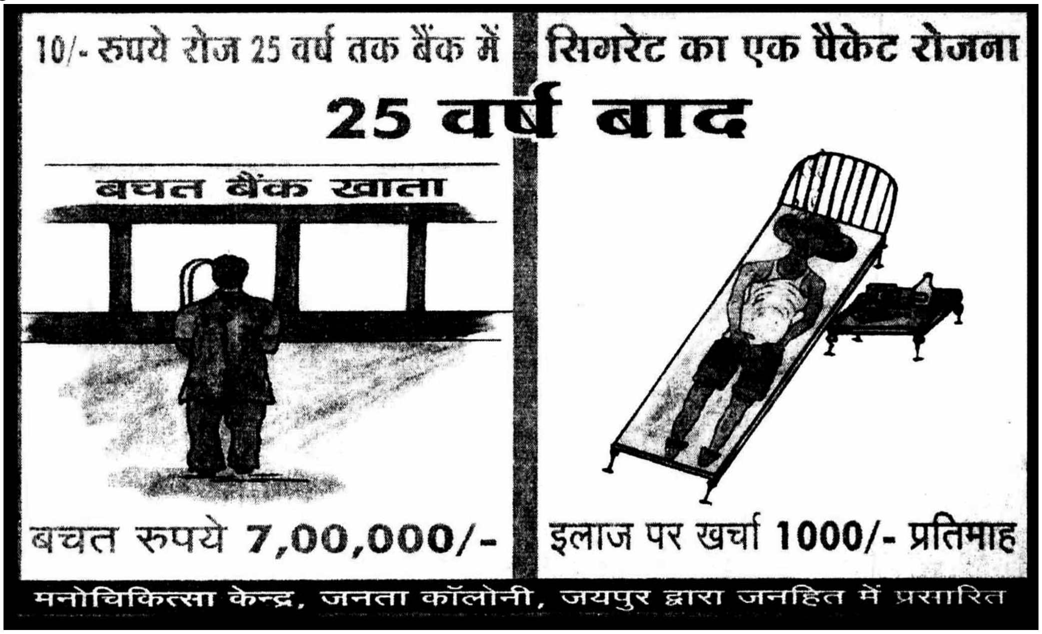

चित्र संख्या 10.1

10.3 मादक पदार्थो के सेवन के प्रति भ्रान्तियाँ एवं तथ्य -

मनोचिकित्सकों द्वारा व्यसनी व्यक्तियों में मादक पदार्थ के सेवन को लेकर उत्पन्न व्यसन-भ्रान्तियों का निवारण एवं परामर्श

चिकित्सालय में अधीक्षक मनोचिकित्सक डॉ. शिव गौतम के अनुसार मादक पदार्थो के सेवन को लेकर आम जनता, व्यसनी व्यक्तियों तथा समाज में इन पदार्थों के उपयोग को लेकर कुछ भ्रान्तियाँ व्याप्त हैं जिनका निराकरण आवश्यक है।

भ्रान्तियां	**तथ्य**
1. परिश्रम करने वाले के लिए नशा करना आवश्यक है ।	**1.** नशा करने से व्यक्ति की मांस पेशीयों व स्नायुतन्त्र में कमजोरी आ जाती है बह श्रम नहीं कर सकता ।
2. नशे से यौन शक्ति बढ़ती है।	**2.** नशा करने वाले व्यक्तियों में तात्कालिक उत्तेजना मस्तिक मे होती है लेकिन लम्बे समय तक नशा करने से नपुंसकता आ जाती है। नशे में लिप्त बहनों में मातृत्व क्षमता समाप्त हो जाती है।
3. नशे से सृजनशीलता बढ़ती है ।	**3.** यह एक मिथ्या भ्रम पैदा होता है बहुत से कलाकारों का उपचार करते समय मैंने पाया है कि नशे की लत शुरूहोने के बाद की उनकी कलाकृतियां पहले की तुलना में घटिया स्तर की रही हैं।
4. थोडा-थोडा नशा स्वास्थवर्धक हैं।	**4.** निश्चित ! अधिकांश नशीले पदार्थो का अन्वेषण औषधि के रूप में हु आ लेकिन जितनी मात्रा में वे औषधि हैं

			उतनी मात्रा नशीला असर करने के लिए पर्याप्त नहीं होती व धारे-धीरे व्यक्ति व्यसनी बन जाता है । नशे से रोग निरोधक क्षमता कम होती है।
5.	नशा करने से काम अधिक कर सकता है।	**5.**	निश्चित !थोड़ी सी अफीम खाकर कुछ घंटे अधिक काम कर सकते है क्योंकि शरीर को थकान महसूस नहीं होती पर व्यसनी व्यक्ति तो नशे में चूर बिल्कुल काम नहीं कर सकता उसकी शारीरिक शक्ति कुछ समय में क्षीण हो जाती है और समय से पहले वृद्ध हो जाता है और रूग्ण हो जाता है।
6.	नशा उच्च सामाजिक स्तर के लिये आवश्यक है।	**6.**	यह एक झूठी शान है बहुत से प्रतिष्ठित एवं सफल व्यक्ति नशा नहीं करते।
7.	संगीत निभाने के लिए नशा आवश्यक है।	**7.**	जिनका व्यक्तितत्व कमजोर है और कुसंगति को नकारने की हिम्मत नहीं है वे ऐसा कहते हैं ।

मादक पदार्थ व्यसन की चिकित्सा

- चिकित्सा सरल व सुलभ है ।
- रोगी द्वारा व्यसन छोड़ने की तीव्र इच्छा सहायक है ।
- 10-15 दिन के लिये चिकित्सालय में भर्ती एवं उपचार ।
- रोगी व उसके परिवार जनों से सामाजिक, मानसिक अथवा अन्य कारणों की जानकारी।
- मादक पदार्थ के असर को कम करने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग ।
- व्यावहारिक मनोचिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा ।

रोकथाम के उपाय

- नशीली दवाओं के विक्रय व प्रयोग पर कानूनी रोक ।
- मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले कुप्रभावों सम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा शिविरों फिलमस् का आयोजन।
- मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले कुप्रभावों का बच्चों के पाठ्यकम में समायोजन।
- सामाजिक कार्यकर्त्ताओं व विशिष्ट लोगों द्वारा सामाजिक चेतना।

नशा मुक्ति हेतु सरकारी प्रयास :-नशीले पदार्थों से सम्बन्धित गंभीर विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्य, सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में 33 शहरों में एक सामान्य अनुसंधानीय प्ररचना और उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया जिनमें इन अध्ययनों का मूल उद्देश्य यह पता लगाना था कि:-

1. नशीले पदार्थों एवं उनकी प्रवृत्ति व सीमा ।
2. उन कारकों का पता लगाना जो नशीले पदार्थ के सेवन में योगदान देते हैं ।
3. आसानी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों व जनसंख्यात्मक समूहों के सम्बन्धों के बारे मे जानकारी प्राप्त करना ।
4. रोकथाम की व्यवस्था तथा उपलब्ध सुविधाएँ।

चित्र संख्या 10.2

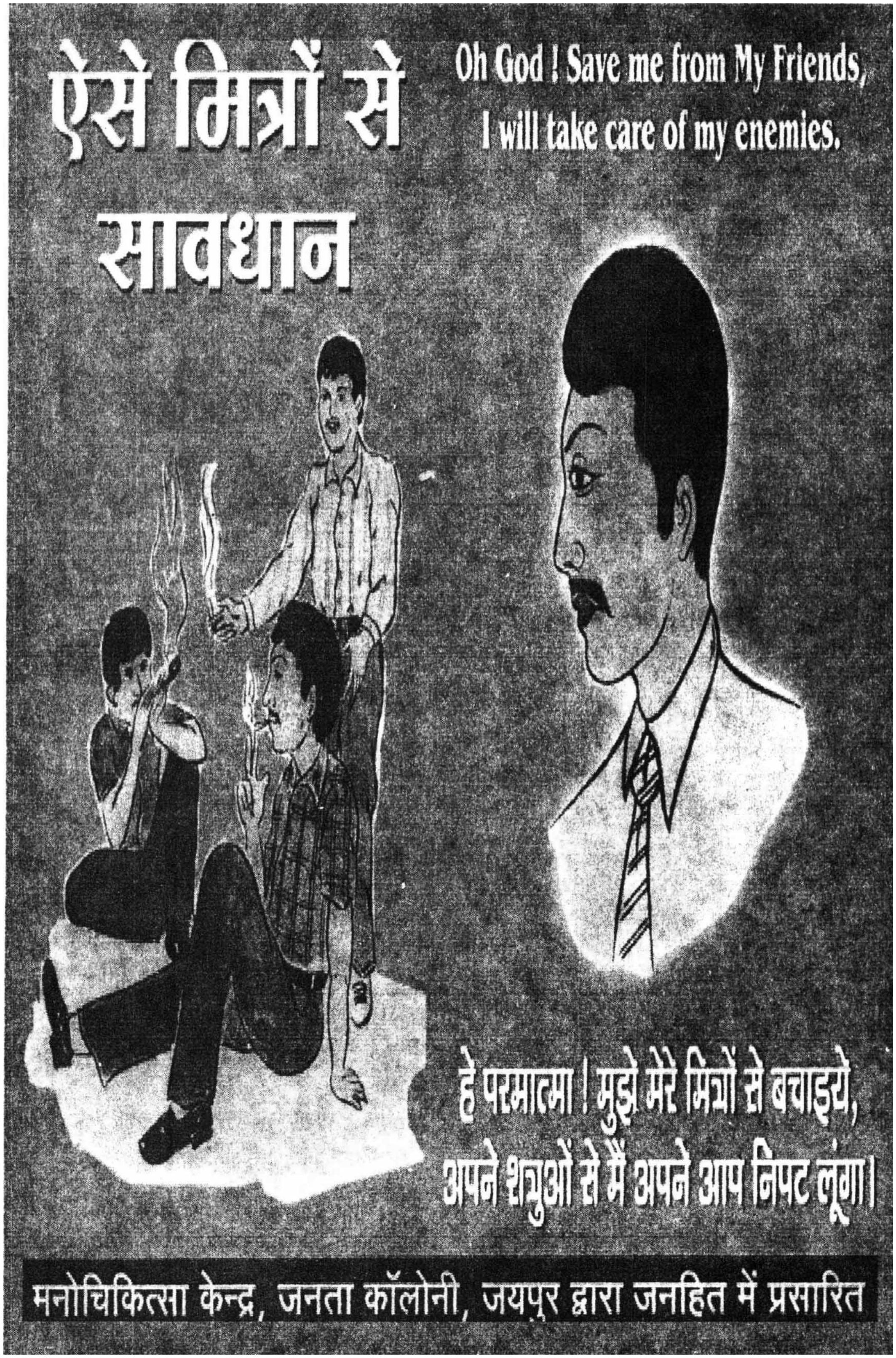

चित्र संख्या 10.2

मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जन चेतना हेतु प्रसारित

चित्र संख्या 10.3

जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, उसके सामने विनाश मुंह बायें खडा है। इतिहास में इसके कितने ही प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कितने ही साम्राज्य मिट्टी में मिल गये । जिस पराक्रमी जाति में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह इस बुराई के कारण नष्ट हो गई । रोमन साम्राज्य के पतन का एक कारण निःसंदेह यह भयंकर बुराई (मद्यपान) ही थी।

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

मनोचिकित्सा केन्द्र, जनता कॉलोनी, जयपुर द्वारा जनहित में प्रसारित

सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्थान ने इन सभी अध्ययनों के सार को "ड्रग एब्यूज" नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया । नशीले पदार्थों के प्रचलन को रोका जाए और जो व्यक्ति नशीले पदार्थो के व्यसनी हो चुके हैं उन्हें नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाए, इस संदर्भ में एक और औपचारिक साधनों जैसे सामाजिक अधिनियमों की मदद ली जा रही है तो दूसरी ओर सरकारी माध्यमों या गैर सरकारी अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से नशीले पदार्थो के सेवन के विरूद्ध प्रचार, प्रसार और जागरूकता लाने के साथ-साथ उपचार का प्रयास किया जा रहा है । ऐसे प्रयासों से कुछ अंशों तक सफलता भी मिली है और कुछ व्यसनियों को नशा-मुक्त भी किया गया है । लेकिन इससे कुछ व्यक्ति

ही नशा मुक्त हुए हैं जबकि अधिकांश आज भीव्यसनी हैं । ऐसी स्थिति में उन कारकों और परिस्थितियों को जानने का प्रयास भी चिकित्सक करते हैं जिनके परिणामस्वरूप व्यक्ति पुन: नशे की ओर अग्रसर हो जाता है । इसी सन्दर्भ में व्यसनियों की पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, मित्र-मण्डली, उनके समुदाय से सम्पर्क, नशा मुक्ति के लिए प्रेरक कारणों आदि की जानकारी भी चिकित्सकों द्वारा प्राप्त की जाती है । एस.एम.एस. चिकित्सालय का नशा मुक्ति वार्ड व्यसनी के उपचार के साथ-साथ नशीले पदार्थो के सेवन की पृष्ठभूमि और आधार के रूप में कार्य कर रही परिस्थितियों के बारे में परिवार के सदस्यों एवं व्यसनी व्यक्ति से विगत जानकारी प्राप्त करता है, जिससे व्यसनी व्यक्ति को नशा मुक्त करने हेतु उस की वैयक्तिक, पारिवारिक सामुदायिक परिस्थितियों के अनुरूप नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति के अनुरूप उपचार किया जा सके।

10.4 एस.एम.एस. चिकित्सालय का परिचय

एस.एम.एस. चिकित्सालय का नशा मुक्ति वार्ड मनोचिकित्सा के डीएडिक्शन विभाग में आता है । नशा मुक्ति का यह वार्ड प्रारम्भ में मनोचिकित्सालय में स्थपित किया गया था परन्तु सन् 1998 से यह वार्ड एस.एम.एस. चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिया गया जिसके दो मोटे कारण माने जाते हैं -

1 पहला व महत्वपूर्ण कारण लोगों द्वारा किया गया विरोध था क्योंकि वे स्वयं को मनोरोगी नहीं मानते अत: मनोचिकित्सालय में भर्ती होने से वे स्वयं को निन्दित महसूस करते हैं ।

2 नशा मुक्ति वार्ड को एस.एम.एस. चिकित्सालय में स्थानान्तरित करने का दूसरा कारण, किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को नशा विमुक्त करते समय विभिन्न रोगों का सामना करना है क्योंकि लंबे समय तक नशीले पदार्थो का सेवन करते रहने से व्यक्ति के लीवर और फेफडों आदि का उससे प्रभावित होना है जिनके उपचार की भी आवश्यकता होती है।

केन्द्र सरकार के द्वारा राजस्थान में नशा मुक्ति वार्ड हेतु सर्वप्रथम एस.एम.एस. चिकित्सालय को चुना गया । वर्तमान में इस वार्ड का संचालन मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया जा रहा है ।

10.5 एस.एम.एस. चिकित्सालय की आंतरिक संरचना

इस चिकित्सालय के नशा मुक्ति वार्ड में 20 शैय्या की व्यवस्था है, जहॉ नशा मुक्ति हेतु आने वाले व्यक्ति के उपचार के लिए एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेन्ट प्रोफेसर और एक मेडिकल प्रोफेसर नियुक्त है, जिनकी देखरेख में व्यसनी को नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाता है, इसके अतिरिक्त नर्सिंग स्टॉफ भी व्यसन मुक्ति हेतु आने वाले व्यक्ति की पूर्ण देखरेख करता है । चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीज की संपूर्ण जिम्मेदारी परिचारक की होती है, जिसमे परिवार के सदस्यों और चिकित्सालय के नर्सिगकर्मियों का विशेष योगदान होता है।

एस.एम.एस. चिकित्सालय में नशा मुक्ति हेतु आने वाले व्यसनी का पंजीकरण चिकित्सालय में ओ.पी.डी. जांच के पश्चात् किया जाता है, तत्पश्चात व्यसनी व्यक्ति की नशा छोड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति को देखते हुए उसे 8 से 15 दिन तक चिकित्सालय में भर्ती रखा जाता है । व्यसनी व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती रखने की समयावधि उसकी नशीले पदार्थ पर निर्भरता, सेवन की अवधि, मात्रा तथा प्रत्यागमन के लक्षण पर निर्भर करती है।

एस.एम.एस. चिकित्सालय में नशा मुक्ति हेतु आने वाले प्रमुख व्यसनी :-

विश्वभर के समान राजस्थान में भी अफीम, डोडा, पोस्त, शराब, स्मैक, हेरोइन, चरस और गांजा आदि के व्यसनी पाए जाते हैं, लेकिन केवल दृढ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति ही नशे की आदत से छुटकारा पा सकते है, इसी कारण विश्वभर के समान केवल 30 प्रतिशत व्यसनी व्यक्ति ही पूरी तरह से नशा मुक्त हो सकते हैं।

इस चिकित्सालय में मुख्यरूप ये अफीम और शराब को छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यसनी अधिक आते हैं इसके अतिरिक्त स्मैक, हेरोइन और तंबाकू आदि को छोड़ने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है।

तंबाकू के सेवन से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हे केवल परामर्श एवं नशा छोड़ने की प्रेरणा के द्वारा नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि तंबाकू छोड़ने के कोई गंभीर लक्षण व्यसनी व्यक्ति में नहीं दिखाई देते और न ही व्यक्ति इस नशे को बंद करने पर किसी प्रकार से बहकता है ।

पुरूषों की तुलना मे महिलाओं के द्वारा अफीम, शराब, चरस आदि का नशा यद्यपि कम किया जाता है लेकिन वर्तमान समय में आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवारों में एलकोहल और स्मैक आदि के सेवन का प्रचलन होने लगा है । इसी प्रकार से निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाओं में भी शराब, बीड़ी, सिगरेट तथा तंबाकू का नशा किया जाता है क्योंकि उनके पास मनोरंजन प्राप्त करने एवं थकान को कम करने का अन्य कोई साधन नहीं होता । लेकिन पुरूषों की तुलना में नशा मुक्ति हेतु आने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य होती है।

इसके दो प्रमुख कारण चिकित्सकों के द्वारा बताये गये -

1 एस.एम.एस. चिकित्सालय में नशा मुक्ति हेतु आने वाली महिलाओं को भर्ती करने की अलग से व्यवस्था नहीं है । इस मजबूरी के कारण पुरूषों और महिलाओं को एक ही वार्ड में भर्ती किया जाता है।

2 दूसरा कारण सामाजिक वातावरण से संबंधित है, कि महिलाएं सामाजिक निन्दा अथवा आलोचना के भय से चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती नहीं होती अपितु ओ.पी.डी में चिकित्सकों की परामर्श एवं दवाओं के माध्यम से नशा छोड़ने का प्रयास करती हैं ।

10.6 व्यसनी का उपचार एवं छुड़ाये जाने वाले प्रमुख नशीले पदार्थ :-

चिकित्सालय में व्यसनी व्यक्ति को नशा मुक्ति हेतु भर्ती करने के साथ ही चिकित्सकों द्वारा, उस पदार्थ को तुरंत रोक दिया जाता है जिसका वह व्यक्ति नशा करता है । ऐसा करने पर व्यसनी व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते है जिनके उपचार की तुरंत आवश्यकता होती है । इन लक्षणों में अनिद्रा, दस्त, वमन, पेट दर्द, ऐंठन आदि सम्मिलित हैं । एस.एम.एस. चिकित्सालय में मरीज को भर्ती करने के पश्चात वार्ड के चिकित्सक, कर्मचारी एवं परिवार के सदस्य व्यसनी व्यक्ति का इन लक्षणों से सामना करने हेतु मनोबल को ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैं।

एस.एम.एस. चिकित्सालय नशा मुक्ति के प्रयास में राजस्थान में प्रचलित विभिन्न प्रकार के परंपरागत एवं आधुनिक नशीले पदार्थो जैसे मदिरा, तम्बाकु एवं हैरोइन अथवा स्मैक छुड़ाने का प्रयास करता है, जिनके लिए निम्न तरीके अपनाये जाते हैं :-

10.6.1 मदिरा के नशे का उपचार :-

मदिरा व्यसन की विभिन्न स्थितियों के निदान हेतु दो प्रकार की चिक्त्सिा दी जाती है जिसमें मदिरा सेवन के कारणों को जानने के लिए निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है।

शारीरिक चिकित्सा -

1. मदिरा की प्रयुक्त मात्रा
2. मदिरा प्रयोग से उत्पन्न अनियंत्रण
3. सामाजिक दुष्परिणाम
4. शारीरिक दुष्प्रभाव
5. मनोवैज्ञानिक कारण

किसी भी मीदरायुक्त पेय की मात्रा का एक दिन या एक सप्ताह में अथवा एक बैठक में कितना प्रयोग किया गया है, जानना ही मदिरा व्यसन के निदान हेतु पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसी भी व्यसनी व्यक्ति से प्रयुक्त मात्रा के बारे में पूछे जाने पर उत्तर सदैव अस्पष्ट, गोलमाल अथवा असत्य होता है।

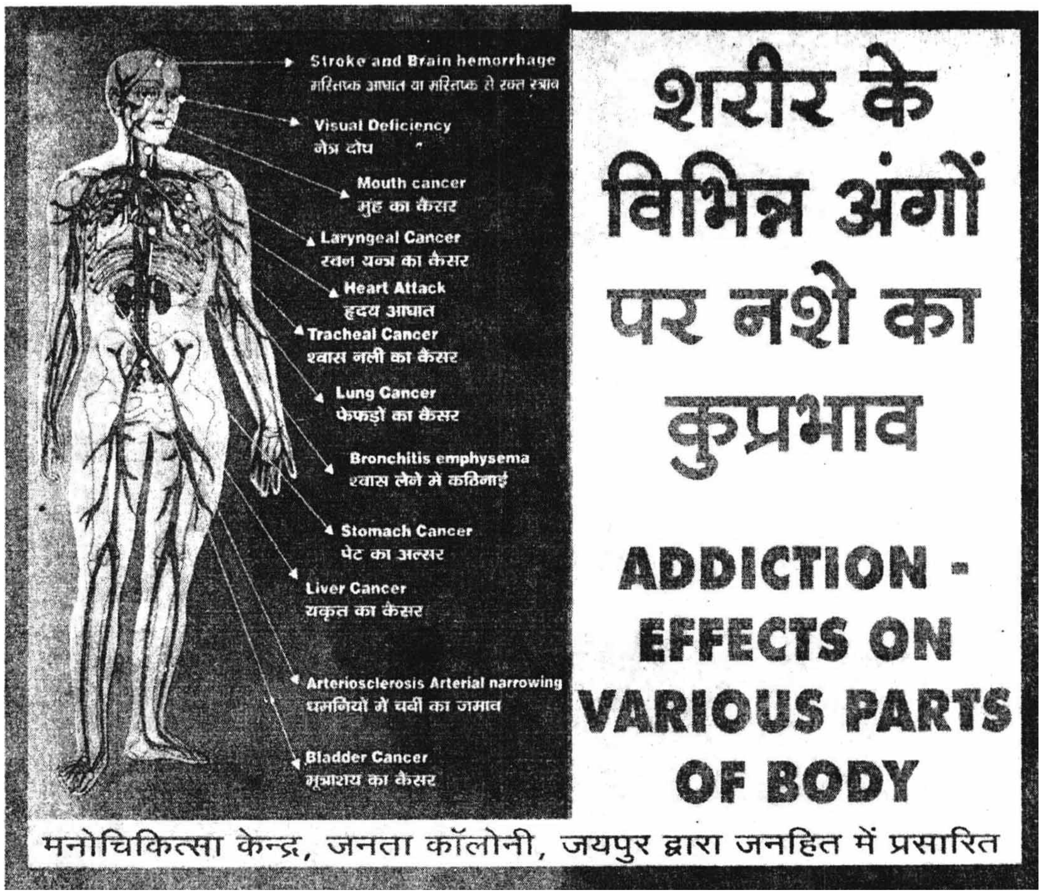

चित्र संख्या 10.4

मदिरा सेवन के पीछे कई बार सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी उतरदायी होते हैं। उच्च वर्गों में सामाजिक रूप से मदिरा पान को मान्यता दी जाती है पार्टियों अथवा खाने की मेज पर वाईन परोसने

का रिवाज भी कई देशों में है इसी प्रकार से मदिरा पीने की प्रतियोगिता, बेरोजगारी, बचपन में माता-पिता की मृत्यु आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो समाज में मदिरा पान को बढ़ावा देते हैं । सामान्यतया ऐसे व्यक्ति स्वयं को सक्षम नहीं पाते अत: मदिरा का सहारा लेकर अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ।

मदिरा प्रत्यागमन के लक्षण :-

मदिरा छोड़ने के कई लक्षण हो सकते हैं जैसे :- हाथों, जीभ और पलकों में कम्पन्न, मतली आना, वमन, कमजोरी, नाड़ी की गीत तेज होना, पसीना आना, रक्तचाप बढ़ाना ये लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति दीर्घकाल तक अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है और बाद में बन्द कर देता है । इसी प्रकार से शराब का सेवन बन्द कर देने से मानसिक स्तर पर दुश्चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि लक्षण दिखाई देते हैं । ये लक्षण शराब बन्द कर देने के कुछ समय तक रहते है और 5 से 7 दिन के भीतर समाप्त हो जाते हैं ।

इन लक्षणों को कम करने हेतु शामक औषधी दी जाती है तथा तीव्र लक्षणों के समाप्त होते ही व्यक्ति अपने दैनिक कार्यो को करने के योग्य हो जाता है ।

चिकित्सा के लिए लाये गये लगभग 5 प्रतिशत मदिरा व्यसनी व्यक्तियों में जो कि अत्यधिक मदिरा का दीर्घकाल से सेवन कर रहे होते हैं में प्रत्यागमन की गम्भीर अवस्था दिखाई देती है जिसे सकम्प प्रलाप कहते हैं । यह अवस्था मदिरा सेवन बन्द करने अथवा मात्रा कम करने के एक सप्ताह के भीतर उत्पन्न होती है । इसके अतिरिक्त व्यसनी व्यक्ति में मस्तिष्क आघात,संक्रमण एवं कुपोषण सकम्प प्रलाप उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । प्रारम्भिक अवस्था में रोगी सोते समय दुश्चिता आक्रमण से परेशान हो जाता है अथवा भयानक सपने देखने के कारण नींद से जग जाता है उसे अत्यधिक घबराहट, पसीना आना और दबाव की अनुभूति होती है तथा रोगी भयभीत होने लगता है । शारीरिक रूप से रोगी को बुखार हो जाता है, जीभ मैली होती है, होठ सूखे एवं पपड़ीदार होते है । आदतन व्यसनी व्यक्तियों में यह आक्रमण दुबारा होने की सम्भावना बनी रहती है तथा कई बार भ्रमित व्यक्ति बिना कोई आभास दिये ऊपरी मंजिल से नीचे कूद सकता है अथवा अचानक वार्ड में उपस्थित डॉक्टरों, नर्सों अथवा मिलने जुलने बालों पर आक्रमण कर सकता है ।

सकम्प प्रलाप की चिकित्सा - सकम्प प्रलाप की चिकित्सा करने के स्थान पर इसे उत्पन्न नहीं होने देना अधिक सुविधाजनक है । रोगी में जब प्रत्यागमन लक्षण दिखाई देते हैं उसी समय उसे शामक औषधियाँ दी जाती हैं, जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं आ जाता, रोगी को अलग कमरे में रखा जाता है । उसके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकोज एवं अन्य पेय तरल पदार्थो को मुँह से दिया जाता है । साथ ही अतिरिक्त विटामिन की मात्रा भी दी जाती है। जब रोगी घबराया हुआ चिन्तित अथवा भ्रमित अवस्था में होता है तब उसे कुशल मनोवैज्ञानिक की सहायता भी दी जाती है |

मदिरा व्यसन की चिकित्सा के लिए आवश्यक है कि रोगी को किसी चिकित्सालय अथवा नशारोधी केन्द्र में अथवा ऐसे परिवेश में रखा जाये जहाँ उसके सामने दैनिक जीवन की विषम परिस्थितियाँ न हों एवं वह अपने व्यसनी समूह से दूर रह सके । मदिरा कसन की चिकित्सा बहु आयामी है और निम्न उद्देश्यों पर केन्द्रित होती है ।

1. शारीरिक पुनर्वास

2. मदिरा व्यसनी व्यवहार पर नियन्त्रण
3. सुखद भविष्य का अहसास

(1) प्रथम चरण में मदिरा व्यसनी की चिकित्सा में कई प्रकार की औषधियों और उपायों को काम में लाया जाता है । तीव्र नशे की अवस्था में तुरन्त उपाय रोगी की नशे की अवस्था को कम कर रोगी के शरीर से मदिरा को सम्पूर्ण रूप से बाहर निकालता है । इसके लिए मदिरा सेवन या तो धीरे-धीरे कम किया जाता है अथवा पूरी तरह से रोक दिया जाता है ।

(2) दूसरे चरण में प्रत्यागमन लक्षणों को नियन्त्रित किया जाता है, इसमें दबा बहुत उपयोगी होती है । यह दबा रोगी की उत्तेजना, मतली, उल्टी, प्रलाप और आक्षेप को नियन्त्रित करती है । शामक औषधियों को देने से रोगी की दुश्चिता कम होती है शैर अनिद्रा दूर होती है । किन्तु कुछ दिनों बाद ये औषधियाँ भी बन्द कर दी जाती हैं, अन्यथा रोगी इन औषधियों का आदी हो सकता है।

(3) तीसरे चरण में रोगी को मदिरा रहित जीवन अतीत करने के योग्य बनाया जाता है । इसके लिए उसे मदिरा से घृणा उत्पन्न करने वाली औषधियाँ दी जाती हैं । इसे लेने के बाद यदि रोगी मदिरा लेता है तो उसे उल्टी होने लगती है और घबराहट शुरू हो जाती है । इस कारण व्यक्ति को मदिरा के प्रति घृणा भाव पैदा हो जाता है । यह चिकित्सा मदिरा चक्र को तोड़ने के लिए की जाती है। जिससे रोगी मदिरा छोड़ने के बाद फिर से मदिरा न लेने लगे ।

<u>मनोवैज्ञानिक चिकित्सा</u> :-

रोगी को मदिरा रहित करने के तुरन्त पश्चात् पारिवारिक परामर्श चिकित्सा, व्यवसायिक पुनर्वास और समाज में पुन: समायोजित करने की आवश्यकता होती है । यद्यपि व्यक्ति की मनोचिकित्सा कभी-कमी कारगर होती है किन्तु इसके अतिरिक्त समूह चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, वातावरण हस्तक्षेप एवं अनामी मदिरा व्यसनी समूह की सहायता उपयोगी होती है ।

मनो-चिकित्सा :- मनो-चिकित्सा का उद्देश्य रोगी की मनोविकृतियों, मदिरा सेवन के कारणों और उसके परिणामों पर जोर देना है । यदि रोगी की अवचेतन समस्याओं को उबारने का प्रयत्न किया जाये तो यह रोगी के हित में नहीं होता क्योंकि रोगी का अहं बहुत कमजोर होता है ।

समूह चिकित्सा :- कुछ केसों में मदिरा व्यसनी की पत्नी अथवा पति और उसके बच्चों को समूह चिकित्सा में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है । समूह चिकित्सा में रोगी को उसकी समस्या और उसके भयंकर परिणामों के बारे में ज्ञान कराया जाता है । वही उनसे अपनी समस्या से जूझने के लिए नई परिस्थितियों को ढूंढने में मदद की जाती है ।

व्यवहार चिकित्सा - यह एक प्रभावी उपाय है । इसके द्वारा मदिरा व्यसनी को मदिरा से विरत करने के लिए विमुखी उपायों का प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के रूप में मदिरा सेवन को बिजली के झटकों के साथ सम्बद्ध किया जाता है जिससे व्यक्ति के मदिरा सेवन व्यवहार को दबाया जा सके । इस प्रकार बिजली के झटके मदिरा सेवन आवेगों को दबाने और मदिरा के प्रति व्यक्ति की विमुखता को बढ़ाने में सहायक होते है । कुछ औषधियाँ भी विमुखी उपायों में सहायक होती हैं जिनके कारण मदिरा सेवन के तुरन्त बाद उल्टियाँ अथवा अत्यधिक बेचैनी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है । रोगी इनको मदिरा से उत्पन्न होना समझता है और वह मदिरा से विमुख होने लगता है ।

वातावरण हस्तक्षेप - मदिरा व्यसनी व्यक्ति के कुसमायोजित व्यवहार के कारण उसकी अपनी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ उसके विपरीत अथवा उसके प्रति उपेक्षाभाव वाली हो जाती हैं । उसका

अपने परिवार, मित्रों तथा साथी व्यक्तियों से आपसी सम्बन्ध अच्छा नहीं होता । इस प्रकार के विरोधी वातावरण में मदिरा व्यसनी की चिकित्सा आसान नहीं होती । अत: ऐसे में इन व्यक्तियों को किसी चिकित्सालय, नशारोधी केन्द्र अथवा ऐसे स्थान पर रखा जाता है । जहाँ इन्हें ठीक हो सकने में पूरी सहायता मिल सके ।

अनाम मदिरा व्यसनी समूह - यह संस्था सामान्यतया 'ए ए' के नाम से जानी जाती है । यह एक स्वयंसेवी संस्था है जिसे सन् 1935 में दो मदिरा व्यसनी व्यक्तियों ने अमेरिका में स्थापित किया था। आज इसकी सदस्य संख्या लाखों में है और कई देशों में इसकी शाखाएँ हैं । यह संस्था मदिरापान की समस्या से ग्रसित सभी व्यक्तियों को समूह में एकत्र करके उनमें आपसी विचार-विमर्श तथा अनुभवों की साझेदारी को बढ़ावा देती है । इसके लिए उनसे किसी भी प्रकार की न तो फीस ली जाती है और न ही किसी प्रकार का रिकार्ड रखा जाता है ।

रोग पुनरावृति निरोध - सभी व्यसनों में व्यसनरीहत होने के बाद व्यसन की पुनरावृति को रोकना बहु त महत्वपूर्ण है। लम्बे समय तक शराब से दूर रख पाने में सफलता का प्रतिशत कम होता है । अत: इसके निरोध के लिए उन पारिवारिक सामाजिक और मानसिक कारणों को दूर करने के उपाय चिकित्सा कार्यक्रमों में रखे जाते हैं, जिनसे व्यक्ति पुन: मदिरापान की ओर अग्रसर न हो ।

10.6.2 अफीम एवं अफीम जनित नशे का उपचार

अफीम का प्रयोग हजारों वर्षो से चिकित्सा तथा नशे के रूप में किया जाता है । अफीम के पौधे के रस और फल में नशा होता है । यह रस सूखने के बाद गाढ़ा काले-भूरे पदार्थ का रूप ले लेता है, यह कच्ची अफीम कहलाता है । इसके व्यसनी गुणों के कारण वैज्ञानिकों ने इसके द्वारा एक अन्य पदार्थ हेरोइन का निर्माण किया जो कि दुर्भाग्य से मारफीन से भी अधिक खतरनाक व्यसनी गुणों वाला साबित हु आ और नशा करने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हु आ । हेरोइन, नशा करने वालों में स्मैक या ब्राउन शुगर के नाम से जानी जाती है । यह पदार्थ मिलावटी रूप में उपलब्ध होते हैं तथा गैर-कानूनी रूप से बनाये और बेचे जाते हैं ।

10.6.3 मारफीन और हेरोइन का प्रभाव

मारफीन अथवा हेरोइन का नशा धुम्रपान के द्वारा अथवा सूँघकर, खाकर अथवा इनके घोल को सुई के द्वारा इन्जेक्शन लगाकर किया जाता है । इनके लेने पर तुरन्त प्रभाव छद्म आनन्द का होता है और उसके बाद व्यक्ति शिथिल अवस्था में पड़ा रहता है । भोजन अथवा शरीर की देख--भाल के बारे में उसका ध्यान कम हो जाता है । नशे का प्रभाव समाज या कम होने पर इसे फिर से लेने की इच्छा होती है । कुछ व्यसनी इन्जेक्शनों के माध्यम से हेरोइन को सीधे शिरा में प्रविष्ठ कराते है जिसके कारण उन्हें आनन्ददायी ऐंठन की अनुभूति होती है जो कि लगभग एक मिनट तक रहती है । व्यसनी इस अनुभूति को रति क्रिया में प्राप्त सुख से तुलना करते है । नशा न मिलने पर व्यक्ति में प्रत्यागमन लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । खुराक की अधिक मात्रा घातक सिद्ध होती है और मृत्यु भी हो सकती है ।

यदि रोगी को पदार्थ के सेवन के बाद देखा जाये तो उसकी आँखों की पुतली संकुचित दिखाई देती है । हेरोइन अथवा मारफीन के इंजेक्शन लेने के स्थान पर दाग अथवा घाव होते है । शारीरिक

स्वास्थ्य कमजोर होता है, भूख कम हो जाती है और कुपोषण के अन्य लक्षण विद्यमान हो सकते हैं ।

हेरोइन की अन्तिम खुराक लेने के 24 से 48 घण्टे के अन्दर प्रत्यागमन लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और लगभग 7 दिन के अन्दर समाप्त हो जाते हैं । जम्हाई आना, नाक और आँखों से पानी बहना, मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, हाथ पैरों में ऐंठन, अनिद्रा, भूख का न लगना, पसीना आना, तनाव, मतली, उल्टी, पेट दर्द, दस्त, हाथ पैरों में ऐंठन, अनिद्रा, भूख का न लगना, पसीना आना, तनाव, बैचेनी, रोएँ खड़े होना इत्यादि लक्षण धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं किन्तु अनिद्रा और बैचेनी की समस्या लगभग एक माह तक रहती है । प्रत्यागमन लक्षण खतरनाक नहीं होते किन्तु हृदय रोग या अन्य गम्भीर बिमारियों के होने पर संकटकारी हो सकते है ।

चिकित्सा :- व्यसनी व्यक्ति को पदार्थ रहित करना और प्रत्यागमन के समय औषधियों एवं मनोवैज्ञानिक सहायता के द्वारा उसकी पीड़ा को कम करने का प्रयत्न किया जाता है ।

अफीम उत्पादों के व्यसनी व्यक्तियों की चिकित्सा का सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि इनमें पुनर्वसन की समस्या का प्रतिशत बहुत अधिक है ।

मनोसक्रीय पदार्थो के सेवन से मुक्ति की चिकित्सा के मुख्य दो आयाम हैं । प्रथम उसे औषधियों द्वारा नशे से मुक्ति दिलाना एवं नशामुक्ति के दौरान उत्पन्न प्रत्यागमन लक्षणों की समुचित देखभाल करना । दूसरा नशामुक्ति के पश्चात् मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सहायता तथा पुनर्वास करना जिससे कि वह पुन: व्यसन की ओर वापस न जाये ।

10.6.4 तम्बाकू उपचार :-

तम्बाकू के लगातार प्रयोग से उत्पन्न विकारों के कारण तम्बाकू पर निर्भरता इसे व्यसन की श्रेणी में रखती है । तम्बाकू में उपस्थित निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ व्यसन के लिए उतरदायी होता है । तम्बाकू चबाकर और धूम्रपान करके प्रयोग की जाती है । तम्बाकू का प्रयोग करने बालों में किशोर, वृद्ध, स्त्री-पुरूष सभी सम्मिलित हैं । अधिकतर तम्बाकू का प्रयोग किशोरावस्था में शौकिया रूप से आरम्भ किया जाता है परन्तु फिर यह जीवन-पर्यन्त चलता रहता है ।

तम्बाकू प्रयोग करने वाले व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में इसे प्रयोग करके अपने आपको तनाव रहित करने का प्रयत्न करते है । इसका व्यसन मनोवैज्ञानिक निर्भरता के कारण उत्पन्न होता है । तम्बाकू प्रयोग बन्द करने से तम्बाकू की लालसा उत्पन्न होती है एवं दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, सुस्ती, सरदर्द और अनिद्रा जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते है । तम्बाकू प्रयोग और मदिरा प्रयोग एक दूसरे के सेवन की मात्रा को बढ़ाते हैं ।

तम्बाकू व्यसन की चिकित्सा के लिए मनोवैज्ञानिक उपायों जैसे शिथिलीकरण प्रक्रिया और योग चिकित्सा महत्वपूर्ण हैं। किन्तु कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति पुन: इसका प्रयोग आरम्भ कर देते हैं ।

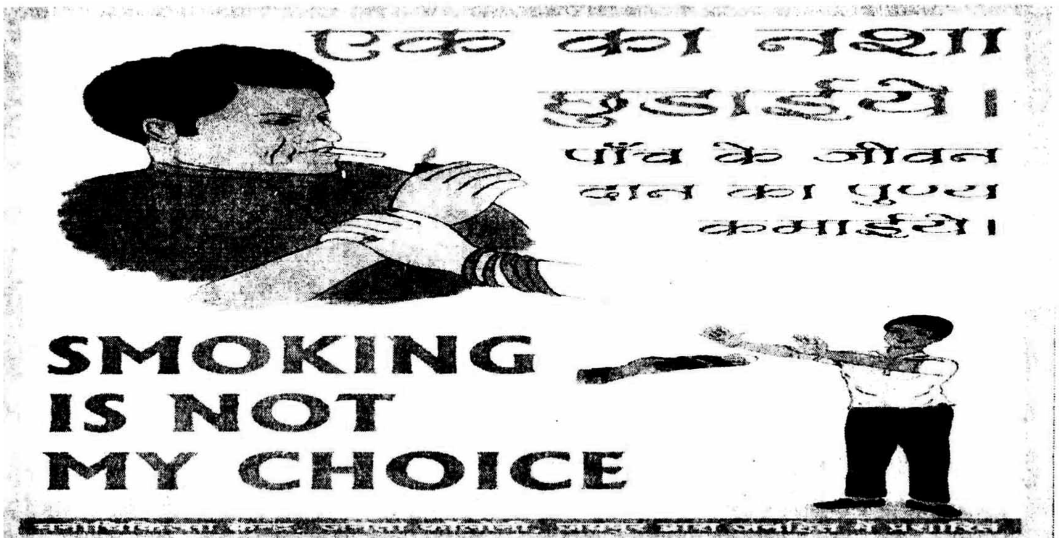

चित्र संख्या 10.5

10.7 सारांश

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में पिछले 50 वर्षो से मनोचिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत है । चिकित्सालय में व्यसन को एक मानसिक रोग के रुप में देखते हुए मनोचिकित्सा व औषधियों के द्वारा व्यसनी का उपचार निःशुल्क किया जाता है ।

केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में नशा मुक्ति वार्ड हेतु सर्वप्रथम एस.एम.एस. चिकित्सालय,जयपुर को चुना गया । नशा मुक्ति का एस.एम.एस. चिकित्सालय का यह वार्ड प्रारम्भ में मनोचिकित्सालय में स्थापित किया गया लेकिन 1998 से इस वार्ड को एस.एम.एस. चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके दो प्रमुख कारण हैं ।

(1) व्यसनी स्वयं को मनोरोगी नहीं मानते एवं मनोचिकित्सालय में भर्ती रहने से स्वयं को निन्दित मानते हैं ।

(2) (व्यसनी को नशा मुक्त करते समय विभिन्न शारीरिक कष्टों व रोगों का सामना करना पडता है, जिनका उपचार चिकित्सालय में ही संभव है ।

टीम वर्क के रुप में चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी व परिवार के सदस्य मिलकर मरीज की सम्पूर्ण देखभाल करते हैं, जहां लगभग 8 से 15 दिन तक व्यसनी व्यक्ति को भर्ती रखा जाता है । लेकिन नशा मुक्ति हेतु व्यसनी की इच्छा शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक है ।

विश्वभर में प्रचलित अफीम, डोडा, पोस्त, शराब, स्मैक, हेरोइन चरस, आदि सभी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्तियों को नशा मुक्त करने का प्रयास चिकित्सालय में किया जाता है । लेकिन मुख्य रुप से अफीम व शराब छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है ।

तंबाकू का नशा छोड़ने की इच्छा रखने हाले व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं होती अपितु परामर्श व मजबूत इरादा ही काफी है, क्योंकि इस नशे का आदी व्यक्ति बहकता नहीं है ।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा अफीम, शराब, स्मैक आदि का सेवन कम किया जाता है, लेकिन सम्पन्न परिवारों में महिलाओं में इनका प्रचलन दिखाई देता है व निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाओं में सस्ती शराब, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन मनोरंजन व थकान को कम करने के लिए किया जाता है ।

एस.एम.एस. के इस नशा मुक्ति वार्ड में मरीज को भर्ती करने के साथ ही उसका नशा रोक दिया जाता है, एवं व्यक्ति में दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर उपचार प्रारम्भ कर शामक औषधी देते हुए उसके मनोबल को उँचा उठाने का प्रयास किया जाता है ।

चिकित्सालय में मदिरा, हेरोइन, अफीम, मारफीन, तम्बाकू आदि के उपचार भिन्न-भिन्न प्रकार से किए जाते हैं जिसमें सर्वप्रथम नशीले पदार्थ, मात्रा, अवधि आदि की पूर्ण जानकारी व्यसनी और उसके परिवार के सदस्यों से ली जाती है ।

अत्यधिक मात्रा में नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला व्यक्ति कई बार आक्रामक हो जाता है अत: अत्यंत सावधानी और संयमित व्यवहार के द्वारा उपचार किया जाता है । चिकित्सालय में मदिरा के व्यसनी का नशा विमुक्तिकरण तीन चरणों में किया जाता है ।

(1) मदिरा सेवन को रोकना

(2) प्रत्यागमन (मदिरा सेवन बंद करने से उत्पन्न लक्षण) लक्षणों को नियंत्रित करने हेतु शामक औषधि देना।

(3) मदिरा से घृणा उत्पन्न करने बाली औषधि देना ।

मदिरा के समान अफीम और अफीम जनित नशीले पदार्थों तम्बाकू के सेवन की आदत को छुड़ाने का प्रयास भी किया जाता है । व्यसनी के उपचार हेतु मनोचिकित्सा, समूह चिकित्सा व व्यवहार चिकित्सा का सहारा लिया जाता है ।

10.8 बोध प्रश्न

प्र.1 नशा मुक्ति वार्ड को मनोचिकित्सालय के स्थान पर एस.एम.एस. चिकित्सालय में रखने के प्रमुख कारण कौनसे हैं?

प्र.2 नशा मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चिकित्सालय में कितने दिन भर्ती रखा जाता है और कौन-कौनसे सदस्य उपचार करते हैं?

प्र.3 एस.एम.एस. के नशा मुक्ति वार्ड में महिला व्यसनियों के नशा विमुक्तिकरण हेतु नहीं आने के प्रमुख कारण क्या हैं?

प्र.4 किस प्रकार का नशा छोड़ने वाला व्यक्ति बहकता नहीं है?

प्र.5 मदिरा प्रत्यागमन के लक्षणों की संक्षेप में चर्चा कीजिये?

इकाई 11

नशा मुक्ति के प्रयास में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाएं - I

11.0 उद्देश्य
11.1 प्रस्तावना
11.2 परिचय
11.3 पारम्परिक नशा मुक्ति अभियान में संलग्न व्यक्ति
11.4 आधुनिक मादक द्रव्य विरोधी अभियान से जुड़े व्यक्ति
11.5 नशा मुक्ति आंदोलन में संलग्न अन्य माध्यम
 11.5.1 प्रशासन
 11.5.2 मीडिया
 11.5.3 शिक्षण संस्थाएं
11.6 नशा मुक्ति अभियान में संलग्न समाज सेवी संस्थाएं
 11.6.1 संवेदना सेवा एवं रिसर्च फॉउण्डेशन समिति
 11.6.2 अन्य संस्थाएं
11.7 सारांश
11.8 बोध प्रश्न

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

पारंपरिक नशा मुक्ति अभियान में संलग्न व्यक्तियों के बारे में जान पायेंगे ।

आधुनिक मादक द्रव्यों को रोकने के प्रयासों में जुटे हुए माध्यमों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे ।

ऐसी समाज सेवी संस्थाओं के बारे में जो नशा मुक्ति अभियान में लगी हुई हैं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

11.1 प्रस्तावना

नशा समाज में ऐतिहासिक काल से ही चला आ रहा है । इससे समाज को काफी तकलीफों का सामना करना पडता है। प्रत्येक युग में इसे रोकने के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं । इसे पूर्ण रूप में कभी भी नहीं रोका जा सका है । वर्तमान समय में इसने समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है । वर्तमान समय में कई सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं एवं व्यक्ति निजी रूप से भी समाज को नशा मुक्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं ।

11.2 परिचय

नशे का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानवता का इतिहास । अलग-अलग कालों में अलग-अलग नामों से इसका सेवन होता रहा है । इसके साथ-साथ ही नशा मुक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एवं क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने आवाज उठाई है । महिला

संगठन व गृहणियों ने भी नशे के विरूद्ध जद्दो-जहद की है और निदान एवं उपचार के प्रयास किये हैं। कानून द्वारा रोकथाम लगाने के प्रयास, आन्दोलन व अनशन भी होते रहे हैं ।

हमारे देश में परम्परागत नशे जैसे - बीड़ी सिगरेट, हुक्का, चिलम, शराब, अफीम, मांग, गांजे का प्रचलन तो बहुत पुराना है व प्राचीनकाल में भी कमो-बेश चलता था । उस वक्त इस प्रकार की समस्याओं का हल ऋषि - मुनी अपने तरीकों से निकाल कर पथ-प्रदर्शन करते थे । उनका तन-मन लोक सेवा के लिए समर्पित होता था । इससे एक अच्छे और सन्तुलित समाज की संरचना में योगदान रहता था । लोगों पर संतों, सूफियों की वाणी का प्रभाव होता था । क्योंकि आचार्य लोगों का आचरण भी उसके अनुरूप ही होता था । धर्म और धर्मात्माओं में गहन आस्था भी होती थी इसलिए स्थिति नियंत्रण में रहती थी ।

अब यदि हम गत 5-6 दशकों के परिदृश्य को ध्यान से देखते हुए हमारे समाज में बढ़ते नशे व उसके दुश्पीरणामों और नशा मुक्ति पर हुए प्रयासों का आकलन करें तो पूरे समय को दो भागों में बांटना उचित होगा । पहले भाग में पारम्परिक नशे जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, भाँग-गाजा, शराब, अफीम आदि । दूसरे भाग में आधुनिक मादक द्रव्य जैसे स्मैक, हेरोइन, एल. सी. डी., कोकेन और उधर गुटखा, पान मसाला, व तम्बाकू युक्त दंत मंजन का आगमन व चलन शुरू हुआ, जो अपने आप में समाज के लिए एक बडा खतरा व चुनौती बन चुका है । युवा पीढ़ी पर इसका खूनी पंजों का शिकंजा धीरे-धीरे कसता चला जा रहा है और इसी अनुपात में सामाजिक अव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है । अपराध और हिंसा का ग्राफ निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है । छोटे-मोटे अपराध जैसे लूटपाट, चोरी-चकारी, पाकेट मारी, महिलाओं की चैन आदि छीनना, आस ' पास व घरों से स्कूटर की स्टैपनी, नल की टोंटियां, लोहे का सामान चुराकर अपने नशे की लत को पूरा करना उनकी विवशता बन जाती है । इसके साथ ही अपहरण, बलात्कार, हत्या, फिरौती जैसे घातक अपराध भी खतरनाक व्यसनों का ही नतीजा है । नशे के दल- दल मे फंसे गुमराह युवक तस्करी, आतंकवादी एवं राष्ट्र - विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं जिससे निकलना तकरीबन ना मुमकिन हो जाता है।

दिशाहीन, विवेकहीन वर्ग समूचे समाज के अस्तित्व पर खतरा बन कर मंडराने लगता है । ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में समाज के वृद्धिजीवी वर्ग, जिम्मेदार और जागरूक व्यक्ति एवम संस्थाओं के लिए चिंता व चिन्तन करके समाज में उभरती खतरनाक एवम ताकतवर शक्तियों का सामना करना महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं प्राथमिकता बन जाती है ।

इन्हीं स्थितियों के चलते कोटा एवम उदयपुर सम्भाग में व्यक्तियों, प्रशासन, पुलिस, समाज-सेवी संस्थाओं द्वारा अपने-अपने तरीके से नशा मुक्ति की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं । इस चिन्तन को मध्ये नजर रखते हुए समय-समय पर प्रयास भी हुए हैं । नशा विरोधी गतिविधियों की कोशिशों को दो भागों में बाँटा जा सकता है ।

(i) पारम्परिक नशा मुक्ति अभियान

(ii) आधुनिक मादक द्रव्य विरोधी अभियान

(iii) पारम्परिक नशा मुक्ति अभियान में संलग्न व्यक्ति -

1 स्वामी शम्भु सिंह जी कौशिक -

स्वामी शम्भु सिंह जी कौशिक क्षेत्र के उन अग्रणी संतो में है जो गायत्री पंथ के माध्यम से व गुरू शिष्य प्रथा से लोगों में धर्म के प्रति आस्था पैदा करने के लिए गत 50 वर्षो से संलग्न है । धर्म प्रचार के साथ-साथ पर्यावरण, अस्पृश्यता, नशामुक्ति द्वारा जन-जन का कल्याण कर रहे हैं । इनका मुख्य कार्य क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में है । उन्होंने अपने प्रचार-प्रसार का दायरा उज्जैन में अपना आश्रम स्थापित करके मध्य प्रदेश तक बढ़ा दिया । यज्ञ, हवन आदि के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में मानव कल्याणकारी उद्देश्य से पूर्णाहु ति के उपरान्त नशा छुड़वाने का स्तुतिय कार्य होता है । आपका कार्य कंजर जाति के अपराधी व पिछड़े वर्ग के लोगों में अत्यन्त सराहनीय है ।

2 महामण्डलेश्वर स्वामी रामानन्द सरस्वती -

स्वामी रामानन्द सरस्वती एक उच्च कोटी के संत हैं, तपस्वी है । चम्बल नदी के किनारे स्थित मोजी बाबा की गुफा के नाम से प्रसिद्ध आश्रम पर रहते हु ए मान्वता के कल्याण की योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं । जिसमें नशा मुक्ति एक बिन्दु है । हर आने जाने वाले साधक को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाते हु ए बुराई उन्मूलन में अपना योगदान दे रहे हैं । जन सभाओं, श्रमिकों एवं कैदियों के बीच चलाये गये अभियान में पधार कर न केवल आशीर्वाद देते हैं, बल्कि अपनी संत वाणी एवम् सुन्दर दृष्टान्तों से मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास करते है ।

3 कोटा शहर के काजी-अनवर अहमद -

जनाब अनवर अहमद अल्पसंख्यक शीर्ष पद को सुशोभित करते हैं । वे हर तकरीर में नव जवानों को नशे से दूर रहने की नशीहत देते है और नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानों को अपनी मार्मिक भाषा में कहते हु ए नशे से दूर रहने की बात कहते हैं । पिछले दो दशकों से चलाये जा रहे स्मैक उन्मूलन सघन अभियान को पुरजोर तरीके से समर्थन देते हु ए मानवीय पीड़ा के साथ जुड़कर हर सम्भव प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से नशे के नये खतरे से युवा पीढ़ी महफूज रखी जा सके ।

11.4 आधुनिक मादक द्रव्य विरोधी अभियान से जुड़े व्यक्ति

डा. आर. सी. साहनी

आधुनिक मादक द्रव्यों के विस्तार एवम् उससे बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सम्पूर्ण समाज को नशा मुक्त करने के लिए इन्होंने एक संस्था “संवेदना सेवा एवम् रिसर्च फाउण्डेशन" की स्थापना की । इन्होंने रोटरी क्लब कोटा एवं रेडक्रास सोसायटी के सहयोग से 10 दिवसीय नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन किया । कोटा के मुख्य जेलर एवं इंस्पेक्टर जनरल के सहयोग से NTPC एक्ट के तहत पकड़े गये लोगों से चर्चा की और यहाँ के केन्द्रीय कारावास में 10 शय्याओं का स्मैक मुक्ति केन्द्र स्थापित किया । इस केन्द्र का उदघाटन तत्कालीन सांसद स्वर्गीय वैद्य दाऊ दयाल जोशी ने किया । एवं इसकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें पुलिस, प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं नगर के नागरिकों का सहयोग मिला । इसमें बताया गया कि जेल में 118 कैदी स्मैक के शिकार हैं, कोटा संभाग के 18-22 वर्ष की उम्र के नवयुवक भी स्मैक के आदी हैं जो जेल में है । इससे नशे की भयावहता एवं इसके फैलने का आभास हु आ ।

डा.साहनी द्वारा लिखित पुस्तक "जहरीले पौधे" के विमोचन के अवसर पर आई. पी. एस. अधिकारी श्रीमती किरण बेदी को कोटा आमंत्रित करके यहाँ पर नशे की बढ़ती समस्या पर विचार-विमर्श

किया । इन्होंने निदेशक नेशनल नशा मुक्ति केन्द्र अंधेरी, मुम्बई एवं टी.टी. के नशा मुक्ति केन्द्र चेन्नई की अध्यक्षा श्रीमती शांती रंगनाथन से भी व्यक्तिगत संपर्क करके इस समस्या के बारे में विचार विमर्श किया । पंजाब सभा द्वारा सम्भागीय स्तर पर मैगा कैम्प लगाया गया एवं इसमें 76 स्मैक के रोगियों का पंजीकरण करके उपचार किया गया । इनमें से 51 रोगियों को पूर्णरूप से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने पर नशा नहीं करने की शपथ दिलवायी गयी । अन्य संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद्, वेस्टर्न रेलवे एम्पलाईज़ यूनियन, ओपेरा हॉस्पिटल, टी.टी. हॉस्पिटल आदि के सहयोग से 20 से भी अधिक जागरूक शिविर एवं उपचार शिविर लगाये गये । 1994 में इमानुअल मिशन के सहयोग से विशाल नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया । इस अवसर पर तत्कालीन सांसद स्वर्गीय श्री सुनिल दत्त को आमंत्रित किया, उन्होंने ठोस योजना बनाकर नशा मुक्ति के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया ।

1992-97 तक आर. ए. सी. एवं राजस्थान पुलिस के जवानों के बीच नशा मुक्ति के प्रयास किये । इसमें सफलता मिली। आर. ए. सी. के नये भर्ती हुए ज्वानों को नशे से दूर रहने की शिक्षा प्रदान की, नशे के दुष्परिणाम बताये और अधिकांश को नशे से मुक्त रखा ।

डा. साहनी ने नशे के आदी व्यक्तियों के मरते वक्त विचार रिकार्ड किये जिनमें नशे के दुष्परिणाम बताये गये और उन्होंने नशे के कारण जो तकलीफें आयी उनका चित्रण करके नशा मुक्त लोगों को सुनाना प्रारम्भ किया । यह प्रयोग काफी सफल रहा । इसे इन्होंने 'वैचारिक टीकाकरण" नाम दिया ।

STEP BEFORE START नाम दिया । इस योजना में बच्चों के दिमाग में नशे की वस्तुओं के प्रति नफरत भर देना प्रमुख रखा गया, और इसके लिए समाचार पत्रों में पोस्टर के द्वारा, रैलियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया । डा. साहनी ने एक पुस्तक 'स्मैक एक चुनौती' लिखी । 2001 में 32 दिन की एक यात्रा की जिसके द्वारा प्रदेश में 20 जिलों में नशे के खिलाफ जागरूकता के संदेश पहुंचाये गये । डा साहनी के सभी प्रयासों के नतीजे भी अच्छे निकले हैं, काफी लोगों ने नशा करना छोड़ दिया, झालावाड़ रोड पर एक गाँव पूर्णरूप से नशा मुक्त हो गया है । इनके प्रयासों के कारण इन्हें "वन मैन आर्मी" का सम्बोधन प्रदान किया है ।

11.5 नशामुक्ति आन्दोलन में संलग्न अन्य माध्यम

11.5.1 प्रशासन

नशा मुक्ति आन्दोलन में सर्वाधिक सहयोग प्रशासन का रहा है । समय - समय पर कोटा में नियुक्त सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर तथा उनके सहायक अधिकारियों की प्रेरणा से कोटा सम्भाग में नशा मुक्ति आन्दोलन "जागृति" चलाया गया ।

10 दिसम्बर, 2001 को सम्भागीय आयुक्त श्री तपेन्द्र कुमार के नेतृत्व में योजना तैयार की गई । जिसमें प्रशासन, पुलिस के अतिरिक्त समाज सेवी संस्थाओं की भागीदारी रही । संवेदना सेवा फाउण्डेशन के डा. आर. सी. साहनी का विशेष योगदान रहा । जागरूकता एवं उपचार के लिहाज से प्रारम्भ किए गए । कोटा जिले के तत्कालीन कलक्टर श्री जे. सी. मोहन्ती ने एक ठोस योजना तैयार की । विभिन्न धर्माचारियों का आशिर्वाद प्राप्त कर समस्त समुदायों एवं वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ

लगभग 6 किलोमीटर लम्बी रैली का आयोजन किया गया । यह एक अनूठा व ऐतिहासिक आयोजन रहा । नशे के विरूद्ध संदेश दर-दर तक पहुँचा । इसके साथ-साथ बहुत से जनजागृति के कार्यक्रम किये गये । लगभग 18 स्मैक मुक्ति शिविरों का आयोजन किया गया । जिसमें जे. सी. मोहन्ती, सम्भागीय आयुक्त, डी. आई. जी. श्री कल्याण मत, श्री डी. सी. जैन, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त धर्मेन्द्र भटनागर का योगदान सराहनीय था ।

नारकोटिक्स विभाग के सहयोग के अभाव में नशा मुक्ति अभियान चलाना नामुमकिन है । कोटा में नियुक्त श्री संजय मंगल एवं आयुक्तों के प्रयासों से यहां नशा मुक्ति आंदोलन चलाये गए हैं । कृषकों की संगोष्ठि आयोजित कर उन्हें अफीम की खेती करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ बतायी गयी हैं । उन्हें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से समाज विरोधी लोग अफीम, हेरोइन, स्मैक के आपार में लगे हुए हैं और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारस्वय बना रहे हैं । इस नशे की भयावहता को डा. आर. सी. साहनी के उद्‌बोधन से कृषक वर्ग में समझ में आयी है और उनमें जागरूकता आने लगी हैं

जैल प्रशासन नशा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाता है । कोटा के केन्द्रीय कारागृह में नशे के विरूद्ध जागरूकता लायी जाती है । एन. डी. पी. सी. एक्ट में बनाए गए बंदियों को नशे से दूर रहने एवं इसके वाहन नहीं बनने की शपथ दिलायी जाती है । तत्कालीन सांसद स्व. श्री दाऊदयाल जोशी के प्रयासों से जेल में 10 शैथ्याओं का नशा मुक्ति वार्ड संवेदना सेवा एवं रिसर्च फाउण्डेशन समिति कोटा के द्‌वारा खोला गया है ।

आर. ए. सी. बटालियन में वर्ष के विशेष नशा मुक्ति संबंधी दिवसो पर सभी जवानों व अधिकारियों की संगोष्ठि आयोजित की जाती है । जिसमें विशेषज्ञों, चिकित्सकों आदि द्‌वारा नशे से बचे रहने की अपील की जाती है । आर.एसी. के 2nd' 5th', 7th' बटालियन सम्पूर्ण नशामुक्त हो गई है ।

कोटा में सैन्य परिसर में स्थित गाण्डीव ओडिटोरियम में अनेकों बार संवेदना सेवा एवं रिसर्च फाउण्डेशन समति द्‌वारा गोष्ठियों का आयोजन किया गया है । जिसमें कई बड़े सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हम सिगरेट, शराब आदि का नशा करते थे उस समय बहुत परेशान थे, लेकिन नशा छोड़कर हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं । गोष्ठी में सभी जवानों, अधिकारियों ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है ।

पुलिस प्रशासन के सम्भागीय स्तरीय अधिकारियों श्री कल्याण मल शर्मा, श्री डी. सी. जैन, श्री एन. आर. के. रेड्डी, पुलिस अधीक्षक, कोटा एवं अन्य कई अधिकारियों के निर्देशन में सम्पूर्ण पुलिस विभाग नशा मुक्ति हेतु विभिन्न स्थानों पर द्यर पकड़ अभियान चला कर नशे की वस्तुएं बेचने वालों, रखने बालों तथा उनका प्रयोग करने बालों को गिफ्तार करता है।

11.5.2 मीडिया

आकाशवाणी केन्द्र कोटा से भी नशा मुक्ति हेतु विभिन्न वार्ताओं तथा नारों आदि का प्रसारण होता रहता है । वर्ष के विशेष दिवसों जैसे 31 गई - विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोध जागरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम आयोजित कर तथा विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे श्रोताओं की सीधी बातचीत भी कराई जाती रहती है । आकाशवाणी के श्रोताओं में

दिन प्रतिदिन इजाफा ही हो रहा है । अत: जागरूकता अभियान में इससे सक्रियता बनी रहती है । व्यक्ति में पढ़ने की अपेक्षा सुनने से अधिक प्रभाव पड़ता है ।

प्रिन्ट मीडिया के द्वारा विभिन्न अभियान जैसे तंबाकू युक्त मंजन, जर्दा, गुटखा, स्मैक, शराब आदि के विरोध स्वरूप चलाए जाते हैं । लगातार कुछ दिनों तक इस प्रकार के लेख, संपादकीय आदि से आम जन तक नशे के विरुद्ध पुख्ता जानकारी पहुँचती है तो इसका प्रभाव पड़ता है । राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर नवज्योति, राष्ट्रदूत, हिन्दुस्तान टाइम्स (अग्रेजी दैनिक) में जन जागृति अभियान चलाए जाते रहे हैं ।

दृश्य मीडिया ई. टी. वी. तथा लोकल चेनल पर भी समय-समय पर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं । जिससे लोगों में नशे से दूर रहने का संकल्प दृढ़ हो सके ।

11.5.3 शिक्षण संस्थाएं

शिक्षण संस्थाएँ नशे से दूर रहने की जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र हैं । यदि छात्र जीवन में ही यानि बचपन में ही व्यक्ति को इस खौफनाक नशे से दूर रहने की शिक्षा दे दी जाए तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान संभ्व है । अत: कोटा के विभिन्न राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं तथा यहां के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में नशा मुक्ति हेतु वार्ताओं, परिचर्चाओं, आदि के माध्यम से छात्रों से नशे से दूर रहने तथा नशे को न कहना सीखने की बात बतायी जाती है । उनमें प्रमुख संस्थान डी.ए.वी., सेंटपॉल, सेंट जान्स, माडर्न, निर्मला, बाल विद्यालय, रा.उ.मा.वि. गुमानपुरा, दादाबाड़ी, रामपुरा, भीमगंजगंडी, सेन्ट्रल स्कूल, विद्यामंदिर, वर्सोदय, चिल्ड्रन, सोनी क्लासेज, ऐलन केरियर, केरियर पाईन्ट आदि हैं।

विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में संचालित एन. सी. सी., एन. एस. एस. तथा स्कॉउट गाइड गतिविधियों में तथा एक दिवसीय शिविरों में नशा मुक्ति की संगोष्ठि हमेशा मुख्य बिंदु होता है । इन गतिविधियों से संबंधित अधिकारियों को यह भली-भांति ज्ञात है कि यदि ये युवा नशे से बचे रहेंगे तो राज्य एवं राष्ट्र का उत्थान होना निश्चित है । अत: ऐसे शिविर जिन कच्ची बस्तियों, नाशे में लगते है छात्र-छात्राएं वहां जाकर वहां के वाशिन्दों को विभिन्न जन जागरूकता संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी के साथ नशे से दूर रहने की भी अपील करते हैं और जो युवा नशा करते हुए दिखाई देते हैं उनकों समझाने का कार्य भी करते हैं । जागरूकता संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताएं भी इन शिविरों में आयोजित की जाती हैं तथा इससे संबंधित बैनर, पोस्टर, नारे, पम्पलेट आदि का प्रदर्शन एवं वितरण भी किया जाता हैं राजकीय महाविद्यालय, कोटा, जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा वाणिज्य महाविद्यालय, तथा विभिन्न विद्यालयों में ये गतिविधियां संचालित की जाती हैं ।

कोटा में स्थित औद्योगिक संस्थान भी नशा मुक्ति के क्षैत्र में कार्यरत हैं । राजस्थान हाइब्रिडस, डी. सी. एम., चम्बल फटिलाइजर्स, सेमकोर इन्स्ट्रूमेंन्टेशन आदि संस्थान अपने यहां कार्य करने वाले श्रमिकों, कर्मचारियों हेतु वार्ताएं आयोजित कराती है । जिनके सुखद परिणाम सामने आते है । चिकित्सालय संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय में प्राचार्य डा. जी. एल. वर्मा के निर्देशन में मनोरोग दिमाग के चिकित्सक डा. मधु निझावन, डा. देवेन्द्र विजयवर्गीय, डा. भरत सिंह शेखावत, डा. सुनिल, तथा केंसर विभाग के डा. ए. आर. के तंवर नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं ।

नशा लेने वाले व्यक्ति को सही उपचार प्रदान करते है । रेल्वे हॉस्पिटल, भारत विकास परिषद चिकित्सालय, ओपेरा हॉस्पिटल, टी. टी. हॉस्पिटल विभिन्न नशा मुक्ति शिविर के रोगियों को निःशुल्क भर्ती की सुविधा तथा निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराते है ।

11.6 नशामुक्ति अभियान में संलग्न समाज सेवी संस्थाएं

समय-समय पर भिन्न-भिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति आंदोलन में कार्य कर रही हैं जो निम्न प्रकार से है -

1 संवेदना सेवा एवं रिसर्च फाउण्डेशन समिति -

1989 से निर्मित यह संस्था पिछले 20-22 वर्षा से तम्बाकू, कैंसर, एड्स और नशीले मादक द्रव्यों के विरुद्ध कार्य कर रही है । इसका कार्य क्षेत्र हाड़ोती ही नहीं संपूर्ण राजस्थान है । इस संस्था के संस्थापक डा. आर. सी. साहनी, एम. एस., कान,नाक गला (E.N.T) विशेषज्ञ है जो कोटा मेडिकल कॉलेज में उप मुख्य चिकित्साधिकारी रहे हैं । आपने सन् 2001 में नशे के विरूद्ध कार्य करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है और तब से जीवन का एक मात्र उद्देश्य नशा मुक्त समाज की दिशा में कार्य कर रहे हैं । गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी तक पहुँच कर आमजन को विद्यालय में छात्र-छात्राओं को जैल के केदियों को, उद्योगों में श्रमिकों को, रेल स्टेशन, बस स्टेण्ड, मजदूरों के बीच जागरूकता का संदेश पहुँचा कर नशे को न कहो का संदेश जन-जन तक पहुँचा रहे हैं ।

संवेदना समिति केवल एक मात्र ऐसी स्वयं सेवी संस्था है जो एक सूत्री कार्यक्रम 'नशा मुक्त समाज का निर्माण ' पर कार्य कर रही है इसका एक मात्र उद्देश्य नशे से संबंधित भिन्न-भिन्न कार्यक्रम करने और लोगों तक जागरूकता फैलाना, उपचार करना आदि है ।

वर्ष पर्यन्त भिन्न-भिन्न नशे से संबंधित दिवस जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस - 7 अप्रेल, इन्टर नेशनल ड्रग अवेयरनेश दिन, तम्बाकू निषेध दिवस आदि पर भिन्न-भिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता व उपचार के भिन्न-भिन्न कार्यक्रम जैसे संगोष्ठि, रैली,व्याख्यान, कठपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, वर्कशाप, शिक्षक के Train the Trainee आदि कार्यक्रम चला रही हे । ताकि जागरूकता का संदेश आगे से आगे फैलता जाये और 'नशा मुक्त समाज' ' का संवेदना का सपना पूर्ण हो सके ।

संवेदना सेवा समिति द्वारा स्वास्थ्य चेतना यात्रा का आयोजन किया गया । यह यात्रा 32 दिवस की थी । इसमें राजस्थान के 22 प्रमुख जिलों में गई । इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जागरूकता के साथ समस्या का जायजा लेना भी था । पूरे प्रदेश में भ्रमण उपरान्त एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को पेश की गई । रिपोर्ट से जाहिर कि कुछ अनछुए पहलूओं पर यह स्पष्ट हुआ कि जागरूकता की नितांत आवश्यकता है और विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके आपसी तालमेल और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ।

सन् 2004 -05 में संवदेना सेवा रिसर्च फाउण्डेशन ने एवं कई अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर राष्ट्रीय दशहरा मेला ' में तम्बाकू दानव दहन का कार्यक्रम रखा । इसमें संवेदना के साथ वर्ष पर्यन्त कार्य करने वाली कई सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया । मेले में ग्रामीण और शहरी अंचल के हजारों लोगों को तम्बाकू दानव से बचने का संकल्प लेने को प्रेरित किया । लोगों ने प्रेरित हो कर अपने पास रखी नशे की वस्तुएं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि को समर्पित कर दिया ।

11.6.2 अन्य संस्थाएं

1 गायत्री आश्रम, बोरखेड़ा में संत श्री शम्भू सिंह जी कौशिक के सानिध्य में नशा मुक्ति हेतु वर्ष पर्यन्त कार्यक्रम चलते रहते हैं ।

2 डेरा सच्चा सौदा सिरसा, हरियाणा के संत राम रहीम सिंह जी के प्रवचनों से प्रेरित हो कर साधक कोटा में अपने आश्रम में लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाते हैं और ये साधक स्वयं तथा इनके परिवार नशे से वास्तव में दूर रहते हैं ।

3 वेस्टर्न सेन्ट्रल रेल्वे एम्पलाईज यूनियन के अध्यक्ष श्री मुकेश गालव के अथक प्रयासों से कई नशा मुक्ति कैम्प यूनियन कार्यालय में लगाए गए हैं ।

4 ब्रहम कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के केन्द्रों पर नशा मुक्त रहने तथा नशा लेने वालों को नशा छोड़ने का अभ्यास राजयोग द्वारा करवाया जाता है । इस हेतु माउन्ट आबू के विश्वविख्यात केन्द्र पर भी अनुसंधान होते रहते हैं तथा चिकित्सालय में परामर्श भी दिया जाता

5 5 रोटरी क्लब, कोटा - रोटरी क्लब, कोटा अपनी मित्र गतिविधियों के साथ-साथ नशा उन्मूलन में भी कार्यरत है । डा. साहनी की वार्ता करवा कर जागरूकता में योगदान दे रहा है । इसके साथ ही संवेदना सेवा के साथ संयुक्त कार्यक्रम करके इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है । इसमें रोटरी क्लब के डा.साहनी कृत संकल्प है । आत्मबल के लेह से प्रज्वलित उस दीपक की भांति है जो अंधकार के हरण के अपने दायित्व से कभी विचलित नहीं होते।

6 गायत्री परिवार - नशा मुक्ति संबंधी कोई भी जागरूकता संबंधी कार्य हो, गायत्री शक्तिपीठ के साधक सदैव तत्पर रहते है । विज्ञान नगर स्थित गायत्री मंदिर में गोष्ठियां आयोजित की जाती है ।

7 आर्य समाज - संपूर्ण आर्य समाज के सक्रिय सदस्य नशा मुक्ति आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं । अजुर्न देव चड्डा भी इस संगठन में सक्रिय भाग लेते हैं ।

8 प्राईवेट मेडिकल प्रेक्टिशनल सोसायटी का इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग रहता है । डा. ए . आर. खान, डा. अंसारी एवम् अन्य चिकित्सकों के सहयोग से शहर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में जहां नशे का प्रचलन अधिक है वहां कैम्प आयोजित किये जाते हैं । निःशुल्क औषधियां वितरित की जाती हैं ।

9 करणी नगर विकास समिति एवं आश्रम को संचालित करने वाले श्रीमती प्रसन्ना भण्डारी एवं श्री महावीर जी भण्डारी नशा मुक्ति आंदोलन से संबद्ध हैं । यहां छोटे - छोटे बच्चों को नशे से दूर रहने की सीख दी जाती है ।

10 आम्बलवी सेवा संस्थान के ज्ञानी गुरनाम सिंह जी विशेष रूप से सिखों के मध्य एवम संपूर्ण समाज में नशा मुक्त रहने का संदेश देते हैं ।

11 भारत सरकार स्काउट व गाईड नशा मुक्ति के कार्यक्रम चलाए जाते है । की 30 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता की राजस्थान यात्रा के दौरान स्काउट ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

12 पंजाब सभा भवन - इस भवन में नशा मुक्ति के विभिन्न कैम्प निःशुल्क आयोजित लिये जाते है । पंजाबी समाज के सदस्य इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते है ।

13 तेरापंथी समाज अणुव्रत भवन में समाज के माननीय महाराज एवम साध्वियों के नशा मुक्ति हेतु प्रवचन होते हैं जिनमें श्री जयनंदलाल दुग्गड़, श्री रतन जैन एवम समाज के कई व्यक्तियों का सहयोग सराहनीय रहता है । जैन साध्वी व साधुओं के मुख से लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताकर प्रेक्षाध्यान द्वारा नशे का निवारण सम्भव है ।

14 लाइन्स क्लब, कोटा एवम संवेदना सेवा एवम रिसर्च फाउण्डेशन समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष मई माह में तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जाता है । जिसमें वक्ताओं के प्रेरक उद्बोधन से अनेकों लोग संस्थान द्वारा फैलाई गयी झोली में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि डालकर अपने आने वाले जीवन में नशे से विमुख रहने का संकल्प लेते है । रेड क्रास सोसायटी, रोटरी क्लब, कोटा, महावीर इन्टरनेशनल - कोटा, चिकित्सा सेवा समिति, कोटा लायंस कोटा डायनेमिक जे. सी. क्लब-कोटा, महिला चेतना मंच, स्टेशन -कोटा, मधु स्मृति संस्थान - कोटा, वरिष्ठ नागरिक संस्थान-कोटा, दिगम्बर जैन समाज-कोटा के श्री अजय बाकलीवाल थी पीयुष जैन आदि अनेकों समाज सेवी संगठन नशा मुक्ति के क्षेत्र में संवेदना को सहयोग करते है ।

15 दाउदी बोहरा समाज के धर्म गुरू भी अपने समाज के लोगों से नशे से बचे रहने की अपील करते है । धर्म गुरू की इन बातों का समाज के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है । समाज के कई सक्रिय सदस्य श्री लियाकत अली, श्री अकबर भाई, श्री शेख, श्री मोहम्मद ओमट नशा मुक्ति के इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेते हैं ।

11.7 सारांश

नशे का इतिहास भी मानवता के इतिहास जितना ही पुराना है । परंपरागत नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट. हुक्का, चिलम, शराब, अफीम, गांजा, भांग आदि पुराने समय से ही चले आ रहे है । वर्तमान समय में हेरोईन, स्मैक, एल. सी. डी., कोकिन जैसे नशे के सामान उपलब्ध हैं । समय-समय पर इनमें परिवर्तन आता रहा है एवं सेवन का तरीका भी बदलता रहा है । नशे के कारण समाज में अपराधों में वृद्धि होती है । इससे चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या आदि अपराधों में वृद्धि होती है ।

नशे से समाज को मुक्त करने के लिए अनेक व्यक्ति प्रयास करते रहे है । जैसे गोकुल भाई भट्ट, स्वामी शंभुसिह जी कौशिक, महामण्डलेश्वर रामानन्द सरस्वती, कोटा शहर के काजी अनवर अहमद आदि । आधुनिक मादक द्रव्यों से समाज को मुक्त करने के लिए डा. आर. सी. साहनी के प्रयास भी प्रशंसनीय हैं ।

प्रशासन भी समय-समय पर नशे को रोकने के प्रयास करता है । आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया, दृश्य मीडिया. शिक्षण संस्थाएं एवं कई समाज सेवी संस्थाएं भी यह कार्य जोर-शोर से करती हैं । सभी की यह हार्दिक इच्छा है कि यह देश नशा मुक्त हो जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति कर सके।

11.8 बोध प्रश्न

1. परम्परागत नशा मुक्ति अभियान में जुडे व्यक्तियों के बारे में बताइए ।
2. आधुनिक नशा मुक्ति आंदोलन से जुडे व्यक्ति के बारे में बताइए ।

3. नशा मुक्ति अभियान में संलग्न समाज सेवी संस्थाओं की विवेचना कीजिए ।

इकाई - 12

नशा मुक्ति के प्रयास में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थायें - 11

इकाई की रूपरेखा :

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 नशा मुक्ति के प्रयास

12.3 राजस्थान में नशामुक्ति हेतु प्रयासरत व्यक्ति एवं संस्थाएं

12.3.1 एम. के. जैन नशा निवारण केन्द्र,उदयपुर

12.3.2 डॉ. आर. के. अग्रवाल, उदयपुर

12.3.3 शिव सॉई सेवा समिति, जालौर

12.3.4 उजाला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, भरतपुर

12.3.5 परिवर्तन संस्था

12.3.6 ग्लोबल हॉस्पिटल, आबू रोड़

12.3.7 नशा मुक्ति चिकित्सालय, नन्दन कानन पार्क,शास्त्री नगर, जयपुर

12.3.8 जगदीश प्रसाद विश्नोई, बीकानेर

12.3.9 आदर्श नशा मुक्ति संस्था, बीकानेर

12.3.10 राजकीय चिकित्सालय, अजमेर

12.4 नशा मुक्ति हेतु प्रयासरत व्यक्ति एवं संस्थाओं के सुझाव

12.5 सारांश

12.6 बोध प्रश्न

12.7 शब्दावली

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- राजस्थान में नशामुक्ति के प्रयास में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त कर सकेंगे ।
- नशा मुक्ति के प्रयास में परिवार की महिला सदस्यों के योगदान के बारे में जान सकेंगे।
- व्यसनी व्यक्ति को नशामुक्त करने के प्रमुख तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
- राजस्थान में हिन्दी साहित्य में नशे से सम्बन्धित अमरदान लालस की कुछ व्यंगात्मक कविताओं, लेखों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

12.1 प्रस्तावना :-

नशामुक्ति का माणकलाव मॉडल केवल राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हु ये है । जहाँ देश के विभिन्न प्रान्तों से लोग नशा मुक्ति हेतु आते हैं लेकिन राजस्थान

में माणकलाव के अतिरिक्त भी कई ऐसे व्यक्ति एवं संस्थायें कार्यरत हैं जो कि नशा मुक्ति हेतु अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से कुछ संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त है, तो कुछ को नही । ऐसी स्थिति में कुछ संस्थायें निशुल्क और कुछ संस्थायें शुल्क के द्वारा समाज में लोगों को नशामुक्त करने का प्रयास कर रही हैं ।

नशे की कुप्रवृति को बढ़ने से रोकने हेतु जो भी उपाय किये जाते हैं वे बहुत कम है क्योंकि एक तो समाज में नशे की जडें बहुत गहरी होती जा रही हैं वही दूसरी ओर नशे की आदत लगाने वालों की संख्या छुड़ाने वालों की संख्या से कहीं अधिक है । अब देश के छोटे छोटे शहरों में भी ब्राउन शुगर, हैरोइन स्मैक आदि का नशा युवाओं की पसन्द बनता जा रहा है । जिस पर प्रतिदिन 50 से 200 रूपये तक खर्च एक व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है । समय पर नशा न मिलने से व्यक्ति को बहुत अधिक शारीरिक कष्ट होते है, जिन्हें बर्दाशत करना कठिन होता है और नशाखोर इनकी प्राप्ति हेतु कोई सा भी अपराध करने के लिए तत्पर हो जाता है । इसी प्रकार से बीयर को तो शराब की श्रेणी में ही नहीं रखा जाता, विवाह तथा अन्य आयोजनों पर इसे सभ्यता का सूचक मानकर पेश किया जाता है । इस सम्बन्ध में पानपराग के उत्पादक एम.एम. कोठारी का यह कथन सही प्रतीत होता है कि 'ज्यादा मात्रा में लेने से कोई भी चीज नुकसानदेह हो सकती है, चाहे वह गुलाबजामुन या चॉकलेट ही क्यों न हो ।'

90 के दशक से देशभर में पान मसाले के नशे का प्रचलन बढ़ा है जो कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक बीमारी के लिए उतरदायी है यह रोग एक प्रकार के मुँह के कैन्सर का पूर्व संकेत है । पान मसाले के अधिकतर ब्रांडो में मुख्य तत्व पान व सुपारी तो होते ही नहीं है, अपितु उनमें सिर्फ मसाला होता है जो अज्ञात तत्वों का मिश्रण है एवं सुगंध पैदा करने वाले तत्व इनमें गोपनीय रखे जाते हैं । इसी सन्दर्भ में मुम्बई के दन्त विशेषज्ञ सुचेतन प्रधान कहते है कि "अगर कोई यह सोचता है कि धूम्रपान करना बुरी लत है तो पान मसाले चबाने की आदत एकदम जानलेवा है ।" पान मसाले के शौक ने तांबूल सेवन की परंपरा को काफी हद तक खत्म कर दिया है । यदि पान मसाले के प्रसार को नहीं रोका गया तो डॉक्टरों को अन्देशा है कि मुँह के कैन्सर की बीमारी इस शताब्दी की समाप्ति तक बेहद तेजी से फैल जाएगी । पान मसाले का सेवन करने वाले अधिकांश युवा 35 वर्ष से कम आयु के है जिनमें 11 बर्ष तक की उम्र के बच्चे भी सम्मिलित हैं ।

12.2 नशा मुक्ति के प्रयास

नशीले पदार्थो का सेवन और व्यसन वर्तमान समय की बहुत गंभीर समस्या के रूप में हमारे समक्ष है । भारत ही नहीं विश्वभर के सभी देशों में इस समस्या के निवारण के सन्दर्भ में गम्भीर सोच और कार्यक्रम के निरूपण की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है । नशीले पदार्थो के सेवन के सन्दर्भ में मूल समस्या यह है कि वर्तमान समय में अपेक्षाकृत कम आयु युवा पीढ़ी और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में इसके सेवन का प्रचलन बढ़ रहा है ।

नशीले पदार्थो का सेवन वैयक्तिक और सामाजिक विघटन दोनों के लिए उतरदायी है । वर्तमान समय में नशीले पदार्थो के क्रय विक्रय और सेवन को रोकने हेतु संचार के साधनों की सहायता ली जा रही है । नशा मुक्ति हेतु कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाओं के द्वारा मुख्य रूप से नशीले पदार्थो के सेवन से उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ताकि नशा

करने वाले नवीन व्यक्ति विकसित ही न हों तथा नशे के आदी हो चुके व्यक्ति भी नशा छोड़ने का प्रयास करें ।

इस दिशा में राजस्थान में नशामुक्ति के लिए माणकलाव संस्थान वर्ष 1979 से लगातार निशुल्क अफीम मुक्ति शिविर लगाकर लोगों को नशामुक्त कराने का प्रयास कर रहा है । जिसके बारे में आपने पिछली इकाइयों 8 एवं 9 में विस्तार से पढ़ा, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य व्यक्ति एवं समाजसेवी संस्थायें भी इस दिशा में प्रयासरत हैं अत: इस इकाई में आप राजस्थान में नशामुक्ति में प्रयासरत व्यक्ति और संस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । राजस्थान में यह प्रयास कुछ चिकित्सकों व समाजसेवियों के द्वारा किया जा रहा है जिसमें कुछ लोग निःशुल्क और कुछ साधारण शुल्क के द्वारा नशामुक्ति हेतु कार्य करते हैं ।

संकलित तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि परिवार के सदस्यों का सहयोग, मित्र, परामर्श और प्रेरणा नशा मुक्ति के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ।

आज गुटका, शराब, अफीम, कफ सिरप और आयोडेक्स व न जाने कितने ही प्रकार के नशीले पदार्थ उपलब्ध हैं । वर्तमान समय में छूते हुये परिवार, तनाव, अत्यधिक कार्य आदि व्यक्ति को नशीले पदार्थों की ओर अग्रसर करते हैं । संयुक्त परिवारों के विघटन और एकाकी परिवारों के प्रचलन के कारण नशे की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक पीडा एक छोटे परिवार को ही भुगतनी पड़ती है । इस कारण प्रबुद्ध वर्ग और चिकित्सकों का सामाजिक दायित्व और अधिक बढ़ जाता है ।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाये तो कहा जा सकता है कि बिखरते संयुक्त परिवार, छोटे होते परिवार, पति-पत्नी दोनों का कामकाजी होना, मित्रों का दबाव टीवी. व बढ़ते हुये विज्ञापन से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तथा मादक पदार्थो का सेवन या नशे की आदत एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे समझाने बुझाने, अचेतन अनुकरण आदि के कारण सीखा जाता है । इस प्रकार से अत्यधिक तनाव ग्रस्त व्यक्ति भी सामाजिक प्रतिमानों से विचलित होने लगता है और नशे की ओर उसके कदम बढ़ने लगते हैं । आज समाज पर व्यसनरूपी काल हावी है । व्यसन के कारण युवा व्यक्ति असस्वय वृद्ध हो गये हैं । इसी नशे के कारण कैन्सर, बी.पी., हृदय रोग, दमा, खाँसी जैसे अनेक रोग नशा करने वाले व्यक्ति को घेर लेते है । नशे की आदत व्यक्ति को अकाल मौत के मुंह में ढकेलती है जिससे समाज में विधवा स्त्रियों, अनाथ बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर सम्पत्ति और संस्कृति का नाश भी होता है ।

मादक पदार्थो के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति की संलग्नता, सामाजिक भूमिकाओं के प्रतिबद्धता तथा विभिन्न स्थितियों में उसके समायोजन का विश्लेषण करना अनिवार्य है ।

असीनयों के उपचार हेतु भारत सरकार के कत्याण मंत्रालय ने तीन प्रकार के केन्द्र स्थापित किये है

1 परामर्श केन्द्र

2 विव्यसन केन्द्र

3 उत्तर सेवा केन्द्र

इसके अतिरिक्त कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी नशामुक्ति केन्द्र चलाये जाते है । लेकिन सामान्यतया यह देखा जाता है कि अधिकांश व्यसनी अन्य किसी बीमारी से भी पीड़ित होते है, अत:

उन्हें चिकित्सालय की भी आवश्यकता होती है । राजस्थान में विभिन्न सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त कई अन्य व्यक्ति और गैर सरकारी संगठन नशामुक्ति हेतु प्रयासरत हैं इन व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा तम्बाकू शराब, ब्राउन शुगर, अफीम आदि को छुड़ाने का प्रयास किया जाता रहा है ।

नशा मुक्ति दिवस' तथा विश्व तम्बाकू मुक्ति दिवस आदि के अवसर पर भी इन व्यक्तियों व संस्थाओं के द्वारा गोष्ठियां व परामर्श की अवस्था की जाती है । इस इकाई में राजस्थान में नशामुक्ति के प्रयास में कार्यरत उन व्यक्तियों और संस्थाओं की जानकारी देने का प्रयास किया गया है जिसमें कुछ चिकित्सक एवं कुछ सामान्य लोग सम्मिलित हैं जो कि किसी न किसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं । ये व्यक्ति एवं संस्थायें राजस्थान के विभिन्न जिलों जालौर, उदयपुर, जयपुर,भरतपुर, आबु रोड और बीकानेर आदि में प्रयासरत है । इन व्यक्तियों के द्वारा तम्बाकू शराब, हैरोइन और अफीम जैसे नशीले पदार्थो को छुड़ाया जाता है ।

आज देशभर में अत्यन्त लोकप्रिय हो रहे पान मसाले से मुँह का कैन्सर महामारी की तरह फैल रहा है पान मसाला, गुटका, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट आदि कैन्सर के लिए उत्तरदायी हैं अतः इस और युवा वर्ग में जागरूकता लाना आवश्यक है क्योंकि नशे की लत के कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर हो जाती है जो कि पारिवारिक तनाव और मारपीट के लिए भी उत्तरदायी होती है। अमरदान लालस की नशे से सम्बन्धित व्यंगात्मक कविता एवं लेख

पुराने जमाने में सभी जातियों के लोग अफीम खाया करते थे । नशा या रंग लाने के लिए तथा थकान मिटाने के लिए अमीर से लेकर गरीब तक काम में लेते थे । कहीं - कहीं अभी भी कुछ जातियों में वार, त्यौहार, मेहमान आगमन, जन्म, विवाह और शोक विसर्जन के अवसर पर इसकी मनुहार की जाती है । ग्रामीण लोग आज भी इस प्रथा को मांगलिक मानते है ।

परम्परागत रूप से शुभ अवसरों और लड़ाई झगड़ों में जाते समय लोग अमल बाँट कर विदा होते थे । इसके अमल, आफू कदा, अफीम, तिजारौ, गाळवौ आदि कई नाम हैं इसके रंग देने की रीति भी बड़ी अनूठी है । अमल का नशा बहादुरी की शान माना जाता हैं इसमें एक गुण और बताया जाता है कि यह मनुहार के बिना उगता ही नहीं है । अकेला आदमी कहीं अमल लेता है तब पेड़ों आदि के सामने 'लोसा लोसा' आदि कहता हुआ अमलपान करता है । लोक कहानियों में भी प्रायः अमल का प्रसंग आ ही जाता है ।

आधुनिक काल में सुधारवादी आन्दोलन के फलस्वरूप सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को लेकर तीखी हास्य-व्यंग्य कविताऐं भी लिखी गई हैं । ऐसे कवियों में अमरदान लालस का नाम अग्रणी है । लालस की सभी कविताओं का स्वर व्यंगात्मक है । 'दारू रा दोस 'तमाखु री ताड़ना', 'अमल रा औगुण, छोटे उतारो खुलासो आदि कुछ कविताऐं हैं जिनमें सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार है । लालस की कविताऐं सरल होते हुये भी उनकी जागरूकता का परिचय देती हैं ।

12.3 राजस्थान में नशामुक्ति के प्रयास में कार्यरत व्यक्ति एवं संस्थाऐं

12.3.1 एम.के. जैन नशा निवारण केन्द्र, उदयपुर

उदयपुर में डॉ. पी.सी. जैन अपनी धर्म पत्नी डी. मच जैन के साथ पूरी शक्ति से लोगों को नशा मुक्त करने के अभियान से लगभग दस वर्षो से जुड़े हुये हैं ।डॉ. जैन अब तक करीब 350 शराबियों,

100 से अधिक तम्बाकू का सेवन करने वाले तथा 100 से अधिक ब्राउन शुगर के आदी व्यक्तियों को नशा मुक्त करवा चुके हैं ।

डॉ. जैन के अनुसार इन सभी लोगों को नशा मुक्त करवाने में व्यसनी व्यक्तियों के परिवार की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है । परिवार की महिलाओं में माता, बहिन या पत्नी कोई भी हो सकती है, क्योंकि महिलायें ही भावनात्मक रूप से व्यसनी व्यक्ति को भली भाँति समझ सकती हैं । परिवार की महिलायें ही किसी अन्य परिचारक की तुलना में व्यक्ति के स्वास्थ्य, दबाव, व खान पान का ध्यान अधिक निस्वार्थ भाव से रख सकती हैं तथा इन्हीं की प्रेरणा से व्यक्ति का नशा छोड़ने का मनोबल भी उंचा उठता है । किन्ही दो परिवारों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी भी महिला ही होती है । नशे की सबसे अधिक पीड़ा भी महिला को ही भुगतनी पड़ती है चाहे वह तनाव या मारपीट हो, पारिवारिक संघर्ष हो अथवा बच्चों के भविष्य की चिंता या परिवार की गिरती हु यी आर्थिक स्थिति । 'इसके विपरित यदि महिला स्वयं नशे की आदी है तो स्वयं के साथ अपनी आने वाली संतान को भी पीड़ित करती है । अत: डॉ. जैन के अनुसार यह आवश्यक है कि सामाजिक संगठन नशामुक्ति के कार्य को प्राथमिकता दे । परिवार के सदस्य व समाज के लोग नशाखोर व्यक्ति को हेयदृष्टि से न देखकर उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें ।

डॉ. जैन अपने नशा निवारण केन्द्र में शराब, गुटखा, तम्बाकू अफीम, ब्राउन शुगर एवं अन्य सभी प्रकार के नशा मुक्ति हेतु परामर्श देते है । वे मुख्य रूप से व्यक्ति के मनोबल को ऊँचा उठाने का प्रयास करते हैं अर्थात् जब तक व्यक्ति स्वयं नशा छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होगा, वइ उससे मुक्त नहीं हो सकता । डॉ. जैन आसपास के गांवों, स्कूलों आदि में संगोष्ठियों के दौरान युवाओं, ग्रामवासियों एवं स्कूल के विद्यार्थियों में अपने भाषण आदि के द्वारा नशे के विरूद्ध जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं । इसी दौरान विश्व तम्बाकू मुक्ति दिवस 31 मई को डॉ. जैन के निजी चिकित्सालय में भी एक शिविर लगाया गया । जिसमें तम्बाकू के उत्पादों पर गोष्ठियाँ भी की गई । आपने 28 और 29 वर्ष के ऐसे युवको के उदाहरण दिये जो की 8-10 गुटके की पुड़िया प्रतिदिन तम्बाकू व चूना मिला कर खा लेते थे इस कारण ये युवक सबम्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रसित हो गये जो कि गाल के कैन्सर का कारण है । इस प्रकार से गांव का एक 8 दी कक्षा का विद्यार्थी भी गुटखा खाने के कारण ऐसी ही बीमारी से ग्रसित था । अत: ' नशा निवारण के लिए जन जागरण अनिवार्य है आज नशे को पूरे समाज में तेजी से मान्यता मिलने लगी है । गुटखा खाना, बीयर पीना, बीड़ी, सिगरेट और ब्राउन शुगर अर स्कूल के विद्यार्थियों के नशे में सम्मिलित होने लगे हैं । युवाओं में यह फैशन की तरह बढ़ता जा रहा है । डॉ. जैन के अनुसार नशा छोड़ने में केवल एक चीज व्यक्ति की मदद कर सकती है वह है मजबूत इरादा ।.

स्व. डॉ. शूरवीर सिंह साहब के कहे शब्द कि. बेटा !ब्राउन शुगर का ट्रीटमेन्ट अच्छी तरह सीख लेना क्योंकि उदयपुर में यह नशा बढ़ने वाला है । ने डॉ. पी.सी. जैन को इस ओर बढ़ने की प्रेरणा दी और आज सपत्नी वे इस कार्य में निरन्तर प्रयत्नशील हैं । डॉ. जैन का अपना निजी चिकित्सालय है जहॉ ली जाने वाली फीस मरीज के प्रतिमाह के नशे पर व्यय से भी कम है । इस कार्य में आप तीन मिशन सम्मिलित मानते है ।

1. डीएडिक्शन

2. मेडिटेशन

3. मोटिवेशन

जिसके अभाव में यह कार्य सम्भव नही है । आपके नशा निवारण केन्द्र में मुख्य रूप से एल्कोहल का नशा छुड़ाया जाता है । उसके अतिरिक्त ब्राउन शुगर, अफीम, हैरोइन तम्बाकू आदि सभी प्रकार के नशे को छोड़ने हेतु परामर्श, मार्गदर्शन व प्रेरणा दी जाती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जिसमें व्यसनी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों व महिलाओं का सहयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । आप मरीज में नशीले पदार्थो के सेवन की तलब को कम करने हेतु केवल होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करते हैं । केवल 20 प्रतिशत मरीजों के लिए ही एलोपैथिक दवाइयों की सहायता की आवश्कता होती है । मदिरा की उत्कृष्ट लालसा को खत्म करने में एसिड सल्फ व क्वेरक्स की सहायता ली जाती है इसी प्रकार से अफीम, तम्बाकू आदि से मुक्ति के लिए भी विभिन्न होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है । इस नशा निवारण केन्द्र में व्यसनी को भर्ती नहीं किया जाता क्योंकि परिवार का सहयोग ही व्यक्ति को नशा मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । इसी दिशा में आपने अपने पिता स्व. श्री कन्हैयालाल जी जैन की पुण्य स्मृति में रोटरी मीरा उदयपुर के सहयोग से दिनांक 17 जुलाई, 2005 को निःशुल्क नशा मुक्ति परामर्श शिविर भी लगाया था । नशा छोड़ने वाले व्यक्ति से व्यसन न करने, मेहमानों के स्वागत में व्यसन की सहायता न लेने व दीपावली, विवाह, पर्व, जन्म व खुशी तथा श्रद्धांजली के अवसर पर दान में नशामुक्ति साहित्य के यथा शक्ति वितरण आदि को लेकर प्रतिज्ञा पत्र भी भरवाया जाता है ।

डॉ. जैन ने नशा मुक्ति हेतु स्वयं द्वारा पहल करने योग्य कुछ सुझाव भी दिये :-

- घर या कार्यस्थल पर नशीली वस्तु को न रखें ।
- संकल्प के साथ शारीरिक व मानसिक व्यायाम की दिनचर्या बढ़ाये ।
- नशा करने बालों से दूर रहें ।
- परिवार के उत्थान के लिए सोचें ।
- नशा छोड़ने में ही बच्चों का भविष्य तथा पारिवारिक शान्ति निहित है ।
- जहाँ तक सम्भव हो, स्वयं को व्यस्त रखें ।

12.3.2 डॉ. आर. के. अग्रवाल, उदयपुर

राष्ट्रपति द्वारा डॉ. बी.सी. रॉय अवार्ड से सम्मानित डॉ. आर.के. अग्रवाल उदयपुर में नशामुक्ति, सर्जरी एवं पोलियो के इलाज के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बनाये हु ये हैं । डी अग्रवाल ने नारायण सेवा संस्थान में पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों एवं सरस्वती चिकित्सालय में निःस्वार्थ सेवा देते हु ये चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण छवि बनायी है । नशा मुक्ति के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान तम्बाकू के प्रति जन चेतना लाने व लोगों को मुँह के कैन्सर से मौत के मुँह से बाहर निकालने में है । एक शल्यचिकित्सक मुख्य रूप से कैन्सर की श्ल्यचिकित्सा से आपको यह प्रेरणा मिली, कि गुटखा या तम्बाकू के लगातार सेवन या नशे से कई लोगों को कैन्सर जैसा भयानक रोग लग गया है और इस प्रकार के नशे की लत बच्चों से वृद्धों तक में दिखाई देने लगी है । अतः समाज को तम्बाकू के सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारी से मुक्त कराने हेतु डी. अग्रवाल लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित

कर सभाओं में तम्बाकू के हानिकारक परिणामों की जानकारी चित्रों व भाषणों के द्वारा देते है तथा नशा छोड़ने के लिए उन्हें दृढ़ संकल्पित कराते है ।

तम्बाकू को समाजशास्त्र में द्रव्यों के दुरूपयोग के प्रकार में निकोटीन व ताम्रकूटी की श्रेणी में रखा गया है जिसमें सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चूरूट, नास व तम्बाकू सम्मिलित है । इनका चिकित्सीय उपयोग नहीं होता परन्तु शारीरिक निर्भरता का जोखिम होता है । निकोटीन शिथिलन पैदा करती है तथा केन्द्रीय नाडी मण्डल को उत्तेजित कर जागरण को बढ़ाती है और उबाऊपन को दूर करती है । परन्तु इसका अधिक व भारी सेवन दिल की बिमारी' फँफडे, श्वासनली और मुँह का कैन्सर पैदा कर सकता है,

लेकिन कानून इसे द्रव्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता क्योंकि निकोटीन या ताम्रकूटी का आदी होने से व्यक्ति दहकता नहीं है अपितु उसके स्वास्थ्य के लिए यह अधिक हानिकारक है ।अर्थात् यह मुँह के कैन्सर के रूप में मौत का कारण बन सकता है ।

तम्बाकू का प्रयोग धूम्रपान में तो बहुत समय से होता आ रहा है परन्तु आधुनिक समय में (पिछले दो दशकों मे) इसका प्रयोग पान मसाला, गुटखा और खैनी के रूप में काफी होने लगा है । विज्ञापन की बाढ़ ने बच्चों और युवाओं को इसके द्वारा बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है ।

मुम्बई के प्रसिद्ध दन्त विशेषज्ञ सुकेतन प्रधान का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि धूम्रपान करना बुरी बात है तो पान मसाला चबाने की आदत एकदम जानलेवा है ।

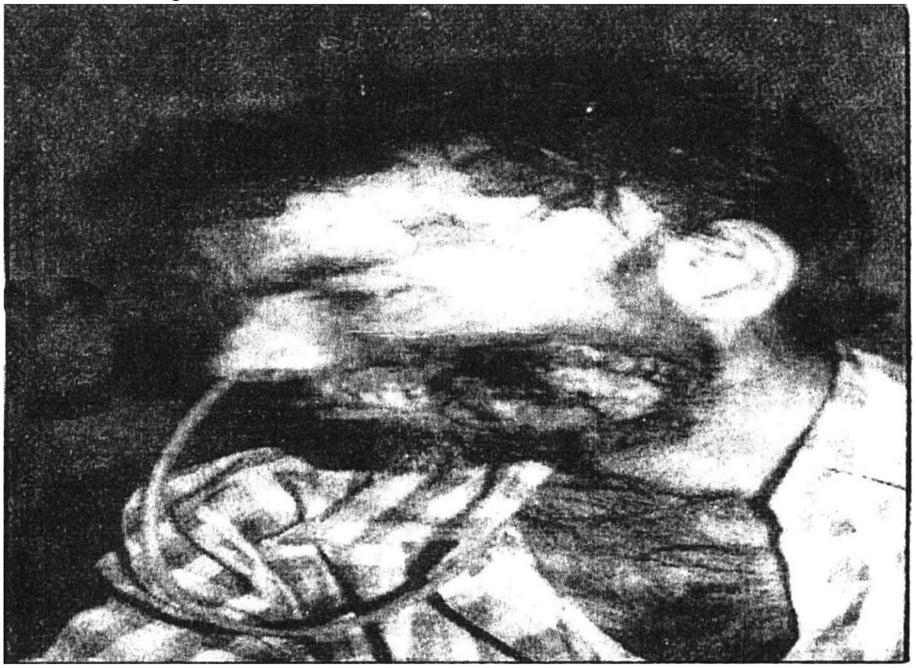

चित्र संख्या 12.1

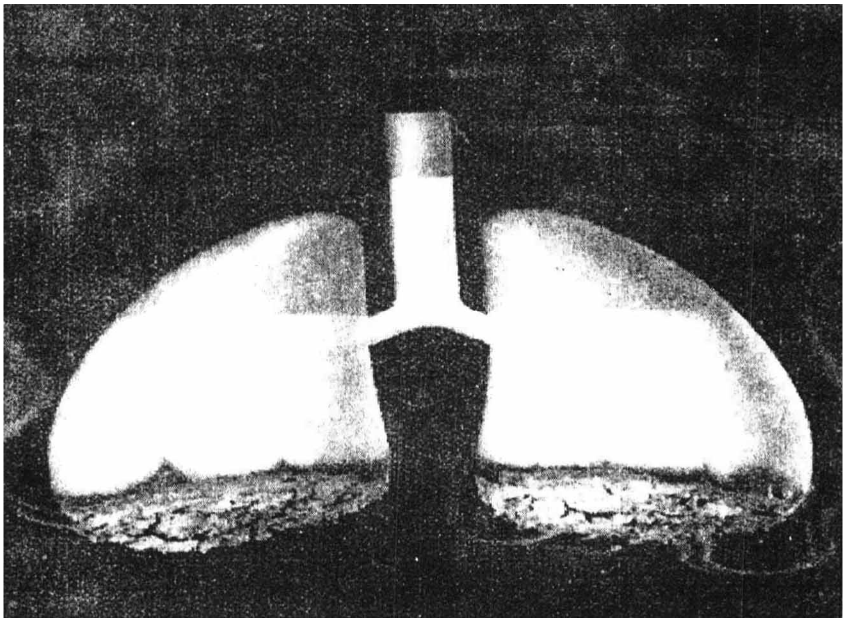

चित्र संख्या 12.2

पैसा कमाने की होड़ में लुभावने एवं भ्रामक नारों से युवकों को दिशा भ्रमित कर नशे की आदत डाली जा रही है । हाल ही में राज्य सरकारों में तमिलनाडु ने गुटके की बिक्री बन्द कर दी है । राजस्थान सरकार ने भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी है ।

वास्तव में तम्बाकू कम्पनियाँ बड़ी सशक्त हैं यह टेनिस व क्रिकेट के टूर्नामेन्ट आदि पर धन खर्च कर प्रचार एवं प्रसार कर युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं । अत: सर्वप्रथम इन कम्पनियों को प्रयोजक बनने से रोका जाये । इसी प्रकार से भ्रामक नारों के द्वारा भी आमजन को गुमराह किया जाता है जैसे :

1. फिट मूड का हिट फार्मूला बाबा जर्दा ।
2. सच्चे लोग, सच्चा आन्नद रेड एण्ड व्हाईट ।
3. सुस्ती-स्फूर्ती ब समाधान - गोल्ड 99 (बीड़ी)
4. "चुटकी". खाओ चुस्त हो जाओ ।
5. "ताजगी" खाओ, ताजा हो जाओ ।

महामारी की उत्पत्ति :-

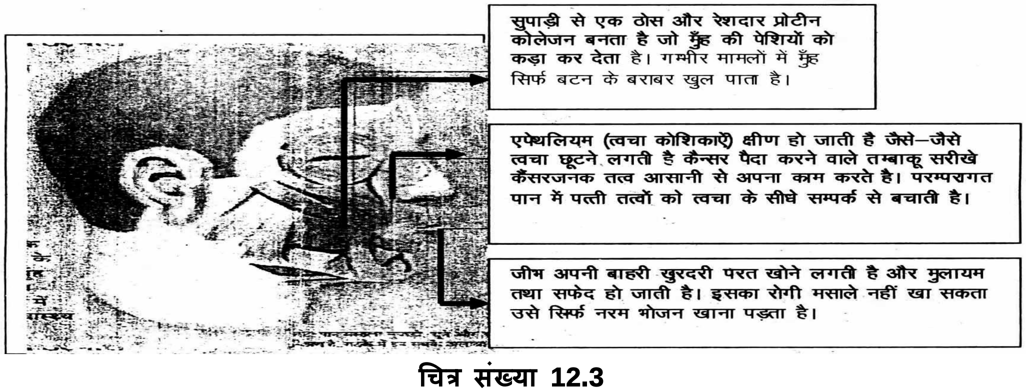

चित्र संख्या 12.3

नये अध्ययनों ने पान मसाले और गुटके को सबम्यूक्स फाइब्रोसिस का जिम्मेदार माना है इस रोग का कोई इलाज नही है । पीड़ितों को आम आदमी की अपेक्षा मुँह का कैन्सर होने का 400 गुना ज्यादा खतरा होता है मौत धीमी और पीड़ादायक होती है । देश में कैन्सर के दस फीसदी मामले मुँह और जीभ से सम्बन्धित होते हैं ।

डॉ. अग्रवाल जनता में जागरूकता लाने के लिए जनहित में इनके विरुद्ध निस्वार्थ भाव से प्रचार करने में जुटे हं । इन नारों के स्थान पर वे कुछ दूसरे नारों की आवश्यकता पर बल देते हैं :-

1. तम्बाकू की आदत-मौत को दावत ।
2. मुँह का मजा - मौत की सजा ।
3. दाँतों की सुरक्षा - शरीर की रक्षा ।
4. तम्बाकू की छुट्टी - मुसीबतों से मुक्ति ।
5. पान मसाला - मौत मसाला ।
6. गुटका खाओ - गाल गलाओ ।
7. जर्दा खाओ - जीभ जलाओ ।
8. धूम्रपान - खतरे में जान ।

आज तम्बाकू का "दुष्प्रचार" झोंपडी से लेकर महलों तक हो चुका है हाल ही में हु ये कुछ अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अत्यन्त लोकप्रिय हो रहे पान मसाले मुँह के कैन्सर को महामारी की हद तक बढ़ा रहे हैं तथा चिकित्सक इन पर तुरन्त पाबन्दी के पक्ष में हैं । चिकित्सकों के अनुसार पान मसाले या तम्बाकू से ' सबम्यूक्स फाइब्रोसिस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है । इस बीमारी में व्यक्ति के मुँह का आकार एक बडे बटन जितना रह जाता है और पेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं कि वह अपना मुँह भी पूरी तरह से नहीं खोल पाता जो कि कैन्सर का पूर्व संकेत है । छोटे आकार की चमकदार पन्नियों या प्लास्टिक की थैलियों में आने वाले पान मसाले, गुटके मिली सुपारी, चूने आदि जैसे तब का नशा करने से आम आदमी की तुलना में 400 गुना अधिक कैन्सर होने की आशंका रहती हैं।

क्षेत्रीय कैन्सर तिरूवनंतपुरम् और अमेरिका के जॉन हॉपीकंस विश्वविद्यालय के संयुक्त अध्यन से पता चला है कि पान मसाले के 22 लोकप्रिय रांडों में से 19 में म्यूटाजेन तत्व है जो मनुष्य की साधारण कोशिकाओं को अनियंत्रित कैन्सर में तब्दील कर देते हैं ।

पान मसाला 90 के दशक में हमारे देश में लोकप्रिय हु आ इसका सबसे बड़ा कारण था विनोद खन्ना, शम्मी कपूर और अशोक कुमार जैसे नामी फिल्मी सितारों द्वारा इनके विज्ञापनों में आना और दूसरा यह कि इसे लाना ले जाना आसान है । दूर दराज गांवों यहां तक कि दवाइयों की दुकान पर भी ये आसानी से मिल जाते थे लेकिन तम्बाकू के इन उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है फिर भी वर्तमान में यह इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है है कि मुम्बई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेन्टल रिसर्च में महामारी विज्ञानी और दो दशक से ज्यादा अरसे तक पान मसाले के घातक प्रभावों का अध्ययन कर चुके डॉ. प्रकाश गुप्ता कहते हैं ' देशभर में सबम्यूकस फाइब्रोसिस तेजी से फैलता जा रहा है और आशंका है कि निकट भविष्य में हम मुँह के कैन्सर की महामारी से दो-चार होंगे ।' डॉ. चेतावनी देते है कि सिगरेट की तुलना में गुटके से कैन्सर आधे समय में ही हो जाता है

अर्थात सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने से पांच से दस वर्ष के भीतर कभी भी कैन्सर हो सकता है अत: पान मसालें को खतरनाक उत्पाद करार देना जरूरी है ।

दो साल पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पान मसाले में कैन्सरजनक तत्वों की जांच के लिए कहा था । स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा गठित एक समिति अब इस विषय का अध्ययन कर रही हे ।

पान मसाले का शौक विशेषकर मध्यम वर्ग में बढ़ता जा रहा है । डी. आर.के. अग्रवाल पेसिफिक एज्यूकेशन सोसायटी उदयपुर, व्यसनमुक्ति अभियान के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने हेतु व्याख्यान, भाषण, तम्बाकू सेवन से उत्पन्न कैन्सर के पोस्टर ओर काउन्सलिंग की सहायता लेते हैं । डॉ. अग्रवाल तम्बाकू के नशे के हानिकारक प्रभाव का एक ज्वलंत उदाहरण गुजरात अंबुजा सीमेन्ट के प्रबन्ध निदेशक 48 वर्षीय नरोत्तम शेखसरिया का देते हैं जिन्होंने कॉलेज से निकलते ही गुटखा खाना प्रारम्भ किया और धीरे - धीरे वे इसके आदी हो गयें जिससे उनके मुँह में कैन्सर जैसा घातक रोग हो गया, जिसके उपचार हेतु वे विदेश गये और इस बात ने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि किस प्रकार से वे एक पढ़े लिखे कैमिकल इंजीनियर होते हुए भी गुटखा खाने के आदी हो गये तब से श्री शेखसीरया विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू के प्रति जन चेतना और जागरूकता लाने हेतु अपना नाम तथा धन व्यय करते है । और लोगों को गुटके के खतरे के प्रति जागरूक करना अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। आपके अनुसार गुटके के पैकेट पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक की अपेक्षा तम्बाकू मौत है लिखा जाना चाहिए ।

पान मसाला: खतरनाक ब्रांड

(कैन्सर जोखिम सूचकांक)

माणिकचन्द	13.73
महक	9.76
पान पराग	8.38
विमल	4.36
केन	4.21
राजदरबार	4.08
कुबेर	4.03
बादशाह	3.53
तुलसी	3.04
राहत	2.97
पान किंग	2.31
जुबली	2.08
कंचन	1.51
मूलचंद सुपारी	1.25

स्त्रोत: क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र. तिरूवनंतपुरम और अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के संयुक्त अध्ययन से ।

12.3.3 शिव साँई सेवा समिति, जालौर

डी. अग्रवाल के समान ही जालौर जिले के रानीवाड़ा विधानसभा के एक छोटे से ग्राम मालवाड़ा में नशामुक्ति अभियान से जुडे मुकेश खण्डेलवाल इस कार्य को अपना नैतिक दायित्व मानते है । यह समिति लगभग 3 वर्ष से नशामुक्ति का कार्य कर रही है । समिति के सदस्य गाँव-गाँव और ढाणियों में बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि के विरुद्ध जागरूकता लाने हेतु संगोष्ठियां करते हैं और नशा मुक्ति चाहने वाले लोगों को परामर्श देते हैं । श्री खण्डेलवाल का मानना है कि नशामुक्त वे ही व्यक्ति हो पाते हैं जो पूरी तरह से अपने मन पर नियंत्रण कर नशा छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं ।

श्री खण्डेलवाल के अनुसार भारत और यहाँ तक कि राजस्थान में बढ़ती हुयी नशे की आदत एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसमें स्कूल के बच्चों और गुहा पीढ़ी को इसका आदी किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी की देह खोखली हो जाये तथा भारत की युवा पीढ़ी अधिक सक्षम न बन सके ।

किसी भी प्रकार के नशे की आदत बालक सामान्यतया अपने स्कूल के साथियों और मित्रों से सीखतां है । धीरे-धीरे नशे की यह आदत उसमें प्रतियोगिता का रूप धारण कर लेती है कि कौन कितना महंगा और कितना अधिक नशा करता है । यह आदत बालक में चोरी और लड़ाई-झगड़े को बढ़ावा देती है वास्तव में नशे की यह आदत भूख को समाप्त करती है जिससे शारीरिक विकास और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों मे 90 प्रतिशत महिला मजदूरों में तम्बाकू के सेवन की आदत दिखाई देती है। ये महिलायें गुटखे, नसवार या बीड़ी का नशा करने की आदी हैं ।

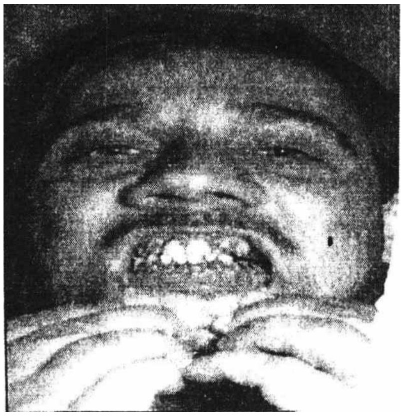

चित्र संख्या12.4

इसके अतिरिक्त गांवो मे चिलम पीने के रिवाज भी हैं जिसमें 5-6 व्यक्ति मिलकर एक ही चिलम का इस्तेमाल करते हैं । चिलम पीने का यह तरीका कई संक्रामक रोगों जैसे क्षय रोग को आगे हस्तान्तरित करता है । पुरूषों में इस प्रकार चिलम पीने से कई बीमारियां फैलती हैं, तथा महिलाओं के द्वारा चिलम में बचे हुये तम्बाकू को जलाकर दातुन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे वे संक्रामक रोग महिलाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते है महिलाओं में फैली ये बीमारियां उनकी आने वाली सन्तानों को भी लग जाती है । अर्थात् ये तम्बाकू जनित रोग पूरे के पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देता हैं।

नशा न केवल शारीरिक बीमारियों को ही बढ़ावा देता है । अपितु पारिवारिक तनाव, कलह और आर्थिक संकट के लिए भी उत्तरदायी होता है । अत: श्री खण्डेलवाल मुख्य रूप से अपने नशामुक्ति अभियान में तम्बाकू के नशे पर संगोष्ठियां करते है और इसे छुड़ाने के लिए परामर्श देने के साथ-साथ नशा मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को होम्योपैथिक दबाई भी वितरित करते है । आपके द्वारा शराब या अन्य प्रकार के नशे को छुड़ाने के लिए चिकित्सकों की सहायता से आस-पास के गांवों में 3-6 दिन के कैम्प भी लगाये जाते है । इन दिनों में व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाते हुये तथा कुछ दवाईयों की सहायता से वे उसे नशामुक्त करने का प्रयास करते हैं । आपका मानना है कि किसी भी प्रकार के नशे को छुड़ाने के लिए जिस औषधी का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति में उस नशे की इच्छा को कम करने में सहायक सिद्ध होती है । इसी प्रकार से कुछ ऐसी दवाईयां दी जाती हैं जिन्हें लेने के पश्चात यदि व्यक्ति नशा करता है तों उसे मतली अथवा वमन होने लगती है कुछ समय तक लगातार ऐसा होते रहने से व्यक्ति धीरे धीरे अपने नशे की आदत को भूलने लगता है और उसके नशा करने की इच्छा समाप्त हो जाती है ।

12.3.4 उजाला नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र, भरतपुर

राजस्थान के भरतपुर जिले में उजाला नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से श्री सुरेश राजपूत द्वारा चलाया जाता है । यह केन्द्र व्यसनी लोगों को भर्ती कर निःशुल्क उपचार एवं नशामुक्त करने का प्रयास करता है । इस केन्द्र में शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक / मनोचिकित्सक परामर्शदाता / परामर्शदात्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्यसनी एवं उसके परिवारजनों को निःशुल्क मदद की जाती है ।

चित्र संख्या 12.5

नशामुक्ति केन्द्र में चरस, मांग, अफीम, शराब, स्मैक, हैरोइन ब्राउन शुगर, नशे के इंजेक्शन और नशे की गोलियाँ आदि किसी का भी सेवन करने वाले व्यक्ति को नशामुक्त करने का प्रयास किया जाता है । किसी भी प्रकार के व्यसन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक रूप से हानि होती है । नशीले पदार्थ का एक कुप्रभाव शरीर के अंगों की कार्यक्षमता को क्षीण बनाता है और ह्रदय रोग, टीवी., उल्टी, दस्त और अन्य रोगों से शरीर घिर जाता है । इसी प्रकार से नशीले इंजेक्शन एड्स और पोलियो जैसे भंयकर रोगों को उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं । सुरेश राजपूत स्वयं एल्कोहल लिया करते थे लेकिन उनकी इस आदत से परिवार की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गयी और परिवार का वातावरण तनावग्रस्त हा गया तभी से आपने इसे

छोड़ने का निश्चय किया इसी दौरान आपका सम्पर्क माणकलाव नशामुक्ति केन्द्र से भी हु आ तभी से आपने नशामुक्ति की दिशा में कार्य करने और बढ़ने की शपथ ली । नशामुक्ति अभियान से जुडकर आपने सैकडों लोगों की नशे की आदत छुडायी । सुरेश जी के अनुसार नशे के लती व्यक्ति को पहले एक रोगी समझा जाना चाहिए क्योंकि यह अपने आप में एक भयंकर बीमारी है । इसके साथ ही व्यसनी व्यक्ति से बहु त अधिक तर्क वितर्क न करते हु ये नशे के कुपरिणामों पर चर्चा करनी चाहिए । ऐसे विचार विमर्श के द्वारा ही व्यसनी व्यक्ति को नशा मुक्ति हेतु तैयार किया जा सकता है ।

नशामुक्ति की दिशा में कार्यरत यह संस्था (उजाला) 1998 से लगातार कार्य कर रही है । इस संस्था में 15 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था है जो की पूर्ण रूप से निःशुल्क है । इस केन्द्र पर मनोचिकित्सक, चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अपनी निःस्वार्थ सेवा प्रदान करते है । नशा छुड़ाने का कार्य अपने आप में अत्यधिक कठिन हैं क्योंकि नशे की आदत लगाने वालों की तुलना में नशामुक्ति कराने वाले व्यक्ति बहु त कम हैं । अत: इस लड़ाई में व्यसनी के परिवारजन एवं अभिभावक अकेले ही सफलता प्राप्त नहीं कर सकते इसे जीतने के लिए सामाजिक चेतना एवं जनजागरण की परम आवश्कता है ।

सुरेश जी के अनुसार जो व्यक्ति अधिक लम्बे समय से नशा नहीं कर रहा हो या अधिक मात्रा में नहीं करता हो उसे नशामुक्त करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, जबकि बहु त अधिक समय से नशा करने वाले व्यक्ति को नशामुक्त करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना होता है । ये कठिनाइयां उनकी शारीरिक बीमारियों से सम्बन्धित होती है । गम्भीर स्थिति में कई बार व्यसनी व्यक्ति को आसपास के बडे चिकित्सालय में भी भर्ती कराया जाता है । अन्यथा अपने नशामुक्ति केन्द्र पर लगभग एक माह तक रख कर व्यक्ति को नशामुक्त कर दिया जाता है ।

नशामुक्ति हेतु सर्वप्रथम व्यक्ति का मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है । इस कार्य को करने में सहानुभूतिपूर्ण वार्तालाप एवं सद्व्यवहार अपना विशेष योगदान देते हैं, जिसके लिए परिवारजन एवं अभिभावक का प्रेम व स्नेह भी मददगार सिद्ध होता है क्योंकि इन्हीं सदस्यों से व्यक्ति निःसंकोच अपने विचार प्रकट करता है । आत्मशक्ति के बल पर ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे को छोड सकता है । नशामुक्ति की इस प्रकार की प्रेरणा, सहयोग मुख्य रूप से उजाला नशामुक्ति केन्द्र के द्वारा दिया जाता है । नशा छोड़ने का एक सप्ताह का प्रारभिक समय अत्यधिक कष्ट प्रद होता है। क्योंकि नशीले पदार्थो के सेवन करने वाले व्यक्तियों को अचानक उन चीजों से विमुख कर दिया जाता है । परन्तु मेडिटेशन, योगा, आत्मबल तथा परिवार का स्नेह पूर्ण वातावरण व्यक्ति को नशे की इन पीड़ाओं को कम करने में सहायता देते हैं ।

इस संस्था के द्वारा व्यसनी व्यक्ति का पर्यावलोकन एवं पंजीकरण किया जाता है । तथा उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है । मलिन बस्तियों में केन्द्र के सामाजिक कार्यकर्ता नशे के विरुद्ध प्रचार प्रसार करते है तथा जनहित में समय-समय पर गोष्ठियां एवं जागरूकता लाने हेतु कार्यक्रम भी तैयार किये जाते है । परामर्शदाता व कार्यकर्ता व्यसनमुक्त व्यक्ति के परिवारजनों से निरन्तर संपर्क बनाये रखते है ताकि यदि व्यक्ति दुबारा नशा करने लगे तो उसकी जानकारी मिल जाये । संस्था के द्वारा नशा मुक्त व्यक्तियों के लिए फॉलोअप की व्यवस्था भी की जाती है । इस प्रकार उजाला नशा मुक्ति संस्थान व्यसनी व्यक्तियों के जीवन में नशामुक्ति अभियान के द्वारा उन्हें नशामुक्त करते हु ये जीवन की नयी ज्योति जलाने का प्रसास करता है ।

12.3.5 परिवर्तन संस्था

व्यक्ति विकास केन्द्र संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने जीवन जीने की कला के नाम से एक एन.जीओ. प्रारम्म किया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम बनाना है । यह संस्था विश्वभर में क्रियाशील है राजस्थान में भी विभिन्न जिलों में आपके अनुयायी इस संस्था के द्वारा लोगों में विभिन्न प्रकार से जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं । इसी के अन्तर्गत एक संस्था परिवर्तन संस्था के नाम से जानी जाती है जिसमें दो दिन के लिए नौजवानों और विशेषकर कारागहों मे नवचेतना शिविर के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है जिसमें नशामुक्ति के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है । जालौर जिले में श्री सर्जन सिंह जी इन नवचेतना शिविरों के माध्यम से धूम्रपान, गुटखा, अफीम और शराब लती व्यक्ति से नशा छुड़ाने का प्रयास करते है जिसमें लगभग 20-25 व्यक्ति मिलकर मुख्य रूप से युवावर्ग में फैलने वाले नशे की आदत को रोकने के लिए प्रयासरत हैं । अपने प्रयासों में नशे के हानिकारक परिणामों के बारे में आपके द्वारा विस्तार से चर्चा की जाती है । इस कार्य के अन्तर्गत साधारण प्रार्थना, प्राणायाम, आयाम, योग और समाज सेवा को आधार बनाते हुये व्यसनी व्यक्ति को व्यस्त रखने का प्रयास किया जाता है और नशामुक्ति के लिए उससे दृढ़ संकल्प कराया जाता है लगभग ढाई बर्ष से पूरे राजस्थान में इस प्रकार के नवचेतना शिविर लगाये जाते रहे है । संस्था के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते है तथा नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों पर पूर्ण रूप से निगरानी रखते हैं ताकि उनके दुबारा नशे की संगत मे पडने से उन्हें रोका जाये इस प्रकार फॉलोअप की व्यवस्था भी नवचेतना शिविर में की जाती है ।

12.3.6 ग्लोबल हॉस्पिटल, आबु रोड़

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम के द्वारा माउन्ट आबू और आबू रोड में नशामुक्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किये गये हैं । यहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल में ब्राउन शुगर, शराब, तम्बाकू इत्यादि का नशा पूर्ण रूप से छुड़वाने का प्रयास किया जाता है । इस हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती रखने व्यवस्था नहीं है । सामान्यतया होम्योपैथिक दवाई और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुये यह व्यसनी व्यक्ति को नशामुक्त करते हैं । ग्लोबल हॉस्पिटल में सुधाकर दबे एक समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं । आपके अनुसार तम्बाकू के नशे से व्यक्ति को केवल परामर्श के द्वारा ही नशामुक्त करवाया जाता है। अस्पताल में मेडिकल सोशियल वर्कर भी कार्य करते हैं जो कि 3-4 दिन में अपने प्रयासों से व्यसनी व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित कराते है यह अस्पताल लगभग साढ़े तीन वर्ष से नशामुक्ति हेतु कार्य कर रहा है, जहाँ व्यसनी व्यक्ति से नशामुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का शुल्कदस्त नहीं किया जाता । श्री दवे के अनुसार सामान्यतया कुसगती के कारण ही कोई भी व्यक्ति नशे की ओर अग्रसर होता है और इस पर लगभग 250 से 300 रूपये प्रतिदिन खर्च कर देता है । नशामुक्ति की प्रेरणा सामान्यतया व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों व मित्रों से प्राप्त होती है । इस कार्य में विवाहित पुरुषों के लिए पत्नी का सहयोग विशेष महत्वपूर्ण है । आपके द्वारा सैकड़ों लोगों को नशामुक्त किया गया है क्योंकि नशे की आदत न केवल शारीरिक शक्ति को ही कमजोर बनाती है, अपितु व्यक्ति के आर्थिक हालात को भी बिगाड देती है अत: नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने की अत्यन्त आवश्यकता है । इस दिशा में ग्लोरल हॉस्पिटल अपने प्रवचनों और विचारों के द्वारा व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा उठाता है । व्यसनी व्यक्ति को परामर्श, ईश्वरीय उपदेश आदि के द्वारा आत्मिक और मानसिक शान्ति

प्रदान कराते हुये यह अस्पताल नशा मुक्ति हेतु उसे तैयार करता है । अर्थात् किसीभी प्रकार के नशे से मुक्ति के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

12.3.7 नशामुक्ति चिकित्सालय, नन्दन कानन पार्क, शास्त्री नगर, जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर के शास्त्री नगर में सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एक नशामुक्ति चिकित्सालय प्रारम्भ किया गया है । यह चिकित्सालय लगभग 10-12 वर्षो से नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है । इस अस्पताल में 15 मरीजों को मती करने की व्यवस्था है तथा कम से कम व 5 दिन से लेकर एक माह तक व्यक्ति को नशामुक्ति हेतु भर्ती रखा जाता है । सामान्यतया 20 से 25 दिन में व्यक्ति नशामुक्ति हो जाता है लेकिन डोडा, पोस्त और स्मैक के लिए व्यसनी पंक्ति को कम से कम 1 से डेढ़ माह तक भर्ती रखा जाता है । नशामुक्ति के इस कार्य में यह चिकित्सालय व्यक्ति से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करता लेकिन रोगी को अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होती है । चिकित्सालय में विशेषज्ञों के द्वारा अत्याधुनिक तरीके से नशे की आदत को छुड़ाया जाता है । इस चिकित्सालय को प्रारम्भ करने का श्रेय श्रीराम गोटेवाला को है चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा आस-पास की बस्तियों, गांवों और स्कूलों में जाकर नशे के विरूद्ध जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है । समय-समय पर कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन से सम्पर्क बनाये रखते हैं तथा नशीले पदार्थो के सेवन करने वाले व्यक्तियों को पुलिस की सहायता से नशामुक्त करने का प्रयास भी करते है । इसी प्रकार से आस-पास के गांव के मुखिया से मिलकर ग्रामवासियों में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है । नशामुक्ति केन्द्र के कार्यकर्ता शराब के ठेके आदि के आस-पास भी घूमते रहते हैं तथा वही पर आने वाले व्यक्तियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुये नशामुक्ति के लिए प्रेरित करते हैं । इस प्रकार यह संस्था कठोर परिश्रम के द्वारा शहर में नशामुक्ति की दिशा में कार्य कर रही है ।

नशामुक्ति के प्रयास में भी व्यसनी व्यक्ति के परिवार का सहयोग अत्यधिक आवश्यक है। इस संस्था में नशा मुक्ति हेतु आने वाले व्यक्तियों के सास्थ, मनोरंजन और व्यायाम की समुचित अवस्था भी की जाती है जिसमें योगासन और वर्जिश भी सम्मिलित है । संस्था के कार्यकर्ताओं के अनुसार वर्तमान समय में महिलाओं में भी नशे की आदत पड़ने लगी है । आज शराब, स्मैक और गुटके का नशा कई महिलाओं के द्वारा किया जाता है ।

किसी भी व्यक्ति को नशामुक्त करने से पूर्व यह संस्था उसके पुराने इतिहास को जानने का प्रयास करती है ताकि नशे की आदत और कारणों की पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके ताकि व्यसनी के उपचार में आसानी रहे । इस संस्था के कार्यकर्ताओं के अनुसार जब व्यसनी व्यक्ति को नशा मुक्त किया जाता है तो उसमें कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते है जैसे शरीर में कम्पन्न, अनिद्रा, उल्टी और दस्त आदि का होना । ऐसी स्थिति में चिकित्सकों की सहायता ली जाती है और उपचार के द्वारा व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ प्रदान किया जाता है । इस संस्था, से स्मैक छोड़ने वाले दो व्यक्तियों गोविन्द सिंह और जितेन्द्र सिंह ने झोटवाडा क्षेत्र में नशामुक्ति के विरुद्ध अपना अभियान भी प्रारम्भ किया है ।

संस्था में नशामुक्ति के लिए भर्ती होने वाले मरीजों को केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती तथा उसे मरीज के रूप में भी नहीं देखा जाता बल्कि पारिवारिक वातावरण प्रदान करते हुये स्नेह

पूर्ण व्यवहार के द्वारा नशा मुक्त किया जाता है । कई बार स्मैक, हैरोइन आदि का लम्बे समय से सेवन करने वाले व्यक्ति जब नशा मुक्ति हेतु केन्द्र पर भर्ती होते है तो नशा न मिलने की स्थिति में वे आक्रामक हो जाते है तथा चिकित्सालय के कर्मचारियों एवं अपने परिचितों के सन मारपीट प्रारम्भ कर देते है ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों से कुछ शक्ति से व्यवहार भी किया जाता है ।

यह संस्था तीन प्रकार के परामर्श के द्वारा नशामुक्ति का कार्य करती है ।

1. व्यक्तिगत
2. पारिवारिक
3. सामूहिक

व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं नशा करने वाले व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जाता है तथा नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है । पारिवारिक स्तर पर यह संस्था परिवार के सदस्यों व नशे के आदि व्यक्तियों को साथ बैठाकर चर्चा करती है जिसमें परिवार के सदस्यों के व्यवहार को व्यसनी व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है एवं पारिवारिक स्तर पर उन कारणों का निवारण करने की कोशिश की जाती है जो कि नशे के आधार होते है। समूहिक स्तर पर यह संस्था गोष्ठियों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा आंगन बाड़ी केन्द्रों में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने का प्रयास करती है । इन स्थानों पर खेल-कूद, कार्टून, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से निम्न वर्ग के लोगों में नशे के विरुद्ध जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है ।.

इस नशा मुक्ति चिकित्सालय में लगभग सभी आयु वर्ग के व्यक्ति नशा मुक्ति हेतु आते है। जिसमें कम से कम आयु 8-10 वर्ष की भी है । इस आयु वर्ग के बालक कफ-सिरप, आयोडेक्स, ट्राइका तथा व्हाइटनर आदि का नशा करते हैं तथा यह नशा करने वाले अधिकांश बालक कचरा बीनने वाले या मलिन बस्तियों के होते है । संस्था के द्वारा नशामुक्ति के साथ नशे के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का उपचार भी किया जाता है, जिसके लिए चिकित्सक की अवस्था भी संस्था के द्वारा की गई है इसके अतिरिक्त नर्स कम्पाउंडर, सामाजिक कार्यकर्ता तथा परामर्शदाता और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सभी के सामूहिक प्रयासों से संस्था नशामुक्ति के प्रयासों के लिए लम्बे समय से प्रयासरत है ।

12.3.8 जगदीश प्रसाद विश्नोई, बीकानेर

भारत पाकिस्तान के बार्डर पर खाजूवाला के निकट दंतौर में श्री जगदीश प्रसाद विश्नोई भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 1999 से सहायता प्राप्त कर नशा मुक्ति संस्थान चला रहे है । दंतौर के अतिरिक्त आपका एक नशा मुक्ति केन्द्र जैसलमेर में भी है ।

विश्नोई सम्प्रदाय का होने के कारण गुरू जाम्भोजी आपके आदर्श रहे है । जिन्होनें नशे का सदैव विरोध किया । आपके पिता श्री भंवर लाल जी विश्नोई सम्प्रदाय के लोगों ने नशा मुक्ति संस्था प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि नशे के विरूद्ध केवल प्रचार प्रसार से इस समस्या से समाज को मुक्ति नही दिलायी जा सकती है । अत: 1999 से नशा मुक्ति के विरुद्ध ये संस्था स्थाई रूप से कार्य कर रही है, जिसमें 15 शैयाओं की व्यवस्था है । नशे के आदी व्यक्ति को लगभग 20-25 दिन तक रखकर उसका उपचार किया जाता है ।

दंतौर नशा मुक्ति संस्थान में लगभग 10-11 लोग अपनी सेवायें प्रदान करते है, जिनका मुख्य कार्य नशा मुक्ति हेतु आने वाले व्यक्ति को उचित परामर्श देना है तथा अस्पताल में भर्ती लोगों का

मनोबल ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है । यह केन्द्र बउनी व्यक्ति के उपचार हेतु उचित दबाइयों की सहायता भी लेता है लेकिन अत्यधिक गंभीर अवस्था होने पर निकट के स्वास्थ्य केन्द्र की सेवायें भी ली जाती है । इस प्रकार दंतौर में श्री विश्नोई के द्वारा अफीम, डोडा, पोस्त, शराब और इंजेक्शन आदि किसी भी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को नशा मुक्त करने हेतु निःशुल्क उपचार किया जाता है ।

12.3.9 आदर्श नशा मुक्ति संस्था बीकानेर

आदर्श नशा मुक्ति संस्था बीकानेर में श्री टी.आर.भारद्वाज भी ब्राउन शुगर, अफीम, हेरोइन, शराब आदि का नशा छुड़ाने का कार्य करते है । आपके द्वारा 30 शैयाओं का एक अस्पताल 1992 से बनाया गया है जिसमें नशा मुक्ति हेतु निःशुल्क परामर्श दी जाती है तथा नशामुक्ति हेतु आने वाले व्यसनी लोगों को भर्ती कर उनका उपचार किया जाता है ।

12.3.10 राजकीय चिकित्सालय, अजमेर

राजस्थान में नशा मुक्ति के सरकारी प्रयासों में कार्यरत संस्थाओं में राजकीय चिकित्सालय अजमेर का महत्वपूर्ण स्थान है । जहाँ विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थो का सेवन करने वाले व्यक्ति नशा छोड़ने हेतु आते हैं । इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अजमेर के पास ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुष्कर है जहॉ मदिरा, क्रैक, हेरोइन जैसे विभिन्न नशीले पदार्थों का सेवन प्रचुर मात्रा में किया जाता हैं । इसी प्रकार से अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह भी चिर-परिचित पर्यटन स्थल हैं । धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण देशी-विदेशी लोगों का आगमन यहॉ अत्यधिक होता है अत: अवैध रूप से नशीले पदार्थो का व्यापार करने वाले लोग भी इन स्थानों पर चोरी-छुपे नशीले पदार्थो को बेचने का कार्य करते हैं । अत: राजस्थान में तुलनात्मक रूप से पुष्कर नशीले पदार्थो के सेवन का केन्द्र बन गया है । इस कारण नशा मुक्ति हेतु कार्यरत चिकित्सालय का दायित्व भी अत्यधिक बढ़ जाता हैं । चिकित्सालय में डॉ. आनन्द माधुर अधीक्षक के रूप में नशा मुक्ति के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं । इस चिकित्सालय में 1997 में केन्द्र सरकार की सहायता से नशा मुक्ति वार्ड में 10 शैययाओं की व्यवस्था की गई । जहॉ मरीजों को निशुल्क भर्ती रखकर उपचार किया जाता है तथा बी.पी.एल. परिवारों के व्यसनी व्यक्ति के उपचार हेतु दवाओं की व्यवस्था निःशुल्क रूप से चिकित्सालय द्वारा की जाती हैं । उपचार का तरीका और दवाओं की मात्रा व्यसनी के रोग और नशीले पदार्थों के सेवन को बंद करने पर उत्पन्न होने वाले प्रत्यागमन लक्षणों पर निर्भर करती है, उसी आधार पर व्यसनी को चिकित्सालय में भर्ती भी रखा जाता है ।

डॉ. आनन्द माथुर अपने वार्ड के सहायक कर्मचारियों के साथ मिलकर पूर्ण समर्पण से नशा मुक्ति की दिशा में प्रयासरत हैं । आपके द्वारा समय- समय पर विभिन्न एन.जी.ओ. की सहायता से नशा मुक्ति हेतु केम्प मी लगाये जाते हैं लेकिन आपके अनुसार नेत्र चिकित्सा शिविर हेतु जितनी देशी और विदेशी सहायता इन एन.जी.ओ. को प्राप्त होती है उनकी तुलना में नशा मुक्ति के लिए नही 'के बराबर सहायता मिलती हैं । अत: शिविर लगाने में व्यक्तिगत परिचय ही सहायक सिद्ध होता हैं।

वास्तव में जिस प्रकार से समाज में नशे की समस्या गहरी होती जा रही है उसकी तुलना में यह प्रयास काफी कम हैं । समाज को इससे मुक्ति दिलाने हेतु लोगों में पूर्ण जागरूकता और नशा छोड़ने के लिए दृढ़-संकल्प करवाना आवश्यक हैं, अधिक प्रेरित व्यक्ति ही पूर्ण रूप से नशे से मुक्त

हो सकते हैं । नशा मुक्त करने हेतु व्यसनी व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती कर सर्वप्रथम नशीले पदार्थ के सेवन को पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है तत्पश्चात प्रत्यागमन लक्षणों के आधार पर व्यसनी का उपचार प्रारंभ किया जाता है । नर्सिंग स्टॉक तथा परिवार के सदस्यों की सहायता के द्वारा व्यसनी व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती रखते हुए विभिन्न औषधियों की सहायता से नशे से विमुख करने का प्रयास किया जाता हैं तथा नशा मुक्त होने पर परिवार के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि व्यसनी व्यक्ति को उन परिस्थितियों से दूर रखे जिनके संपर्क से व्यक्ति दुबारा नशे की ओर अग्रसर न हों ।

12.4 नशा मुक्ति हेतु प्रयासरत व्यक्ति एवं संस्थाओं के सुझाव

नशा मुक्ति हेतु कार्यरत व्यक्ति और संस्थाओं का मानना है कि सचिव पुस्तकों का छात्रों और युवाओं के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पडता हैं । अत: नशा मुक्ति के अभियान को सफल बनाने हेतु फिल्म, पोस्टर, कठपुतली के नाच, नाटकों के मंचन एवं कहानियों की सहायता ली जानी चाहियें । विद्यार्थियों में डायरी लेखन की आदत को विकसित कर इन सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता हैं । आज के परिवेश में नशे की आदत को रोकने हेतु विद्यालयों में स्वच्छ पतन-पाठन का माहौल तैयार किया जाना चाहिए । बालकों को नशे के विरुद्ध जागरूक करने हेतु नशे से होने वाले रोगों का ज्ञान कराना भी आवश्यक हैं । चिकित्सकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे से होने वाले रोगों की जानकारी सचित्र पुस्तकों, स्लाइट-शो एवं फिल्म दिखाकर, स्लोगन प्रतियोगिताओं, पोस्टर प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से की जानी चाहिए । इसके लिए विद्यालयों को सर्वप्रथम आधार बनाया जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी ही देश के भावी निर्माता हैं ।

इसी दिशा में जयपुर शहर के राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष श्री सवाई सिंह जी मी शराब बंदी की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं । आपने यह कार्य राजस्थान के वयोवृद्ध नेता श्री गोकुल भाई भट्ट के निर्देशन में प्रारंभ किया । आपके द्वारा प्रभात फेरियों आमसभाओं तथा तहसीलों पर प्रदर्शन एवं ज्ञापन के रूप में शराब बंदी के विरूद्ध आंदोलन प्रारंभ किया गया । शराब निर्माणशालाओं पर सत्याग्रह कई स्थानों पर महिलाओं के नेतृत्व में भी किया गया । जिसमें जोधपुर, अजमेर और भरतपुर आदि सम्मिलित हैं । 1968 में प्रारंभ हुए शराब बंदी के इस सत्याग्रह की धूम पूरे देश पर में मची । श्री सवाई सिंह जी के अनुसार वैचारिक प्रशिक्षण, चेतना, आंदोलन, सत्याग्रही तथा समाज सेवी कार्य कर्ताओं को प्रशिक्षित कर शराब बंदी की दिशा में कार्य किया जा सकता हैं ।

अंत में कहा जा सकता है कि नशा मुक्ति का प्रयास एक सामूहिक प्रयास हैं । जिसमें सर्वप्रमुख व्यसनी व्यक्ति में नशा छोड़ने की दृढ़-इच्छाशक्ति होनी चाहिए । व्यसनी व्यक्ति के उच्च मनोबल परिवार के सौहार्द्रपूर्ण वातावरण, परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों एवं समाजसेवियों तथा नशा मुक्ति केन्द्रों के सामूहिक प्रयासों से यह कठिन कार्य भी संभव हैं ।

12.4 सारांश :-

नशे की कुप्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान के विभिन्न शहरों में कई सरकारी,गैर-सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाएँ नशा मुक्ति हेतु प्रयासरत है ।

सरकारी स्तर पर राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में नशा मुक्ति वार्ड की स्थापना की गई हैं । जहाँ चिकित्सक और मनोचिकित्सक की देखरेख में व्यसनी को नशा मुक्त करने का प्रयास किया

जाता हैं । नशा मुक्त करने में इन विभिन्न संस्थओं के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की महिला सदस्यों की होती हैं क्योंकि सर्वाधिक कष्ट तथा आर्थिक अभाव व बच्चों के पालन पोषण की समस्याओं का सामना भी महिलाओं को ही करना होता हैं । इस रूप में माता, पत्नी, बहिन की भूमिका व्यसनी व्यक्ति को नशा मुक्त करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है ।

वर्तमान समय में संयुक्त परिवार का विघटन और विज्ञापन नशे की आदत को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण कारण माने जा सकते हैं । नशे की आदत विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण भी हैं ।

आज विश्वभर में नशा एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है । अत: नशा मुक्ति दिवस, विश्व तम्बाकू मुक्ति दिवस आदि के अवसर पर समाज सेवी संस्थाओं तथा नशा मुक्ति की दिशा में प्रयासरत व्यक्तियों के द्वारा गोष्ठियॉ, नुक्कड़ नाटक एवं परामर्श केम्प लगायें जाते हैं ।

हिंन्दी साहित्य में भी व्यंगात्मक कविता एवं लेखों के द्वारा साहित्यकार नशे जैसी समस्या तथा सामाजिक कुरीति के विरूद्ध अपने विचार प्रकट कर लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे नशा मुक्ति हेतु विभिन्न संस्थाओं एवं चिकित्सालयों में आने वाले वे व्यक्ति ही पूर्ण रूप से नशा छोड़ सकते हैं जिनकी इच्छा-शक्ति दृढ़ हो तथा मजरत इरादा हों ।

आज राजस्थान के विभिन्न शहरों उदयपुर, जालौर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर आदि विभिन्न शहरों में राजकीय चिकित्सालय एवं कई व्यक्ति व संस्थाएँ नशा मुक्ति के विरुद्ध अभियान चलाए हुए हैं जिसमें नशा मुक्ति की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को दवाओं, योगा, थायाम एवं दृढ़ संकल्प से नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाता है|

12.6 बोध प्रश्न

प्र.1 नशा मुक्ति के प्रयासों में परिवार कि महिला के योगदान को स्पष्ट कीजिए?

प्र.2 वर्तमान में किस -किस प्रकार के नशीले पदार्थ का प्रचलन बढ़ने लगा हैं और इसके क्या कारण हैं?

प्र.3 भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यसनियों के उपचारों हेतु कौन -कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं?

प्र.4 तम्बाकू का अत्याधिक सेवन किस प्रकार के रोग को आमंत्रित करता हैं?

प्र.5 राजस्थान मे अफीम का सेवन क्यों किया जाता हैं?

प्र. नशा मुक्ति हेतु डॉ । जैन क्या सुझाव देते हैं?

प्र.7 डॉ. अग्रवाल को नशा मुक्ति हेतु कार्य करने कि प्रेरणा कैसे मिली?

प्र.8 तम्बाकू को समाजशास्त्र द्रव्यों के दुरुपयोग में किस श्रेणी में रखा गया है?

प्र.9 निकोटीन के सेवन से नाड़ी मण्डल पर क्या प्रभाव पडता है?

प्र.10 राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर किस नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगा दी हैं?

प्र.11 पान मसाले और तंबाकू के सेवन से कौन सा रोग होता है तथा उसके पूर्व संकेत क्या है?

प्र.12 महिलाओं द्वारा मुख्य रुप से तम्बाकू का प्रयोग किस रुप में किया जाता है?

प्र.13 नशा विमुक्त हुए किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दीजिए जो राजस्थान में नशा मुक्ति केंद्र चलाता हो और उसे इसकी प्रेरणा कहां से मिली?

प्र.14 नशा छोड़ते समय व्यसनी में कौन-कौनसे लक्षण दिखाई देते है?

प्र.15 नशा मुक्ति हेतु कार्यरत श्री राम गोटेवाला की संस्था किन तीन स्तरों पर परामर्श देती है और कैसे?

प्र.16 राजस्थान में कार्यरत व्यक्ति और संस्थाऐं नशा मुक्ति हेतु कौन से प्रमुख सुझाव देती हैं ?

12.7 शब्दाबली

1. डीएडिक्शन –
2. मेडिटेशन – ध्यान करना (Meditation)
3. मोटिवेशन – उत्साहवर्धन करना (Motivation)
4. निकोटीन – तंबाकू से निकला जहरीला तरल पदार्थ (Nicotin)
5. सबम्यूकस फाइब्रोसिस – एक प्रकार का मुँह का कैंसर

इकाई 13

नशामुक्ति पर महात्मा गांधी, विभिन्न विद्वानों एवं सन्तों के विचार

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 नशामुक्ति पर महात्मा गांधी के विचार

13.2.1 शराब एवं अन्य मादक पदार्थो का विरोध

13.2.2 व्यसन शरीर एवं आत्मा के विनाशक

13.2.3 व्यसन और विवेकहीनता

13.2.4 मनौवैज्ञानिक आधार पर मादक पदार्थो का समर्थन काल्पनिक

13.2.5 पूर्ण नशाबन्दी की योजना

13.2.6 आय के आधार पर पूर्ण शराबबन्दी के तर्क निराधार

13.2.7 नशाबन्दी के लिये आन्दोलन एवं नैतिक जागरण

13.3 नशामुक्ति पर विभिन्न विद्वानों के विचार

13.3.1 विनोबा भावे

13.3.2 गोकुल भाई भट्ट

13.3.3 गोविन्द गुरू

13.4 नशामुक्ति पर विभिन्न सन्तों के विचार

13.4.1 हजरत मुहम्मद, गुरूनानक, सन्त कबीर, दलाई लामां ।

13.4.2 गुरु जाम्भेश्वर

13.5 सारांश

13.6 बोध प्रश्न

13.7 दर्भ ग्रन्थ

13.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप.

- नशाबन्दी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों को जान पाएंगे । मादक पदार्थो के दुष्प्रमावों गांधीजी के विचारों एवं नशाबन्दी सम्बन्धी उनकी रूपरेखा को जान पाएंगे ।
- नशाबन्दी के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के विचारों को जान पाएंगे ।
- राजस्थान में नशाबन्दी आन्दोलन के जनक गोकुलमाई भट्ट एवं भील जनजाति आन्दोलन के नेता गोविन्द गुरू के विचारों एवं पूर्ण शराबबन्दी के सन्दर्भ में उनकी सोच को जान पाएंगे।

- नशाबन्दी के सम्बन्ध में सन्तों हजरत मुहम्मद, गुरुनानक देव, सन्त कबीर एवं राजस्थान में विश्नोई सम्प्रदाय के संस्थापक गुरु जम्मेश्वर के विचारों को जान पाऐंगे ।

13.1 प्रस्तावना

नशा मानव जाति एवं समाज के लिए न केवल घातक एवं अनिष्टकारी है, अपितु एक अभिशाप भी है । इस सामाजिक एवं वैयक्तिक व्याधि को दूर करने के लिए नशाबन्दी एक महत्वपूर्ण उपाय है । नशाबन्दी कोई आज की आवश्यकता नहीं है । इस पर सदैव ही विचार किया गया है । प्राचीनकाल में तो इस पर केवल सांकेतिक रूप से विचार हुआ । किन्तु आधुनिक काल में नशाबन्दी को अपरिहार्य मानते हुए इसके लिए नियोजित रणनीति भी बनायी गयी ।

नशाबन्दी के लिए महात्मा गांधी एवं विविध विचारको, सन्तों ने अपने विचार प्रकट करते हुए इसकी दुष्प्रवृतियों को रेखांकित किया है । सम्पूर्ण समाज को विकलांग और विकृत बनाने बाली इस दुष्प्रवृत्ति के निराकरण के लिए विचारकों, विद्वानों एवं सन्तों ने नशाबन्दी के सम्बन्ध में अपना मत दर्शन, रूपरेखा एवं रणनीति प्रकट की है ।

नशाबन्दी को व्यवहारिक एवं प्रभावी बनाने के लिए इन विचारको एवं सन्तों के नशाबन्दी सम्बन्धी विचार जानना आवश्यक है । मादक दव्यों के व्यसन की दुष्प्रवृतियों एवं नशाबन्दी के सम्बन्ध में इन विभूतयों के दर्शन एवं अभियानों से नयी पीढ़ी के लोगों के समक्ष नशाबन्दी की आवश्यकता एवं इन व्यसनों के विनाश को चुनौती स्पष्ट हो पाएगी ।

13.2 नशामुक्ति पर महात्मा गांधी के विचार

'जो राष्ट्र शराब की आदत का शिकार है, कहना चाहिए कि उसके सामने विनाश मुंह बाये खड़ा है । इतिहास में इस बात के कितने ही प्रमाण हैं कि इस बुराई के कारण कई साम्राज्य मिट्टी में मिल गये । '

जिस व्यक्ति ने यह उद्‌गार व्यक्त किए वे महात्मा गांधी थे । मानव जीवन की पूर्णता और समाज की विवेकशीलता में विश्वास करने वाले गांधीजी के विचारों, देश की स्वतन्त्रता के लिए संचालित जनान्दोलनों एवं सुधार की योजनाओं में एकीकरण एवं सोद्देश्यता की झलक दिखायी देती है । उनमें कथनी और करनी में कोई अन्तर नजर नहीं आता । उद्देश्य एवं निष्पादन की बुनियादी एकता उनके मादक द्रव्यों के हानिकारक प्रभावों नशाबन्दी सम्बन्धी विचारों में भी परिलक्षित होती है ।

मानवीय कल्याण व्यक्ति जीवन के गौरव एवं सक्रिय स्वस्थ समाज की उन्नति एवं सादा जीवन के अपने आदर्श के अनुरूप गांधीजी चाहते थे कि भारत मादक पेयों और नशीली दवाइयों के इस्तेमाल से मुक्त रहे । अत: उनके रचनात्मक कार्यो की कार्यसूची में मद्‌यनिषेध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया ।

यह कार्यसूची कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा थी ।

मादक पदार्थो के दुष्प्रभावों की समस्या एवं नशाबन्दी के मुद्दों पर उन्होंने मानवतावादी धरातल पर विचार किया है एवं एक सुधारक के रूप में इसकी ठोस कार्ययोजना भी दी है ।

13.2.1 शराब एवं अन्य मादक पदार्थो का विरोध

महात्मा गाँधी ने शराब एवं अन्य मादक पदार्थो का कड़ा विरोध किया है । अपने राजनीतिक जीवन के अभ्युदय काल से वे निरन्तर अपने लेखों भाषणों एवं संवादों के माध्यम से इन दुर्व्यसनों को व्यक्ति, समाज एवं देश के पतन का कारण मानते रहे ।

मानव के नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक इन पदार्थो शराब, ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, काफी, कोको, अफीम की अनुपयोगिता एवं हानिकारक प्रभावों को उन्होंने यंग इण्डिया, हरिजन एवं नवजीवन के विविध लेखों में रेखांकित किया है । अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में महात्मा गांधी ने लिखा है कि "मैं शराब एवं अन्य मादक पदार्थो को शैतान का आविष्कार मानता हूं और इनका विरोध करता हूं । शराब की लत दुःख है और दुःख से कहीं अधिक यह बीमारी है। शराब चोरी और व्यभिचार से अधिक निन्दनीय है । बल्कि इन दोनों व्याधियों को मद्यपान ही जन्म देता है । निश्चित मात्रा में शराब पीने की दलील का मैं समर्थन नहीं करता । "

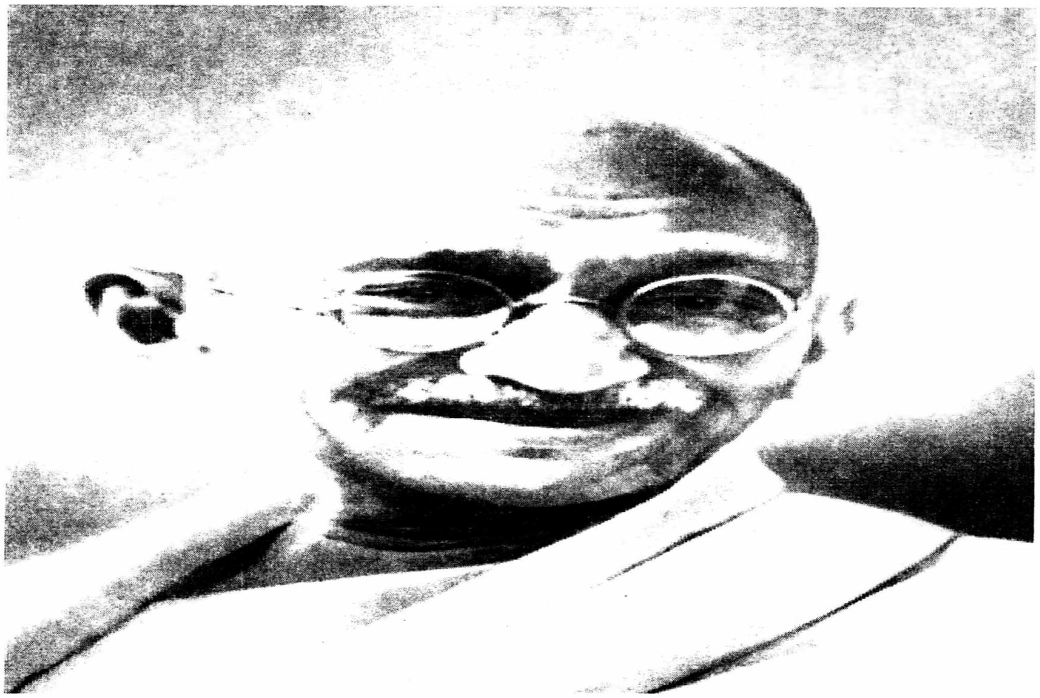

> ''मैं शराब को चोरी और व्याभिचार दोनों से ज्यादा निन्द्य मानता हूं क्या वह अक्सर इन दोनों बुराइयों की जननी नहीं होगी?''
>
> महात्मा गांधी

शराब के साथ ही गांधीजी ने किसी भी उत्तेजित करने वाले पदार्थ जैसे - ताड़ी, गुटका, तम्बाकू बीड़ी, सिगरेट एवं चाय-कॉफी का विरोध किया है । उन्होंने कहा है कि ' मांसाहार और शराब दोनों के बारे में उत्तम नियम तो यह है कि हमें खाने-पीने और आमोद-प्रमोद के लिए नहीं जीना चाहिए बल्कि इसलिए खाना और पीना चाहिए कि हमारे शरीर ईश्वर के मन्दिर बन जायें और हम उनका उपयोग मनुष्य की सेवा में कर सकें । '

गांधीजी ने यंग इण्डिया के एक लेख (12.1.1921) में लिखा है कि "शराब की तरह बीड़ी और सिगरेट के लिए भी मेरे मन में गहरा तिरस्कार है । यह शराब से भी बुरी सिद्ध होती है, क्योंकि इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रीति से होता है । यह आदत आदमी को लग जाए तो उससे पिण्ड छुड़ाना कठिन होता है । इसके सिवा यह खर्चीली भी है । मुंह को दुर्गन्धयुक्त बनाती है, दांतों का रंग बिगाड़ती है और कमी कभार कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म देती है । मैं तो इतना ही कहूं गा जो लोग इसे छोड़ सकते हैं इसे छोड़कर दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें । '

बीड़ी और सिगरेट को हमेशा लगने वाली आदत, खर्चीली, मुंह को दुर्गन्धयुका बनाने वाली, दांतों का रंग बिगाडने वाली एवं कैंसर जैसी बीमारियों को न्यौता देने वाली माना है । तम्बाकू के सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है कि 'तम्बाकू ने तो गजब ही किया है इसके पन्जे से भाग्य से ही कोई छूटता है इसे लोग पीते ही नहीं सूंघते और जर्दे के रूप में खाते भी हैं । हिन्दुस्तान में हम लोग तम्बाकू केवल पीते ही नहीं सूंघते भी हैं और जरदे के रूप में खाते भी हैं । "

चाय, कॉफी टेनिन और कोको को गांधीजी ने भी शरीर के लिए हानिकारक माना हैं । उन्होंने लिखा है' ' पारसीयों ने ताड़ी का समर्थन करते हु ए इसे मादकता के साथ खुराक देने वाला बताया है लेकिन मैनें इस दलील पर विचार करते हु ए गरीबों की दुर्दशा देखी है, वे कहते हैं ताड़ी में मादकता तो है मगर ताड़ी एक खुराक है और दूसरी खुराक को हजम करने में मदद पहु ंचाती है । तड़ी पीने से गरीबों की दुर्दशा से मैं इस निष्कर्ष पर पहु ंचा हूं कि तड़ी को मनुष्य की खुराक में स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।" अफीम से मनुष्य को सुस्त एवं आलसी होने के कारण गांधी जी ने इसका विरोध किया है ।

13.2.2 व्यसन शरीर एवं आत्मा के विनाशक

महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के अभ्युदय काल से लेकर अन्तिम चरण तक सभी प्रकार के दुर्व्यसनों का विरोध किया है तथा इसे कुटेव ही नहीं बल्कि ऐसी व्याधि माना है जो शरीर और आत्मा का विनाश कर देती हे ।

यंग इण्डिया में लिखें अपने लेख (3-3-28) में गांधी जी ने लिखा है "शराब और अन्य मादक द्रव्यों से होने वाली हानि कई अंशों में मलेरिया आदि बीमारियों से होने वाली हानि की अपेक्षा असंख्य गुनी अधिक है । इसका कारण यह है कि इन बीमारियों से तो केवल शरीर को हानि पहु ंचाती है जब कि शराब आदि से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है। " शराब के सन्दर्भ में उनकी मान्यता है कि "शराब शारीरिक रोगों को जन्म देती है । एक विकार से दूसरे विकार का जन्म होता है और धीरे धीरे शरीर खोखला और असमर्थ हो जाता है । शरीर बीमारियों के कटघरे में असमर्थ रोगी की

तरह खड़ा रहता है और फिर उसकी अपंगता शराब के कारण निरीह या असहाय अवस्था का प्रतीक बन जाती है । शराब की लत कुटेव तो है ही लेकिन कुटेव से ज्यादा एक बीमारी है । मैं ऐसे बीसीयों आदमियों को जानता हूं जो यदि चाहें तो शराब पीना बडी खुशी से छोड़ दें । लेकिन यह एक ऐसीव्याधि है जिसके सामने व्यक्ति लाचार है । मैंने शराब पीने की आदत के चलते व्यक्ति को शराब की चोरी करते हुए पाया है । हमें इस व्यसन की आदत को अपना चुके व्यक्तियों को अपने से अर्थात अपनी इच्छाओं से लड़ने में हमें मदद करनी चाहिए ।

13.2.3 व्यसन और विवेकहीनता

गांधीजी ने सभी प्रकार के व्यसनी को घृणित एवं त्याज्य माना है । दक्षिण अफ्रीका में गिरमिट (अर्ध गुलामी) में काम करने वाले हिन्दुस्तानियों में बहुत से शराब पीने के आदि होते थे । वहां के कानून के अनुसार हिन्दुस्तानी लोग शराब अपने घर नहीं ले जा सकते थे । जितनी शराब पीनी है शराब की दुकान पर बैठकर पीये । वहां गुलाम भारतीयों की शराब की बुरी लत के दुःखद अनुभव से गांधीजी ने मादक द्रव्यों की बुराइयों के प्रति देशवासियों को आगाह किया है।

उन्होंने हरिजन के एक लेख (1.3.19) में लिखा है कि शराब की आदत मनुष्य की आता का नाश कर देती है । और उसे धीरे-धीरे पशु बना डालती है जो पत्नी, मां और बहन में भेद करना मूल जाता है ।

महात्मा गांधी की दृष्टि में शराब जैसे मादक द्रव्य उत्तेजना पहुंचाने का बहाना लेकर मनुष्य का नैतिक पतन करते हैं जिससे वह सदाचरण की मर्यादाएं भूल जाता है । गांधीजी के अनुसार "भविष्य का मैदान उन्हीं जातियों के हाथ में है जो सदाचारिणी हैं । "

13.2.4 मनौवैज्ञानिक आधार पर मादक पदार्थो का समर्थन काल्पनिक

मनोवैज्ञानिक आधार पर महात्मा गांधी मादक पदार्थो के समर्थन को सिरे से नकारते हैं । शराब पीने वालों द्वारा शराब के पक्ष में दिये गये मानसिक शक्ति के तर्क अथवा ताड़ी पीने वालों द्वारा ताड़ी के पक्ष में खुराक को हजम करने की दलील या चाय, काफी से चेतन एवं स्फूर्ति के तर्कों को गांधीजी अस्वीकार करते हैं । उन्होंने हरिजन के एक लेख (189.1937) में लिखा है, 'मानसिक परेशानियों और शारीरिक थकान को दूर करने का बहाना लेकर पीने वाले यह भूल जाते हैं कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो समान परिश्रम करते हैं, किन्तु कभी भी इस पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं । मानसिक अपरिपक्वता "मैं भारत का निर्धन होना पसन्द करूगा, लेकिन मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो । " महात्मा गांधी के कारण शराब शुरू की जाती है तथा शराब उसे अधिक मानसिक अपरिपक्वता प्रदान करती है । यह एक वृताकार चक्र है । " उन्होंने चाय, कॉफी, ताड़ी, तम्बाकू को मनुष्य को स्फूर्ति देने बाला तत्व नहीं माना है । मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए इन वस्तुओं को घातक मानते हुए उन्होंने इन वस्तुओं का गुलाम होने के स्थान पर ताजगी देने वाले निर्दोष पेय, स्वाभाविक खुराक, निद्रा और मनुष्योचित मनोरंजन के साधनों को महत्वपूर्ण माना है ।

13.2.5 पूर्ण नशाबन्दी की योजना

गांधी जी के लिए नशाबन्दी का प्रश्न नीति और नैतिकता का प्रश्न है । उन्होंने शराब एवं अन्य मादक पदार्थो के केवल हानिकारक प्रभाव ही रेखांकित नहीं किए हैं अपितु पूर्ण शराबबन्दी को अपरिहार्य माना है ।

यंग इण्डिया में अपने लेख (16.4.1925) में उन्होंने लिखा है, ' 'शराब के प्रश्न के साथ खिलबाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कोई नरम और आसान नीति इस भयंकर बुराई का सामना नहीं कर सकेगी। पूर्ण शराबबन्दी ही लोगों को इस अभिशाप से बचा सकेगी । "

अपने जीवन में कभी किसी पद या सत्ता प्राप्ति के प्रति विरक्त रहने वाले महात्मा गांधी की शराब बंदी के प्रति आकांक्षा यंग इण्डिया (25.6.1931) के प्रकाशित लेख मे इस कथन में अभिव्यक्त हो जाती है कि "यदि मुझे एक घण्टे के लिए भारत का डिक्टेटर बना दिया जाये तो मैं सबसे पहले तमाम शराब खाने प्रतिफल दिये बिना बन्द करा दूंगा । ' शराब के उत्पादन को बलपूर्वक रोकने के पक्ष में भी वे अपना समर्थन इस आधार पर देते हैं जिससे एक अवांछित बुराई का अन्त हो सके । उन्होंने लिखा है कि 'जो लोग विनाशक शराब बनाते हैं और जो बार-बार चेतावनी देने पर भी उसका व्यसन नहीं छोड़ते उन्हें बिना लम्बी चौड़ी कार्यवाही किये तड़ातड़ सजायें दी जाये। मैं अपने बच्चों को आग या गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए कोई संकोच नहीं करता ।

13.2.6 आय के आधार पर पूर्ण शराबबन्दी के तर्क निराधार

"भविष्य का मैदान उन्हीं जातियों के हाथ में है जो सदाचारणीय है ।"

महात्मा गांधी

"यदि मुझे एक घण्टे के लिए भारत का
डिक्टेटर (तानाशाह) बना दिया जाय तो
मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की
दुकानों को बिना मुआवजा दिये बन्द करा

दिया जाय ।"'

महात्मा गांधी

शराबबन्दी के मुद्दे पर सरकार की आय की कमी के तर्क एवं अवैध शराब निर्माण के प्रश्नों से पूर्ण शराबबन्दी को निरर्थक मानने के तर्को का महात्मा गांधी ने विरोध किया है ।

उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि 'मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को यह सन्देह है कि शराब की पूरी बन्दी कैसे होगी? उनका खयाल है कि उनके लिए आय के लोभ को रोकना बड़ा कठिन होगा । उनकी दलील यह है कि नशेबाज लोग तो किसी भी प्रकार से शराब या मादक वस्तुएं प्राप्त कर ही लेंगे और जब मंत्री लोग देखेंगे कि इस बंदी का अर्थ तो केवल सरकारी आय की कुर्बानी ही है, इससे मादक वस्तुओं की खपत में, भले ही वह गैर कानूनी हो, कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है- तो वे फिर पाप की कमाई करने के मोह में फंस जायेंगे और वह हालत आज से भी बुरी होगी । "

गांधीजी ने शराबबन्दी से आय की कमी को एक निरर्थक बहाना माना । उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार की आय में कमी के तर्क एवं अवैध शराब निर्माण के प्रश्नों से पूर्ण शराबबन्दी को निरर्थक मानने के तर्को का महात्मा गांधी ने विरोध किया है । उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार अभिवक्त करते हुए कहा है कि "मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को यह सन्देह है कि शराब की पूरी बन्दी कैसे होगी उनका खयाल है कि उनके लिए आय के लोभ को रोकना बड़ा कठिन होगा । उनकी दलील यह है कि नशेबाज लोग तो किसी भी प्रकार से शराब या मादक वस्तुएं प्राप्त कर ही लेंगे और जब मंत्री लोग देखेंगे कि इस बंदी का अर्थ तो केवल सरकारी आय की कुर्बानी ही है, इससे मादक वस्तुओं की खपत में, भले ही वह गैर कानूनी हो, कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है तो वे फिर पाप की कमाई करने के मोह में फंस जायेंगे और वह हालत आज से भी बुरी होगी । "

गांधीजी ने शराबबन्दी से आय में कमी को एक निरर्थक बहाना माना । उन्होंने शराबबन्दी से घटने वाली आय की भूति के लिए स्वावलम्बी शिक्षा पद्धति को अपनाने तथा सेना पर होने वाले व्यय में कटौती की सलाह दी ।

1937 में शासन संभालने वाली कांग्रेसी सरकारों ने जब आय की कमी का तर्क देकर पूर्ण मद्य निषेध को लाग करने में असमर्थता वक्त की तब महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक (24.9.1938) के अपने लेख में लिखा 'शराब से होने वाली आय का घाटा, जो कुछ प्रान्तों में आय का एक तिहाई हिस्सा है, किस प्रकार पूरा किया जाए? मैंने तो बगैर किसी हिचकिचाहट के यह सुझाया है कि हम शिक्षा पर किये जाने वाले खर्च में कमी कर दें, क्योंकि अक्सर इसकी पूर्ति आबकारी की आय से ही की जाती है । मैं अब भी यह कहता हूं कि शिक्षा स्वावलम्बी हो सकती है, तो भी वह एक दिन में नहीं हो जायेगी । मौजूदा भार और जिम्मेदारियों को तो निबाहना ही होगा । इसलिए आय के नये साधन ढूंढने होंगे । बीड़ी, तम्बाकू (जिसमें सीगरेट भी शामिल है) आदि पर कर लगाने की बातें कुछ लोगों ने सुझाई है अगर यह तत्काल असम्भव हो तो फिलहाल खर्च की पूर्ति के लिए थोड़ी मियाद वाले कर्ज निकाले जा सकते हैं । पर अगर यह भी सम्भव न हो, तो केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की जा सकती है कि वह अपने फौजी खर्च में कमी करके उस बचत में से हर प्राप्त को उसके अनुपात में सहायता दे और केन्द्रीय सरकार इस प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं कर सकेगी, खास तौर पर जब प्रान्तीय

सरकारें यह सिद्ध कर देंगी कि कम से कम उनकी आन्तरिक सुरक्षा और शांति के लिए उन्हें फौज की जरूरत नहीं है । मंत्री लोग शराबबंदी का कार्यक्रम पूरे बनियेपन की भावना से बना रहे हैं । उससे होने वाले घाटे का उन्हें ध्यान रहता है । मुझे आश्चर्य होता है कि अगर सभी शराबी और अफीमची एकाएक शराब और अफीम का परित्याग कर दें, तो मंत्री क्या करेंगे? शायद यह उत्तर दिया जाए कि उस हालत में कुछ न कुछ प्रबंध तो वे करेंगे ही? लेकिन स्वेच्छापूर्वक वे ऐसा क्यों नहीं कर डालते? अच्छाई तो निस्सन्देह किसी काम को स्वेच्छापूर्वक करने में ही है, मजबूर होकर करने में नहीं । यह याद रखना चाहिए कि भूकम्प के कारण प्राप्त की सालाना आमदनी से अधिक नुकसान हो जाने पर भी बिहार सरकार का काम ठप नहीं हो गया था । और जब अकालों और बाढ़ों से लोगों की तबाही और बरबादी होने के कारण सरकारी आमदनी में कमी पड़ती है, तब हिंदुस्तान भर की सरकारें क्या करती हैं? मैं तो यह मानता हूं कि कांग्रेसी सरकारें आय के खातिर शराबबंदी के काम में देरी करके अपनी प्रतिज्ञा को शब्दों में चाहे भंग न कर रही हो, परन्तु उसकी भावना को जरूर भंग कर रही हैं । नये कर, लगाकर वे आय प्राप्त कर सकती हैं और इसके लिए उन्हें ईमानदारी के साथ कोशिश भी करनी चाहिए । शराबखोरी शहरों में ज्यादा है, अत: इन क्षेत्रों में वे नये कर लगा सकती हैं । "

1937 में प्रान्तों में शासनरूढ़ कांग्रेसी सरकारों के मन्त्रियों को उन्होंने सन्देश दिया कि मन्त्रियों का शराबबन्दी से सम्बन्धित कर्त्तव्य स्पष्ट है । उन्हें अपने कार्यक्रम पर अबाधित रूप से अमल करते चले जाना चाहिए बशर्ते कि उसमें श्रद्धा हो।

13.2.7 नशाबन्दी के लिए आन्दोलन एवं नैतिक जागरण

महात्मा गांधी के नशाबन्दी सम्बन्धी विचार मात्र उपदेशात्मक नहीं थे बल्कि उन्होंने मादक पदार्थों के विरोध के सम्बन्ध में अपनी सैद्धान्तिक एवं वैचारिक मान्यताओं को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रणीत जनान्दोलनों में मुख्य रूप से शामिल किया । 193० के सविनय अथवा आन्दोलन की 11 शर्तो में गांधी जी ने शीर्ष पर पूर्ण मद्यनिषेध को रखा था । नमक कानून तोड़ने से प्रारम्भ हुये इस आन्दोलन से गांधी जी के आह्वान पर जन-जन ने शराब की दुकानों पर धरने दिये। शराब की दुकान पर धरने के (पिकैटिंग) के कार्य में अनुशासित महिलाएं भी शामिल थी जो सरकारी दमन के बावजूद पीछे नहीं हटी । गांधीजी ने नशाबंदी के कार्य के लिए नैतिक जागरण एवं समाज की जाग्रति को आवश्यक मानते हुए अधिक कारगर माना । यंग इण्डिया (17.9.1928) में अपने लेख में लिखते हैं- "शराबबन्दी का काम मुख्यत: हमीं को करना होगा । सरकार इस विषय में अधिक से अधिक यह कर सकती है कि शराब के लाइसेन्स बन्द कर दे । परन्तु बह शराबी से उसका दुर्व्यसन शायद ही छुड़वा सकती है । इस बुराई को मिटाने में समाज ही स्थायी योगदान दे सकता है । स्त्रियां उदारतापूर्वक विद्यार्थी वर्ग सेवाभाव से तथा डॉक्टर चेतावानी के प्रदानकर्ता के रूप में यदि इस कार्य में संलग्न हो जायें तो यह कार्य सहज में ही सम्पन्न हो सकता है । '

13.3 नशाबन्दी पर विभिन्न विद्वानों के विचार

नशाबन्दी पर महात्मा गांधी के अतिरिक्त अन्य विचारकों ने भी अपना मन्तव्य स्पष्ट किया है । मद्यपान एवं अन्य नशीले पदार्थो को समाज की उन्नति में बाधक मानते हुए इन विचारकों ने इससे होने वाली हानियों को रेखांकित किया है । उल्लेखनीय है कि नशाबन्दी के सन्दर्भ में अपने विचार

प्रतिपादन से आगे बढ़कर पूर्ण नशाबन्दी के लिए जनता को जागरूक एवं संगठित भी किया है । ऐसे ही अनेक विचारकों में विनोबा भावे, गोकुल भाई भट्ट, गोविन्द गुरू आदि प्रमुख हैं ।

13.3.1 विनोबा भावे

नशाबन्दी के सम्बन्ध में विनोबा भावे ने भी रचनात्मक विचारों का प्रतिपादन किया है । 11 सितम्बर, 1895 को महाराष्ट्र में जन्मे 'विनायक' जिन्हें कालान्तर में 'विनोबा' नाम दिया गया था आजीवन अध्यवसायी, परिश्रमी एवं आध्यात्मिक वृति वाले व्यक्ति थे । एक सच्चे सत्याग्रही के रूप में विनोबा जी का जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है । गांधीजी के विचारों से प्रभावित विनोबा जी ने गांधीजी की मान्यताओं एवं आदर्शों को पूर्ण करने का दायित्व उठाया । विनोबा केवल गांधीजी के विचारों के प्रसारक मात्र नहीं थे वरन् उन्होंने मौलिक चिन्तक के रूप में भूदान एवं ग्राम दान के माध्यम से गांधी दर्शन को एक नयी दिशा दी । उनके मौलिक चिन्तन एवं दृढ़ आत्मिक शक्ति के कारण ही गांधीजी ने उनके सन्दर्भ में प्रशंसनीय टिप्पणी करते हुए व्यक्त किया कि "विनोबा उन बहुत से लोगों में से नहीं है जो आश्रम से आशीष पाने के लिए आते हैं बल्कि वह तो उसे उपकृत करने के लिए आये है । " विनोबा जी के मधनिषेध अथवा शराबबन्दी सम्बन्धी विचार निःसन्देह सर्वोदय की परिकल्पना से प्रभावित थे जिसमें मानव मन को दुबर्लताओं से उपर उठने का संदेश था। महात्मा गांधी ने सर्वोदय के जिस सिद्धान्त मार्ग की रचना की थी । आचार्य विनोवा भावे ने अपने साथी सहयोगियों के साथ इस सिद्धान्त की साकार व्याख्या की । सर्वोदय अर्थात सब लोगों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समाज रचना की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी । स्र्वोदय समाज सबके भले का,विश्व मे मैत्री का, वसुधैव कुदुम्बकम का मन्तव्य अभिव्यक्त करता है । सर्वोदय में हताश एवं निराश मानव सभ्यता के लिए उपचार उपलब्ध है । इसका प्रारम्भ विनोबा जी ने अन्त: शुद्धि अथवा चित्त की शुद्धि से किया है क्योंकि सर्वोदय प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक जागरूक की अनुभूति से ही पनपता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्तेय, अपीरगह आत्मसंयम, समभाव एवं स्वदेशी आदि गुण सर्वोदय की परिकल्पना के आन्तरिक आधार है । उनके नशाबन्दी सम्बन्धी विचार सर्वोदय के दर्शन पर ही आधृत है ।

मदिरापान को एक महापातक मानते हुए आचार्य विनोबा भावे ने दिसम्बर, 1975 में ब्रहम मन्दिर में आयोजित रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन में इससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण विचार रखे थे । उक्त सम्मेलन में जब विनोबा जी को याद दिलाया गया कि शराबबन्दी का मुद्दा रह गया है तो उन्होंने कहा कि 'मद्य निषेध बाकी रह गया । मैं मूल गया, क्योंकि मध्य को मैं जानता ही नहीं ।" उन्होंने एक प्रसिद्ध वाक्य का हवाला देते हुए कहा कि 'व्हेन यू एन्टर दि वे ऑफ बिस्के, यू कैन नॉट गो विदाउट विहस्की । ' अर्थात् 'जब आप वे ऑफ बिस्के में प्रवेश करेंगे, तो वहां व्हिस्की की सर्वाधिक जरूरत है । वहां पर अत्यधिक ठंड के कारण संभवत: मध्य उनके काम आता हो । इसलिए सारे विश्व के बारे में मेरा बोलना

जरूरी नहीं किन्तु भारत के लिए मद्यपान कि अत्यधिक आवश्यकता हैं।"

> ''मदिरापान महापातक है इसमें कोई शक नहीं है कि शराबबन्दी भारत के लिए अत्यन्त आवश्यक है।''
>
> विनोबा भावे

नशामुक्ति के संदर्भ में विनोबा जी मदिरापान को महापातक की संज्ञा देते थे । इस सन्दर्भ में वे उपनिषद् का एक वाक्य सुनाते थे- पंचमहापातक । इस सन्दर्भ में उन्होंने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है कि उपनिषदों में एक वाक्य है पंचमहापातक । एक होता है सामान्य पातक, एक होता है महापातक, पंचमहापातक कौन से हैं? एक पातक है, ब्रहम हत्या, सन्त पुरुषों की हत्या । हत्या करना पाप है । परन्तु संत पुरुषों की हत्या अगर होगी, तो महापातक हो गया । इस प्रकार से और भी पातक गिने जा सकते हैं ।

विनोबा भावे ने कहा कि "ये चारों व्यसन पातक हैं । इन चारों महापातकों से जो सहयोग करेगा वह पांचवा महापात की । मदिरापान महापातक है । जब हम चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं तो वह पातक है किन्तु मदिरापान महापातक है । " भारतीय संस्कृति में उपनिषदों में प्रचलित इस वाक्य की ओर ध्यान दिलाते हुए मदिरापान का पौराणिक आख्यानों के आधार पर तार्किक विरोध किया । शराब एवं अन्य व्यसनों से होने वाली आय के तर्क पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इसे संस्कृत के शब्द लोभमूलानि पापानि के महायज्ञ से समझाया । उनकी मान्यता थी कि 'संस्कृत में सोद्देश्य निर्मित पैसे को लोभमूलानि पापानि कहते हैं । यह वो पैसा है जो पापमूल हो गया है । शराब के विक्रय से पैसा मिलता है लेकिन किस मोल पर । एक ओर सरकार ने मद्यपान के लिए 12 संज्ञेय कार्यक्रम भी दिये

थे । लेकिन एक ओर शराबबन्दी की नहीं दूसरी ओर सैल्स टैक्स लाग कर दिया । अब सरकार को दुगना पैसा मिलता है । सैल्स टैक्स का पैसा और शराब का भी पैसा । यह आवश्यक है कि मदिरापान के मुद्दे पर लोभमूलानि पापानि के पैसे कमाने के तुच्छ उद्देश्य से मुक्त होना चाहिए । शराबबन्दी अत्यन् आवश्यक हैं विशेषतः भारत के लिए, इसमें कोई शक नहीं है ।

13.3.2 गोकुलभाई भट्ट

राजस्थान को बनाने में मेरा प्रत्यक्ष हाथ रहा है । आज उस राजस्थान और भारत को मदिरा राक्षस का शिकार बनने का मैं साक्षी नहीं रह सकता ।

गोकुलभाई भट्ट

राजस्थान में शराबबन्दी के पर्याय माने जाने वाले गोकुलभाई भट्ट राजस्थान की एक ऐसी विभूति थे जिनका वर्तमान राजस्थान के निर्माण में प. हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास तथा माणिक्यलाल वर्मा आदि के साथ उनका प्रमुख हाथ माना जाता है । राजस्थान में नशाबन्दी के पुरोधा के रूप में गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में दो दशक तक पूर्ण महानिषेध तथा शराबखोरी को राजस्थान से निकाल कर उस पर कानूनी पाबन्दी लगवाने का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में इस समाजघाती बुराई के विरुद्ध एक सात्विक मोर्चाबन्दी का सफल उदाहरण है ।

असाधारण एवं बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी गोकुलभाई के सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ देश की आजादी के संघर्ष के साथ हु आ था । महात्मा गाँधी के विचारों से प्रभावित उनका जीवन राष्ट्र एवं समाज की सेवा में बीता । स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तर्गत विले-पार्ले (बम्बइ) में राष्ट्रीय शाला में शिक्षक के कार्य से प्रारम्भ करके, असहयोग आन्दोलन, नमक सत्यागृह भारत छोड़ो आन्दोलन, अपने जन्म क्षेत्र सिरोही तथा सम्पूर्ण राजस्थान के प्रजामण्डल आन्दोलन, आजादी के बाद भूदान-ग्रामदान ग्रामस्वराज्य आन्दोलन, खादी ग्रामोद्योग तथा शराबबन्दी आदि प्रवृतियों में बे आजीवन कार्यरत रहे।

अनेक दुर्गुणों की जननी मदिरा है । शैतान की भेजी हु ई यह शराब सर्वनाश की ओर तेजी से पीने वाले, पिलाने वाले को भी पी जाती है । ऐसी बुरी विनाशकारी चीज को दफनाने में, उसकी जडें काटने में हिचकिचाहट, विलम्ब क्यों ?

गोकुल भाई भट्ट

गोकुलभाई भट्ट महात्मा गाँधी की तरह नशाबंदी, अस्पृश्यता निवारण, हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादी को दे स्वराज्य के चार स्तम्भ मानते थे । उन्होंने अन्य सभी रचनात्मक कार्य करते हु ए शराबबन्दी को अपने जीवन का प्रमुख कार्य बनाया था । क्योंकि उनकी यह निश्चित मान्यता थी कि शराब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी दृष्टियों से व्यक्ति और समाज दोनों को हानि पहुँचाने वाली चीज है । गरीबों के लिए तो यह अभिशाप है । उनके शोषण और गरीबी को और ज्यादा बढ़ाने वाली है । इसलिए गांधीजी की जन्म शताब्दी पर उन्होंने यह संकल्प किया था कि वे राजस्थान में शराबबन्दी के लिए अपने समय, शक्ति, बुद्धि और प्रभाव का उपयोग करेंगे ।उनके सत्याग्रह एवं निरन्तर प्रयासों से एक बार सारे राजस्थान में कानून' से शराबबन्दी हु ई ।

उन्होंने 6-7 अगस्त, 1966 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय नशाबंदी परिषद की बैठक में सर्वप्रथम यह प्रस्ताव रखा था कि देश में सभी राज्य गांधी जन्म शताब्दी वर्ष 1969 तक पूर्ण शराबबन्दी लागू करने का निर्णय लें तथा अपने इस निर्णय की घोषणा 15 अगस्त, 1969 तक कर दें । इस प्रस्ताव का जोधपुर में सम्पन्न हु ए प्रथम राजस्थान शराबबन्दी सम्मेलन में अनुमोदन किया गया । राज्य सरकार द्वारा शराबबन्दी सम्बन्धी कोई घोषणा न होने पर 2 अक्टूबर, 1967 को गांधी जयन्ती के दिन गोकुलभाई के नेतृत्व में उपवास एवं प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किए गये । सरकार द्वारा कुछ जिलों में शराबबन्दी लागू करने की घोषणा का विरोध करते हु ए 6 अप्रैल, 1968 से पूर्ण शराबबन्दी की मांग को लेकर सत्याग्रह हु आ । जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर की शराब निर्माण शालाओं पर सत्याग्रह प्रारम्भ हु आ । 1 अप्रेल, 1972 से सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू करने की घोषणा को भी लागू नहीं किया गया । गोकुल भाई भट्ट के उपवास तथा राजस्थान में धरने प्रदर्शन

से शराबबंदी का मुद्दा सम्पूर्ण देश में प्रमुख बन गया । शराबबंदी के प्रश्न को लेकर समिति भी बनायी गयी । शराबबंदी संबंधी प्रभावी प्रचार के लिए प्रदेश नशाबंदी मण्डल का भी गठन किया गया ।

अंततः राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी के लिए गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में निरन्तर चलाये गये आन्दोलन के परिणामस्वरुप व अप्रेल, 1980 को राज्य में शराबबन्दी लागू की गयी । किन्तु 12 अगस्त, 1981 को अध्यादेश जारी कर पुनः शराब के उपभोग की अनुमति प्रदान की । सरकार के जनहित विरोधी कदम का गोकुलभाई भट्ट ने उपवास एवं जनमंचो पर दिए गए उद्बोधनों के माध्यम से निरन्तर विरोध किया । प्रदेश सर्वोदय मण्डल, राजस्थान समग्र सेवा संघ, राजस्थान प्रदेश नशाबन्दी समिति, राजस्थान गांधी स्मारक निधि, राजस्थान खादी ग्रामोधोग बोर्ड आदि संस्थाओं के अध्यक्ष के रुप में गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी के लिए निरन्तर संघर्ष किया है । शराबबन्दी के लिए प्रदेश की जनता को अपने सात्विक आन्दोलन में धरने प्रदर्शन आन्दोलनों के माध्यम से जोड़कर जनलामबंदी एवं जनजागरण की अनूठी मिसाल कायम की ।

गोकुल भाई की यह दृढ़ मान्यता थी कि शराबबन्दी, समाजसेवा के सर्वागीण विकास की चाबी है। नैतिकता के मूलों की रक्षा के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और परिवार की सुख शान्ति के लिए शराबबन्दी अनिवार्य है । उन्होनें शराबबन्दी पर अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार "शराबबन्दी भारत की संस्कृति का अंग है । इतना ही नहीं वह नैतिक, धार्मिक आदर्श, आदेश, निर्देश एवं मान्यताओं पर आधारित है । साथ ही यह सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्न भी है । इसलिए भारत के सभी नेताओं ने शराबबन्दी के खिलाफ आवाज उठायी, आन्दोलन छेड़े और यातनाएं भी भोगी । नशा नाश की जड़ है उसे अविलम्ब काटना चाहिए । मद्यपान ने खतरनाक स्थितियां उत्पन्न की है ।"

उन्होंने स्पष्ट किया है कि "नशाबंदी आन्दोलन के इतिहास में यह तथ्य रोचक है कि अंग्रेजी हकुमत मद्यपान को प्रोत्साहित करती थी, इसलिए नशाबंदी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी । हमें गुलामी में बांधे रखने की मजबूत जंजीर शराब थी । परन्तु हमने आजादी प्राप्त होते ही हमारा संविधान बनाया जिसके निर्देशक सिद्धान्तों में एक सिद्धान्त कार्यक्रम का निर्देशक नशाबंदी का है जो कि हमारे सम्पूर्ण शरीर को, मन को हृदय को स्वस्थ, सदृढ, नीतिमान रखने वाली बूटी है । हम सब इस भारतीय संविधान के अनुसार चल रहे हैं । प्रत्येक 15 अगस्त, एवं 26 जनवरी की तारीखों को हम ध्वजारोहण के द्वारा संविधान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं । हममें से जो विधायक के नाते शपथ लेते हैं उन्होंने पूर्ण नशाबंदी को सारे देश में सर्वसम्मति से लागू करने का संकल्प लिया था । "

गोकुलभाई ने नशाबन्दी पर नीतिगत एवं व्यावहारिक तरीके से अपने विचार रखे हैं । उन्होंने शराबबन्दी के लाभों को सुझाते हुए शराब चालू रखने की सरकारी दलीलों का सिरे से विरोध किया । उन्होंने बताया कि "शराबबंदी का 40-45 प्रतिशत प्रथम लाभ तो यह होता है कि कई जातियों में शराब का व्यावहारिक प्रचलन तत्काल बन्द हो जाता है । शराब के ठेके बन्द होने से सामान्य आदमी के सामने से शराब का आकर्षण बन्द हो जाता है ।"

जब राजस्थान में 1 अप्रेल, 1980 को अधिरोपित किए गये पूर्ण मद्य निषेध को बाद में शराबबन्दी निरसन विधेयक प्रस्तुत कर हटाने का निर्णय करते हुए कहा गया कि "अनेक प्रयासों के बाबजूद जीने की आदत में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ । समाज विरोधी तत्वों द्वारा अवैध

आसवन व मद्य का अवैध व्यापार किया जाने लगा तथा इन क्रियाकलापों में लोगों ने उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की कीमत पर जिनको पीने की आदत थी राज्य के राजस को हानि पहुंचाकर समृद्धि प्राप्त न कर सका ।" सरकार की मद्यनिषेध समाप्ति की नीति का गोकुलभाई भट्ट ने कठोर विरोध कर इसे तथ्यहीन दलील माना तथा इसका विरोध करते हुए कहा कि "शराब पुन: चालू करने के तर्क निराधार हैं । पूर्ण शराबबन्दी की क्रियान्वयन के लिए सरकार एवं प्रशासनिक ढांचे की ओर से जो सशक्त कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है । अवैध शराब का चलन शराब बंदी क्षेत्रों के बजाय शराबमुक्त क्षेत्रों में अधिक होता है, इसके अनेक प्रमाण हैं । अवैध शराब जहां शराब खुली रहती है वहां ज्यादा है शराब बन्दी क्षेत्रों में कम । जहां-जहां शराब खुली मिलती है बहा-बहा अवैध शराब के कारण सैकडों लोग मौत के घाट उतरे हैं । यदि सरकारों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री का रहा जिससे शराब की आय ज्यादा से ज्यादा जमा हो सके तो फिर नैतिकता, जनस्वास्थ्य, जनता का कल्याण में सब बातें गौण हो जाती हैं। क्या शराब से एकत्रित की गयी दूषित राशि से विकास हो पाएगा अथवा विनाश? इस जहर के प्रचार से समाज कही जायेगा, जहन्नुम में या जन्नत मे?' '

गोकुल भाई ने नशाबंदी के आन्दोलन को राजस्थान की जनता का आन्दोलन बनाया, उन्होंने जनता से आह्वान किया कि जो सर्वकत्याण का काम है, वह भगवान की सेवा का काम है । नशाबंदी जैसा एक विशेष काम हमारे सामने है । इसमें जो लग जाता है वह सच्ची देश सेवा करता है ।

13.3.3 गोविन्द गुरु

राजस्थान में नशामुक्ति के प्रयासों एवं आन्दोलन में एक सम्मानित नाम भील जाति के नेता गोविन्द गुरू का भी है, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध मील जाति को संगठित किया बल्कि मीलों में व्याप्त मदिरापान की कुरीति से मुक्ति के लिए संगठित प्रयास भी किए ।

उल्लेखनीय है कि भील राजस्थान के आदिवासियों में प्रमुख जनजाति है । राजस्थान के दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में अनादि काल से भीलजाति के लोगों का ही बाहुल्य रहा है 19वीं शताब्दी में भील जाति अनेक सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त थी- इसमें मद्यपान प्रमुख था । भूमि लगान, जंगल की वस्तुओं से सन्बन्धित नियम, बेगार और आबकारी कानून आदि विषयों को लेकर जागीरदारों, महाजनों एवं ब्रिटिश सरकारों के नुमाइन्दों ने भीलों का शोषण किया । कृषि दास की प्रथा, बेगार प्रथा एवं बढ़े हुए करों से भीलों की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। 1858 ई. में डूंगपुर राज्य के बेदसा ग्राम में जन्मे गोविन्द गुरू नामक सुधारक ने भील समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया । स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं से उत्प्रेरित होकर युवावस्था में ही जनजातियों में जागरूकता हेतु काम किया । उन्होंने भीलों की नैतिक और भौतिक शिक्षाओं को उनके उत्थान का आधार बनाया । भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने 1905 में 'सम्प सभा' नाम की संस्था की स्थापना की ।

'सम्प' राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्तता, प्रेम और बन्धत्व । वह भीलों में बन्धत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे । इस सभा के माध्यम से गोविन्द गुरू ने मेवाड़, डूंगपुर ईडर, गुजरात और मालवा के भीलों को संगठित किया । इसी सभा के माध्यम से गाँव-गाँव में भीलों को मादक द्रव्यों का परित्याग करने का आह्वान किया गया।

प्राचीनकाल से ही भीलों को देशी शराब प्राप्त करने का अधिकार था । स्वतन्त्रता पूर्व राजपूताना में छोटी-छोटी रियासतों में (सूंथ ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ आदि) जहां भील आबादी बहुत अधिक थी, की आय का मुख्य स्रोत शराब की बिक्री ही थी । भील महुआ के फूलों से शराब तैयार करते थे । उनका जीवन सामान्यत: देशी शराब बनाने, जगंल से प्राप्त वस्तुओं एवं शिकार पर आधारित था इससे उनमें अज्ञानता, नशाखोरी एवं अन्धविश्वासों की कुरीतियों प्रचलित थी । गोविन्द गुरू ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से भीलों को चेतावनी दी कि मादक पदार्थो का व्यसन उनकी जाति के आगे के विकास में सबसे बड़ी बाधा है । उन्होंने सम्प सभा की गांव-गांव खुली शाखाओं के माध्यम से शराब के सेवन के विरुद्ध जब भील समुदाय से शपथ ग्रहण करवायी तथा भीलों को प्राचीन स्थानीय उद्योगधन्धों के प्रति प्रोत्साहित एवं उत्पेरित किया तो मीलों में नयी चेतना आयी एवं आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ । उन्होंने उनकेक्षेत्र में पंचायतों को पुनर्जीवित कर पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासकों पर दबाव डाला कि हे शासन में सुधार करें । अपने अधिकारों के लिए जागरूक एवं मादक पदार्थो के दुर्व्यसनों के प्रति सचेत भील समुदाय की जागृति से रियासतों के शासक, राज्य अधिकारी, जमींदार एवं महाजन संकट में पड़ गये । भीलों का आन्दोलन आर्थिक एवं राजनीतिक रूप लेने लगा । इन रियासतों के शासकों ने नई आबकारी नीति के द्वारा निजी रूप से शराब बनाने पर प्रतिबन्ध लगाकर महुआ से देशी शराब बनाने वाले भीलों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात का प्रयास किया । गोविन्द गुरू के द्वारा चलाये जा रहे सुधार आन्दोलन के प्रभाव से भीलों ने शराब पीना छोड़ दिया था । इससे राज्य एवं शराब के ठेकेदारों को हानि होने लगी थी । राज्य अधिकारियों ने गोविन्द गुरू के प्रभाव को कम करने एवं उनके पंथ को उखाड़ने का प्रयास किया । अनेक स्थानों पर भीलों को मद्यपान के लिए विवश किया । जब राज्य और ठेकेदारों की ओर से भीलों को शराब पुन: दिलाने, पुराने ढंग से रहने, धूनी एवं सभाओं को विघटित करने का प्रयास किया गया तो खिन्न भील समुदाय ने सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया ।

1908 से 1913 तक गोविन्द गुरु के नेतृत्व में भीलों ने शासन के इस अत्याचारी रवैये के विरूद्ध जनान्दोलन चलाया एवं सामन्ती औपनिवेशिक शोषण के विरूद्ध मुक्ति का आह्वान किया ।सभी भील प्रधान गांवों में पंचायत स्थापित की गयी । गांवों में भील पंचायतों की व्यवस्था की गयी । शराब के प्रश्न के विशेष मुद्दे के साथ सामन्तवादी दासता की मुक्ति के आकांक्षी भील समुदाय ने भील राज्य की स्थापना का आह्वान किया । अक्टूबर, 1913 में बांसवाड़ा एवं सूथ राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाडी पर गोविन्द गुरु के नेतृत्व के एकत्रित भील समुदाय के 'भील राज्य' की स्थापना हेतु संघर्ष की आकांक्षा से बांसवाडा, डूंगरपुर, ईडर राज्य के शासकों ने ब्रिटिश सरकार की सेना के माध्यम से भीलों के विरुद्ध सशस्त्र कार्यवाही की । मानगढ़ के गोलीकाण्ड में हताहत हजारों भीलों एवं गोविन्द गुरू की गिरफ्तारी से भील आन्दोलन को सफलता नहीं मिली । यद्यपि भील राज्य की स्थापना नहीं की जा सकी तथापि गोविन्द गुरू के नशामुक्ति सम्बंधी विचारों एवं अभियानों तथा भीलों की जागृति के लिए किए गये प्रयासों से भीलों में सामन्तवादी एवं औपनिवेशिक शोषण के विरूद्ध चेतना का संचार हुआ । नशामुक्ति को मुख्य प्रश्न बनाकर संचालित किए गये इस जनजाति आन्दोलन से राजपूताना के अन्य आन्दोलन भी प्रभावित हुए । ब्रिटिश सरकार तथा देशी राज्यों ने कुछ अंशों तक भीलों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया तथा प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों एवं जागीरदारों द्वारा भीलों पर किए जा रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयास किया ।

13.4 नशामुक्ति पर विभिन्न सन्तों के विचार

मादक पदार्थो के दुष्प्रभावों को प्राचीन काल से धर्मशास्त्रों में एवं सन्तों ने अपने उपदेशों में इंगित किया है । जीवन में भौतिकवाद के स्थान पर आध्यात्मिकवाद की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाले सन्तों ने अपने विचार में समाज में व्याप्त वितंडवाद को समाप्त करने का प्रयास किया है । विविध धर्मो के सन्तों ने अपनी लोकवाणी में मानव को इस कुप्रवृति से आगाह किया है तथा इसे मनुष्य जीवन के उद्धार में बाधक माना है । इन सन्तों ने मादक पदार्थो के व्यसनों को अभिशाप मानते हुए इसका विरोध किया है । इसके लिए चाहे व्यष्टि की आत्मकल्याण, समष्टि के लोकोपकार का अथवा मानवता के सुपथगमन का सन्देश दिया हो इन सन्तों के वचनों का सार एक ही है मादक पदार्थ घातक एवं त्याज्य हैं।

13.4.1 हजरत मोहम्मद, गुरुनानक देव एवं कबीर

यदि नशाबन्दी सम्बन्धी सन्तों के विविध विचारों को देखें तो यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है । हजरत मोहम्मद पैगम्बर ने शराब पीने को अपराध मानते हुए इसके त्याग पर जोर दिया है । उन्होंने कहा है, "अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पर, पीने और पिलाने पर, बेचने व खरीदने वाले पर और उसे किसी प्रकार का सहयोग देने पर ।

“सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने भी मादक पदार्थो के दुर्व्यसनों को मनुष्य के पतन का कारण माना है । उन्होंने मनुष्य को निराकार ईश्वर की भक्ति का सन्देश देते हुए कहा है, 'नशे की खुमारी से नहीं ईश्वर की भक्ति की खुमारी से मनुष्य जीवन का उद्धार होगा ।"

"सारे नशे जहान के उतर जान प्रभात,
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन-रात । "

गुरु नानक देव

भक्ति आन्दोलन के महामानव सन्त एवं कवि कबीरदास ने भी मनुष्य जीवन की कठोरता को स्वीकार करते हुए उसे जिन कुप्रवृतियों से बचाने की चेतावनी दी है उनमें नशा प्रमुख है । उन्होंने मादक पदार्थो में विषयासक्त मनुष्य को सदगुरू की भक्ति से मोक्ष का सन्देश दिया है । कबीर के आध्यात्मिक तथा धार्मिक विचारों के अन्तर्गत उद्घोषित पदों में दे मादक पदार्थो की निरर्थकता और हरि भक्ति एवं गुरु कृपा की श्रेष्ठता को इंगित किया है ।

उन्होंने लिखा है - अवधू मेरा मन मतिवारा ।
उन्मनि चढ्या मगन रस पीवै त्रिभुवन भया उजियारा । ।
गुड करि ग्यान, ध्यान कर महुअवा, भव माठि कटि मारा ।
सुषमन नारि सहज समानी पीये पीवन हारा । ।

सन्त कबीर दास

इस प्रकार नशे के दुर्व्यसन के स्थान पर गुरु की कृपा, मन और प्राण को एकाग्र कर सहज योग का आविष्कार कर कबीर ने मादक पदार्थो के स्थान पर गुरु भक्ति और ईश आराधना के महत्व को प्रस्थापित किया है। उन्होंने अपने पदों में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति करते हुए जीव को परमात्मा से प्रेमरूपी नशे एवं उन्माद में एकाकार होने का सन्देश दिया है। उन्होंने ऐसे साधक का वर्णन किया हैं जो हरि रस के प्रेम की सुरा का पान कर मस्त हो जाता है -

हरि रस पीया जाणिये, जे कबहूं न जाय खुमार ।
मैं मन्ता घूमंत रहै, नाही तन की सार । ।

कबीर की एक अन्य उक्ति में साधक को मादक पदार्थ नहीं बल्कि निस्वार्थ, निष्कपट, निश्छल ईश्वरीय प्रेम द्वारा ही बह्यनन्द के अनुभव का सन्देश दिया है ।

"मन मतवाला पीवै राम रस दूजा न सुहावे ।
उल्टी जग नीर बहि आया अमृत धार दुवाई । । "

दलाई लामा

उन्होंने कहा है कि “वह दुर्बलता जैसे कि मानसिक आघात की असुरक्षा अक्सर एक चारित्रिक गुण होता है। सब जानते हैं कि नशीली दवाइयां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और वे दिमाग को उलझा देती हैं । अगर वे भय और व्याकुलता को अस्थायी रूप से शान्त कर दें तो भी वे उस दुःख को आमूल रूप से समाप्त करने में असमर्थ होती है। वे अल्पकाल के लिए ही उसे ढक देती हैं। दुःख

पर काबू करने के लिए हमें प्रारम्भ से ही उसकी समझ, उसकी प्रकृति और कारणों को पहचानना चाहिए और नशीली दवाइयों के प्रयोग से यह नहीं हो सकता है ।"

मादक पदार्थो के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सन्देश दिया है कि शिक्षा, निजी सहारा और नशीली दवाइयों के दुष्प्रभावों का स्पष्ट विश्लेषण मादक पदार्थो की गुलामी से मुक्ति के उपाय हो सकते हैं । इस दासता से मुक्ति के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है ।

13.4.2 गुरु जम्भेश्वर

1451 ई. (विक्रम संवत 1508) में वर्तमान राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में पंवार वंशीय राजपूत ठाकुर के यहां जन्मे जम्भेश्वर जिन्हें जाम्भोजी के नाम से पुकारा जाता है । अवतारी महापुरुष थे । उन्होंने मानव समाज को दुर्गुणों से मुक्त कराने हेतु एवं जन-जन को मानवीय गुणों से विभूषित करने हेतु 1485 ई. में संभराथल (बीकानेर) में कलश की स्थापना कर विश्नोई सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । उनके द्वारा जम्भ संहिता, जम्भसागर सबदवाणी एवं विश्नोई धर्मप्रकाश आदि धर्मग्रन्थों की रचना की गयी । समाज के उत्थान के लिए उन्होंने 29नियमों की जीवन पद्धति जिसका पालन कर मानव आत्मज्ञान, जीवन मुक्ति तथा प्रत्येक दृष्टि से स्वयं को ऊँचा उठाने में समर्थ हो सके । जिन लोगों ने इन 29 नियमों को माना बे विश्नोईकहलाए । जाम्भोजी द्वारा विरचित इन 29 नियमों में शुद्ध जीवन, शुद्ध आहार, विष्णु भगवान का स्मरण, जीवों पर दया, वृक्ष नहीं काटना, सत्य सम्भाषण तथा नशे एवं मांसाहार का त्याग शामिल है । उल्लेखनीय है कि गुरू जम्भेश्वर के अमृत वचनों का सार माने जाने वाले 29 नियमों में पांच नियमों में नशीले पदार्थो एवं मांसाहार का विरोध किया गया है । इस उन्नतीस धर्म की आखरी में कहा गया है ।

गुरु जम्भेश्वर

"अमल तमाखू भांग मांस, मद्य सूं दूर ही भागै ।
लील न लावै अंग, देखते दूर ही त्यागे ।"

बीड़ी, तम्बाकू भांग, मांस, शराब आदि के सेवन को पापकर्म मानते हुए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हुए जाम्भोजी ने सन्देश दिया है कि "मनुष्य को सदैव आडम्बरहीन, सादगीपूर्ण और सदाचारयुक्त जीवन जीना चाहिए । निश्चल और एकाग्रवृति वाले व्यक्ति ही अमृत तत्व को पाते हैं। यदि हृदय पावन एवं पवित्र है तो अढ़सठ तीर्थ और काबा उसी में है।"

सन्त जम्भेश्वरजी के 29 नियमों में से पांच नियम नशे पर आधारित हैं क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मनुष्य को दुराचार एवं पतन से बचाने के लिए नशे से दूर रखना आवश्यक है । लगभग 550 वर्ष पूर्व जाम्भोजी के उपदेशों में नशे के दुर्जसन की चेतावनी एवं नशाबन्दी का संदेश अनुपम है।

इस प्रकार इन सन्तों ने मादक पदार्थो की निरर्थकता एवं नशाबन्दी सम्बन्धी अपने विचारों से समाज को अपनी वाणी का प्रकाश पुन्ज प्रदान कर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है।

13.5 सारांश

सारतः नशाबन्दी सम्बन्धी महात्मा गांधी, अन्य विद्वानों एवं सन्तों के विचारों के सारांश को अग्रांकित बिन्दुओं में समेकित किया जा सकता है । :-

- महात्मा गांधी ने मादक पदार्थो के व्यसन का सबसे बडा पाप, व्यक्ति के शरीर एवं आत्मा की सबसे बड़ी व्याधि, सबसे बडा अपराध और राष्ट्र के विनाश का कारण माना है । उन्होंने शराब सहित सभी व्यसनों ताड़ी, तम्बाकू बीड़ी, सीगरेट, चाय, कॉफी, कोक आदि का विरोध किया है तथा इन्हें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक कल्याण के लिए घातक माना है।
- मादक पदार्थो के पक्ष में दिए गये तर्को का खण्डन करते हुए उन्होंने शराबबन्दी के लिए अपनी रूपरेखा बतायी है जिसमें पूर्ण शराबबन्दी का पुरजोर समर्थन किया गया है । शराबबन्दी के लिए समझाइश अथवा नैतिक प्रेम के कानून की पूर्ण सिद्धि तक न पहुंचने की स्थिति में उन्होंने कठोर दण्ड विधान को अपनाने का समर्थन किया है । बार-बार चेतावनी देने पर भी शराब का व्यसन न छोड़ने वालों के विरुद्ध उन्होंने बाध्यकारी कार्रवाई एवं सजा देने का समर्थन किया है।
- नशाबन्दी अथवा पूर्ण शराबबन्दी से शासन की आय में कमी के तर्क को निराधार मानते हुए इन्होंने इस आय की पूर्ति के लिए स्वावलम्बी शिक्षा पद्धति के ग्रहण एवं सेना पर होने वाले व्यय में कमी को प्राथमिकता प्रदान की है । शराब के विरोध में नैतिक वातावरण को जागृत करने के काम को मुख्य मानते हुए उन्होंने स्वयंसेवकों, स्त्रियों, विद्यार्थियों एवं डॉक्टर वर्ग से आगे बढ़कर यह दायित्व लेने का आहवान किया है । नशाबन्दी सम्बन्धी अपनी सैद्धान्तिक एवं नैतिक मान्यताओं को महात्मा गांधी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए लडे गये जनान्दोलनों में मुख्य रूप से समाहित किया । 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं नमक सत्याग्रह में महिलाओं ने शासन की दमनकारी नीति के बावजूद शराबबन्दी के लिए अहिंसक धरनों में सर्वाधिक सक्रिय भागीदारी प्रदान की ।
- नशाबन्दी पर अपने विचार रखने वाले अन्य विचारको में प्रख्यात गांधीवादी विचारक एवं भारत में भूदान आन्दोलन के संस्थापक सर्वोदयी कार्यकर्ता विनोबा भावे ने शराब को महापातक मानते हुए भारत में शराबबन्दी को अनिवार्य माना है।

- राजस्थान ने नशाबन्दी आन्दोलन के जनक गोकुल भाई भट्ट ने देश की स्वतन्त्रता के पश्चात राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी के लिए जुझारू आन्दोलन चलाया जिसमें उनके सत्याग्रह, जेल यात्राएं, अनशन एवं प्रभात फेरियों के क्रम दो दशकों के संघर्ष के रूप में निरन्तर चलते रहे । पूर्ण शराबबन्दी के लिए देश की जनता को लामबन्द किया तथा राजस्थान में शराबबन्दी के कानून को पारित करवाने में सफल रहे ।
- राजस्थान में आदिवासी जनजाति भीलों में नशामुक्ति के लिए अलख जगाने वाले समाज सुधारक गोविन्दगुरु ने भील जाति को सामतवादी एवं शासन के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए नशाबन्दी को अनिवार्य माना । 1905 में सम्प सभा नाम की संस्था स्थापित कर भीलों को मादक द्रव्यों की दासता से मुक्ति हेतु संगठित प्रयास किये ।
- नशाबन्दी के लिए विविध सन्तों ने भी अपने उपदेशों, शिक्षाओं, उद्‌गारों एवं पदों में मादक पदार्थो को मनुष्य जीवन एवं मानव सभ्यता के लिए हानिकारक माना है । सन्तों की शब्दवाणी में नशाबन्दी हेतु सद्‌कर्मों, गुरुभक्ति, ईशभक्ति एवं आत्म नियंत्रण का सन्देश दिया गया है । हजरत मौहम्मद साहब, गुरुनानक देव, सन्त कबीर एवं दलाई लामा के नशामुक्ति संदेश की अभिव्यक्ति हुई ।
- राजस्थान में विश्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं धर्मगुरु जम्भेश्वर जी द्‌वारा विरचित इन 29 नियमों में शुद्ध जीवन, शुद्ध आहार, विष्णु भगवान का स्मरण, जीवों पर दया, वृक्ष नहीं काटना, सत्य सम्भाषण तथा नशे एवं मांसाहार का त्याग शामिल हैं । उल्लेखनीय है कि गुरू जम्भेश्वर के अमृत वचनों का सार माने जाने वाले 29 नियमों में पांच नियमों में नशीले पदार्थो एवं मांसाहार का विरोध किया गया है ।

13.6 बोध प्रश्न

1. मादक पदार्थो पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? उन्होंने नशाबन्दी के लिए कौनसी रूपरेखा दी ?
2. " यदि मुझे एक घण्टे के लिए भारत का डिक्टेटर (तानाशाह) बना दिया जाये तो मेरा पहला काम शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिये बन्द कराना होगा।" महात्मा गांधी के इस कथन के परिप्रेक्ष्य में नशाबन्धी सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण कीजिए।
3. मादक पदार्थों एवं नशाबन्दी पर महात्मा गांधी के विचारों का परीक्षण कीजिए।
4. नशाबन्दी पर विनोबा भावे के विचार क्या थे ?
5. राजस्थान में नशाबन्दी के आन्दोलन के पुरोधा गोकुलभाई भट्ट के विचारों का विवेचन कीजिए
6. राजस्थान में नशाबन्दी के लिए गोविन्द गिरि गुरु के विचार एवं योगदान क्या थे?

13.7 सदंर्भ ग्रंथ

1. सम्पूर्ण गांधी बाड्मय, (खण्ड चार), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ।
2. भारत के पुनर्निमाण में गांधीजी का योगदान, डॉ. वीरेन्द्र शर्मा, पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर ।
3. मेरे सपनों का भारत मोहनदास करमचन्द गांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद ।

4. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, मोहनदास करमचन्द गांधी सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली ।
5. गांधी जी और उनके शिष्य, जयंत पंड्या, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली ।
6. आधीरात को आजादी लौटी कॉलिन्स, दामानिक लैपिकर, अनु प्रकाशन, नई दिल्ली ।
7. गांधी विचारदोहन, मशरूवाला, नवजीवन प्रकाशन, नई दिल्ली ।
8. विनोबा व्यक्तित्व ओर विचार, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ।
9. गोकुल भाई भट्ट स्मृति ग्रंथ, श्री गोकुल भाई भट्ट स्मारक समिति, जयपुर ।
10. आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, डॉ.आर.पी. व्यास, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर ।
11. भगत मूवमेन्ट, स्टडी ऑफ कल्चरल ट्रान्सफरमेशन ऑफ द भील्स् ऑफ साउथर्न राजस्थान, विजय कुमार वशिष्ठ, श्रुति पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर ।
12. शराबबन्दी स्मारिका (1987), राजस्थान प्रदेश नशाबन्दी समिति, जयपुर ।
13. कबीर बीजक, कबीर ग्रन्थ प्रकाशक समिति, नई दिल्ली ।
14. 365 दलाईलामां हृदय से कहे प्रेरणात्मक उपदेश, दलाईलामा, पेगुइंन बुक्स, नई दिल्ली ।
15. अमर ज्योति जन्माष्टमी विशेषांक, वर्ष 55, अगस्त-सितम्बर 2004, विश्नोई सभा, हिसार हरियाणा

इकाई 14

सामाजिक संरचना एवं समस्याएँ I : अवधारणा एवं अन्तर्सम्बन्ध

इकाई रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 सामाजिक संरचना की अवधारणा
14.3 सामाजिक संरचना की परिभाषा एवं विशेषताएँ
14.4 सामाजिक संरचना के तत्व
14.5 सामाजिक समस्या
14.6 सामाजिक विचलन परिभाषा एवं विचलन
14.7 व्यक्तिगत समस्या तथा सामाजिक समस्या
14.8 सामाजिक समस्याओं के कारण
14.9 सामाजिक समस्याएँ एवं सामाजिक विघटन
14.10 सामाजिक समस्याओं का निदान
14.11 सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याओं में अन्तर्सम्बन्ध
14.12 राजस्थान की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याएँ
14.13 सारांश
14.14 बोध प्रश्न
14.15 सन्दर्भ ग्रन्थ

14.0 उद्देश्य

इस इकाई अध्ययन के पश्चात् आप -

- सामाजिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।
- सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक विचलन एवं सामाजिक विघटन के बारे में जानकारी अर्जित कर सकेंगे।
- सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्या के मध्य अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने में सक्षम होंगे ।
- राजस्थान की प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

14.1 प्रस्तावना

सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाज में आज व्यवहारों की समग्रता के लिए किया जाता है । कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था, संगठन एवं संस्थाओं की समग्रता के लिए किया है । इस प्रकार सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग बनावट या ढांचा, शरीर रचना, सामाजिक संगठन, सामाजिक अवस्था आदि अनेक अर्थो में किया गया है । समाजशास्त्री

ऑगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाज की संरचना एवं उसके कार्यो के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा बताया कि संरचना एक जटिल समग्र होती है । जिसमें अनेक सामाजिक इकाइयाँ एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित तथा जुडी हुई होती हैं । ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है तथा सामाजिक विकास में सकारात्मक योगदान करती हैं । ऐसी सामाजिक संरचना विभिन्न जिसके विभिन्न अवयव सकारात्मक रूप से समाज की आवश्यकता की पूर्ति में योगदान कर रहे हों, वही सामाजिक समस्याएँ न्यून होती हैं तथा समाज व्यवस्थित एवं संगठित माना जाता है । समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब सामाजिक संरचना के संगठक अवयव अपेक्षित एवं सकारात्मक योगदान नहीं करके व्यक्तिगत, सामूहिक तथा अन्य दूसरे स्वार्थो की पूर्ति हेतु प्रयासरत हो जाते हैं । दूसरे शब्दों में सामाजिक समस्याओं का जन्म तब होता है जब व्यक्ति, जो सामाजिक संरचना के निर्माण का प्रमुख घटक है, अपनी आवश्यकताओं का चयन एवं पूर्ति समाज द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार नहीं करता है । यानि जब व्यक्ति सामाजिक मानदण्ड तथा मूल्यों का पालन नहीं करके, उसके विपरीत व्यवहार करने लगता है तब सामाजिक समस्याएँ जन्म लेती हैं । इस सन्दर्भ में हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं के पीछे सामाजिक संरचना के घटकों का दुकार्यात्मक योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी समीक्षा किया जाना किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। हम कह सकते है कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याएँ एक दूसरे से सीधे अनुपात में जुडे हैं । जब सामाजिक संरचना सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई कार्य करती हैं तब सामाजिक व्यवस्था बनी होती है । इसके विपरित सामाजिक संरचना के विघटन तथा ह्मस सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है । सैद्धान्तिक रूप से ही समस्या विहिन समाज की कल्पना तो कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता में यह एक मिथ्या मात्र है । संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ सामाजिक समस्याएँ विद्यमान न हो । इसीलिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाईल दुर्खीम ने अपराध को समान घटना माना है । भारतवर्ष एवं राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है । यहाँ की प्रमुख समस्याएँ अपराध एवं बाल अपराध, जनसंख्या का विस्फोट, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी अशिक्षा, श्रमिक एवं विद्यार्थी असंतोष, कमजोर एवं दलित जातियाँ जनजातियों, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, एड्स, वेश्यावृति, महिलाओं से दुर्व्यवहार आदि हैं । राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बाल विवाह नाता-प्रथा मृत्यु भोज, भ्रूण हत्या कन्या वध आदि विशेष सामाजिक समस्याएं है जिनकी चर्चा के बिना हमारा विश्लेषण अधूरा रह जाएगा ।

सामाजिक समस्याओं की विस्तारपूर्वक चर्चा के पहले हमारे लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि सैद्धान्तिक रूप से हम सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्या को किस तरह से परिभाषित करते हैं । इनके ज्ञान के अभाव में हम शायद सामाजिक समस्याओं का गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे।

14.2 सामाजिक संरचना : अवधारणा

सामाजिक संरचना समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है । इसे समझे बिना हम समाज, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रकार्य, सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याएँ जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को नहीं समझ सकते । सामाजिक संरचना को समझने से पूर्व संरचना ढांचा किसे कहते है, यह समझना ज्यादा आवश्यक होगा । प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक विशेष संरचना होती है, जो कई इकाइयों तत्वों से मिलकर बनी होती है । ये इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से सम्बन्धित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पायी जाती है । इसे हम मानव शरीर की संरचना के उदाहरण द्वारा

समझ सकते हैं । शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख एवं मुँह आदि कई अंगो (इकाइयों) से मिलकर बनी होती हैं । ये सभी अंग अपने - अपने स्थान पर स्थित भी है और परस्पर एक - दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुडे हुए भी । इस प्रकार प्रत्येक संरचना में चार विशेषताएं देखने को मिलती हैं

1 प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है । उदाहरण के लिए मकान की संरचना ईट, पत्थर, चूना, सीमेन्ट आदि कई इकाइयों से होती है ।

2 इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाये जाते हैं, जैसे ईट, चूना, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से जमाने पर ही मकान की संरचना बनती है । केवल इनके ढेर से ही मकान की संरचना (ढ़ांचा) नहीं बनती।

3 ये इकाइयां अपने-अपने स्थान पर स्थित रहती हैं यदि इनमें स्थायित्व न हो तो संरचना बनती-बिगड़ती रहेगी।

4 संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है न कि उसकी आन्तरिक रचना से । शरीर और मकान की संरचना से हमें इनकी बाह्य आकृति दिखायी देती है, आन्तरिक नहीं। सामाजिक संरचना की अवधारणा समाजशास्त्र में जीव-विज्ञान से ली गयी है । जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं । समाज की संरचना कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्थाओं, संघों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है । जैसे शरीर सुदय, यकृत, लीवर आदि के मिलने से ये सभी इकाइयों परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और अपने - अपने स्थान पर अपेक्षतया स्थिर रहती हैं । इन सभी के संयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं । अगर इस सामाजिक संरचना का कोई भी अंग (अवयव) समाज द्वारा निर्धारित कार्य को यथावत सम्पन्न नहीं करता है तब समाज के स्थायित्व पर सन्देह होने लगता है । ऐसी परिस्थिति में सामाजिक समस्याएँ जन्म लेने लगती है तथा सामाजिक संरचना विघटनकारी हो जाती है ।

14.3 सामाजिक संरचना की परिभाषा एवं विशेषताएँ

सामाजिक संरचना को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम यहाँ उसकी परिभाषा एवं विशेषताओं का उल्लेख करेगें।

सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में अगस्त कॉम्ट ने किया उसके बाद हर्बट स्पेन्सर एवं इमाईल दुर्खीम आदि विद्वानों ने इसे प्रयोग में लिया । कार्ल मैनहीम के अनुसार "सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिन्तन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है । मैनहीम सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं । जाल से उनका तात्पर्य व्यवस्थित प्रतिमानों से है । सामाजिक संरचना का जाल सामाजिक शक्तियों रूपी धागों से बना हुआ है । सामाजिक शक्तियों से उनका तात्पर्य नियंत्रण के उन साधनों से है जो सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं ।

पारसन्स के विचार में "सामाजिक संरचना परस्पर सम्बन्धित संस्थाओं, एजेन्सियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गये पदों तथा कार्यो की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं । पारसन्स की इस परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती हैं (1) सामाजिक

संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेन्सियों, प्रतिमानों एवं व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किये गये पदों एवं भूमिकाओं रूपी इकाइयों से होता है । (2) ये सभी इकाइयां परस्पर एक दूसरे से सम्बन्दित हैं । (3) सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पायी जाती है । इन विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है क्योंकि समाज की संरचना सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों एवं भूमिकाओं से मिलकर बनी होती है और ये सभी अमूर्त हैं ।

मैकाईवर एवं पेज के अनुसार "समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं.........................सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों, विविध प्रकार की मनोवृतियों तथा रूचियों के कार्य प्रकट होते हैं । 'इस प्रकार मैकाईबर तथा पेज ने निर्माण के विभिन्न तरीकों को ही सामाजिक संरचना का आधार माना है ।

हैरी एम. जानसन के विचार में "किसी वस्तु का ढांचा उसके अंगों के अपेक्षाकृत स्थायी अन्तसम्बबों से निर्मित होता हैं । सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संरचना विभिन्न अंगों के अन्तसम्बन्धो से बनती है । जिस प्रकार से मकान, शरीर, मोटरसाईकिल, घड़ी आदि की संरचना होती है उसी प्रकार की संरचना होती है । समाज की संरचना उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक संरचना की कुछ प्रमुख विशेषताएँ उभर कर सामने आती है । जिनका अध्ययन विषय को समझने के लिए आवश्यक हैं । में भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयाँ होती हैं जैसे - परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह, द्वैतीयक समूह, संस्थाएँ, मूल्य, प्रस्थितियाँ आदि

सामाजिक संरचना की विशेषताएँ

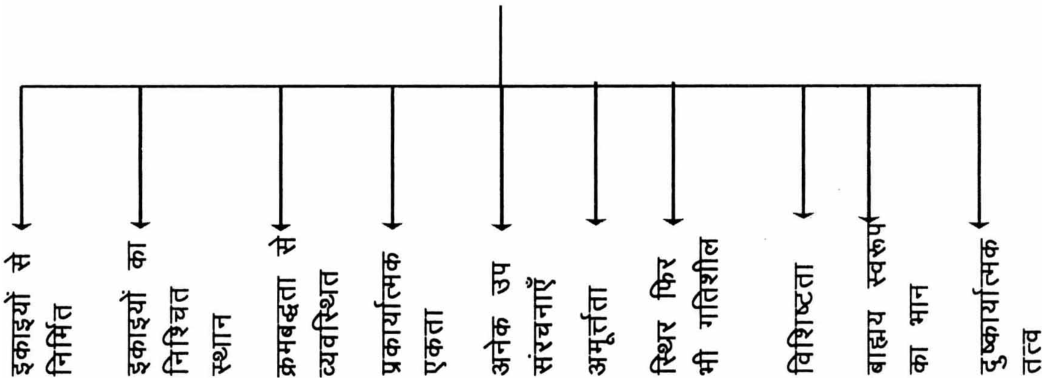

1 इकाइयों से निर्मित - सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों, जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाओं, समितियों, एजेन्सियों आदि से मिलकर होता है । समाज की ओर भी अनेक छोटी-बडी इकाइयाँ हँ जो परस्पर मिलकर एक बडे प्रतिमान का निर्माण करती हैं, उसे ही हम सामाजिक संरचना कहते है ।

2 इकाइयों का निश्चित स्थान - सामाजिक संरचना में जितनी भी सामाजिक इकाइयां होती है 'उनका उनके महत्व एवम् कार्य के अनुसार निश्चित स्थान होता है । संरचना जितनी जटिल होगी, इकाइयों का स्थान उतना ही अधिक महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट हो जाएगा । संरचना जितनी सरल होगी इकाइयों

के कार्य, महत्व तथा स्थान उतने ही कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं । जटिल सामाजिक संरचना में अगर इकाइयों का स्थान बदल दिया जाए तो संरचना बिगड़ जाती है ।

3 क्रमबद्धता से बबस्थित -सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों का ढेर या झुण्ड नहीं होता है बल्कि उनमें क्रमबद्धता होती है तभी संरचना संगठित, व्यवस्थित तथा अर्थपूर्ण होती हैं । परिवार जातियाँ मुखिया, पंचायत आदि का सामाजिक संरचना में निश्चित क्रम, स्थान तथा आरोह-अवरोह रूप में स्थिति निश्चित होती है ।

4 प्रकार्यात्मक एकता -सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों इकाइयों में परस्पर एकता होती है । इकाइयाँ एक दूसरे से संगठनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं तथा समाज के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य करती हैं । जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग एक-दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से एक सूत्र में बँधे होते हैं उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक सामाजिक इकाई भी परस्पर एकता में रहकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं ।

5 अनेक उप संरचानाएँ - सामाजिक संरचना एक वृहद प्रतिमान होता है जिसमें अनेक उप-संरचनाएँ अथवा उप - व्यवस्थाएँ होती हैं । जैसे पति-पत्नी मिलकर एकाकी परिवार बनाते हैं । कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार, कई संयुक्त परिवार मिलकर दंश समूह, कई दंश समूह मिलकर गोत्र समूह, कई गोत्र समूह मिलकर उप-जाति ओर अनेक उप-जातियाँ मिलकर जाति-व्यवस्था तथा ग्रामीण सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं ।

6 अमूर्तता - सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों से बनती है । ये इकाइयाँ- पद, भूमिका, संस्थाएँ, प्रतिमान, एजेन्सियाँ आदि होती हैं, जो अमूर्त होती हैं । इसलिए इनसे बनने वाली सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है।

7 स्थिर फिर भी गतिशील - सामाजिक संरचना दिखती तो स्थिर है परन्तु बह गतिशील और परिवर्तनशील है । सामाजिक संरचना इतने धीरे-धीरे परिवर्तित होती है कि इसके सदस्यों को पता भी नहीं चलता है कि यह कब बदल गयी ।

8 विशिष्टता - सामाजिक संरचना सार्वभौमिक होती है । जहाँ-जहाँ मानव समाज है वहाँ-वहाँ सामाजिक संरचना होती है । परन्तु किन्हीं दो समाजों की सामाजिक संरचनाएँ एक - सी नही होती हैं । प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण उसके द्वारा अपेक्षित लक्ष्य और कार्यों के अनुसार किया जाता है ।

9 बाह्य रूप का भान कराती हैं - विभिन्न सामाजिक इकाइयाँ मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं । जो पूर्ण प्रतिमान बनता है वह संरचना के बाह्य रूप को स्पष्ट करता है । उदाहरण स्वरूप - लकड़ी के पाए तथा उसका उपरी हिस्सा मिलकर पढ़ाई की मेज, भोजन करने की मेज, कार करने की मेज आदि बनाते हैं । इन विभिन्न संरचना वाली मेजों में बाह्य रूप स्पष्ट होता है तथा उसके कार्य भी स्पष्ट होते हैं । इसी प्रकार सामाजिक संरचना समाज की बाह्य आकृति का भान कराती है, जैसे - ग्रामीण सामाजिक संरचना, आदिम सामाजिक संरचना, कस्बाइ सामाजिक संरचना, नगरीय - महानगरीय सामाजिक संरचनाएँ आदि । ये सब समाज की सामाजिक संरचनाएँ हैं जो इन समाजों के बाह्य रूप का हमें मान कराती है ।

10 दुष्कार्यात्मक तत्व - मर्टन के पहले के समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानवशास्त्रियों का यह मानना था कि सामाजिक संरचना में विभिन्न तब केवल संगठनात्मक कार्य करते हैं । विभिन्न इकाइयों में एकता होती है । मर्टन ने सर्वप्रथम इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयाँ - संस्था, प्रथा, कानून नियम एजेन्सी आदि किसी एक समूह के लिए प्रकार्यात्मक हो सकती है तो दूसरे समूह के लिए दुष्कार्यात्मक, जैसे - जाति प्रथा के प्रतिबन्ध कतिपय जातियों के लिए थे । इसी प्रकार मार्क्स के दुष्कार्यात्मक अनुसार धर्म समाज के लिए अफीम है । जिस प्रकार से अफीम व्यक्ति को आलसी और निकम्भा बना देता है, उसी प्रकार धर्म भी समाज के लोगों को आलसी भाग्यवादी, अन्धविश्वासी बना देता है । हिन्दू समाज में जाति प्रथा, दहेज, पर्दा प्रथा बाल विवाह, वैधव्य, अस्पृश्यता आदि दुकार्य धर्म के कारण ही विद्यमान हैं । इस प्रकार दुष्कार्य करने वाले तल सभी सामाजिक संरचनाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य पाये जाते हैं ।

14.4 सामाजिक संरचना के तत्व

अब हम सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों को देखेंगे । हेरी एम जानसन ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के चार तत्वों का उल्लेख किया है

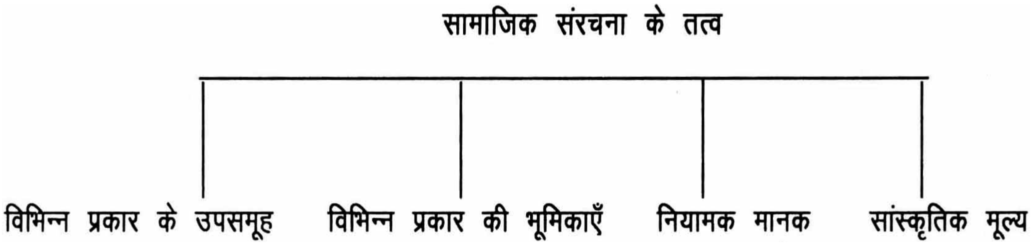

विभिन्न प्रकार के उपसमूह विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ नियामक मानक सांस्कृतिक मूल्य

1 विभिन्न प्रकार के उप समूह

जानसन के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार के उप समूहों से होता हैं। प्रत्येक उप समूह एक आंशिक संरचना भी हो सकती है । ये उप समूह परस्पर अन्तसम्बन्धित होते हैं । इनको परस्पर सम्बन्धित तार्किक मानक करते हैं । ये सापेक्ष रूप से स्थिर होते हैं ।

2 विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ

वृहद व्यवस्था और उप समूहों में कई प्रकार की भूमिकाएँ होती हैं । प्रत्येक भूमिका अवस्था अन्य भूमिका व्यवस्थाओं से सम्बन्धित होती हैं । इन विभिन्न भूमिकाओं को परस्पर समबन्धित भी तार्किक मानक ही करते हैं । जानसन ने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को उप संरचना माना है ।

3 नियामक मानक

नियामक मानक उप समूहों और भूमिकाओं का संचालन और नियंत्रण करते हैं । जानसन के विचार में मानक दो प्रकार के होते हैं । कुछ सकारात्मक होते है, ये तार्किक होते हैं तथा उप-समूहों की भूमिकाओं को करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं । दूसरे प्रकार के मानक निषेधात्मक होते हैं । ये स्पष्ट करते हैं कि कौन-कौन से कार्य नहीं करने चाहिए । यह भी जानसन के अनुसार उप-संरचना है ।

4 सांस्कृतिक मूल्य

सामाजिक संरचना के अतिरिक्त ज्ञान, विश्वास, मूल्यांकन आदि भी सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं जो पूर्ण रूप से मानकात्मक होते हैं तथा ये सामाजिक क्रियाओं को नियमित करते हैं । ये जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित होते हैं । सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलूओं का मूल्यांकन किया जाता है । यह भी सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना होती है ।

इस इकाई में की गयी सामाजिक संरचना की चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर हम इससे जुड़ी हुई दूसरी अवधारणा प्रकार्य को स्पष्ट न करें । वास्तविकता तो यह है कि हम संरचना की व्याख्या कार्यो की सहायता के बिना नहीं कर सकते तथा उसी प्रकार कार्यो का वर्णन संरचना के सन्दर्भ के बिना नहीं कर सकते । हम यहाँ प्रकार्य (Function) शब्द के उस अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे जो समाजशास्त्री संरचना की अवधारणा के सन्दर्भ में लगाते है ।

जानसन के अनुसार "अगर कोई आंशिक ढांचा- कोई उप-समूह, भूमिका, सामाजिक सामान्यक अथवा सांस्कृतिक मूल्य सामाजिक प्रणाली या उप- प्रणाली की एक या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग दे तो यह कहा जाता है कि वह प्रकार्यात्मक है ।

मर्टन ने प्रकार्य की बहुत छोटी परन्तु सारगर्भित परिभाषा दी है । उनके अनुसार "प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा सामन्जस्य करता है । "मर्टन ने स्पष्ट लिखा है कि वास्तव में कोई तत्व सामाजिक अवस्था का अनुकूलन करने में अथवा व्यवस्थापन में मदद करता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक है । उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'प्रकार्य' संस्कृति, समाज तथा इनकी इकाइयों का वह कार्य जो सामाजिक व्यवस्था में संतुलन निरन्तरता सामन्जस्य व्यवस्थापन में सहायक हो तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो । मर्टन के अनुसार संरचना की कुछ इकाइयाँ अगर आवश्यकतानुसार अपेक्षित प्रकार्य नहीं करती तो इसे दुष्कार्य कहते हैं । उनके अनुसार संरचना की कुछ इकाइयाँ सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन एवं समायोजन कम करने की भूमिका करती है । उनका विघटनकारी प्रभाव होता है, यह उनका दुष्कार्य कहलाता है । ऐसे दुष्कार्य ही समाज में सामन्जस्य का हास कर सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं जो इस इकाई में चर्चा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ।

बोध प्रश्न - 1

1 सामाजिक संरचना से आप क्या समझते है ?

2 सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए ।

3 सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए

4 सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य के मध्य अन्तर्सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।

14.5 सामाजिक समस्या

सामाजिक समस्याएँ सामाजिक आदर्श का विचलन होती हैं जो व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण अकांक्षाओं का परिणाम होती हैं । समाज के अधिकतर सदस्य इससे प्रभावित होते हैं । ये आपत्तिजनक होती हैं । सामाजिक समस्याएँ समाज में चिन्ता, तनाव, संघर्ष आदि पैदा करती हैं । इनका समाधान सामाजिक प्रयत्नों के द्वारा किया जाता है । इनसे समाज में एकता, व्यवस्था, सुदृढता आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । समाज में समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब समाज की संरचनाओं के

कार्य निर्वाह में व्यवधान उत्पन्न होता है । यानि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का चयन एवं उनकी पूर्ति समाज द्वारा स्थापित मानदण्डों के अनुसार नहीं करता है, तब सामाजिक संरचना के स्थायित्व की समस्या उत्पन्न होती है । ऐसे समाज को विघटित समाज कहा जाता है ।

भारत एवं राजस्थान की सामाजिक समस्याओं की चर्चा के पूर्व हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समाज शास्त्रियों ने सामाजिक समस्या को किस तरह परिभाषित किया है । कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषाएँ निम्न हैं.

पाल एच. लैंडिस (Paul H- Landis) ने लिखा है "सामाजिक समस्याएँ व्यक्ति की कत्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाएँ हैं।"

रॉब तथा सेल्जनिक (Roab and selzaick)के अनुसार "यह मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए एक गम्भीर खतरा है अथवा जो अनेक व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएँ पैदा करती हे।"

वेलेस वीवर (W. Wallace Weaver) के मतानुसार "व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहु त से सदस्य आपत्तिजनक या अनपेक्षित मानते हों, वे ही सामाजिक समस्याएँ है ।"

शेपर्ड तथा वॉस (Shepard and vass) की मान्यता है 'एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहु त बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अनपेक्षित और ध्यान देने लायक समझा जाता है।"

मैरिल और एल्डरिज (Marril and Eldredge) के अनुसार "सामाजिक समस्याएँ उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण बहु त से लोग, अपनी-अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में अक्षम होते हैं ।"

मर्टन एवं निस्बट (Mertan and Nisbut) के अनुसार "सामाजिक समस्या व्यवहार का एक ऐसा रूप है जिसे समाज का एक बडा भाग व्यापक रूप से स्वीकृत तथा अनुमोदित मानदण्डों का उल्लंघन मानता है ।"

कार (कार) की मान्यता है " सामाजिक समस्या उस समय पैदा होती है जब हम किसी कठिनाइ के प्रति चेतन हो जाते हैं, जब हमारी वरीयताओं और यथार्यता के बीच खाइ आ जाती है ।"

उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक समस्याओं को निम्नलिखित विशेषताएँ पहचान सकेंगे

1 सभी सामाजिक समस्याएँ 'आदर्श' स्थिति से विचलन है ।
2 सभी सामाजिक समस्याओं की उत्पति का कोई समान आधार होता है ।
3 सभी सामाजिक समस्याएँ मूल में सामाजिक हैं ।
4 सभी सामाजिक समस्याएँ अन्तर्सम्बन्धित होती है ।
5 सभी सामाजिक समस्याओं के परिणाम सामाजिक होते हैं, यानि वे समाज के सभी खण्डों पर प्रभाव डालती हैं।
6 ये व्यक्ति की कल्याणकारी अपूर्ण आकांक्षाओं का परिणाम है ।
7 ये व्यक्ति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओ की पूर्ति में बाधक होती हैं ।

8 सामाजिक समस्याएँ चिन्ता, तनाव संघर्ष आदि पैदा करती हैं ।

9 ये गतिहीनता उत्पन्न करती हैं जिससे समाज के सदस्य अपेक्षित सामाजिक भूमिकाएँ पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

10 ये समाज के लिए गम्भीर खतरा होती हैं ।

11 सामाजिक समस्याओं का दायित्व सामाजिक है तथा उनके निवारण के लिए एक सामूहिक उपागम की आवश्यकता होती है ।

14.6 व्यक्तिगत समस्या तथा सामाजिक समस्या

व्यक्तिगत समस्या (Individual problem) तथा सामाजिक समस्या (Social problem) क्या एक ही अवधारणा है या इसमें कोई अन्तर है? आइए हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में जानें :-

व्यक्तिगत समस्या उस समस्या को कहते हैं जिसका सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से होता है और जो व्यक्ति के विकास एवं प्रगति में बाधक होती है । व्यक्ति सामाजिक आदर्शों की अवहेलना करने लगता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है । अर्थात यह व्यक्ति विशेष की समस्या होती है तथा इससे व्यक्ति अकेला ही प्रभावित होता है । वहीं सामाजिक समस्या समाज के एक बड़े भाग को ग्रसित करती है, ये व्यक्तिगत नहीं होती । इसका निवारण सामाजिक स्तर पर किया जाता है ।

मावरर (Movrur) लिखते हैं, “व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमानों से इतने अधिक नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है।"

लमर्ट के अनुसार (lamert) "व्यक्तिगत समस्या वह स्थिति अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य व्यवहार के चारों और अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाता है । उसकी भूमिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया में संघर्ष और भ्रम बना रहता है ।"

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तिगत में असन्तुलन पैदा हो जाता है, वह समाज और संस्कृति के प्रतिमानों का पालन नहीं करता तथा उसके व्यवहार में विचलन एवं विघटन दिखायी देता है । व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में निम्नांकित अन्तर है :

1 व्यक्तिगत समस्या का संबंध और प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक सीमित होता है जबकि सामाजिक समस्या का संबंध सम्पूर्ण समाज ब समुदाय से है ।

2 चूंकि व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है । अत: उसे हल करने का प्रयत्न भी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है । जबकि सामाजिक समस्या के निवारण के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाते हैं।

3 व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के विकास में लेकिन सामाजिक समस्या सम्पूर्ण समाज के विकास एवं प्रगति में बाधक होती है ।

4 व्यक्तिगत समस्या के जन्म के लिए व्यक्ति स्वयं या कुछ व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं और उसके परिणाम व्यक्ति विशेष को ही भुगतने होते हैं । जबकि सामाजिक समस्या को जन्म देने में समाज

या समुदाय के कई लोगों का हाथ होता है और उसके परिणाम भी अनेक लोगों को भुगतने होते हैं ।

5 व्यक्तिगत समस्या कि स्थिति में अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में समाज के अधिकांश व्यक्ति अनैतिक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों व आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते है।

6 व्यक्तिगत समस्या के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व में असन्तुलन और विघटन उत्पन्न हो जाता है जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में सामाजिक संरचना और संगठन अस्त-व्यस्त होने लगते हैं ।

7 व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है जबकि सामाजिक समस्या समाज की निरन्तरता से सम्बन्धित होने के कारण लम्बे समय तक चलने वाली होती है । इसके निवारण के प्रयत्न के बावजूद भी यह कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य मौजूद रहती है ।

इन अन्तरों का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि ये समस्याएँ एक दूसरे से एकदम पृथक है वरन् दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं । कुछ समस्याएँ व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हो सकती हैं, विशेषत: उस समय जब उनका संबंध व्यक्ति विशेष व समाज दोनों से ही हो । व्यक्तिगत समस्या सामाजिक समस्याओं को तथा सामाजिक समस्या सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती हैं ।

14.7 सामाजिक समस्याओं के कारण

सामाजिक समस्याओं को विकृत सामाजिक स्थितियाँ जन्म देती हैं । ये सभी समाजों में उत्पन्न होती हैं चाहे वे समाज साधारण हों, जिनमें समरूपता, सामूहिक एकात्मकता की दृढ भावना होती है और जिनमें परिवर्तन बहुत धीमी गीत से होता है या जटिल हो (जिनमें अवैयक्तिक, द्वितीयक संबंध, गुमनामी, एकाकीपन, तीव्र गतिशीलता और अत्यधिक विशेषज्ञता होती है, और जिनमें परिवर्तन अधिक शीघ्र होता है), याने कि जहाँ कहीं भी और जब भी व्यक्तियों के समूह में पारस्परिक सम्बन्ध प्रभावित होते हैं जिससे कुसमायोजन और संघर्ष उत्पन्न होते हैं ।

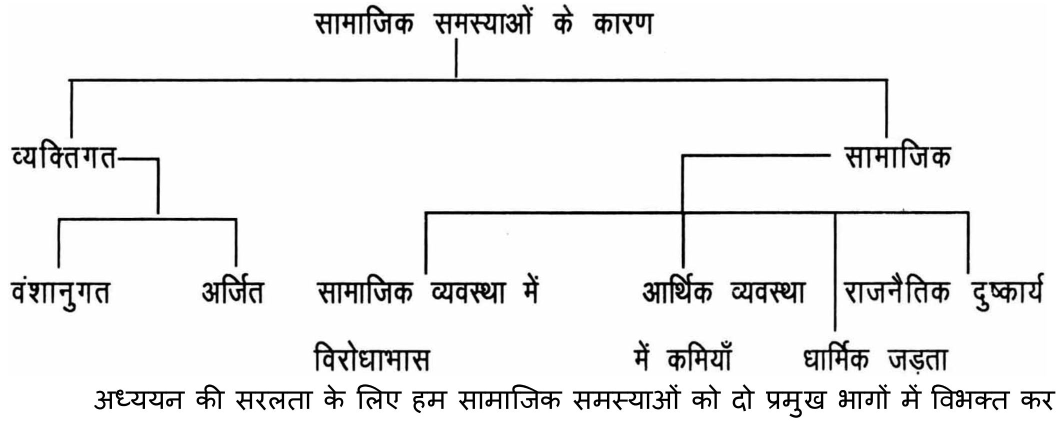

अध्ययन की सरलता के लिए हम सामाजिक समस्याओं को दो प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं - व्यक्तिगत तथा सामाजिक । व्यक्तिगत समस्याओं का जन्म व्यक्ति विशेष के दुष्कार्य के फलस्वरूप होता है । इस क्रम में व्यक्ति या तो वंशानुक्रम में इन दुष्कार्यों को करना सिखता है

या फिर वो खुद से ही समाज विरोधी कार्य करने लगता है जिसे अर्जित समस्या कहेंगे । वहीं दूसरी और सामाजिक स्तर पर समस्याओं के जन्म के पीछे सामाजिक व्यवस्था में विरोधाभास (सामाजिक भेदभाव), आर्थिक अवस्था में कमियाँ (आर्थिक विषमता) धार्मिक जड़ता (religion fundamentalism) या राजनैतिक दुष्कार्य जिम्मेदार हो सकते हैं ।

रॉब एवं सेल्जनिक ने सामाजिक समस्याओं के पाँच कारण बताए हैं :-

1 जब संगठित समाज के लोगों की पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित करने की क्षमता समाप्त होती दिखाई देती है, तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होती हैं ।

2 जब समाज की अनेक संस्थाएँ विचलित होने लगती हैं तो सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं ।

3 जब समाज के कानूनों को लोग तोड़ते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तब सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

4 जब समाज के मूल्यों का हस्तान्तरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होना बन्द हो जाता है, तब सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं ।

5 जब समाज के सामान्य सदस्यों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की संरचना बिगड़ने लगती है, तब सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं ।

राबर्ट ए. निस्बेत (Robert A Nisbet) ने सामाजिक समस्याओं की उत्पति के निम्न चार कारण बताए है-

1 संस्थाओं में संघर्ष सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं ।

2 सामाजिक गतिशीलता के कारण सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती है ।

3 व्यक्तिवादिता सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण है ।

4 व्याधिकीय स्थिति सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है ।

वहीं पॉल लेंडिस (Paul H. landi) ने सामाजिक समस्या के निम्न चार कारण बताए हैं -

1 व्यक्ति का समायोजन करने में असफल होना ।

2 सामाजिक संरचना का दोषपूर्ण होना ।

3 संस्थात्मक समायोजन में असफल होना ।

4 सामाजिक नीतियों में संस्थात्मक विलम्बन का होना ।

सामाजशास्त्री गिलिन और गिलिन (Gillin and Gillin) की मान्यता है कि व्यक्तिगत समायोजन की असफलता का कारण अपूर्ण समाजीकरण है । अगर व्यक्ति का समाजीकरण अच्छा किया जाए तो सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं हों ।

उपर्युक्त वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किए गये सामाजिक समस्याओं के कारणों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक समस्याओं को मनोविकारी, विकृत और व्याधिकीय सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियाँ जन्म देती हैं । ये ऐसी विकृत परिस्थितियाँ आदिम, ग्रामीण, कस्बाइ नगरीय एवं महानगरीय सभी छोटे-बडे समाजों में पैदा होती हैं । जो समाज आकार में छोटे होते हैं जिनमें यांत्रिक एकता होती है तथा परिवर्तन की गति धीमी होती है, उनमें सामाजिक समस्याएँ कम होती हैं । जो

समाज आकार में बड़े होते हैं, जिनमें सावयवी एकता होती है तथा परिवर्तन की गति तीव्र होती है उनमें सामाजिक समस्याएँ अधिक होती हैं ।

14.8 सामाजिक विचलन

सामाजिक समस्या से जुडी एक दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा सामाजिक विचलन की चर्चा के बिना यह अधूरी रह जाएगी। अत: इसके बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

सामान्यत: विचलन को अनुरूपता के विपरीत माना जाता है । सभी मानव समाजों में व्यवहार के कुछ निश्चित प्रतिमान एवं सामाजिक मानदण्ड पाये जाते है । इन सामाजिक प्रतिमानों एवं मानदण्डो के विपरीत आचरण करने को ही सामान्यत: विचलन माना जाता है । संयुक्त राज्य अमेरिका में विचलन का अध्ययन कुछ विशिष्ट समस्याओं जैसे अपराध, बाल-अपराध, वेश्यावृति, सफेदपोश अपराध एवं नशावृति आदि के संदर्भ में प्रारम्भ हुआ और इन्हीं सम्स्याओं तक सीमित रहा । समस्याएँ निम्न वर्ग और विशेषत: उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों तक सीमित थी । इस प्रकार के अध्ययनों के पीछे समाजशास्त्रियों में यह धारणा थी कि विचलन के लिए स्वयं समाज उत्तरदायी है न कि व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण ।

विचलन को परिभाषित करते हुए जॉनसन लिखते हैं "विपथगामी व्यवहार केवल ऐसा व्यवहार नहीं है जिसमें किसी मानदण्ड का उल्लंघन होता है । यह ऐसा व्यवहार है जो उस मानदण्ड का उल्लंघन करता है जिसकी ओर कर्ता उस समय अभिमुख हो, यह जान-बूझकर किया गया उल्लंघन है ।"

जॉनसन की इस परिभाषा में विचलन में तीन तलों पर जोर दिया गया है - 1 सामाजिक मानदण्ड 2 मानदण्डों का व्यक्ति को ज्ञान होना 3 जानबूझकर मानदण्डों का उल्लंघन करना अर्थात् विचलन उसी व्यवहार को कहेंगे जब एक व्यक्ति इन सामाजिक मानदण्डों का जान-बूझकर उल्लंघन करता है ।

रार्बट बेल (Robert Bell) नें विचलन को सांख्यिकीय आधार पर समझाते हुए लिखा है "समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता प्रकट करना ही विचलन है ।"

थियोडोरसन एवं थियोडोरसन लिखते है - विचलन का कार्य सामाजिक मानदण्डों के प्रति प्रीतरूपता है ।" विचलन की परिभाषा एवं सीमा को बताते हुए कोहन (Kohan) लिखते है (Non&confirmity) विचलन से मेरा तात्पर्य अपराध एवं बाल अपराध से ही नहीं वरन् उस प्रत्येक व्यवहार से है जो सामान रूप से स्वीकृत आचरण का उल्लंघन है । इसके अन्तर्गत उद्वेगवश जीवन-साथी की हत्या से लेकर किसी राजनेता की योजनाबद्ध हत्या तक आ जाती है । सरकारी कर्मचारी के भ्रष्ट आचरण से लेकर परीक्षा में छात्रों द्वारा किए गए अपराध भी विपथगमन हैं । विपथगमन के कइ प्रकार है - व्यापार के नियमों का उल्लंघन, आत्महत्या, टैक्स से बचना और बीमा की राशि का गलत रूप से पा लेना आदि ।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विचलन की निम्न विशेषताएँ उभर का सामने आती है-

1 विचलन सामाजिक मानदण्डों से बहुत अधिक दूर हटना है ।

2 विचलन वैयक्तिक एवं सामाजिक दोनों स्तर पर हो सकता है ।

3 विचलन का संबंध एक विशिष्ठ समाज एवं संस्कृति से है ।

4 विचलन नियंत्रण को जन्म देता है ।

14.9 सामाजिक समस्याएँ एवं सामाजिक विघटन

सामाजिक समस्याओं की जड में जाने हेतु सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन को जानना अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक संगठन के बारे में इलियट एवं मैरिल ने बतलाया है कि सामाजिक संगठन वह दशा अथवा स्थिति हैं, जिसमें किसी समाज की विभिन्न संस्थाएँ अपने मान्यता प्राप्त या पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करती है । सामाजिक संगठन की स्थिति में सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से होता रहता है । सामाजिक संगठन सामाजिक लक्ष्यों की सामान्य परिभाषाओं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य रूप से स्वीकृत कार्यक्रम पर निर्भर करता है । प्रत्येक समाज में सामाजिक संगठन भिन्न - भिन्न अंशों में पाया जाता है । कोई भी ऐसा समाज दिखलायी नहीं पडता जहाँ सामाजिक संगठन पूर्ण रूप में पाया जाता हो अर्थात जहाँ एक समाज के सभी सदस्य सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयत्न में पूरी तरह एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध रखते हु ए अपनी भूमिकाएं निभाते हों। पूर्ण सामाजिक संगठन का तात्पर्य सर्वसम्मतता और व्यवहार के प्रतिमानों में स्थायित्व से है जो आज के तीव्र गति से परिवर्तनीय समाजों में सम्भव नहीं है ।

सामाजिक विघटन सामाजिक संगठन की विपरीत स्थिति है । इस अवस्था में सामाजिक नियंत्रण शिथिल एड़ जाता है और विभिन्न व्यक्ति और संस्थाएं मनमाने ढंग ये कार्य करने लगते हैं । इस स्थिति में समूह सम्बन्ध टूट जाते हैं, व्यक्तियों और समूह के पारस्परिक सम्बन्ध विकृत हो जाते हैं । अन्य शब्दों में सामाजिक विघटन का तात्पर्य व्यवस्था के टूट जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव से है ।

अत: यह स्पष्ट है कि सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत समूह अथवा समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले आदर्शो एवं सामाजिक नियमों का प्रभाव शिथिल होने लगता है । परिणामस्वरूप सामाजिक संरचना का स्वरूप बिगड़ जाता है और संगठन को चोट पहुंचती है ।

सामाजिक विघटन की प्रकृति समाज में अशान्ति व अस्थिरता लाने वाली है । सामाजिक विघटन की दशा में समाज में प्रतियोगिता एवं स्पर्द्धा इतनी बढ़ जाती है कि सदस्यों की भूमिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं । इस दौरान सामाजिक परिवर्तन हिंसात्मक रूप ग्रहण कर सकता है । सामाजिक विघटन की स्थिति में किसी व्यावस्था के निर्मायक तल अपनी जगह से हट जाते है, उनमें समन्वय की प्रवृति कमजोर पड़ जाती है और सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होती है । इस अवस्था में सामाजिक संरचना अस्त-व्यस्त हो जाती है तथा परिणामस्वरूप सामाजिक नियंत्रण के तरीके असफल रहते हैं और व्यवहार के प्राचीन ढंग अपनी उपयोगिता खो देते हैं । ऐसी अवस्था ही सामाजिक संरचना के विघटन के फलस्वरूप व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं ।

14.10 सामाजिक समस्याओं का निदान

समस्या का सामाजिक समस्या का समाधान उन कष्टप्रद सामाजिक स्थितियों के कारणों का पता लगाने पर निर्भर है जो समस्या को जन्म देते हैं । प्रत्येक सामाजिक समस्या अनेक कारणों से होती है फिर भी उसके प्रमुख कारणों, सहायक कारणों और छोटे उतेजित करने वाले कारणों का पता लगाना संभव है जो उस समस्या की उत्पति या विकास के लिए उत्तरदायी हैं । प्रत्येक समस्या संभवत:

अनूठी होती है और उसमें संभवतया कुछ ऐसी अपनी विशेषताएँ होती है जिनसे वह दूसरी समस्याओं से भिन्न लगती है । कई बार सामाजिक समस्या की प्रकृति ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण रखना असंभव नहीं तो अत्यन्त कठिन तो होता ही है । यह उस समय होता है जब सामाजिक समस्या सूखे या बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारणों से होती है या जब सामाजिक स्वार्थो के टकराव के कारण समस्या में सुधार के लिए बनायी गयी योजना क्रियान्वित नहीं हो पाती ।

सामाजिक समस्याओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने के पश्चात समाज को प्रभावी कदम उठाने चाहिये चाहे वे संस्थापित सामाजिक संस्थाओं को परिवर्तित करने का प्रयास हो या ऐसी संस्थाओं को बिना परिवर्तित किए हु ए ऐसे उपाय किए जाएँ जिनसे उनमें सुधार आए । इसके अतिरिक्त कार्यवाही संगठित रूप से हो सकती है या व्यक्तिगत रूप से संगठित रूप से या कार्रवाई सामूहिक प्रयास से होती है और व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई अपने व्यक्तिगत जीवन से की जाती है ।

सामाजिक समस्याओं का निवारण तभी संभव है जब समाज के व्यक्ति बार निम्नांकित भावनाएं रखते हैं -

1 स्थिति सुधारी जा सकती है ।

2 स्थिति को सुधारने के लिए दृढ़ निश्चय

3 लोगों में विश्वास और यह धारणा की उनकी बुद्धिमता और प्रयासों से असीमित उन्नति हो सकती है ।

4 स्थिति को सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी और बुद्धिसंगत ज्ञान और निपुणता के प्रयोगों की आवश्यकता । सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित तीन बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए -

1 बहु-कारकवादी उपागम

प्रत्येक सामाजिक समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है, उदाहरणार्थ अपराध की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उसकी आनुवंशिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, सामाजिक गठबंधन, सामाजिक संरचनाओं की कार्यशैली, तनावों और निराशाओं के सन्दर्भ में सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वह नियंत्रित नहीं की जा सकती ।

2 पारस्परिक सम्बद्धता

किसी भी सामाजिक समस्या को एक अलग-थलग समस्या अथवा परमाणवीय दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है । प्रत्येक समस्या दूसरी समस्याओं से सम्बन्धित होती है ।

3 सापेक्षिकता

प्रत्येक सामाजिक समस्या का समय और स्थान से सम्बन्ध होता है । एक समाज की समस्या को हो सकता है दूसरा समाज समस्या ही नहीं स्वीकार करे ।

बोध प्रश्न - 2

1 सामाजिक समस्या की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

2 सामाजिक समस्या क्या है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

3 सामाजिक समस्या एवं व्यक्तिगत समस्या के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।

4 सामाजिक समस्या के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।

5 सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के क्या कारण है ? इनके निदान के प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए।

6 सामाजिक विचलन क्या है ? स्पष्ट कीजिए ।

7 'सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याएँ विषय पर एक लेख लिखिए।

14.11 सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याओं मे अन्तर्सम्बन्ध

सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याओं में अत्यन्त गहरा अन्तर्सम्बन्ध है । ये एक सिक्के के दो पहलू हैं । अगर सामाजिक संरचना की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से जाल के रूप में परस्पर जुडी हुई हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाने में प्रकार्यात्मक रूप से सहयोग कर रही हैं तो ऐसे समाज में सामाजिक समस्याएँ न्यूनतम होगी । वहीं अगर संरचना के विभिन्न अवयव अपने अपेक्षित कार्यो की अनदेखी कर रहे हैं या फिर सामाजिक मानदण्डों के अनुसार आचरण नहीं करके उसका विरोध कर रहे हैं, तो उस समाज में सामाजिक समस्या का होना सम्भावित हो जाता है ।

हम किसी समाज की संरचना को देखकर वहीं की सामाजिक समस्या का अनुमान कर सकते हैं । वहीं दूसरी और सामाजिक समस्याओं को देखकर भी हम समाज की संरचना का आकंलन कर सकते हैं । ये एक दूसरे से सीधे अनुपात में जुडे हुए हैं ।

जब समाज में स्थायित्व होता है तब समाज की संरचना के विभिन्न इकाई एक दूसरे से दृढ़ रूप से जुडे होते हैं । आदिम समाज या जनजातीय समाज इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकते हैं । इन सरल समाजों में सामाजिक समस्याएँ लगभग न के बराबर होती हैं क्योंकि यहाँ सामाजिक विचलन वाले व्यवहार बहुत कम पाये जाते हैं । जबकि आधुनिकएवं विकसित समाज में जटिलता अधिक होने के कारण सामाजिक समस्याएँ भी अधिक पायी जाती हैं । सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण समाजों में समस्यायें उत्पन्न होती है । सामाजिक परिवर्तनों का अर्थ है प्रतिमानित भूमिकाओं में परिवर्तन या सामाजिक संबंधों के जाल में परिवर्तन या समाज की संरचनाओं एवं संगठन में परिवर्तन।

हमारी सामाजिक संरचना में पिछले बार पांच दशकों में जो परिवर्तन हुए हैं, वे इस प्रकार हैं कुछ निश्चित मूल्यों एवं संस्थाओं में परम्परा के स्थान पर आधुनिकता प्रदत प्रस्थिति के स्थान पर अर्जित प्रस्थिति का महत्व प्राथमिक समूहों की प्रमुखता के स्थान पर द्वितीयक समूहों की प्रमुखता, नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों के स्थान पर औपचारिक साधन, समूहवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद, धार्मिक मूल्यों के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष मूल्य, लोक कथाओं के स्थान पर विज्ञान और युक्तिकरण, एकरूपता के स्थान पर विषमता और औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रक्रियाएं, समाज के विभिन्न खण्डों में शिक्षा के विस्तार से हुइ अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, जाति व्यवस्था में शिथिलता, सुरक्षा के पारम्परिक स्त्रोतों में शिथिलता, अल्पसंख्यक समूहों में बढ़ती हुई आकांक्षाएँ व्यावसायिक गतिशीलता कई सामाजिक कानूनों का निर्माण और धर्म को राजनीति से जोड़ना । इस परिवर्तन के दौरान हमारी सामाजिक संरचना में कई अन्तर्विरोध उत्पन्न हो गये हैं । उदाहरण के लिए व्यक्तियों की आकांक्षा तो ऊँची हो गयी हैं परन्तु इनको पूरा करने के लिए न्यायसंगत साधन या तो उपलब्ध नहीं हैं या उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता । हम राष्ट्रीयता का उपदेश तो देते हैं परन्तु जातिवाद भाषावाद और संकीर्णता को अपनाते हैं । कई कानून बनाए गए हैं परन्तु इन कानूनों में या तो बचाव के कई रास्ते हैं या फिर इन्हें ठीक से लागू नही किया जाता । हम समानतावाद की बात करते हैं परन्तु

पक्षपात का प्रयोग करते हैं । हम आदर्शात्मक संस्कृति की अभिलाषा करते हैं परन्तु वास्तव में जिसका उदय हो रहा है वह इससे कोसों दूर है ।

सामाजिक संरचना के इतने सारे अन्तर्विरोधों से व्यक्तियों में असन्तोष और निराशा की भावनाएँ बढ़ी हैं और इनके कारण कई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है । युवा अशान्ति, जनजातीय अशान्ति, कृषकों में अशान्ति, औद्यौगिक अशान्ति, विद्यार्थी असन्तोष, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा आदि ने आन्दोलनों, दंगों विद्रोहों और आतंकवाद को पनपाया है । व्यक्ति निर्धनता रूपी गढ्ढे में गिरता चला जा रहा है और अमीर गरीब के बीच की खाई दिन-प्रीत-दिन चौडी होती जा रही है । भारत में धर्म भाषा, प्रजाति, जाति तथा क्षेत्रीयता के आधार पर अनेक भेद भाव पाए जाते हैं । व्यक्ति-व्यक्ति में सामाजिक और आर्थिक आधार पर ऊँच नीच का संस्तरण पाया जाता है । जातिवाद, अस्पृश्यता, भाषावाद, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता तथा बेकारी आदि समस्याएँ यहाँ मौजूद हैं ।

यहाँ बाल अपराधी एवं प्रौढ़ अपराधी भी पाए जाते हैं जो समाज के सम्मुख समस्या उत्पन्न करते हैं । जनसंख्या के विस्फोट से अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है । निरक्षरता, निम्न जीवन स्तर शराबखोरी, जुआ, वेश्यावृति एवं राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याओं का भी हमें प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है ।

जैसा की हम उपर चर्चा कर चुके हैं तीव्र सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना में विदोम की एक प्रमुख कारण रही है । पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नगरीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया भी तीव्र हुई है फलस्वरूप सांस्कृतिक विलम्बन, परिवार विच्छेद, स्लम्स की स्थापना, भाई-भतीजावाद आदि समस्याएँ बढ़ी हैं । परिवार में अंतर्कलह का बढ़ना, बुजुर्गों का सम्मान घटना, तलाक की घटनाओं में बढ़ोतरी, व्यक्तिवादी प्रवृतियों का बढ़ना, व्यक्ति का अकेला महसूस करना कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएँ हैं जो सीधी तरह से नगरीकरण एवं औद्योगीकरण की देन कही जा सकती हैं । सामाजिक संरचना में इस प्रकार के परिवर्तन विचलन की स्थिति पैदा करते हैं जो आगे चलकर समाज के स्थायित्व एवं दृढ़ता के लिए खतरा उत्पन्न करने लगती हैं ।

इस प्रकार अन्त में हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याओं में गहरा अन्तर्सबंध हैं । एक की जानकारी दूसरे के अभाव के अधूरी रह जाएगी । अत: अगर हमें सामाजिक समस्याओं का गहनता पूर्वक अध्ययन करना है तो इसकी शुरुवात हमें सामाजिक संरचना के अध्ययन से करनी चाहिए, तभी हम घटना की जड में जाकर उसके कारण को जान कर निवारण का प्रयास कर सकते हैं । दूसरी और सामाजिक समस्याएँ यह दर्शाती है कि समाज की संरचना किस प्रकार की है अगर समस्याएं कम है तो संरचना दृढ़ है ओर अगर समस्याएँ अत्यधिक हैं तो इसका तात्पर्य है कि सामाजिक संरचना में एकता एवं जुड़ाव का अभाव है तथा संरचना के अंग सही तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं ।

14.12 राजस्थान की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याएँ

ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहाँ कोई न कोई सामाजिक समस्या नहीं पायी जाती है । ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहाँ कोई न कोई सामाजिक समस्या नहीं पायी जाती है । सामाजिक समस्या या तो कम हो या अधिक पायी अवश्य जाती है । अब यह उस समाज की सामाजिक संरचना एवं नियामक मानकों पर निर्भर करता है कि समस्याओं का निष्पादन एवं निराकरण किया जाता है

या उसको प्लेग मानकर समाज उससे घबरा जाता है । भारतवर्ष विकासशील देश होने के कारण तीव्र गति से परिवर्तनशील है, फलस्वरूप यहाँ भी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं । राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बडा प्रदेश है तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से 'बिमारू' प्रदेश की श्रेणी में आता है । इस कारण राजस्थान भी सामाजिक समस्याओं के ग्रहण से अछूता नहीं है । हम एक - एक कर के राजस्थान की प्रमुख सामाजिक समस्याओं को देखने का प्रयास करेंगे ।

1 जनसंख्या

भारतवर्ष का सबसे बडा प्रदेश होने के कारण राजस्थान भी जनसंख्या के विस्फोट की समस्या से जूझ रहा हैं । सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 5 करोड़ 65 लाख से उपर (56,507,188) है । यह भारत की जनसंख्या का लगभग 5.49 प्रतिशत है । वहीं राजस्थान का लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 921 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष हैं । बही जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1991 -2001 लगभग 28.41 प्रतिशत है । कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 17.2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति लगभग 12.6 प्रतिशत है । यहाँ जनसंख्या का घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । क्या हमारा प्रदेश इतनी बडी जनसंख्या का पालन पोषण आसानी से कर सकता है जिसकी आधी से अधिक जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को बाध्य है । यह प्रश्न हमारे मानव संसाधनों के सही प्रबन्धक व शिक्षा की ओर सोचने व कुछ कर गुजरने के लिए आमंत्रित करता है । भारतवर्ष ही तरह की राजस्थान की सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का कारक जनसंख्या विस्फोट है जिसन सभी प्रकार की योजनाओं को विफल कर दिया है ।

2 क्षेत्रवाद

सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारक क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रवाद है । राजस्थान में स्थानीय लोगों ने प्रभावशाली बनने की लालसा के कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है । क्षेत्रवाद को लेकर नेता लोगों को भड़काते हैं नारे लगाते हैं, निवासियों को गुमराह करते है, सरकार पर दबाव डालते हैं । स्थानीय अधिकारियों को काम नहीं करने देते हैं । पृथक क्षेत्र की माँग को लेकर हड़ताल, आगजनी, मारपीट, तोड़फोड़ करके स्थानीय लोग नेता बनने का सपना देखते हैं । क्षेत्र की समस्याएँ तथा उनके समाधान की माँग करना इन बरसाती नेताओं का व्यवसाय सा बन गया है जो कि क्षेत्रवाद का ही परिणाम है।

3 धर्म

राजस्थान में भी भारत वर्ष की तरह सामाजिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण धर्म की भिन्नता रही हैं सन् 2001 की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं की जनसंख्या लगभग 88.75 प्रतिशत है, जबकि मुस्लिम 8.47 प्रतिशत सिख 1.45 प्रतिशत और जैन लगभग 1.15 प्रतिशत है । पारसी, बौद्ध तथा दूसरे अन्य धर्मो को मानने वाले लोगों की जनसंख्या राजस्थान में लगभग 0.5 प्रतिशत से भी कम है । हिन्दुओं का अधिकतम प्रतिशत दौसा जिले में 96.95 प्रतिशत तथा न्यूनतम गंगानगर जिले में करीब 72.64 प्रतिशत है । वहीं मुस्लिम जनसंख्या राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है जिसका अनुपात 8.47 है । जैसलमेर जिले में मुस्लिमों का अनुपात सबसे अधिक 23.64 प्रतिशत है जबकि डूँगरपुर जिले में इनका प्रतिशत सबसे कम 2.13 प्रतिशत है ।

राजस्थान में पिछली कुछ शताब्दियों से दो प्रमुख धर्मो में साम्प्रदायिक तनाव देखने को मिल 'रहा है । पिछले कुछ दशकों से अल्प धार्मिक समुदायों में भी भेदभाव है । तथा विवाद काफी पनपा

है । इन विभिन्न धार्मिक समदायों में अलगा वाद एवं पृथक्करण की भावना पनप गई है जिसने पारस्परिक घृणा, संघर्ष, आगजनी झगडे, मारपीट आदि समस्याओं को बढ़ावा दिया है ।

4 जाति

वर्तमान में राजस्थान में जातियों की संख्या निश्चित करना अत्यन्त कठिन कार्य है । लेकिन सभी जातियाँ अपने सदस्यों के मध्य जाति-भक्ति, जाति-निष्ठा, जातीयता की भावना रखती है जिसने जातिवाद को जन्म देकर एक विकट सामाजिक समस्या बना दिया है । राजस्थान की जाति अवस्था मूलत: वर्ण अवस्था से ली गयी है । जहाँ बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र इन चारों वर्णो के आधार पर जाति व्यवस्था बनायी गयी थी । और प्रारम्भिक अवस्था में जाति के आधार पर ही उनके कार्य भी निर्धारित किये गये थे । लेकिन परिणामस्वरूप उनके साथ सामाजिक, सास्कृतिक एवं आर्थिक स्तर पर शुरू से ही भेद भाव हुए हैं । इसके फलस्वरूप जातिवाद रूपी अभिशाप से समाज में भेद-भाव और जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया है ।

5 अशिक्षा

शिक्षाशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रियों के अनुसार सारी सामाजिक समस्याओं का कारण निरक्षरता या अशिक्षा है । वेसे तो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में 1991 से 2001 के बीच तीव्र गीत से प्रगति हुई है, लेकिन इसमें और विकास की आवश्यकता है । राजस्थान में साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार 60.41 प्रतिशत हो गयी है जो इसके पूर्व 1991 में मात्र 38.55 प्रतिशत थी । राजस्थान के कोटा जिले में शिक्षा का स्तर 2001 में सर्वाधिक 73.53 प्रतिशत और उसके बाद झुन्झुनु 17.04 प्रतिशत और सीकर में 70.47 प्रतिशत पाया गया । सबसे कम साक्षारता दर बॉसवाड़ा जिले में 44.63 प्रतिषत थी पुरूषों में साक्षरता दर 75.7 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं 43.9 प्रतिशत ये दर्शाती है कि महिलाएँ शिक्षा के स्तर पर अभी तो पुरूषों से काफी पिछड़ी हैं । दूसरी और शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या में भी काफी अन्तर देखा गया है । ग्रामीण क्षेत्र में काफी कम है । अधिकांश बालक चौथी कक्षा तक पहुँचने से पहले स्कूल छोड़ देते है ।

बालिकाओं की स्थिति और गम्भीर है । अशिक्षा व्यक्ति, समाज तथा आर्थिक विकास में प्रमुख बाधा है और इस समस्या का निराकरण हमे जल्दी ही करना चाहिए ।

6 निर्धनता :-

किसी भी समाज में समस्याओं का प्रमुख कारण निर्धनता है । निर्धनता के कारण बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं । रोटी, कपड़ा और मकान तथा स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित जीवन यापन करते हैं । राजस्थान देश के गीने चुने 'बिमारू' राज्यों मे से एक है जहाँ अभी भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है । इन्हें जीवन जीने की मूल-भूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये प्रदेश के विकास में किस प्रकार योगदान कर पाएँगे ये एक मूलभूत प्रश्न बनकर उभरता है । अगर हमें राजस्थान प्रदेश को 'बिमारु' राज्यों की श्रेणी से बहार निकालना है तो हमें सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के विकास के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पाएँगे ।

7 बेरोजगारी :-

समाज में धनोपार्जन का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक है जो व्यक्ति द्वारा भोजन वस्त्रआदि की व्यवस्था करने के लिए, उसे नियमित व व्यस्त रखने के लिए एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह व प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के उद्देश्य से किया जाता है । जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम व इच्छुक होता है और उस समय वह कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बेरोजगार का नाम दिया जाता है तथा कार्य प्राप्त न करने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है । वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट, ओद्योगीकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण की प्रवृति बढ़ी है जो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है । मशीन किसी भी कार्य को हाथों की तुलना में अधिक शीघ्रता पूर्वक करती हैं इससे कार्य करने वाले बेकार हो गये हैं ।

राजस्थान में भी अनेक लोगों के कार्य बन्द हो जाने के कारण बेरोजगारी बढ़ी है । इससे कई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है । रोजगार न मिलने से व्यक्ति में निराशा, कुण्ठा व हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वे अनुचित व अनैतिक कार्य करने को भी तैयार हो जाते हैं । इसका परिणाम व्यक्ति, समाज, राजस्थान प्रदेश एवं राष्ट्र सभी के लिए हानिकारक है ।

उपरोक्त समस्याओं के अलावा भी राजस्थान प्रदेश दूसरी समस्याओं से ग्रस्त रहा है । इनमें बाल श्रमिकों की समस्याएँ, नगरीकरण के फलस्वरूप गन्दी बस्तियों का निर्माण, सूखे की समस्या, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नशीले पदार्थो का सेवन आदि प्रमुख हैं जो किसी न किसी तरह से राज्य के विकास में बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं और जिनका निराकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

बोध प्रश्न-3

1 सामाजिक संरचना एवं सामाजिक समस्याओं के बीच क्या संबंध है? व्याख्या] कीजिए।

2 राजस्थान की प्रमुख सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

3 सामाजिक समस्या एवं सामाजिक संरचना के मध्य संबंधो की व्याख्या करते हुए राजस्थान की प्रमुख सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

14.13 सांराश

सामाजिक संरचना शब्द समाजशास्त्र में जीव विज्ञान से लिया गया है । जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक - दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुडे होते हैं तथा शरीर को चलाने में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं, उसी तरह से समाज का निर्माण अनेक इकाइयों संस्था समिति, रीति रिवाज, नाता आदि से बना है जो समाज को चलाने तथा इसकी व्यवस्था को बनाने में सकारात्मक योगदान करते हैं । अगर सामाजिक संरचना की सभी इकाइयाँ अपेक्षित कार्यो को कर रही हैं तो उस समाज में सामाजिक समस्याएँ न्यूनतम होती हैं । जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामाजिक मानदण्डों का पालन नहीं करता तब समाज में समस्याएँ उत्पन्न होती है ।

सामाजिक समस्या समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा अन-अपेक्षित तथा अस्वीकार्य मानी जाती हैं । वही व्यक्तिगत समस्या से व्यक्ति विशेष प्रभावित होता है । अगर व्यक्ति सामाजिक मानदण्डों एवं प्रतिमानों के विपरीत आचरण करता है तो, ऐसे व्यवहार को विचलित व्यवहार तथा इस घटना को विचलन की घटना कहेंगे । जब समाज की संरचना के गठन शिथिल एवं इसके नियंत्रण ढीले पड़ने लगते हैं तो इसे हम सामाजिक विचलन की घटना की संज्ञा देते हैं, यह एक ऐसी अवस्था है

जिसमें समूह अथवा समाज के सदस्यो के पारस्परिक सम्बन्ध छने लगते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले आदर्शो एवं सामाजिक नियमों का प्रभाव शिथिल पढ़ने लगता है ।

शायद ही कोइ ऐसा समाज होगा जहाँ सामाजिक समस्या किसी न किसी रूप में नहीं पायी जाती हो । राजस्थान प्रदेश भी इस समस्या से अछूता नहीं है । यहीं विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएँ पायी जाती हैं जो प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं । जनसंख्या का विस्फोट क्षेत्रवाद, धार्मिक रूढीवादिता एवं साम्प्रदायदाद जाति आधारित समस्याएँ, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, नशीले पदार्थो का सेवन, बालश्रमिकों की समस्याएँ, जल की समस्या, पर्दा-प्रथा, बाल - विवाह बालिका वध, कन्या भ्रूण हत्या आदि कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याएँ हैं जो राजस्थान के विकास में बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं । इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर करना होगा ।

14.14 बोध प्रश्न

1. सामाजिक संरचना किस प्रकार सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
2. सामाजिक समस्याएँ क्या है? राजस्थान की प्रमुख सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

14.15 संदर्भ ग्रन्थ

1	शर्मा एवं गुप्ता	-	समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, 2002
2	शर्मा एवं गुप्ता	-	समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2008
3	राम अहूजा	-	सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000
4	राम अहूजा	-	भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, 2002
5	विरेन्द्र प्रकाश शर्मा	-	समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएँ पंचशील, प्रकाशन, जयपुर, 2006
6	विरेन्द्र प्रकाश शर्मा	-	समाजशास्त्र के सिद्धान्त पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2006

इकाई 15

सामाजिक संरचना एवं समस्याऐं - II
राजस्थान के सम्बन्ध में जाति, विवाह, परिवार, स्तरीकरण आदि

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 सामाजिक संरचना

15.2.1 सामाजिक संरचना के तल

15.3 विवाह

15.3.1 सामाजिक संरचना पर विवाह के कुप्रभाव - दहेज प्रथा

15.3.2 बाल-विवाह

15.3.3 बिलम्ब विवाह

15.3.4 विधवा विवाह

15.3.5 विवाह विच्छेद

15.3.6 राजस्थान में मुस्लिम विवाह से जुडी समस्याएँ

15.4 परिवार

15.4.1 राजस्थान में संयुक्त परिवार के दोष

15.5 जाति

15.5.1 राजस्थान में जाति की विशेषताएं

15.5.2 राजस्थान में जाति प्रथा के दोष अथवा हानियाँ

15.6 स्तरीकरण

15.6.1 राजस्थान में स्तरीकरण के आधार

15.6.2 स्तरीकरण के अकार्य

15.7 सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

15.8 सारांश

15.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.10 शब्दावली

15.11 संदर्भ ग्रन्थ

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

1. सामाजिक संरचना के बारे में जान सकेंगे
2. विवाह नामक संस्था में कौन - कौन से दोष समाज को प्रभावित कर रहे है? यह समझ सकेंगे।

3. परिवार जैसी बहुपयोगी संस्था किस तरह से समाज की प्रगति को बाधा पहुँचा रही है? यह जान सकेंगे ।
4. किस प्रकार जाति-प्रथा सामाजिक एकता की बजाय सामाजिक विखण्डन पर आमादा है?
5. राजस्थान के समाज पर स्तरीकरण के कौन कौन से नुकसान है?

15.1 प्रस्तावना

सामाजिक संरचना भी हमारे शरीर की तरह ही होती है । जिस तरह से शरीर में आँख, कान, नाक, हाथ-पैर आदि अंग होते हैं उसी तरह सामाजिक संरचना के भी परिवार, जाति, विवाह, आदि अंग हैं । परिवार, जाति, विवाह, स्तरीकरण आदि राजस्थान के समाज में काफी लम्बे समय से चले आ रहे हैं । समय के साथ इनमें कुछ बदलाव भी हुए हैं । जो बदलते वक्त की रफ्तार के साथ नाकाफी है।

राजस्थान में परिवार नामक संस्था बदलते परिवेश के साथ किसी हद तक समस्या साबित हो रही है । यही हाल सामाजिक संरचना में योगदान करने वाली इकाइयों जाति, विवाह और स्तरीकरण का भी है । प्रस्तुत इकाई में हम इन ईकाईयों से उत्पन्न समस्याओं का राजस्थानी समाज परं पढ़ने वाले कुप्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी जटिलता व नियंत्रण पर भी प्रकाश डाल रहे हैं ।

15.2 सामाजिक संरचना (Social Structure)

प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी रहती है । ये इकाइयाँ परस्पर अवस्थित रूप से सम्बन्धित होती है तथा इनमें स्थिरता पाई जाती है । संरचना को परिभाषित करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन लिखते हैं, "जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तर हम उसके भागों अथवा संघटकों के क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं ।

इसे हम मानव शरीर के उदाहरण से समझते है । शरीर की संरचना हाथ, पैर, मुँह, ऑख, नाक, पेट, कान आदि अंगों (इकाइयों) से मिलकर बनी होती है । ये सभी अंग एक स्थान विशेष पर स्थित होते हुए व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक संरचना में चार विशेषताएँ देखने को मिलती है:-

1. प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगो, तलों या इकाइयों से होता है ।
2. इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाये जाते है ।
3. ये इकाइयाँ अपने - अपने स्थान पर स्थिर होती है ।
4. संरचना का सम्बन्ध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है । न कि उसकी आंतरिक संरचना से ।

जिस प्रकार से शरीर या भौतिक पदार्थ की संरचना होती है उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते है जैविकी सिद्धान्त के आधार पर समाज को समझने की बात हरबर्ट स्पेन्सर ने की है । समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, जाति, विवाह, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है । ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से सम्बन्धित होती हैं और अपने-अपने स्थान पर अपेक्षतया स्थिर होती हैं । इन सभी के संयोग से समाज का एक ब्राह्य स्वरूप प्रकट होता

है । जिसे हम सामाजिक संरचना कहते है। सामाजिक संरचना को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषा पर प्रकाश डालते हैः-

मजूमदार और मदान के अनुसार - "पुनरावृत्तिय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है ।

अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमात्रित एवं क्रमबद्ध ढाँचा है ।

15.2.1 सामाजिक संरचना के तल (Elements of Social Structure)

1. विभिन्न प्रकार के उपसमूह - सामाजिक संरचना का निर्माण कई प्रकार के उपसमूहों द्वारा होता है जो परस्पर संबंधात्मक मानदण्डों द्वारा अन्तर्संबंधित होते हैं । समाज में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं धारण करने वाले इन उपसमूहों में संगठन देखने को मिलता है । ये भूमिकाधारी ही सामाजिक प्रणाली में भाग लेते है ।
2. विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ - इन विभिन्न प्रकार के उपसमूहों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं होती हैं जो सापेक्ष दृष्टि से स्थायी होती हैं । कई भूमिकाएं तो उसे धारण करने वाले व्यक्ति की अवधि के बाद भी बनी रहती हैं । अन्य शब्दों में भूमिकाएं, भूमिकाधारियों से अधिक स्थायी होती है । क्योंकि वे प्रस्थितियों से जुडी होती हैं और वे प्रस्थितियों को साकार करती हैं ।
3. नियामक मानदण्ड - उपसमूहों तथा भूमिकाओं को परिभाषित, नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए नियामक मानदण्ड होते हैं । ये मानदण्ड अन्य प्रणालियों से संबंधों को भी निर्धारित करते है । इन्ही के कारण सामाजिक अन्तःक्रिया में स्थायित्व, नियमितता एवं पुनरावृत्ति पायी जाती है ।
4. सांस्कृतिक मूल्य - सामाजिक संरचना में संबंधात्मक एवं नियामक मानदण्डों के अतिरिक्त सांस्कृतिक मूल भी होते हैं । जिनके आधार पर वस्तुओं की तुलना की जाती है उन्हें एक दूसरे की तुलना में स्वीकृत या अस्वीकृत, वांछनीय या अवांछनीय, प्रशंसनीय या निदंनिय, उचित या अनुचित ठहराया जाता है । मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, लक्ष्यों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थो एवं गुणों का मूल्यांकन किया जाता है । जीवन के विभिन्न पक्षों एवं क्षेत्रों के अनुसार मूल्य भी अलग-अलग होते हैं । परिवर्तन प्रकृति का नियम है । समाज में मूल्य भी लगातार परिवर्तित होते रहते है । यदि समाज आध्यात्मिक है तो भावनाऐं प्रधान हैं । व्यक्ति संवेदनाओं को सर्वोपरि रखता है और नैतिक मूल्यों के आधार पर आदर सम्मान होता है । परन्तु यदि समाज पूंजीवादी है तो आदर सम्मान भावनाओं से नही पूंजी के आधार पर किया जाता है । नैतिकता दूसरे दर्जे पर और पूंजी प्रथम दर्जे पर होती है । राजस्थान के समाज में भी दोनों स्थितियों का सामंजस्य पाया जाता है । इस सामंजस्य के विस्तृत विवेचन के लिए सामाजिक संरचना की निर्णायक इकाइयों विवाह, परिवार, जाति और स्तरीकरण पर इस इकाई में विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है ।

बोध प्रश्न -1

1. सामाजिक संरचना से आप क्या समझते है ?
2. सामाजिक मूल्यों का सामाजिक संरचना पर प्रभाव बताइये।

15.3 विवाह

विवाह का शाब्दिक अर्थ है ''उद्वह' अर्थात वधू को वर के घर ले जाना । वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है । और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का समावेश होता है ।

बोगाईस ने विवाह को स्त्री और पुरूष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था माना है ।

यहाँ पर हम राजस्थान की सामाजिक संरचना पर कुप्रभाव डालने वाली विवाह से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे।

15.3.1 दहेज प्रथा (Dowry System)

दहेज का प्रचलन 20वीं या 21वीं सदी की देन नहीं है । इसका प्रारम्भ त्रेता युग से पूर्व का है लेकिन त्रेता युग में और उसके बाद तक वधू को जो वस्त्र, आभूषण या धनराशि दी जाती थी वह स्वैच्छिक थी । रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने राम के विवाह में जनक द्वारा दी गई सामग्री का उल्लेख उन्हीं के शब्दों में दासी दास दिये बहु तेस या दाईज दीन्ह अनेक विधि - ।
अर्थात भौतिक सम्पदा के अलावा सीता की प्रिय सखियों को भी उनके पिता ने दहेज में दिया ।

राजस्थान में विवाह से संबंधित समस्याओं में दहेज प्रथा एक अत्यन्त गंभीर समस्या है । इस प्रथा के कारण अधिकांश हिन्दू माता-पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है । साधारणत: दहेज में विवाह के अवसर पर ढेरों आभूषण, वस्त्र, नकदी व अन्य घरेलू सामान दिये जाते है ।

राजस्थान में हिन्दू विवाह से उपजी इस समस्या ने सामाजिक संरचना को बहुत नुकसान पहुँचाया है:-
इससे होने वाले निम्न कुप्रभाव हैं -

1. बालिका वध
2. पारिवारिक विघटन
3. आत्महत्या
4. ऋणग्रस्तता
5. निम्न जीवन स्तर
6. बहुपत्नी विवाह
7. बेमेल विवाह
8. विवाह संबंध टूट जाते है
9. अपराध को प्रोत्साहन
10. अनैतिकता
11. मानसिक बीमारियाँ
12. निम्न स्थिति

इस प्रकार सामाजिक संरचना में इतने दोष उत्पन्न करने वाली दहेज प्रथा राजस्थान के समाज में सामाजिक समस्या बनके उभरी है ।

15.3.2 बाल विवाह

राजस्थान में हिन्दू विवाह से सम्बन्धित दूसरी समस्या बाल विवाह की है । बाल विवाह का अर्थ है विवाह के समय लड़को की उस 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष होना आवश्यक है । इससे कम उम्र में विवाह बाल विवाह कहलाता है ।

राजस्थान में बाल विवाह के लिए धार्मिक, सामाजिक, एवं आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं । बाल विवाह के दुष्परिणाम भी बहुत हैं । इसके बारे में इस कार्यक्रम के प्रथम पाठ्यक्रम महिला प्रस्थिति: विविध आयाम की इकाई संख्या 4 में विस्तार से बताया गया है ।

15.3.3 विलम्ब विवाह

यह राजस्थान के समाज में व्याप्त एक और विवाह से जुड़ी समस्या है । लड़के या लड़की का बड़ी आयु में विवाह विलम्ब विवाह कहा जाता है । इसके भी सामाजिक संरचना पर कई दुष्प्रभाव हैं ।

- Ø देर से विवाह के कारण लड़के लड़कियों की आदतें, विचारधारायें तथा प्रवृत्तियाँ पूर्णत: परिपक्व हो जाती हैं । जिनमें परिवर्तन करना संभव नही होता । इस कारण वे एक दूसरे की इच्छानुसार अपने आपको परिवर्तित नहीं कर पाते, अत: उनके जीवन में सामंजस्य की संभावना कम हो जाती है ।
- Ø अधिक आयु में विवाह होने से समाज में अनैतिकता में वृद्धि होती है । तरुण होते ही काम भावना जागृत होती है परन्तु विलम्ब विवाह की वजह से उनकी वैध एवं उचित यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती । ऐसी दशा में उनमें से कुछ नीति विरुद्ध अवैध और अनुचित साधनों से अपनी कामवासना की तृप्ति करते हैं फलत: समाज में अनैतिकता और व्यभिचार की वृद्धि होती है ।
- Ø लम्बे समय तक यौन इच्छाएं दबाने से कई युवक युवतियों का कभी-कभी बौद्धिक विकास कठिन हो जाता है । साथ ही स्त्रियों में यौन प्रवृत्तियों में शिथिलता आ जाती है ।

15.3.4 विधवा विवाह

राजस्थान मे हिन्दू विवाह से संबंधित एक अन्य समस्या विधवा पुनर्विवाह की है । विधवा उस स्त्री को कहते हैं जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा पति की मृत्यु के उपरान्त जो पति रहित रहती हो । ऐसी विधवा का विधी संस्कारों से दूसरा विवाह पुनर्विवाह कहलाता है । राजस्थान के समाज में पति को यह अधिकार है कि वह पत्नी की मृत्यु के पश्चात विवाह कर लें । परन्तु स्त्री को इस अधिकार से वंचित रखा गया है । यह स्त्री के प्रति पुरूष का अमानवीय असंगत व्यवहार है । साथ ही समाज की विकट समस्या भी है । राजस्थान में विधवा विवाह की समस्या पर इस कार्यक्रम के प्रथम पाठ्यक्रम: महिला प्रास्थिति: विविध आयाम की इकाई संख्या 10 में विस्तृत विवेचना की गयी है ।

15.3.5 विवाह विच्छेद

विवाह विच्छेद का अर्थ वैवाहिक संबंधों का सामाजिक एवं वैधानिक दृष्टि से अंत है । इसके लिए राज्य अथवा समाज की स्वीकृति अत्यन्त आवश्यक है । विवाह विच्छेद इस बात को इंगित करता है कि पति-पत्नी सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने में असफल रहे हैं । राजस्थान में यह कानूनी समस्या ही नहीं बल्कि संवेदनशील व्यक्तिगत अनुभव है। विवाह विच्छेद से कमी-कभी एक पक्ष अपने आपको कुचला हु आ और अपमानित महसूस करता है इससे उसके आत्माभिमान को चोट पहुँचती है । और वैयक्तिक विघटन के साथ-साथ सामाजिक विघटन भी होता है । और जैसे ही सामाजिक विघटन होता है यह समस्या वैयक्तिक से सामाजिक हो जाती है । क्योंकि विवाह विच्छेद तो एक व्यक्ति का होता है उसके कुपरिणाम व्यक्ति, परिवार के अन्य सदस्यों तथा समाज को झेलने पड़ते हैं । राजस्थान मे समाज विवाह विच्छेद की स्थिति में लड़की को ही दोषी ठहराता है ।

15.3.6 राजस्थान में मुस्लिम विवाह से जुडी समस्याएँ

मुस्लिम विवाह को निकाह कहते हैं यह एक सामाजिक समझौता है न कि धार्मिक संस्कार। मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह एक सामाजिक या बिना शर्त का दीवानी समझौता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है । इन सब के बावजूद मुस्लिम विवाह से जुडी कुछ समस्याएँ राजस्थान के समाज में उपस्थित है जो अग्रलिखित हैं :-

1. मेहर की समस्या - मुस्लिम विवाह तभी वैध माना जाता है जब वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को मेहर दे दी जाए । यह मेहर की राशि गरीब परिवारों के वैवाहिक संबंधों में बाधा बनती है और बेमेल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है ।
2. बहु पत्नी विवाह - वैधानिक दृष्टि से एक मुस्लिम पुरूष को एक साथ में चार स्त्रियों से विवाह की स्वीकृति प्राप्त है । इससे पुरूषों की स्वेच्छा चारित बढ़ जाती है, अत्याचार और भेद भाव बढ़ जाता है । जो स्त्रियों के स्वस्थ व्यक्तित्व बिकास में बाधक बनता है । बच्चों बुर भी पुरा असर पड़ता है ।
3. बाल विवाह - हिन्दूओं से सम्पर्क के कारण इस दुष्प्रवृति में मुसलमानों की यह सोच है कि कम उम्र मे किया गया विवाह कम खर्च मे सम्पन्न हो जाता है । अतः राजस्थान के गॉवों के मुसलमानों में यह अधिक प्रचलित है ।
4. पर्दा प्रथा - मुस्लिम स्त्रियों को घर में बडे-बूढ़ों से और घर की चार दीवारी से शहर निकलने पर बुरका पहनना पडता है । इससे व्यक्तितत्व का स्वस्थ व संतुलित विकास नहीं हो पाता और वे घर तक ही कैद होकर रह जाती है । पर्दाप्रथा का पालन कठोरता से कराया जाता है ।
5. वैवाहिक अधिकारों की अव्यावहारिकता - राजस्थान में मुस्लिम स्त्रियों को विवाह से संबंधित सारे अधिकार दिखावटी हैं :-
   (i) विवाह से पूर्व स्वीकृति केवल मात्र ऑपचारिकता होती है ।
   (ii) मेहर की राशि पर स्त्री का नहीं बल्कि उसके परिवार का हक होता है ।
   (iii) विधवा विवाह करने वाली स्त्री को समाज हीन दृष्टि से देखता है
   (iv) तलाक के अधिकार पर भी स्त्री की भूमिका गौण है ।

6. सरल तलाक पद्धति - मुसलमानों मे विवाह विच्छेद एक बड़ी समस्या है । पुरूष के पास तलाक के एक तरफा अधिकार है । अत: स्त्री को सदैव पुरूष की दासी बनकर रहना पडता है ।

विवाह प्रणाली से उत्पन्न इन समस्याओं से राजस्थान का समाज ग्रसित है जो राजस्थान की सामाजिक संरचना में भी दुष्प्रभाव पैदा कर रहे है ।

बोध प्रश्न -2

1. विवाह से आप क्या समझते हे?
2. विवाह प्रणाली में उत्पन्न समस्याओं का सामाजिक संरचना पर प्रभाव बताईये ।

15.4 परिवार

प्राणीशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है । परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना भी कठिन होती है । प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का या तो सदस्य रहा है या है । यह मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है ।

मेकाईवर और पेज परिवार के बारे में कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन सम्बन्धों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है ।

संयुक्त परिवार

दुबे कहते हैं कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का नाता हो, एक स्थान पर भोजन करते हो और आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है ।

राजस्थान मे संयुक्त परिवारों की अधिक संख्याओं को देखते हु ए हम संयुक्त परिवार प्रणाली से उत्पन्न दोषों पर नजर डालते है:-

15.4.1 राजस्थान में संयुक्त परिवार के दोष

1. कार्यकुशलता और व्यक्तित्व विकास में बाधक - राजस्थान मे संयुक्त परिवार में समूहवाद की भावना प्रधान है । व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नही होता । अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रगति से बाहर या विदेश जाना चाहता है तो परिवार इसकी इजाजत नहीं देता । दूसरा परिवार में सबकी कमाई मुखिया के पास एकत्रित होती है । कम और ज्यादा कमाने वाले समान होते है । अधिक कमाने वालों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। उपरोक्त दोनों कारणों से कार्यकुशलता और व्यक्तिव विकास के अवसर मेहनती प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नहीं मिल पाते और परिवार के विकास पर नकारात्मक प्रभाव का प्रभाव समाज पर भी नकारात्मक पडता है।
2. अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि - राजस्थान में अकसर यह कहा जाता है कि जब तब बाप का साया सर पर है तब तक कमाने की कोई आवश्यकता नही । संयुक्त परिवार में सबको समान रूप से देखा जाता हैं । सबकी आवश्यकताएँ समान रूप से पूरी की जाती हैं । चाहे कम कमाता हो या ज्यादा अथवा बेरोजगार । इससे व्यक्ति आलसी व अनुत्साही बन जाता है । और मेहनती व्यक्तियों को भी जब लाभ सही अनुपात में नहीं मिलता तो उसके जोश, प्रोत्साहन, कार्यकुशलता आदि पर नकारात्मक असर पडता है और परिवार व समाज में अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि होती है ।

3. सामाजिक समस्याओं का पोषक - राजस्थान में संयुक्त परिवार के प्रतिमान और मूल्य रूढ़िवादी होते हैं । परिवार के सदस्य अंधविश्वासी, परम्परावादी तथा धार्मिक प्रवृति के होते है । वे अनेक सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने का विरोध करते है। पर्दाप्रथा, बाल विवाह, जातिप्रथा आदि का कट्टरता से पालन करते है । इसके माध्यम से स्त्री अशिक्षा, शोषण छूआछूत, दहेज जैसी समस्याएँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं ।
4. कलह का केन्द्र - संयुक्त परिवार में बच्चों और पतियों के काम काज को लेकर स्त्रियाँ आपस में झगड़ती रहती हैं । जिस संयुक्त परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो और घर भी छोटा हो, वहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब होते है ।
5. स्त्रियों की दुर्दशा - राजस्थान के संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का जीवन नरकमय होता है । उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नही होता । घर का काम करना, रसोई पकाना, बच्चों का लालन पालन, सास-ननद की सेवा यही उनके काम हैं । वह स्वतंत्र रूप से अपने विचार तक व्यक्त नहीं कर सकती । उन पर पिता और पुत्र नियंत्रण करते हैं । यही उनकी प्रस्थिति दासी से भी बदतर होती है । राजस्थान के संयुक्त परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वहां पर दुर्दशा बद से बदत्तर होती है ।
6. गोपनीयता का अभाव - राजस्थान में संयुक्त परिवार के सदस्यों के हिसाब से मकान छोटे रहते हैं । हर समय चहल पहल और शान्ति का अभाव होता है । पति-पत्नी दिन में बातचीत तक नही कर सकते । बड़ी आयु के सम्बन्धियों के आगे बच्चों को डाँट नहीं सकते । प्यार नहीं कर सकते, पति पत्नी परस्पर स्नेह प्रदर्शित नही कर सकते । इससे इन स्थलों पर गोपनीयता का अभाव होता है और संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है ।
7. मुखिया की स्वेच्छाचारिता - राजस्थान में संयुक्त परिवार का स्वरूप पितृसत्तामक होता है । परिवार का सबसे बड़ा पुरूष मुखिया होता है जो सभी निर्णय लेता है । अन्य सदस्य उससे बाद-विवाद नहीं कर सकते । अन्य सम्बन्धियों को मुखिया के समक्ष अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना पडता है । इस तरह से राजस्थान में संयुक्त परिवार में मुखिया की स्वेच्छाचारिता अन्य लोगों के तर्क संगत विरोध न मानने के कारण असन्तोष का कारण बनती है । परिवार में यह असन्तोष सामाजिक संरचना पर भी नकारात्मक असर डालता है । इस प्रकार से हम यह पाते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवार व्यवस्था में उत्पन्न हुए दोष दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं । जो राजस्थान के समाज में कई तरह की समस्याओं का कारण बना हुआ है ।

दोष दूर करने के उपाय

1. मुखिया को स्वयं की सत्ता (स्वेच्छाचारिता) में ढिलाई लाते हुए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय देना होगा ।
2. अकर्मण्यों को सामाजिक सजा का प्रावधान ।
3. परिवार में सभी सदस्यों की सलाह ली जायें व सभी को महत्व प्रदान किया जाये जिससे संयुक्त परिवार व्यवस्था कलह का केन्द्र न बन सके ।
4. स्त्रियों को उनका उचित हक व सम्मान मिले जिससे उनकी दशा सुधारी जा सके और वे अपने आप को बौना न समझें।

बोध प्रश्न -3

1. राजस्थान में संयुक्त परिवार मे उत्पन्न दोष किस प्रकार व्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे है?
2. संयुक्त परिवार व्यवस्था कलह का केन्द्र न बने इसे कोई दो उपाय बताये?

15.5 जाति

राजस्थान की सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । आदिकाल से ही यही जाति प्रथा का प्रचलन रहा है । यही सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति एवं वर्ण रहे हैं । जाति सामाजिक संरचना का मुख्य आधार रही है । इससे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन भी प्रभावित होता है ।

जाति का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of caste)

जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट (Caste) का हिन्दी अनुवाद है, अंग्रेजी के (Caste) शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के (Casta) शब्द से हुई है । जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है । जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया - डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुब्बाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया ।

विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है -

1. क्रोबर ने जाति की परिभाषा देते हुए कहा है कि “जाति नृवंशीय (Ethnic) इकाई का एक अन्तर्विवाही, वंशानुगत उपविभाग (Sub - division) है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अन्य ऐसे भागों की तुलना में ऊँची या निम्न होती है ।"
2. इरावती कर्वे के अनुसार - " यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। ”
3. कूले के शब्दों में - "जब एक वर्ग पूर्णत: आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते है । कूले की परिभाषा में जाति को आनुवांशिक बताया गया है ।

15.5.1 राजस्थान में जाति की विशेषताएँ

राजस्थान में जाति की मिली जुली विशेषताएँ रखने को मिलती है । जिन्हें सततता एवं परिवर्तन के परिपेक्ष्य में समझा जा सकता है ।

1. एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते । ऐसा करने पर उन्हें सामाजिक निंदा और जाति-पंचायत की कार्यवाही का सामना करना पड़ता है ।
2. प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खाने-पीने के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध होते है । राजस्थान में मुख्यत: निम्न प्रतिबंध दृष्टिगोचर होते हैं -
   (i) सहभोज निषेध - अर्थात किसके साथ बैठकर भोजन किया जा सकता और किसके साथ नही ।
   (ii) रसोई निषेध- कौन-कौनसी जातियों के व्यक्तियों द्वारा बनाई गयी रसोई खाने योग्य है, किन की नहीं ।

(iii) पीने के निषेध- इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस जाति का सदस्य किस-किस जाति के व्यक्तियों के हाथों पानी पी सकता है अथवा नहीं ।

(iv) हुक्का पानी निषेध - इसके अन्तर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किन-किन जाति के व्यक्तियों के साथ हुक्का (धुमपान) पिया जा सकता है ।

3. यहाँ अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित हैं ।
4. यही भी जातियों में ऊँच-नीच का स्तरण पाया जाता है ।
5. व्यक्ति की जाति उनके जन्म के आधार पर ही आजीवन के लिए निश्चित हो जाती है ।

3. नये आविष्कारों में बाधा - राजस्थान में बहुधा ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि माता-पिता और जाति समाज बच्चे की असाधारण प्रतिमा को नजरंदाज करके उसे अपने परम्परागत पेशे से जोड रखना चाहते हैं और आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण वह प्रतिभा वहीं दबा दी जाती है । अत: नये आविष्कार नहीं हो पाते ।
4. वर्ग विशेष को निष्क्रिय बनाती है-जाति प्रथा वर्ग विशेष के लोगों को निष्क्रिय व अकर्मण्य बनाती है । वर्ग विशेष के व्यक्ति स्वयं खेतों में काम नहीं करते हैं । यह निष्क्रियता दूसरे वर्ग विशेष में आक्रोश व शोषण का कारण बनती है ।
5. स्त्रियों की निम्न स्थिति - राजस्थान में जाति प्रथा के कारण स्त्रियों की दयनीय स्थिति है । अधिकार प्राप्त नहीं है । बाल-विवाह आम प्रचलन में है जिससे स्त्रियों की निम्न स्थिति का पता यही वर्ग विशेष में स्त्रियों को पर्दे में रहने की विवशता है । कोई खास अधिकार चलता है।

15.5.2 राजस्थान में जाति प्रथा के दोष अथवा हानियाँ

आज अधिकांश लोग जाति के उन्मूलन की वकालत करते हैं क्योंकि आज जाति अवस्था में इतने दोष पैदा हो गये हैं कि ऐसा सोचना स्वाभाविक है । जातिगत संकीर्णता के भाषी परिणाम भयावह एवं समाज की एकता के लिए खतरा साबित हो सकते है ।

1. राष्ट्रीय एकता में बाधा - राजस्थान में फूट और उपद्रव का कारण जाति रही है । जब एक राज्य के जाति के आधार पर सैकड़ों टुकड़ें हो तो राष्ट्रीय एकता की बात करना बेमानी है । एकता के लिए जिस 'हम-भावना' की आवश्यकता होती है, जाति प्रथा उसे पनपने ही नही देती । अपने जातीय हितों को सर्वोपरि रख कर जातियाँ दूसरी जातियों को विकास की दौड़ में आने ही नहीं देना चाहती । राजस्थान में जाटों और जाटवों के मध्य वैमनस्य और मीणा जनजाति और गुर्जरों के आरक्षण की माँग पर सशस्त्र विरोध इसके ही उदाहरण है । राजस्थान के गॉव भी इसी जातिगत आधार पर अनेक क्षेत्रों में बंटे है । विशेष रूप से हरिजन बस्ती, सवर्णो से बिल्कुल अलग।
2. प्रजातंत्र विरोधी - प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के लिए, जनता द्‌वारा जनता का राज्य । प्रजातंत्र के 3 मूल सिद्धान्त है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा । किन्तु जाति प्रथा अप्रजातांत्रिक है । यह प्रजातंत्र के समानता पर नहीं वरन् जन्म से ही असमानता पर आधारित है । इसमें विभिन्न जातियों के बीच असमानता का सिद्धान्त किये जाने के कारण जातिवाद में भाई चारे की भावना का अभाव पाया जाता है । जातीय भेद के कारण जातीय तनाव व द्‌वेष, विषमता एवं घृणा उत्पन्न होती है ।

3. सामाजिक असमानता - राजस्थान में जाति प्रथा सामाजिक असमानता का वह दृश्य प्रस्तुत करती है जो अद्वितीय है । जहाँ आज भी मनुष्य, मनुष्य मात्र के छूने से भ्रष्ट हो जाता है । कई मंदिरों, पानी भरने के सामूहिक स्थलों आदि पर अस्पृश्यता ही नही पाई जाती है बल्कि अप्रवेश्यता और अदर्शनीयता भी पाई जाती है ।
4. धर्म परिवर्तन - राजस्थान में शोषण से परेशान होकर कई निम्न जाति विशेष के लोगों ने इकट्ठे होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है । ये हिन्दू धर्म से ईसाई, बौद्ध या मुसलमान बन गये । यह धर्म परिवर्तन व्यक्ति को दोनों ही धर्मों में पूर्णत: प्रवेश नही दिला पाता । और नये धर्म से संतुलन ठीक न बैठ पाने के कारण नये धर्म से जुड़ाव पुराना धर्म अपनाने में बाधक बनता है । उनकी हालत 'साँप-छछूंदर' जैसी हो जाती है । जो ना खाये बनता है. न उगलते ।
5. नैतिक पतन - जाति प्रथा कुछ सीमा तक नैतिक पतन हेतु भी उत्तरदायी है । जाति के विशिष्ट स्वार्थो से जुड़ा व्यक्ति, व्यक्ति को पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करती है । और योग्य के प्रति यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार नैतिक पतन का कारण भी होता है ।
6. अंध-विश्वास व रूढ़िवादियों में वृद्धि - जातिगत नियमों, उपनियमों एवं नाना धार्मिक कर्मकाण्डों तथा रीति रिवाजों ने समाज में अंधविश्वास और रूढिवादिता को बड़ा प्रोत्साहन दिया है । इसके कारण व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता कुंठित हो गई है और उसे जाति गत बंधनों के तहत जीवन बिताना पडता है । राजस्थान इस समस्या से ग्रसित है ।
7. राज्य विकास में बाधक - जाति प्रथा ने सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और भाई- भतीजा वाद को जन्म दिया है । इससे राज्य का विकास हर क्षेत्र में प्रभावित हुआ है ।
8. जातीय संघर्ष - जाति प्रथा ने अपनी कुंठित सोच और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों ने सामाजिक तनाव और जातीय संघर्षो को जन्म दिया है । राज्य में विभिन्न जातियों के मध्य जातिय संघर्ष बढते-बढते साम्प्रदायिक रूप लेते भी देर नहीं लगाते।

जातिगत दोष दूर करने के उपाय

1. आरक्षण के आधार को परिवर्तित किया जाये जन्म व जाति के आधार पर आरक्षण को बन्द किया जाये ।
2. राजस्थान में उन सभी गतिविधियों पर रोक लगायी जाये जिससे जाति व्यवस्था महिमा मण्डित हो रही हों ।
3. अस्पृश्यता कानून का सख्ती से पालन हो ।
    1. छात्रों को छात्रवृत्ति जातिगत आधार पर न दी जाकर आर्थिक आधार पर दी जाये ।
    2. गरीबी मापन के पैमाने सभी के लिए समान हो उसमें किसी प्रकार के प्रभावों का समावेश न हो ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य में जाति व्यवस्था में कई बुराइयाँ प्रविष्ठ हो गई हैं जो उपरोक्त प्रभावों के साथ मिलकर राज्य की सामाजिक संरचना को कमजोर बना रही हैं ।

बोध प्रश्न -4

1. राजस्थान में जाती की विशेषताओं पर संक्षिप्त लेख लिखिए।
2. राजस्थान में जाती किस तरह से सामाजिक समस्या साबित हो रही है ?

15.6 स्तरीकरण

आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है । ऐसे समाज जहाॅ उसके सदस्यों में वास्तविक रूप से समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो एक कोरी कल्पना है । मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नही रहीं सभ्यता और विकास के साथ-साथ सामाजिक असमानता बरती गई और समाज उन और निम्न स्तरों में विभाजित हो गया । समाज में व्याप्त इस उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही सामाजिक स्तरीकरण कहते है ।

दूसरे शब्दों में स्तरीकरण समाज में समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है।

स्तरीकरण को 5 स्वरूपों मे समझा जा सकता है

1. जाति - जिसका आधार जन्म होता है । राजस्थान में जातिगत स्वरूप बड़ा प्रभावी है । विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में । डॉ. योगेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक (Modernization of India Tradition) में बताया कि जातिगत स्वरूप में जो बदलाव परिलक्षित हो रहा है, वह वास्तविक सरंचना में बदलाव न होकर रुपांतरण (Adaptive) है ।
2. वर्ग - वर्ग पर आधारित स्तरीकरण आर्थिक संस्करण का परिचायक है जो कि मुख्यत: मॉर्क्स के साधन सम्पन्न व साधन विहीन वर्ग अर्थात पूंजीपति व श्रमिक दो वर्गो की वकालत करता है । राजस्थान में आधुनिक औधोगिक समाजों में वर्ग आधारित अध: संरचना व अधोसंरचना उभर कर आ रही है । जबकि ग्रामीण परिवेश में या अल्प विकसित सामाजिक व्यवस्था में आज भी जातिगत आधार दिखाई देता है ।
3. सत्ता या शक्ति **(Power)** - जिसे वैबर ने संस्था द्वारा स्वीकृत माना है जबकि इसमें शारीरिक रूप से शक्तिशाली का कमजोर की तुलना में संस्तरण में उच्च स्थान है । राजस्थान में मेले व उत्सवों के समय कई कई हजारों के अखाड़े आयोजित किये जाते हैं जिनके आयोजन में प्रशासन की अहम भूमिका इस बात की परिचायक है कि पहलवान उस अखाड़े के ध्यानाकर्षण का केन्द्र ही नहीं होते अपितु उच्च सामाजिक स्थिति के परिचायक है
4. एथनॉसिटी **(Ethnocity)** - किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला एक समूह विशेष जिसकी वेशभूषा, भाषा व कुछ विशेषताएँ अन्य से भिन्न होती हैं । जिसके कारण वे अन्य समूह से न केवल भिन्नता लिए होते हैं अपितु पहिचाने भी जाते है । एथनो समूह कहलाते हैं । उनकी यह विशेषता एथनॉसिटी कहलाती है । जिससे उनकी उच्चता व निम्नता का बोध होता है । जनजातियों में एथनोसिटी आधारित संस्तरण पाया जाता है ।
5. लिंग **(Gender) -** लिंग पर आधारित संस्तरण में लड़के की प्रस्थिति लड़की से उच्च तथा पुरूष की प्रस्थिति स्त्री से उच्च समझी जाती है । भारत पुरुष प्रधान समाज है जिसका प्रभाव राजस्थान में भी परिलक्षित हो रहा है । महत्वपूर्ण मसलों पर पुरुषों को स्वतन्त्र निर्णय लेने का अधिकार है यही तक अधिकांश परिवार व समाजों में उनकी राय लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी जाती । चाहे वे आर्थिक उत्पादन में ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्यो न जुडी हों । शहरी आधुनिक व औद्योगिक समाजों में कुछ मसलों पर स्त्री की सलाह ली जाने लगी है । मध्यम वर्ग में जहाँ

महिला में शिक्षा, अभिभाषक, लेखक, पत्रकार, डॉक्टर आदि व्यवसाय से जुड़ी हैं उनसे अवश्य समानता दर्शाते हुए उनकी सलाह ली जाती है ।

15.6.1 राजस्थान में स्तरीकरण के आधार

राजस्थान के समाज को देखते हुए हम स्तरीकरण के प्रमुख आधारों को दो भागों मे बॉट सकते ई ।

(A) प्राणिशास्त्रीय आधार

(B) सामाजिक-सांस्कृतिक आधार

(A) प्राणिशास्त्रीय आधार

1. लिंग-भेद के आधार पर राजस्थान में स्त्री और पुरूषों का स्तरीकरण किया जाता है । यही पुरूषों की स्थिति स्त्रियों से ऊँची और लड़कों की लड़कियों से ऊँची मानी जाती है ।
1. आयु - आयु के आधार पर राजस्थान समाज में पुमुख बार स्तर हैं ।
   (1) शिशु (2) किशोर (3) प्रोढ़ (4) वृद्ध
   यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण पर अधिक आयु के व्यक्तियों को दिये जाते है ।
2. प्रजाति - राजस्थान में प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण बहुत अधिक प्रचलन में नहीं है ।
3. जन्म - राजस्थान में जो लोग उच्च कुल, वंश एवं जातियों में जन्म लेते हैं । वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं।
4. शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता - जो लोग अकुशल, पागल, क्षीणकाय, आलसी एवं अयोग्य होते हैं । उनका स्तर उन लोगों से नीचे होता है जो बुद्धिमान, परिश्रमी, सक्षम एवं कुशल होते है । राजस्थान में विवाह के समय यह स्तरीकरण अत्यंत प्रभावी होता है ।

(B) सामाजिक - सांस्कृतिक आधार

1. सम्पत्ति - राजस्थान समाज में वे लोग ऊँचे माने जाते हैं जिनके पास अधिक संपत्ति होती है । इसके विपरीत गरीब और संपत्तिहीन लोगों की स्थिति निम्न होती है । गाँवों में यह स्तरीकरण अत्यंत प्रभावी होता है ।
2. व्यवसाय - डॉक्टर, इन्जीनियर, प्रशासक, प्राध्यापक आदि का पेशा बाल काटने बालों, कपड़े धोने वालों से, चमड़े का काम करने वालों से श्रेष्ठ व सम्माननीय माना जाता है चाहे वे अपेक्षाकृत कम पैसे कमाते हैं ।
3. धर्म - धर्म प्रधान समाजों में जो लोग धार्मिक कर्मकाण्डों में संलग्न होते हैं, धार्मिक उपदेश देते है, एवं धार्मिक अध्ययन में रत रहते है, उन्हें सामान्य लोगों से ऊँचा माना जाता है । इसी कारण काजी और पुजारी की प्रस्थिति सामान्य जन से ऊँची मानी जाती है ।
4. राजनीतिक शक्ति - सत्ता और अधिकारों के आधार पर जिन लोगों के पास शासन की बागडोर होती है । उनकी प्रस्थिति उन लोगों से ऊँची होती है जो सत्ता एवं शक्ति से रहित होते हैं । राजस्थान में आरक्षण के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र नियत कर देने से यह स्तरीकरण और प्रभावी हो गया है ।

15.6.2 राजस्थान में स्तरीकरण के अकार्य (Disfunctions)

1. समानता का विरोधी - स्तरीकरण का सिद्वान्त असमानता पर आधारित है । राजस्थान के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि यही सभी पालकी में बैठना चाहते हैं, अगर सभी पालकी में बैठेंगे तो पालकी में कौन बैठेगा।
2. व्यक्तित्व विकास में बाधक - स्तरीकरण से निम्न वर्ग के लोगों में हीन भावना पनपने से व्यक्तित्व विकास ठीक से नहीं हो पाता । उच्च वर्ग के व्यक्ति जब अच्छी सुविधाओं से आगे बढ़ते हैं तो यह अपेक्षाकृत निम्न वर्ग के लिए व्यक्तित्व विकास में बाधक होता है ।
3. निष्क्रियता - स्तरीकरण में व्यक्ति जब निश्चित पद प्राप्त कर लेता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है और इस निष्क्रियता का प्रभाव समाज और संगठन पर नकारात्मक पड़ता है ।
4. संघर्ष को जन्म - स्तरीकरण के कारण विभिन्न वर्ग बनते हैं । कुछ वर्गो को कम सुविधाएँ प्राप्त होती हैं तो कुछ को ज्यादा । इसमें विभिन्न वर्गो में संघर्ष पैदा होता है । राजस्थान के विभिन्न इलाकों में समय-समय पर होने वाली पूंजीपतियों और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष इसका उदाहरण है । इस संघर्ष के कारण ही सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध सीमेंन्ट फैक्ट्री बंद हो गई ।
5. निराशा को जन्म - स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों को अधिक महत्वपूर्ण कार्य सौपे जाते हैं और कुछ को कम । जिन लोगों को कम महत्वपूर्ण पद एवं कार्य सौंपे जाते हैं उनमें निराशा व असंतोष पैदा होता है । राजस्थान में भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है । राजस्थान में कहा जाता है कि जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए बाल धूप में पके होने चाहिए । इससे जो व्यक्ति कम उम्र का होता है और योग्य होता है उसे निराशा होती है । जो सामाजिक व्यवस्था] पर नकारात्मक असर डालती है ।
6. असुरक्षा - स्तरीकरण में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसलिए व्यक्ति को सदैव असुरक्षा महसूस होती है । कई बार उच्च पद पर पहुंच जाने के बाद भी उस पद को बनाए रखना कठिन होता है । राजस्थान में आरक्षण से आये कुछ पदाधिकारी अपने को व्यवस्था में सदैव असुरक्षित पाते है क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आगे आये उनके निचले स्तर के पदाधिकारी जान क्षेत्र में उनसे ज्यादा होने के कारण वे सदैव असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते है ।
7. वर्ग चेतना और पक्षपात - हमने देखा कि स्तरीकरण में विभिन्न वर्ग बन जाते हैं । समय के साथ इन वर्गो में वर्ग चेतना पनपने लगती है । इन वर्गो में कुछ को कम और कुछ को अधिक अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त होती है । इस पक्षपात से कुछ वर्ग इसका विरोध करते हैं
   और सुविधाएँ प्राप्त करने वाला वर्ग दूसरे वर्ग की उपेक्षा करता है । राजस्थान के संदर्भ में मीणाओं व गुर्जरों के बीच अधिकारों को लेकर वर्ग चेतना और पक्षपात साफ दिखाई देता है । इस प्रकार हम पाते है कि स्तरीकरण समाज में असमानता के साथ साथ निष्क्रियता, पक्षपात, व्यक्तित्व विकास में बाधक, संघर्ष का जनक और असुरक्षा जैसी भावनाओं का पोषण करने वाला है । जिससे सामाजिक संरचना में विभिन्न दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हुए है । जिनका राजस्थानी समाज पर निसंदेह नकारात्मक प्रभाव पड़ा है ।

15.7 सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

1. शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और साक्षरता लक्ष्य 100 प्रतिशत किया जाये ।

2. अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को नौकरी दी जाए ताकि इसे और अधिक प्रोत्साहन मिले और दहेज, बाल-विवाह, बेमेल विवाह, जाति कट्टरता पर अंकुश लगे ।
3. शिक्षा सिनेमा के माध्यम से बच्चों को सामाजिक समस्या के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाए।
4. सामाजिक चेतना व जागरूकता बढ़ाने हेतु जाति के दुष्प्रभावों, स्तरीकरण के दोषों से जन सामान्य को जागरूक बनाया जाये ।
5. जाति महापंचायतों पर रोक लगाई जाए ।
6. जाति के आधार पर आरक्षण खत्म किया जाए ।
7. महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में प्रभावी कदम बढाया जाए ।
8. गैर सरकारी संस्थाओं को सामाजिक - समस्याओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए ।

बोध प्रश्न-5

1.सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं ?

2.राजस्थान के समाज में स्तरीकरण से होने वाले दुष्प्रकार्य समझाइये।

15.8 सारांश

इस इकाई में आपने जाना कि सामाजिक संरचना की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों में पूर्व स्थापित संस्थात्मक विशेषतायें वर्तमान में दोष के रूप में हमारे समक्ष दृष्टिव्य हो रहे हैं । ये सामाजिक समस्या बने हुए है । जैसे विवाह नामक संस्था से बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, बिलम्ब विवाह, और विवाह विच्छेद जैसी समस्याएँ जुड़ी हुई है । संयुक्त परिवार नामक संस्था आज वैयक्तिक विकास और सामाजिक विकास दोनों में ही बाधक साबित हो रही है । जाति राजस्थान के समाज में एकता की बजाए विखण्डन कर रही है और स्तरीकरण भी समाज की प्रगति की बजाय उनके विकास में बाधक सिद्ध हो रहा है । ये सभी सामाजिक, संरचना को विकृत कर रहे है और सामाजिक समस्या बन कर राज्य ब राष्ट्र को हानि पहुँचा रहे हैं । इन सभी के नियन्त्रण के पीछे शिक्षा एक अहम भूमिका निभा सकती है । हमें आवश्यकता है समाज के नागरिक को सही मायने में शिक्षित (सभ्य) एवं सदाचारी बनाने की, न कि साक्षर बनाने की ।

15.9 बोध प्रश्नों के उत्तर प्रश्न

प्रश्न 1. सामाजिक संरचना से आप क्या समझते है?

उत्तर: जिस तरह से शरीर की संरचना आँख, कान, नाक, मुँह, हाथ-पैर आदि से मिलकर बनती है । और इन अंगों का एक नियत स्थान और कार्य होता है उसी तरह सामाजिक संरचना भी कई इकाइयों जैसे जाति, परिवार, विवाह, संघों, प्रतिमानित संबंधों और मूल्यों आदि से मिलकर बनी होती है । ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं। और अपेक्षतया स्थिर होती है । इनके संयोग से निर्मित बालसंरचना सामाजिक संरचना कहलाती है ।

प्रश्न 2. सांस्कृतिक मूल्यों का सामाजिक संरचना पर प्रभाव बताईये?

उत्तर: सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर तुलनात्मक स्वरूप तय होते हैं । इन्हीं के आधार पर मूल्यों को वांछनीय या है । अवांछनीय, प्रशंसनीय या अप्रशसनीय उचित या अनुचित ठहराया जाता

है । सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ही भावनाओं, विचारों, साधनों, संबंधों, समूहों, पदार्थो और गुणों का मूल्यांकन किया जाता है । यदि समाज आध्यात्मिक है तो भावना प्रधान होगा, संवेदनाएं सर्वोपरि होगी और नैतिक मूल्यों के आधार पर आदर सम्मान होगा । यदि समाज पूंजीवादी है तो आदर-सम्मान भावनाओं से नही पूंजी के आधार पर होता है ।

प्रश्न 3. विवाह से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: विवाह सामाजिक संरचना में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है । जिसका शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना । सामान्य अर्थो में विवाह विषम लिंगी के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति देता है । विवाह को स्त्री और पुरूष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था माना है । इस संस्था में दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का समावेश होता है ।

प्रश्न 4. विवाह प्रणाली में उत्पन्न समस्याओं का सामाजिक संरचना पर प्रभाव बताईये?

उत्तर: राजस्थान में विवाह प्रणाली में ढेरों दोष दृष्टिगोचर होते हैं जो सामाजिक संरचना पर कुप्रभाव डाल रहे है । मसलन दहेज प्रथा जो राजस्थान के समाज में समस्याओं की जड साबित हो रही है । इससे कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों द्वारा आत्महत्या, अनैतिकता और अपराध को प्रोत्साहन मिल रहा है । इसके अलावा बाल विवाह, बेमेल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी समस्याएँ समाज में कई विसंगति फैलाकर कुप्रभाव डाल रही हैं ।

प्रश्न 5. राजस्थान में संयुक्त परिवार में उत्पन्न दोष किस प्रकार व्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे है?

उत्तर : राजस्थान के समाज में संयुक्त परिहार व्यक्तित्व विकास और कार्यकुशलता में बाधक सिद्ध हुआ है । वहीं इससे अकर्मण्य व्यक्तियों में वृद्धि होती है । गोपनीयता का अभाव, स्त्रियों की दुर्दशा, मुखिया की स्वेच्छाचारिता के कारण यह सामाजिक समस्याओं का पोशक बना हुआ है । जिसके कारण व्यक्ति के साथ-साथ समाज का विकास भी अवरुद्ध होता है । जो दूरगामी अर्थो में सामाजिक समस्या बना हुआ है ।

प्रश्न 6. संयुक्त परिवार अवस्था कलह का केन्द्र न बने इस हेतु कोई तीन उपाय बताईये ।

उत्तर: (1)अकर्मण्यों को सामाजिक सजा (अपमान, प्रताड़ना, बगैरहा) का प्रावधान हो ।

(2) मुखिया की स्वेच्छाचारिता में ढिलाई लाते हुए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया जाय ।

(3) स्त्रियों की दशा में सुधार किया जाये । उन्हें परिवार में सम्मान व अधिकार प्रदान करके तथा महत्वपूर्ण मसलों पर सलाह ली जाये ।

प्रश्न 7. राजस्थान में जाति विशेषताओं पर संक्षिप्त लेख लिखिए ।

उत्तर: राजस्थान में जाति के सदस्य अकसर जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते । प्रत्येक जाति दूसरी जातियों के साथ खाने पीने के संबंध में कुछ प्रतिबंध रखती है जो सहभोज निषेध, रसोई निषेध, पीने के निषेध, हुक्का पानी के निषेध के अन्तर्गत आते हैं । इसके अलावा यहाँ गाँवों में अधिकांश जातियों के पेशे निश्चित है, ऊँच नीच का स्तरण पाया जाता है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जन्म के आधार पर ही जाति जीवन भर के लिए निश्चित हो जाती है ।

प्रश्न 8. राजस्थान में जाति किस तरह से सामाजिक समस्या साबित हो रही है?

उत्तर: आज जाति प्रथा दिन पर दिन संकीर्ण होती जा रही है । जहाँ ये एक तरफ सामाजिक एकता की पर्याय थी वहीं आज यह राष्ट्रीय एकता में बाधा, प्रजातंत्र विरोधी, सामाजिक असमानता, धर्म परिवर्तन, जातीय संघर्ष नैतिक पतन जैसी बुराईयों की जननी साबित हो रही है । जाति प्रथा से उपजी संकीर्णता से समाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और इससे समाज में अन्य बुराइयों को पनपने का मौका भी मिल रहा है । दूरगामी अर्थो में यह राष्ट्र के विकास को भी बाधित कर रही है । अत: उपरोक्त समस्याओं के चलते हम कह सकते है कि जाति राजस्थान में सामाजिक समस्या साबित हो रही है ।

प्रश्न 9. सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते है?

उत्तर: समाज में व्याप्त उच्चता और निम्नता की स्थिति को ही सामाजिक स्तरीकरण कहते है । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि स्तरीकरण समाज में समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बँटने की प्रक्रिया है । विभिन्न समाजों में विभिन्न आधारों पर स्तरीकरण किया जाता है । जैसे लिंग के आधार पर लड़के को लड़की से ऊँचा माना जाता है। यूरोपियन देशों में नस्ल के आधार पर गोरों को कालों से ऊँचा माना जाता है । यही सामाजिक स्तरीकरण है ।

प्रश्न 10. राजस्थान में समाज में स्तरीकरण से होने वाले दुष्कार्य समझाईये?

उत्तर: स्तरीकरण का सबसे बडा दुष्प्रभाव यह है कि यह समाज में ऊँच नीच पैदा करता है । जिसके आधार पर समाज में असमानता फैलती है । यह व्यक्तित्व विकास में बाधक साबित होता है । तथा स्तरीकरण की प्रक्रिया में एक निश्चित पद प्राप्त कर लेने के बाद यह निष्क्रियता पैदा करता है । यह संघर्ष और निराशा को देता है साथ ही साथ समाज के विकास में बाधक वर्गचेतना और पक्षपात को बढावा देता । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान के समाज में स्तरीकरण से होने वाले कुप्रभाव इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में इंगित करते हैं जो समाज और राज्य के विकास के लिए नुकसानदायक है ।

15.10 शब्दावली

संघटक	-	Structure	स्वेच्छाचारिता	-	Autocracy
			सहभोज	-	United Food
प्रतिमानित	-	Standardiised	प्रजातंत्र	-	Democracy
स्तरीकरण	-	Starification	प्रथा	-	Custom
आविष्कार	-	Invention	रूढिवादिता	-	Conservation
अनैतिकता	-	DisMorality	लिंग	-	Sex
व्याभिचार	-	Deviation	प्रजाति	-	Race
शिथिलता	-	Weakness	अमानवीय	-	Inhuman
तलाक	-	Divorce	अकर्मण्य	-	Idle
दुर्दशा	-	Calamity	गोपनीयता	-	Privacy

5.11 संदर्भ ग्रन्थ (Bibliography)

1. A.R.Redclieff Brocon : Structure and function in primitive society, 1952

2. Majumdar & Madan; An Introduction to social Anthropology.
3. John Rex; Key problems of sociological therapy.
4. Bottomore,T.B; Sociology.A Guide.
5. Herbert Spencer; The principle of Sociology.
6. Merton, R.K.; Social Theory & social structure.
7. Bogardus; Sociology.
8. S.C. Dube; मानव एवं संस्कृति

इकाई-16

सामाजिक समस्याओं का वर्गीय आधार

इकाई की रुपरेखा

16.0 उद्देश्य (Objective)
16.1 प्रस्तावना (Introduction)
16.2 सामाजिक समस्याओं की अवधारणा (Concept of Social Problems)
16.3 सामाजिक समस्याओं का वर्गीय आधार
16.4 महिला एवं पुरुष (Women and Men)
16.5 ग्रामीण एवं शहरी (Rural and Urban)
16.6 गरीब एवं अमीर (Poor and Rich)
16.7 बेरोजगार एवं रोजगार (Unemployed and Employed)
16.8 अशिक्षित एवं शिक्षित (Illiterate and Litrate)
16.9 सारांश (Summary)
16.10 बोध प्रश्न (Questions for Exercise)
16.11 संदर्भ ग्रन्थ (Suggested Reading)

16.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई अध्ययन के पश्चात् आप

1. सामाजिक समस्याओं की स्पष्ट अवधारणा विकसित करना समझ जायेंगे
2. सामाजिक समस्याओं के कारणों की गहराई तक पहुंच सकेंगे
3. सामाजिक समस्याओं के निदान के उपाय खोज पायेंगे
4. सामाजिक समस्याओं के आपसी सम्बन्धों की जांच सीख जायेंगे
5. सामाजिक समस्याओं के प्रति समाज को सचेत करना एवं उन्हें जागृत जायेंगे

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

समस्याएं प्रत्येक समाज में पायी जाती हैं, एवं उन्हें सुधारने के प्रयास भी किए जाते हैं । सामाजिक समस्याएं व्यक्तिगत समस्याओं से भिन्न होती हैं। व्यक्तिगत समस्या वह है जो एक व्यक्ति या एक समूह को प्रभावित करती है । उसका समाधान भी उस व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किया जाता है । सामाजिक समस्याएं वह है जिनका प्रभाव पूरे समाज अथवा समाज की बड़ी संख्या पर पड़ता है । हमारा लक्ष्य यह जानना है कि किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इनका अंतर्संबंध क्या है, कैसे इनका निदान किया जा सकता है । सामाजिक समस्याएं परिस्थिति और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, कोई समस्या यदि वर्तमान में सामाजिक समस्या है तो कोई जरुरी नहीं की वह भविष्य में भी समस्या ही रहे । 20 वीं सदी में जनसंख्या, बेरोजगारी, साम्प्रदायिकता, नगरीकरण, बालश्रम, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कालाधन आदि सामाजिक समस्या नहीं थी परन्तु आज ये सभी

सामाजिक समस्याएं है । सामाजिक समस्याएं सभी छोटे-बडे समाजों में उत्पन्न होती हैं और इनका समाधान सामाजिक स्तर पर ही किया जा सकता है ।

16.2 सामाजिक समस्याओं की अवधारणा (Concept of Social Problems)

सामाजिक समस्याओं को सामाजिक आदर्श का विचलन माना गया है। जो सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक हो सकता है । सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिससे समाज का एक खण्ड या एक बड़ा भाग प्रभावित होता है और जिसके ऐसे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, जिनका सामूहिक रुप से समाधान संभव है । यह व्यवहार का ऐसा रुप है जिसे समाज का बडा भाग द्यापक रुप से स्वीकृत एवं अनुमोदित मानदण्डों के विपरित मानता है । सामाजिक समस्या उस समय उत्पन्न होती है, जब हम किसी कठिनाई के प्रति सचेत हो जाते हैं । जब स्थितियों को बदला या टाला नहीं जा सकता, जैसे अकाल, बाढ़, तूफान चक्रवात, भूकंप, आदि तो उन्हें सामाजिक समस्या के स्थान पर प्राकृतिक समस्या कहा जाता है । सामाजिक समस्याएं वे हैं जिन्हें समाज के सदस्य आपति जनक मानते हैं एवं जिन प्रतिकूल स्थितियों को समाज निंदनीय नहीं मानता है उन्हें सामाजिक समस्याएं नहीं माना जा सकता है ।

सामाजिक परिवर्तन भी सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है । सामाजिक परिवर्तन से कुछ सामान्य विषय सामाजिक समस्या बन जाते हैं । जैसे महिला शिक्षा में बढ़ोतरी होने से संयुक्त परिवारों के टूटने की समस्या बढ़ी । रोजगार की तलाश में नगर की ओर जनसंख्या पलायन की वजह से नगरीकरण, कच्ची बस्तियां, बेरोजगारी आदि की समस्याएं बढ़ी हैं ।

सामाजिक समस्याएं समाज के मूल्य और संस्थाओं के संदर्भ में देखी जाती है । भारत में जातियों में छुआछूत जैसी समस्या किसी ओर स्थान अथवा समाज में पायी जाने वाली सामाजिक समस्या दूसरे समाज मे सामान्य विषय हो सकता है । सामाजिक समस्याओं को तर्कसंगति सहयोजन, आंदोलन आदि के द्वारा सुधारने का प्रयत्न किया जाता है ।

16.3 सामाजिक समस्याओं का वर्गीय आधार

सामाजिक समस्याओं को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इनका वर्गीय विभाजन करना पडता है जिससे हम प्रत्येक समस्याओं का बहु त बारीकी से अध्ययन कर सकें । इस प्रकार की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम जान पायेंगे कि हर सामाजिक समस्या एक दूसरे से जुडी हु ई है और एक दूसरे को प्रभावित करती है । जैसे निर्धनता से बेरोजगारी प्रभावित होती है, औधोगीकरण एवं निर्धनता से कच्ची बस्तियां, बेश्यावृति, भिक्षावृति, बाल अपराध, प्रदूषण आदि की समस्याओं का जन्म होता है ।

16.4 महिला एवं पुरुष (Women and Men)

समस्त पुरुष प्रधान समाजों ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना है, और उनके साथ पराधीनों जैसा व्यवहार किया जाता है । देश की आजादी के सात वर्ष के उपरांत भी बराबरी वाली स्थिति नहीं आयी है । भारतीय समाज में पुरुष की तुलना में नारी अधिक उत्पीडित, उपेक्षित, असहाय और कमजोर स्थिति में है । महिलाओं की ऐसी स्थिति के लिए ऐतिहासिक, शारीरिक, जैविक, धार्मिक,

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी हैं । महिला शिक्षा को कभी महत्वपूर्ण नहीं माना गया इसलिए महिला शिक्षा दर बहु त कम है ।

शिक्षित और विकसित समाज में भी कन्या का विवाह 18 साल से पहले ही करने की कोशिश की जाती है । समाज में पुत्र का विशेष महत्व है और पुत्रियो को बोझ समझा जाता है ।

महिलाओं के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परम्पराओं का पुरुष मुखी होना है । महिला अशिक्षा और अज्ञानता के कारण इन परम्पराओं को तोड़ना अत्यन्त कठिन कार्य है ।

महिला के विधवा या पुत्रहीन होने में उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी इन्हें अपशकुनी माना जाता है और धर्म की आड़ में नारी को सती और दासी बनने को मजबूर किया जाता है । आज समाज आर्थिक, शैक्षिणक राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से विकसित होता जा रहा है, परन्तु फिर भी बलात्कार, आत्महत्या, शोषण, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न, दहेज हत्या तलाक आदि के मामले बढ़ते जा रहे हैं । शहरों में भी शिक्षित परिहारों में महिलाओं को शोषण का शिकार होना पडता है । एक राजस्थानी कहावत है कि "सत्तर साल में तो कूलडी (कचरा पात्र) के भी दिन फिरते हैं" लेकिन महिलाओं के संबंध में शताब्दियां गुजर गई हैं ।

राजस्थान की महिलाओं को और विशेषत: दलित महिलाओं को बहु त अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है । यहां विधवा महिलाओं को सर्वाधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और सती प्रथा के तहत पति की चिता के साथ जिन्दा जलना पडता है ।

16.5 ग्रामीण एवं शहरी (Rural and Urban)

ग्रामीण क्षेत्रों में बहु त सी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पडता है । गांव में जाति प्रथा, ऊंच-नीच, खान-पान, धर्म आदि के बंधन बहु त कठोर हैं। और यहां अंधविश्वास और रुढिवादिता देखने को मिलती है । ग्रामीण जीवन संवेदनाओं और भावनाओं पर आधारित हैं । गांव में प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, सड़क आदि का विकास नहीं के बराबर है । जाति पंचायतें आज भी प्रभावी हैं जिससे जाति स्तरीकरण का भेदभाव सदैव बरकरार रहता है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है ।

मानवता का बहु त बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्र में प्रबल भौतिक तथा सांस्कृतिक निर्धनता की दशा में रहता हैं । हमारी कृषि पिछड़ी तथा गिरी हु ई स्थिति में है जिससे किसान सदा गला धोंटने वाले गा में दबे रहते हैं ।

गांव में अशिक्षा की वजह से निर्धनता, त्रण ग्रस्तता, वैमनस्यता, मद्यपान, मुकदमें बाजी, अस्वस्थता, गंदगी, बाल विवाह, जातिय तनाव आदि सामाजिक समस्याओं का सामना करना पडता है । इसके विपरीत शहरों में संवेदनाओं के लिए जगह नहीं होती, यहां लोग आर्थिक संबंधों ब व्यक्तिगत लाभ का ज्यादा ध्यान रखते हैं ।

शहरी जीवन में अलगाव होता है, व किसी अन्य से जुड़ाव नहीं होता है । इन सबके अतिरिक्त यहां लोगों को पर्यावरण समस्या, वृक्षों की कमी, जनसंख्या विस्फोट, छोटे कम रोशनी वाले बदबूदार धर. ट्रेफिक की समस्या, औधोगीकरण नगरीकरण की समस्या, जनसुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी,

वेश्यावृति की समस्या, बाल अपराध, चोरी, धोखाधडी, कालाबाजारी, मिलावट, साइबर अपराध आदि समस्याओं का सामना करना पडता हैं ।

16.6 गरीब एवं अमीर (Poor and Rich)

समाज में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या गरीबी या निर्धनता की है । गरीबी स्वयं गरीबी को जन्म देती हैं । आर्थिक विकास में असामनता की वजह से जो गरीब है, वो ओर गरीब होता चला जाता है । गरीब न तो पूंजी का निर्माण कर पाता है ओर न ही पूंजी का विनियोग । इसी वजह से गरीब बेरोजगार और ऋण ग्रस्त हो जाता है । उनकी आय का स्तर निम्न होता चला जाता है । गरीब व्यक्ति शरीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाना ओर पोषण, निवास, चिकित्सा आदि न्यूनतम जरुरतों को पूरा नहीं कर पाता हैं ।

समाज में गरीब व्यक्ति, भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित 2400 कैलारी भोजन गांव में और 2100 कैलारी भोजन शहर में को भी पूरा नहीं जुटा पाता है ।

एक स्थान में निर्धनता स्त्रोतों के अभाव, कम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति कम आय, आय के वितरण में काफी असमानता तथा कमजोर व्यवस्था के रुप में दिखाई देती हैं ।

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी क्षेत्रों में गरीबी की संख्या ज्यादा है । वर्ष 1999-2000 में 15.28 प्रतिशत गरीब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे ।

अमीर व्यक्ति के जीवन में कमी कुछ नहीं है । परन्तु समस्याएं इनके साथ भी मौजूद है। अमीर व्यक्ति पैसा कमाने में व्यक्तिगत सुख खो देता है । और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है, बीमारियां उसे घेर लेती है और वह अच्छे भोजन और सुख की नींद के लिए तरस जाता है । अमीर व्यक्ति के सभी व्यक्तियों से औपचारिक रिश्ते हो जाते है, उसके बीवी-बच्चों तक उससे दूर चले जाते हैं । इसलिए अमीर व्यक्ति भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहता है ।

16.7 बेरोजगार एवं रोजगार (Unemployed and Employed)

जीवन में व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है, अपनी आजीविका के साधन उपलब्ध करना अथवा कमाई करना । उसकी प्रस्थिति इसी पर निर्भर रहती है कि वह कैसी नौकरी या काम करता हैं । इसी नौकरी या काम की वजह से वह अपने परिवार का पालन करता है । बेरोजगारी को समाज की सबसे बड़ी समाजशास्त्रीय समस्या कहा गया है । "एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों है फिर भी उसे वैतनिक काम नही मिल पाता है ।"

बेरोजगारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का परिणाम है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा युवा व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने में असक्षम है । व्यवसायिक प्रशिक्षण के अभाव में व्यक्ति शिक्षा होने के बावजूद बेकार हो जाते हैं । वर्तमान शिक्षा अधिकांशतया जीवन से जुडी हु ई नहीं होती और गतिहीनता उत्पन्न कर रही है । जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भीड़ के सामने नौकरियां कम पड़ जाती हैं, और बेरोजगार व्यक्ति अपनी क्षमता से कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाता है । शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दूसरी अन्य समस्याओं को जन्म देती है । बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या, अपराध, आतंकवाद आदि की तरफ अग्रसर हो जाता है । इसी वजह से सामाजिक विघटन होता है।

रोजगार शुदा व्यक्ति की समस्याएं दूसरी हैं । नौकरी मिलने के बावजूद व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है । कभी व्यक्ति अपने कार्य से, कभी सरकारी प्रणाली से, अपना कम वेतन, भले, सुविधाओं आदि के लिए दुःखी रहता है । रोजगार शुदा व्यक्ति अपनी तरक्की, स्थानान्तरण प्रणाली, कम कमाई, ज्यादा काम आदि से असंतुष्ट हो जाता है । और स्वयं के लिए, सरकार के लिए और समाज के लिए समस्या खड़ी करता है । आये दिन हड़ताल, भूख हड़ताल, मांगें, धरना, प्रदर्शन आदि आम बात हो गयी है ।

16.8 अशिक्षित एवं शिक्षित (Illiterate and Litrate)

निरक्षरता को सदैव विकास में बाधा माना गया है । शिक्षा के अभाव में कोई भी राष्ट्र विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। जनगणना आयोग के अनुसार ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना गया है, जो किसी भारतीय भाषा की समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है । अशिक्षित होना एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है और इसकी वजह से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है । अशिक्षित व्यक्ति परिवार नियोजन के बारे में नहीं जानता और इसी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है । अशिक्षित व्यक्ति बहुत जल्द ऋण ग्रस्त हो जाता है और जिंदगीभर ब्याज चुकाता जाता है । उसे कोई योग्य कार्य नहीं मिलता है । जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है ।

राष्ट्रीय स्तर पर विकास, जीवन स्तर सुधार, अयोग्यता ओर जनसंख्या नियंत्रण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता, सद्भाव और शांति के लिए शिक्षा बेहद जरुरी है ।

शिक्षित व्यक्ति भी अनेक समस्याओं का सामना करता है । शिक्षित बेरोजगार शारीरिक श्रम के कार्य नहीं कर पाता है। अपनी क्षमता से कम योग्य कार्य को हीन मानता हैं । आज देश में शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जो कभी भी बिध्वंशक रुप ले सकती है । शिक्षित व्यक्ति अन्य बस्तियों की तुलना में ज्यादा बडे अपराध करते हैं जैसे सभी सफेदपोश अपराधी, घूँस, भ्रष्टाचार, साइबर अपराध आदि सभी शिक्षित व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं । अत: अशिक्षित व शिक्षित दोनों अपनी-अपनी जगह सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं ।

16.9 सारांश (Summary)

सामाजिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याओं से भिन्न प्रत्येक समाज में पायी जाती हैं, जिसका प्रभाव पूरे समाज अथवा समाज की बडी संख्या पर पडता है । समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे :- जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निर्धनता, साम्प्रदायिकता, नगरीकरण, बालश्रम, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, कालाधन आदि । सामाजिक समस्याओं को सामाजिक आदर्श का विचलन माना गया है जो सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक हो सकता है ।

सामाजिक समस्या उस समय उत्पन्न होती है, जब हम किसी कठिनाई के प्रति सचेत हो जाते हैं । प्राकृतिक समस्याएं सामाजिक समस्याओं से भिन्न होती हैं और उन्हें बदला या टाला नहीं जा सकता हैं । सामाजिक समस्याओं को तर्कसंगत, सहयोजन अथवा आंदोलन आदि के द्वारा सुधारने का प्रयत्न किया जाता है । सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से जुडी होती हैं, और दूसरी समस्याओं को जन्म देती हैं ।

पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को शोषण का शिकार होना पड़ता है। जिसके लिए ऐतिहासिक, शारीरिक, जैविक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी हैं । राजस्थान में महिलाओं को विशेषत: दलित महिलाओं को बहुत अधिक शोषित होना पड़ता है ।

ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास, रुढ़िवादिता, जातिबंधन, भेदभाव, निर्धनता, ऋण ग्रस्तता, वैमनस्यता, बालविवाह आदि एवं शहरों में औधोगीकरण नगरीकरण, जन सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी, वेश्यावृति, बाल अपराध आदि समस्याओं का सामना करना पडता है ।

गरीब व्यक्ति न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है, अपितु अमीर व्यक्ति पैसा कमाने की होड में जानबुझकर सुख प्राप्त नहीं कर पाता है ।

बेरोजगार व्यक्ति को उसकी क्षमता और इच्छा के बाबजूद वैतनिक कार्य नहीं मिल पाता है और रोजगार शुदा व्यक्ति अपनी कार्यप्रणाली और सुविधाओं से असंतुष्ट रहता है। अशिक्षित व्यक्ति अपनी अयोग्यता की वजह से अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है और शिक्षित व्यक्ति अपनी शिक्षा का दुरुपयोग कर समाज को संकट में डालता है ।

16.10 बोध प्रश्न (Question for Exercise)

1. सामाजिक समस्याएं क्या हैं ?
2. सामाजिक समस्याओं की अवधारणा स्पष्ट करें ।
3. महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालिए ।
4. ग्रामीण और शहरी समस्याओं में अन्तर बताइये ।
5. बेरोजगार और अशिक्षित किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं ?

16.11 संदर्भ ग्रन्थ (Suggested Reading)

सामाजिक समस्याएं :-

1. **लेखक :-** श्री राम आहूजा
   प्रकाशक :- रावत प्रकाशन, 3 न 20, जवाहर नगर, जयपुर- 302004

भारतीय सामाजिक समस्याएं

2. **लेखक:-** एम. एल. गुप्ता एवं डी. डी. शर्मा
   प्रकाशक :- साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

इकाई-17

परम्परामूलक समस्याएं

इकाई संरचना

17.0 उद्देश्य
17.1 प्रस्तावना
17.2 पर्दा प्रथा
17.3 नाता झगड़ा प्रथा
17.4 सत्ती प्रथा
17.5 बालिका शिशु एवं भ्रुणहत्या
17.6 महिलाओं को डायन घोषित करना
17.7 सारांश
17.8 बोध प्रश्न

17.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- पर्दा प्रथा के बारे में जान पायेंगे
- नाता प्रथा एवं नाता झगड़ा प्रथा के बारे में समझ पायेंगे
- सत्तीप्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे
- कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जान पायेंगे
- डायन प्रथा के बारे में समझ पायेंगे

17.1 प्रस्तावना (Introduction)

राजस्थान में महिलाओं की स्थिति लैंगिक असमानता एवं पितृसत्तात्मक समाज से प्रभावित है। कई प्रकार की असमानताएं प्रचलन में हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति एवं बढ़ावा प्राप्त है। सामाजिक संदर्भ में हम पाते हैं कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार आदि में बराबर की हिस्सेदारी नहीं है। जन्म से पूर्व प्रारम्भ भेदभाव महिलाओं के साथ जीवनपर्यन्त जारी रहता है।

मध्यकालीन एवं पूर्व-आधुनिक काल का इतिहास बताता है कि राजस्थान में पितृसत्तात्मक स्त्री एवं महिलाओं को दूसरे दर्जे का व्यक्ति मानना, उनके साथ दासों की तरह व्यवहार करना एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग रखना आदि का पूर्ण प्रभाव रहा है। यहां स्त्रियों के शील एवं परदे को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। पर्दा प्रथा तथा महिलाओं को अलग रखने की परम्परा ने ही यहां के सामाजिक ढांचे का निर्माण किया है।

कई ऐसी प्रथाएं जो मध्यकाल में प्रचलित थीं वे आज भी प्रचलित है एवं इन प्रथाओं ने महिलाओं की स्थिति बद से बदतर बना दी है। हमारी परम्परा में सत्तीपूजा, पर्दा प्रथा, विधवाओं पर पाबन्दी बाल विवाह बालिका भ्रूण वध और महिलाओं को डायन घोषित करने जैसी प्रथाएं आज भी सामाजिक

सम्मान एवं स्वीकृति प्राप्त है । यहां पितृसत्तात्मक प्रभाव परिवारों और समाज में इतना प्रबल है कि महिलाओं की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है ।

राजस्थान में सामाजिक परम्पराएं एवं प्रथाएं

परम्परा मूलक समस्याएं: पर्दाप्रथा, सत्तीप्रथा, कन्याभ्रूण एवं शिशु हत्या, डायन प्रथा, नाता प्रथा एवं जाति पंचायत की भूमिका ।

17.2 पर्दाप्रथा

मध्यकाल में पर्दाप्रथा अत्यन्त सामान्य प्रथा थी । पर्दा प्रथा ने न सिर्फ सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मंच पर महिलाओं के प्रति दोहरे मानदण्ड बनाए बल्कि लिंग के आधार पर उनकी भूमिका भी तय की । उच्च वर्ग में महिलाएं सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर ही रह पाती थीं । पर्दा प्रथा मुसलमानों में महिलाओं को परिवार में ही अलग रखने का आधार थी । किन्तु यह राजस्थान के उच्चवर्गीय हिन्दुओं में इसके अतिरिक्त महिलाओं में सामाजिक दूरियां बनानें एवं परिवार की महिलाओं के मध्य आपसी सम्मान का भी प्रतीक बन गई । पर्दा प्रथा ने स्पष्ट लैंगिक भेदभाव को रेखांकित किया। वास्तव में इसने विचार प्रकटीकरण को बन्द कर दिया । महिलाओं को पुरूषों एवं बढ़ों के सामने बातचीत करने से भी रोक दिया । इसने महिलाओं को केवल स्वीकृत मार्ग पर चलने को विवश किया । महिलाओं को भोग की वस्तु माना एवं समझा जाने लगा । विभिन्न जातियों ने पर्दा प्रथा को विभिन्न रूपों में स्वीकार किया जैसे राजपूत महिलाओं को अपना चेहरा, पीठ और सिर ढकने होते थे जबकि अन्य जातियों की महिलाओं को केवल सिर ढकना होता था ।

इस प्रकार महिलाओं के साथ दोहरा एवं विरोधाभासी व्यवहार किया जाता था । राज्य के गौरवपूर्ण

इतिहास के बावजूद महिलाओं को कई प्रकार की खुली एवं छिपी हिंसा का शिकार होना पड़ता है । विरोधाभासी व्यवहार इसलिए कि कई बार महिलाओं को आदर्श बनाकर सम्मान दिया जाता तो कभी नीच समझकर अपमानित किया जाता, दोनों परिस्थितियों में महिलाओं को खतरा था । आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, और आदर्श पुत्री के रूप में उनसे ढेरों अपेक्षाएं की जाती और सत्ती के रूप में उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता । यदि अपमानित किया जाता तो उन्हें वेश्यावृति या पागलपन तक पहुँचा दिया जाता । इस प्रकार एक ओर तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता तो दूसरी ओर सामाजिक मान्यताओं के चलते उन्हें सम्मान एवं पूजा के योग्य माना जाता ।

इस काल का अध्ययन हमें बताता है कि शासक एवं शासित दोनों वर्ग में पितृसत्तात्मक प्रभाव के चलते महिलाओं के साथ दासियों जैसा व्यवहार किया जाता था । बाद में इसी आधार पर महिलाओं के साथ हिंसा एवं सामाजिक जीवन जीने के तरीके का वर्गीकरण किया गया । यहां यह बात ध्यान में रखने लायक है कि कई प्रथाएं जैसे सत्तीप्रथा एवं बाल विवाह जिन्हें आज महिलाओं के प्रति हिंसा माना जाता है किन्तु यही चीजे मध्य काल में महिलाओं के प्रति आदर्श व्यवहार माना जाता था एवं इस प्रकार का आचरण करने वाली महिलाओं को भद्र महिलाएं माना जाता था । इस काल में पर्दा प्रथा सामाजिक परम्पराओं का प्रतीक थी और पर्दा प्रथा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंच से दूर कर दिया था एवं वे समाज में मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाती थी । पर्दा प्रथा हमारे समाज में प्राप्त द्वंदात्मिकता का प्रतीक थी ।

17.3 नाता प्रथा

नाता दूसरे विवाह की प्रथा है जिसने महिलाओं का स्थान नीचा. किया है एवं समाज में उनकी स्थिति को गिराया है। इससे यह प्रतीत होता है कि पुरूष कई विवाह कर सकते हैं महिलाएं केवल नाता ही कर सकती हैं । नाता करने वाली महिला को विवाहित महिला के बराबर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती । वह घर में पिछले दरवाजे से घुसती है । उसे अपशकुनि माना जाता है । यदि कोई व्यक्ति नाता करने वाली महिला को देख ले तो वह 6 महीने में ही मर जाता है । महिलाओं को नाते पर केवल शनिवार को रात के समय जाने की अनुमति होती हे ।

आज नाता प्रथा कतिपय जातियों के एक वर्ग में माना जाता है । राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर, और ग्रामीण जयपुर जिलों में प्रचलित है । नाता प्रथा का अर्थ है कि जब विवाह में पति-पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या संबंध विच्छेद हो जाता है तब पुन: विवाह की आवश्यकता होती हे । इस प्रकार यह दूसरी या अन्य विवाहों की प्रक्रिया है । इस परिस्थिति में पूर्व पति की स्वीकृति से महिला को किसी अन्य पुरुष के साथ भेज दिया जाता है । जिस व्यक्ति से महिला ने नाता किया है उसे महिला के पूर्व पति एवं पिता को कुछ धन देना होता है जिसे झगड़ा कहा जाता है । यह मामला जाति पंचायत निपटाती है एवं वही पैसा देने का तरीका एवं पैसे की मात्रा तय करती है । यह एक परम्परागत कानूनी पत्र है जिसे कागली कहा जाता है ।

लंबी बीमारी, महिला का बच्चे पैदा करने के अयोग्य होना, अशिक्षा, अनैतिक व्यवहार, गृहकार्य में रूचि नहीं होना, लड़के के परिवार पर कर्ज होना एवं लड़के का अच्छी नौकरी पर चले जाना ये कुछ कारण हैं जिनके कारण पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं । इसी प्रकार वैधव्य, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, शराबी होना, अनैतिक व्यवहार, पत्नी के प्रति हिंसा, बेरोजगारी, पति का कम पढ़ा लिखा होना, ससुराल वालों से अनबन आदि कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण महिलाएं अपने पति को छोड देती हैं । बडे पैमान पर होने वाले बाल-विवाह भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि युवावस्था में लड़का या लड़की अन्य उपयुक्त साथी तलाश लेते हैं ।

वस्तुत: एक प्रथा जिसने महिलाओं को यौन स्वतंत्रता दी थी वही आज महिलाओं के यौनशोषण का कारण बन चुकी है। वर्तमान संदर्भ में पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति (महिला के पिता समेत) पति और जाति पंचायत बेशर्मीपूर्वक नये पति से पैसा वसूलने में लगे हैं और उनका सारा प्रयास महिला की सर्वाधिक बोली लगाने वाले -को बेचने का होता है । ग्रामीण महिलाओं को आज खतरा अधिक है क्योंकि वे शोषण की शिकार आसानी से हो जाती है और उन्हें अपने भविष्य का निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं होता । वे अपनी सुरक्षा एवं संरक्षा के बारे में भी असहाय होती हैं । पूर्वपति, पिता एवं जाति पंचायत के सदस्य सामान्यत: झगड़ा राशि आपस में बांट लेते हैं । पुरूष वर्चस्व वाली जाति पंचायत वास्तव में इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करती । पुलिस भी ऐसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती और इसे परम्परागत कानून मानकर उसे जारी रखने में ही मौन स्वीकृति देती है । यह प्रथा महिलाओं पर अत्याचार का बडा उदाहरण है एवं यह पितृसत्ता एवं उसके महत्व को ही रेखांकित करती है ।

17.4 सत्ती एवं सत्ती की राजनीति

प्रचलित महिला चरित्र संबंधी मान्यताएं, उच्च वर्गीय महिलाओं की भिन्नता और शिशु अवस्था से ही महिलाओं पर पुरूषों का नियंत्रण यह सभी सत्ती प्रथा से जुड़े हुए पहलूहैं । मध्य काल में विधवाओं को जीवित जलाने की परम्परा राजस्थान में थी । सत्ती परम्परा किसी धार्मिक नियंत्रण के अधीन नहीं थी किन्तु इसे एक अत्यन्त उच्च कार्य माना जाता था । यह कार्य परिवार को प्रतिष्ठा दिलाता था और अगले जन्म में पुरस्कार की आशा से प्रेरित था । ऐसा माना जाता था कि अपने पति की चिता पर जलकर एक विधवा अपने पूर्वजों के पाप धो सकती थी, अपने पति को पाप मुक्त कर सकती थी और स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी । ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में रहती थी । अपने साथ जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और कल्पित कहानियों के द्वारा एक उच्च महिला के लिए यह कार्य एक प्रकार से पवित्र बन्धन था ।

तीव्र सामाजिक दबाव विधवा को पति की चिता पर जलने के लिए डाला जाता था, और अधिकतर सत्ती के नाम पर महिलाओं की हत्या कर दी जाती थी । सत्ती प्रथा में बल प्रयोग का खासा उपयोग होता था । और एक बार यदि किसी महिला ने सत्ती होने की घोषणा कर दी तो वह अपना निर्णय नहीं बदल सकती थी । उसे लकडी के बड़े टुकडो के नीचे दबा दिया जाता था । और यदि वह भागने की कोशिश करती तो परिवारजन उसे पुन: चिता में डाल देते थे । ढोल की तेज आवाज में उसकी चीख पुकार सुनाई नहीं देती थी ।

स्वयं को जलाने की यह प्रथा केवल किसी जाति विशेष तक ही सीमित नहीं थी । वास्तव में राजस्थान में उच्च और निम्न दोनों जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी । अलवर की नारायणी सत्ती और रासबाबरा की साध सत्ती, यह दोनों उदाहरण ढोली और साध जातियों के हैं ।

यद्यपि सभी सत्तियों का समान किया जाता था, क्योंकि उन्होंनें सभी सामाजिक नियमों का पालन किया और अच्छी महिलायें सिद्ध हुई, उनमें से कुछ को भगवान की तरह पूजा जाने लगा और उनकी याद में मन्दिर भी बनाए गए । ऐसा माना जाता है कि सत्ती होने पर उन्होंनें देवी की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है । और वे अपने भक्तों की प्रार्थना का उत्तर देती हैं और लोगों कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याएं दूर करती हैं ।

राजपूत प्रमुखों की पत्नियों का अपने पति की चिता के साथ जल जाना बहुपत्नि प्रथा का ही परिणाम था । जल कर मरने के इस कार्य का सीधा संबंध उत्तराधिकार से भी था । उदाहरण के लिए राजस्थान में विधवा को अपने पति की सम्पति पर कोई अधिकार नहीं था । सम्पति और उत्तराधिकार पुरुष से पुरुष को ही हस्तान्तरित होते थे । इन परिस्थितियों में कोई आर्थिक साधन उपलब्ध न होने की वजह से एवं दरिद्रता का जीवन यापन करने से बचने के लिए सत्ती हो जाया करती थी । राजपूत परिवारों में मुखिया की मृत्यु होने पर उसकी सम्पति और जायदाद पुत्रों में बराबर बॉट दी जाती थी या जहां पर सम्पति पत्नियों में बॉट दी जाती थी वहां पर मुखिया के साथ उसकी पत्नियों का जल कर मरना प्रचलित नहीं था । ऐसा केवल वहीं होता था जहां केवल सबसे बडा पुत्र उत्तराधिकारी माना जाता था । ऐसी परिस्थिति में मृतक मुखिया की पत्नियों (सबसे बडे पुत्र की माता को छोड़कर) की दशा अत्यन्त दीन:हीन हो जाती थी ।

इसके अलावा केवल वे ही रानियां जलकर मरती थी, जो या तो बांझ थी या पुत्र उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाई। ऐसी महिलाओं का समाज में तिरस्कार होता था और वे भविष्य में होने वाले

सामाजिक अपमान से बचने के लिए अपने पति की चिता पर जल जाती थी । इस प्रकार से सामाजिक अपमान और दुर्वव्यवहार का भय कई स्त्रियों को अपने पति के साथ जलकर मरने को विवश करता था । इस प्रकार से यह मान्यता कि पत्नियां प्रेम व समर्पण की वजह से अपने पतियों की चिताओं पर जलकर सत्ती हो जाती थी, निराधार है ।

सत्ती की अंतिम घटना सन् 1987 में सीकर जिले के देवराला गांव में हुई थी । जब एक राजपूत लड़की रूपकंवर को अपने पति की चिता पर जलने के लिए विवश किया गया । 'वेद' और सागंरी ने कहा विधवा को जीवित जलाना पितृ प्रधान प्रथाओं का सबसे हिंसक रूप है । यह पितृ प्रधान समाज की अन्य हिंसाओं से भिन्न है । प्रथमतः सामाजिक स्वीकृति बहुत अधिक है । और दूसरी सहयोगी संस्थाएं एवं जो कि इसे उचित एवं आदर्श मानते हैं । वास्तव में हिंसा, उसकी स्वीकृति और उसे आदर्श बनाने के प्रयास एक दूसरे से संबंद्ध है । इस कार्य को अधिक पौराणिक मान्यता हिंसा की अधिकता के कारण मिली ।

जमींदारी प्रथा जो एक समय कमजोर हो रही थी, उसे राजनीतिज्ञों द्वारा एक नई ताकत मिली, जैसा 8 अक्दूबर, 1987 को 40 से 60 हजार राजपूतों ने जयपुर में एकठ्टे होकर सत्ती का समर्थन किया । उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि सत्ती पर प्रतिबंध लगाकर उनकी पहचान नष्ट की जा रही है । पुराने समय में राजपूतों का राजपूताना पर आधिपत्य था किन्तु अब वे वर्तमान चुनावी राजनीति में अपनी घटती भूमिका को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं । सत्ती उनके लिए उच्च विरासत, आत्मबलिदान और सम्मान का प्रतीक है । कुछ समय पूर्व नव गठित सत्ती धर्म रक्षा समिति ने पर्चे बांटकर हिन्दुओं और राज्य शासन को खुलकर कहा था कि सत्ती उनके लिए पति भक्ति का प्रतीक है । उन्होंने आधुनिक एवं स्वतंत्र महिलाओं का यह कहकर विरोध किया था कि वे नारी धर्म के विरूद्ध बोल रही हैं । उस पर्चे में यह भी कहा गया कि सन् 1947 से अब तक केवल 28 सत्ती के मामले हुए हैं जो दिल्ली में प्रतिवर्ष होने बाली सैंकडो दहेज हत्याओं से काफी कम हैं । इस पर्चे से स्त्रियों के दमन का दृष्टिकोण उजागर हो गया । यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सन् 1987 में सत्ती समर्थक नेताओं को काफी राजनीतिक फायदा पहुँचा । अपनी इस नई पहचान से उन्होंने महिलाओं को समाज की निम्न श्रेणी में रखने की कोशिश की और महिलाओं की समस्याओं को पीछे धकेल दिया ।

17.5 बालिका शिशु एवं भ्रूण हत्या

भारत में 'दूध पीति' परम्परा में बालिका शिशुओं को माताएं अपने स्तनों पर अफीम लगाकर उनसे दूध पिलाकर मार डालने का कार्य करती रही है । इसके अलावा नवजात बालिका के ऊपर भारी वस्तु रखकर, दबाकर मारने एवं जहरीले फलों का सेवन कराकर मार देने की परम्परा भी रही है । बेटियों के साथ दुर्व्यवहार भारत की परम्परा है ।

बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की ग्रामीण महिलाओं से बात करने पर बालिका शिशु हत्या के विभिन्न तरीकों का पता चलता है । अक्सर परिवार के सदस्य दाईयों को यह हिदायत देते हैं कि शिशु के लड़की होने पर उसके मुंह में रेत डालकर और इस प्रकार दम घोंटकर मार डालें । इसके अलावा बालिका की गर्दन को चारपाई के पाये के नीचे दबा कर भी हत्या की जाती है । दाई को इस कार्य के लिए कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है । इसका प्रभाव असंतुलित लिंग अनुपात में दिखाई देता है । पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में जिसमें लगभग 200 राजपूत परिवार रहते है उसमें प्रत्येक परिवार में दो से चार बालक हैं इन समस्त 200 परिवारों में केवल दो लड़कियां हैं ।

पिछले कुछ सालों में आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं की स्थिति और खराब हो गई है। एक या दो पुत्रों की चाह में 'अल्ट्रासाउण्ड' एवं अन्य तकनीक द्वारा लिंग की पूर्व जानकारी ली जाती है एवं लड़की होने पर गर्भपात करवा लिया जाता है । आज यह केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया है । चिकित्सकीय व्यापार ने आज महिलाओं की संख्या कम कर दी है एवं यह कन्या भ्रूण हत्या का माध्यम बन गया है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंग अनुपात 922 था जबकि 1991 में यह अनुपात 910 था । राज्य में औसत लिंग अनुपात 909 दर्ज किया जबकि 1991 में यह 916 था । राज्य स्तर पर पिछले दशक में लिंग अनुपात सात अंक गिर गया जो गंभीर चिंता का विषय है । 32 जिलों में से 21 जिलों में यह गिरावट दर्ज की गई । किसी भी जिले में लिंग अनुपात बालिकाओं के समर्थन में नही दिखता है । बालिका भ्रूण हत्या और पुत्र की चाह जैसे कारकों ने इस असंतुलन में योगदान दिया है । यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में जहां जमींदारी एवं पितृसत्तात्मक आधिपत्य रहा हैं यहां लड़कियों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है । एवं उनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहती ।

यदि समाज में महिलाओं की संख्या कम होगी तो महिलाओं पर हर प्रकार की हिंसा बढ़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न असुरक्षा के वातावरण से महिलाएं वापस घर की चार दीवारी तक ही सीमित हो जाएगी । ऐसे में लड़कियों को पढने जाने की और महिलाओं को काम पर जाने की अनुमति नहीं होगी । ऐसा समय भी आ सकता है जब एक महिला को कई पुरूषों से विवाह करना पड़े । इस प्रकार की घटनाएं अभी से दिखाई देने लगी है । जैसे डॉग जिले में कई भाईयों के बीच में सिर्फ एक पत्नि होती है ।

17.6 महिलाओं को डायन घोषित करना

राजस्थान में 'डायन' या 'डाकण' एक जीवित महिला होती है । जो चुड़ैल की तरह बुराई का प्रतीक होती है । किन्तु चुड़ैल एक मृत महिला होती हैं । ऐसा विश्वास है कि एक डायन अपनी बुरी नजर, बुरे शब्द और कई बार किसी चीज की प्रशंसा कर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है । ऐसा विश्वास है कि डायन बच्चों का कलेजा खाती है । यदि किसी गांव में बच्चे कि मृत्यु हो जाऐ तो ऐसा समझा जाता है कि उस क्षेत्र में कोई डायन है । और इस क्षेत्र के लोग आम राय से किसी महिला के डायन होने कि घोषणा कर उसे मार डालने का प्रयत्न करते हैं । बूढ़ी महिलाएं, विधवाओं और असुरक्षित महिलाओं के डायन होने कि सम्भावना ज्यादा होती हैं । किसी महिला का व्यक्तित्व भी उसके डायन होने की सम्भावना बनाता है । डायन सामान्यत: कुख्यात, झगड़ालू और कष्टकारी महिला होती है ऐसी महिला की जीभ बहुत लम्बी और तीखी मानी जाती है ।

ऐतिहासिक रूप से कई राजाओं और सामन्तों ने डायनों को सजा दी है । जयपुर का राजा जालिम सिंह, उदयपुर के राणा और यहां तक की टाटिया जोग जैसे दीवान भी डायनों के पीछे पड़े थे । जालिम सिंह के समय कोटा में एक हजार महिलाओं के डायन होने के शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया और उनके आदेशानुसार उनमें से अधिकांश महिलाओं को मार भी दिया गया । 1854 में उदयपुर के महाराणा ने किसी को जान से मारने पर 6 माहिने की कैद की सजा दी यह बुराई इतनी प्रबल थी कि उसने ब्रिटिश शासन का ध्यान खींचा और ब्रिटिश शासन ने राजपूताना में डायनों की हत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया । इस प्रतिबन्ध से डायनों की हत्या के मामलों में कुछ कमी आई किन्तु इसे पूरी तरह नहीं रोका जा सका। आज भी राज्य के कई जिलों जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही,

कोटा आदि में महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाकर उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है । यह महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का बड़ा सामान्य सा तरीका बन गया है । अधिकांश मामलों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती और यदि हो भी जाती है तो किसी सामान्य अपराध की धाराएं लगा दी जाती हैं । क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें इस प्रकार के मामले दर्ज किये जा सके ।

राज्य में महिलाओं को डायन घोषित करने के पीछे अंधविश्वास ही प्रमुख कारण है । कई जिलों में शिक्षा के पिछड़ेपन और स्वास्थ्य सुविधाओ के अभाव में कई अंधविश्वासों को जन्म दिया है । महिलाओं की बुरी शक्तियों और उनके हानिकारक प्रभाव सब जगह माने और समझे जाते हैं । लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ऐसी महिलाएं बुरी शक्ति की मालिक होती है और किसी पर बुरी नजर डालकर या बुरे शब्द बोलकर उसे नुकसान पहुँचा सकती हैं । बुरे समय या दुर्घटनाओं के लिए या फिर किसी अनहोनी के लिए ऐसी महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता है किसी महिला को डायन घोषित करने के लिए किसी पशु का बीमार होना, गाय का दूध न देना, या पशु की मृत्यु होना जैसे छोटे कारण से लगाकर किसी बच्चे की अचानक मृत्यु होना जैसे बडे कारण कुछ भी हो सकता है । अंधविश्वास इतना प्रबल है कि किसी और के बॉझ होने की जिम्मेदारी भी डायन पर डाल दी जाती है । दूसरे कारणों में जमीन एवं सम्पति का विवाद, व्यक्तिगत एवं जातिगत प्रतिद्वंद्विता, बाँझपन और महिलाओं का अधिक आशाएं रखना हो सकता है ।

एकबार महिला डायन घोषित होने पर तीव्र हिंसा और प्रताड़ना की शिकार होती है । वास्तव में डायन घोषित करना भी महिलाओं के स्वाभिमान एवं सम्मान के प्रति हिंसा है । एक महिला को किसी छोटे मामले पर भी अपमानित एवं तिरस्कृत कर उसके प्रति शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक हिंसा की जा सकती है । यह हिंसा मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक हिंसा से लेकर तीव्र शारीरिक उत्पीडन जैसे बाल काट देना, जला देना, लोहे की सलाखों से दागना, बलात्कार करना, पशुओं का गोबर खाने को विवश करना, ट्रेक्टर से बाँधकर घसीटना, महिला के यौन अंगों को चोट पहुँचाना और कई बार उनकी हत्या कर देना कुछ भी हो सकता है । विभिन्न प्रकार की हिंसा यही दर्शाती है कि महिलाओं के स्वाभिमान एवं उनकी पहचान के विरुद्ध हिसा की जा सकती है । राज्य में डायन को लेकर एक अन्य विश्वास भी है । ऐसा माना जाता है कि डायन व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर उसके मुंह से अपनी बात कहती है । डायन से प्रभावित व्यक्ति अनियंत्रित व्यवहार करता है। डायन से प्रभावित व्यक्ति बार-बार उस डायन का नाम लेता है । भाव की अवस्था किसी महिला को डायन घोषित करने के लिए पर्याप्त है।

डायन को किसी ओझा या भोपा के पास परामर्श के लिये ले जाया जाता है । भोपा उसे डायन की पहचान कर उसे महिला के शरीर में से बाहर निकालने की कोशिश करता है यह किसी जादू या उत्पीड़न के माध्यम से होता है । इस प्रकार किसी महिला को डायन घोषित करने में भोपा ओझा और पीर कि मुख्य भूमिका होती है । राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में तेजाजी और भैरूजी जैसे अनेक लोक देवताओं की समाधियां बनी हुई हैं । ऐसा माना जाता है कि इन स्थानो पर भोपा के शरीर में लोक देवता प्रवेश करते हैं जो उसे किसी शक्ति की बीमारी दूर करने एवं डायन को भगाने की शक्ति देते हैं । इस अवस्था में भोपा को भाव आता है और लोक देवता भविष्य में सब व्यवस्थित होने का वचन देते हैं । भोपा बताता है कि क्या कार्यवाही कि जानी चाहिये और किसको भेंट देकर महिला के शरीर से बुरी आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है । इस कार्य के बदले ओझा को पुरस्कार स्वरूप शराब और बकरियां मिलती हैं । वे किसी महिला को डायन केवल धन और पुरस्कार के लालच में करते हैं । इस प्रकार वे महिलाओं को और कमजोर बनाने का दण्डित कार्य करते है वास्तव में यह ओझा और प्रभावित महिला

के परिवार जनो के बीच का षड्यंत्र है । यह केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते होता है कि ओझा अपनी शक्तियों का उपयोग बुरी आत्मायें भगाने के लिए करते है ।

17.7 सारांश

राजस्थान में बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं । इन प्रथाओं में महिलाओं के प्रति असमानता के भाव प्रकट होते हैं । पर्दा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण महिला को घर से बाहर निकलना दूसरों से बात करना और अपनी भावनाएं प्रकट करना वर्जित हो गया है । इसकी वजह से उनका शोषण होता है और वे घुटन महसूस करती हैं । नाता प्रथा विधवा महिलाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं को दूसरे पुरूष की पत्नी बनने का अधिकार तो देता है लेकिन इसमें भी उनका शोषण होता है । उनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं होता, परिवार एवं समाज जिसके साथ नाता कर देता है वही उसका पति हो जाता है । हालांकि इस प्रथा के नियम हैं लेकिन वे भी पुरूषों द्वारा बनाये गये हैं । सती प्रथा एक बहुत ही अमानवीय प्रथा थी जिसमें जिन्दा महिला को आग में जला दिया जाता था ।

इस प्रथा को बनाने वालों ने और इसे बनाये रखने के लिए महिमा मंडित किया था । और जलकर मरने वाली को देवी का रूप प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी गयी थी । समाज में अपनी प्रतिष्ठा अधिक बनाऐं रखने के लिए और कहीं भी झुके नहीं ऐसा बनाए रखने के लिए कन्या वध की परम्परा का चलन किया गया जो आज भी एक महामारी के रूप में फैल रहा है । इसके कारण समाज में लड़कियों की कमी अधिक हो गयी है और लिंगानुपात के असंतुलन के कारण कई प्रकार की विकृतियाँ पैदा हो जायेंगी । किसी भी काबिल पुजारी या भोपे के द्वारा किसी भी महिला को डायन घोषित कर देना आज भी आदिवासी क्षेत्रों में आम बात है । इसके कारण उस महिला और उसके पूरे परिवार को असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ती है । यहां तक कि अपना गांव भी छोड देना पड़ता है । यह प्रथा भी शोषण का एक हिस्सा है ।

17.8 बोध प्रश्न

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 250 शब्दो में दीजिये:

(1) नाता प्रथा पर एक लेख लिखिऐ ।

(2) सत्ती प्रथा की विवेचना कीजिए ।

निम्न प्रश्नो के उत्तर 150 शब्दों में दीजिये

(1) परदा प्रथा के बारे में बताइये ।

(2) डायन प्रथा की व्याख्या कीजिये ।

(3) कन्या भ्रूण हत्या के बारे में समझाइये ।

इकाई-18

परिवर्तन जनित समस्याऐ:-दहेज, दहेज हत्या, विवाह विच्छेद आदि

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 दहेज

18.2.1 दहेज की अवधारणा

18.2.2 युगों में दहेज

18.2.3 दहेज के प्रेरक तत्व

18.3 दहेज प्रथा के कुप्रभाव

18.4 दहेज हत्याएँ

18.5 दहेज प्रथा उन्मूलन के उपाय

18.5.1 उन्मूलन के वैधानिक उपाय

18.5.2 उन्मूलन के अन्य उपाय

18.6 विवाह - विच्छेद

18.6.1 विवाह -विच्छेद की अवधारणा एवं इतिहास

18.6.2 विवाह-विच्छेद की आवश्यकता

18.7 विवाह -विच्छेद के वैधानिक उपाय

18.8 विवाह - विच्छेद के अप्रकार्यात्मक पक्ष

18.9 विवाह- विच्छेद के प्रकार्यात्मक पक्ष

18.10 सारांश

18.11 बोध प्रश्न

18.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

18.0 उद्देश्य

इस इकाई अध्ययन पश्चात आप

(1) दहेज की अवधारणा एवं प्रत्येक युग में दिये जाने वाले दहेज की परम्पराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

(2) दहेज के प्रेरक तत्वों एवं इसके कुप्रभावों के बारे में समझ सकेंगे ।

(3) दहेज प्रथा के उन्मूलन के प्रयासों के बारे में जान सकेंगे ।

(4) विवाह-विच्छेद की अवधारणा, इसका इतिहास एवं आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।

(5) विवाह-विच्छेद के उपायों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।

18.1 प्रस्तावना

दहेज प्रथा प्रत्येक युग में प्रचलन में रही है । इस प्रथा का प्रारम्भ पुत्री के विवाह के अवसर पर माता-पिता द्वारा अपनी हैसियत एवं इच्छानुसार दिये जाने वाले दान के रुप में हुआ था । पुत्री को वस्त्र, आभूषण, घरेलू सामान इत्यादि गृहस्थ जीवन प्रारम्भ करने में मदद दें इसलिए दिये जाते थे । वर्तमान समय में इस प्रथा ने विकराल रुप धारण कर लिया है । दहेज की मांग की कोई सीमा नहीं रही और न ही लड़की के पिता की हैसियत देखी जाती है । इसका विकराल रुप मासूम लड़कियों की मौत का कारण बन गया है । इस पर अंकुश लगाने के लिये दहेज निषेध कानून बनाया गया है। लेकिन जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदली जायेगी तब तक इस पर अंकुश लगाया जाना मुश्किल होगा ।

भारत में विवाह-बिच्छेद की प्रथा प्राचीन काल में नहीं थी । वैदिक काल में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती थी । सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आने लगी और उनका शोषण होने लगा तब यह आवश्यक हो गया कि वह अपने पति एवं उसके परिवार से अलग रहकर अपना जीवन यापन करने लगे । इसके लिए अधिनियम भी लाग किया गया है ।

18.2 दहेज [Dowry]

वर्तमान में दहेज प्रथा एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं । इसके कारण माता -पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है । आज दहेज के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को जला दिया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं और आत्महत्याएँ हो रही हैं । आए दिन पत्र-पत्रिकाओं में हम दहेज के कारण स्त्रियों की हत्याओं और उन्हें जला देने के समाचार पढ़ते हैं । इसी कारण परिवारों में पुत्री जन्म को अपशकुन माना जाता है ।

एक तरफ दहेज समस्या का मूल्यांकन इसलिये आवश्यक हो गया है क्योंकि वर्तमान समय में दहेज हत्याएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं और लड़कियॉ विवाह की आयु पार करने के पश्चात् भी माता-पिता द्वारा दहेज एकत्रित न कर सकने के कारण अविवाहित रह जाती हैं । एक तरफ बहुत सी लड़कियों को अपने पति तथा ससुराल वालों के अनुसार उपयुक्त दहेज न ला पाने के कारण सताया जाता है, 'अपमानित किया जाता है जिससे उनके व्यक्तित्व का विघटन तो होता ही साथ ही उनके माता-पिता को आय बढ़ाने के गैर-कानूनी तरीके अपनाने पडते हैं जिससे समाज में भ्रष्टाचार पनपता है और परिवारों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों, धर्मसंकट तथा संघर्ष उत्पन्न होते हैं ।

18.2.1 दहेज की अवधारणा [Concept of Dowry]

"दहेज" से अभिप्राय उस धन,उपहारों व वस्तुओं से है जो कि पत्नी विवाह में अपने पति के लिये लाती है ।

चार्ल्स विनिक (1964) ने दहेज को परिभाषित करते हुए लिखा है "वे मूल्यवान वस्तुएं [Valuables] जो विवाह से संबंध रखने वाले दोनों ओर में से किसी एक के रिश्तेदार द्वारा विवाह के लिये दी जाती है ।"

मैक्स रेडिन [Encyclopedia of Social Science Vol.5:23] के अनुसार "वह सम्पत्ति जो व्यक्ति विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके रिश्तेदारों से प्राप्त करता है ।"

ब्रिटानिक विश्वकोष [Encyclopedia of Britannica] के अनुसार “वह सम्पत्ति जो स्त्री को उसके विवाह के समय दी जाती है ।"

यही 'दहेज', "कन्यादान" व "स्त्रीधन" की अवधारणाओं में भ्रम नहीं होना चाहिऐ ।

कन्यादान में कन्या को उपहार स्वरुप वर को दिया जाता है ।

स्त्रीधन का सन्दर्भ उन उपहारों से है जो वधु को उसके सगे समधियों या पति आदि द्वारा विवाह के समय या बाद में दिये जाते हैं । और वह धन जो माता-पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया हो या उसने स्वयं अर्जित किया हो । स्त्री “स्त्रीधन" की पूर्ण रुप से स्वामिनी होती है और वह अपनी लड़कियों को उत्तराधिकार में दे सकती है, यदि उसने इसके विरुद्ध वसीयत न की हो ।

18.2.2 युगों से दहेज [Dowry through the Ages]

प्राचीन व मध्यकालीन भारत से आधुनिक युग तक दहेज के ढांचे में अनेक परिवर्तन आये हैं । अथर्ववेद तथा ऋग्वेद के विवाह स्तोत्रों में कुछ जानकारी प्राप्त होती है । यह स्तोत्र सूर्य (सूर्य की पुत्री) तथा सोम (यानि चन्द्रमा) के विवाह रुपक में उल्लेखित है । इसमें बताया गया है कि वधु सुन्दर वस्त्रों में सज-धजकर नेत्रों,सिर आदि का श्रृंगार कर अपनी सखियों के साथ अपने होने वाले पति के घर के लिये रथ में प्रस्थान करती है । दहेज साथ में होता है ।

इसी प्रकार अथर्ववेद के अनुसार राजघराने की वधुऐं अपने साथ दहेज में सौ गाऐं तक लाती थीं । इसी प्रकार द्रौपदी, सीता, सुभद्रा, उत्तरा सभी के विवाह के समय उनके माता पिता द्वारा मूल्यवान उपहार घोडे हाथी और जवाहरात दिये गये । किन्तु यह उपहार ऐच्छिक रुप से स्नेहवश दिये गये । प्राचीन काल में धार्मिक आधार पर दहेज "दक्षिणा" (स्वेच्छा से दिया गया उपहार) माना जाता था । बौध काल में भी दहेज का प्रचलन था । मुस्लिम काल में भी दहेज के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं । सन्त तुकाराम ने अपनी पुत्रियों के विवाह में गांव वालों की मदद. से दहेज दिया । चैतन्य महाप्रभु के श्वसुर अपनी कन्या का विवाह उनसे करने में संकोच कर रहे थे क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में दहेज में दिये जाने वाले उपहारों को जुटाने में असमर्थता अनुभव कर रहे थे ।

राजपूताना में विशेषकर मध्ययुग में दहेज प्रथा ने भयानक रुप धारण कर लिया हालांकि वह राजा -महाराजाओं तक सीमित था । इसके पीछे कारण यह था कि राजपूत लोग अपनी आन-बान पर अभिमान करते थे ।

ब्रिटिश काल में द्रव्यीकरण तथा शिक्षा को खुली छूट दे दी गई । जिससे विवाह-घट में शिक्षित युवकों का मूल्य उँचा हो गया । सामान्य व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार के कारण डाक्टरों, वकीलों, इन्जीनियरों, अफसरों तथा प्रशासनिक अधिकारियों तथा कॉलेज प्राध्यापकों की संख्या में वृद्धि फ़ । इन सभी वर्गों में युवकों की सम्भावित आय अत्यधिक आकर्षक होने के कारण कोई भी उन्हे दामाद बनाने को लालायित रहता है अत: विवाह बाजार में इनका मूल स्वत: ही बढ़ जाता कन्या के पिता को त्योहारों, विवाह तथा अन्य अवसरों पर विवाह के पश्चात भी अपनी बेटी को एवं उसके ससुराल वालों को उपहार देने पड़ते हैं । यही नहीं भारत के विभिन्न भागों में अनेक समुदायों और जातियों में यह रिवाज है कि विवाह के बाद गर्भधारण करने के बाद लड़की अपने माता-पिता के घर जाती है तथा

पहले बच्चे का जन्म वहीं होता है । लड़की के माता -पिता को न केवल दवा इत्यादि में खर्च करना पडता है बल्कि नवजात शिशु के वस्त्र, आभूषण व अन्य उपहार अपनी लड़की को वस्त्र, दामाद तथा उनके माता-पिता के लिये सभी वस्तुएँ देनी पड़ती हैं ।

इस प्रकार के लेन-देन के पीछे माता-पिता की इच्छा यह होती है कि इससे लड़की को ससुराल में प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी । किन्तु पुत्री के लिये सुरक्षा और उच्च सामाजिक स्थिति की यह कामना उसके माता-पिता को ऐसे असुरक्षित कगार पर ला खड़ा कर देती है जहाँ उन्हें ऐसी मांगें भी पूरी करनी पड़ सकती हैं जो उनकी आर्थिक क्षमता के बाहर होती हैं । वह कर्जदार हो जाते हैं । वर्तमान में दहेज उन जातियों में भी प्रचलित हो गया है जहॉ पहले इसका नाम भी नहीं था । फलत: यह प्रथा हमारे समाज के लिये अभिशाप है । यह कुप्रथा समाज पर कलंक है हमारी संस्कृति और सभ्यता पर एक दाग है । दहेज की बढ़ती मांग, सामाजिक प्रदर्शन, झूठी शान का आधार हैं । इसका एक ही मकसद है आर्थिक लाभ प्राप्त करना ।

18.2.3 दहेज के प्रेरक तत्व [Motivational factors of Dowry]

दहेज प्रथा को बढ़ाने में निम्न तत्व प्रेरक के रुप में कार्य कर रहे हैं :-

1. उच्च परिवारों में विवाह की आकांक्षा [Aspiration to marry in high class family]
   प्रत्येक माता -पिता की यह आकांक्षा रहती है कि बह अपनी बेटी का विवाह उच्च वर्गीय परिवार में करें जिससे उनकी बेटी को कोई अभाव न रहे और वह राज करे । अत: जितनी उँची वर की प्रस्थिति होती है उतनी ही दहेज की राशि उँची हो जाती है ।
2. सामाजिक स्तर को बढ़ाना [To uplift Social Status]

कुछ लोगों की यह मानसिकता या प्रवृति होती है कि जितना अधिक बह अपनी बेटी के विवाह में खर्च करेंगे उतना ही उनका सामाजिक स्तर उँचा हो जायेगा । कई बार अपनी झूठी शान का प्रदर्शन करने के लिये वह खुद कर्जदार बन जाते हैं ।

3. जाति प्रथा का दबाव [Pressure of Caste System]

जाति प्रथा के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों का विवाह अपनी ही जाति में करना चाहता है जिससे जीवन-साथी चुनने का क्षेत्र सीमित हो जाता है । इसमें भी प्रत्येक बेटी का पिता उसकी शादी उँची प्रस्थिति वाले लड़के से करना चाहता है । इसी बात का फायदा उठा कर दर पक्ष कन्या पक्ष से भारी दहेज की मांग करता है ।

4. सामाजिक प्रथा [Social Custom]

दहेज प्रथा के बने रहने में एक तथ्य यह भी है कि यह एक सामाजिक प्रथा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रही है । इसमें वर्तमान और अतीत का सम्मान जुड़ा रहता हैं अत: किसी भी व्यक्ति के लिये यह सहज नहीं होगा कि वह इसका बिरोध कर सकें यही कारण है कि यह प्रथा बनी हुई है ।

5. दुष्चक्र [Vicious Cycle]

दहेज प्रथा समाज में विधमान है तथा वर के माता-पिता दहेज का विरोध इसलिये भी नहीं करते क्योंकि जो राशि उनको दहेज में प्राप्त होती है वह राशि वह अपनी बहन-बेटी के विवाह में दहेज में दे देते हैं और यह दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है ।

6. अनुलोम विवाह [Hypergamous Marriage System]

अनुलोम विवाह से तात्पर्य यह है कि निम्न स्तर की लड़की का विवाह उच्च स्तर के लड़के से हो सकता है । अत: जब उच्च स्तर का लड़का निम्न स्तर की लड़की से विवाह करता है तो वह अधिक दहेज की मांग करता है दूसरी तरफ उच्च स्तर में अपनी कन्या का विवाह करने के लिये उँची धन राशि खर्च करनी पडती है जिससे दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है ।

18.3 दहेज प्रथा के कुप्रभाव [Evil effects of Dowry System]

दहेज प्रथा के कुप्रभावों को हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर विवेचित कर सकते हैं-

1. आर्थिक तंगी [Economic Strains]

दहेज प्रथा की मार उच्च और निम्न वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग पर ज्यादा है, जहाँ व्यक्ति जो कुछ भी कमाते हैं वह अपने परिवार के स्तर को बनाए रखने, आवश्यकताओं की पूर्ति बच्चों की शिक्षा, तथा सामाजिक दायित्वों को निभाने में खर्च कर देते हैं परिणामस्वरुप बेटी का विवाह करने के लिये उन्हे ऋण लेना पड़ता है जिससे उनकी अर्थव्यश्स्था गड़बड़ा जाती है ।

कन्या पक्ष ही नहीं बल्कि वर पक्ष भी दहेज के अनुरुप खर्च करने की स्थिति में नहीं होता है तो वह इधर-उधर से कर्जा लेकर व्यवस्था करता है । कुछ समय पूर्व एक घटना सीकर में घटित हु यी जिसमें बेटे के पिता ने विवाह की तैयारी के लिये साहूकार से पैसे मांगे तथा उसने देना स्वीकार कर लिया किन्तु ठीक शादी वाले दिन जब वह साहूकार के पास रुपये लेने गया तो उसने पैसे देने से इन्कार कर दिया । यह सुनते ही बेटे का पिता मूर्च्छित हो गया । एक तरफ बेटे का विवाह हो रहा था तथा दूसरी तरफ पिता अन्तिम सांसे गिन रहा था तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई ।

2. अनैतिकता [Immorality]

दहेज प्रथा अनैतिकता को बढ़ावा देती है । जब वर पक्ष के द्वारा दहेज की मांग रखी जाती है तब यदि कन्या पक्ष उसे जुटा पाने में असमर्थ होता है तो कई बार अनैतिक तरीकों को उपयोग में लिया जाता है जिससे आवश्यक राशि एकत्रित की जा सके । जब माता-पिता पर्याप्त धन जुटा पाने में असमर्थ होते हैं तब वह अपनी बेटियों को किसी व्यवसाय या नौकरी में लगा देते हैं जिससे एक तरफ वह आत्मनिर्भर तो बनती ही हैं पर दूसरी तरफ जब वह लड़कों के साथ कार्य करती हैं तो उनके झूठे वायदे लड़की को गुमराह कर देते हैं जिससे उनका नैतिक पतन होता है ।

जब माता-पिता अपनी बेटियों के लिये योग्य वर खोजने में असमर्थ होते हैं तो कई बार बड़ी आयु वाले धनी पुरुषों के साथ (जो दहेज की मांग नहीं करते) उनका विवाह कर दिया जाता है । कई बार अनुपयुक्त व्यक्ति से भी विवाह कर दिया जाता है । अत: बेमेल विवाह होते हैं यहीं समस्या का अन्त नहीं हो जाता । परेशानी वही भी खड़ी हो जाती है जब नव विवाहिता महसूस करती है कि उसकी अभिरुचि उसके पति से बिलकुल भिन्न है उसका यौवन विद्रोही हो जाता है जिसके कारण वह अतिरिक्त विवाह सम्बंध स्थापित करती है । समाज में वेश्यावृति पनपती है ।

3. मनौवैज्ञानिक संकट और भावनात्मक आघात [Psychological Crises & Emotional Trauma]

दहेज में प्रतिस्पर्धा रहती है जो मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाने वाला हो सकता है । जब सर्वगुण सम्पन्न, उच्च शिक्षित, सुसंस्कृत लड़की से विवाह के लिये केवल इसलिये मना कर दिया जाता है

क्योंकि उसके माता -पिता अच्छा दहेज दे सकने में समर्थ नहीं हैं या दूसरी तरफ जब लड़की की सगाई हो जाती है, वह एक दूसरे से मिलना - जुलना तथा वार्तालाप शुरु कर देते हैं तो कई बार लड़के वाले अन्य किसी जगह पर जहाँ अच्छा दहेज मिल रहा है वही रिश्ता तय कर लेते हैं तथा यह सगाई तोड़ देते हैं जिससे लड़की की भावनाओं को ठेस पहुँचती है । अपने को माँ-बाप के उपर बोझ समझती है । कई बार निराशा और हीनता से ग्रस्त होकर वह आत्महत्या तक कर बैठती है ।

कुछ लड़कियाँ दृढ़ चरित्र की होती हैं जो सहजता से पुरुषों के बहकावे में नहीं आती पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से उनकी काम भावनाऐ दब जाती हैं जिससे वह स्वभाव में चिड़चिड़ी हो जाती हैं परन्तु उसके पीछे कुण्ठा छिपी होती है जो उसे मनोवैज्ञानिक संकट में डालती है ।

पारिवारिक संघर्ष भी दहेज का ही प्रतिफल है । यदि वर पक्ष प्राप्त दहेज से संतुष्ट नहीं होता है तो वह वधु से दुर्व्यवहार करना प्रारम्भ कर देते हैं । वह पीहर पक्ष वालों के लिये अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे पारिवारिक कलह का माहौल उत्पन्न होता हैं ।

4. स्त्रियों की निम्न स्थिति [Lowering of Women Status]

दहेज प्रथा स्त्री की स्थिति को हीन बना देती है । पुरुष वर्ग अपने को उच्च तथा महिला को हीन समझता है । कई बार दहेज के लालच में व्यक्ति दो -तीन शादी भी करता है जिससे वह ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित कर सके । जब लड़की नौकरी करने वाली होती है तथा वह लड़के के समान ही शिक्षित होती है । बल्कि यह कहा जाए कि वह श्रेष्ठ होती है क्योंकि वह गृहस्थी के कार्यो के साथ-साथ धन उपार्जन का कार्य भी करती है । अत: दहेज सामाजिक अन्याय है जो स्त्री की स्थिति को नीचे गिराता है तथा उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाला होता है ।

5. कन्या भ्रूण हत्या [Killing of Female foetus]

दहेज का यह भी परिणाम सामने आ रहा है कि लड़की होना अपशकुन माना जाता है । जैसे ही यह ज्ञात कर लिया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है तो गर्भपात करा दिया जाता है । समाज के लोगों की यह मानसिकता है कि आज मात्र 500 रु खर्च करने पड़ेंगे किन्तु यदि लड़की जन्म ले लेगी तो लाखों का इन्तजाम दहेज के लिए करना पडेगा इसकी वजह से स्त्री -पुरुष अनुपात भी असंतुलित होता जा रहा है ।

6. बाल विवाह [Child Marriage]

बहुत से लोग दहेज देने से बचने के लिये अपनी बेटियों का विवाह बाल्यावस्था में ही कर देते हैं जिसके कई दुष्परिणाम लड़के- लड़की दोनों को जीवनपर्यन्त भुगतने पड़ते हैं तथा अपने माता-पिता को दोषी करार देते हैं ।

7. विवाह मूलक संबंधो पर प्रभाव [Effect on Affinal Relations]

दहेज प्रथा न केवल कन्या के माता-पिता की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना देता है बल्कि यह आपस में भाई-बहिनों के बीच दरार उत्पन्न करता है भाई अपनी बहनों को अपनी भविष्य की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं के बीच बोझ मानते हैं साथ ही साथ जिस घर से लड़की ली जाती है उसे हीन समझते हैं । यदि दहेज आकांक्षा से कम मिलता है तो वह कन्या पक्ष वालों से दुर्व्यवहार करना अपना अधिकार समझते हैं जिससे अन्तर्पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं ।

संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि दहेज प्रथा किसी भी समाज के लिये गौरव की बात हो ही नहीं सकती है । यह समाज पर एक कलंक है जो उसके सांस्कृतिक अवमूल्यन का धोतक है । हम

वर्तमान सभ्यता की तड़क-भडक में अपने को प्रगतिशील प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं परन्तु दहेज प्रथा हमारे मानसिक पतन की निशानी है ।

18.4 दहेज हत्याएँ [Dowry Murders]

भारत में दहेज प्रथा एक अभिशाप हैं आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति में वर पक्ष वालों ने वधू के माता-पिता को दहेज के माध्यम से शोषित करना प्रारम्भ कर दिया है । दहेज के अभाव में हजारों नव -विवाहिताओं को प्रति वर्ष जलाया जाता है । सास, श्वसुर, जेठ-देवर, पति के द्वारा कई प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं । उन्हें भूखा रखा जाता है, मारा -पीटा जाता है । पीहर से पैसे लाने को मजबूर किया जाता है, यहाँ तक कि उसे घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं । आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करते हैं जिससे लड़का दोबारा शादी करके दहेज के रुप में धन एकत्रित कर सके ।

हालांकि दहेज सम्बंधित मुकदमों की संख्या लगभग नगण्य है जबकि प्रतिवर्ष देश में छह हजार हत्याएँ होती हैं । सरकार की मई 2000 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति नब्बे मिनिट में दहेज से सम्बन्धित हत्या होती हैं । ये हत्याएँ एक दिन में सोलह तथा एक वर्ष में छह हजार होती हैं । चूँकि दहेज संबंधित हत्याएँ योजनाबद्ध रुप से घर में परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से होती हैं और इसकी सूचना पुलिस तक नहीं पहुँचती । वधु पक्ष को भी सूचना इतनी विलम्ब से दी जाती है कि हत्या से जुड़े सभी प्रमाण नष्ट कर दिये जाते हैं तथा उसे हादसे का रुप दे दिया जाता है । साक्षी के अभाव में जुर्म करने वाला बाइज्जत बरी हो जाता है ।

विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :-

(1) मध्यम वर्गीय स्त्रियों की उत्पीडन दर उच्च व निम्न वर्गीय महिलाओं से अधिक है ।

(2) 21-24 वर्ष की महिलाऐं जो शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व भावात्मक रुप से परिपक्व होती हैं, दहेज के कारण ज्यादा पीडित रहती हैं ।

(3) युवा वधुओं को अधिक सताया जाता है अपमानित या प्रताडित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरुप वह आत्महत्या कर लेती है ।

(4) स्त्री के शिक्षित होने तथा दहेज के लिये की गई हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता । सोचा यह गया था कि शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ दहेज से संबंधित बुराइयों का अन्त हो जायेगा परन्तु हुआ इसके बिलकुल विपरीत दिन पर दिन यह समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ।

(5) परिवार की संरचना आकांक्षाऐं, भौतिकवादिता, आर्थिक स्तर को उँचा उठाने की अभिलाषा ने दहेज हत्याओं में निर्णायक भूमिका अदा की है ।

(6) अपराधी पर वातावरण का दबाव, सामाजिक तनाव, उसके सत्तावादी होना, समायोजन न कर पाना, दूसरों से तुलना करने, प्रबल मनोवैज्ञानिक प्रकृति आदि दहेज हत्या में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कारक माने गये हैं ।

18.5 दहेज प्रथा उन्मूलन उपाय

18.5.1 उन्मूलन के वैधानिक उपाय

दहेज प्रथा समाज का एक कलंक बन चुकी है जो दिन प्रतिदिन विकराल रुप धारण करती जा रही है । इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिये भारतीय संसद में 1961 में दहेज निषेध कानून

बनाया गया । इस अधिनियम के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा कमियों के पाये जाने पर इस कानून को समय -समय पर संशोधित किया गया और आवश्यकतानुसार और अधिक कठोर बनाया गया है ।

सन् 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं सन् 1986 में युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा इसे प्रयोगात्मक रुप प्रदान किया गया ।

19 अगस्त, 1985 के संशोधन के अनुसार विवाह के अवसर पर वर एवं वधू को दिये जाने वाले उपहारों की सूची तैयार की जाए । इस पर वर-वधू दोनों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । 1988 में पारित अधिनियम द्वारा सजा से सम्बन्धित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया गया । अधिनियम में यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, तो उसके लिये कम से कम पन्द्रह हजार रुपये की राशि के जुर्माने तथा कम से कम पांच वर्ष की सजा का भी प्रावधान है । इसके अलावा यदि कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से दहेज मांगता है तो उसे कम से कम छह माह एवं अधिकतम दो वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपये तक अर्थ दण्ड देने का प्रावधान है ।

सन् 1971 के अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जो भी रकम दहेज में दी जायेगी वह केवल पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारी के फायदे के लिये होगी एवं दहेज में दी गई वस्तु उस महिला के पास ही रहेगी एवं उस महिला के अलावा यदि अन्य किसी व्यक्ति के पास होगी तो वह व्यक्ति साल के अन्दर -अन्दर वह वस्तु उस महिला को देने के लिये बाध्य है । इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर छह माह की सजा और कम से कम पांच हजार तथा अधिक से अधिक दस हजार रुपये का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है ।

सन् 1986 के संशोधन द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि अगर किसी महिला की मृत्यु विवाह के सात सालों के भीतर (प्राकृतिक कारणों के अलावा) हो जाती है तथा उसके कोई बच्चे अथवा उत्तराधिकारी नहीं है तो उस स्थिति में सारा का सारा दहेज जो कि लड़की को दिया गया था लड़की के माता-पिता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तथा यदि बच्चे हों तो बच्चे प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के अनुसार यदि किसी विवाहिता द्वारा विवाह के सात वर्षो में आत्महत्या की जाती है और इस सम्बंध में यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा उसके साथ क्रूरता की जा रही थी तो यह अपराध गैर जमानती होगा । "क्रूरता" से मतलब व्यक्ति के वे सभी आचरण होंगे जिसकी वजह से स्त्री आत्महत्या कारित करने के लिये प्रेरित हुई हो । उसके जीवन अंग, अथवा स्वास्थ्य जो चाहे मानसिक अथवा शारीरिक ही क्यों न हो को गम्भीर क्षति या खतरा उपस्थित होने की सम्भावना हो ।

यह अटल सत्य है कि अधिनियम दहेज जैसी गम्भीर समस्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित किया गया तथा समय-समय पर इसमें संशोधन कर कठोर बनाया गया किन्तु यदि हम पिछले 30-40 वर्षों के रिकार्ड उठा कर देंखे तो पायेंगे कि यह समस्या दिन-प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है । इसके कारणों में हम महिलाओं की तीन कमियों को मान सकते हैं-

1. जागरुकता का अभाव
2. जानकारी की कमी
3. अधिकारों के लिये न लड़ने की प्रवृति

राजस्थान में सन् 2003 की तुलना में 2004 में दहेज मांग को लेकर महिलाओं को आत्महत्या के लिये उकसाने के 23 मामले अधिक दर्ज हुए । उच्चतम न्यायालय ने दहेज प्रथा से निपटने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों को मई, 2005 में विशेष निर्देश जारी किये । न्यायालय ने कहा कि सरकारों को सरकारी नौकरी के इच्छुक युवकों से विवाह में लिये गए दहेज का विवरण मांगना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सामान पत्नी के नाम किया गया या नहीं । राजस्थान में गत वर्ष एक अधिनियम जारी कर सरकारी कर्मचारियों के लिये दहेज न लेने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य कर दिया है ।

हालांकि यहॉ यह कहना उचित होगा कि सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन केवल कानून बनाने और सरकारी डण्डे के बल पर नहीं हो सकता जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आयेगा तब तक ये समस्याऐ खत्म नहीं हो सकती।

18.5.2 उन्मूलन के अन्य उपाय [Other measures towards Abolition]

दहेज जैसी विकराल समस्या को हल करने के लिये कानून से ज्यादा जरुरत नैतिक आन्दोलन की है । जिसमें महिला और पुरुष दोनों को समान रुप से भाग लेना होगा जिससे इस समस्या को जड से खत किया जा सके । वर्तमान में समाज सुधारक नेता और बुद्धिजीवी भी इस जहर से ग्रस्त हैं, दहेज की बुराई को रोकने के लिये निम्न उपाय बताये जा सकते हैं:-

1. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन **[Encouragement to Intercaste Marriage]**

समाज के लोगों का विचार है कि यदि अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाये तो यह समस्या कुछ हद तक नियंत्रित की जा सकती है । हमारी यह विडम्बना है कि इस प्रगतिशील युग में भी हम जातीय रुढ़ियों और विसंगतियों से जुड़े हुए हैं । आज भी व्यक्ति अपनी ही जाति में उच्च हर की तलाश करता है तथा उच्च प्रस्थिति के कारण वर पक्ष उच्च दहेज की मांग करता हैं । अत: दहेज को तोड़ दिया जाना चाहिये । यदि बिना दहेज के अन्तरजातीय विवाह होते हैं तो उन्हें माता-पिता तथा समाज की सहमति मिलनी चाहिये, जिससे वर-वधू के चुनाव का क्षेत्र वृहद हो सके ।

2. प्रचार व जनचेतना **[Propoganda and Public Enlightenment]**

प्रचार के माध्यम से लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है । इसके विभिन्न साधन जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी चल-चित्र, नाटक पुस्तकें, समाचार पत्र भाषण आदि हैं । प्रचार को अधिक सफल बनाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि अलग अलग समूहों के लिये अलग - अलग कार्यक्रम बनाने होंगे । इसी प्रकार स्वैच्छिक संगठन भी इसमें अपना योगदान देसकते हैं किन्तु नेताओं के दोहरे व्यक्तित्व के कारण वह लोगों को प्रभावित करने में असफल रहे हैं । सार्वजनिक मंचों से वह बड़े-बड़े आदर्श की बातें करते हैं । किन्तु व्यवहारिक जीवन में इसके विपरीत आचरण करते हैं । अत: केवल भाषण बाजी से इस समस्या का हल नहीं हो सकता बल्कि इसे एक व्यावहारिक आन्दोलन का रुप देना होगा जिसमें सामान्य, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति कार्य करें जो समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिये सचेष्ट हों ।

3. शिक्षा के द्वारा जनमत तैयार करना **[Creating Public opinion through education]**

इस अवस्था में मनुष्य का चरित्र निर्मित हुआ है, उसके कारण दहेज प्रथा की विकरालता नए-नए आचरणों में प्रकट हो रही है । शिक्षित वर्ग जिससे दहेज समाप्ति की आशा की थी वह अपने पाखण्ड

पूर्ण व्यवहार से इसे और बढ़ावा दे रहा है । जितना उच्च शिक्षित लड़का होगा उतना ही अधिक दहेज की मांग करता है । इस मनोवृति के लिये लड़के वाले ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि स्वयं लड़की वाले जो दहेज की मांगने की निंदा करते हैं परन्तु जब बे लड़के की शादी करते हैं तो उतने ही अधिक दहेज की मांग करता है । अत:सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता है ।

किसी भी सामाजिक विधान की सफलता आम जनता के सहयोग पर निर्भर है । व्यक्ति की समझदारी ही समस्या को हल करनें में सहायक हो सकती है जिसके लिये लोगों को नैतिक और औपचारिक रुप से शिक्षित करना होगा । सामाजिक और वैधानिक शिक्षा से दहेज प्रथा का उन्मूलन सम्भव है क्योंकि शिक्षा से लोगों के मस्तिक का विकास और दृष्टिकोण का विस्तार होगा ।

4. युवाओं द्वारा पहल **[Initiative by the Youth]**

योग्य जीवन साथी की जितनी आवश्यकता एक कन्या को होती है उतनी ही आवश्यकता एक लड़के को भी होती है । यदि युवा पीढ़ी को दहेज प्रथा के दूरगामी परिणामों से अवगत करा कर नव सामाजिक मूल्यों से परिचित करवाया जाये तो यही युवा दहेज उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है । कुछ लोगों का मत है कि लड़कों को पहल करनी होगी तथा कुछ लोगों का मत है कि लड़कियों को पहल करनी चाहिये जिसमें वह शिक्षित और आत्मनिर्भर बन कर उन लोगों को विवाह के लिये मना कर सकें जो दहेज की मांग करते हैं । सार में हम यह कह सकतें हैं कि दोनों को संयुक्त रुप से इस कलंक को खत्म करने में अपना योगदान देना होगा ।

18.6 विवाह-विच्छेद [Divorce]

18.6.1 विवाह-विच्छेद की अवधारणा एवं इतिहास [Concept of Divorce and its history]

परम्परागत हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया था । इस समाज में स्त्री के लिये पतिव्रत एवं सतीत्व की बात कही गई है अत: एक स्त्री के द्वारा उसके पति को त्यागना सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है ।

तलाक का आशय उस स्थिति से है जिसमें पति-पत्नि का वैवाहिक संबंध अन्तिम रुप से टूट जाता है, दोनों ही पक्ष उस संबंध से अपने को विमुक्त समझने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहने, सहवास करने अथवा यौन-संबंध स्थापित करने का अधिकार नहीं रह जाता । तलाक का तात्पर्य है वैवाहिक सम्बन्धों का वैधानिक अन्त । तलाक के लिये यह आवश्यक नहीं है कि कानून का सहारा लिया जाये, ये अदालत के हस्तक्षेप के बिना सामाजिक नियमों के अनुसार भी हो सकता है । यह वैवाहिक जीवन की असफलता का द्योतक है ।

प्राचीन भारत में विवाह-विच्छेद की प्रथा नहीं थी । यदपि वैदिक काल में किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे यदि पति दुश्चरित्र हो उसका ठोर-ठिकाना ज्ञात नहीं हो रिश्तेदारों के प्रति विश्वासघाती हो, पत्नी के जीवन को खतरा उत्पन्न कर रहा हो जाति नियमों का उल्लंघन किया हो या नपुंसक हो । ऐसी स्थिति में पत्नी पति को तलाक दे सकती थी । किन्तु ईसा काल से ही नैतिकता की दुहाई देकर तलाक को अधार्मिक अपवित्र एवं घृणित कार्य समझा जाने लगा और बाद में इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया । आज भी व्यवहारिक रुप से स्त्री द्वारा पति को तलाक देना उचित नहीं माना गया है । यदपि पुरुष जब चाहे ऐसा कर सकता है । यदि व्यवहार में भी दोनों को समानता

प्रदान की जाये तो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तो ऊँची उठेगी ही साथ ही बेमेल विवाह समाप्त होंगे और सामाजिक जीवन संतुलित होगा ।

18.6.2 विवाह-विच्छेद की आवश्यकता [Need of Divorce]

विवाह-विच्छेद सही है या गलत इस बारे में कई मतभेद हैं । कुछ लोग इसे उचित मानते हैं तो कुछ लोग अनुचित । यदि हम इसके महत्व को ध्यान में रखते हैं तो इसकी आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । निम्न लिखित कारणों से यह स्पष्ट है -

1. विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त होने से स्त्रियों की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, पुरुष वर्ग उस पर मनमाना अत्याचार नहीं कर सकेगा ।
2. विवाह सम्बन्ध में स्त्री -पुरुष में समानता का रुख अपनाने के लिये तलाक उचित है ।
3. हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकार पुरुषों के पक्ष में सुरक्षित हैं, स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है अत: उन्हें विवाह -विच्छेद का अधिकार मिलना आवश्यक है ।
4. यदि पति शराबी, अत्याचारी, जुआरी है तो ऐसे जीवन-साथी से मुक्ति के लिये तलाक का अधिकार आवश्यक है ।
5. वर्तमान समय में सभी सामाजिक समस्याओं एवं उनकी अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे है, ऐसी दशा में यदि विवाह जैसी प्रमुख संस्था में समय की आवश्यकतानुसार परिवर्तन नही किये गये तो सामाजिक विघटन की आशंका बनी रहेगी अत: इस दृष्टिकोण से भी तलाक को आवश्यक माना गया है ।

18.7 विवाह-विच्छेद के वैधानिक उपाय

विवाह-विच्छेद से सम्बद्ध सर्वप्रथम विधान हिंदुओं के लिये 1920 में, ईसाईयों के लिये 1869 में पारसी के लिये 1936, में लागू किया गया । तत्पश्चात् 1942 में बड़ौदा राज्य में, 1947 में मुम्बई राज्य में तथा 1949 में मद्रास राज्य में विधान बनाये गये । अलग-अलग अधिनियम में तलाक के कारणों का अलग-अलग प्रावधान किया गया । बडौदा राज्य अधिनियम में निम्न कारणों को लिया गया -धर्म परिवर्तन ,सात वर्ष से अधिक अवधि तक परित्याग, द्विवाह, अत्याचार मधपान, पर व्यक्ति गमन आदि । मुम्बई राज्य अधिनियम में निम्न कारण लिये गये - नपुंसक होना सात वर्ष से अधिक का पागलपन, कम से कम सात वर्ष तक कोढ़ से पीडित चार वर्ष तक लगातार परित्याग दूसरा पति या दूसरी पत्नी होना। किन्तु 1954 में समस्त भारत के लिये विशेष विवाह अधिनियम तथा सन् 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किये गये । जिनमें सन् 1976 तथा 1981 में व्यापक संशोधन किये गये । विवाह सम्पन्न होने के दो वर्ष पश्चात् ही विवाह -विच्छेद के लिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जा सकता है किन्तु प्रारंभ के दो वर्ष के लिये न्यायिक पृथक्करण ही स्वीकृत किया जाता है ताकि इस अवधि में पति-पत्नी में समझौते की सम्भावना बन सकें । अत: इसके अन्तर्गत पति-पत्नि इकटठे रहने तथा इकट्ठे सोने के अधिकार से वंचित रहते हैं । इस अवधि में पति मरण-पोषण भत्ता पत्नी को देता रहता है । यदि इन दो वर्षों की अवधि में मेल नहीं हो पाता तो विवाह -विच्छेद की डिक्री प्रदान कर दी जाती है ।

विवाह-बिच्छेद के उचित आधार हैं-

स्त्री या पुरुष द्वारा व्यभिचारी जीवन बिताना, धर्म परिवर्तन,स्त्री या पुरुष का तीन साल तक पागल रहना, कोढ़ से पीडित रहना, गुप्त रोग से पीडित रहना, सात वर्ष तक लापता रहना, द्वि-विवाह।

18.8 विवाह-विच्छेद के अप्रकार्यात्मक पक्ष [Dysfunctional Aspects of Divorce]

1. विवाह-विच्छेद से संवेगात्मक संकट उत्पन्न होता है क्योंकि जिस किसी ने भी तलाक की पहल की होती है तो दूसरा पक्ष टूट जाता है उसके सपने चकनाचूर होते हैं । उसे हीन -भावना घेर लेती है । प्राय: वह समाज में मेल-जोल से कतराने लगता है जिससे व्यक्तित्व का विघटन उत्पन्न होता है ।
2. दूसरी समस्या "काम अनुकूलन" की उत्पन्न होती है क्योंकि दोनो ही साथी जवान होते हैं । जिससे अवैध सम्बन्ध पनपते हैं । जिससे व्यक्तित्व विघटित हो जाता है ।
3. तलाक सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है । व्यक्ति जन प्रवादों का विषय बन जाता है। उसे अपनी मित्रता का दायरा छोटा होता नजर आता है । जिससे व्यक्ति विघटन सम्भावित होता है ।
4. विवाह-विच्छेद ऐसी स्त्रियों के लिये दुखद घटना है जो शिक्षित और आर्थिक रुप से आत्म निर्भर नहीं हैं ऐसी स्त्रियों के समक्ष भरण-पोषण की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।
5. विवाह-विच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण दुष्परिणाम बच्चों के लालन-पालन का है । बच्चे भी अपने साथियों से निन्दा,तानाकशी व चिढ़ाए जाने जैसी आलोचनाओं का शिकार होते हैं ।बच्चे यदि माँ या पिता के साथ रहते हैं तो इन्ही बच्चों को सौतेले व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो उसके भविष्य को खतरा उत्पन्न तो करता ही है और उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बन जाता है ।

18.9 विवाह-विच्छेद के प्रकार्यात्मक पक्ष [Functioanal Aspects of Divorce]

1. जिन परिवारों में माता-पिता के मध्य लगातार तनाव व संघर्ष रहता है तथा बच्चा उपेक्षित होता है तो ऐसी स्थिति में तलाक एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है जिससे बच्चे को हम उस तनाव ग्रस्त माहौल से स्वतंत्र कर उसके व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं ।
2. यदि तलाक के लिये स्त्री पहल करती है तो वह पहले ही आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बन जाती है और यदि पुरुष तलाक की पहल करता है तो वह पहले ही आर्थिक दायित्व के प्रति उपेक्षा का रबैया अपनाने लगता है जिसकी वजह से स्त्री कुछ कमाने का निर्णय लेती है अत: तलाक के बाद आर्थिक कठिनाइयों का कोई प्रभाव स्त्री पर नहीं पड़ता ।
3. भावनात्मक संकट, सैक्स संबंधी सामायोजन ,व्यक्तिगत आदतों की व्यवस्था आदि जो तलाक के पश्चात उठती हैं उसके विषय में भी यह कहा जा सकता है कि तलाक से पूर्व पति-पत्नी एक दूसरे से सामान्य सामाजिक संबंध कम कर चुके होते हैं । अत: तलाक के बाद दोनो को ही उपरोक्त समस्या का सामना नहीं करना पड़ता ।

8.10 सारांश

दहेज प्रथा का जड़ से उन्मूलन समाज सुधार के लिये एक महत्वपूर्ण कदम होगा । प्रारम्भ में इस प्रथा का कोई भी उद्देश्य रहा हो परन्तु आज केवल मात्र एक ही उद्देश्य रह गया है आर्थिक लाभ प्राप्त करना । केवल सहयोग तथा आपसी समझदारी इसे खत्म करने में योग दे सकती हैं । यदि हम गहराई से आत्म मंथन करें तथा मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिये दृढ़ संकल्पी हों तो इस समस्या को खत्म किया जा सकता है ।

अंत में यही कहा जा सकता है कि तलाक के मध्य आने वाले आर्थिक, नैतिक और सामाजिक अवरोधों को दूर करने से तथा अवांछित जीवन साथी से विवाह बंधन तोड़ने के सरल अवसर प्रदान करके ही हमारे देश के स्त्री -पुरुषों को श्रेष्ठ और सुखी जीवन जीने के अवसर मिल सकते हैं ।

18.11 बोध प्रश्न

प्र.1 दहेज को परिभाषित कीजिए ।
प्र.2 दहेज प्रथा का इतिहास बताइये ।
प्र.3 दहेज के प्रेरक तत्व बताइये ।
प्र.4 दहेज प्रथा के कुप्रभाव बताइये ।
प्र.5 दहेज प्रथा पर एक टिप्पणी लिखिए ।
प्र.6 दहेज उन्मूलन के लिए बनाये गये विधान की विवेचना कीजिए ।
प्र.7 दहेज उन्मूलन के सामाजिक आधार बताइए ।
प्र.8 तलाक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए ।
प्र.9 तलाक के कार्यात्मक और विकार्यात्मक पक्ष की विवेचना कीजिए ।
प्र.10 महिलाओं की बदलती हुई सामाजिक प्रस्थिति की विवेचना कीजिए ।

18.12 संदर्भ ग्रन्थ

आहूजा राम — "क्राइम अगेन्स्ट वूमैन", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 1998

आहूजा राम — "वायलैंस अगेन्स्ट वूमैन", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 1998

अग्रवाल सुशीला — "स्टेट्स ऑफ वूमैन" प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर 1998

आत्रे जे.पी. — "क्राइम अगेन्स्ट वूमैन" विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1998

अग्निहोत्री इन्दु — "वायलैंस आगेन्स्ट वूमैन" सिक्स नेशनल कार्फ्रेंस ऑन वूमैन स्टडी, मैसूर

अन्सारी एम.एन. — "नारी चेतना और अपराध" पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2000

बेग तारा अली — "वूमैन पॉवर ऑफ इन्डिया" सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली 1976

चौधरी जे.एस.	"स्टेटस ऑफ इन्डियन वूमैन" प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर 1988
देवेन्द्रा किरन	चैंजिग स्टेटस ऑफ वूमैन इन इन्डिया," विकास पब्लिशिंग हाउस ,नई दिल्ली 1994
देसाई नीरा	"वूमैन इन मिडिल इन्डिया" व्होरा एंड कम्पनी बम्बई 1957
डी. इन्द्रा	"दा स्टेटस ऑफ वूमैन इन इण्डिया" आर्थन्ट पब्लिशर्स, जयपुर 1955
घोष एस.के.	"वूमैन एंड क्राइम" आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1993
सूद एस.एस.	"वायलैन्स अगेन्स्ट वूमैन" अरिहंत पब्लिशर्स जयपुर 1987
श्री निवास एम.एन.	"दा चैन्जिंग पोजिशन ऑफ इण्डियन वूमैन" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई 1978
सिंह राकेश एंड के.के.	"दी डॉवरी प्राहिबिशन अमेण्डमेंट एक्ट" लॉ बुक कम्पनी प्रा. लिमिटेड जयपुर 1985-1989
कपडिया के.एम.	"मैरिज एंड फैमिली इन इण्डिया" ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली 1972

इकाई 19

आर्थिक अपव्यय

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 घरेलू साज-सज्जा

19.2.1 परम्परागत स्वरूप

19.2.2 आधुनिक व परिवर्तित स्वरूप

19.2.3 मीडिया व बाजार की भूमिका

19.2.4 आसान बैंक ऋण सुविधा

19.3 देह दर्शन

19.3.1 श्रृंगार एवं प्रसाधन के विभिन्न साधन

19.3.2 राजस्थान में नारी श्रृंगार व सौन्दर्य प्रसाधन के साधन- परम्परागत हैं आधुनिक रूप

19.3.3 राजस्थान में पुरूष श्रृंगार के साधन - पगडी

19.3.4 वर्तमान में देह दर्शन के बदलते प्रतिमान ब्यूटी पार्लरों की भूमिका

19.3.5 फैशन के प्रति बदलते प्रतिमान

19.4 सामाजिक बिखराव व समारोहिक व्यय

19.4.1 जन्म

19.4.2 विवाह, विवाह सालगिरह

19.4.3 मृत्युभोज

19.5 सारांश

19.6 बोध प्रश्न

19.7 बोध प्रश्न के उत्तर

19.8 शब्दाबली

19.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

19.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

(1) समाज में हो रही आर्थिक अपव्यय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे

(2) आर्थिक अपव्यय के विभिन्न स्वरुपों के बारे में जान सकेंगे

(3) घरेलू साज-सज्जा, देह-दर्शन, समारोहिक व्यय पर किये जाने वाले अपव्यय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे

(4) आर्थिक अपव्यय में बैंक, मीडिया एवं बाजार की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे

19.1 प्रस्तावना

आर्थिक अपव्यय समाज की एक महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या है । घरेलू साज - सज्जा, देह दर्शन, जन्म व विवाह पर फिजुल खर्ची, मृत्यु भोज आदि पर अपव्यय अमीरी के प्रतीक बन गए है । अनाचार की अभिवृद्धि का एक ही कारण है, अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सज्जा सजाना. विलासिता के साधन जुटाना, एवं संग्रह की लिप्सा से लालायित रहना । अपव्ययी प्रकारांतर से दुगुर्णी हुए बिना नहीं रहता । अपव्ययों को रोकने पर, पैंदे में छेद वाले घड़े का सुराख बन्द कर देने की तरह पानी भरा रह सकता है और प्यासे मरने की शिकायत से बचा जा सकता है । इस इकाई में विभिन्न प्रकार के आर्थिक अपव्ययों की जानकारी दी जा रही है । राजस्थान की संस्कृति में विभिन्न प्रकार से साज - सज्जा का उल्लेख मिलता है, जिसे हम समाज की आवश्यकता के रूप में जान सकते है, धीरे-धीरे समय के अनुसार साज -सज्जा में मूलभूत परिवर्तन आ रहा है । परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतिक ब आर्थिक आवश्यकताओं के स्थान पर आवश्यकताओं की एक विशेष सन्दर्भ में घरेलू साज-सज्जा व देह दर्शन के परम्परागत एवं आधुनिक स्वरूपों की चर्चा की जायेगी ।

19.2 घरेलू साज-सज्जा

परम्परागत स्वरूप भारतीय समाज में विशेषकर राजस्थान में घरेलू साज-सज्जा पर सभी वर्गो के व्यक्तियों द्वारा त्यौहारों, वैवाहिक समारोह व अन्य सामाजिक व धार्मिक उत्सवों पर विशेष प्रकार से सजाया जाता रहा है । परम्परागत स्वरूप के आधार पर विभिन्न वर्गो के लोग अपनी आर्थिक स्थिति ब हैसियत के अनुसार घर को सजाने व संवारने पर अधिक ध्यान देते थे । जिसे एक आर्थिक अपव्यय के रूप में न मानकर एक आवश्यकता के रूप में समझा जा सकता है । विभिन्न धार्मिक त्यौहार के समय निम्न आर्थिक स्थिति का व्यक्ति विभिन्न माध्यमों जैसे - गोबर, रंग, लाल पीली मिट्टी, गेरू मिट्टी से घर को सजाने ब संवारने में लगा रहता है । विभिन्न प्रकार के मॉडने चितराम कला कृतियों के द्वारा घर को बाहर व अन्दर से सजाया जाता रहा है जिसे आर्थिक अपव्यय के रूप में न जानकर एक उत्साह के रूप में जाना जा सकता है । मध्यम व उच्च वर्ग व जाति के लोगों द्वारा राजस्थान में विभिन्न माध्यमों जैसे - रंग, रोगन, कली के प्रयोग से, विभिन्न त्यौहारों पर घरों को सजाया जाता रहा है । राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर एवं शेखावाटी की हवेलियों पर की गई कलात्मक चित्रकला परम्परागत घरेलू साज-सज्जा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ।

19.2.2 आधुनिक एवं परिवर्तित स्वरूप

आधुनिक युग में अपव्यय चरम सीमा पर है । घरेलू साज-सज्जा के अलावा देह दर्शन, विवाह, मृत्यु भोज आदि पर कितना धन और समय बर्बाद होता है, यह किसी से छिपा नहीं है । वर्तमान सन्दर्भ में आर्थिक अपव्यय के अन्तर्गत घरेलू साज -सज्जा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है ।

ग्रामीण समाज की अपेक्षा नगरीय समाज मे घरेलू साज सज्जा के प्रति तेजी से दृष्टिकोण बदल रहा है, समय अभाव के कारण कृत्रिम साज सजावट की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है । वर्तमान समय वैश्वीकरण व उदारीकरण की प्रक्रिया से भी प्रभावित है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति

न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से घरेलू साज सज्जा पर खर्च करने को विवश है । परम्परागत साधन के स्थान पर रेडीमेड व अन्य नवीन उत्पाद व्यक्ति को आकर्षित करते है ।

19.2.3 मीडिया व बाजार की भूमिका:

आधुनिक समय में घरेलू साज सज्जा पर अनावश्यक रूप से खर्च करने के लिए विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से टी.वी., सिनेमा व अत्याधुनिक बाजार व्यवस्था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । भारतीय संस्कृति में बढते भोगवाद के कारण छोटे शहरों के युवा भी ज्यादा खर्चा करने लगे हैं । वर्तमान में युवा वर्ग का सोच 'खर्च करो मौज करो' की विचारधारा से प्रभावित है, जबकि परिवार के बुजुर्गों की मानसिकता अभी भी 'बचत करो सुखी रहो' की है ।

इन दो विपरीत विचारधाराओं के चलते समाज में एक नई संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है । आधुनिक मीडिया के माध्यम से आम व्यक्ति विशेषकर गृहिणियाँ नवीन उत्पाद के प्रति आकर्षित होती है । परिणामस्वरूप आवश्यक न होने पर भी उस उत्पाद को घरेलू साज सज्जा हेतु आसानी से खरीद लिया जाता है । यूज एण्ड थ्रो की मानसिकता ने भी घरेलू बजट को अनावश्यक रूप से बढाया है । वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार महानगरों व नगरों में होने के कारण घरेलू साज सज्जा की सभी प्रकार की वस्तुओं को एक ही छत के नीचे होने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षित करती है । वर्तमान में माल मल्टीपलेक्स बाजार के चलते मध्यम व उच्च वर्ग के लोगों को अनावश्यक रूप से घरेलू साज सज्जा पर अपव्यय करते देखा जा सकता है । आम व्यक्ति के विचार से कृत्रिम उत्पादों पर व्यय ब स्थायी प्रकृति का न होने के कारण अपव्यय की श्रेणी में मानते है जबकि उच्च वर्ग के लिए यह एक अपव्यय न होकर आवश्यकता होती है । घरेलू साज सज्जा में न केवल भारतीय कम्पनियों के उत्पाद आकर्षित करते है बल्कि वर्तमान में चाईनीज उत्पाद भारतीय कम्पनियों से मूल्य में सस्ते होने के। कारण विशेषकर इलेक्ट्रोनिक्स व घरेलू फर्नीचर के प्रति अधिक आकर्षण देखा जा सकता हैं ।

19.2.4 आसान बैंक ऋण सुविधा

वर्तमान में उदारनीति के कारण प्रत्येक घरेलू उपकरण, गृह निर्माण, विस्तार व अन्य साज सजावट के लिए बैंक आसानी से विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सुविधा प्रदान करता है । निजी बैंक विशेषकर आई.सी.आई.सी.आई बैंक, एच.डी.एफ.सी. व अन्य निजी बैंकों के आने से उपभोक्ताओं को घर बैठे तुरन्त व बिना अधिक औपचारिकता के ऋण सुविधा मिल जाती है । गृह निर्माण ऋण से लेकर आन्तरिक साज सज्जा में हुए व्यय का भुगतान भी बैंक द्वारा किया जाता है । प्रत्येक घरेलू उपकरण की खरीद हेतु बैंक किस्तों ब ब्याज मुक्त दरों पर ऋण उपलब्ध करवाती है जिसके कारण छोटे व्यवसाय करने वाले लोग, वेतनभोगी अधिक ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते है । प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा यह होती है । कि घर में समस्त आधुनिक भौतिक सुविधाओं वाली सभी वस्तुएँ हो, परिणामस्वरूप बैंकों से ऋण मिल जाने के कारण एक समय पश्चात किस्तें चुकाना एक समस्या बन जाती है जिससे व्यक्ति तनावग्रस्त व ऋणग्रस्त हो जाता है । अप्रत्यक्ष रूप से बैंक ऋण सुविधा घरेलू साज सज्जा में अनावश्यक व्यय के लिए प्रेरित करते है । मध्यम वर्गीय परिवारों में पडौसियों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण भी अनावश्यक रूप से घरेलू साज सज्जा पर अपव्यय किया जाता है ।

घरेलू साज सज्जा पर आर्थिक अपव्यय को समझने हेतु परम्परागत विचार धारा से आधुनिक विचारधारा के बीच रिक्तता को समझना चाहिए । एक ओर जहॉ परम्परागत तरीके से गृह को सजाया व संवारा जाता था जिस पर अपव्यय नही होता था, आज घरेलू साज सज्जा में हो रहे विभिन्न कारणों की व्याख्या की गई है ।

19.3 देह दर्शन :

19.3.1 नारी व पुरूषों में श्रृंगार व सौन्दर्य प्रसाधन के विभिन्न साधन: राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में ।

आदिकाल में सबसे पहले स्त्री ने अपना श्रृंगार किया होगा फलों से । उसके बाद न जाने किन किन पदार्थो से, वस्तुओं से अपना श्रृंगार विविध रूप से किया । नारी ने हड्डियो से लगाकर कीमती रत्नों से अपने को सिंगारा । समुद्र तल से मोती मंगाये, खानों से सोना-चाँदी को निकालना प्रारम्भ किया । आधुनिक रसायनों से चमकते पत्थर बनाये, लेकिन आदिकाल की ऊषा से पहले जिस फूल से अपना श्रृंगार किया था उस फूल को नारी ने कमी भुलाया नहीं ।

राजस्थान की नारी के श्रृंगार में फूल को उसके अनुरूप ही स्थान दिया । चम्पा, चमेली, मरुआ, और मोगरा आदि फूलों का श्रृंगार में प्रयोग किया जाता है । राजस्थान सदियों तक राजा महाराजाओं का प्रदेश रहा । अत: यह स्वाभाविक था कि श्रृंगार करना और कराना यही पर एक कला के रूप में लिया गया । राजस्थान की संस्कृति पर आर्य संस्कृति, ग्रीक संस्कृति और मुगल संस्कृति की श्रृंगार कला का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । शास्त्रकारों ने सोलह प्रकार के नारी के श्रृंगार बताये है' । मध्यकालीन युग में राजस्थान की नारी सोलह श्रृंगार कर अपने पति को युद्ध में जुट जाने की सीख देती थी। तथा उसी श्रृंगार के साथ और उसी उल्लास में जौहर की ज्वाला में बलिदान दे देती थी । राज्य परिवार की महिलाओं के लिए श्रृंगार कला उनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग था । प्रात: काल और संध्या को दिन में दो बार श्रृंगार से सुसज्जित होना राज्य महिलाओं की दैनिक चर्या में शामिल था । श्रृंगार कला को अधिक से अधिक विकसित करने के लिए विभिन्न जाति के लोगो को तरह तरह से प्रोत्साहन दिया जाता था जैसे सुनार, दर्जी, माली, लखेरा, चुडीगार, मोची, रंगरेज आदि । यही कारण था कि राजस्थान की श्रृंगार कला में विभिन्न प्रकार की कृतियों, विविधता, सुकोमलता और सम्पन्नता भरी पड़ी है ।

श्रृंगार के सोलह प्रकार

राजस्थान में श्रृंगार की प्राचीन परम्परा रही है । शास्त्रकारों ने भी सोलह प्रकार के नारी श्रृंगार बताये है । ये सोलह श्रृंगार निम्न प्रकार से है । अंग शुची, मंजन, मांग महावर केश, तिलक, माल, तिल, चिबुक में, भूषण मेंहदी देश, मिस्सी काजल अरगजा, वीरी और सुगंध अर्थात अंगों में उबटन स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण, मांग भरना, महावर लगाना, बाल संवारना, तिलक लगाना, ठोढी पर तिल बनाना, आभूषण धारण करना, मेंहदी रचना, दॉतों में मिस्सी ऑखों में काजल लगाना, सुगन्धित द्रव्यों का प्रयोग, पानखाना, माला पहनना, लीला कमल धारण करना आदि ।

मेंहदी: एक सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में-

प्राचीनकाल से ही मेहंदी श्रृंगार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौन्दर्य के रूप में प्रयोग में किया जाता रहा है । मेंहदी के बिना तो सारा श्रृंगार ही फीका व अधुरा माना जाता है । मेंहदी मॉडने की कला राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है। गरीब व अमीर सभी वर्गो की स्त्रियाँ इसका प्रयोग करती

रही है । मेंहदी रचाने का चाव स्त्रियों में विशेष रहता है । सुहागिन स्त्रियाॅ प्रत्येक पर्व, पारिवारिक उत्सव तथा मांगलिक अक्सर पर मेंहदी अवश्य लगाया करती है । स्त्रियों में महावर लगाने की रीति प्रचलित थी । त्यौहारों व मांगलिक अवसरों पर इससे नाखूनों व पैर के तलबों पर रचाऐ जाते थे, साथ ही होठो पर लगाकर आधुनिक लिपिस्टिक का काम भी लिया जाता था । निम्न वर्ग की महिलाओं में सुगन्धित द्रव्यों की अपेक्षा मुल्तानी मिट्टी से भी सिर धोने का रिवाज आज भी प्रचलित है ।

मारवाड़ में सोजत की मेंहदी आज भी प्रसिद्ध मानी जाती है । इस प्रकार नारी देह दर्शन के अन्तर्गत भार में मेंहदी की प्रमुख भूमिका दृष्टिगोचर होती है ।

जूती: एक श्रृंगार के रूप में

शास्त्रों में वर्णित सोहल श्रृंगार में कहीं जूती का स्थान नहीं है । किन्तु राजस्थान में जूती को भी श्रृंगार में स्थान दिया गया है । जूती पहिन कर ही वधु विवाह की वेदों में बैठ सकती है । विवाह के समय जितना महत्व सिर के सेहरे को दिया जाता है, उतना ही पाॅव की जूती को दिया जाता है । राजस्थान की मोचड़ी बडी कलापूर्ण मुलायम और खुबसूरत होती है । जोधपुर इलाके के भीनमाल कसें में बनी मोचड़ी सर्वोत्तम मानी जाती है तथा बारीक कसीदें वाली जूती सभी जगह पसन्द की जाती है ।

वस्त्राभूषण :

वस्त्राभूषण के प्रति चाहे वैभव प्रदर्शन के लिए हो, चाहे सौन्दर्य वृद्धि के कारण, आकर्षण प्रत्येक युग में देखने को मिलता है । मनुष्य का वस्त्राभूषण साज सज्जा व अलंकरणों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण प्रारम्भ से ही रहा है । मनुष्य जब असभ्य अवस्था में था उस काल में भी आभूषण धारण करता था । जैसे जैसे सभ्य हुआ उसने इनका परित्याग कर दिया। वस्त्राभूषणों के प्रति लगाव की मूल भावना तो नहीं है, परिवर्तन हु आ है तो केवल विविध युगों में उनके स्वरूपों में । आभूषण के प्रति मानव आकर्षण के मुख्य रूप से तीन कारण माने जाते हैं । (i) मानव अपने सौन्दर्य में वृद्धि करने हेतु इनका प्रयोग किया करता हैं (ii) दूसरा कारण वैभव प्रदर्शन माना जा सकता है (iii) तीसरा कारण ऐसी मान्यता है कि विशेष प्रकार के रत्नों से जड़ित विविध धातुओं में आभूषण पहनने से ग्रहों की कुदृष्टि से तथा अन्य प्रकार के अनिष्टों से बचाव होता है । विशेष प्रकार के नगीनों से युक्त अंगूठी इत्यादि धारण करने से धन सम्पदा एवं वैभव में वृद्धि होती है ।

वैदिक युग में आर्यो की यह धारणा थी कि स्वर्ण धारण करने से आयु में वृद्धि होती है । आभूषणों के आकार प्रकार और उनके प्रयोग के पीछे हमारी सांस्कृतिक परम्परायें व सामाजिक मान्यताएँ और संस्कार एवं उनकी भावना का इतिहास छिपा हु आ है ।

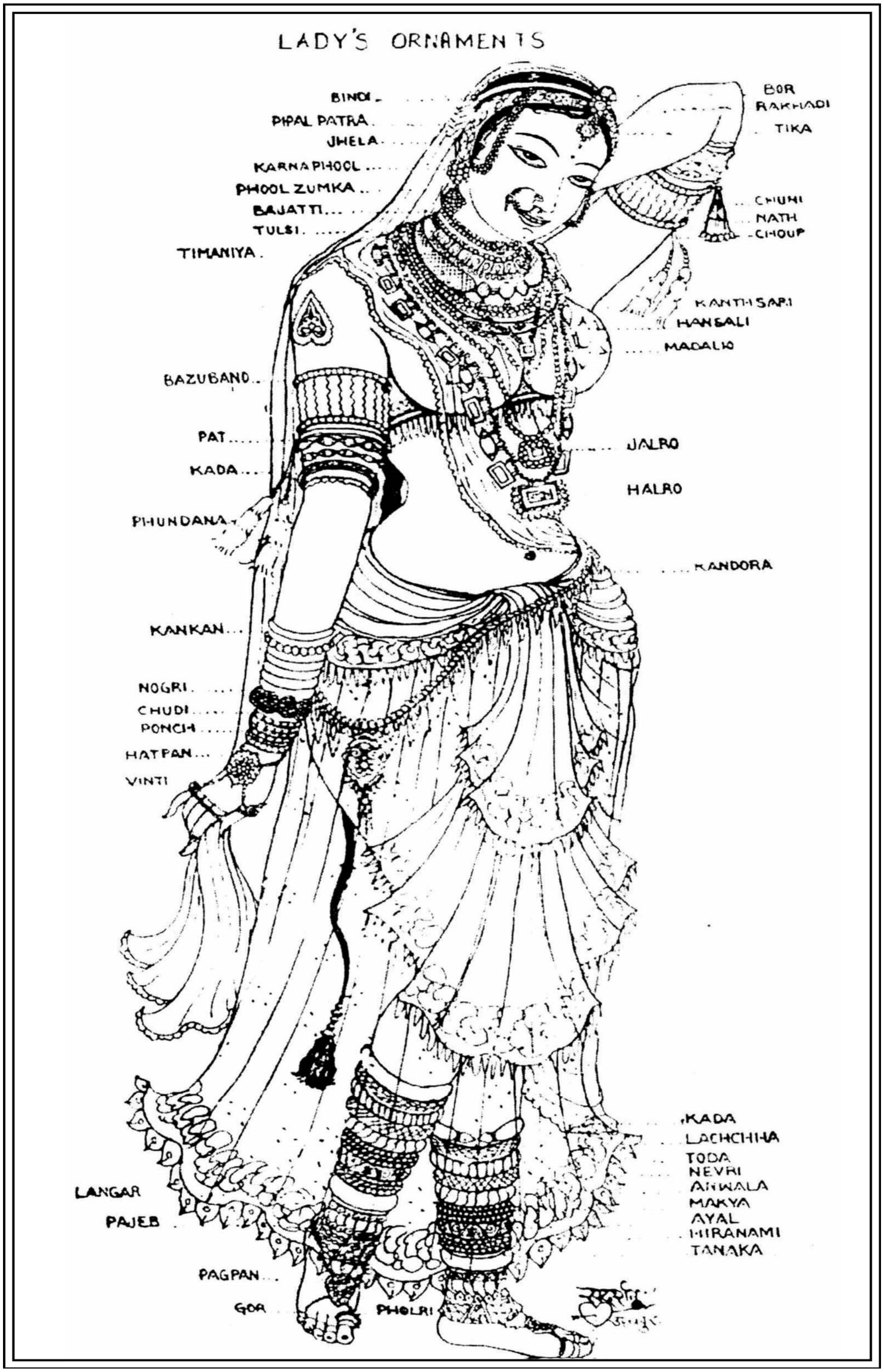

चित्र संख्या- 19.1

स्त्रोत: जी एन पुस्तक से लिया गया

आभूषण:

मध्यकाल में आभूषण धारण करने के पीछे सौन्दर्य वृद्धि, वैभव प्रदर्शन एवं लोगों की धारणाएँ, मान्यताएँ तथा अभिरुचि इत्यादि प्रमुख कारण रहे हैं । मरुप्रदेश में जहाँ धन की विपुलता नहीं है, लोगों का जीवन बडा ही अभावग्रस्त है फिर भी वही के निवासियों का गहनों के प्रति असाधारण लगाव दिखाई पडता है । इसका एक मुख्य कारण यहॉ पर प्रचलित यह जन भावना कि गहने आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी है । आभूषण दुर्भिक्ष आदि संकट की घड़ी में गरीब लोगों के लिए भोजन जुटाने में सहायक सिद्ध होते हैं, और साधन सम्पन्न व अमीर लोगों के लिए श्रृंगार व देह दर्शन के रूप में प्रयोग होता राजस्थान में स्वर्ण निर्मित आभूषणों का प्रयोग पहले केवल राजपरिवार, सामन्त, जागीरदार व राज्य द्वारा स्वीकृत जाति व कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित था । अन्य लोगों पर सोने के आभूषण पहनने पर प्रतिबन्ध था । अत: वे लोग सोने के स्थान पर चाँदी व अन्य धातुओं से निर्मित आभूषण पहना करते थे । स्वर्णाभूषणों के आम प्रचलन पर प्रतिबन्ध लगाने का एक कारण इस धातु के आभूषणों के प्रति बढ़ती हुई अनावश्यक होड को रोकना रहा होगा । व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सोने के गहनों के स्थान पर समाज में प्रचलित अन्य धातुओं के गहनों का प्रयोग अधिक सुबिधाजनक था ।

राजस्थान में आभूषणों का प्रचलन यहाँ के जन-जीवन में अत्यधिक रहा है । विशेषकर यहाँ की महिलाओं में आभूषणों के प्रति विशेष लगाव रहा है । मध्यकालीन मारवाड की महिलाओं के आभूषणों की बनावट परम्परागत व अनूठी रही है । यही के लोक गीतों में महिलाओं की आभूषण के प्रति उत्कंठा प्रखर रूप में उद्‌घटित हुई है । आभूषणों के प्रति लगाव होने के बावजूद भी नारी का शील और लज्जा उसके सबसे बडे आभूषण माने गये हैं ।

आभूषणों के विभिन्न प्रकार:

नख से लगाकर शिख तक भाँति-भाँति के आभूषण हैं जिनमें नाम गिनाये जाये तो सैकडों में जाकर पूरे होंगे । एक - एक आभूषण कला और सौन्दर्य की दृष्टि से अपने ही ढंग के निराले हैं । राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में आभूषण को अलग-अलग नामों से जाना जाता है । आभूषणों के विभिन्न प्रकारों को निम्न भॉगों में बाँटा जा सकता है ।

(i) सिर के आभूषण: टीका रखडी, बोरत्र शीशफूल ।

(ii) कान के आभूषण: कर्णफूल, झूमका, झूमर, बूंदे, लूंग, झोले, टोटियां, ओगीनयां, तुगलां व विभिन्न डिजाइन के कान के रिंग आदि ।

(iii) नाक के आभूषण : नथ, चुनी, बेसर, वाली आदि ।

(iv) गले के आभूषण : हार, तेबटरा, कंठी, आड़, मादलिया तिमणिया आदि ।

(v) बाहू व कलाई के आभूषण बाजूबन्ध या भुजबन्ध, कड़े, कंगन-चूड़ी, टड्डे, गोखरू, पुगच नौगरी आदि ।

(vi) अंगुली के आभूषण : अंगुठी, बीटी, मुंदड़ी हथपान, हथफुल, सोवनफूल, दमणा आदि

(vii) कटि के आभूषण : कन्दौरा, तागडी, करधनी आदि ।

(viii) पैर के आभूषण : पाजेब, पायल, घूंघरु, नुपुर, झांझरिया, रमझोल, कड़ा, धड़, धडा,ऑवला, नैवरा, पगपान, बिछिया, अगवट, अनोता, फुलडी धल्ला आदि

उपरोक्त सभी प्रकार के आभूषण महिलाओं के सुहाग की निशानी समझी जाती रही है ।

पोशाक :

वस्त्र मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है । राजस्थान की पोशाक तो अपने आप में बेजोड़ है । सर्वोत्कृष्ठता, आकर्षण, रंगों की बाहुल्यता, शालीनता और भव्यता को दृष्टि से देखा जाऐ तो विश्व के परदे पर उसकी मिसाल नहीं मिलती। राजस्थान पोशाक के रूप में घाघरा, ओढ़नी और कॉचली मुख्य पोशाक रही है । ये पोशाके कई प्रकार की वस्तुओं से बनती है । जैस - जरी, सलमा, सितारा, मखमल, गोटा किनारी, किरण, लप्पा, गोखरू, धोरा, पट्टा आदि । यहाँ के रंगरेजों ने रंगों को ईजाद करने में, बनाने में, संवारने में पूरी चतुराई बरती है । इन्हीं रंगों की चमक, विविधता, बाहुल्यता, सम्मिश्रण के कारण राजस्थान को 'रंगीलो राजस्थान' के नाम से पुकारा जाने लगा है । राजस्थान विभिन्न रंगों के लहरिया, मोठड़ा, चूँदीडयॉ, फागणियॉ, पीला, डूबकुलिया आज भी रंगों में अपना विशेष स्थान रखते हैं । मध्यकालीन मारवाड़ में वस्त्रों को देखकर ही स्त्री की जाति का अनुमान लगाया जा सकता है । पोशाक प्रत्येक वर्ग की पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है ।

पगडी का महत्व :

राजस्थान में पगड़ी को महज एक परिधान ही नहीं बल्कि पगड़ी मान, सम्मान, वीरता और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है । पगडी मात्र एक कपड़े का लम्बा टुकड़ा ही नहीं है, परन्तु पगड़ी एक क्षेत्र विशेष की पहचान भी है । पगड़ी बता देती है कि व्यक्ति किस इलाके, किस जाति और उसका चरित्र कैसा है । पगड़ी यह भी जाहिर कर देती है कि उसकी पारिवारिक परिस्थिति कैसी चल रही है । अर्थात परिवार में खुशी है या गमी । व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को पगड़ी के माध्यम से समझा जा सकता है । पगड़ी का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता, पगड़ी बेची नहीं जा सकती । पगड़ी बाँधकर स्वयं इज्जत लेते ही नहीं है, दूसरों को सम्मान देने के लिए भी माथे पर पगड़ी रखी जाना आवश्यक होता है । एक समय पहले तक कोई भी सभ्य व्यक्ति नंगे सिर किसी महिला के सामने नहीं आता था । राजा स्वयं भी निवास करने जायेगा तो पगड़ी से सिर ढक कर । अगर व्यक्ति घर आये मेहमान का स्वागत पगड़ी बाँधकर नहीं करेगा तो उसका अपमान माना जायेगा ।

राजस्थान में भी अलग - अलग क्षेत्रों की अपनी-अपनी किस्म की पगडियाँ प्रचलित है । पगड़ी निर्बल की सहायक भी है । अपनी दुर्बलता स्वीकार करने के लिए शक्तिशाली के पैरों में पगड़ी डाल दी जाती है । पगड़ी के माध्यम से कर्ज भी लिया जाता रहा है । यदि किसी व्यक्ति को कर्ज की आवश्यकता है तो पगड़ी को गिरवी रख कर कर्ज लिया जा सकता है, बशर्त कि व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो । उस पगड़ी को वही व्यक्ति ही नहीं उसके बेटे पोते भी ब्याज सहित कर्ज चुकाकर लाने में अपना पवित्र कर्त्तव्य मानते है । अपनी आन के लिए सिर कट कर जमीन पर धूल में सन जाय परन्तु पगडी में धूल गिरना मृत्यु से ज्यादा कष्टदायी होता है । पगड़ी में धूल पड़ गई अर्थात सम्मान मिट्टी में मिल गया ।

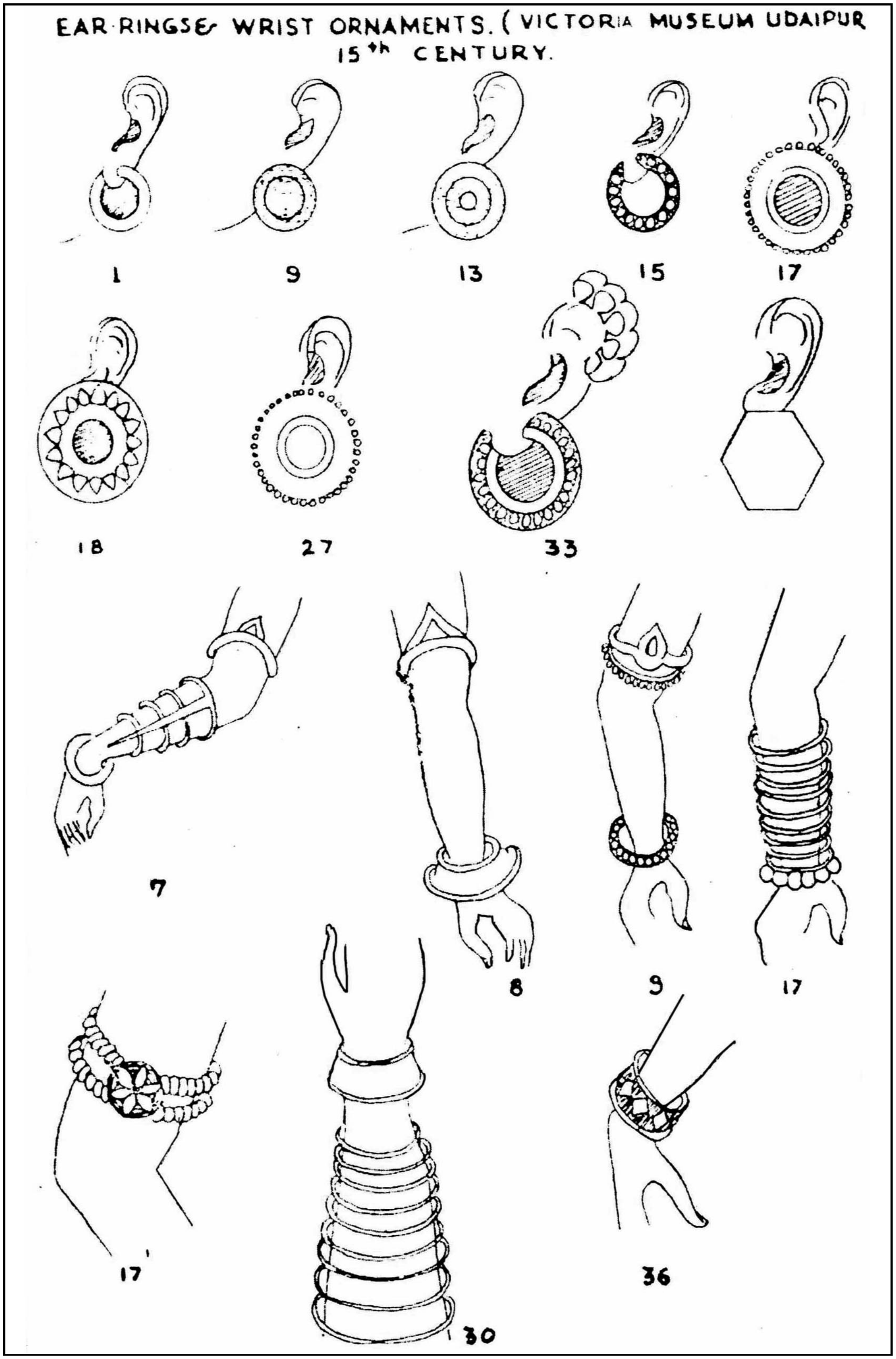
EAR RINGS & WRIST ORNAMENTS. (VICTORIA MUSEUM UDAIPUR
15th CENTURY.
1
9
13
15
17
18
27
33
7
8
9
17
17'
30
36

.चित्र संख्या- 19.2

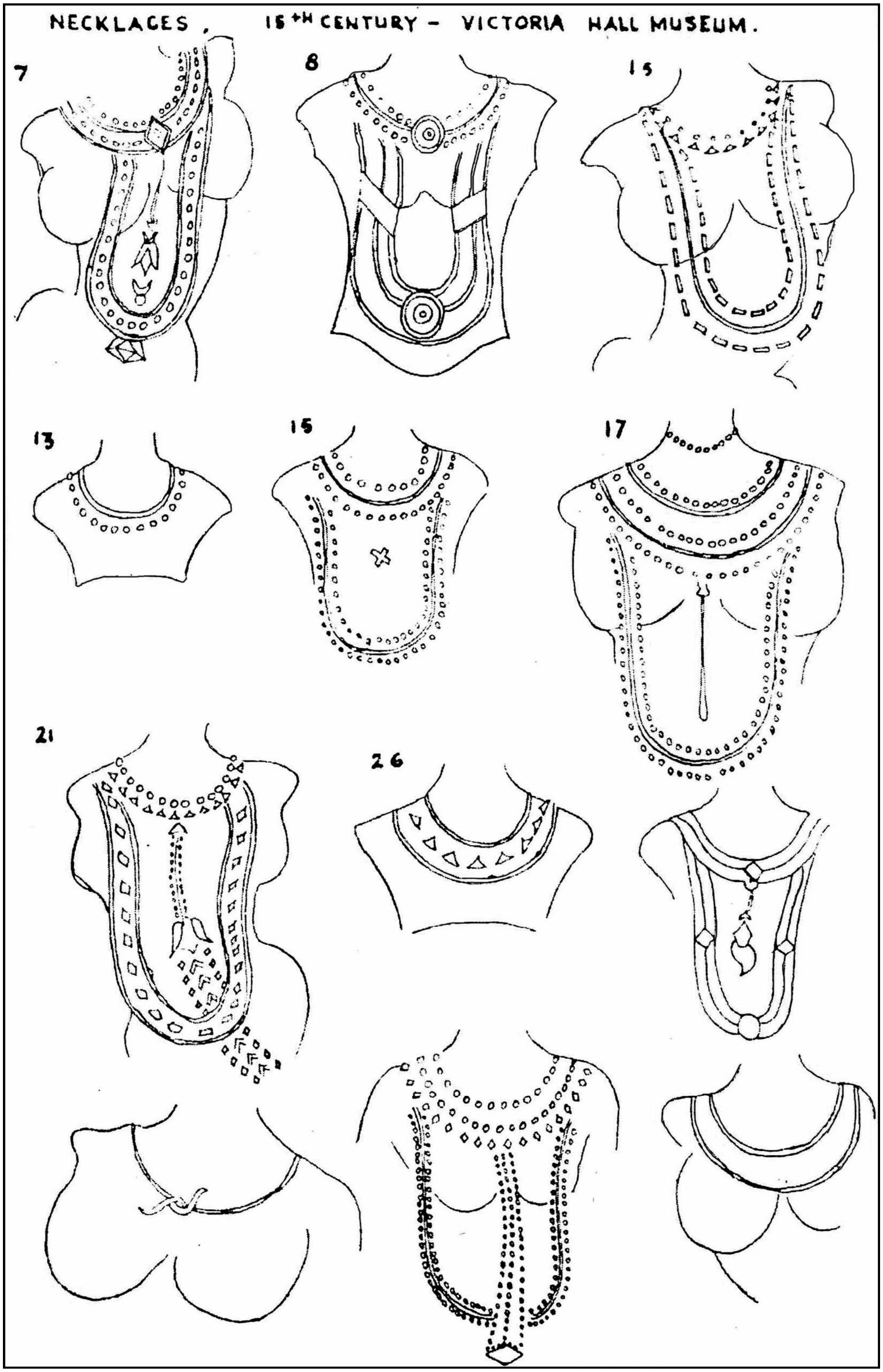
NECKLACES, 15TH CENTURY - VICTORIA HALL MUSEUM.
7
8
15
13
15
17
21
26

चित्र संख्या- 19.3

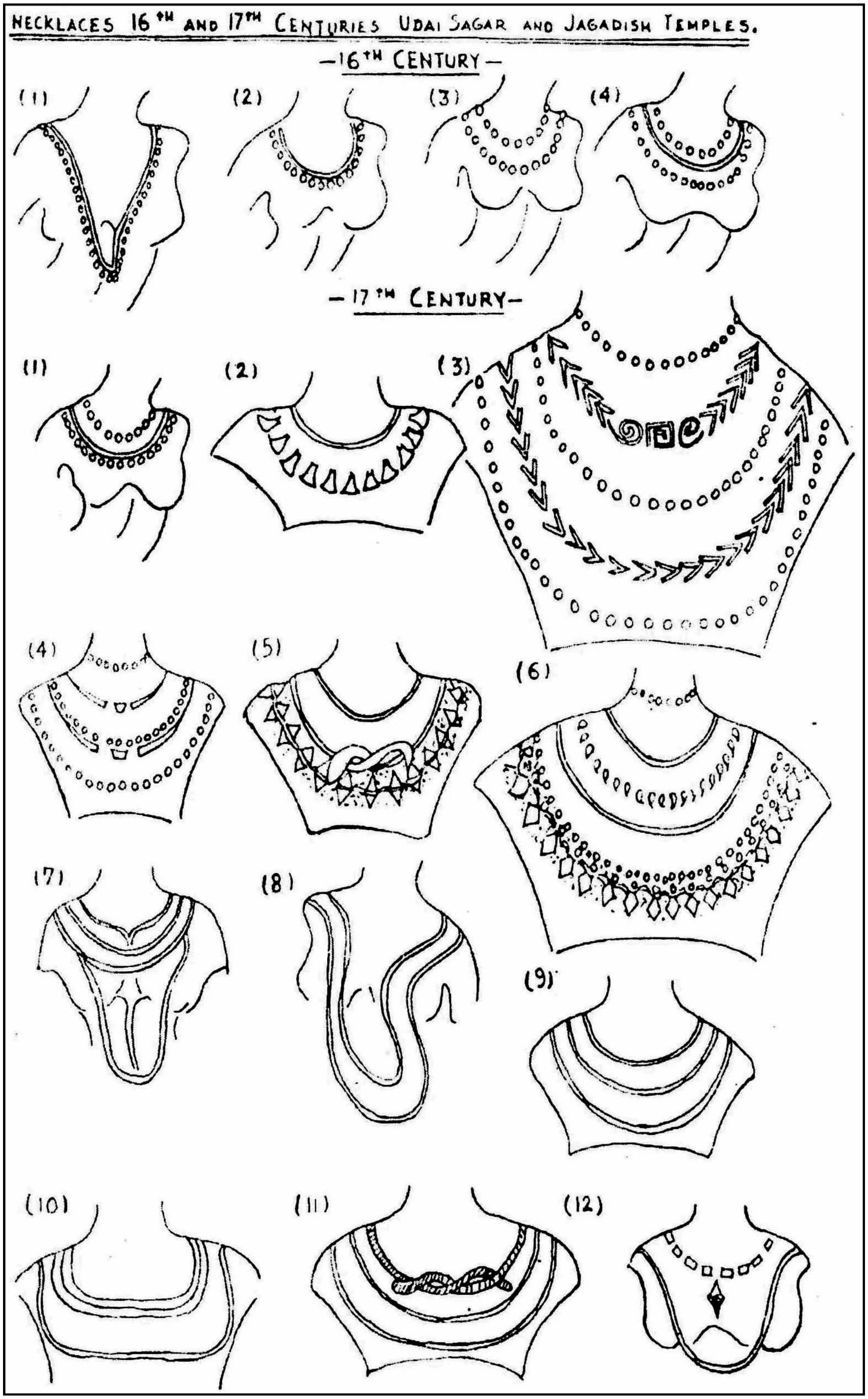
NECKLACES 16TH AND 17TH CENTURIES UDAI SAGAR AND JAGADISH TEMPLES.
-16TH CENTURY-
(1)
(2)
(3)
(4)
-17TH CENTURY-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

चित्र संख्या- 19.4

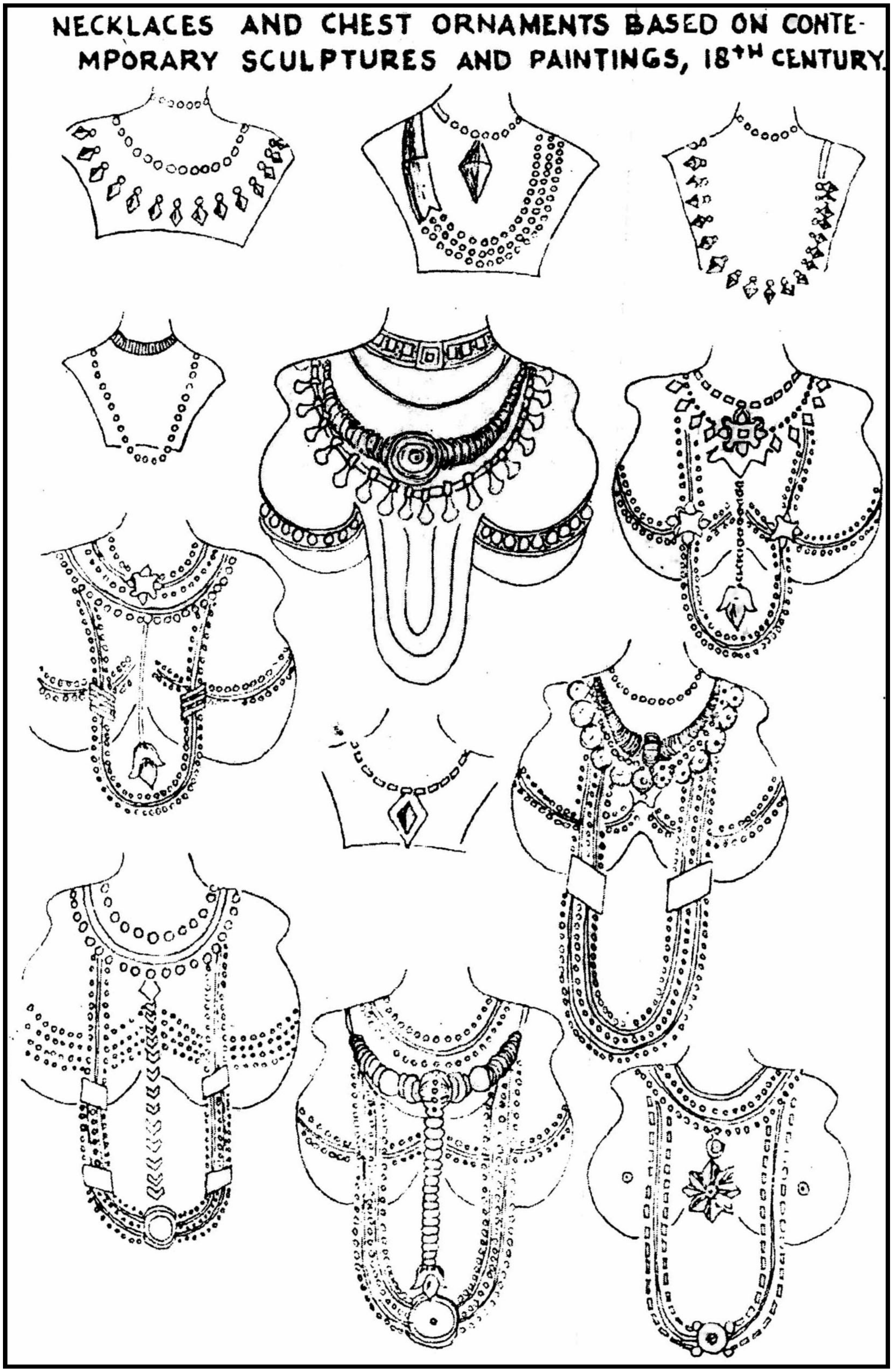
NECKLACES AND CHEST ORNAMENTS BASED ON CONTE-MPORARY SCULPTURES AND PAINTINGS, 18TH CENTURY.

चित्र संख्या- 19.5

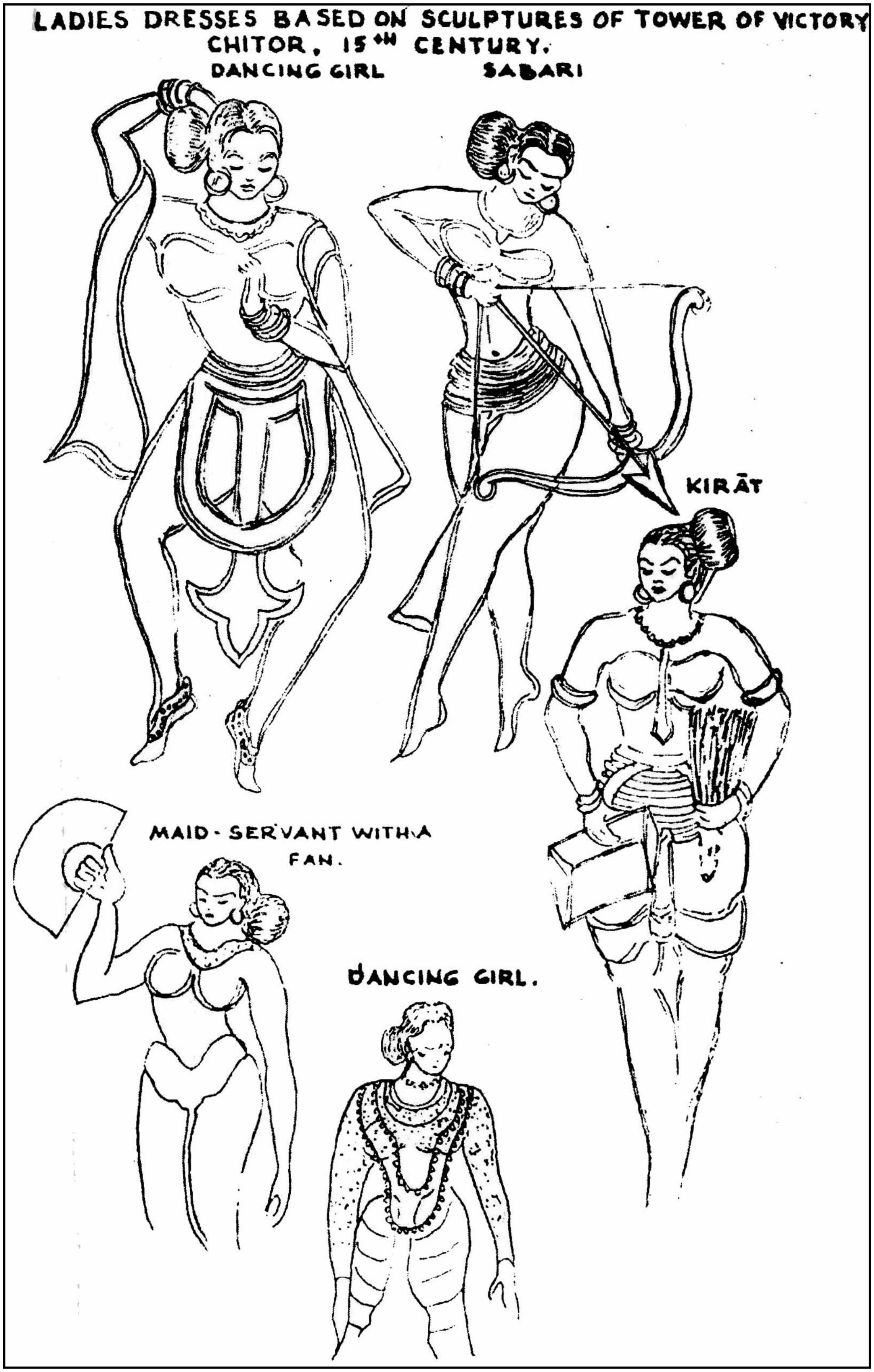
LADIES DRESSES BASED ON SCULPTURES OF TOWER OF VICTORY
CHITOR, 15TH CENTURY.
DANCING GIRL
SABARI
KIRĀT
MAID-SERVANT WITH A FAN.
DANCING GIRL.

चित्र संख्या- 19.6

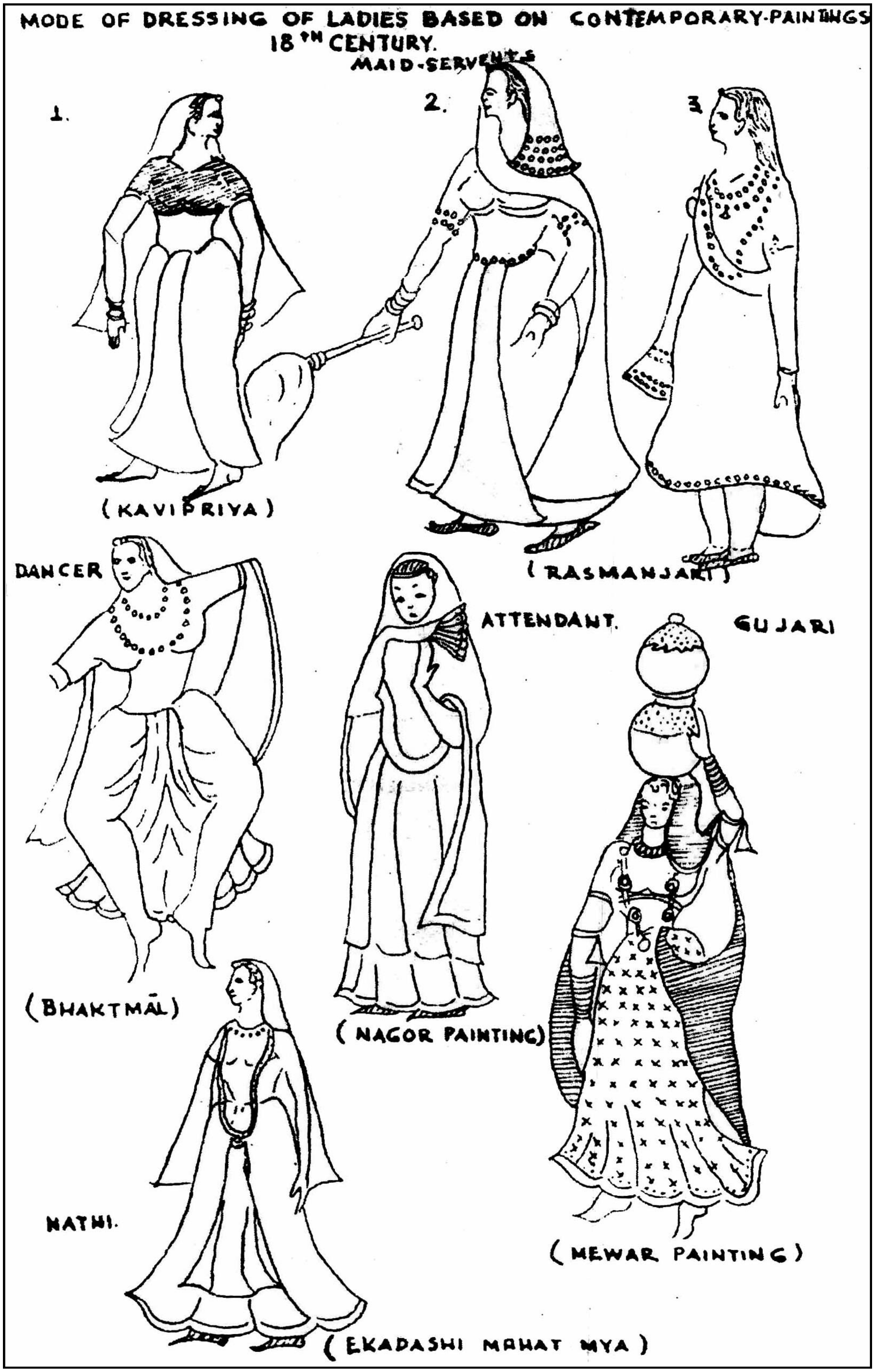
MODE OF DRESSING OF LADIES BASED ON CONTEMPORARY-PAINTINGS
18TH CENTURY.
MAID-SERVENTS
1.
2.
3
(KAVIPRIYA)
(RASMANJARI)
DANCER
ATTENDANT.
GUJARI
(BHAKTMĀL)
(NAGOR PAINTING)
NATHI.
(MEWAR PAINTING)
(EKADASHI MAHAT MYA)

चित्र संख्या- 19.7

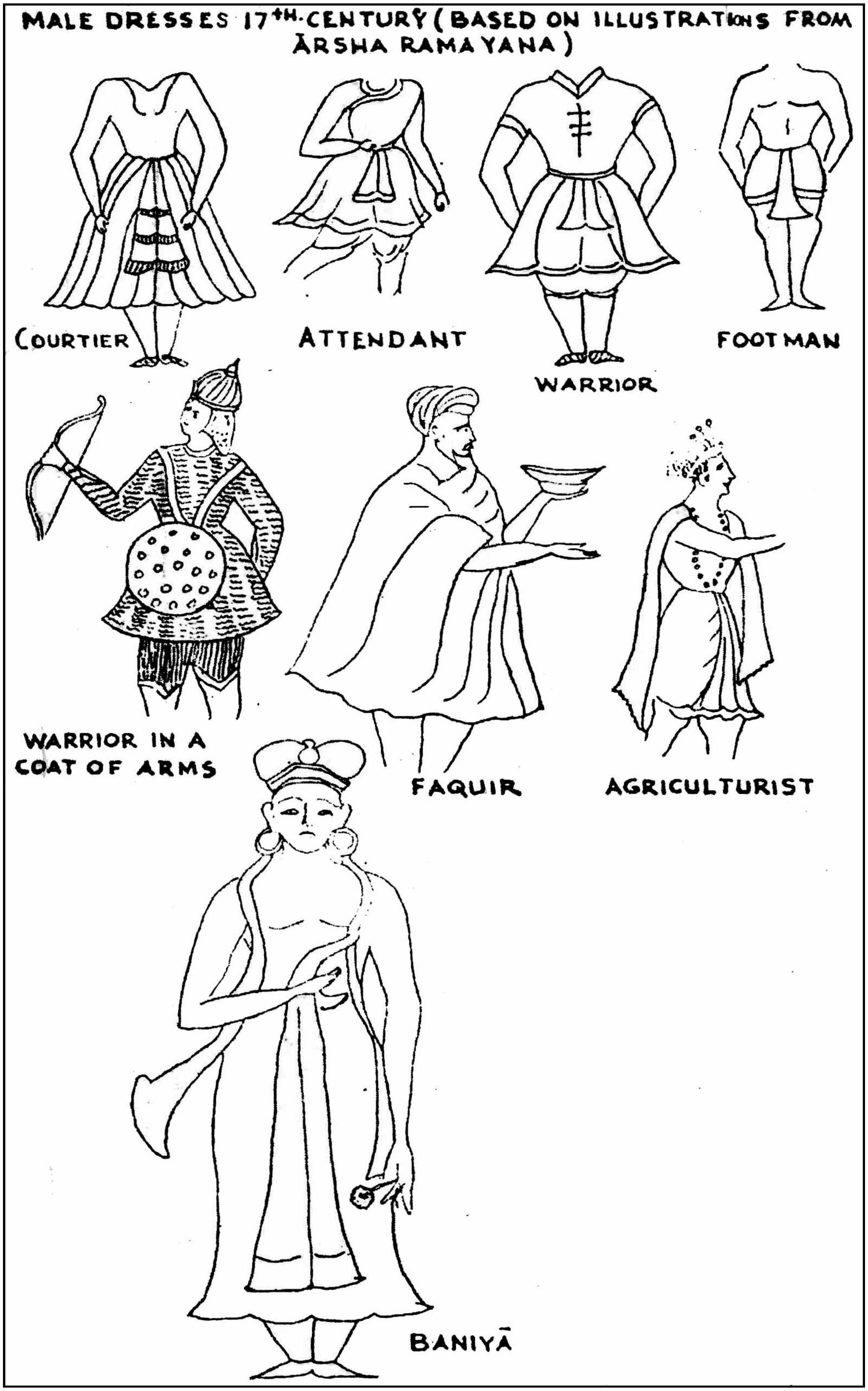
MALE DRESSES 17TH. CENTURY (BASED ON ILLUSTRATIONS FROM ĀRSHA RAMAYANA)
COURTIER
ATTENDANT
WARRIOR
FOOTMAN
WARRIOR IN A COAT OF ARMS
FAQUIR
AGRICULTURIST
BANIYĀ

चित्र संख्या- 19.8

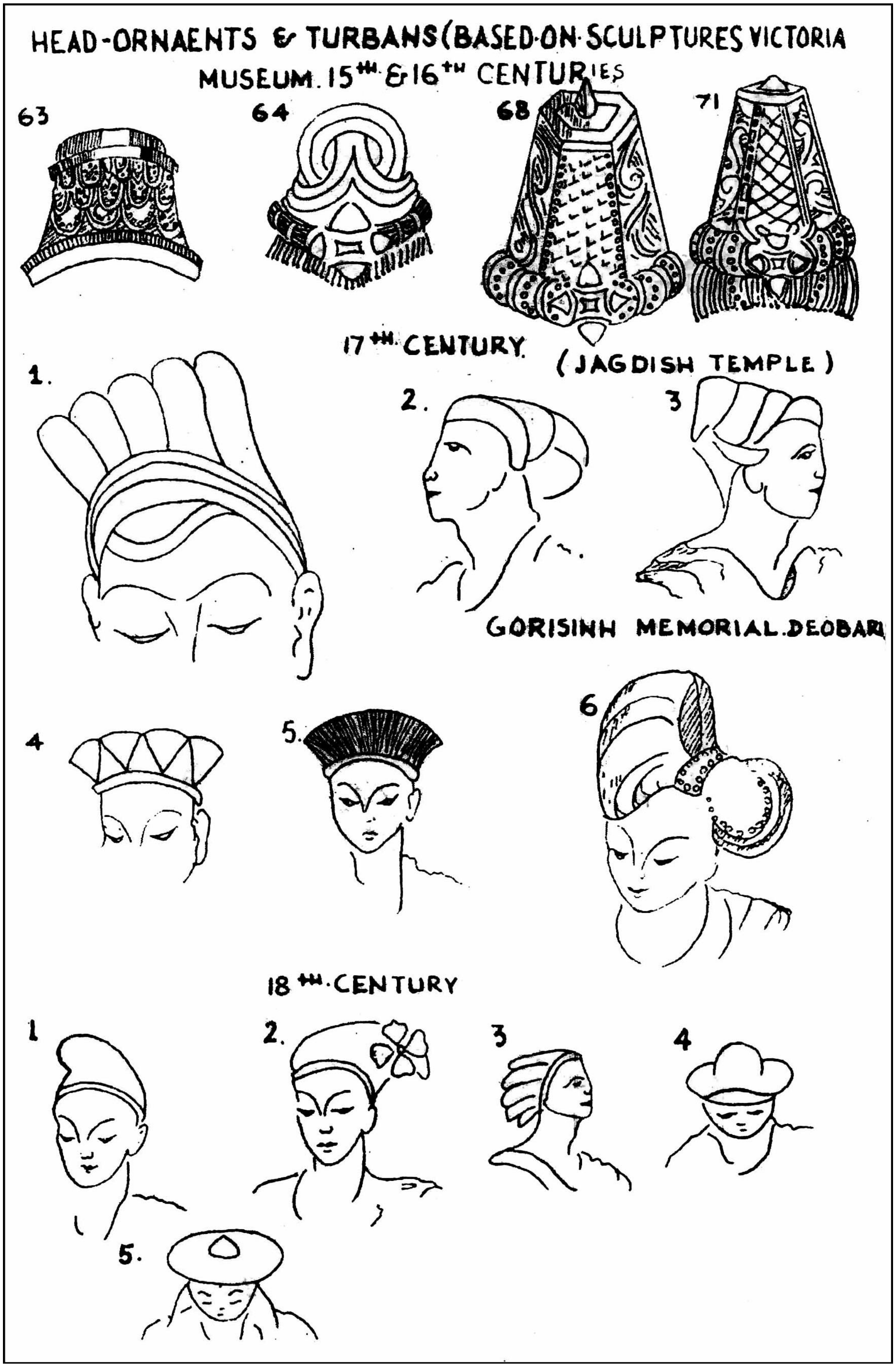
HEAD-ORNAENTS & TURBANS (BASED ON SCULPTURES VICTORIA MUSEUM. 15th & 16th CENTURIES
63
64
68
71
17th CENTURY
(JAGDISH TEMPLE)
1.
2.
3
GORISINH MEMORIAL.DEOBARI
4
5.
6
18th CENTURY
1
2.
3
4
5.

चित्र संख्या- 19.9

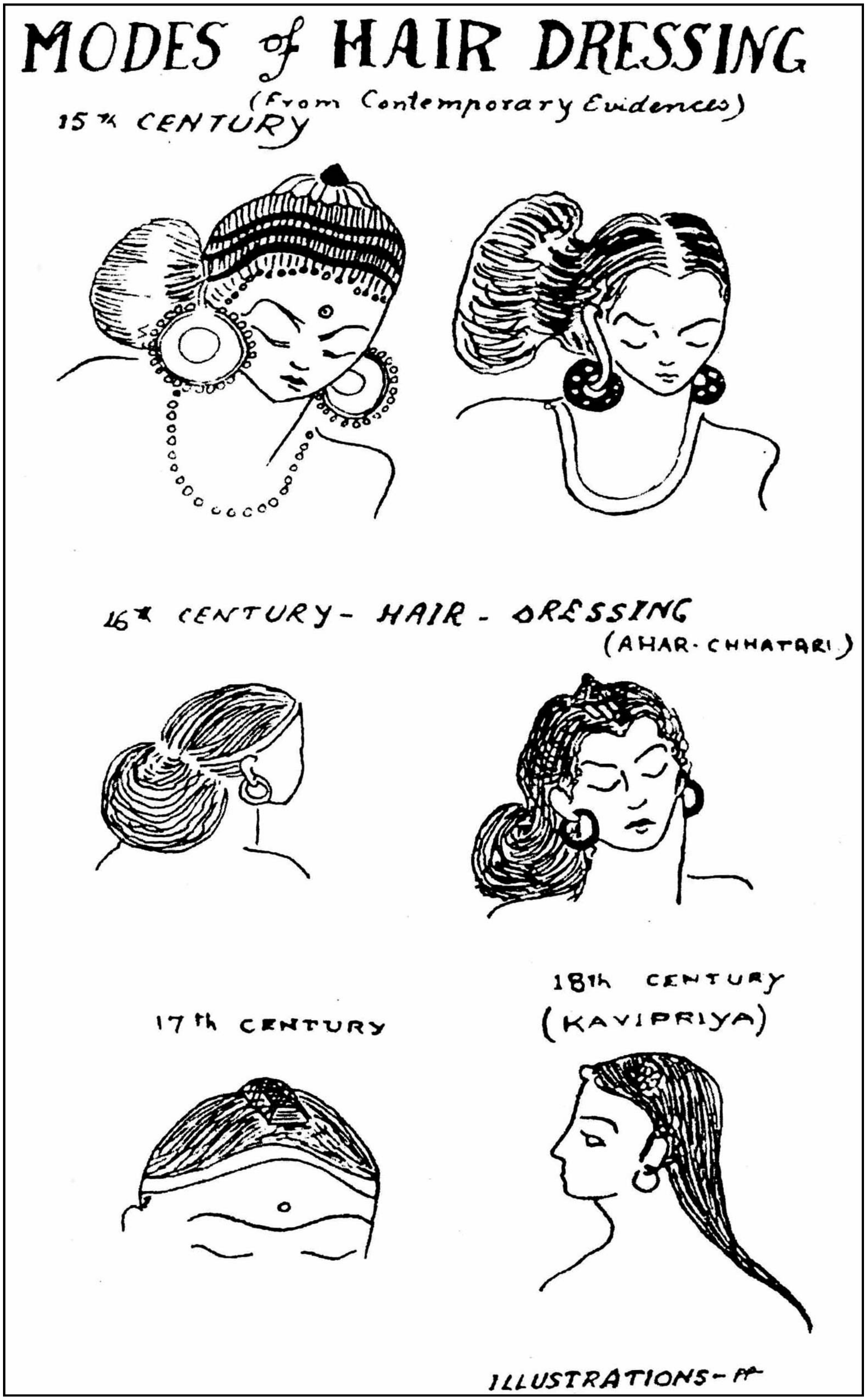
MODES of HAIR DRESSING
(From Contemporary Evidences)
15th CENTURY
16th CENTURY - HAIR - DRESSING
(AHAR - CHHATARI)
17th CENTURY
18th CENTURY
(KAVIPRIYA)
ILLUSTRATIONS

चित्र संख्या- 19.10

वर्तमान समय में भी पगड़ी को सम्मान के रूप में माना जाता है लेकिन युवाओं में पगड़ी बॉधने के प्रति मोह नहीं है। समय के अनुसार पगड़ी पहनाने की प्रथा धीरे-धीरे समाज में कम होती जा रही है ।

19.3.4 ब्यूटी पार्लरों की वर्तमान में भूमिका

वर्तमान समय में परम्परागत देह दर्शन के स्थान पर आधुनिक देह दर्शन पर अत्यधिक खर्च किया जाता है । ब्यूटीपार्लरों की दिन प्रतिदिन में बढ़ती संख्या इस बात का द्योतक है कि देह दर्शन के प्रति फैशन बढ़ रही है । सौन्दर्य प्रसाधन में प्राकृतिक साधनों के स्थान पर कृत्रिम प्रसाधनों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है । वर्तमान में प्राकृतिक मेंहदी के स्थान पर कृत्रिम मेंहदी व शरीर पर विभिन्न अंगों पर टेटू खुदवाना एक फैशन बन चुका है जिसमें न केवल युवतियाँ बल्कि युवा वर्ग भी इस देह दर्शन में बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन कर रहा है । आजकल ब्यूटीपार्लर की अवधारणा महिलाओं तक सीमित न होकर पुरुषों के लिए भी ब्यूटी सैलून नगरों व कस्बों में खुल गये हैं ।

आर्थिक अपव्यय की यह समस्या सर्वाधिक उच्च व मध्यम वर्गीय परिवारों में देखने को मिलती है जबकि निम्न वर्ग में किन्हीं विशेष अवसरों पर ब्यूटी पार्लरों पर आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यय करते है ।

प्रत्येक महिला की चाहत होती है कि वह सुन्दर दिखाई दे, इस हेतु वह सुन्दरता की चाह में अनेक सौन्दर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती आ रही है । जैसे - मेंहदी, काजल, लिपिस्टिक, क्रीम, पाउडर आदि का प्रयोग काफी समय से समाज में हो रहा है । समय के अनुसार सौन्दर्य प्रसाधनों में भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं ।

19.3.5 फैशन के प्रति बदलते प्रतिमान

मानव समाज की यह प्रकृति है कि यह परिवर्तन चाहता है । यद्यपि हम सामाजिक मानदण्डों को मानते हैं किन्तु फिर भी उनमें परिवर्तन की इच्छा हमारे मन में कभी-कभी आ जाती है । अत: परम्परागत मानदण्डों के प्रति सम्मान तथा नवीनता की इच्छा का समन्वय फैशन के रूप में होता है । ऐसे मानदण्ड जो कम समय के लिए व्यवहार में आते हैं, उन्हें फैशन कहा जा सकता है । खुले समाजों में फैशन अधिक चलता है । अधिकतर लोग फैशन की अनुपालना करते हैं । उसके विरोध में जाने का तात्पर्य अपनी प्रतिष्ठा को खतरें में डालना है ।

फैशन में परिवर्तन बदलाव के लिए होता है न कि किसी तार्किक कारण से । इसका सम्बन्ध ब्राह्य पक्ष से है न कि समाज के आन्तरिक संगठन से । आदिम समाजों में परम्पराओं का पालन अधिक लगाव के साथ करते थे जबकि आधुनिक समाजों में फैशन को कुछ समय के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है ।

आजकल युवक युवतियों में फैशन के प्रति नगद तीव्र गीत से बढ़ रहा है । इसका मुख्य कारण सिनेमा टेलीविजन, वस्तुओं का बाजारीकरण व स्वयं को अधिक आधुनिक दिखने की चाह का होना माना जाता है । आधुनिक समाजों में फैशन शो व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका भी देह दर्शन के लिए जिम्मेदार है, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक अपव्यय होता है । भारतीय समाज के नगरों व महानगरों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने पैर जमाने आरम्भ कर दिये है जिसके परिणामस्वरूप युवक व युवतियों में फैशन शो के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है । यह आकर्षण राजस्थान

के ग्रामीण क्षेत्रों में कम जबकि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक देखने को मिलता है । सांस्कृतिक मूल्यों में तीव्रता से बदलाव आने के कारण ब्यूटी कान्टेस्टों की भूमिका अधिक मजबूत होती जा रही है ।

19.4.0 सामाजिक बिखराव व समारोहिक व्यय

सभी समाजों में समारोहिक व्यय का प्रचलन है । भारतीय समाज में भी विभिन्न अवसरों पर जैसे जन्म, विवाह, विवाह सालगिरह, व मृत्यु भोज पर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खर्च करता है । कुछ अवसरों पर व्यक्ति स्वयं की इच्छा के अनुरूप व्यय करता है । जैसे - जन्म, विवाह, विवाह सालगिरह जबकि मृत्यु भोज पर खर्च सामाजिक दबाव व समाज की परम्पराओं के अनुरूप व्यय करना पडता है । चाहे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति निम्न हो तो भी सामाजिक दबाव में अनावश्यक रूप से खर्च करना पडता है । जिससे न केवल आर्थिक अपव्यय होता है बल्कि सामाजिक बिखराव की स्थिति भी समाज में देखी जा सकती है ।

19.4.1 जन्म

सभी मानव समाजों में बच्चे के जन्म पर अलग-अलग प्रकार का सामाजिक व धार्मिक रूप से विभिन्न समारोह के माध्यम से प्रसन्नता प्रकट की जाती है । राजस्थान में भी बच्चों के जन्म के साथ कम से कम नौ प्रमुख विधि विधान प्रचलित है । इसमें प्रथम है गर्भधारण समारोह, जब दुल्हन पहली बार गर्भधारण करती है तो इसे परिवार के लिए शुभ माना जाता है । और खूब खुशियाँ मनाई जाती है । गर्भधारण के आठवें माह में बच्चे की सुरक्षा के लिए अठमासा नामक विधि विधान से सम्पन्न किया जाता है । परिवार के लोग लड़की के निवास पर इकट्टे होकर गृह देवता से सुरक्षित प्रसव की प्रार्थना करते है । गर्भ के आठवें महीने हर रोज मिठाईयाँ बाँटी जाती है । मध्यकालीन युग में भी जन्म का आयोजन बडे धूमधाम से मनाया जाता था । बच्चे के जन्म के बाद एक चम्मच मधु और घी खिलाकर जन्म सम्बन्धी आयोजन की शुरुआत होती है । लड़के के जन्म होने पर घर की बुजुर्ग महिला ताँबे की थाली बजाकर लोगों को सूचित करती है । जबकि लड़की के जन्म के अवसर पर कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाता था । दक्षिण राजस्थान के जनजातीय समाज में लड़की के जन्म व प्रसन्नता व्यक्त की जाती हैं । परिवार में लड़की के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है । राजस्थान में भी राज परिवारों में बेटे के जन्म को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता था और इसके लिए महीने भर समारोह होते थे । विशेषकर जयपुर में महाराजा अपनी शानदार मेहमानबाजी के लिए विश्व विख्यात थे । वे पूरे जयपुर को आयोजित करते थे और भोज तब तक चलता था जब तक कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति खा न लेता था ।

वर्तमान सन्दर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता के कारण राजस्थान में भी लड़कियों के प्रति परिवार की सोच में परिवर्तन हो रहा है । लड़की के जन्म पर भी कुछ परिवारों में मिठाईयां बॉटी जाती है । तथा प्रसन्नता प्रकट की जाती है ।

आज समाज में एक फैशन बन चुका है कि बच्चे की सालगिरह पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जायें । उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में बच्चे के जन्म ब सालगिरह पर केक काटना आवश्यक माना जाता है । जन्म समारोह पर अत्यधिक व्यय करने से समाज में स्पष्ट रूप से एक प्रकार की सामाजिक व आर्थिक स्तर पर असमानता देखी जा सकती है । समाज में जन्मोत्सव पर सादगी व सरलता के स्थान पर दिखावे व अपव्यय का बोलबाला अधिक देखा जा सकता है ।

19.4.2 विवाह व विवाह सालगिरह

विवाह का शाब्दिक अर्थ है, उद्वह अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। विवाह रूप संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पायी जाती है । विवाह ही परिवार एवं नातेदारी का आधार है। विवाह का अभिप्राय "एक स्त्री का एक पुरुष के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा व कानून स्वीकार करता है और जिससे इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार व कर्त्तव्य का समावेश होता है” हिन्दुओं में विवाह धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कर्त्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में अनेक कारणों से विवाह का विशेष महत्व है जैसे - विवाह के द्वारा ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, यौन सन्तुष्टि प्राप्त करता है, सन्तान को जन्म देता है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री के.एम. कपाडिया ने अपनी पुस्तक 'मेरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया 1958' में हिन्दू विवाह का मुख्य उद्देश्य धर्म, प्रजा, तथा रति बतलाये हैं । कपाड़िया के अनुसार हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार बनाने के लिए वे सारे अनुष्ठान और विधि विधान भी हैं जो विवाह के दौरान सम्पन्न किये जाते है । हिन्दूओं में विवाह को एक अटूट बन्धन के रूप में माना जाता है । जबकि मुस्लिम समाज में विवाह एक समझौते के रूप में जाना जाता है ।

वर्तमान समय में विवाह संस्था में मूलभूत परिवर्तन हु आ है। अन्तर्जातिय क्विाह का प्रचलन बढ़ने के साथ-साथ ही विवाह विच्छेद की समस्या भी समाज में बढ़ रही है । विवाह को मात्र एक औपचारिकता की रस्म के रूप में मनाया जाता है तथा कोर्ट मेरीज का प्रचलन समाज में बढ़ रहा है । विवाह एक विधि विधान व अनुष्ठान के स्थान पर संक्षिप्ति करण के आधार पर वैवाहिक रस्म को पूर्ण करने का प्रचलन बढ़ रहा है। वैवाहिक समारोह में अनावश्यक रूप से व्यय किया जाता है विशेषकर सजावट, फटाखें, साज-सज्जा व दहेज पर जिससे सामाजिक बिखराव की समस्या देखी जा सकती है।

विवाह सालगिरह मनाने का प्रचलन उच्च व धनी वर्ग के लोगों में अधिक देखने को मिलता है । विभिन्न वर्षों के अन्तराल के पश्चात सिल्वर व गोल्डन जुबली के रूप में भी विवाह सालगिरह को उत्सव के रूप में मनाते हैं । इस प्रकार के समारोह में अनावश्यक रूप से व्यय किया जाता है, लेकिन अमीर व उच्च वर्ग के लिए प्रस्थिति का सूचक माना जाता है। वर्तमान में लोग विवाह सालगिरह को मनाने होटलो व घर के बाहर अन्य स्थानों पर जाते हैं । विवाह सालगिरह पर इतना खर्च किया जाता है, जितना गरीब व्यक्ति अपनी सन्तानों के विवाह पर भी खर्च नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप सामाजिक बिखराब व समारोहिक व्यय में वृद्धि करता है ।

19.4.3 मृत्युभोज

राजस्थान में दाह संस्कार देश के अन्य भागों की तरह ही होते है । इसमें मुख्यत: तीन कर्म होते है, अन्तेष्टि, तिया और मृत्युभोज । मृत्यु के बाहर वें दिन मृतक के सम्मान में एक वृहत भोज का आयोजन किया जाता है. जिसे मौसर खर्च आदि के नाम से भी जानते है । मृत्युभोज पर सैकड़ों लोगों को आमन्त्रित किया जाता है, इस अवसर पर काफी धन का अपव्यय होता है । गरीब लोगों को इस कर्म को करने में भारी कर्ज लेना पडता है । जो वे बिना अपनी जमीन या जेवर, घर बेचे वापस नहीं कर सकते ।

मध्यकाल में भी मृत्युभोज बड़े पैमाने पर और शान-शौकत से किये जाते थे । सन् 1758 में कोटा के महाराज अजीत सिंह की मृत्यु के उपरान्त आयोजित भोज में 62,944 रूपये खर्च हुए थे । सन् 1922 में जयपुर के महाराज माधोसिंह की मृत्यु के बाद पूरे जयपुर का स्वागत भोज से किया गया था । कम से कम 50,000 व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था । जयपुर से गुजरने वाली प्रत्येक गाडी को रेल्वे स्टेशन पर तीन दिन तक रोका गया और प्लेटफार्म पर ही लोगों को भोज करवाया गया । जयपुर के लोगों को अब भी उन शानदार दिनों की कसक है जब भव्य राजकीय मृत्यु भोज हुआ करते थे । इसकी याद में लोग अब भी अतीत में खो जाते हैं ।

राज्य सरकार ने मृत्यु भोज पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्योंकि दहेज की तरह मृत्युभोज भी गराबों के लिए बहुत बड़ा बोझ माना जाता है । वर्तमान में शिक्षा के माध्यम से जागृति आने के कारण कई परिवारों में मृत्युभोज करने से इनकार कर देते हैं । क्योंकि वे इसे बर्बादी के रूप में मानते है । इसलिए कुछ परिवारों में बुढे लोग मृत्यु से पूर्व ही अपना मौसर या खर्च का आयोजन कर लेते हैं क्योंकि इन्हें डर रहता है कि उनके सम्बन्धी और परिवार जन उनकी मृत्यु के बाद भोज नहीं करेंगे ।

19.5 सारांश

आर्थिक अपव्यय एवं समारोहिक व्यय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है । समाज में अनाचार की अभिवृद्धि का एक ही कारण है, अनावश्यक एवं अतिशय मात्रा में सज्जा सजाना, विलासिता के साधन जुटाना एवं संग्रह की लिप्सा लालायित रहना । विलासिता और अहंता के व्यामोह में जो कमाया गया था, वह कम पड़ता ही रहता है । साथ ही यह उत्सुकता चल पड़ती है कि किसी प्रकार अपनों या दूसरों के हक का जितना भी कुछ छीना झपटा जा सके उसमें कोताही न की जाए । अपव्ययी प्रकारान्तर से दुर्गुणी हुए बिना नही रहता । निजी आवश्यकताओं के प्रति तो थोड़े में ही सरलापूर्वक सम्भव हो जाती है । अपने देश में बडप्पन का अर्थ अपव्यय और आलस्य है । अमीरी प्रदर्शन में प्रेत पिसाच का उन्माद व्यक्ति के सिर से उतरने ही नहीं देता जिसके परिणामस्वरूप समाज में कई प्रकार की अन्य समस्याओं के साथ-साथ सामाजिक बिखराव की स्थिति उत्पन्न होती है । इस इकाई में हमने विभिन्न प्रकार के आर्थिक व्यय जैसे - घरेलू साज सज्जा, देह दर्शन, समारोहिक व्यय जैसे - जन्म, विवाह, विवाह सालगिरह व मृत्यु भोज की समस्या के परम्परागत व आधुनिक स्वरूपों की चर्चा विस्तार से की है ।

19.6 बोध- प्रश्न

1. आर्थिक अपव्यय किसे कहते है ?
2. राजस्थान में महिलाओं के परम्परागत आभूषणों के नाम बताइये ?
3. फैशन से आपका क्या अभिप्राय है ?
4. विवाह किसे कहते है ? परिभाषित कीजिए ।
5. मृत्युभोज क्या है ?

19.7 बोध-प्रश्न के उत्तर

1. आर्थिक अपव्यय से तात्पर्य अनावश्यक व फिजूल खर्च को कहते है ।

2. टीका, झूमर, नथ, तेवटा, भुतबन्ध, हथपान, तागड़ी, ऑवला आदि ।
3. फैशन का अभिप्राय : समाज मे वे सामाजिक मानदण्ड जो कम समय के लिए व्यवहार में आते है ।
4. विवाह का अभिप्राय एक स्त्री का एक पुरूष के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जिसे प्रथा व कानून द्वारा स्वीकार करता है ।
5. मृत्युभोज का तात्पर्य मृतक के सम्मान में एक वृहत भोज का आयोजन होने को कहते है ।

19.8 शब्दावली

अपव्यय	-	फिजूल खर्च
चितराम	-	भिति चित्र
फैशन	-	प्रचलन में हो
आभूषण	-	गहने
महावर	-	लाल रंग का पदार्थ
फागणिया	-	फाल्गुन मास में पहने जाने वाले विशेष वस्त्र
टेटू	-	शरीर पर लगाने के चित्र

19.9 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. राठौड़, विक्रम सिंह : राजस्थान की संस्कृति में नारी (मारवाड़ के विशेष संन्दर्भ मे) राजस्थान ग्रन्थागार, जोधपुर, 1994
2. कपाड़िया, के.एम. : मैरिज एण्ड फैमिली इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1966
3. शर्मा, जी.एन. : सोशल लाईफ इन मिडावल राजस्थान, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, एज्यूकेशनल पब्लिशन्स्, आगरा, 1968